केवल प्रतिबंधित परिचालन के लिए
FOR RESTRICTED CIRCULATION ONLY

बैं.प.वि.वि. के परिपत्र

Circulars of DBOD

(1999-2000)



भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

Reserve Bank of India, Mumbai

RBI/DBOD
G
HSC2

केवल प्रतिबंधित परिचालन के लिए

बैं.प.वि.वि. के परिपत्र

(1999-2000)

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

प्रकाशक :
अमलेन्दु घोष
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई - 400 005

मुद्रक :
मयूर ट्रेडिंग कार्पोरेशन,
फोर्ट, मुंबई - 400 001.
टेलीफोन : 208 2428/206 6191/231 8529
फैक्स : 206 5013

भारत में मुद्रित

332.1130954
RBI
4562

515
RBI
4562

भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक हर साल परिपत्रों की पुस्तिका प्रकाशित करता है, जिसमें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेश शामिल होते हैं । इस वर्ष से, उक्त पुस्तिका की व्याप्ति-अवधि को बदलकर उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष के अनुरूप, अर्थात् जुलाई से जून, किया जा रहा है । तथापि, अस्थायी उपाय के रूप में, इस वर्ष के खंड में 1 जनवरी 1999 से 30 जून 2000 तक की अवधि के दौरान जारी किये गये सभी परिपत्र शामिल किये गये हैं । भविष्य में इस प्रकाशन के प्रयोजन के लिए जुलाई से जून तक की अवधि को वर्ष माना जायेगा । सभी परिपत्रों को खुले पृष्ठों की ज़िल्द (लूज-लीफ बाइंडर) प्रणाली में अलग-अलग रखकर तैयार किया गया है, ताकि बैंक नया परिपत्र जारी होने पर पुराने परिपत्र के स्थान पर उसे रख सकें । जारी किये जाने पर बैंकों को अलग-अलग परिपत्र भेजने की प्रथा भी जारी रहेगी । विवेकपूर्ण मानदण्डों के बढ़ते हुए महत्व की दृष्टि से इस विषय से संबंधित परिपत्रों को "आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले" नामक अलग अध्याय में रखा गया है । आशा है कि यह प्रकाशन बैंकों तथा अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी होगा ।

जी. पी. मुनियप्पन

जी. पी. मुनियप्पन
कार्यपालक निदेशक
15 नवम्बर 2000

सामान्य विषयवस्तु, अनुभागवार अनुक्रमणिका

और

कालानुक्रमणिका

सामान्य विषयवस्तु

				पृष्ठ सं.
भाग	I	:	पूंजी, लाभांश, आरक्षित निधियाँ	1
भाग	II	:	जमा राशि	7
भाग	III	:	ऋण नीति / बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा	45
भाग	IV	:	निवेश	71
भाग	V	:	अग्रिम	109
भाग	VI	:	ऋण नियंत्रण (सामान्य)	139
भाग	VII	:	ऋण सूचना	167
भाग	VIII	:	नियुक्तियाँ / पारिश्रमिक	
भाग	IX	:	विवरणी	193
भाग	X	:	विविध	
			(क) शाखा विस्तार	
			(ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय, आदि	199
			(ग) बैंकों में ग्राहक सेवा	215
			(घ) बैंकों में धोखाधड़ी आदि	
			(ङ) अन्य	223
भाग	XI	:	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले	283
भाग	XII	:	बैंकों में हिन्दी का प्रयोग	317

अनुक्रमणिका

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
	भाग I	
	पूंजी, लाभांश, आरक्षित निधियाँ	
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 5/21.01.002/98-99 दिनांक 8.02.1999	स्तर - II की पूंजी जुटाने के लिए अधीनस्थ ऋण जारी करना	1
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 दिनांक 24.04.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	5
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 101/21.04.048/99-2000 दिनांक 18.10.1999	आय - निर्धारण, आस्ति - वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	6
	भाग II	
	जमाराशि	
बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 36/13.01.04/99 दिनांक 23.04.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	7
बैंपविवि.सं. डीआइआर. 37/13.01.04/99 दिनांक 23.04.1999	देशी मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम	8
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 दिनांक 24.04.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	9
बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 41/13.01.09/99 दिनांक 28.04.1999	वापस आ रहे भारतीयों के अनिवासी बाह्य खातों का निवासी विदेशी मुद्रा खातों में परिवर्तन - ब्याज की अदायगी	10
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 41बी/13.03.00/99 दिनां क 28.04.1999	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जापानी येन में स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	11
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 41ए/13.03.00/99 दिनांक 28.04.1999	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जापानी येन में स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	12

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 43/13.01.09/99 दिनांक 5.05.1999	अनिवासी भारतीयों से ली जाने वाली जमाराशियों के मामले में अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपाय	13
बैंपविवि.सं .डीआइआर.बीसी. 52/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	15
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 50/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	17
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 51/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें	19
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 54/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	21
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 53/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (अधिसूचना)	22
बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 61/21.02.052/99 दिनांक 12.06.1999	बैंकों के पास रखी गयी आवधिक जमाराशियों पर देय ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती	23
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 107 ए/13.01.04/99 दिनांक 29.10.1999	देशी मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम (प्रावरण पत्र)	24
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 107/13.01.04/99 दिनांक 29.10.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	25
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 108/13.01.09/99 दिनांक 29.10.1999	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (निदेश)	26
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 114/13.03.00/99-2000 दिनांक 29.10.1999	मौद्रिक और ऋण नीति; 1999-2000 की मध्यावधि समीक्षा पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	27

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 135/13.03.00/99-2000 दिनांक 13.1.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	28
बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 134/13.03.00/99-2000 दिनांक 13.1.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	29
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 141 /13.03.00/99-2000 दिनांक 12.2.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	30
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 140/13.03.00/99-2000 दिनांक 12.2.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	31
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 153 /13.03.00/99- 2000 दिनांक 23.3.2000	देशी / अनिवासी / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	32
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151 /13.03.00/99-2000 दिनांक 23.3.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	33
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 152 /13.03.00/99- 2000 दिनांक 23.3.2000	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (निदेश)	34
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 158/13.03.00/2000 दिनांक 1.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	35
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 157/13.03.00/2000 दिनांक 1.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	36
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 160/13.03.00/2000 दिनांक 1.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	37
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 159/13.03.00/2000 दिनांक 1.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (निदेश)	38

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 166/13.03.00/2000 दिनांक 27.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	39
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 167/13.03.00/2000 दिनांक 27.4.2000	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (निदेश)	40
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 168/13.03.00/99-2000 दिनांक 27.4.2000	वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक और ऋण नीति पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	41
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 दिनांक 3.5.2000	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	42
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 179 /13.01.16/99-2000 दिनांक 26.5.2000	पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 - अतिदेय मीयादी जमाराशियों का नवीकरण	43
	भाग III	
	ऋण नीति / बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा	
बैंपविवि.सं . एफएससी.बीसी. 20/24.92.001/99 दिनांक 10.03.1999	मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी	45
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 23/24.91.001/99 दिनांक 27.03.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	46
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 27/24.91.001/99 दिनांक 7.04.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	47
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 दिनांक 24.04.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय (प्रावरण पत्र)	48
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 56/24.92.001/99 दिनांक 27.05.1999	मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी	52

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 58/24.91.001/99 दिनांक 28.05.1999	माँग / सूचना /मीयादी मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	53
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 64/24.91.001/99 दिनांक 1.07.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	54
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 75/24.91.001/99 दिनांक 29.07.1999	मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फंड	55
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 82/21.01.002/99 दिनांक 18.08.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	56
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 92/24.91.001/99 दिनांक 23.09.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	58
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 102/24.92.001/99 दिनांक 21.10.1999	मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी	59
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 114/13.03.00/99 दिनांक 29.10.1999	मौद्रिक और ऋण नीति 1999-2000 की मध्यावधि समीक्षा (प्रावरण पत्र)	60
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 121/21.04.124/99 दिनांक 03.11.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	62
बैंपविवि. सं. एफ़एससी.बीसी. 143/24.92.001/2000 दिनांक 23.2.2000	मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी	63
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 168/13.03.00/2000 दिनांक 27.4.2000	वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति - ब्याज दर नीति (प्रावरण पत्र)	64
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 दिनांक 3.5.2000	मौद्रिक तथा ऋण नीति संबंधी उपाय	66

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 173 /13.07.05/99-2000 दिनांक 12.5.2000	बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई	68
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 177/24.91.001/2000 दिनांक 23.5.2000	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	69
		भाग IV निवेश
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 7/24.76.001/99 दिनांक 10.02.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	71
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 6/24.76.001/99 दिनांक 10.02.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	72
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 13/13.07.05/99 दिनांक 23.02.1999	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी	73
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 33/24.76.002/99 दिनांक 21.01.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	74
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 32/24.76.002/99 दिनांक 21.04.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	75
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 दिनांक 24.04.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	76
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 39/24.76.002/99 दिनांक 23.04.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	77
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 38/24.76.002/99 दिनांक 23.04.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	78

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 74/24.76.002/99 दिनांक 27.07.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन	79
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 77/24.76.002/99 दिनांक 29.07.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	84
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 76/24.76.002/99 दिनांक 29.07.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	85
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 84/24.76.002/99 दिनांक 23.08.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	86
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 83/24.76.002/99 दिनांक 23.08.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	87
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 126/24.76.002/99 दिनांक 24.11.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	88
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 125/24.76.002/99 दिनांक 24.11.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	89
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 150/24.76.002/99-2000 दिनांक 23.3.2000	हाज़िर वायदा संविदा (प्रावरण पत्र)	90
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 149/24.76.002/2000 दिनांक 23.3.2000	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	92
		भाग V अग्रिम
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 2/13.07.05/99 दिनांक 29.01.1999	तात्कालिक ऋण	109
बैंपविवि.सं. बीसी. 11/08.95.005/98-99 दिनांक 15.02.1999	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - विशेष आदेश / सामान्य आदेश	110

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
औनिऋवि. सं. 19/04.02.01/98-99 दिनाक 3.03.1999	निर्यात -ऋण -ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	113
बैंपविवि.सं. बीसी. 19/13.07.01/99 दिनांक 3.03.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	114
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 25/21.03.038/99 दिनांक 30.03.1999	देय राशियों की वसूली हेतु बैंकों द्वारा मुकदमे दायर करना	116
बैंपविवि.सं. बीसी. 26/08.95.005/99 दिनांक 1.04.1999	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - सामान्य आदेश	117
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 दिनांक 24.04.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	119
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 47/21.04.012/99 दिनांक 11.05.1999	जम्मू और काश्मीर राज्य में व्यापार एवं उद्योग को रियायतें	120
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 69/21.03.038/99 दिनांक 12.07.1999	देय राशियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा मुकदमा दायर करना	121
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 78/21.04.009/99 दिनांक 4.08.1999	बैंक गारंटियां	122
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 93/21.02.036/99 दिनांक 23.09.1999	राहत बांडों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना	123
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 100/13.07.01/99 दिनांक 11.10.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें - नियत दर ऋण	124
औनिऋवि. सं. 6/04.02.01/99-2000 दिनांक 29.10.1999	निर्यात -ऋण -ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	125

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीसी. 105/13.07.01/99 दिनाक 29.10.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	126
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 106/13.03.00/99-2000 दिनांक 29.10.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	128
बैंपविवि.डीआइआर. बीसी.सं. 114/13.03.00/99-2000 दिनांक 29.10.1999	मौद्रिक और ऋण नीति, 1999-2000 की मध्यावधि समीक्षा पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	133
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 168/13.03.00/99-2000 दिनांक 27.4.2000	वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	134
औनिऋवि. सं. 15/04.02.01/99-2000 दिनांक 25.5.2000	निर्यात -ऋण -ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	135
बैंपविवि. सं. बीसी. 178/13.07.01/2000 दिनांक 25.5.2000	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	136
	भाग VI	
	ऋण नियंत्रण (सामान्य)	
बैंपविवि.सं. बीसी. 17/12.01.001/98-99 दिनांक 1.03.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (प्रावरण पत्र)	139
बैंपविवि.सं. बीसी. 16/12.01.001/98-99 दिनांक 1.03.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती (अधिसूचना)	140
बैंपविवि.सं. बीसी. 18/12.02.001/98-99 दिनांक 1.03.1999	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात के रखरखाव में कमी पर दंड ब्याज दर	141
बैंपविवि.सं. बीसी. 21/12.01.001/98-99 दिनांक 15.03.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 -पात्र नकद शेषों पर सूचना के लिए नियत पाक्षिक और तिमाहियों के लिए तदर्थ ब्याज दावे सूचित करने हेतु अंतिम फार्म 'ए' प्रस्तुत करना	142

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीसी. 31/12.01.001/98-99 दिनांक 20.04.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (प्रावरण पत्र)	143
बैंपविवि.सं. बीसी. 30/12.01.001/98-99 दिनांक 20.04.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	144
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 73/23.67.001/99-2000 दिनांक 21.07.1999	विदेश से उधार लिये गये और निर्यातों के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये स्वर्ण के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात का रखरखाव (प्रावरण पत्र)	145
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 72/23.67.001/99-2000 दिनांक 21.07.1999	विदेश से उधार लिये गये और निर्यातों के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये स्वर्ण के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात का रखरखाव (अधिसूचना)	148
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 96 /23.67.001/99-2000 दिनांक 05.10.1999	स्वर्ण जमा योजना - प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं से छूट (प्रावरण पत्र)	149
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 95/23.67.001/99-2000 दिनांक 05.10.1999	स्वर्ण जमा योजना - प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं से छूट (अधिसूचना)	150
बैंपविवि.सं. बीसी. 113/12.01.001/99-2000 दिनांक 29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (प्रावरण पत्र)	151
बैंपविवि.सं. बीसी. 110/12.01.001/99-2000 दिनांक 29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	154
बैंपविवि.सं. बीसी. 111/12.01.001/99-2000 दिनांक 29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	155
बैंपविवि.सं. बीसी. 112/12.01.001/99-2000 दिनांक 29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	156

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीसी. 131/12.01.001/99-2000 दिनांक 28.12.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर तिमाही तदर्थ ब्याज का दावा प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा	157
बैंपविवि. सं. बीसी. 154/12.02.001/99-2000 दिनांक 1.4.2000	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिर्धि अनुपात रखने में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज की दर	160
बैंपविवि. सं. बीसी. 156/12.01.001/99-2000 दिनांक 1.4.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (प्रावरण पत्र)	161
बैंपविवि. सं. बीसी. 155/12.01.001/99-2000 दिनांक 1.4.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	162
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 165/23.67.001/99-2000 दिनांक 27.4.2000	स्वर्ण जमा योजना - अन्य प्राधिकृत बैंकों को सोना उधार देने के लिए बैंकों को अनुमति देना	163
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 दिनांक 3.5.2000	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	164
बैंपविवि. सं. बीसी. 186/12.01.001/99-2000 दिनांक 28.6.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात - दैनिक आधार पर 65 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर बनाये रखना	165
		भाग VII **ऋण सूचना**
बैंपविवि.सं. बीसी.डीएल (डब्ल्यू) 12/20.16.002(1)/98-99 दिनांक 20.02.1999	25 लाख रुपये तथा उससे अधिक की राशियों की अदायगी में जानबूझकर चूक करने के मामलों की जानकारी प्राप्त करना और जानकारी देना	167
बैंपविवि.सं. डीएल. बीसी. 46/20.16.002/98-99 दिनांक 10.05.1999	चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण - चूककर्ताओं / मुकदमा दायर खातों की सूची तथा जानबूझकर की गयी चूक संबंधी आंकड़े	170
बैंपविवि.सं. डीएल. बीसी. 104/20.16.002/99-2000 दिनांक 23.10.1999	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणकर्ताओं द्वारा न्यायालय के बकाया (अनिर्णीत) मामलों के संदर्भ में सूचना का प्रकटीकरण	172

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. डीएल. बीसी. 117/20.16.002/99-2000 दिनांक 30.10.1999	रु. 1 करोड़ और अधिक के चूककर्ताओं के बारे में सूचना का प्रकटीकरण -मुकदमा दायर खातों की सूची - हर तिमाही में अद्यतन करना	173
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 161/20.16.002/99-2000 दिनांक 1.4.2000	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्जदार चूककर्ताओं के संबंध में जानकारी का संग्रहण और वितरण	176
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 दिनांक 3.5.2000	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	192
	भाग IX विवरणी	
बैंपविवि.सं. बीसी. 10/12.01.001/98-99 दिनांक 15.02.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) - फार्म 'ए' में विवरणी	193
बैंपविवि.सं. बीसी. 48/12.05.005/98-99 दिनांक 19.05.1999	भारत स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां (फार्म ए-1) और आय तथा व्यय का विवरण (फार्म ए-2)	195
बैंपविवि.सं. 49/12.05.001/98-99 दिनांक 19.05.1999	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 -फार्म X विवरणी प्रस्तुत करना	196
बैंपविवि.सं. बीसी. 127/12.05.005/99-2000 दिनांक 30.11.1999	बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों का युक्तिकरण	197
	भाग X विविध	
	(ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय, आदि	
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 42/24.01.013/99 दिनांक 29.04.1999	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) के निवेशकों के लिए चेक काटने की सुविधा	199
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 65/24.01.001/99 दिनांक 1.07.1999	वित्तीय सेवा कंपनियों की शेयर पूंजी में सहभागिता	201

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. जेपीसी. बीसी. 137/27.01.031/99- 2000 दिनांक 4.2.2000	बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891	264
बैंपविवि. सं. बीसी. 139/12.06.065/99-2000 दिनांक 7.2.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना - दि ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडल ईस्ट	266
बैंपविवि. सं. बीसी. 142/12.06.088/99-2000 दिनांक 18.2.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - 'आइसीआइसीआइ बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड'के स्थान पर 'आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड'	267
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 170/21.04.018/2000 दिनांक 4.5.2000	लेखा मानक (एएस)- 11 (संशोधित)	268
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 171/21.04.098/99-2000 दिनांक 5.5.2000	बैंकों का तुलनपत्र - सूचना प्रकट करना	269
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 172/21.04.105/99-2000 दिनांक 9.5.2000	विशेष लाभांश खाते में अंतरित अदत्त लाभांश	270
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 174/21.04.007/2000 दिनांक 15.5.2000	प्रशिक्षण सुविधाएं	271
बैंपविवि. सं. आइबीएस.. बीसी. 175/23.09.001 /99-2000 दिनांक 19.5.2000	भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा लाभ का प्रेषण	273
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 176/21.04.040/2000 दिनांक 20.5.2000	निपटान परामर्श समितियों के गठन के लिए दिशा-निर्देश	276
बैंपविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 182/16.13.100/99-2000 दिनांक 31.5.2000	शेयरों का अंतरण	277
बैंपविवि.सं . बीसी. 183/12.06.098/99-2000 दिनांक 2.6.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन - दि टाइम्स बैंक लि.	278

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं . बीसी. 184/21.01.040/99-2000 दिनांक 12.6.2000	अनर्जक आस्तियों की वसूली - डिगरी प्राप्त ऋणों की राशि को तत्परता से प्राप्त करना	279
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 187/21.01.007/99-2000 दिनांक 29.6.2000	ब्याज कर अधिनियम, 1974 - ब्याज कर की समाप्ति	281

भाग XI

आय - निर्धारण, आस्ति - वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले

बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 22/21.04.018/99 दिनांक 24.03.1999	अंतर-शाखा खाते - निवल नामे शेष हेतु प्रावधान	283
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 24/21.04.048/99 दिनांक 30.03.1999	विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी - पर्याप्तता, आय - निर्धारण, आस्ति - वर्गीकरण और प्रावधान करना	284
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.04.048/98-99 दिनांक 15.04.1999	आय - निर्धारण, आस्ति - वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन	286
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 दिनांक 24.04.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	291
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/99 दिनांक 10.05.1999	आय - निर्धारण, आस्ति - वर्गीकरण और प्रावधान करना - वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संकल्पना	292
बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी. 70/24.01.001/99 दिनांक 17.07.1999	उपस्कर पट्टेदारी कार्यकलाप - लेखांकन / प्रावधान करने संबंधी मानदण्ड	293
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 87/21.01.002/99 दिनांक 8.09.1999	पूंजी - पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों/प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर जोखिम भार	295
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 101/21.04.048/99 दिनांक 18.10.1999	आय - निर्धारण, आस्ति - वर्गीकरण और प्रावधान करना - बैंकों द्वारा सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यन	296

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 103/21.04.048/99 दिनांक 21.10.1999	आय - निर्धारण, आस्ति - वर्गीकरण और प्रावधान करना - प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों के माध्यम से वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि वित्त	298
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 121/12.04.124/99-2000 दिनांक 03.11.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	299
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 133/21.04.018/ 2000 दिनांक 10.1.2000	अंतर-शाखा खाते - निवल नामे शेष हेतु प्रावधान	300
बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 138/21.04.048/2000 दिनांक 7.2.2000	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान - निर्यात परियोजना वित्त	301
बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 144/21.04.048/2000 दिनांक 29.2.2000	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले और पूंजी पर्याप्तता मानक - 'टेक आउट' वित्तपोषण	303
बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 163/21.04.048/2000 दिनांक 7.4.2000	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन	308
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 164/21.04.048/2000 दिनांक 24.4.2000	पूंजी-पर्याप्तता, आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण तथा प्रावधान करने आदि संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड	313
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 दिनांक 3.5.2000	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों पर जारी परिपत्र का सुसंगत उद्धरण	316
	भाग XII	
	बैंको में हिन्दी का प्रयोग	
बैंपविवि.सं. बीसी. 60/06.11.04/98-99 दिनांक 8.06.1999	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - बैंकों में हिन्दी का प्रयोग - कार्यालय / शाखा स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	317
बैंपविवि.सं. बीसी. 68/06.11.04/99 दिनांक 7.07.1999	बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्टों का कंप्यूटरीकृत समेकन	318

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीसी. 80/06.11.04/99 दिनांक 12.08.1999	बैंकों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन - राजभाषा (हिन्दी) की स्वर्ण जयंती मनाना	331
बैंपविवि.सं.बीसी. 90/06.11.04/99-2000 दिनांक 18.09.1999	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के लिए द्विभाषिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार करवाना	332
बैंपविवि.सं. बीसी. 94/06.07.03/99-2000 दिनांक 30.09.1999	पत्र-पत्रिकाओं के लिए दिशा-निर्देश	333
बैंपविवि.सं. बीसी. 122/06.11.04/99-2000 दिनांक 05.11.1999	देवनागरी (हिन्दी) में तार भेजने में आनेवाली प्रौद्योगिकीय समस्याएं	334
बैंपविवि. सं. बीसी. 01/06.11.04/99-2000 दिनांक 6.1.2000	हिन्दी में होर्डिंग दर्शाना	335
बैंपविवि. सं. बीसी. 146/06.11.04/99-2000 दिनांक 8.3.2000	कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य	336
बैंपविवि. सं. बीसी. 162/06.11.04/99-2000 दिनांक 3.4.2000	बैंकों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन - आंतरिक स्थायी कार्यकारी दलों का गठन	338
बैंपविवि. सं. बीसी. 185/06.11.04/99-2000 दिनांक 21.6.2000	बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संशोधित प्रोफार्मा - तिमाही प्रगति रिपोर्टों कंप्यूटरीकृत समेकन	339

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 1/12.06.115/98-99 दिनांक 1.1.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'बैंक मस्कट इंटरनेशनल, एस ए ओ जी'	X(ङ)
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 2/13.07.05/99 दिनांक 29.01.1999	तात्कालिक ऋण	V
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 3/21.04.109/99 दिनांक 8.02.1999	तुलन-पत्र विश्लेषण के संबंध में निर्दिष्ट मानदण्ड	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 5/21.01.002/98-99 दिनांक 8.02.1999	स्तर - II की पूंजी जुटाने के लिए अधीनस्थ ऋण जारी करना	I
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 6/24.76.001/99 दिनांक 10.02.1999	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 7/24.76.001/99 दिनांक 10.02.1999	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 8/21.04.098/99 दिनांक 10.02.1999	आस्ति - देयता प्रबंधन प्रणाली	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 9/21.04.018/99 दिनांक 10.02.1999	बैंकों का तुलनपत्र - सूचना प्रकट करना	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीसी. 10/12.01.001/98-99 दिनांक 15.02.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) - फार्म 'ए' में विवरणी	IX
बैंपविवि.सं. बीसी. 11/08.95.005/98-99 दिनांक 15.02.1999	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - विशेष आदेश/सामान्य आदेश	V

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं.बीसी.डीएल (डब्ल्यू) 12/20.16.002(1)/98-99 दिनांक 20.02.1999	25 लाख रुपये तथा उससे अधिक की राशियों की अदायगी में जानबूझकर चूक करने के मामलों की जानकारी प्राप्त करना और जानकारी देना	VII
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 13/13.07.05/99 दिनांक 23.02.1999	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी	IV
बैंपविवि.सं. बीसी. 14/12.06.116/98-99 दिनांक 25.02.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'मार्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी ऑफ न्यूयार्क '	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीसी. 16/12.01.001/98-99 दिनांक 1.03.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं. बीसी. 17/12.01.001/98-99 दिनांक 1.03.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं. बीसी. 18/12.02.001/98-99 दिनांक 1.03.1999	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात के रखरखाव में कमी पर दंड ब्याज दर	VI
औनिऋवि. 19/04.02.01/98-99 दिनांक 3.03.1999	निर्यात -ऋण -ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं. बीसी. 19/13.07.01/99 दिनांक 3.03.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 20/24.92.001/99 दिनांक 10.03.1999	मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी	III
बैंपविवि.सं. बीसी. 21/12.01.001/98-99 दिनांक 15.03.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 -पात्र नकद शेषों पर सूचना के लिए नियत पाक्षिक और तिमाहियों के लिए तदर्थ ब्याज दावे सूचित करने हेतु अंतिम फार्म 'ए' प्रस्तुत करना	VI

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 22/21.04.018/99 दिनांक 24.03.1999	अंतर-शाखा खाते - निवल नामे शेष हेतु प्रावधान	XI
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 23/24.91.001/99 दिनांक 27.03.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	III
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 24/21.04.048/99 दिनांक 30.03.1999	विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी - पर्याप्तता, आय - निर्धारण, आस्ति - वर्गीकरण और प्रावधान करना	XI
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 25/21.03.038/99 दिनांक 30.03.1999	देय राशियों की वसूली हेतु बैंकों द्वारा मुकदमे दायर करना	V
बैंपविवि.सं. बीसी. 26/08.95.005/99 दिनांक 1.04.1999	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 - सामान्य आदेश	V
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 27/24.91.001/99 दिनांक 7.04.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	III
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.04.048/98-99 दिनांक 15.04.1999	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन	XI
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 29/21.01.023/99 दिनांक 16.04.1999	परिचालन नियम-पुस्तक का संशोधन / अद्यतनीकरण	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीसी. 30/12.01.001/98-99 दिनांक 20.04.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं. बीसी. 31/12.01.001/98-99 दिनांक 20.04.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी	VI

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 32/24.76.002/99 दिनांक 21.04.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 33/24.76.002/99 दिनांक 21.01.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 34/21.01.040/99 दिनांक 22.04.1999	अनर्जक आस्तियों का समझौते या बातचीत से निपटान	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 दिनांक 23.04.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	III
बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 36/13.01.04/99 दिनांक 23.04.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 37/13.01.04/99 दिनांक 23.04.1999	देशी मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम	II
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 38/24.76.002/99 दिनांक 23.04.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 39/24.76.002/99 दिनांक 23.04.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं. बीसी. 40/12.01.001/98-99 दिनांक 24.04.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - तिमाही ब्याज [प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रा.न.अ.) शेषराशियों पर] दावा विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर	X(ङ)
बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 41/13.01.09/99 दिनांक 28.04.1999	वापस आ रहे भारतीयों के अनिवासी बाह्य खातों का निवासी विदेशी मुद्रा खातों में परिवर्तन - ब्याज की अदायगी	II

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 41ए/13.03.00/99 दिनांक 28.04.1999	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जापानी येन में स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 41बी/13.03.00/99 दिनांक 28.04.1999	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जापानी येन में स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 42/24.01.013/99 दिनांक 29.04.1999	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) के निवेशकों के लिए चेक काटने की सुविधा	X(ख)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 43/13.01.09/99 दिनांक 5.05.1999	अनिवासी भारतीयों से ली जाने वाली जमाराशियों के मामले में अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपाय	II
बैंपविवि.सं. बीसी. 44/12.06.117/98-99 दिनांक 10.05.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना -"केबीसी बैंक एन.वी."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/99 दिनांक 10.05.1999	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करना - वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संकल्पना	XI
बैंपविवि.सं. डीएल. बीसी. 46/20.16.002/98-99 दिनांक 10.05.1999	चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण - चूककर्ताओं / मुकदमा दायर खातों की सूची तथा जानबूझकर की गयी चूक संबंधी आंकड़े	VII
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 47/21.04.012/99 दिनांक 11.05.1999	जम्मू और काश्मीर राज्य में व्यापार एवं उद्योग को रियायतें	V
बैंपविवि.सं. बीसी. 48/12.05.005/98-99 दिनांक 19.05.1999	भारत स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां (फार्म ए-1) और आय तथा व्यय का विवरण (फार्म ए-2)	IX
बैंपविवि.सं. 49/12.05.001/98-99 दिनांक 19.05.1999	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 -फार्म X विवरणी प्रस्तुत करना	IX

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 50/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 51/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं .डीआइआर.बीसी. 52/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 53/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (अधिसूचना)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 54/13.03.00/99 दिनांक 22.05.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं. बीपी.(एससी) बीसी. 55/21.04.098/99 दिनांक 24.05.1999	आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली	X(ङ)
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 56/24.92.001/99 दिनांक 27.05.1999	मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी	III
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 57/21.01.040/99 दिनांक 27.05.1999	निपटान परामर्श समितियों के गठन के लिए दिशा-निर्देश	X(ङ)
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 58/24.91.001/99 दिनांक 28.05.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	III
बैंपविवि.सं. बीसी. 59/09.07.007/98-99 दिनांक 28.05.1999	जमा खातों में नामांकन की सुविधा	X(ग)

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीसी. 60/06.11.04/98-99 दिनांक 8.06.1999	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - बैंकों में हिन्दी का प्रयोग - कार्यालय / शाखा स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	XII
बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 61/21.02.052/99 दिनांक 12.06.1999	बैंकों के पास रखी गयी आवधिक जमाराशियों पर देय ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती	II
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 62/21.01.001/98-99 दिनांक 18.06.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकारों का प्रत्यायोजन	X(ङ)
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 64/24.91.001/99 दिनांक 1.07.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	III
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 65/24.01.001/99 दिनांक 1.07.1999	वित्तीय सेवा कंपनियों की शेयरपूंजी में सहभागिता	X(ख)
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 67/24.04.018/99 दिनांक 1.07.1999	नॉस्ट्रो खातों का समाधान	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीसी. 68/06.11.04/98-99 दिनांक 7.07.1999	बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्टों का कंप्यूटरीकृत समेकन	XII
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 69/21.03.038/99 दिनांक 12.07.1999	देय राशियों की वसूलो के लिए बैंकों द्वारा मुकदमा दायर करना	V
बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी. 70/24.01.001/99 दिनांक 17.07.1999	उपस्कर पट्टेदारी कार्यकलाप - लेखांकन / प्रावधान करने संबंधी मानदण्ड	XI
बैंपविवि.सं. बीसी. 71/12.06.111/99-2000 दिनांक 19.07.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन - 'दि कमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया लि.'	X(ङ)

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 72/23.67.001/99-2000 दिनांक 21.07.1999	विदेश से उधार लिये गये और निर्यातों के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये स्वर्ण के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात का रखरखाव (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 73/23.67.001/99-2000 दिनांक 21.07.1999	विदेश से उधार लिये गये और निर्यातों के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये स्वर्ण के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात का रखरखाव (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 74/23.67.001/99-2000 दिनांक 27.07.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन	IV
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 75/24.91.001/98-99 दिनांक 29.07.1999	मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फंड	III
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 76/24.76.002/99 दिनांक 29.07.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 77/24.76.002/99 दिनांक 29.07.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 78/21.04.009/99 दिनांक 4.08.1999	बैंक गारंटियां	V
बैंपविवि.सं. बीसी. 80/06.11.04/99 दिनांक 12.08.1999	बैंकों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन - राजभाषा (हिन्दी) की स्वर्ण जयंती मनाना	XII
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 81/21.03.038/99-2000 दिनांक 13.08.1999	समीक्षा - कैलेण्डर - निदेशक मंडल और प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामले	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 82/21.01.002/99 दिनांक 18.08.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	III

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 83/24.76.002/99 दिनांक 23.08.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 84/24.76.002/99 दिनांक 23.08.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं. बीसी. 85/09.08.001/99-2000 दिनांक 6.09.1999	बंबई उच्च न्यायालय - याचिका (रिट पिटीशन) सं. 1998 की 434 -ए. जे. रिज़वी तथा अन्य *बनाम* इंडो फ्रेंच इंटरप्राइजेज लि. तथा अन्य	X(ङ)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 86/13.10.00/99-2000 दिनांक 7.09.1999	वाणिज्य बैंकों द्वारा सेवा प्रभार लगाना	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 87/21.01.001/99 दिनांक 8.09.1999	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों/प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर जोखिम-भार	XI
बैंपविवि.सं.बीसी. 88/12.06.057/99-2000 दिनांक 14.09.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन -"बैंक ऑफ अमेरिका एन टी एण्ड एस ए"	X(ङ)
बैंपविवि.सं.बीसी. 90/06.11.04/99-2000 दिनांक 18.09.1999	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के लिए द्विभाषिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार करवाना	XII
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 91/21.01.040/99 दिनांक 22.09.1999	समझौता करने / बट्टे खाते डालने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन	X(ङ)
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 92/24.91.001/99 दिनांक 23.09.1999	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	III
बैंपविवि. बीपी. बीसी. 93/21.02.036/99 दिनांक 23.09.1999	राहत बांडों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना	V

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीसी. 94/06.07.03/99-2000 दिनांक 30.09.1999	पत्र-पत्रिकाओं के लिए दिशा-निर्देश	XII
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 95/23.67.001/99-2000 दिनांक 05.10.1999	स्वर्ण जमा योजना - प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं से छूट (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 96 /23.67.001/99-2000 दिनांक 05.10.1999	स्वर्ण जमा योजना - प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं से छूट (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं. बीसी. 97/12.06.113/99-2000 दिनांक 07.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन - हनिल बैंक	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीपी (एससी) बीसी. 98 /21.04.103/99 दिनांक 07.10.1999	बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली	X(ङ)
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 99/24.01.013/99-2000 दिनांक 09.10.1999	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के निवेशकों के लिए चेक काटने की सुविधा	X(ख)
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 100/13.07.01/99 दिनांक 11.10.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें - नियत दर ऋण	V
बैंपविवि.सं. बीसी. 101/21.04.048/99-2000 दिनांक 18.10.1999	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना - बैंकों द्वारा सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यन	XI
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 101/12.04.002/99 दिनांक 12.10.1999	टी. टी. भुनाने की सुविधा - नवीकरण	X(ङ)
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 102/24.92.001/99 दिनांक 21.10.1999	मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी	III

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 103/21.04.048/99 दिनांक 21.10.1999	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करना - प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों के माध्यम से वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि वित्त	XI
बैंपविवि.सं. डीएल. बीसी. 104/20.16.002/99-2000 दिनांक 23.10.1999	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणकर्ताओं द्वारा न्यायालय के बकाया (अनिर्णीत) मामलों के संदर्भ में सूचना का प्रकटीकरण	VII
औनिऋवि. सं. 6/04.02.01/99-2000 दिनांक 29.10.1999	निर्यात -ऋण -ब्याज दरें	V
बैंपविवि.सं. बीसी. 105/13.07.01/99 दिनांक 29.10.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 106/13.03.00/99-2000 दिनांक 29.10.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 107/13.01.04/99 दिनांक 29.10.1999	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 107ए/13.01.04/99 दिनांक 29.10.1999	देशी मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 108/13.01.09/99 दिनांक 29.10.1999	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (निदेश)	II
बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 109 /23.06.001/99-2000 दिनांक 30.10.1999	स्टाफ का भारतीयकरण	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीसी. 110/12.01.001/99-2000 दिनांक 29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	VI

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीसी. 111/12.01.001/99-2000 दिनांक 29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं. बीसी. 112/12.01.001/99-2000 दिनांक 29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं. बीसी. 113/12.01.001/99-2000 दिनांक 29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 114/13.03.00/99 दिनांक 29.10.1999	मौद्रिक और ऋण नीति 1999-2000 की मध्यावधि समीक्षा (प्रावरण पत्र)	III
बैंपविवि.सं. बीसी. 115/09.11 .001/99-2000 दिनांक 30.10.1999	वर्ष 2000 (वाइ 2 के) की तैयारी (प्रावरण पत्र)	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीसी. 116/09.11.001/99-2000 दिनांक 30.10.1999	वर्ष 2000 (वाइ 2 के) की तैयारी (निदेश)	X(ङ)
बैंपविवि.सं. डीएल. बीसी. 117/20.16.002/99-2000 दिनांक 30.10.1999	रु. 1 करोड़ और अधिक के चूककर्ताओं के बारे में सूचना का प्रकटीकरण -मुकदमा दायर खातों की सूची - हर तिमाही में अद्यतन करना	VII
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 118/21.01.023/99 दिनांक 02.11.1999	विदेशी अभिदान विनियमन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भारत में संघों / संगठनों द्वारा विदेशी अभिदान स्वीकार करना	X(ङ)
बैंपविवि.सं. 119/24.01.013/99-2000 दिनांक 02.11.1999	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड)योजना - दिशा-निर्देश	X(ख)
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 120/24.01.013/99-2000 दिनांक 02.11.1999	गिल्ट निधियों और चलनिधि आय योजनाओं के निवेशकों के लिए चेक काटने की सुविधा	X(ख)

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 121/21.04.124/99 दिनांक 03.11.1999	मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय	III
बैंपविवि.सं. बीसी. 122/06.11.04/99-2000 दिनांक 05.11.1999	देवनागरी (हिन्दी) में तार भेजने में आनेवाली प्रौद्योगिकीय समस्याएं	XII
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 123/24.01.019/99-2000 दिनांक 12.11.1999	बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशा-निर्देश	X(ख)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 124/13.10.00/99-2000 दिनांक 18.11.1999	उड़ीसा राज्य में तूफान से प्रभावित लोगों को राहत के लिए अंशदान भेजने के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा सेवा प्रभार लगाना	X(ङ)
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 125/24.76.002/99 दिनांक 24.11.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	IV
बैंपविवि.एफएससी.बीसी. 126/24.76.002/99 दिनांक 24.11.1999	हाज़िर वायदा लेन-देन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं. बीसी. 127/12.05.005/99-2000 दिनांक 30.11.1999	बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों का युक्तिकरण	IX
बैंपविवि.सं.आइबीएस. बीसी. 130/23.31.006/99-2000 दिनांक 24.12.1999	क्रेडिट कार्ड केन्द्र खोलना	X(ख)
बैंपविवि.सं. बीसी. 131/12.01.001/99-2000 दिनांक 28.12.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 -प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर तिमाही तदर्थ ब्याज का दावा प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा	VI
बैंपविवि.सं. बीसी. 132/09.07.007/99-2000 दिनांक 30.12.1999	ग्राहक सेवा - बाहरी चेकों की वसूली	X(ग)

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 01/06.11.04/99-2000 दिनांक 6.1.2000	हिन्दी में होर्डिंग दर्शाना	XII
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 133/21.04.018/2000 दिनांक 10.1.2000	अंतर-शाखा खाते - निवल नामे शेष हेतु प्रावधान	XI
बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 134/13.03.00/99-2000 दिनांक 13.1.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें	II
बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 135/13.03.00/99-2000 दिनांक 13.1.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 136/09.08.001/99-2000 दिनांक 25.1.2000	चालू खाता खोलने और परिचालित करने के लिए आचार संहिता	X(ग)
बैंपविवि. सं.जेपीसी. बीसी. 137/27.01.031/99- 2000 दिनांक 4.2.2000	बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 138/21.04.048/2000 दिनांक 7.2.2000	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान - निर्यात परियोजना वित्त	XI
बैंपविवि. सं. बीसी. 139/12.06.065/99-2000 दिनांक 7.2.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना - दि ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडल ईस्ट	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 140/13.03.00/99-2000 दिनांक 12.2.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 141 /13.03.00/99-2000 दिनांक 12.2.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें	II

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 142/12.06.088/ 99-2000 दिनांक 18.2.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - 'आइसीआइसीआइ बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड'के स्थान पर 'आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड'	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 143/24.92.001/2000 दिनांक 23.2.2000	मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी	III
बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 144/21.04.048/2000 दिनांक 29.2.2000	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले और पूंजी पर्याप्तता मानक - 'टेक आउट' वित्तपोषण	XI
बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी. 145/24.01.013/2000 दिनांक 7.3.2000	मुद्रा बाज़ार म्युचुअल फंडों से संबंधित दिशा-निर्देश	X(ख)
बैंपविवि. सं. बीसी. 146/06.11.04/99-2000 दिनांक 8.3.2000	कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य	XII
बैंपविवि. सं. 147/09.07.007/99-2000 दिनांक 9.3.2000	ग्राहक सेवा	X(ग)
बैंपविवि. सं. 148/09.07.007/99-2000 दिनांक 14.3.2000	मृत ग्राहकों के खातों में शेषराशि का उत्तरजीवियों / दावेदारों को भुगतान	X(ग)
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 149/24.76.002/2000 दिनांक 23.3.2000	हाज़िर वायदा लेन-देन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 150/24.76.002/99-2000 दिनांक 23.3.2000	हाज़िर वायदा संविदा (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/13.03.00/99-2000 दिनांक 23.3.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 152 /13.03.00/99-2000 दिनांक 23.3.2000	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 153 /13.03.00/99-2000 दिनांक 23.3.2000	देशी / अनिवासी /विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 154/12.02.001/99-2000 दिनांक 1.4.2000	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात /सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज की दर	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 155/12.01.001/99-2000 दिनांक 1.4.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 156/12.01.001/99-2000 दिनांक 1.4.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 157/13.03.00/2000 दिनांक 1.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 158/13.03.00/2000 दिनांक 1.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 159/13.03.00/2000 दिनांक 1.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 160/13.03.00/2000 दिनांक 1.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 161/20.16.002/99-2000 दिनांक 1.4.2000	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्जदार चूक्कर्ताओं के संबंध में जानकारी का संग्रहण और वितरण	VII

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 162/06.11.04/99-2000 दिनांक 3.4.2000	बैंकों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन - आंतरिक स्थायी कार्यकारी दलों का गठन	XII
बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 163/21.04.048/2000 दिनांक 7.4.2000	आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन	XI
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 164/21.04.048/2000 दिनांक 24.4.2000	पूंजी-पर्याप्तता, आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण तथा प्रावधान करने आदि संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड	XI
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 165/23.67.001/99-2000 दिनांक 27.4.2000	स्वर्ण जमा योजना - अन्य प्राधिकृत बैंकों को सोना उधार देने के लिए बैंकों को अनुमति देना	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 166/13.03.00/2000 दिनांक 27.4.2000	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 167/13.03.00/2000 दिनांक 27.4.2000	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 168/13.03.00/2000 दिनांक 27.4.2000	वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति - ब्याज दर नीति (प्रावरण पत्र)	III
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 दिनांक 3.5.2000	मौद्रिक तथा ऋण नीति संबंधी उपाय	III
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 170/21.04.018/2000 दिनांक 4.5.2000	लेखा मानक (एएस)- 11 (संशोधित)	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 171/21.04.098/99-2000 दिनांक 5.5.2000	बैंकों का तुलनपत्र - सूचना प्रकट करना	X(ङ)

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 172/21.04.105/99-2000 दिनांक 9.5.2000	विशेष लाभांश खाते में अंतरित अदत्त लाभांश	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 173/13.07.05/99-2000 दिनांक 12.5.2000	बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई	III
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 174/21.04.007/2000 दिनांक 15.5.2000	प्रशिक्षण सुविधायें	X(ङ)
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 175/23.09.001/99-2000 दिनांक 19.5.2000	भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा लाभ का प्रेषण	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 176/21.04.040/2000 दिनांक 20.5.2000	निपटान परामर्श समितियों के गठन के लिए दिशा-निर्देश	X(ङ)
बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 177/24.91.001/2000 f दनांक 23.5.2000	माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	III
औनिक्रवि. सं. 15/04.02.01/99-2000 दिनांक 25.5.2000	निर्यात - ऋण - ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि. सं. बीसी. 178/13.07.01/2000 दिनांक 25.5.2000	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 179/13.01.16/99-2000 दिनांक 26.5.2000	पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 - अतिदेय मीयादी जमाराशियों का नवीकरण	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 180/09.07.007/99-2000 दिनांक 27.5.2000	ग्राहक सेवा - चेक बुक जारी करना	X(ग)

परिपत्र सं. और तारीख	विषय	खंड
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. बीसी. 181/09.07.007/99-2000 दिनांक 29.5.2000	ग्राहक सेवा - बाहरी और स्थानीय चेकों की राशि तुरंत जमा लिखना - उच्चतम सीमा बढ़ाना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 182/16.13.100/99-2000 दिनांक 31.5.2000	शेयरों का अंतरण	X(ङ)
बैंपविवि.सं. बीसी. 183/12.06.098/99-2000 दिनांक 2.6.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन - दि टाइम्स बैंक लि.	X(ङ)
बैंपविवि.सं . बीसी. 184/21.01.040/99-2000 दिनांक 12.6.2000	अनर्जक आस्तियों की वसूली - डिगरी प्राप्त ऋणों की राशि को तत्परता से प्राप्त करना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 185/06.11.04/99-2000 दिनांक 21.6.2000	बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संशोधित प्रोफार्मा - तिमाही प्रगति रिपोर्टों का कंप्यूटरीकृत समेकन	XII
बैंपविवि. सं. बीसी. 186/12.01.001/99-2000 दिनांक 28.6.2000	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42-प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात - दैनिक आधार पर 65 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर बनाये रखना	VI
बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 187/21.01.007/99-2000 दिनांक 29.6.2000	ब्याज कर अधिनियम, 1974 - ब्याज कर की समाप्ति	X(ङ)

भाग I

पूंजी, लाभांश, आरक्षित निधियाँ

बैंपविवि. बीपी. बीसी. 5/21.01.002/98-99

8 फरवरी 1999
19 माघ 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

स्तर - II की पूंजी जुटाने के लिए
अधीनस्थ ऋण जारी करना

स्तर - II (टियर - II) की पूंजी के लिए अधीनस्थ ऋण जारी करने के बैंकों के प्रस्ताव अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किये जाते थे । अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित बैंकों को स्तर - II की पूंजी के रूप में अधीनस्थ रुपया ऋण जुटाने के लिए अनुबंध में दी गयी शर्तों के अधीन स्वायत्तता दी जाये । बैंकों को उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

2. बैंकों द्वारा स्तर - II की पूंजी में शामिल करने हेतु विदेशी मुद्रा में अधीनस्थ ऋण लिखत जारी करने के लिए तथा विदेशी बैंकों द्वारा प्रधान कार्यालय से लिये जानेवाले उधारों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए ।

भवदीया

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

अनुबंध

स्तर II की पूंजी जुटाने हेतु बैंकों द्वारा अधीनस्थ ऋण के रूप में गैर जमानती बांड जारी करना

I. रुपया अधीनस्थ ऋण

1. बांड जारी करने की शर्तें

स्तर II की पूंजी में शामिल होने की पात्रता के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में जारी होने वाले बांडों की शर्तें निम्नलिखित के अनुसार होनी चाहिए:

(क) राशि

अधीनस्थ ऋण की राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा निश्चित की जानी चाहिए।

(ख) पूर्णता अवधि

(i) पांच वर्ष से कम प्रारंभिक पूर्णता अवधि वाले या एक वर्ष की शेष अवधि वाले अधीनस्थ ऋण लिखतों को स्तर II की पूंजी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्णता अवधि के अनुसार उन पर नीचे दी गयी दरों पर प्रगामी रूप से बट्टा लगाया जाना चाहिए:

लिखतों की शेष अवधि	**बट्टा दर**
क) एक वर्ष से कम	100 प्रतिशत
ख) एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष से कम	80 प्रतिशत
ग) दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम	60 प्रतिशत
घ) तीन वर्ष से अधिक तथा चार वर्ष से कम	40 प्रतिशत
ङ) चार वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम	20 प्रतिशत

(ii) बांडों की न्यूनतम पूर्णता अवधि पांच वर्ष होनी चाहिए तथापि यदि बांड वर्ष की अंतिम तिमाही में अर्थात् 1 जनवरी से 31 मार्च तक जारी किये जायें तो उनकी न्यूनतम अवधि 63 माह होनी चाहिए।

(ग) ब्याज दर

ब्याज की दर, बांड जारी करते समय समान शेष अवधि की भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल से 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। उक्त लिखत बिना किन्हीं विशेषताओं, जैसे कि विकल्प आदि के, बिना 'वनिला' होने चाहिए।

(घ) अन्य शर्तें

(i) लिखत पूर्णत: प्रदत्त, गैर जमानती, अन्य ऋणदाताओं के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधात्मक उपबंधों से मुक्त होने चाहिए और धारक की पहल पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होने चाहिए।

(ii) उक्त लिखतों को अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों /विदेशी संस्थागत निवेशकों को जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

(iii) उक्त लिखतों के संबंध में सेबी / अन्य नियामक प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई शर्तें निर्धारित की गयी हों तो बैंकों को उनका अनुपालन करना चाहिए।

(iv) राष्ट्रीयकृत बैंकों को उक्त लिखत जारी करने हेतु सरकार से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

(v) विदेशी बैंकों के मामले में रुपया अधीनस्थ ऋण, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उक्त बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा भारतीय शाखा के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए।

2. स्तर II की पूंजी में शामिल करना

अधीनस्थ ऋण लिखत बैंक के स्तर I की पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे। ये लिखत और स्तर II की पूंजी के अन्य घटक मिलाकर स्तर I की पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

3. बांडों पर अग्रिमों की मंजूरी

बैंकों को अपने स्वयं के बांडों की जमानत पर अग्रिम मंजूरी नहीं करने चाहिए।

4. प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का पालन

(क) बैंक और अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा जारी करने के लिए प्राप्त की गयी तथा आबंटन को अंतिम रूप दिये जाने तक रखी गयी निधियों को प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं की गणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लेना होगा।

(ख) जिस सीमा तक लिखतों को स्तर II की पूंजी माना जाता है [मद I (ख) (i) में उल्लिखित दरों पर बट्टे के बाद] उस सीमा तक उन्हें प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं से छूट दी जायगी। किन्तु कतिपय देयताओं के संबंध में शून्य प्रारक्षित निधि अपेक्षा के निर्धारण सहित, देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर बहुविध निर्धारणों को देखते हुए , जो विधि के अंतर्गत निर्दिष्ट किये गये हैं, अधीनस्थ ऋण के अधीन जुटायी गयी कुल राशि सहित कुल मांग और मीयादी देयताओं पर बैंकों द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

5. अधीनस्थ ऋण में निवेश

अन्य बैंकों के अधीनस्थ ऋण में बैंकों द्वारा किये जाने वाले निवेश को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु 100 प्रतिशत जोखिम भार का दर्जा दिया जायेगा।

II. (क) विदेशी मुद्रा में अधीनस्थ ऋण

(ख) विदेशी बैंकों द्वारा प्रधान कार्यालय से विदेशी मुद्रा उधार के रूप में अधीनस्थ ऋण

बैंक प्रत्येक मामले के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लें।

दिनांक 24/4/1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 35/21.01.002/99 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

2. (ii) स्तर II की पूंजी जुटाने के लिए अनुषंगी ऋण जारी करना

8 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 5 /21.01.002 /98-99 में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों को स्तर II की पूंजी के रूप में रुपयों में अनुषंगी ऋण जुटाने की स्वायत्तता दी गयी थी, बशर्ते बांडों के निर्गम की शर्तें उसमें दर्शायी गयी शर्तों के अनुरूप हों । यह पाया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच काफी मात्रा में ऐसी लिखतें, वित्तीय प्रणाली में पूंजी की अपेक्षित वृद्धि के बिना प्रतिधारित की गयी हैं ।

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये स्तर II के बांडों में कुल निवेश हेतु निवेशकर्ता बैंक की कुल पूंजी के 10 प्रतिशत तक की अनुमति होगी । इस प्रयोजन के लिए कुल पूंजी वही होगी जो पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए गिनी जाती है । यदि कोई बैंक 10 प्रतिशत की इस सीमा को पार कर चुका हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक को यह बताया जाना चाहिए कि उक्त निवेश जोखिम (एक्सपोजर) को निर्धारित सीमा में कब तक ले आया जायेगा ।

इस संबंध में यह बात दोहरायी जाती है कि अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के स्तर II के बांडों में बैंकों के निवेश को 100 प्रतिशत जोखिम भारांक (देखें 31 अक्तूबर 1998 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी.103 /21.01.002/98 का पैरा 2(घ)) दिया जायेगा ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

दिनांक 18/10/1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 101/21.04.048/1999-2000 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

2. स्तर - II की पूंजी जुटाने के लिए अनुषंगी ऋण जारी करना - रिपोर्टिंग

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों को स्तर - II की पूंजी के रूप में अनुषंगी रुपया ऋण जुटाने के लिए स्वायत्तता दी गयी है, जो 08 फरवरी 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.5 / 21.01.002/99 के अनुबंध में बताये गये नियमों और शर्तों पर होगी । इस संबंध में बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे जुटायी गयी पूंजी के ब्यौरे देते हुए एक रिपोर्ट निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें । इन ब्यौरे में प्रस्ताव-दस्तावेज़ की प्रति सहित, जुटायी गयी राशि, लिखत की अवधिपूर्णता, ब्याज की दर जैसे ब्यौरे दिये जाने चाहिए ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय XI में दिया गया है ।

भाग ॥

जमाराशि

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 36/13.01.04/99 **23 अप्रैल 1999**
3 वैशाख 1921 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के निदेश बैंपविवि. सं.डीआइआर.बीसी.151/ सी. 347-85 का आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त निदेश के पैरा 11 के खण्ड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाये :

"जब मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम स्वीकृत किया जाता है और जमाराशि निम्नलिखित के नाम में हो

(i) उधारकर्ता के नाम में अकेले या संयुक्त रूप में ,
(ii) भागीदारी फर्म के एक भागीदार के नाम में तथा अग्रिम उस फर्म को प्रदान किया गया हो ;
(iii) स्वामित्व प्रतिष्ठान के स्वत्वाधिकारी के नाम में तथा अग्रिम उस प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया हो;
(iv) आश्रित व्यक्ति जिसका अभिभावक आश्रित व्यक्ति की ओर से उधार लेने में सक्षम हो तथा जहाँ अग्रिम आश्रित व्यक्ति के अभिभावक को ऐसी क्षमता में प्रदान किया गया हो,

उक्त स्थिति में लगायी जाने वाली ब्याज दरें बैंक की मूल ऋण दर के बराबर या उससे कम होंगी । तथापि, जिन मामलों में जमा दरें मूल ऋण दर के बराबर या अधिक अथवा मूल ऋण दर से नीचे एक प्रतिशत अंक कम हो, उन मामलों में बैंकों को स्वतंत्रता होगी कि वे ऐसी जमाराशियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर मूल ऋण दर की अधिकतम सीमा पर ध्यान दिये बिना उपयुक्त ब्याज दर लगायें ।"

2. पैरा 11 में निहित अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 37/13.01.04/99 **23 अप्रैल 1999**

3 वैशाख 1921(शक)

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

देशी मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम

रिज़र्व बैंक के 15 जून 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 60/13.03.00/98 की मद 2 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को उनकी देशी मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर लगायी जाने वाली ब्याज दर बैंक द्वारा अपने श्रेष्ठतम उधार खातों पर ली जा रही सामान्य ऋण दर से अधिक नहीं होनी चाहिये । भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय द्वारा "वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति" पर जारी किये गये वक्तव्य के परिणामस्वरूप 23 अप्रैल 1999 का निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/13.01.04/99 जारी किया गया है । चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी ऋण दरें निश्चित करने की स्वतंत्रता दी गयी है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां जमा ब्याज दरें , बैंकों द्वारा अपने श्रेष्ठतम उधार खातों पर ली जा रही सामान्य ऋण दरों के बराबर या अधिक हैं या सामान्य ऋण दरों से नीचे एक प्रतिशत अंक से कम हैं तो सामान्य ऋण दरों के बराबर या अधिक हैं या सामान्य ऋण दरों से नीचे एक प्रतिशत अंक से कम हैं तो सामान्य ऋण दरों की उच्चतम सीमा पर ध्यान दिये बिना बैंकों को ऐसी जमाराशियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर समुचित ब्याज दरें लेने की स्वतंत्रता होगी । इस प्रकार अग्रिमों पर ब्याज दरें संबंधित जामराशियों पर प्रदत्त ब्याज दरों से अनिवार्यतः अधिक होंगी ।

उपर्युक्त परिवर्तनों की प्रभावी तारीख बैंकों द्वारा यथाशीघ्र घोषित की जायेगी ।

भवदीय

(नूरुल हक़ सिद्दीकी)
मुख्य महा प्रबंधक

दिनांक 24/4/1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 35/21.01.002/1999 का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

1. (iii) देशी / अनिवासी बाह्य रुपया खातों (एन आर ई) की मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के 29 अप्रैल 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36 /13.03.00 /98 की मद 2 (ii) में निहित अनुदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को, उनकी देशी /अनिवासी बाह्य (एन आर ई) जमाराशियों की जमानत पर मंजूर ऋणों / अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज दर मूल ऋण दर से अधिक नहीं होनी चाहिए । मूल ऋण दर यद्यपि कम होती जा रही है, परंतु विद्यमान जमाराशियों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रही हैं । कतिपय मामलों में मूल ऋण दर पर आधारित होने के कारण अग्रिमों पर ब्याज दरें स्वयं जमाराशियों की ब्याज दरों से कम रही हैं ।

इस असंगति को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में जमा ब्याज दरें मूल ऋण दर के बराबर हैं या उससे अधिक हैं या मूल ऋण दर के नीचे एक प्रतिशत अंक कम हैं, तो बैंकों को मूल ऋण दर की उच्चतम सीमा पर ध्यान दिये बिना, अग्रिमों पर समुचित ब्याज दर लगाने की स्वतंत्रता होगी । इस प्रकार अग्रिमों पर ब्याज दरें संबंधित जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज दरों से अनिवार्यत: अधिक होंगी ।

उपर्युक्त परिवर्तनों की प्रभावी तारीख की घोषणा बैंकों द्वारा यथाशीघ्र की जायेगी ।

23 अप्रैल 1999 का संशोधनकारी निदेश सं. डीआइआर. बीसी. 36 /13.01.04 /99 संलग्न है ।

(iv) आस्ति-देयता प्रबंधन समिति

बैंक यह अभिवेदन करते रहे हैं कि वर्तमान में जमा दरों और ऋण दरों में परिवर्तन करने के लिए बैंकों को अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन लेना पड़ता है, जिससे ब्याज दर माहौल में होने वाले बदलावों के अनुसार तत्परता से कार्रवाई करने में बैंकों की क्षमता सीमित हो जाती है ।

तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों के निदेशक मंडल आस्ति-देयता प्रबंधन समिति को यह प्राधिकार दे सकते हैं कि वह जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरें नियत कर सकती है । यह प्राधिकार बाद में निदेशक मंडल को रिपोर्ट देने की शर्त पर होगा ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 41/13.01.09/99 **28 अप्रैल 1999**
8 वैशाख 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

वापस आ रहे भारतीयों के अनिवासी बाह्य खातों का
निवासी विदेशी मुद्रा खातों में परिवर्तन - ब्याज की अदायगी

कृपया 20 जनवरी 1993 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 68/13.01.09/93, जिसके द्वारा निवासी विदेशी मुद्रा खातों में परिवर्तन के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी / निवासी बाह्य जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड लगाने से छूट देने की सूचना दी गयी है, और 20 जनवरी 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 7/13.01.09/98 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा बैंकों को निवासी विदेशी मुद्रा खाते में परिवर्तन के लिए न्यूनतम निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पहले समय पूर्व आहरित विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज अदा करने की अनुमति दी गयी है ।

2. बैंकों से अनुरोध प्राप्त होने पर हमने इस मामले पर पुनर्विचार किया है तथा अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर भी उसी तरह की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, बैंकों को अपने विवेक पर, अनिवासी बाह्य खाते के निवासी विदेशी मुद्रा खाते में परिवर्तन के समय ब्याज अदा करने की अनुमति दी गयी है ; भले ही छः महीनों की न्यूनतम अवधि पूरी न हुई हो, बशर्ते ब्याज की दर निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना के अंतर्गत धारित बचत बैंक जमाराशियों पर देय दर से अधिक न हो और इस प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध अनिवासी बाह्य खाता रखने वाले के भारत वापस आने पर तत्काल प्राप्त हुआ हो ।

3. उक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनयम, 1949 की धारा 21 और 35क के अंतर्गत जारी किये गये हैं ।

भवदीय

(एम. पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 41बी/13.03.00/99 **28 अप्रैल 1999**
8 वैशाख 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत
जापानी येन में स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया 29 अप्रैल 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.36/13.03.00/98 के पैरा 1(घ) का अवलोकन करें, जिसके अनुसार बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना [एफसीएनआर (बी)] के अंतर्गत 6 माह और अधिक परंतु एक वर्ष से कम के लिए स्वीकृत जमाराशियों पर "लिबोर से 25 आधार अंक कम" की ब्याज दर प्रस्तावित करने की अनुमति दी गयी है । रिज़र्व बैंक को बैंकों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जापानी येन के लिए लिबोर संबंधी वर्तमान परिदृश्य में उक्त अपेक्षा के फलस्वरूप जापानी येन में विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ऋणात्मक ब्याज दरें आती हैं, अतः इन अपेक्षाओं में संशोधन की जरूरत है । इन अभ्यावेदनों के संदर्भ में और ब्याज दरों के न्यून स्तर को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अगली सूचना तक विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत छः माह और अधिक परंतु एक वर्ष से कम के लिए जापानी येन में स्वीकृत जमाराशियों पर 'लिबोर से अनधिक' नियत / अस्थिर ब्याज दर अदा कर सकते हैं ।

28 अप्रैल 1999 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 41ए /13.03.00/99 संलग्न है ।

भवदीय

(एम. पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 41ए /13.03.00/99 **28 अप्रैल 1999**
8 वैशाख 1921 (शक)

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जापानी येन में स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में उचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकार की गयी जमाराशियों से संबंधित दिनांक 29 अप्रैल 1998 के निदेश बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.35/13.03.00/98 के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.115/13.01.09/93 का विद्यमान परिच्छेद (vi) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :

(i) छह माह तथा उससे अधिक अवधि की परंतु एक वर्ष से कम की जमाराशियों तथा अस्थिर दर वाली जमाराशियों पर ब्याज दर जापानी येन में प्राप्त जमाराशियों के अलावा जिन पर 'लिबोर से अनधिक' की नियत / अस्थिर ब्याज दर दी जायेगी, संबंधित मुद्रा / अवधिपूर्णता के लिए 'लिबोर से 25 आधार अंक नीचे' से अधिक नहीं अदा की जायेगी । अस्थिर दर की जमाराशियों के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि 6 माह होगी ।

(ii) एक वर्ष या अधिक अवधि की अवधिपूर्णता की जमाराशियों के संबंध में ब्याज दर संबंधित मुद्रा / अवधिपूर्णता के लिए स्वैप (Swap) की अधिकतम सीमा + 50 आधार अंक के अंतर्गत होगी ।

(iii) पूर्वगामी सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस की लिबोर / स्वैप दरें उन ब्याज दरों की उच्चतम दर नियत करने का आधार होंगी जो अगले सप्ताह प्रस्तावित की जायेंगी ।

दिनांक 11 सितंबर 1986 के निदेश बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी.95/सी.347(I)-86 तथा 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.115/13.01.09/93 के समय समय पर यथा संशोधित अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.डीआइआर.बीसी.सं. 43/13.01.09/98/99 **5 मई 1999**
15 वैशाख 1921 (शक)

अध्यक्ष,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अनिवासी भारतीयों से ली जाने वाली जमाराशियों के मामले में अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपाय

कुछ समय से हमें अनिवासी भारतीयों से कतिपय ऐसे बेईमान वित्त दलालों / बिचौलियों /एजेंटों द्वारा धोखेबाजी / चालबाजी के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो अनिवासी भारतीयों से भारत में कार्यरत बैंकों में जमाराशियां रखने का अनुयाचन (केनवास) करते हैं। ये बिचौलिये /एजेंट अनिवासी भारतीयों से निधियां प्राप्त करने, बैंकों में निधियां जमा करने और अनिवासी भारतीय जमाकर्ताओं को जमा रसीदें पहुंचाने तक के समस्त कार्य स्वयं ही करते हैं । इस प्रकार, ऐसे मामलों में अनिवासी भारतीय जमाकर्ताओं तथा उन संबंधित बैंकों की शाखाओं के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता जहां जमाराशियां रखी गयी हैं । ऐसा पता लगा है कि इनमें से कुछ एजेंटों / बिचौलियों ने निधियों का दुर्विनियोजन किया है और अनिवासी भारतीय निवेशकों को जाली / झूठी जमा रसीदें दी हैं । कुछ मामलों में, निधियों का केवल कुछ भाग ही जमाराशियों में लगाया गया और शेष निधियों का बिचौलियों /एजेंटों द्वारा दुर्विनियोजन किया गया तथा अंतर की राशि को समायोजित करने के लिए इन एजेंटों ने आंकड़ों को बढ़ा कर जमा रसीदों में परिवर्तन किया ।

2. यह सूचना मिली है कि कुछ एजेंटों / बिचौलियों द्वारा, जाली ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करके और / या इस आशय के अधिकार पत्र प्रस्तुत करके कि वे उक्त अनिवासी भारतीय जमाकर्ताओं द्वारा दिये गये हैं, या तो स्वयं या तीसरे पक्षकारों के नाम में, इन जमाराशियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर लिये गये हैं । यदि बैंकों द्वारा अनिवासी जमाराशियां स्वीकार करते समय और उनकी जमानत पर अग्रिम मंजूर करते समय समुचित सतर्कता बरती गयी होती तो ऐसे धोखाधड़ी पूर्ण लेन-देन के आपराधिक कार्य रोके जा सकते थे ।

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखाओं को अनुदेश दें कि वे निर्धारित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करें, ताकि बैंक और उसके अनिवासी भारतीय जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके । भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शाखाओं को सूचित किया जाये कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गयी अनुदेश नियम-पुस्तक (मैन्युअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस) के अध्याय 9 तथा अध्याय 20 में निहित अनुदेशों का सतर्कतापूर्वक पालन करें । आप उक्त शाखाओं को यह भी सूचित करें कि एजेंटों / बिचौलियों के माध्यम से अनिवासी भारतीयों से

जमाराशियां स्वीकार करते समय वे निम्नलिखित अतिरिक्त सावधानियों का पालन करें : -

(क) जमारसीद अनिवार्यत: आवेदन /खाता खोलने के फार्म में दिये गये पते पर अनिवासी भारतीय जमाकर्ता को पंजीकृत डाक से भेजी जानी चाहिए ।

(ख) जमारसीद एजेंटों / बिचौलियों / तीसरे पक्षकार को नहीं दी जानी चाहिए ।

(ग) शाखा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाता खोलने के फार्म में अनिवासी भारतीय जमाकर्ता का पूरा डाक पता दिया गया हो । यदि पता अधूरा हो अथवा सिर्फ पोस्ट बॉक्स संख्या दी गयी हो तो शाखा को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ।

(घ) यदि अनिवासी भारतीय जमाराशि की जमानत के लिए अनुरोध किया जाता है, तो ऋण आवेदन की वास्तविकता का पूरा सत्यापन करने और बैंक की संतुष्टि के अनुसार अनिवासी भारतीय जमाकर्ता से उपयुक्त प्रलेख प्राप्त कर लेने के बाद ही ऋण का संवितरण किया जाना चाहिए ।

(ङ) अनिवासी भारतीय जमाराशियों की जमानत पर तीसरे पक्षकारों को दिये जानेवाले बड़े ऋणों के मामले में सामान्यत: संबंधित प्रलेख अनिवासी भारतीय जमाकर्ता द्वारा उस शाखा के बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में तैयार किये जाने चाहिए जिस शाखा से ऋण मांगा जा रहा है । यदि किसी विशेष कारण से जमाकर्ता नहीं आ सकता तो जमाकर्ताओं की पहचान और हस्ताक्षरों के सत्यापन के संबंध में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए ।

4. अनुरोध है कि कृपया अपनी शाखाओं को इस मामले में उपयुक्त रूप से सूचित करें ।

भवदीय

(नूरुल हक़ सिद्दीकी)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 52/13.03.00/99

22 मई 1999
1 ज्येष्ठ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी.सं. डीआइआर. बीसी. 151/ सी. 347-85 देखें ।

2. उपर्युक्त निदेश के पैरा 3 के खंड (i) के अनुसार कतिपय निकायों / संगठनों के नाम बचत बैंक खाते खोलने से बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है । राजनैतिक पार्टियों के नाम बचत बैंक खाता खोलने के संबंध में एक बैंक द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था । यह स्पष्ट किया जाता है कि राजनैतिक पार्टियां बचत बैंक खाते खोलने के प्रतिबंध की सीमा में आती हैं । किन्तु स्पष्टता की खातिर उक्त खंड (i) को इस बीच संशोधित कर दिया गया है ।

3. उपर्युक्त निदेश के पैरा 4 के खंड (i) के अनुसार 25 करोड़ रुपये से कम की कुल मांग और मीयादी देयताओं वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बचत जमाराशियों पर वार्षिक चौथाई प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की अनुमति देने का विवेकाधिकार दिया गया है । इस विवेकाधिकार को अब वापस ले लिया गया है ।

4. उपर्युक्त निदेश के पैरा 9 में मीयादी जमा, दैनिक जमा या आवर्ती जमा के रूप में रहनेवाली जमाराशि को समय से पूर्व समाप्त करने का प्रावधान है ताकि उक्त जमाराशि का उसी बैंक की अन्य मीयादी जमा में पुनर्निवेश किया जा सके, तब उस पर उसके पैरा 8 में दर्शाये अनुसार ब्याज की अदायगी पर दंड नहीं लगेगा । चूंकि अब बैंकों को देशी / एनआरई मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के लिए अपनी स्वयं की दंडस्वरूप ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी है, अतः बैंकों को ऐसी मीयादी जमा के संदर्भ में पैरा 8 में दर्शाये गये अनुसार दंड के रूप में ब्याज को कम किये बिना ब्याज की अदायगी करनी चाहिए बशर्ते पुनर्निवेश के बाद उक्त जमाराशि बैंक के पास मूल संविदा की शेष अवधि से ज्यादा लंबी अवधि के लिए बनी रहे ।

5. एनआरई जमाराशियों के मामले में उपर्युक्त निदेश के पैरा 10 का खंड (ii) तथा एफसीएनआर जमाराशियों के मामले में 11 सितंबर 1986 के हमारे निदेश डीबीओडी.सं.डीआइआर. बीसी.95 / सी. 347 (1)-86 का पैरा 5

बैंकों को वहां अतिदेय जमा पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति देता है जहां अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो और उस जमा पर जो नयी जमा के रूप में रखी गयी हो । यह निश्चय किया गया है कि नवीकरण के बाद योजना के अधीन न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि पूरी होने के पहले यदि जमाराशि निकाली जाती है तो बैंक अतिदेय अवधि के लिए इस प्रकार अदा किये गये ब्याज की वसूली करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

6. मृत जमाकर्ताओं की एफसीएनआर और एनआरई जमाराशियों पर देय ब्याज संबंधी प्रावधानों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एफसीएनआर जमाराशियों से संबंधित 11 सितंबर 1986 के हमारे निदेश डीबीओडी.सं. डीआइआर.बीसी.95/सी.347(I)-86 के पैरा 8 को संशोधित किया गया है ताकि संयुक्त जमाराशियों को शामिल किया जा सके तथा कानूनी वारिस द्वारा दावा किये जाने की तारीख तक के बजाय अदायगी की तारीख तक ब्याज की अदायगी की अनुमति दी जा सके । साथ ही, यदि कानूनी वारिस निवासी हैं तो अवधिपूर्णता आगम (मेच्यूरिटी प्रोसीड्स) को अवधिपूर्णता की तारीख को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाये तथा बाद की अवधि का ब्याज देशी जमा योजना के अधीन उसी अवधिपूर्णता की जमा पर लागू दर पर अदा किया जाये ।

7. उपर्युक्त परिवर्तनों को दर्शानेवाले 22 मई 1999 के संशोधनकारी निदेश बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 50 और 51/13.03.00/99 संलग्न हैं ।

भवदीय

(नूरुल हक़ सिद्दीक़ी)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 50/13.03.00/99

22 मई 1999
1 ज्येष्ठ 1921 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347-85 में संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि :-

I) उपर्युक्त निदेश के पैरा 3 के खंड (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

3. कतिपय निकायों / संस्थाओं के नाम से बचत बैंक खाता खोलने पर प्रतिबंध

i) कोई भी बैंक सरकारी विभागों / अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बजट आबंटनों पर निर्भर निकायों / नगर निगमों अथवा नगरपालिका समितियों / पंचायत समितियों / राज्य गृह निर्माण मंडलों / जल-मल / जल निकासी मंडलों / राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगमों / समितियों / महानगर विकास प्राधिकरण / राज्य / जिला स्तरीय सहकारी गृह निर्माण समितियों, आदि अथवा किसी राजनैतिक पार्टी अथवा किसी व्यापारिक / कारोबारी अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नाम पर बचत खाता नहीं खोलेगा, भले ही वह स्वामित्व वाली अथवा भागीदारी वाली फर्म अथवा कंपनी या संस्था क्यों न हो ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए 'राजनैतिक पार्टी' से तात्पर्य भारत के अलग-अलग नागरिकों की ऐसी संस्था या निकाय है जो भारत के चुनाव आयोग में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन, जैसा उस समय लागू हो, एक राजनैतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत है या समझी गयी है ।

II) उपर्युक्त निदेश के पैरा 4 का खंड (i) हटा दिया जायेगा ।

III) उपर्युक्त निदेश के पैरा 9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"9. किसी मीयादी जमा, दैनिक जमा या आवर्ती जमा के रूप में रखी गई जमाराशि की, जिसका मीयादी जमाराशि के रूप में निवेश किया जाना है, समयपूर्व समाप्ति

बैंक, जमाकर्ता के अनुरोध पर, मीयादी जमा, दैनिक जमा अथवा आवर्ती जमा के रूप में रहने वाली जमाराशि को इसलिए समय के पहले समाप्त करने की अनुमति देगा कि जमाकर्ता उक्त जमाराशि के रूप में रखी राशि का उसी बैंक की अन्य मीयादी जमा में तुरंत पुनर्निवेश कर सके । बैंक ऐसी मीयादी जमा के संदर्भ में उक्त पैरा 8 में दर्शाये गये अनुसार ब्याज की अदायगी करेगा तथा उपर्युक्त पैरा में दर्शाये अनुसार दंड के रूप में ब्याज कम नहीं करेगा । बशर्ते पुनर्निवेश के बाद उक्त जमाराशि बैंक के पास मूल संविदा की शेष अवधि से ज्यादा लंबी अवधि के लिए बनाये रखी जाती है ।"

IV) उपर्युक्त निदेश के पैरा 10 के खंड (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(ii) अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता

बैंक, अपने विवेकानुसार अतिदेय जमाराशि या उसके एकं भाग का नवीकरण कर सकता है, बशर्ते अवधिपूर्णता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक की अतिदेय अवधि (दोनों दिन मिलाकर) 14 दिन से अधिक नहीं हो और इस प्रकार नवीकृत की जानेवाली जमा की राशि पर देय ब्याज दर नवीकरण की अवधि के लिए वह उपयुक्त ब्याज दर होगी, जो अवधिपूर्णता की तारीख को या जिस तारीख को जमाकर्ता नवीकरण चाहता हो उस तारीख को प्रचलित में से, जो भी कम हो । अतिदेय जमाराशियों के मामले में जहां अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमा की पूरी राशि या उसका एक भाग नये एनआरई मीयादी जमा के रूप में रखता है, तो बैंक नये जमा के रूप में इस प्रकार रखी गयी राशि पर अतिदेय अवधि के लिए अपनी स्वयं की ब्याज दरें निश्चित कर सकते हैं ।

नवीकरण के बाद यदि योजना के अधीन न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि पूरी होने के पहले जमाराशि निकाली जाती है तो बैंक अतिदेय अवधि के लिए इस प्रकार अदा किये गये ब्याज की वसूली करने के लिए स्वतंत्र हैं ।"

2. समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 के निदेश डीबीओडी.सं. डीआइआर.बीसी. 151/ सी.347-85 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 51/13.03.00/99 **22 मई 1999**
1 ज्येष्ठ 1921(शक)

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित 11 सितंबर 1986 के अपने निदेश बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 95/सी. 347 (I)-86 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि -

I. उपर्युक्त निदेश के वर्तमान पैरा 5 को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :

"5. अतिदेय जमाराशियां

बैंक अपने विवेकानुसार अतिदेय जमाराशि या उसके एक भाग का नवीकरण कर सकता है, बशर्ते अवधिपूर्णता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक की अतिदेय अवधि (दोनों दिन मिलाकर) 14 दिन से अधिक नहीं हो और इस प्रकार नवीकृत की जाने वाली जमा की राशि पर देय ब्याज दर नवीकरण की अवधि के लिए वह उपयुक्त ब्याज दर होगी जो अवधिपूर्णता की तारीख को या जिस तारीख को जमाकर्ता नवीकरण चाहता हो उस तारीख को प्रचलित हो, जो भी कम हो । अतिदेय जमाराशियों के मामले में जहां अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमा की पूरी राशि या उसका एक भाग नये एफसीएनआर (बी) जमा के रूप में रखता है तो बैंक नये मीयादी जमा के रूप में इस प्रकार रखी गयी राशि पर अतिदेय अवधि के लिए अपनी स्वयं की ब्याज दरें निश्चित कर सकते हैं । नवीकरण के बाद यदि योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि पूरी होने के पूर्व जमाराशि निकाली जाती है तो बैंक अतिदेय अवधि के लिए इस प्रकार अदा किये गये ब्याज की वसूली करने के लिए स्वतंत्र हैं ।"

II. उपर्युक्त निदेश के वर्तमान पैरा 8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"8. मृत जमाकर्ताओं की जमाराशि पर देय ब्याज

ऐसे मामले में जहां जमाराशि निम्नलिखित के नाम / नामों में है -

1. मृत अलग-अलग जमाकर्ता या
2. दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ता, जहां जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गयी हो, ब्याज नीचे दर्शाये गये तरीके से अदा किया जायेगा ।

i) जमाराशि की अवधि समाप्त होने पर करार की गयी दर से;

ii) जमाराशि की अवधि समाप्त होने की तारीख से पहले यदि वारिस /सों / कानूनी प्रतिनिधि / यों अथवा नामित व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा जमाराशि के भुगतान का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में बैंक अपने विवेक से जमाराशि रखे जाने की तारीख को प्रचलित लागू दर पर ब्याज अदा करें और दंडात्मक ब्याज न लगायें ।

iii) यदि जमाराशि का दावा वारिस /सों / कानूनी प्रतिनिधि / यों अथवा नामित व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा जमाराशि की अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद किया गया हो तो बैंक करार की गई दर से अवधि समाप्त होने की तारीख तक का ब्याज अदा करेगा । जमाराशि की अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद से वारिस / सों / कानूनी प्रतिनिधि / यों अथवा नामित व्यक्ति / व्यक्तियों को भुगतान करने की तारीख तक की अवधि के लिए बैंक जमाराशियों पर अवधि समाप्त होने की तारीख को लागू ब्याज-दर संबंधी निदेशों के अधीन दिया जाने वाला ब्याज अदा करेगा ।

iv) यदि कोई बैंक वारिस /सों / कानूनी प्रतिनिधि / यों अथवा नामित व्यक्ति / व्यक्तियों के अनुरोध पर आवधिक जमाराशि की रकम को हिस्सों में बांटने के लिए सहमत हो जाता है और वारिस /सों / कानूनी प्रतिनिधि / यों अथवा नामित व्यक्ति / व्यक्तियों के नाम पर अलग-अलग दो अथवा अधिक रसीदें जारी करता है तो उसे दंड लगाने के प्रयोजन के लिए आवधिक जमा की अवधि समाप्त होने से पहले किया गया आहरण नहीं माना जायेगा बशर्ते जमाराशि की अवधि और कुल राशि में कोई परिवर्तन न होता हो ।

टिप्पणी

कानूनी वारिसों के निवासी होने के मामले में अवधिपूर्णता आगम (मेच्योरिटी प्रोसीड्स) को अवधिपूर्णता की तारीख को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाये और बाद की अवधि के लिए ब्याज देशी जमाराशि योजना के अधीन उसी अवधिपूर्णता की जमाराशि के लिए लागू दर पर दिया जाये ।"

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 54/13.03.00/99

22 मई 1999
1 ज्येष्ठ 1921 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

कृपया 21 अक्तूबर 1997 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.121/13.01.01/97 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं । खाता 'आ' में जमाराशियों की न्यूनतम अवधिपूर्णता को 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है और संशोधित न्यूनतम अवधि सूचित करने वाली हमारी 22 मई 1999 की अधिसूचना बैंपविवि. सं.डीआइआर.बीसी. 53/13.03.00/99 संलग्न है ।

भवदीय

(एम. पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 53/13.03.00/99 **22 मई 1999**
1 ज्येष्ठ 1921 (शक)

अधिसूचना

जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंट्स स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 21 अक्तूबर 1997 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.121/13.01.01/97 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि खाता 'आ' में जमाराशियों की न्यूनतम अवधिपूर्णता 15 दिन होगी और पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता 'अ' और खाता 'आ' में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जाने वाला ब्याज निम्नलिखित होगा:

खाते की श्रेणी	**प्रतिशत वार्षिक**
i) खाता - 'अ'	4.5
ii) खाता - 'आ'	
15 दिन और उससे अधिक	स्वतंत्र

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 61/21.02.052/99

12 जून 1999
22 ज्येष्ठ 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों के पास रखी गयी आवधिक जमाराशियों पर देय ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती

कृपया 4 अक्तूबर 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 32/सी. 469 (81-ए)-91 देखें, जिसमें बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ एक वित्त वर्ष में रु. 2500/- से अधिक ब्याज होने पर बैंकों के पास रखी गयी आवधिक जमाराशियों पर देय ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती करने के संबंध में आय कर अधिनियम की धारा 194ए में किये गये संशोधन की जानकारी दी गयी है तथा साथ ही, 10 अक्तूबर 1991 का हमारा एक और परिपत्र बैंपविवि. सं.बीपी.बीसी. 43/सी.469(81-ए)-91 भी देखें, जिसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए(1), 197 और 197(ए) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षाओं से राहत देने के लिए बैंकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी दी गयी है । जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा उक्त सीमा 1 जुलाई 1995 से 2500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है ।

2. इस संबंध में, आय कर आयुक्त, तमिलनाडु (चेन्नई) द्वारा सूचित किया गया है कि हाल ही में आय कर विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह प्रकट हुआ है कि चेन्नई स्थित प्रमुख बैंकों ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के प्रावधानों के अनुसार मीयादी जमाराशियों पर अदा किये गये ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की है । सर्वेक्षण में यह भी नोट किया गया है कि बैंकों के केन्द्रीय कार्यालयों द्वारा उपचय के आधार पर प्रदत्त ब्याज पर कटौती करने के आशय के अनुदेश जारी किये जाने के बावजूद उसका अनुपालन नहीं किया गया है । चूंकि यह स्रोत पर कर की कटौती संबंधी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है तथा इसके कारण ब्याज की अधिदेशात्मक वसूली के अलावा कटौती न किये गये कर के बराबर दंड लगाया जा सकता है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप आम तौर पर सभी शाखाओं को तथा विशेष तौर पर तमिलनाडु स्थित शाखाओं को यह अनुदेश दें कि वे मीयादी जमाराशियों पर उपचय के आधार पर प्रदत्त ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती किया करें तथा इस प्रकार काटे गये कर की राशि तुरंत केन्द्र सरकार के खाते में जमा किया करें ।

भवदीय

(जे. बी. म्हात्रे)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 107ए/13.01.04/99 **29 अक्तूबर 1999**
7 कार्तिक 1921(शक)

सभी क्षेत्रीय वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

देशी मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के 23 अप्रैल 1999 के परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 37/13.01.04/99 में निहित अनुदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को उनकी देशी मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर लगायी जाने वाली ब्याज दर बैंक द्वारा अपने श्रेष्ठतम ऋण खातों पर ली जा रही सामान्य ऋण दर से अधिक नहीं होनी चाहिए । ऐसा उन मामलों में लागू नहीं होगा, जिनमें जमा दरें सामान्य ऋण दर के, जो बैंक अपने श्रेष्ठतम ऋण खातों पर लगाते हैं, बराबर या उससे अधिक हों अथवा सामान्य ऋण दर से एक प्रतिशत कम हों - ऐसी स्थितियों में बैंकों को अपने सामान्य ऋण दर की अधिकतम सीमा के संदर्भ के बिना उपयुक्त ब्याज दरें लगाने की स्वतंत्रता होगी ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा "वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा" पर जारी किये गये वक्तव्य के फलस्वरूप 29 अक्तूबर 1999 को निदेश बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी.107/ 13.01.04/ 99 जारी किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है । तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी सामान्य ऋण दर के संदर्भ के बिना अपनी देशी मीयादी जमाराशियों की जमानत पर जमाकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों पर ब्याज दरें लगाने की स्वतंत्रता होगी ।

भवदीय

(एम. पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी 107/13.01.04/99 **29 अक्तूबर 1999**
7 कार्तिक 1921 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.151/ सी. 347-85 में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त निदेश के पैरा 11 के खण्ड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाये :

"जब मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम प्रदान किया जाता है और जमाराशि निम्नलिखित के नाम में हो

(i) उधारकर्ता के नाम में अकेले या संयुक्त रूप में ,

(ii) भागीदारी फर्म के एक भागीदार के नाम में तथा अग्रिम उस फर्म को प्रदान किया गया हो ;

(iii) स्वामित्व प्रतिष्ठान के स्वत्वाधिकारी के नाम में तथा अग्रिम उस प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया हो;

(iv) आश्रित व्यक्ति जिसका अभिभावक आश्रित व्यक्ति की ओर से उधार लेने में सक्षम हो तथा जहाँ अग्रिम आश्रित व्यक्ति के अभिभावक को ऐसी क्षमता में प्रदान किया गया हो,

उस स्थिति में बैंक मूल ऋण दर को संदर्भ में लिये बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे ।"

2. पैरा 11 में निहित अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी 108/13.01.04/99 **29 अक्तूबर 1999**
7 कार्तिक 1921 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 29 अप्रैल 1993 के बैंक के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी.115 /13.01.09/93 में वर्तमान खण्ड (vii) और (viii) को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"(vii) योजना के अंतर्गत जमाराशियां निम्नलिखित अवधिपूर्णताओं के लिए स्वीकार की जायेंगी :

क) एक वर्ष और अधिक परन्तु दो वर्ष से कम

ख) दो वर्ष और अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम

ग) केवल तीन वर्ष

(viii) (क) जब मीयादी जमाराशि की जमानत पर ऋण या अग्रिम प्रदान किया जाये और जमाराशि निम्नलिखित के नाम में हो :

(i) उधारकर्ता के नाम में अकेले या संयुक्त रूप में अथवा

(ii) आश्रित व्यक्ति के नाम में तथा अग्रिम आश्रित व्यक्ति के अभिभावक को प्रदान किया गया हो, अथवा

(iii) भागीदारी फर्म के एक भागीदार के नाम में तथा अग्रिम उस फर्म को प्रदान किया गया हो ;

(iv) स्वामित्व प्रतिष्ठान के स्वत्वाधिकारी के नाम में तथा अग्रिम उस प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया हो;

उस स्थिति में बैंक मूल ऋण दर को संदर्भ में लिये बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे ।"

(ख) जब ऋण या अग्रिम जमाराशि की जमानत पर उक्त (क) में उल्लिखित व्यक्तियों से इतर किसी व्यक्ति को स्वीकृत किया जाये, तो अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज लगाया जायेगा।

(ग) जब योजना के अंतर्गत जुटाये गये संसाधनों में से ऋण या अग्रिम स्वीकृत किया जाये तो अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज दर लगायी जायेगी ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 29/10/1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/13.03.00/99/2000 का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

I. (ख) देशी / अनिवासी बाह्य रुपया / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर अग्रिम

रिज़र्व बैंक के 24 अप्रैल 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 की मद 1(iii) में दिये गये अनुदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को उनकी देशी / अनिवासी बाह्य (रुपया) मीयादी जमाराशियों पर जमाकर्ताओं को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर लगाया जाने वाला ब्याज बैंक की मूल ऋण दर के बराबर या उससे कम होगा, वे मामले अपवाद होंगे जहां जमा दर मूल ऋण दर के बराबर या उससे अधिक है अथवा मूल ऋण दर से अधिक या एक प्रतिशत अंक से भी कम है, ऐसे मामले में बैंकों को यह स्वतंत्रता है कि वे मूल ऋण दर की उच्चतम सीमा के संदर्भ के बिना उपयुक्त ब्याज दर लगा सकते हैं । अनिवासी (रुपया) बाह्य जमाराशियों पर जमाकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों की चुकौती यदि रुपयों में हो तो वे मूल ऋण दर निर्धारण के अधीन होंगे । विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ऋण / ओवरड्राफ्ट भी 21 अक्तूबर 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 133/13.01.09/97 के अनुसार मूल ऋण दर संबंधी मानदंडों के अधीन हैं ।

यह निर्णय किया गया है कि देशी / अनिवासी बाह्य (रुपया) (चाहे ऋण की चुकौती विदेशी मुद्रा में हो या रुपयों में) / विदेशी मुद्रा बाह्य (बैंक) जमाराशियों पर दिये जाने वाले ऋणों पर मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज लगाने की बैंकों को स्वतंत्रता दी जाये ।

II. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए न्यूनतम अवधिपूर्णता

29 अप्रैल 1993 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 116/13.01.09/93 के खंड (vii) के अनुसार विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए न्यूनतम अवधिपूर्णता छः महीने है । देश की अल्पावधि बाह्य ऋण देयताओं को कम से कम रखने की नीति के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए न्यूनतम अवधिपूर्णता छः महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी जाये । परन्तु बैंक जमाराशियों (एक वर्ष या उससे अधिक की अवधिपूर्णता और छः महीने की अवधि पर ब्याज का पुनः निर्धारण) पर अस्थिर दर देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 135/13.03.00/99/2000 **13 जनवरी 2000**
23 पौष 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347/85 देखें ।

2. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित हमारे निदेश के पैरा 3(i) के अनुसार बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, उन सरकारी विभागों / निकायों के नाम में बचत बैंक खाते खोलने से मना किया गया है, जो अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बजट आबंटनों पर निर्भर रहते हैं । तथापि, उक्त निदेश के पैरा 3(ii) के अनुसार कुछ संगठनों /एजेंसियों को उक्त मनाही से छूट दी गयी है । अब यह निर्णय लिया गया है कि जहां संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी. एल. ए. डी. एस.) के अंतर्गत कार्य का निष्पादन राज्य सरकार के योजना विभाग के माध्यम से किया जाता है, वहां उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी की गयी निधियों के संबंध में समाहर्ता / जिला दंडाधिकारी (मैजिस्ट्रेट) / जिला आयुक्त के नाम से बचत बैंक खाते खोलने के लिए **सरकारी क्षेत्र के बैंकों** को अनुमति दी जाये । उक्त निदेश के पैरा 3(ii)(च) के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक उक्त योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के नाम में भी बचत बैंक खाते खोल सकते हैं ।

3. हमारे ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा जारी 20 मई 1998 के परिपत्र आरपीसीडी. सं. पीएलएफएस. बीसी. 123 /05.05.16/97-98 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सूचित किया गया है कि वे (i) कृषि संबंधी उधार लेने वाले समस्त परिवारों के लिए वार्षिक संमिश्र नकद ऋण सीमाएं शुरू करें तथा (ii) उपयुक्त प्रतिलाभ के साथ पूर्णतः तरल बचत माड्यूल तैयार करने पर विचार करें एवं उसे ऋण प्रॉडक्ट का हिस्सा बनायें, जो मूल्यों में प्रतिकूल घट-बढ़ अथवा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में कृषकों के हितों का ध्यान रखेगा । अतः अब यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक कैलेंडर महीने की 10 तारीख से अंतिम तारीख तक की अवधि के दौरान किसानों के संमिश्र नकद ऋण खातों में मौजूद न्यूनतम जमा शेष पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को, अपने विवेकानुसार, अपने बोध और अन्य संबंधित तत्वों पर आधारित दर पर ब्याज अदा करने की अनुमति दी जाये ।

4. 13 जनवरी 2000 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 134 /13.03.00 /99-2000 संलग्न है ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बाराव)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 134/13.03.00 /99/2000 **13 जनवरी 2000**
23 पौष 1921 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर संशोधित 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347-85 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि -

I. पैरा 3 के खंड (ii) के उप-खंड (ओ) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाये :

"[पी] संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.), किन्तु इस शर्त पर कि ऐसा कोई खाता सरकारी क्षेत्र के बैंक से इतर किसी बैंक में नहीं खोला जायेगा ।"

II. पैरा 7 के बाद निम्नलिखित पैरा 7ए जोड़ा जाये ।

"7ए. कृषक के संमिश्र नकदी ऋण खाते में जमा शेष पर ब्याज अदा करने का विवेकाधिकार

कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, अपने विवेकानुसार, कृषक के संमिश्र नकदी ऋण खाते में न्यूनतम जमा शेष पर प्रत्येक कैलेण्डर महीने की 10 तारीख से अंतिम दिन तक की अवधि के दौरान, अपने बोध और अन्य संबंधित तत्वों पर आधारित दर पर ब्याज अदा कर सकता है ।"

2. समय-समय पर संशोधित 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347-85 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित बने रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 141/13.03.00 /99/2000 **12 फरवरी 2000**
23 माघ 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347/85 देखें ।

2. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित हमारे निदेश के पैरा 3(i) के अनुसार बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ उन सरकारी विभागों / निकायों के नाम में बचत बैंक खाते खोलने से मना किया गया है, जो अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बजट आबंटनों पर निर्भर रहते हैं । तथापि, उक्त निदेश के पैरा 3(ii)) के अनुसार कुछ संगठनों / एजेंसियों को उक्त मनाही से छूट दी गयी है । अब यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारों / भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण विकास / कल्याण कार्यक्रमों और /अथवा उपदान (सब्सिडी) / मार्जिन राशि संबद्ध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करने के संदर्भ में जिला परिषदों /ग्राम पंचायतों के नाम से बचत बैंक खाते खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति दी जाये।

3. 12 जनवरी 2000 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं.डीआइआर.बीसी. 140/13.03.00/99-2000 संलग्न है ।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 140/13.03.00 /99/2000 **12 फरवरी 2000**
23 माघ 1921 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि समय-समय पर संशोधित 27 दिसंबर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347-85 के पैराग्राफ 3(ii)(एन) में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार और संशोधन किया जायेगा -

"[ढ] राज्य सरकारों / भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण विकास / कल्याण कार्यक्रमों और / अथवा उपदान (सब्सिडी) / मार्जिन राशि से संबद्ध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गयी निधियों के संबंध में जिला परिषद / ग्राम पंचायत, किन्तु इस शर्त पर कि ऐसा कोई खाता सरकारी क्षेत्र के बैंक से इतर किसी बैंक में नहीं खोला जायेगा ।"

2. समय-समय पर संशोधित 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347-85 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित बने रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 153/13.03.00/99-2000 **23 मार्च 2000**
3 चैत्र 1922 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

देशी / अनिवासी / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों पर ब्याज दरें

कृपया आप 29 अक्तूबर 1999 का हमारा निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/13.01.04/99 तथा 108/13.01.09/99 देखें, जिनके अनुसार जमाकर्ताओं की अपनी देशी / अनिवासी / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) मीयादी जमाराशियों की जमानत पर उन्हें दिये जाने वाले अग्रिमों पर मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने की स्वतंत्रता बैंकों को दी गयी है । तथापि, यह पाया गया है कि कुछ मामलों में, विशेषतः तीसरे पक्षकार की जमाराशियों की जमानत पर 2 लाख रुपये तक के अग्रिमों के संबंध में लगायी जाने वाली ब्याज दरें जमाकर्ता की अपनी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों की तुलना में कम होती हैं । तदनुसार, इस मामले की समीक्षा की गयी है तथा यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को तीसरे पक्षकार की जमाराशियों की जमानत पर 2 लाख रुपये तक के अग्रिमों के मामले में उपयुक्त दरों पर ब्याज लगाने का विवेकाधिकार दिया जाये, जैसा कि हाल में जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में किया गया है । अब वे 2 लाख रुपये तक के ऐसे अग्रिमों पर मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे । तथापि, तीसरे पक्षकार की जमाराशियों की जमानत पर 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दर को समय-समय पर अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार निर्धारित करना जारी रहेगा ।

2. तदनुसार 23 मार्च 2000 के संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 151 और 152 / 13.03.00/99-2000 संलग्न हैं ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/13.03.00/99-2000 **23 मार्च 2000**
3 चैत्र 1922 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/ सी.347-85 में आंशिक संशोधन करते हुए इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश के पैराग्राफ 11 के उप खंड (ख) में निम्नलिखित संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा :

"(ख) जब कोई अग्रिम उपर्युक्त उप खंड (क) में क्रमांक (i) से (iv) तक के स्वरूप से भिन्न स्वरूप की सावधि जमाराशि की जमानत पर दिया जाये तो

(i) बैंक मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे, बशर्ते उक्त अग्रिम 2 लाख रुपये तक का हो, और

(ii) यदि अग्रिम 2 लाख रुपये से अधिक का हो तो लगायी जाने वाली ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किये गये निदेश के अनुसार निर्धारित दर पर होगी" ।

समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/ सी.347/85 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 152/13.03.00/2000 **23 मार्च 2000**
3 चैत्र 1922 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि समय-समय पर यथासंशोधित 29 अप्रैल 1993 के बैंक के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी.115 /13.01.09/93 में वर्तमान खण्ड (viii) के उप खंड (ख) को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"(ख) जब कोई अग्रिम उपर्युक्त उप खंड (क) से भिन्न स्वरूप की सावधि जमाराशि की जमानत पर दिया जाये तो

(i) बैंक मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे, बशर्ते उक्त अग्रिम 2 लाख रुपये तक का हो, और

(ii) यदि अग्रिम 2 लाख रुपये से अधिक का हो तो लगायी जाने वाली ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किये गये निदेश के अनुसार निर्धारित दर पर होगी ।

समय-समय पर यथासंशोधित 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13:01:09-93 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 158/13.03.00/99/2000 **1 अप्रैल 2000**
12 चैत्र 1922 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/ सी.347/85 देखें ।

2. इस बीच यह निर्णय किया गया है कि देशी और साधारण अनिवासी बचत जमाराशियों और साथ ही अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर 1 अप्रैल 2000 से 4.5 से 0.5 प्रतिशत अंक कम करके 4.0 प्रतिशत वार्षिक कर दी जाये ।

3. इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

4. 1 अप्रैल 2000 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. 157/13.03.00/2000 संलग्न है ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 157/13.03.00/2000 **1 अप्रैल 2000**
12 चैत्र 1922 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/ सी.347-85 में आंशिक संशोधन करते हुए इसके द्वारा निदेश देता है कि घरेलू और साधारण अनिवासी बचत जमाराशियों और साथ ही अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत ब्याज दर 1 अप्रैल 2000 से 4.0 प्रतिशत होगी ।

2. तदनुसार 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/ सी.347/85 के अनुबंध - I और अनुबंध - II संशोधित किये जायें । अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 160/13.03.00/99 **1 अप्रैल 2000**
12 चैत्र 1922 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

कृपया 22 मई 1999 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी.53/13.03.00/99 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं । हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरें सूचित करने वाली हमारी 1 अप्रैल 2000 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआईआर.बीसी.159/13.03.00/2000 संलग्न है । संशोधित दरें 1 अप्रैल 2000 से लागू होंगी ।

भवदीय

(एम. पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 159/13.03.00/2000

1 अप्रैल 2000
12 चैत्र 1922 (शक)

अधिसूचना

जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना,1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 22 मई 1999 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.53/13.03.00/99 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता 'अ' और खाता 'आ' में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जाने वाला ब्याज 1 अप्रैल 2000 से निम्नलिखित होगा ।

खाते की श्रेणी	**प्रतिशत वार्षिक**
(i) खाता - 'अ'	4.0
(ii) खाता - 'आ'	
15 दिन और उससे अधिक	स्वतंत्र

(जी.पी.मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 166/13.03.00/2000

27 अप्रैल 2000
7 वैशाख 1922(शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.151/ सी.347-85 में संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश के पैराग्राफ 17 के खण्ड (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :

"(ग) देशी मीयादी जमाराशियों और अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों पर अदा किये गये ब्याज की दर के संबंध में एक ही तारीख को स्वीकार की गयी तथा एक ही अवधिपूर्णता वाली किन्हीं दो जमाराशियों के बीच भेद-भाव नहीं करेगा, चाहे ऐसी जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में स्वीकार की गयी हों या अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गयी हों । परंतु 15 लाख रुपये और अधिक की एकल मीयादी जमाराशियां अपवाद होंगी, जिन पर जमाराशि की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर ब्याज की अलग-अलग दरों की अनुमति दी जायेगी :

क) उसी अवधिपूर्णता की जमाराशियों पर अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश की अनुमति 15 लाख रुपये और अधिक की देशी मीयादी जमाराशियों और अनिवासी (बाह्य) रुपया मीयादी जमाराशियों पर लागू होगी । अतः बैंक 15 लाख रुपये और अधिक की ऐसी मीयादी जमाराशियों के लिए उसी ब्याज दर की या अलग ब्याज दरों की पेशकश कर सकते हैं । उसी अवधिपूर्णता की 15 लाख रुपये से कम की जमाराशियों के लिए वही दर लागू होगी ।

ख) बैंकों को उन जमाराशियों सहित, जिन पर अलग ब्याज दर देय होगी, विभिन्न जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची पहले से दर्शानी चाहिए । बैंक द्वारा दी गयी ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा उन्हें जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए ।

2. समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 167/13.03.00/2000 **27 अप्रैल 2000**
7 वैशाख 1922 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 11 सितंबर 1986 के बैंक के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95 / सी. 347 (I) -86 तथा 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93 में मौजूद क्रमशः खंड 10(ख) और पैराग्राफ (vi) को निम्नलिखित पैराग्राफों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :

(i) 10. निषेध

(ख) जमाराशियों पर अदा किये गये ब्याज की दर के संबंध में एक ही तारीख को स्वीकार की गयी तथा एक ही अवधिपूर्णता वाली किन्हीं दो जमाराशियों के बीच भेद-भाव नहीं करेगा, चाहे ऐसी जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में स्वीकार की गयी हों या अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गयी हों । परंतु जमाराशियों की मात्रा के आधार पर ब्याज की अलग-अलग दरों की अनुमति दी जायेगी । जमाराशि की मात्रा के आधार पर ब्याज की अलग-अलग दरों की पेशकश करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी :

(1) बैंक अपने विवेक पर मुद्रावार उस न्यूनतम मात्रा का निर्णय ले सकते हैं जिस पर अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश की जायेगी । उसी अवधिपूर्णता वाली निर्धारित मात्रा से कम की मीयादी जमाराशियों के लिए वही दर लागू होगी ।

(2) इस प्रकार प्रस्तावित अलग-अलग ब्याज दरें निर्धारित समग्र उच्चतम सीमा की शर्त पर होंगी ।

(3) बैंक द्वारा दी गयी ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा उन्हें जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए ।

(ii) पैराग्राफ (vi) - ब्याज दरें

(क) एक वर्ष और अधिक की अवधिपूर्णता वाली जमाराशियों तथा अस्थिर दर वाली जमाराशियों के संबंध में ब्याज की अदायगी संबंधित मुद्रा / अवधिपूर्णता के लिए लागू स्वैप दरों में 50 आधार अंकों (basis points) को जोड़कर निकाली गयी उच्चतम सीमा के भीतर की जायेगी ।

(ख) पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस में लागू लिबोर / स्वैप दरों के आधार पर अगले सप्ताह से प्रस्तावित की जाने वाली ब्याज दरों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी ।

(ग) एफसीएनआर (बी) जमाराशियां प्रस्तावित करते समय बैंकों के समक्ष यह विकल्प होगा कि वे किसी ऑनलाइन स्क्रीन-आधारित सूचना प्रणाली पर उद्धृत वर्तमान स्वैप दरें चुन सकें ।

2. 11 सितंबर 1986 के बैंक के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी.347(I)-86 तथा समय-समय पर यथासंशोधित 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 115/13.01.09/93 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 27/4/2000 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 168/13.03.00/99/2000 का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

(iii) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए ऑन-लाइन स्क्रीन आधारित स्वाप दरें

वर्तमान में, 28 अप्रैल 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 41बी/13.03.00/99 के अनुसार विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के मामले में पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस की स्वाप दरें उन ब्याज दरों के लिए उच्चतम दर नियत करने का आधार बनती हैं जो कि अगले सप्ताह में प्रभावी होती हैं । बाजार को और अधिक 'ऑन लाइन' बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों का प्रस्ताव करते समय अपने विवेकानुसार चालू स्वाप दरें चुनने का विकल्प दिया जाये । इस प्रकार बैंकों को किसी भी ऑन-लाइन स्क्रीन आधारित सूचना प्रणाली पर उद्धृत स्वाप दरों का संदर्भ लेने की स्वतंत्रता होगी ।

(iv) अनिवासी बाह्य / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर

वर्तमान में, बैंकों को अपने विवेकानुसार 15 लाख रुपये और अधिक की समान अवधिपूर्णता की देशी मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें देने की छूट है । बैंकों को अनिवासी बाह्य / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर नियत / अस्थिर दरें प्रदान (ऑफर) करने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध है । यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को उनके विवेकानुसार अनिवासी बाह्य / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर भी विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने की अनुमति दी जाये । अनिवासी बाह्य जमाराशियों के मामले में यह 29 अप्रैल 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/ 13:03:00/98 के पैराग्राफ 1(ग) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार देशी मीयादी जमाराशियों की तरह होगा । विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के मामले में, बैंकों को ऐसी विभेदक ब्याज दरों की पात्रता के लिए मुद्रावार न्यूनतम पात्र मात्रा निश्चित करने का विवेकाधिकार होगा । तथापि प्रदान की जाने वाली दरें निर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा की शर्त पर होंगी ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

दिनांक 3/5/2000 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

1. जमा प्रमाणपत्र योजना

जमा प्रमाणपत्र योजना के संबंध में हमारे 6 जून 1989 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 134/65-89 के पैराग्राफ 5 के अनुसार जमा प्रमाणपत्र की पूर्णता-अवधि तीन महीने से कम नहीं होनी चाहिए । इन्हें वाणिज्यिक पत्र और मीयादी जमाराशियों जैसे अन्य लिखतों के अनुकूल करने की दृष्टि से **यह निर्णय किया गया है कि जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम अवधिपूर्णता घटाकर 15 दिन कर दी जाये । तदनुसार बैंकों द्वारा जारी किये जाने वाले जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम अवधिपूर्णता अब से 15 दिन होगी । जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम रुद्धता अवधि 29 अप्रैल 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/13.03.00/98 के अनुसार घटाकर पहले ही 15 दिन की जा चुकी है । बैंकों द्वारा जारी किये जाने वाले जमा प्रमाणपत्रों से संबंधित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं ।**

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी 179/13.01.16/ 99/2000 **26 मई 2000**
5 ज्येष्ठ 1922 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 -
अतिदेय मीयादी जमाराशियों का नवीकरण

इस प्रकार का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या कोई बैंक पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत अतिदेय मीयादी जमाराशि का नवीकरण उसकी अवधि समाप्त होने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से कर सकता है तथा अतिदेय अवधि के लिए ब्याज अदा कर सकता है । हमने भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परामर्श से उक्त मामले की जांच की है ।

2. तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि कोई बैंक पूंजी लाभ खाता योजना के अंतर्गत अतिदेय मीयादी जमाराशि का नवीकरण कर सकता है तथा जमाराशि की अवधि समाप्त होने की तारीख से ऐसी नवीकृत मीयादी जमाराशि पर या उसके एक भाग पर ब्याज की अनुमति दे सकता है, बशर्ते -

(i) अतिदेय मीयादी जमाराशि की कुल रकम अथवा उसका एक भाग अवधि समाप्त होने की तारीख से भविष्य की किसी तारीख तक के लिए नवीकृत किया गया हो ।

(ii) ऐसी अतिदेय मीयादी जमाराशि पर अवधि समाप्त होने की तारीख को लागू उपयुक्त दर पर ब्याज की अनुमति दी जायेगी; और

(iii) अवधि समाप्त होने / नवीकरण की तारीख से इस प्रकार दिया गया ब्याज आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन होगा ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

भाग III

ऋण नीति / बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 20/24.92.001/99

10 मार्च 1999
19 फाल्गुन 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी

कृपया उपर्युक्त विषय पर 9 अप्रैल 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 28/ 24.91.001/ 97 देखें । यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित चार प्राथमिक व्यापारियों को मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में **उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में** भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

1. एबीएन एम्रो सिक्योरिटीज़ (इंडिया) प्रा. लि.
2. सीएट फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
3. जे. पी. मॉर्गन सिक्योरिटीज़ इंडिया प्रा. लि.
4. टाटा फाइनान्स सिक्योरिटीज़ लि.

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 23/24.91.001/99 **27 मार्च 1999**
6 चैत्र 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग / सूचना मुद्रा बाजार में सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएं

प्रिय महोदय,

माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 अप्रैल 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं.एफएससी.बीसी.28 / 24.91. 001/99 देखें । यह निर्णय किया गया है कि कोटक महिंद्रा म्युचुअल फंड को **केवल उधारदाता के रूप** में माँग / सूचना मुद्रा बाजार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.एफएससी.बीसी. 27/24.91.001/99

7 अप्रैल 1999
17 चैत्र 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग / सूचना मुद्रा बाजार में सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएं

प्रिय महोदय,

माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं.एफएससी.बीसी.23 / 24.91.001/99 देखें । यह निर्णय किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. म्युचुअल फंड (आइ एल एंड एफ एस एम एफ) को **केवल उधारदाता के रूप** में माँग / सूचना मुद्रा बाजार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीसी. सं. 35/21.01.002/99 **24 अप्रैल 1999**
4 वैसाख 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय

कृपया आप गवर्नर महोदय का 20 अप्रैल 1999 का पत्र सं. 185/07.01.279/98-99 देखें, जिसके साथ 'वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति उपाय' संबंधी वक्तव्य संलग्न किया गया है। उसमें दर्शाये गये नीतिगत उपायों से संबधित दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं :

1) जमाराशियों पर ब्याज दरों का यौक्तिकीकरण

17 अक्तूबर 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 115 /13.07.01 /94 के अनुसार बैंक अपनी निधियों की लागत, लेनदेन-लागत और न्यूनतम अंतर को ध्यान में रखते हुए दो लाख रुपये तक के ऋणों के लिए अपनी ऋण दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मूल (आधार) ऋण दर होनी चाहिए । इस समय रिज़र्व बैंक निर्यातों, दो लाख रुपये तक के छोटे ऋणों और विभेदक ब्याज दर योजना जैसे कतिपय क्षेत्रों के लिए केवल रियायती ऋण दरें निर्धारित करता है, जो संबंधित बैंक की मूल ऋण दर से कम होती हैं । अल्पावधि ऋणों और 3 वर्ष एवं उससे अधिक के ऋण के लिए अलग-अलग ऋण दरें निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं । बैंकों को कुछ और लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से ब्याज दरों के संबंध में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) *अवधि से संबद्ध मूल ऋण दर*

बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित मूल ऋण दर प्रणाली, जिसमें मूल ऋण दर और अधिकतम ऋण दर के बीच अंतर रहता है, कुछ समय से प्रचलन में है और पारदर्शिता एवं वस्तुपरकता के प्रयोजन को कमोवेश रूप में पूरा करती है । बैंकों और ऋणकर्ताओं से अनुरोध मिले हैं कि मूल ऋण दर को ऋण की अवधि से संबद्ध कर दिया जाये अर्थात् भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए अलग-अलग मूल ऋण दर हो ।

अत: यह निर्णय लिया गया है कि भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए अलग-अलग मूल ऋण दरें तय करने के लिए बैंकों को स्वतंत्रता दी जाये, बशर्ते कि मूलत: जिस पारदर्शिता और एकसमानता की अभिकल्पना की गयी है, उसका निर्वाह किया जाये ।

(ii) *परियोजना वित्तपोषण के लिए नियत दर ऋण*

इसी तरह उद्योग, विशेष रूप से परियोजना वित्त चाहनेवाले उद्योग, मीयादी ऋणों पर ब्याज दरों में स्थिरता का अनुरोध करते रहे हैं ।

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को नियत दर पर ऋण देने की अनुमति दी जाये, जो आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुकूल होने की शर्त पर होगी ।

(iii) *देशी / अनिवासी बाह्य रुपया खातों (एनआरई) की मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम*

भारतीय रिज़र्व बैंक के 29 अप्रैल 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36 /13.03.00 /98 की मद 2 (ii) में निहित अनुदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को, उनकी देशी /अनिवासी बाह्य (एनआरई) मीयादी जमाराशियों की जमानत पर मंजूर ऋणों / अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज दर मूल ऋण दर से अधिक नहीं होनी चाहिए । मूल ऋण दर यद्यपि कम होती जा रही है, परंतु विद्यमान जमाराशियों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रही हैं । कतिपय मामलों में मूल ऋण दर पर आधारित होने के कारण अग्रिमों पर ब्याज दरें स्वयं जमाराशियों की ब्याज दरों से कम रही हैं ।

इस असंगति को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में जमा ब्याज दरें मूल ऋण दर के बराबर हैं या उससे अधिक हैं या मूल ऋण दर के नीचे एक प्रतिशत अंक कम हैं, तो बैंकों को मूल ऋण दर की उच्चतम सीमा पर ध्यान दिये बिना, अग्रिमों पर समुचित ब्याज दर लगाने की स्वतंत्रता होगी । इस प्रकार अग्रिमों पर ब्याज दरें संबंधित जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज दरों से अनिवार्यत: अधिक होंगी ।

उपर्युक्त परिवर्तनों की प्रभावी तारीख की घोषणा बैंकों द्वारा यथाशीघ्र की जायेगी ।

संशोधन करने वाला 23 अप्रैल 1999 का निदेश सं. डीआइआर. बीसी. 36 /13.01.04 /99 संलग्न है ।

(iv) *आस्ति-देयता प्रबंधन समिति*

बैंक यह अभिवेदन करते रहे हैं कि वर्तमान में जमा दरों और ऋण दरों में परिवर्तन करने के लिए बैंकों को अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन लेना पड़ता है, जिससे ब्याज दर माहौल में होने वाले बदलावों के अनुसार तत्परता से कार्रवाई करने में बैंकों की क्षमता सीमित हो जाती है ।

तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों के निदेशक मंडल आस्ति-देयता प्रबंधन समिति को यह प्राधिकार दे सकते हैं कि वह जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरें नियत कर सकती है । यह प्राधिकार बाद में निदेशक मंडल को रिपोर्ट देने की शर्त पर होगा ।

2. विवेकपूर्ण मानदंड

(i) *अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों का मूल्यन*

विवेकपूर्ण लेखांकन मानक अपनाने तथा निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार भाव पर मूल्यन की दिशा में अग्रसर होने की दृष्टि से 29 अप्रैल 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36 /13.03.00 /98 के पैरा 5 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेश के कम-से-कम 70 प्रतिशत को मार्च 1999 में समाप्त वर्ष के लिए 'चालू' निवेश के रूप में वर्गीकृत करेंगे।

यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेश के कम-से-कम 75 प्रतिशत को 'चालू' निवेशों के रूप में वर्गीकृत करें ।

(ii) *स्तर II की पूंजी जुटाने के लिए अनुषंगी ऋण जारी करना*

8 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 5 /21.01.002 /98-99 में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों को स्तर II की पूंजी के रूप में रुपयों में अनुषंगी ऋण जुटाने की स्वायत्तता दी गयी थी, बशर्ते बांडों के निर्गम की शर्तें उसमें दर्शायी गयी शर्तों के अनुरूप हों ।

यह पाया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच काफी मात्रा में ऐसी लिखतें, वित्तीय प्रणाली में पूंजी की अपेक्षित वृद्धि के बिना प्रतिधारित की गयी हैं ।

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये स्तर II के बांडों में कुल निवेश हेतु निवेशकर्ता बैंक की कुल पूंजी के 10 प्रतिशत तक की अनुमति होगी । इस प्रयोजन के लिए कुल पूंजी वही होगी जो पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए गिनी जाती है । यदि कोई बैंक 10 प्रतिशत की इस सीमा को पार कर चुका हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक को यह बताया जाना चाहिए कि उक्त निवेश जोखिम (एक्सपोजर) को निर्धारित सीमा में कब तक ले आया जायेगा ।

इस संबंध में यह बात दोहरायी जाती है कि अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के स्तर II के बांडों में बैंकों के निवेश को 100 प्रतिशत जोखिम भारांक (देखें 31 अक्तूबर 1998 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी.103 /21. 01. 002 /98 का पैरा 2(घ)) दिया जायेगा ।

(iii) आस्ति वर्गीकरण *पुनर्निर्धारित ऋण*

27 अप्रैल 1992 के परिपत्र बीपी. बीसी. 129/21.04.043/92 के पैरा 2 बी (ii) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस अग्रिम के संबंध में उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ब्याज और मूलधन के संबंध में ऋण संबंधी करार की शर्तों के बारे में पुनः समझौता किया गया है या किस्तें पुनर्निर्धारित की गयी हैं, उन्हें अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उसे पुनः किये गये समझौते या पुनर्निर्धारित मीयाद के अंतर्गत उस श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष तक संतोषजनक रूप में रहना चाहिए । हमें बैंकों से अभिवेदन प्राप्त होते रहे हैं कि कतिपय परिस्थितियों (उदाहरण के लिए साइक्लीकल डाउन टर्न) में जहां ऋणों को पुनर्निर्धारित किया गया है परंतु कुछ समय बाद ऋणकर्ताओं ने नियमित आधार पर अपने ऋणों की चुकौती करना प्रारंभ कर दिया, निर्धारित दो वर्षों की अवधि काफी लंबी अवधि है ।

यह निर्णय लिया गया है कि यदि पुनर्निर्धारण की शर्तों के अनुसार ऋण की ब्याज और उसकी किस्तों की नियमित चुकौती की गयी है तो उक्त दो वर्ष की अवधि को घटा कर एक वर्ष (या चार तिमाहियां) कर दिया जाये । उक्त अनुदेश आस्ति वर्गीकरण के लिए 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष से लागू होंगे ।

(iv) उद्यम पूंजी में बैंकों के निवेश

8 अगस्त 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 78 /13.07.05 /98-99 के अनुसार बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयरों सहित शेयरों, कंपनियों के परिवर्तनीय डिबेंचरों और पारस्परिक निधियों के ऐसे यूनिटों, जिनकी राशि केवल कंपनी ऋण लिखतों में निवेश के लिए नहीं है, के लिए निर्धारित पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोजनार्थ समर्पित उद्यम पूंजी निधियों की इकाइयों में निवेश कर सकते हैं ।

उद्यम पूंजी के लिए वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा उस सीमा तक स्वतः बढ़ जायेगी, जिस सीमा तक बैंकों के निवेश उद्यम पूंजी (सूचना प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित उद्यम पूंजी निधियों के यूनिटों में निवेश सहित) में होंगे, जो इस शर्त पर होगी कि उद्यम पूंजी निधियां / कंपनियां सेबी (SEBI) के पास पंजीकृत हों।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

टिप्पणी : 23 अप्रैल 2000 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 36/13.01.04/99 अध्याय II-जमाराशियां' में दर्शाया गया है ।

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 56/24.92.001/99 **27 मई 1999**
6 ज्येष्ठ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी

कृपया उपर्युक्त विषय पर 10 मार्च 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.20/ 24.92.001/ 97 देखें । यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित तीन प्राथमिक व्यापारियों को मांग/सूचना /मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में **उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में** भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

1. कोटक महिन्द्रा कैपिटल कंपनी (अमर्यादित)
2. डीएसपी मेरिल लिंच लि.
3. ड्यूश सिक्योरिटीज (इंडिया) प्रा.लि.

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.एफएससी.बीसी. 58/24.91.001/99 **28 मई 1999**
7 ज्येष्ठ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग / सूचना मुद्रा बाजार में सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएं

प्रिय महोदय,

माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 अप्रैल 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.27 / 24.91.001/99 देखें । यह निर्णय किया गया है कि डुंडी म्युचुअल फंड को **केवल उधारदाता के रूप** में माँग / सूचना मुद्रा बाजार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.एफएससी.बीसी. 64/24.91.001/99 **1 जुलाई 1999**
10 आषाढ़ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग / सूचना मुद्रा बाजार में सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएं

प्रिय महोदय,

माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 मई 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.58 / 24.91.001/ 99 देखें । यह निर्णय लिया गया है कि आइएनजी सेविंग्ज ट्रस्ट म्युचुअल फंड को **केवल उधारदाता के रूप** में माँग / सूचना मुद्रा बाजार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधि वाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीसी. 75/24.91.001/99/2000

29 जुलाई 1999
7 श्रावण 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय

मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फंड

कृपया 27 जून 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 68 / 24. 91. 001 / 95 देखें, जिसके अनुसार ट्वेंटियथ सेंच्युरी म्युच्युअल फंड को मांग / सूचना मुद्रा / बिल पुनर्भुनाई बाज़ार में ऋणदाता के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गयी थी । ट्वेंटियथ सेंच्युरी म्युच्युअल फंड का नाम बदलकर जूरिक इंडिया म्युच्युअल फंड किये जाने पर यह सूचित किया जाता है कि जूरिक इंडिया म्युच्युअल फंड को केवल ऋणदाता के रूप में मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार (रातभर के लिए मांग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधि के लिए अल्पसूचना मुद्रा) और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति दी गयी है ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 82/21.01.002/99 **18 अगस्त 1999**
27 श्रावण 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय

कृपया 31 अक्तूबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.002/98 और 24 अप्रैल 1999 के परिपत्र बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 का अवलोकन करें, जिनमें मौद्रिक और ऋण नीति उपायों के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।

2. अनुरोध है कि पूंजी पर्याप्तता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं के बारे में उक्त परिपत्रों में सूचित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन तथा अन्य संगठनात्मक मुद्दों (अनुबंध में दिये गये ब्यौरों के अनुसार) के बारे में किये गये उपायों की जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर दें । इस संबंध में रिपोर्ट हमारे पास 30 सितंबर 1999 तक पहुंच जानी चाहिए ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

अनुबंध

1. पूंजी और जोखिम आस्ति का अनुपात (सी आर ए आर) 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से न्यूनतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना ।
2. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों के बाज़ार ज़ोखिम के लिए 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से 2.5 प्रतिशत का जोखिम भार लगाना ।
3. सरकारी प्रतिष्ठानों की सरकार द्वारा गारंटीकृत जो प्रतिभूतियां अनुमोदित बाजार ऋण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, उनमें निवेश पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार वित्तीय वर्ष 2000-2001 से लागू करना ।
4. उन अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार लगाना जहां ब्याज की अदायगी और मूलधन की चुकौती केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत नहीं है ।
5. सरकारी वित्तीय संस्थाओं के बांडों / डिबेंचरों में निवेशों पर 20 प्रतिशत का एकसमान जोखिम भार लगाना ।
6. राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋणों और अग्रिमों पर उन मामलों में 20 प्रतिशत का जोखिम भार लगाना जहां गारंटी लागू की गयी है और संबंधित राज्य सरकार ने चूक की है । उन मामलों में ऐसे ऋणों और अग्रिमों के लिए जोखिम भार 100 प्रतिशत किया जाना चाहिए जहां संबंधित राज्य सरकार ऐसी लागू की गयी गारंटियों के संबंध में 31 मार्च 2001 के बाद भी चूक कर रही हो ।
7. अवमानक आस्तियों की श्रेणी को कम कर संदिग्ध आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की समय सीमा को 31 मार्च 2001 तक 24 महीने से घटाकर 18 महीने किये जाने के फलस्वरूप अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करना।
8. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाएं जहां गारंटी लागू की गयी हो और संबंधित राज्य सरकार ने चूक की हो । [देखें 31 अक्तूबर 1998 के परिपत्र बीपी. बीसी. 103 का पैरा 5 (ख)]
9. 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए मानक आस्तियों पर 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान ।
10. अनर्जक आस्तियों को कम करने के लिए बैंक कारगर कदम उठायें और जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रथाओं को ठीक करें ।
11. बैंकों को संशोधित कार्यकारी नियम पुस्तिकाएं (ऑपरेशनल मैन्युअल) तैयार करने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन बनाना चाहिए ।
12. बड़े अग्रिमों की मंजूरी के तुरंत बाद उनकी सतत निगरानी हेतु एक ऋण समीक्षा तंत्र का गठन करना ।
13. ऋण प्रबंधन, खजाना प्रबंधन, व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) उत्पादों, आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली, जोखिम प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना टेक्नोलाजी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ।
14. 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेशों के कम-से-कम 75 प्रतिशत को 'चालू' निवेशों के रूप में वर्गीकृत करें ।
15. बैंकों को अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये स्तर II के बांड़ों में कुल निवेश हेतु निवेशकर्ता बैंक की कुल पूंजी के 10 प्रतिशत तक की अनुमति होगी । यदि कोई बैंक 10 प्रतिशत की इस सीमा को पार कर चुका हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक को यह बताया जाना चाहिए कि उक्त निवेश जोखिम (एक्सपोज़र) को निर्धारित सीमा में कब तक ले आया जायेगा ।

एफएससी.बीसी. 92/24.91.001/99

23 सितंबर 1999
1 आश्विन 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग / सूचना मुद्रा बाजार में सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएं

प्रिय महोदय,

माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.64 / 24.91.001/99 देखें । यह निर्णय लिया गया है कि चोलमंडलम केजेनोव म्युचुअल फंड को **केवल उधारदाता के रूप** में माँग / सूचना मुद्रा बाजार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 102/24.92.001/99 **21 अक्तूबर 1999**
29 आश्विन 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी

कृपया उपर्युक्त विषय पर 27 मई 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.56 / 24.92.001/ 99 देखें । एक नये प्राथमिक व्यापारी, आइ डी बी आई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. को मांग /सूचना /मीयादी मुद्रा बाज़ार एवं बिल पुनर्भुनाई योजना में **ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों के रूप में** भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.डीआइआर. बीसी. सं. 114/13.03.00/99/2000 **29 अक्तूबर 1999**
7 कार्तिक 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मौद्रिक और ऋण नीति 1999-2000
की मध्यावधि समीक्षा

कृपया आप गवर्नर महोदय के 29 अक्तूबर 1999 के परिपत्र एमपीडी. बीसी. 190 /07.01.279/99-2000 के साथ संलग्न 'वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा' संबंधी वक्तव्य देखें । अग्रिमों पर ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा योजना में संशोधनों से संबंधित नीतिगत उपायों के संबंध में दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं :

I. मूल ऋण दरों से संबंधित मानदंडों की समीक्षा

(क) वर्तमान में दो लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज दर का निर्धारण मूल ऋण दर से अधिक नहीं है और दो लाख रुपये से अधिक के ऋणों पर न्यूनतम ब्याज दर मूल ऋण दर है । बैंकों तथा बाज़ार के अन्य सहभागियों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा करके मूल ऋण दर संबंधी मानदंडों की आगे समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि बैंक निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में अपनी मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र हैं :

(i) मीयादी ऋण देनेवाले संस्थाओं की पुनर्वित्त योजना में सम्मिलित ऋण

(ii) आवास वित्त संबंधी मध्यवर्ती एजेंसियों सहित मध्यवर्ती एजेंसियों को बैंक ऋण पर ब्याज दरें

(iii) बैंकों द्वारा बिल भुनाई

(iv) देशी / अनिवासी बाह्य रुपया / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर अग्रिम / ओवरड्राफ्ट

(ख) देशी / अनिवासी बाह्य रुपया / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम

रिज़र्व बैंक के 24 अप्रैल 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 की मद 1 (iii) में दिये गये अनुदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को उनकी देशी / अनिवासी बाह्य (रुपया) मीयादी जमाराशियों पर जमाकर्ताओं को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर लगाया जानेवाला ब्याज बैंक की मूल ऋण दर के बराबर या

उससे कम होगा, वे मामले अपवाद होंगे जहां जमा दर मूल ऋण दर के बराबर या उससे अधिक है अथवा मूल ऋण दर से अधिक या एक प्रतिशत अंक से भी कम है । ऐसे मामले में बैंकों को यह स्वतंत्रता है कि वे मूल ऋण दर की उच्चतम सीमा के संदर्भ के बिना उपयुक्त ब्याज दर लगा सकते हैं । अनिवासी (रुपया) बाह्य जमाराशियों पर जमाकर्ताओं को दिये जानेवाले ऋणों की चुकौती यदि रुपयों में हो तो वे मूल ऋण दर निर्धारण के अधीन होंगे । विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ऋण / ओवरड्राफ्ट भी 21 अक्तूबर 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 133/13.01.09/97 के अनुसार मूल ऋण दर संबंधी मानदंडों के अधीन हैं ।

यह निर्णय किया गया है कि देशी / अनिवासी बाह्य (रुपया) (चाहे ऋण की चुकौती विदेशी मुद्रा में हो या रुपयों में) / विदेशी मुद्रा बाह्य (बैंक) जमाराशियों पर दिये जाने वाले ऋणों पर मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज लगाने की बैंकों को स्वतंत्रता दी जाये ।

II. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए न्यूनतम अवधिपूर्णता

29 अप्रैल 1993 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 116/13.01.09/93 के खंड (vii) के अनुसार विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए न्यूनतम अवधिपूर्णता छः महीने है । देश की अल्पावधि बाह्य ऋण देयताओं को कम से कम रखने की नीति के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए न्यूनतम अवधिपूर्णता छः महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी जाये । परन्तु बैंक जमाराशियों (एक वर्ष या उससे अधिक की अवधिपूर्णता और छः महीने की अवधि पर ब्याज का पुनः निर्धारण) पर अस्थिर दर देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

इस संबंध में 29 अक्तूबर 1999 के संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/ 13.07.01/99, 107/13.01.04/99 और 108/13.01.09/99 संलग्न है ।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

टिप्पणी : सभी 29 अक्तूबर 1999 के संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/ 13.03.00/99, 107/13.01.04/99 एवं 100/13.01.09/99 संबंधित अध्यायों अर्थात् अध्याय V-'अग्रिम', अध्याय II-'जमाराशि' तथा अध्याय II-'जमाराशि' में दर्शाये गये हैं ।

बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 121/21.04.124/99/2000 **3 नवंबर 1999**
12 कार्तिक 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय

कृपया आप गवर्नर महोदय के 29 अक्तूबर 1999 के पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 190 / 07.01.279/ 99-2000 देखें, जिसके साथ 'वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा' संबंधी वक्तव्य संलग्न किया गया है । उक्त वक्तव्य के पैराग्राफ 45 के अनुसार **विवेकपूर्ण मानदंडों** से संबंधित दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं :

(i) सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए न गिनी जानेवाली प्रतिभूतियों पर जोखिम भार

31 अक्तूबर 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103 /21.01.002/98 के अनुसार सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश को बाज़ार जोखिम के लिए 31 मार्च 2000 से 2.5 प्रतिशत का जोखिम भार दिया गया है । अब यह निर्णय किया गया है कि **सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए न गिनी जानेवाली प्रतिभूतियों सहित सभी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों को *बाज़ार जोखिम* के लिए 31 मार्च 2001को समाप्त वर्ष से 2.5 प्रतिशत का जोखिम भार दिया जाना चाहिए । यह उन प्रतिभूतियों में निवेशों पर भी लागू होगा जिन पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार है, क्योंकि सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ऋण जोखिम के अतिरिक्त बाज़ार जोखिम के लिए भी कुछ पूंजी गुंजाइश रखी जानी चाहिए ।**

(ii) अलग-अलग ऋणकर्ताओं को ऋण जोखिम की सीमाएं

26 मई 1989 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 132 / 66-89 के अनुसार किसी एकल ऋणकर्ता के लिए बैंक के ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा उस बैंक की पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत पर नियत की गयी है । इस बारे में **15 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय मानक के निकट, चरणों में, पहुंचने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि किसी एकल ऋणकर्ता के संबंध में ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा बैंक की पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 01 अप्रैल 2000 से 20 प्रतिशत कर दी जाये । बैंकों को सूचित किया जाता है कि जहां ऋण जोखिम का वर्तमान स्तर 31 अक्तूबर 1999 को 20 प्रतिशत से अधिक है , वहां उसे दो वर्ष की अवधि में (अर्थात् अक्तूबर 2001 के अंत तक) घटाकर पूंजी निधियों का 20 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए ।**

26 मई 1989 के परिपत्र में निहित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 143/24.92.001/2000 **23 फरवरी 2000**
4 फाल्गुन 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मांग / सूचना / मीयादी मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति - प्राथमिक व्यापारी

कृपया उपर्युक्त विषय पर 21 अक्तूबर 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 102/ 24.92.001/ 99 देखें । एक नये प्राथमिक व्यापारी, कार्पबैंक सिक्योरिटीज़ लि. को मांग /सूचना /मीयादी मुद्रा बाज़ार एवं बिल पुनर्भुनाई योजना में **ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों के रूप में** भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ।

2. उक्त संस्था का नाम शामिल कर अनुदेश मैनुअल खंड I - भाग II के पैराग्राफ 22.6 के अनुबंध I के भाग 'क' और अनुबंध II में संशोधन किये जायें ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 168/13.03.00/99/2000 **27 अप्रैल 2000**
7 वैशाख 1922 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति -
ब्याज दर नीति

कृपया आप हमारे गवर्नर महोदय का 27 अप्रैल 2000 का पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 196 / 07.01.279 / 99-2000, देखें, जिसके साथ 'वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति' पर वक्तव्य प्रति संलग्न की गयी है । जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरों का क्रमिक रूप से विनियमन हटाने की नीति अपना रहा है । अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने और कठोरता समाप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय तत्काल लागू किये गये हैं ।

(i) अवधि-संबद्ध मूल उधार दर

बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी है कि वे अलग-अलग अवधिपूर्णताओं के लिए अलग-अलग मूल उधार दरें (पी. एल. आर.) लागू करें । यह देखा गया है कि कुछ बैंक अवधि-संबद्ध मूल उधार दरों के अलावा पृथक (स्टेंड एलोन) मूल उधार दरें घोषित कर रहे हैं । यह निर्णय किया गया है कि जो बैंक अवधि-संबद्ध मूल उधार दर घोषित करने लगे हैं, उन्हें हमेशा उस विशिष्ट अवधि का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए घोषित मूल उधार दरें लागू हैं ।

(ii) नियत दर ऋण

जैसा कि 11 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. 100/13.07.01/99 में स्पष्टीकरण दिया गया है, नियत दर मीयादी ऋण देने की सुविधा आस्ति-देयता प्रबंधन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों सहित सभी मीयादी ऋणों और सभी प्रयोजनों के लिए उपलब्ध है । यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को यह स्वतंत्रता दी जाये कि वे सभी ऋण नियत या अस्थिर दरों पर दे सकते हैं । तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथायोग्य लागू मूल उधार दर की शर्तों का अनुपालन किया जाता है । ऋण की मंजूरी के समय मूल उधार दर के साथ मेल खाने के स्वरूप अर्थात् चाहे वह ऋण मंजूर करने के समय हो या ऋण वितरित करने के समय, को स्पष्ट किया जाना चाहिए । तथापि 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों के लिए 'मूल उधार दर से अधिक नहीं' (संगत अवधिपूर्णता के लिए) की शर्त लागू रहेगी ।

(iii) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए ऑनलाइन स्क्रीन आधारित स्वाप दरें

वर्तमान में, 28 अप्रैल 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 41बी/13.03.00/99 के अनुसार विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के मामले में पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस की स्वाप दरें उन ब्याज दरों के लिए उच्चतम दर नियत करने का आधार बनती हैं जो कि अगले सप्ताह में प्रभावी होती हैं । बाजार को और अधिक 'ऑनलाइन' बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों का प्रस्ताव करते समय अपने विवेकानुसार चालू स्वाप दरें चुनने का विकल्प दिया जाये । इस प्रकार बैंकों को किसी भी ऑनलाइन स्क्रीन आधारित सूचना प्रणाली पर उद्धृत स्वाप दरों का संदर्भ लेने की स्वतंत्रता होगी ।

(iv) अनिवासी बाह्य / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर

वर्तमान में, बैंकों को अपने विवेकानुसार 15 लाख रुपये और अधिक की समान अवधिपूर्णता की देशी मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें देने की छूट है । बैंकों को अनिवासी बाह्य / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर नियत / अस्थिर दरें प्रदान (ऑफर) करने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध है । यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को उनके विवेकानुसार अनिवासी बाह्य / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर भी विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने की अनुमति दी जाये । अनिवासी बाह्य जमाराशियों के मामले में यह 29 अप्रैल 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/13.03.00/98 के पैराग्राफ 1(ग) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार देशी मीयादी जमाराशियों की तरह होगा । विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के मामले में बैंकों को ऐसी विभेदक ब्याज दरों की पात्रता के लिए मुद्रावार न्यूनतम पात्र मात्रा निश्चित करने का विवेकाधिकार होगा । तथापि प्रदान की जानेवाली दरें निर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा की शर्त पर होंगी ।

27 अप्रैल 2000 के संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.166 एवं 167/ 13.03.00 / 2000 संलग्न हैं ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

टिप्पणी : 27 अप्रैल 2000 के संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 166/13.03.00/2000तथा 167/13.03.00/2000 संबंधित अध्याय अर्थात् अध्याय II- 'जमाराशि'में दर्शाये गये हैं।

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 **3 मई 2000**
13 वैशाख 1922 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मौद्रिक तथा ऋण नीति संबंधी उपाय

कृपया आप गवर्नर महोदय का 27 अप्रैल 2000 का पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 196/07.01.279/99-2000 देखें, जिसके साथ 'वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति' संबंधी वक्तव्य की प्रति संलग्न की गयी है । उसमें बताये गये कुछ नीतिगत परिवर्तनों के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं :

1. जमा प्रमाणपत्र योजना

जमा प्रमाणपत्र योजना के संबंध में हमारे 6 जून 1989 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 134/65-89 के पैराग्राफ 5 के अनुसार जमा प्रमाणपत्र की पूर्णता-अवधि तीन महीने से कम नहीं होनी चाहिए । इन्हें वाणिज्यिक पत्र और मीयादी जमाराशियों जैसे अन्य लिखतों के अनुकूल करने की दृष्टि से **यह निर्णय किया गया है कि जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम अवधिपूर्णता घटाकर 15 दिन कर दी जाये । तदनुसार बैंकों द्वारा जारी किये जानेवाले जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम अवधिपूर्णता अब से 15 दिन होगी । जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम रुद्धता अवधि 29 अप्रैल 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/13.03.00/98 के अनुसार घटाकर पहले ही 15 दिन की जा चुकी है । बैंकों द्वारा जारी किये जानेवाले जमा प्रमाणपत्रों से संबंधित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं ।**

2. बैंकों द्वारा रखा जानेवाला अपेक्षित नकदी शेष

कृपया 24 अक्तूबर 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 128/12.01.001/94-95 का पैराग्राफ (ख) देखें, जिसके अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले दिन से प्रारंभ करके 13वें दिन तक अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी शेष के 85 प्रतिशत का स्तर बनाये रखना चाहिए और बैंकों को यह अनुमति है कि वे रिपोर्टिंग पखवाड़े के 14वें दिन अपेक्षित स्तर के दैनिक शेष के औसत को समायोजित करने के लिए अपेक्षित नकदी शेष के 85 प्रतिशत से कम का स्तर रख सकते हैं ।

बैंकों को इस बारे में और लचीलापन प्रदान करने तथा अवधि के दौरान नकदी प्रवाह के अनुसार प्रारक्षित नकदी शेष रखने की अधिकाधिक उपयोगी कार्य-नीति चुनने की सुविधा देने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि रखे जानेवाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी शेष की न्यूनतम अपेक्षा को 85 प्रतिशत से घटाकर 6 मई 2000 से प्रारंभ पखवाड़े से 65 प्रतिशत कर दिया जाये ।

3. अनुषंगी कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता

बैंकों की अनुषंगी कंपनियों के तुलनपत्र वर्तमान में न तो मूल बैंक के तुलन-पत्र के अनुसार समेकित किये जाते हैं और न ही अनुषंगी कंपनियों के लिए कोई एकसमान पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित किया गया है । बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासल समिति ने प्रस्ताव रखा है कि पूंजी पर्याप्तता का नया ढांचा समेकित आधार पर विस्तृत किया जाये, जिसमें धारक कंपनियों को, जो बैंकिंग समूहों की मूल हैं, शामिल की जायें । विवेकपूर्ण विचार के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल सर्वोत्तम प्रथायें अपनाना आवश्यक है, जिनमें स्थानीय स्थितियां भी विधिवत् परिलक्षित हों ।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अनुषंगी कंपनियों के अंतर्निर्मित जोखिम भारित घटकों को काल्पनिक (नोशनल) आधार पर अपने तुलन-पत्र में स्वेच्छा से शामिल करें, जो बैंकों की अपनी आस्तियों के लिए लागू जोखिम भार के अनुसार हों । इसलिए बैंक समय के साथ-साथ अपनी बहियों में अतिरिक्त पूंजी नियत करते रहें, ताकि कुछ समय बाद जब संपूर्ण समूह के लिए एकीकृत तुलन-पत्र की प्रणाली अपनायी जाये तो उनकी अपनी शुद्ध मूल्यवत्ता में गिरावट की संभावना न रहे । अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान बैंक की बहियों में मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ करके कई चरणों में किया जाये ।

4. ऋण सूचना ब्यूरो (सी. आइ. बी.)

देश में ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की रूपरेखा बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल की रिपोर्ट बैंकों को परिचालित की जा चुकी है । ऋण सूचना ब्यूरो से आशा है कि ऋण और निवेश के संबंध में बैंक और वित्तीय संस्थाएं शीघ्र निर्णय ले सकेंगी और साथ ही संस्थागत तंत्र के बेहतर होने से नयी अनर्जक आस्तियां पैदा नहीं होंगी । शुरुआत के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना और उक्त ब्यूरो की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए हाउसिंग विकास वित्त निगम (एच. डी. एफ. सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं । ये रूपरेखा इक्विटी सहभागिता, प्रबंधन-ढांचा, सुरक्षा मानकों, अधिकारों और देयताओं आदि से संबंधित होगी । प्रस्तावित ब्यूरो विभिन्न पार्टियों के संबंध में ऋण तथा अन्य जानकारी एकत्र करेगा और संभावित पार्टियों के साथ उस जानकारी को बांटेगा।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे इस प्रकार की जानकारी एक स्थान पर एकत्र और संग्रहीत करने के लिए अपनी आंतरिक व्यवस्था करें, ताकि जब कभी ब्यूरो की स्थापना हो, तो उसे यह जानकारी प्रेषित की जा सके ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 173/13.07.05/99/2000 **12 मई 2000**
22 वैशाख 1922 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई

कृपया उपर्युक्त विषय पर 11 नवंबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/13.07.05/98-99 का पैराग्राफ 3 देखें, जिसके अनुसार उधार देने संबंधी सामान्य सुरक्षा उपायों की शर्त पर, हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री से उत्पन्न और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भुनाये गये बिलों की पुनर्भुनाई की अनुमति दी गयी थी ।

2. हमें विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि दुपहिया / तिपहिया वाहनों की बिक्री से उत्पन्न बिलों के संदर्भ में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ बिल पुनर्भुनाई सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी जाये । हमें ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसे वाहनों की बिक्री काफ़ी बढ़ गयी है । साथ ही, इन वाहनों का बाज़ार भी काफ़ी व्यापक हुआ है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में / गत वर्षों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने ऐसे वाहनों के डीलरों तथा अलग-अलग ग्राहकों के ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है । वे इस क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरतों के वित्तपोषण की बढ़ती मांग को पूरा करने की स्थिति में भी हैं ।

3. उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि बैंक निम्नलिखित शर्तों पर दुपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री से उत्पन्न और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भुनाये गये बिलों की पुनर्भुनाई कर सकते हैं :

(i) निर्माता द्वारा बिल केवल डीलरों पर आहरित किये गये हों ;

(ii) बिल वास्तविक बिक्री लेनदेन के द्योतक होने चाहिए, जिसे चेसिस / इंजिन नंबर से सुनिश्चित किया जाये; और

(iii) बिलों की पुनर्भुनाई के पहले, बैंकों को चाहिए कि वे बिलों की भुनाई करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की वास्तविकता और पिछले रिकार्ड के बारे में आश्वस्त हो लें ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. एफएससी.बीसी. 177/24.91.001/99 **23 मई 2000**
2 ज्येष्ठ 1922 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग / सूचना मुद्रा बाजार में सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएं

प्रिय महोदय,

माँग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 23 सितंबर 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.92 / 24.91.001/99 देखें । यह निर्णय लिया गया है कि ए.एन.जेड.ग्रिंडलेज म्युचुअल फंड को **केवल उधारदाता के रूप** में माँग / सूचना मुद्रा बाजार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधि वाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

भाग IV

निवेश

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 7/24.76.002/99 **10 फरवरी 1999**
21 माघ 1920 (शक)

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 15 दिसम्बर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी. बीसी. 117 / 24.76.002/99 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब निम्नलिखित दो सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

12.29 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2010
12.32 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2011

3. इस संबंध में जारी किया गया 10 फरवरी 1999 का निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.6/ 24.76.002/99 संलग्न है ।

भवदीय

(राधे श्याम)
अपर मुख्य महाप्रबंधक

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 6/24.76.002/99 **10 फरवरी 1999**
21 माघ 1920 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2561 के अनुसरण में निम्नलिखित दो सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों पर उक्त सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

i) बैंक उक्त दो सरकारी प्रतिभूतियों के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे ;

ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

12.29 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2010
12.32 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2011

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 13/13.07.05/99

23 फरवरी 1999
4 फाल्गुन 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 8 अगस्त 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 78/13.07.05/98-99 देखें, हम यह सूचित करते हैं कि उक्त परिपत्र के अंतिम वाक्य को कृपया निम्नप्रकार प्रतिस्थापित करें :

' यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित उद्यम पूंजी निधियों के यूनिटों में निवेश भी इक्विटी लिखतों में निवेश के लिए निर्धारित पांच प्रतिशत की सीमा के भीतर शामिल किये जाने के पात्र हैं '।

भवदीय

(राधे श्याम)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 33/24.76.002/99 **21 अप्रैल 1999**
1 वैशाख 1921 (शक)

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 10 फरवरी 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 7/ 24.76.002/99 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.99 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2009 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 21 अप्रैल 1999 का निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 32/ 24.76.002/99 संलग्न है ।

भवदीय

(एन. एच. सिद्दीकी)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 32/24.76.002/99 **21 अप्रैल 1999**
1 वैशाख 1921 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2561 के अनुसरण में 11.99 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2009 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों पर 11.99 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2009 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

i) बैंक 11.99 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2009 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे ;

ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 24/4/1999 के परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 35/21.01.002/99 का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

2. (iv) उद्यम पूंजी में बैंकों के निवेश

8 अगस्त 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 78 /13.07.05 /98-99 के अनुसार बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयरों सहित शेयरों, कंपनियों के परिवर्तनीय डिबेंचरों और पारस्परिक निधियों के ऐसे यूनिटों के लिए, जिनकी राशि केवल कंपनी ऋण लिखतों में निवेश के लिए नहीं है, निर्धारित पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोजनार्थ समर्पित उद्यम पूंजी निधियों की इकाइयों में निवेश कर सकते हैं ।

उद्यम पूंजी के लिए वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा उस सीमा तक स्वत: बढ़ जायेगी, जिस सीमा तक बैंकों के निवेश उद्यम पूंजी (सूचना प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित उद्यम पूंजी निधियों के यूनिटों में निवेश सहित) में होंगे, जो इस शर्त पर होगी कि उद्यम पूंजी निधियां / कंपनियां सेबी (SEBI) के पास पंजीकृत हों।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 39/24.76.002/99 **23 अप्रैल 1999**
3 वैशाख 1921 (शक)

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 21 अप्रैल 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 33 / 24.76.002/ 99 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 23 अप्रैल 1999 का निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.38/ 24.76.002/99 संलग्न है ।

भवदीय

(एन. एच. सिद्दीकी)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 38/24.76.002/99 **23 अप्रैल 1999**
3 वैशाख 1921 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने, 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2561 के अनुसरण में, 11.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों पर 11.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2006 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

i) बैंक 11.68 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2006 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे ;

ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 74/24.76.002/99 **27 जुलाई 1999**
5 श्रावण 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

उक्त विषय पर कृपया 6 मई 1998 का हमारा परिपत्र सं. एफएससी.बीसी. 39/24.76.002/98 देखें ।

2. भारत सरकार ने 14 जुलाई 1999 की अपनी अधिसूचना (प्रति संलग्न) द्वारा पहले सूचित संस्थाओं के अलावा निम्नलिखित संस्थाओं को (जिनमें से 24 को पहले सिर्फ प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन करने की अनुमति दी गयी थी) खज़ाना बिलों में तथा भारत सरकार की ऐसी दिनांकित प्रतिभूतियों में, जो सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं, हाज़िर वायदा लेनदेन करने के लिए पात्र संस्थाओं के रूप में अधिसूचित किया है ।

- कैन बैंक म्युचुअल फंड
- भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
- भारतीय निर्यात आयात बैंक
- भारतीय साधारण बीमा निगम
- जीआइसी म्युचुअल फंड
- इंडियन बैंक म्युचुअल फंड
- भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
- आइडीबीआइ म्युचुअल फंड
- आइटीसी थ्रेड नीडल म्युचुअल फंड
- भारतीय जीवन बीमा निगम
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
- राष्ट्रीय आवास बैंक
- न्यू इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लि.
- ओरियंटल इंशूरेंस कंपनी लि.
- रिलायंस कैपिटल म्युचुअल फंड
- एसबीआइ म्युचुअल फंड

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट
- एलआइसी म्युचुअल फंड
- जे.एम. म्युचुअल फंड
- बिरला म्युचुअल फंड
- कोठारी पायोनियर म्युचुअल फंड
- जार्डिन फ्लेमिंग म्युचुअल फंड
- कोटक महिन्द्रा म्युचुअल फंड
- जेपी मार्गन सिक्युरिटीज इंडिया प्रा.लि.
- एबीएन अम्रो सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रा.लि.
- ड्यूश सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रा.लि.
- भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.
- बैंक ऑफ इंडिया म्युचुअल फंड
- सन एफ एंड सी म्युचुअल फंड
- प्रूडेंशिअल आइसीआइसीआइ म्युचुअल फंड
- हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि.
- स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
- सिकॉम लि.

अतः बैंक उक्त संस्थाओं के साथ विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड -3- उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(पूंजी बाजार और विदेशी वाणिज्यिक प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1999

का. आ. (अ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 16 की उप-धारा (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ.2561,दिनांक 27 जून, 1969 में और संशोधन करती है अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में -

(क) दूसरे परन्तुक में क्रम संख्या (xvii) के बाद निम्नलिखित क्रम संख्यांए जोड़ दी जाएं, अर्थात्:-

(xviii) कैनबैंक म्युचुअल फंड,
(xix) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(xx) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया,
(xxi) भारतीय साधारण बीमा निगम
(xxii) जी. आई. सी. म्युचुअल फंड,
(xxiii) इंडियन बैंक म्युचुअल फंड,
(xxiv) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश लिमिटेड,
(xxv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ,
(xxvi) आई. डी. बी. आई. म्युचुअल फंड,
(xxvii) आई. टी. सी. ग्रेड म्युचुअल फंड,
(xxviii) भारतीय जीवन बीमा निगम,
(xxix) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,
(xxx) राष्ट्रीय आवास बैंक;
(xxxi) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
(xxxii) ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
(xxxiii) रिलायन्स कैपिटल म्युचुअल फंड;
(xxxiv) एस. बी. आई. म्युचुअल फंड;
(xxxv) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक;

(xxxvi) भारतीय यूनिट ट्रस्ट;
(xxxvii) एल. आई. सी. म्युचुअल फंड;
(xxxviii) जे. एम. म्युचुअल फंड;
(xxxix) बिरला म्युचुअल फंड;
(xl) कोठारी पायनियर म्युचुअल फंड;
(xli) जार्डिन फ्लेमिंग म्युचुअल फंड;
(xlii) कोटक महिंद्रा म्युचुअल फंड;
(xliii) जे. पी. मार्गन सिक्योरिटिज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड;
(xliv) ए. बी. एन. एमरो सिक्योरिटिज (इंडिया) प्रा. लीमटेड;
(xlv) ड्यूश सिक्योरिटिज (इंडिया) प्रायवेट लिमिटेड
(xlvi) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक ;
(xlvii) बैंक ऑफ इंडिया म्युचुअल फंड;
(xlviii) सन एफ एण्ड सी म्युचुअल फंड;
(xlix) प्रुडेन्शियल आई. सी. आई. सी. आई. म्युचुअल फंड;
(l) आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड;
(li) स्टाक होल्डिग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;
(lii) साइकॉम लिमिटेड

(ख) तीसरा परन्तुक हटा दिया जाए;

(ग) चौथे परन्तुक में, शब्द और तीसरा परन्तुक हटा दिया जाए;

(घ) चौथे परन्तुक के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में, क्रम संख्या (xxvii-ढ) के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं जोड़ दी जाएं ,अर्थात :-

(xxviiण) कोटक महिन्द्रा म्युचुअल फंड का अर्थ है कोटक महिन्द्रा फायनेंस द्वारा प्रायोजित ट्रस्ट और इसकी प्रबंध व्यवस्था कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी कोटक महिन्द्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा की जा रही है और इसका पंजिकृत कार्यालय 229 बख्तावर, दूसरा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 में स्थित है;

(xxvii-त) जे. पी. मार्गन सिक्योरिटिज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजिकृत कार्यालय वकिल्स हाउस, पहला तल, 18 म्राट रोड, बलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001 में स्थित है;

(xxvii-थ) ए. बी. एन.-एमरो सिक्योरिटिज (इंडिया) प्रा. लि. का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय 102, डालामल हाउस, नरीमन प्वाइंट, मुंबई- 400 021 में स्थित है;

(xxvii-द) ड्यूश सिक्योरिटिज (इंडिया) प्रा. लि. का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय टॉलस्टाय हाउस, 13/17 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली- 110 001 में स्थित है;

(xxvii-ध) इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय 19, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता - 700 001 में स्थित है;

(xxvii-न) बैंक ऑफ इंडिया म्युचुअल फण्ड का अर्थ है बैंक ऑफ इंडिया प्रायोजित ट्रस्ट और इसकी प्रबंध व्यवस्थ कंपनी अधिनियम , 1956(1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट द्वारा की जा रही है और इसका पंजीकृत कार्यालय स्टाक एक्सचेंज बिल्डिंग, 24 वा तल, जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001 में स्थित है;

(xxxi-प) सन एफ. एन्ड सी. म्यूचुअल फंड का अर्थ है फॉरेन ॲन्ड कोलोनियल एमेंजिंग मार्केट लि., यू. के द्वारा प्रायोजित ट्रस्ट और इसकी प्रबंध व्यवस्था कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी सन एफ एन्ड सी. एसेट मैनेजमेंट (आइ) प्रा. लि. द्वारा की जा रही है और इसका पंजीकृत कार्यालय विश्व व्यापार केन्द्र, 19 वा तल, कफ परेड, मुंबई- 400 005 में स्थित है;

(xxvii-फ) प्रूडेन्शियल आई. सी. आई. सी. आई. म्यूचुअल फंड का अर्थ है आई. सी. आई. सी. आई.लिमिटेड एण्ड प्रूडेन्शियल कारपोरेशन पी. एल. सी. द्वारा अपनी सहायक कंपनी प्रूडेन्शियल कारपोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड के जरिए प्रायोजित ट्रस्ट और इसकी प्रबंध व्यवस्था कंपनी प्रूडेन्शियल आई. सी. आई. सी. आई. एसेट मॅनेजमेंट कंपनी लि. द्वारा की जा रही है और इसका पंजीकृत कार्यालय 206, अशोक इस्टेट , 24 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110 001 में स्थित है;

(xxvii-ब) आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का1) के तहत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, मुंबई - 400 020 में स्थित है ;

(xxxvii-भ) स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, दूसरा तल, 224 नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 में स्थित है;

(xxvii-म) साइकॉम लिमिटेड का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, निर्मल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 में स्थित है ।
एफ सं. 1/32/एस. ई. /97)

(डॉ. जे. भगवती)
संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- प्रमुख अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 839 दिनांक 27.06.1969 में प्रकाशित दिनांक 27.06.19969 के का. आ. 2561 के तहत जारी की गयी थी और परवर्ती अधिसूचनाएं का. आ. 425 (अ) और का. आ. 750 (अ) का. आ. 434 (अ) का. आ. 764 (अ) का. आ. 225(अ) और का. आ. 345 (अ) भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में क्रमश: 1.06.1994, 18.10.1994, 13.06.1996, 06.11.1997, 18.03.1998 और 24.04.1998 को प्रकाशित की गयी थी ।

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 77/24.76.002/99

29 जुलाई 1999
7 श्रावण 1921 (शक)

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 23 अप्रैल 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 39/ 24.76.002/99 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 12.30 प्रतिशत भारत सरकार स्टॉक, 2016 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 29जुलाई 1999 का निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी. 76/ 24.76.002/99 संलग्न है ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 76/24.76.002/99

29 जुलाई 1999
7 श्रावण 1921 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने, 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2561 के अनुसरण में, 12.30 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2016 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12.30 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2016 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

i). बैंक 12.30 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2016 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे ;

ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 84/24.76.002/99 **23 अगस्त 1999**

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 29 जुलाई 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी.77/ 24.76.002/ 99 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.40 प्रतिशत भारत सरकार क्षतिपूर्ति (ईराक को परियोजना निर्यात) बांड, 2003 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 23 अगस्त 1999 का निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 83/ 24.76.002/99 संलग्न है ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 83/24.76.002/99 **23 अगस्त 1999**

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने, 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2561 के अनुसरण में, 11.40 प्रतिशत भारत सरकार क्षतिपूर्ति (ईराक को परियोजना निर्यात) बांड, 2003 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.40 प्रतिशत भारत सरकार क्षतिपूर्ति (ईराक को परियोजना निर्यात) बांड, 2003 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

i) बैंक 11.40 प्रतिशत भारत सरकार क्षतिपूर्ति (ईराक को परियोजना निर्यात) बांड, 2003 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे ;

ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 126/24.76.002/99 **24 नवंबर 1999**
3 अग्रहायण 1921 (शक)

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 23 अगस्त 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 84/ 24.76.002/ 99 देखें ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2014 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 24 नवंबर 1999 का निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.125 / 24.76.002/99 संलग्न है ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बाराव)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 125/24.76.002/99

24 नवंबर 1999
3 अग्रहायण 1921 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लिखित) ने, 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2561 के अनुसरण में, 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2014 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2014 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

i) बैंक 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2014 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे ;

ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 150/24.76.002/99/2000 **23 मार्च 2000**
3 चैत्र 1922 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष /
मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा संविदा

भारत सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अंतर्गत जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 2561 के अनुसार जिन प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनदेनों को सरकार ने विशिष्ट रूप से छूट दी है उनको छोड़कर अन्य सभी प्रतिभूतियों की वायदा संविदाओं पर प्रतिबंध है । अब भारत सरकार ने 1969 की उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया है और सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाज़ार प्रतिभूतियों, स्वर्ण संबंधी प्रतिभूतियों तथा इन प्रतिभूतियों पर आधारित व्युत्पन्नों एवं सभी ऋण प्रतिभूतियों की हाज़िर वायदा संविदाओं के विनियमन के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, की धारा 16 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया है । इस संबंध में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं की प्रतियां आपकी जानकारी के लिए संलग्न हैं ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के द्वितीय परंतुक के अनुसार परंतुक में यथावर्णित हाज़िर वायदा संविदायें (प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा संविदाओं सहित) नीचे बताये गये नियमों और शर्तों के अनुसार और सहभागियों के बीच की जा सकती हैं :

(क) हाज़िर वायदा संविदायें केवल खज़ाना बिलों और भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी की गयी सभी अवधिपूर्णताओं की दिनांकित प्रतिभूतियों में की जायें ।

(ख) ऊपर (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की हाज़िर वायदा संविदायें किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा दूसरी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आनुषंगिक सामान्य लेजर (एस. जी. एल.) खाता और चालू खाता रखनेवाले व्यक्ति के साथ की जायें । वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय में एस. जी. एल. और चालू खाता रखनेवाली बैंकों से इतर कंपनियों आदि की सूची संलग्न पर्ची के अनुबंध- V में दी गयी है ।

(ग) इस प्रकार की हाज़िर वायदा संविदाओं का निपटान मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक में सहभागियों के एस. जी. एल. खाते के माध्यम से ही किया जायेगा ।

(घ) निवेश संविभाग में प्रतिभूतियां वास्तव में न होने पर कोई बिक्री लेनदेन नहीं किया जाना चाहिए ।

(ङ) प्रतिभूतियों के लेनदेनों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये और लागू अन्य सभी अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

3. इस संबंध में जारी किया गया 23 मार्च 2000 का निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 149 / 24. 76. 002 / 2000 संलग्न है ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 149/24.76.002/2000 **23 मार्च 2000**
3 चैत्र 1922 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

भारत सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 29ए के अंतर्गत जारी 01 मार्च 2000 की अधिसूचना सं. 183(ई) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे *बैंक* के रूप में उल्लिखित) को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए *बैंक* ने 01 मार्च 2000 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 185(ई) जारी की है । उक्त अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध है कि बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों का अनुपालन करके उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सहभागियों द्वारा और उसमें बताये गये ढंग से हाज़िर वायदा लेनदेन किये जा सकते हैं । तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियिमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा बैंकों को निम्नलिखित शर्तों पर हाज़िर वायदा लेनदेन करने की अनुमति प्रदान करता है :

(क) हाज़िर वायदा संविदायें केवल खज़ाना बिलों और भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी की गयी सभी अवधिपूर्णताओं की दिनांकित प्रतिभूतियों में की जायें ।

(ख) ऊपर (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की हाज़िर वायदा संविदायें किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा दूसरी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आनुषंगिक सामान्य लेजर (एस. जी. एल.) खाता और चालू खाता रखनेवाले व्यक्ति के साथ की जायें ।

(ग) इस प्रकार की हाज़िर वायदा संविदाओं का निपटान मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक में सहभागियों के एस. जी. एल. खाते के माध्यम से ही किया जायेगा ।

(घ) निवेश संविभाग में प्रतिभूतियां वास्तव में न होने पर कोई बिक्री लेनदेन नहीं किया जाना चाहिए ।

(ङ) प्रतिभूतियों के लेनदेनों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये और लागू अन्य सभी अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99 REGD. NO. D. L. 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप खण्ड (ii)

PART - II - Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2000/फाल्गुन 11, 1921

No. 135] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2000/PHALGUNA 11, 1921

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1मार्च 2000

का. आ. 186(अ)-प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 27 जून, 1969 की अधिसूचना स. का. आ. 2561 को निरस्त करती है।

[फा सं. 1/55/एस.ई./97]

डॉ. जे. भगवती, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड [ii] के पृष्ठ 839 पर प्रकाशित, दिनांक 27 जून, 1969 को प्रकाशित दिनांक 27-6-1969 के का. आ. सं. 2561 के तहत जारी की गई थी और तदनंतर भारत के राजपत्र असाधारण के भाग -II, खण्ड 3,उप-खण्ड [ii] में क्रमशः दिनांक 1-6-1994, 18-10-1994, 13-6-1996, 6-11-1997, 18-3-1998, 24-4-1998 तथा 14-7-1999 को प्रकाशित का. आ. सं.425 (अ), का. आ. सं. 750 (अ), का. आ. सं.434(अ), का. आ. सं. 764 (अ), का. आ. सं. 225(अ),का. आ. सं.345(अ) तथा का. आ. सं.581 (अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Markets and External Commercial Borrowings Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2000

S.O. 186 (E) - In exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), number S.O. 2561, dated the 27 th June, 1969.

{File No. 1/55/SE/97}

Dr. J. BHAGWATI.Jt. Secy.

Foot Note:- The principle notification was issued vide S.o.No. 2561 dated 27-6-1969, published at page 839 in part II section 3, Sub-section(ii) of the Gazette of India Extra ordinary dated the 27th June, 1969 and subse quently amended vide S.O. No. 425(e), S.O. No. 750(e), S.O. No. 434(e), S.O. No. 764(e), S.O. No. 225(e), S.O. No. 345(e), and S.O. No. 581(e), published in part II, Section 3Sub-section (ii), of the Gazette of India, Extra ordinary dated 1-6-1994, 18-10-1994, 13-06-1996, 06-11-1997, 18-03-1998, 24-04-1998 and 14-07-1999 respectively.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(CAPITAL MARKETS AND EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, 1st march 2000,

S.O. 183(E)- In exercise of powers conferred by Section 29A of the Securities Contract (Regulation Act), 1956 (42 of 1946), the Central Government hereby amends the Notification of the Government of India, Ministry of Finance(Department of Economic Affairs), No. S.O. 573(E), dated the 30th July 1992 as follows, namely-

"Provided the powers exercisable by the Central Government under the said section 16 of the said Act, in relation to any contracts in Government securities, money market securities, gold related securities and in securities derived from these securities and in relation to ready forward contracts in bonds, debentures, debentures stock , securitised debt and other debt securities shall also be exercisable by the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934)

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered into in accordance with, --

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

(b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India:

(c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956)"

[File No. 1/55/SE/97}
Dr.J.BHAGWATI, JT.Secy.

THE GAZETTE OF INDIA

EXTRA ORDINARY

PART II SECTION 3 SUB-SECTION(ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
MUMBAI,THE 1st DAY OF MARCH 2000

NOTIFICATION

S.O. No.184 (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of securities contracts (Regulation)Act, 1956 (42 of 1956), read with Government of India Notification No. S.O.No. 573 (E) dated 13th July 1992and notification no 183(E) dated 1,March2000 issued under section 29a of the said act , the securities and exchange board of India (herein after referred to as the board) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of india hereby declare that no person in the territory to which the said act extends shall save with the permission of the board enter into any contract for sale or purchase of securities other than such spot delivery contract for cash or hand delivery or special delivery or contract in derivatives in as is permissible under the said act or the securities and exchange board of india act 1992 (15 of 1992) and rules and regulations made under such act and rules regulations and bye-laws of recognised stock exchange

Provided that any contracts for sale or purchase of government securuties or gold related securities, money market securities and ready forward contracts in debt securities entered into on the recognised stock exchange shall be entered into in accordance with -

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the direction issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts ;

(b) the rules made or guidelines or direction issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Acts, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India:

(c) the provisions contained in the notifications issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

File No. SEBI/LF/3650/2000

D.R.MEHTA
CHAIRMAN
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99 REGD. NO. D. L. 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप खण्ड (ii)

PART - II - Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2000/फाल्गुन 11, 1921

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2000/PHALGUNA 11, 1921

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 1 मार्च , 2000

का. आ. 185(अ). - प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम , 1956 (1956 का 42) की धारा 29ए के अंतर्गत भारत सरकार की दिनांक 1 मार्च 2000 की अधिसूचना सं.183 (अ) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक -

यह मानते हुए कि संपूर्ण भारत में प्रतिभूतियों के अवांछनीय सट्टे को रोकना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति ,

(क) उक्त अधिनियम ,संबंधित शेयर बाजारों के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अंतर्गत अनुमत हाजिर सुपुर्दगी संविदा अथवा मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में की जानेवाली संविदाओं को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण से संबंधित प्रतिभूतियों तथा मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा खरीद के लिए संविदा नहीं करेगा ।

(ख) बांडों, डिबेंचरों शेयरों, प्रतिभूतिकृत ऋण तथा किसी व्यक्ति अथवा केंद्र अथवा राज्य के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी निकाय द्वारा जारी की गयी अन्य ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं नही करेगा ।

लेकिन, कोई बैंकिंग कंपनी, कोई सहकारी बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सहायक सामान्य बही खाता अथवा चालू खाता रखनेवाला कोई व्यक्ति अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य कोई व्यक्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक सामान्य बही खाते के जरिए समस्त सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं कर सकता है ।

साथ ही, संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा की समाप्ति तक बकाया तैयार वायदा संविदाएं बनी रहेंगी:

यह भी शर्त है कि मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में की गयी ऐसी संविदाएं:

(क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 (1956 का 42) अथवा प्रतिभूति और भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा उपविधियों अथवा उक्त अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति अथवा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अंतर्गत अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (1973 का 46) के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी

(ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 (1956 का 42) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं में उल्लिखित उपबंधों के अनूसार की जाएंगी

स्पष्टीकरण

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

(क) बैंकिंग कंपनी से तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 के 10) की धारा 5 के खंड (सी) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी से है

(ख) सहकारी बैंक से तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 के 10) की धारा 56 के खंड (सी) के साथ पठित धारा 5 के खंड (सी सी आइ) में यथापरिभाषित बैंक से है।

[सं. आइडीएमसी.1/10.02.02/99-2000]

पी. आर. गोपालराव, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st March, 2000

S.O.185 (E).-- In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India under section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No. 183 (E) dated 1st March, 2000, issued under section 29A of the said Act, the Reserve Bank of India--

(i) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India hereby declares that no person in the territory to which the Act extends, shall, enter into any

(a) contract for the sale or purchase of Government securities, gold related securities and money market securities other than spot delivery contracts or such other contract traded on a recognised stock exchange, as is permissible under the said Act, rules and bye-laws of such stock exchange.

(b) ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock securitised debt, and other debt securites issued by any person or any body corporate established by or under a Central or State Act.

Provided that ready forward contracts may be entered into in all Government securities put through the Subsidiary General Ledger Account held with the Reserve Bank of India in accordance with terms and conditions as may be specified by Reserve Bank of India, by a banking company, a co-operative bank or any person maintaining a Subsidiary General Ledger Account and Current Account with the Reserve Bank of India or any other person permitted by the Reserve Bank of India:

Provided further that the outstanding ready forward contracts shall continue till termination of the contracts as per the contratual terms :

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered in accordance with -

a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the direction issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India;

c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act,1956 (42 of 1956).

Explanation

For the purpose of this notification :

a) "banking company" means a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

b) "co-operative bank" means a bank as defined in clause (cci) of section 5 read with clause (c) of section 56 of the Banking Regulation Act,1949 (10 of 1949).

[No.IDMC.1/10.02.02/99-2000]

P. R .GOPALA RAO. Executive Director

ANNEXURE I

[Paragraph 11.2(i)]

Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1 st March, 2000

S.O.186(E) - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 16 of the Securities Contracts (Regulation)Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), number S.O. 2561, dated the 27th June, 1969.

(File No. 1/55/SE/97)

Sd/-
Dr.J. BHAGWATI , Jt.Secy.

Foot Note : - The principle notification was issued vide S.O.No. 2561 dated 27.6.1969, published at page 839 in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 27th June, 1969 and subsequently amended vide S.O.No. 425(E),S.O.No. 750(E), S.O.No. 434(E), S.O. No. 764(E), S.O.No. 225(E), S.O.No. 345(E) and S.O. No.581(E), published in Part II, Section 3,Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 1.6.1994, 18.10.1994, 13.6.1996, 6.11.1997,18.3.1998, 24.4.1998 and 14.7.1999 respectively.

ANNEXURE II

[Paragraph 11.2(i)]

Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1 st March, 2000

S.O. 183(E) - In exercise of powers conferred by Section 29A of the Securities Contracts (Regulation Act), 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby amends the Notification of the Government of India, Ministry of Finance(Department of Economic Affairs), No. S.O. 573(E), dated the 30th July 1992 as follows, namely-

"Provided the powers exercisable by the Central Government under the said Section 16 of the said Act, in relation to any contracts in Government securities, money market securities, gold related securities and in securities derived from these securities and in relation to ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock , securitised debt and other debt securities shall also be exercisable by the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934)

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered into in accordance with --

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;
(b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India:
(c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956)"

[File No. 1/55/SE/97]

Sd/-
Dr.J.BHAGWATI, Jt.Secy.

ANNEXURE III

[Paragraph 11.2(i)]

Reserve Bank of India

NOTIFICATION

Mumbai, the 1 st March, 2000

S.O.185 (E). -- In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India under section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No. 183 (E) dated 1st March, 2000, issued under Section 29A of the said Act, the Reserve Bank of India--

(i) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India hereby declares that no person in the territory to which the Act extends, shall, enter into any

(a) contract for the sale or purchase of Government securities, gold related securities and money market securities other than spot delivery contracts or such other contract traded on recognised stock exchange, as is permissible under the said Act, rules and bye-laws of such stock exchange.

(b) ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock securitised debt, and other debt securities issued by any person or any body corporate established by or under a Central or State Act.

Provided that ready forward contracts may be entered into in all Government securities put through the Subsidiary General Ledger Account held with the Reserve Bank of India in accordance with terms and conditions as may be specified by Reserve Bank of India, by a banking company, a co-operative bank or any person maintaining a Subsidiary General Ledger Account and Current Account with the Reserve Bank of India or any other person permitted by the Reserve Bank of India:

Provided further that the outstanding ready forward contracts shall continue till termination of the contracts as per the contratual terms :

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchange shall be entered in accordance with -

a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the direction issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or The Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India;

c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act,1956 (42 of 1956).

Explanation

For the purpose of this notification :

a) "banking company" means a banking company as defined in clause (c) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

b) "co-operative bank" means a bank as defined in clause (cci) of Section 5 read with clause (c) of Section 56 of the Banking Regulation Act,1949 (10 of 1949).

[No.IDMC.1/10.02.02/99-2000]

Sd/-

P.R.GOPALA RAO, Executive Director

ANNEXURE IV

[Paragraph 11.2(i)]

The Gazette of India
Extra Ordinary
Part II Section 3 Sub-section (ii)
Published by Authority
Securities and Exchange Board of India

NOTIFICATION

Mumbai, the 1 st March, 2000

S.O. No.184 (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of The Securities Contracts (Regulation)Act, 1956 (42 of 1956), read with Government of India Notification No. S.O.No. 573 (E) dated 13th July 1992and notification no 183(E) dated 1,March2000 issued under section 29A of the said Act , the Securities and Exchange Board of India (herein after referred to as the Board) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India hereby declare that no person in the territory to which the said Act extends, shall, save with the permission of the Board enter into any contract for sale or purchase of securities other than such spot delivery contract or contract for cash or hand delivery or special delivery or contract in derivatives as is permissible under the said Act or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and the rules and regulations made under such Acts and rules, regulations and bye-laws of a recognised stock exchange.

Provided that any contract for sale or purchase of government securities or gold related securities , money market securities and ready forward contracts in debt securities entered into on the recognized stock exchange shall be entered into in accordance with -

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts ;
(b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulations Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India:
(c) the provisions contained in the notifications issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

File No. SEBI/LE/3650/2000

Sd/-
D.R.MEHTA
CHAIRMAN
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

अनुबंध V

[पैराग्राफ 11.2(i)]

हाज़िर वायदा संविदाएं करने के लिए बैंकों से इतर संस्थाओं की सूची

1. दि डिस्काउंट एंड फाइनान्स हाउस ऑफ इंडिया लि.
2. गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.
3. आइ सी आइ सी आइ सिक्युरिटीज एण्ड फाइनान्स कं. लि.
4. पी एन बी गिल्ट्स लि.
5. एस बी आइ गिल्ट्स लि.
6. सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
7. डी एस पी मेरिल लिंच लि.
8. सीएट फाइनान्सियल सर्विसेज लि.
9. कोटक महिन्द्रा कैपिटल कंपनी (असीमित)
10. बिरला ग्लोबल फाइनान्स कंपनी लि.
11. होअरे गोवेट (इंडिया) सिक्युरिटीज लि.
12. दिल विकास फाइनान्स लि.
13. एस आर ई आइ इंटरनेशनल सिक्युरिटीज प्रा. लि.
14 टॉवर कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि.
15. टाटा फाइनान्स सिक्युरिटीज लि.
16. कैन बैंक म्युचुअल फंड
17. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
18. भारतीय निर्यात आयात बैंक
19. भारतीय साधारण बीमा निगम
20. जी आइ सी म्युचुअल फंड
21. इंडियन बैंक म्युचुअल फंड
22. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
23. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
24. आइ डी बी आइ म्युचुअल फंड
25. आइ टी सी थ्रेड नीडल म्युचुअल फंड
26. भारतीय जीवन बीमा निगम
27. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
28. राष्ट्रीय आवास बैंक
29. न्यु इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लि.
30. ओरियंटल इंशूरेंस कंपनी लि.

ANNEXURE V

[Paragraph 11.2(i)]

The list of non-bank entities for entering into ready forward contracts

1) The Discount and Finance House of India Ltd.
2) Gift Securities Trading Corporation Ltd.
3) ICICI Securities and Finance Co. Ltd.
4) PNB Gilts Ltd.
5) SBI Gilts Ltd.
6) Securities Trading Corporation of India Ltd.
7) DSP Merrill Lynch Ltd.
8) Ceat Financial Services Ltd.
9) Kotak Mahindra Capital Company (unlimited)
10) Birla Global Finance Company Ltd.
11) Hoara Govett (india) securities Ltd.
12) Dil Vikas Finance Company Ltd.
13) SREI International Securities Pvt.Ltd.
14) Tower Capital and Securities Pvt Ltd.
15) Tata Finance Securities Ltd.
16) Canbank Mutual Fund
17) Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
18) Export Import Bank of India
19) General Insurance Corporation of India.
20) GIC Mutual Fund
21) India Bank Mutual Fund
22) Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd.
23) Industrial Development Bank of India
24) IDBI Mutual Fund
25) ITC Thread Needle Mutual Fund
26) Life Insurance Corporation of India
27) National Bank for Agriculture and Rural Development
28) National Housing Bank
29) New India Assurance Company Ltd.
30) Oriental Insurance Company Ltd.

31. रिलायंस कैपिटल म्युचुअल फंड
32. एस बी आइ म्युचुअल फंड
33. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
34. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
35. एल आइ सी म्युचुअल फंड
36. जे. एम. म्युचुअल फंड
37. बिरला म्युचुअल फंड
38. कोठारी पायोनियर म्युचुअल फंड
39. जार्डिन फ्लेमिंग म्युचुअल फंड
40. कोटक महिन्द्रा म्युचुअल फंड
41. जे पी मार्गन सिक्युरिटीज इंडिया प्रा. लि.
42. ए बी एन अम्रो सिक्युरिटीज इंडिया प्रा. लि.
43. ड्यूश सिक्युरिटीज इंडिया प्रा. लि.
44. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.
45. बैंक ऑफ इंडिया म्युचुअल फंड
46. सन एफ एंड सी म्युचुअल फंड
47. प्रूडेंशिअल आइ सी आइ सी आइ म्युचुअल फंड
48. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि.
49. स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
50. सिकॉम लि.
51. डुंडी म्युचुअल फंड
52. टेंपलटन म्युचुअल फंड
53. आइ डी बी आइ कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.
54. टाटा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड *खाता* टाटा म्युचुअल फंड
55. डी एस पी मेरिल लिंच म्युचुअल फंड
56. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
57. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
58. कॉर्पबैंक सिक्युरिटीज
59. जूरिक इंडिया म्युचुअल फंड
60. अलाइंस कैपिटल म्युचुअल फंड
61. आइ आइ एंड एफ एस म्युचुअल फंड
62. बॉब म्युचुअल फंड
63. नेशनल सिक्युरिटीज क्लीअरिंग कार्पोरेशन लि.
64. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.

31) Reliance Capital Mutual Fund
32) SBI Mutual Fund
33) Small Industries Development Bank of India
34) Unit Trust of India
35) LIC Mutual Fund
36) J.M.Mutual Fund
37) Birla Mutual Fund
38) Kothari Pioneer Mutual Fund
39) Jardine Fleming Mutual Fund
40) Kotak Mahindra Mutual Fund
41) JP Mogan Securities India Private Ltd.
42) ABN AMRO Securities (India) Pvt.Ltd.
43) Deutsche Securities (India) Pvt. Ltd.
44) Industrial Investment Bank of India Ltd.
45) Bank of India Mutual Fund
46) Sun F & C Mutual Fund
47) Prudential ICICI Mutual Fund
48) Housing Development Finance Corporation Ltd.
50) SICOM Limited
51) Dundee Mutual Fund
52) Tempeton Mutual Fund
53) IDBI Capital Market Services Ltd.
54) Tata Trustee Company Limited a/c Tata Mutual Fund
55) DSP Merrill Lynch Mutual Fund
56) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
57) Industrial Finance Corporation of India
58) Corpbank Securities
59) Zurich India Mutual Fund
60) Alliance Capital Mutual Fund
61) II&FS Mutual Fund
62) BoB Mutual Fund
63) National Securities Clearing Corporation Ltd.
64) National Securities Depository Ltd.

V

भाग V

अग्रिम



बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 2/13.07.05/99 **29 जनवरी 1999**
९ माघ 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

तात्कालिक ऋण

कृपया आप 21 अक्तूबर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. 138/13.07.05/97-98 देखें जिसके अनुसार बैंकों को प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कंपनियों को तात्कालिक ऋण मंजूर करने की अनुमति दी गयी है । इस प्रकार के ऋणों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों सहित कंपनियों के सामान्य शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों, प्रोन्नतकर्ताओं के अंशदान को पूरा करने के लिए कंपनियों को मंजूर किये गये ऋणों और पारस्परिक निधियों की उन स्कीमों के यूनिटों में, जिनकी राशि एकमात्र रूप से कंपनी ऋण लिखतों में निवेश नहीं की जाती है, बैंक के निवेशों के लिए निर्धारित पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के उच्चतम 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा में समायोजित किया जायें ।

2. यह निश्चय किया गया है कि प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर तात्कालिक ऋण देने के साथ ही अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, विदेशी वाणिज्यिक उधारों, सार्वभौमिक जमा रसीदों (जीडीआर) तथा / या विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के स्वरूप में निधियों पर तात्कालिक ऋण देने की बैंकों को अनुमति दी जाये, बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि उधार लेने वाली कंपनी ने उपर्युक्त संसाधनों / निधियों को जुटाने के लिए पहले ही ठोस व्यवस्थाएं कर ली हों ।

3. तात्कालिक ऋण मंजूर करने के लिए अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी ।

भवदीय

(राधेश्याम)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.बीसी. 11/08.95.005/98

15 फरवरी 1999
माघ 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 -
विशेष आदेश / सामान्य आदेश

कृपया 25 जुलाई 1978 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं.एलईजी 96 / सी. 235सी-78 देखें, जिसके साथ उस दिन के सामान्य आदेश बैंपविवि. सं. एलईजी. 320/सी.235 सी-78 की एक प्रति अग्रेषित की गयी थी, जिसके द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के प्रावधानों से छूट दी गयी है । यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अधिनियम के उक्त प्रावधानों से छूट रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों पर कुछ और प्रयोजनों के लिए भी अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों पर दी जानी चाहिए । इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 14 फरवरी 1997 के विशेष आदेश बैंपविवि.सं.733/09.11.013/97 तथा 29 सितंबर 1998 के सामान्य आदेश बैंपविवि. सं.415/ 08.95.005/ 98 की प्रतियां आपकी जानकारी के लिए संलग्न हैं ।

2. बैंकों को, उन प्रयोजनों और शर्तों का उल्लेख करते हुए , जिन पर ऐसे ऋण और अग्रिम उनके अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तावित हों, भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।

भवदीय

(सी . आर . जी . नायर)
सहायक महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. 733/09.11.013/97 **14 फरवरी 1997**

विशेष आदेश

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 20 की उप धारा (4) के अंतर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसमें उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नानुसार विनिर्देश देता है ।

उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिम शब्दों में ऐसे ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे, जो किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से और इसके द्वारा निर्धारित शर्तों पर उनके निजी उपयोग के लिए कार खरीदने के प्रयोजन के लिए स्वीकृत किये जाते है ।

स्पष्टीकरण :

इस आदेश में बैंकिंग कंपनी में ऐसे प्रत्येक बैंक शामिल हैं, जिन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 20 के प्रावधान लागू होंगे ।

(जे. आर. प्रभू)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. 415/08.95.005/98

29 सितंबर 1998
7 आश्विन 1920 (शक)

सामान्य आदेश

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसमें उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नानुसार विनिर्देश देता है :

यह कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "ऋण और अग्रिम" शब्दों में किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों पर अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अपने निजी उपयोग के लिए पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के प्रयोजन के लिए स्वीकृत ऋण या अग्रिम तथा त्यौहार अग्रिम शामिल नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :

इस आदेश में "बैंकिंग कंपनी" में ऐसे प्रत्येक बैंक शामिल हैं जिन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 20 के प्रावधान लागू होते हों।

(एस. गुरूमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

औनिऋवि. सं. 19/04.02.01/98-99 **3 मार्च 1999**

सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/
मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

निर्यात ऋण - ब्याज की दरें

कृपया 6 अगस्त 1998 का हमारा परिपत्र औनिऋवि. सं. 5/04.02.01/98-99 तथा मौद्रिक नीति विभाग का दिनांक 1 मार्च 1999 का परिपत्र सं. बीसी 184/07.01.279/98-99 देखें ।

2. हमारे मौद्रिक नीति विभाग के ऊपर संदर्भित परिपत्र के पैरा 3 में जैसा बताया गया है, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर लागू ब्याज की दरें 1 अप्रैल 1999 से संशोधित हो जाएँगी । संशोधित ब्याज दरों की जानकारी अनुबंध में संलग्न है ।

3. 1 अप्रैल 1999 से ब्याज दरों में संशोधन केवल नए अग्रिमों पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान अग्रिमों पर भी ऋण की शेष अवधि के लिए लागू होगा ।

4. ऊपर दी गई सूचना के अनुसार, रुपया निर्यात ऋण पर लागू ब्याज की दरों में किए गए परिवर्तन के संबंध में हमारे बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के दिनांक 3 मार्च 1999 के दिशानिर्देश बैं. प. वि. वि. सं. बीसी. 19/13.07.01./99 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

भवदीय

(म. गो. श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक

दिशानिर्देश बैं. प. वि. वि. सं. बीसी. 19/13.07.01/98-99 **3 मार्च 1999**

अग्रिमों पर ब्याज की दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, भारतीय रिज़र्व बैंक यह निर्देश देता है कि दिनांक 6 अगस्त 1998 के दिशानिर्देश बैं. प. वि. वि. सं. बीसी. 77/13.07.01/98 के अनुबंध में यथानिर्दिष्ट रुपया निर्यात ऋण के संबंध में लागू ब्याज की दरें इस दिशानिर्देश के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई सूचना के अनुसार 1 अप्रैल 1999 से संशोधित कर दी जाएँ।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए निर्यात ऋण पर ब्याज की दरें

प्रतिशत प्रतिवर्ष

		ब्याज की दरें		
		31 मार्च 1999 तक लागू वर्तमान दरें	(1 अप्रैल 1999 से लागू) मूलतः निर्धारित	अब संशोधित
1.	पोतलदानपूर्व ऋण			
क)	(i) 180 दिन तक	9.0	11.0	10.0
	(ii)180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	12.0	14.0	13.0
ख)	निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी में शामिल, सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन (इंसेंटिव) पर -90 दिन तक	9.0	11.0	10.0
2.	पोतलदानोत्तर ऋण			
क)	परिवहन अवधि के लिए मांग बिलों पर (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)	9.0	11.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
ख)	मीयादी बिल (निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारवहन अवधि और जहाँ लागू हो वहाँ छूट की अवधि सहित कुल अवधि के लिए			
	(i) 90 दिन तक	9.0	11.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
	(ii) पोतलदान की तारीख से 90 दिन से अधिक और 6 माह तक	11.0	13.0	12.0
ग)	निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी में शामिल, सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन (इंसेंटिव) पर - 90 दिन तक	9.0	11.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
घ)	आहरित न की गई शेष राशि पर (90 दिन तक)	9.0	11.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
ङ)	पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के अंदर भुगतान योग्य प्रतिधारण धन (केवल आपूर्ति भाग पर) (90 दिन तक)	9.0	11.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
3.	आस्थगित ऋण			
	180 दिन से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त*	मुक्त*	मुक्त*
4.	अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया ऋण			
क)	पोतलदानपूर्व ऋण	मुक्त*	मुक्त*	मुक्त*
ख)	पोतलदानोत्तर ऋण	20.0 (न्यूनतम)	20.0 (न्यूनतम)	20.0 (न्यूनतम)

* मुक्त = लिए जाने वाले ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र है ।

बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 25/21.03.038/98/99 **30 मार्च 1999**
9 चैत्र 1921(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

देय राशियों की वसूली हेतु बैंकों द्वारा मुकदमे दायर करना

जैसा कि बैंकों को विदित है कि अनर्जक आस्तियों का स्तर कम करने के लिए उधारकर्ताओं से आस्तियों को प्राप्त करने और देय राशियों की वसूली हेतु समय पर और समुचित कानूनी कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है । किसी उधार खाते के संबंध में मुकदमा दायर करने का निर्णय सामान्यतः बैंकों द्वारा अपनी ऋण नीति के अनुसरण में तथा आरोपों के मौजूद होने / लागू होने की संभावना, परिसीमन अवधि; लगने वाले समय और लागत को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है । बैंकों की बहियों में लबे समय से बकाया हानि-आस्तियों के संबंध में त्वरित रूप से कानूनी वसूली प्रक्रिया आरंभ करने के लिए समयावधि निर्धारित करने की आवश्यकता का हाल ही में परीक्षण किया गया था । हम सूचित करते हैं कि ऐसे मामलों में जहां हानि आस्तियां बिना किसी कानूनी कार्रवाई के 2 वर्ष से अधिक समय से बैंक की बहियों में हैं वहां बैंक, प्रबंध समिति / बोर्ड को एक पुनरीक्षण नोट प्रस्तुत करें जिसमें इस बात के विशिष्ट कारण दिये जायें कि मुकदमें क्यों नहीं दायर किये गये हैं । ऐसा पुनरीक्षण प्रबंध समिति / बोर्ड के समक्ष 30 सितंबर और 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक छमाही प्रस्तुत किया जाये ।

इस पुनरीक्षण की एक प्रति बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाये जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपके बैंक का प्रधान कार्यालय आता है ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 26/08.95.005/99

1 अप्रैल 1999
11 चैत्र 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 -सामान्य आदेश

कृपया 15 फरवरी 1999 का हमारा परिपत्र सं. बीसी. 11/08.95.005/98-99 देखें, जिसके साथ 14 फरवरी 1997 के विशेष आदेश बैंपविवि. सं.733/09.11.013/97 तथा 29 सितम्बर 1998 के सामान्य आदेश बैंपविवि. सं. 415/ 08.95.005/98 की एक-एक प्रति अग्रेषित की गयी थी, जिसके द्वारा अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उक्त प्रावधानों से छूट दी गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अधिनियम के उक्त प्रावधानों से उक्त आदेशों में दी गयी छूट रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों पर और उसमें निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके पूर्णकालिक निदेशकों को स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों पर भी दी जानी चाहिए। इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 8 फरवरी 1999 के सामान्य आदेश सं. 938/ 08.95.005/99 की एक प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है।

2. जिन प्रयोजनों के लिए और जिन शर्तों पर ऐसे ऋणों और अग्रिमों को उनके पूर्णकालिक निदेशकों को स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है, उनका उल्लेख करते हुए बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। इस संबंध में आवेदन हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वे कार्य करते हैं।

भवदीय

(सी. आर. जी. नायर)
सहायक महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. 938/08.95.005/99 **8 फरवरी 1999**
19 माघ 1920 (शक)

सामान्य आदेश

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसमें उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नानुसार विनिर्देश देता है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "ऋण या अग्रिम" शब्दों में किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों पर अपने पूर्णकालिक निदेशक को अपने निजी उपयोग के लिए फर्नीचर, कार, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने अथवा मकान बनवाने / अर्जित करने के प्रयोजन के लिए दिये गये ऋण या अग्रिम शामिल नहीं होंगे ।

(ख़िजर अहमद)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 24 /4/1999 के परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 35/21.01.002/99 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे प्रस्तुत है:-

1) जमाराशियों पर ब्याज दरों का यौक्तिकीकरण

17 अक्तूबर 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 115 /13.07.01 /94 के अनुसार बैंक अपनी निधियों की लागत, लेनदेन-लागत और न्यूनतम अंतर को ध्यान में रखते हुए दो लाख रुपये तक के ऋणों के लिए अपनी ऋण दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मूल (आधार) ऋण दर होनी चाहिए । इस समय रिज़र्व बैंक निर्यातों, दो लाख रुपये तक के छोटे ऋणों और विभेदक ब्याज दर योजना जैसे कतिपय क्षेत्रों के लिए केवल रियायती ऋण दरें निर्धारित करता है, जो संबंधित बैंक की मूल ऋण दर से कम होती हैं । अल्पावधि ऋणों और 3 वर्ष एवं उससे अधिक के ऋण के लिए अलग-अलग ऋण दरें निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं । बैंकों को कुछ और लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से ब्याज दरों के संबंध में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) अवधि से संबद्ध मूल ऋण दर

बैंकों के नदेशक मंडल द्वारा निर्धारित मूल ऋण दर प्रणाली, जिसमें मूल ऋण दर और अधिकतम ऋण दर के बीच अंतर रहता है, कुछ समय से प्रचलन में है और पारदर्शिता एवं वस्तुपरकता के प्रयोजन को कमोवेश रूप में पूरा करती है । बैंकों और ऋणकर्ताओं से अनुरोध मिले हैं कि मूल ऋण दर को ऋण की अवधि से संबद्ध कर दिया जाये अर्थात् भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए अलग-अलग मूल ऋण दर हो ।

अत: यह निर्णय लिया गया है कि भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए अलग-अलग मूल ऋण दरें तय करने के लिए बैंकों को स्वतंत्रता दी जाये, बशर्ते कि मूलत: जिस पारदर्शिता और एकसमानता की अभिकल्पना की गयी है, उसका निर्वाह किया जाये ।

(ii) परियोजना वित्तपोषण के लिए नियत दर ऋण

इसी तरह उद्योग, विशेष रूप से परियोजना वित्त चाहनेवाले उद्योग, मीयादी ऋणों पर ब्याज दरों में स्थिरता का अनुरोध करते रहे हैं ।

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को नियत दर पर ऋण देने की अनुमति दी जाये, जो आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुकूल होने की शर्त पर होगी ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 47/21.04.012/99

11 मई 1999
21 वैशाख 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

जम्मू और काश्मीर राज्य में व्यापार
एवं उद्योग को रियायतें

कृपया आप 18 अगस्त 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.83/21.04.012/98 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए छूट / ऋण रियायत की अवधि 31 मार्च 1999 तक बढ़ा दी गयी थी । यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं / ग्राहकों को मौजूदा छूटें / ऋण रियायतें एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2000 तक की अवधि के लिए बनी रहेंगी ।

2. इस संबंध में कृपया अपने नियंत्रक / शाखा कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 69 /21.03.038/99 **12 जुलाई 1999**
21 आषाढ़ 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

देय राशियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा मुकदमा दायर करना

कृपया 30 मार्च 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/21.03.038/99 देखें, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि जहां हानि आस्तियां बैंकों की बहियों में दो वर्षों से अधिक पुरानी हैं और जिनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गयी है, उनके बारे में मुकदमा दायर नहीं करने के विशिष्ट कारण दर्शाते हुए छमाही अंतराल पर समीक्षा नोट प्रबंध समिति / बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए । कुछ बैंकों द्वारा यह अभ्यावेदन किया गया है कि चूंकि इस श्रेणी के अंतर्गत कम राशि के उधार खातों की संख्या काफी अधिक है, अतः एक सीमा निर्दिष्ट कर दी जाये ताकि प्रबंध समिति / बोर्ड द्वारा की जा रही समीक्षा बड़े खातों पर केन्द्रित की जा सके और उपयुक्त सुधारात्मक कदम तेजी से उठाये जा सकें । अतः यह निर्णय लिया गया है कि आगे से दो वर्ष से ज्यादा समय से बकाया पड़ी उन हानि आस्तियों के संबंध में, जिनमें कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गयी है, उक्त परिपत्र में निहित अन्य अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार समीक्षा की जाये ।

	आस्तियों का प्रकार	**निम्नलिखित द्वारा समीक्षा की जाये**
(क)	रु. 5.00 लाख और उससे अधिक की बकाया शेष राशि वाले उधार खाते	प्रबंध समिति / निदेशक बोर्ड
(ख)	रु.1.00 लाख से रु.5.00 लाख के बीच की बकाया शेष राशि वाले उधार खाते	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(ग)	रु.1.00 लाख से कम बकाया शेष राशि वाले उधार खाते	बैंक द्वारा निश्चित किये जानेवाले उपयुक्त स्तरों पर

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 78/21.04.009/99

4 अगस्त 1999
13 श्रावण 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंक गारंटियां

भारत सरकार से यह सूचना मिली है कि बैंकों द्वारा सरकारी विभागों के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम में दी गयी उन गारंटियों के संबंध में, जो समाप्त हो गयी हैं, पत्रादि सीधे भारत के राष्ट्रपति को भेजे जा रहे हैं जिससे राष्ट्रपति के सचिवालय को परिहार्य असुविधा हो रही है ।

2. आप भली-भांति जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय संघ से संबंधित कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे और भारत के राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जायेंगे । तथापि, भारत सरकार का कार्य अनेक मंत्रालयों / विभागों के द्वारा किया जाता है और यद्यपि गारंटियों जैसे दस्तावेजों में एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का नाम होता है फिर भी पत्राचार भारत के राष्ट्रपति के साथ नहीं, बल्कि सरकार के संबंधित मंत्रालय / विभाग के साथ किया जाना चाहिए ।

3. अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप इस संबंध में अपनी सभी शाखाओं को समुचित अनुदेश दें, ताकि भविष्य में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो ।

भवदीय

(जे. बी. म्हात्रे)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 93/21.02.036/99 **23 सितंबर 1999**
1 आश्विन 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

राहत बांडों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना

कृपया 18 मई 1993 का हमारा परिपत्र बीपी. बीसी. सं. 123/21.02.036/93 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि वे हमारे परिपत्र के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित शर्तों पर 10 प्रतिशत राहत बांड 1993 की जमानत पर अग्रिम मंजूर कर सकते हैं ।

2. जैसा कि बैंक जानते हैं, भारत सरकार ने समय-समय पर विभिन्न ब्याज दरों तथा अवधिपूर्णताओं वाले राहत बांड जारी किये हैं । हाल ही में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 1 जनवरी 1999 की अधिसूचना सं. 4 (1)-डब्ल्यू एण्ड एम/99 द्वारा 9 प्रतिशत राहत बांड 1999 जारी किये गये हैं; जिसकी योजना में (3 मई 1999 की अधिसूचना सं. एफ 4 (I) डब्ल्यू एण्ड एम/99 द्वारा) आशोधन करके बांडों को निर्भौतिक प्रारूप में अर्थात् बांड लेजर खाते के रूप में जारी करने का प्रावधान किया गया है । हमसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या बैंक इन बांडों की जमानत पर भी अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं । हम स्पष्ट करते हैं कि उक्त रूप में विभिन्न शृंखलाओं में जारी किये गये बांड भी ऋणों की स्वीकृति के लिए पात्र प्रतिभूति होंगे, बशर्ते हमारे उक्त परिपत्र में उल्लिखित ब्यौरेवार शर्तों का अनुपालन किया जाये : अर्थात्

(i) बैंकों को प्रयोजन की स्वीकार्यता, ऋण लेनेवाले की ऋण आवश्यकताओं की वास्तविकता तथा दी गयी निधियों के अंतिम उपयोग के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए तथा उन्हें जमानत के रूप में राहत बांडों की उपलब्धता मात्र से ही पूरी तरह निर्देशित नहीं होना चाहिए;
(ii) ब्याज की दर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ब्याज दरों संबंधी निदेशों के अनुसार होनी चाहिए; तथा
(iii) मूलधन और उपयुक्त दर पर ब्याज की चुकौती में चूक, यदि कोई हो, की स्थिति में सुरक्षा के लिए पर्याप्त मार्जिन रखा जाना चाहिए ।

3. कृपया इस संबंध में अपनी शाखाओं को आवश्यक अनुदेश, यदि पहले जारी न किया हो तो, जारी करें ।

भवदीय

(जे. बी. म्हात्रे)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 100 /13.07.01/99 **11 अक्तूबर 1999**
19 आश्विन 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अग्रिमों पर ब्याज दरें - नियत दर ऋण

कृपया 24 अप्रैल 1999 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 का पैरा 1(ii) देखें, जिसके अनुसार विशेषत: उन उद्योगों को, जिन्हें परियोजना वित्त की आवश्यकता होती है, नियत दर मीयादी ऋण प्रदान करने की अनुमति बैंकों को दी गयी थी, बशर्ते वे आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों ।

2. बैंक हमसे इस आशय के स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि क्या नियत दर के मीयादी ऋण अन्य प्रयोजनों अर्थात् आवास वित्त के लिए 2 लाख रुपये तक के अल्प ऋणों, शिक्षा ऋणों, उपभोक्ता ऋणों और अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए भी प्रदान किये जा सकते हैं । इस संदर्भ में हम स्पष्ट करते हैं कि यह सुविधा बैंकों को सभी **मीयादी ऋणों** (तीन साल और उससे अधिक अवधि के भीतर प्रतिदेय) के लिए और 2 लाख रुपये तक के अल्प ऋणों सहित सभी प्रयोजनों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

औनिऋवि. सं. 6/04.02.01/99-2000 **29 अक्तूबर 1999**

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

निर्यात ऋण - ब्याज दर

कृपया दिनांक 31 दिसंबर 1997 के हमारे परिपत्र औनिऋवि. सं. 32/04.02.01/97-98 के साथ पठित दिनांक 17 दिसंबर 1997 के हमारे परिपत्र औनिऋवि. सं. 26/04.02.01/97-98 का अवलोकन करें जिसके अनुसार पोतलदानोत्तर स्तर पर अन्यथा अनिर्दिष्ट निर्यात ऋण के लिए 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष (न्यूनतम) उच्चतर ब्याज दर निर्धारित की गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि यह शर्त हटा ली जाए (रिज़र्व बैंक के गर्वनर के दिनांक 29 अक्तूबर 1999 के पत्र सं. मौनीवि. बी. सी. 190/07.01.279/1999-2000 के साथ संलग्न वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋणनीति की मध्यावधिक समीक्षा के संबंध में गवर्नर महोदय के वक्तव्य का पैरा 36(iv) देखें) और ब्याज दर के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता बैंकों को दे दी जाए। तदनुसार 29 अक्तूबर 1999 से पोतलदानोत्तर स्तर पर अन्यथा अनिर्दिष्ट निर्यात ऋण के मामले में उपयुक्त ब्याज दर निश्चित करने के संबंध में बैंक स्वतंत्र होंगे। तथापि निर्यात संबंधी प्राप्तियों के प्रत्यावर्तन में जानबूझकर विलम्ब न किए जाने की बात सुनिश्चित करने से संबंधित वर्तमान प्रक्रिया लागू रहेगी। संशोधित ब्याज दर अनुबंध के परिशिष्ट में दी गई है।

2. तदनुसार दिनांक 16 अगस्त 1999 के हमारे परिपत्र औनिऋवि. सं. 2/04.02.01/1999-2000 के अनुबंध की मद सं. 3(बी) के सामने निर्दिष्ट अन्यथा अनिर्दिष्ट निर्यात ऋण श्रेणी के मामले में लागू ब्याज दर पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है।

3. 29 अक्तूबर 1999 से ब्याजदरों में किया गया उपर्युक्त संशोधन नये अग्रिमों के साथ-साथ वर्तमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू होगा।

4. ऊपर निर्दिष्ट स्थिति के अनुसार, रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर में किए गए परिवर्तन के संबंध में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के दिनांक 29 अक्तूबर 1999 के निर्देश बैंपविवि. सं. 105/13.07.01/99 की प्रतिलिपि संलग्न है।

5. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत अनुदेशों की नियम-पुस्तक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग तथा औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग) के पैरा 13 ए - III (5)(1) के अनुबंध - II की मद सं. 4(बी) में उल्लिखित 20.00 (न्यूनतम) शब्दों की जगह प्रतिबंधरहित पढ़ा जाए।

भवदीय

(व. गो. दामले)
मुख्य महाप्रबंधक

निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 105/13.07.01/99 **29 अक्तूबर 1999**

अग्रिमों पर ब्याज दर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि दिनांक 3 मार्च 1999 के निर्देश बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 19/13.07.01/99 के अनुबंध में मद सं. 4(बी) के सामने निर्दिष्ट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर 29 अक्तूबर 1999 से परिशिष्ट में बताये गये अनुसार परिवर्तित कर दी जाये ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

परिशिष्ट

ब्याजदर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)

	वर्तमान	नयी (29 अक्तूबर 1999 से)
4. अन्यथा अनिर्दिष्ट निर्यात ऋण		
(ख) पोतलदानोत्तर ऋण	20.00 (न्यूनतम)	प्रतिबंध रहित @

@ प्रतिबंध रहित - लिए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में निर्णय लेने के मामले में बैंक स्वतंत्र हैं ।

डीबीओडी सं. डीआइआर. बीसी. 106 /13.03.00/99/2000 **29 अक्तूबर 1999**
7 कार्तिक, 1921 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, 29 अप्रैल 1999 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 33/13.03.00/98 का अतिक्रमण करते हुए इसके द्वारा निदेश देता है कि 29 अक्तूबर 1999 से कोई भी वाणिज्य बैंक अपने द्वारा प्रदत्त ऋणों / अग्रिमों /नकदी ऋण / ओवर ड्राफ्ट अथवा दिये गये या उसके द्वारा नवीकृत किये जाने वाले वित्तीय निभाव अथवा मीयादी बिलों के बट्टे पर यहां अनुबंध में निर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज नहीं लगायेगा । अनुबंध में विनिर्दिष्ट ब्याज दरें तिमाही या इससे अधिक के अंतराल पर लगायी जायेंगी ।

2. इस निदेश के प्रयोजन के लिए मीयादी ऋण से अभिप्राय ऐसे किसी भी ऋण से है, जिसकी चुकौती कम से कम तीन वर्ष की अवधि में की जायेगी ।

3. इस निदेश में निहित कोई भी बात किसी वाणिज्य बैंक द्वारा निम्नलिखित को दिये गये या नवीकृत ऋणों या अग्रिमों या किये गये किसी अन्य वित्तीय निभाव पर लागू नहीं होगी -

(i) बैंक के पास रहनेवाली देशी / अनिवासी बाह्य (रुपया) /विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशि /जमाराशियों पर, बशर्ते जमाराशि /जमाराशियां उधारकर्ता के अपने नाम / उधारकर्ताओं के नामों पर हों अथवा उधारकर्ता के नाम अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हो /हों,

(ii) किसी सहकारी बैंक को या किसी अन्य बैंकिंग संस्था को,

(iii) अपने स्वयं के कर्मचारियों को ।

4. चयनात्मक ऋण नियंत्रण की शर्त पर पण्यों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों से संबंधित अन्य सभी शर्तें समय-समय पर जारी किये गये निदेशों में निहित शर्तों के अनुसार अप्रभावित बनी रहेंगी ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

अनुबंध

वाणिज्य बैंकों के रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दरों का विन्यास
(ब्याज कर छोड़कर)
29 अक्तूबर 1999 से लागू

सीमा की मात्रा	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)	
	वर्तमान मीयादी ऋण सहित सभी अग्रिम	**संशोधित (29 अक्तूबर 1999 से लागू)**
1. (क) 2 लाख रुपये तक	मूल ऋण दर से अधिक नहीं	मूल ऋण दर से अधिक नहीं
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक	मुक्त	मुक्त
2. (i) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	मुक्त	मुक्त@
(ii) शेयरों और डिबेंचरों /बांडों पर व्यक्तियों को ऋण	मुक्त	मुक्त@
(iii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में न आनेवाले अन्य निजी ऋण	मुक्त	मुक्त@
3. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के लिए ऋण दर		
चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों पर दिये जानेवाले ऋण / अग्रिम / नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट	मुक्त	मुक्त
4. निर्यात - ऋण		
(1) पोतलदान पूर्व ऋण		
(क) (i) 180 दिन तक	10.0	10.0
(ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन का	13.0	13.0
(ख) भा. नि. ऋ. गा. निगम की गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों पर (90 दिन तक)	10.0	10.0

	वर्तमान	संशोधित (29 अक्तूबर 1999 से लागू)
(2) पोतलदान के बाद का ऋण		
(क) मांग बिल - मार्गस्थ अवधि के लिए (जैसा कि भा.वि.मु.व्या. संघ द्वारा विनिर्दिष्ट है)	10.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
(ख) मीयादी बिल (निर्यात बिल की मीयादी अवधि, मार्गस्थ अवधि, जैसा कि भा.वि.मु.व्या. संघ द्वारा विनिर्दिष्ट है, और जहां लागू हो, वहां छूट अवधि को मिलाकर कुल अवधि)		
(i) 90 दिन तक	10.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
(ii) 90 दिन से अधिक और पोतलदान की तारीख से छः महीने तक	12.0	12.0
(iii) भा.नि.ऋ.गा. निगम की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों पर (90 दिन तक)	10.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
(iv) अनाहरित शेष राशि पर (90 दिन तक)	10.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
(v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण धन पर (केवल आपूरित भाग के लिए) (90 दिन तक)	10.0 से अधिक नहीं	10.0 से अधिक नहीं
(3) आस्थगित ऋण		
180 दिन से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त	मुक्त
(4) अन्यथा अविनिर्दिष्ट निर्यात ऋण		
(क) पोतलदानपूर्व ऋण	मुक्त	मुक्त
(ख) पोतलदान के बाद का ऋण	20.0 (न्यूनतम)	मुक्त
5. विभेदक ब्याज दर अग्रिम	4.0	4.0

	वर्तमान	संशोधित (29 अक्तूबर 1999 से लागू)
6. (क) अंतिम हिताधिकारियों और निर्विष्टि सहायता देनेवाली एजेंसियों को आगे ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास को छोड़कर) को प्रदत्त वित्त	6 (क) अंतिम हिताधिकारियों तथा निर्विष्टि सहायता देनेवाली एजेंसियों को आगे ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास को छोड़कर) को प्रदत्त वित्त के लिए 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों की श्रेणी की ऋण सीमाओं के लिए प्रत्येक बैंक की मूल ऋण दर से 1.5 प्रतिशत अंक कम की दर होगी ।	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना, ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र
6 (ख) अंतिम हिताधिकारियों को आगे ऋण देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को प्रदत्त वित्त	6 (ख) आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को प्रदत्त वित्त के लिए विभिन्न दरों पर ब्याज, बशर्ते वे लागू मूल ऋण दर से कम हों ।	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र
7. मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं में सहभागिता द्वारा कवर किये गये ऋण	जैसा कि उक्त मद 1 में निर्दिष्ट अन्य अग्रिमों पर लागू है	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना पुनर्वित्त प्रदान करने वाली एजेंसियों की शर्तों के अनुसार ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र
8. बिलों को भुनाना	जैसा कि उक्त मद 1 में निर्दिष्ट अन्य अग्रिमों पर लागू है	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र

टिप्पणी :

1. मुक्त @ : बैंक मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना, ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, ऐसे ऋणों के मामले में किसी रियायत की अनुमति देने का इरादा नहीं है, अत: बैंकों को मूल ऋण दर से कम ब्याज दर नहीं लगानी चाहिए, भले ही ऋण राशि कुछ भी हो ।
2. मुक्त : मूल ऋण दर और ब्याज अंतराल संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं ।
3. मध्यवर्ती एजेंसियां परिशिष्ट में सूचित की गयी हैं ।

परिशिष्ट

मध्यवर्ती एजेंसियों की एक निदर्शनात्मक सूची

1. कमजोर वर्गों को आगे ऋण देने के लिए राज्य प्रायोजित संगठन.@
2. कृषि निविष्टियों / उपकरणों के वितरक ।
3. राज्य वित्त निगम / राज्य औद्योगिक विकास निगम; जिस सीमा तक वे कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करते है ।
4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ।
5. खादी और ग्राम उद्योग आयोग ।
6. विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने वाली एजेंसियां ।
7. कमजोर वर्गों को आगे ऋण देने के लिए राज्य प्रायोजित संगठन ।
8. आवास और शहरी विकास निगम लि. (हुडको)
9. पुनर्वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां ।
10. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन (इन संगठनों के हिताधिकारियों की निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा उनके उत्पादों के विपणन के लिए) ।
11. स्वसहायता समूहों को आगे ऋण देनेवाली व्यष्टि वित्त संस्थाएं/गैर सरकारी संगठन ।

@ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं : ।

i. 5 एकड़ और कम की जोत वाले छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक काश्तकार और बटाईदार ;
ii. कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, जहां व्यक्तिगत ऋण संबंधी अपेक्षाएं रु. 25,000/- से अधिक न हों ।
iii. लघु और सीमांत किसान, बटाईदार, कृषि और कृषीतर श्रमिक, ग्रामीण कारीगर और गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवार हिताधिकारी हैं । पारिवारिक आय रु. 11,000/- वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
iv. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ।
v. हिताधिकारी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी अथवा अर्धशहरी क्षेत्रों में रु. 7200/- वार्षिक अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 6400/- वार्षिक से अधिक न हो । उनके पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिए अथवा उनकी भूधारिता (जोत) का आकार असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक न हो (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पर जोत का मानदण्ड लागू नहीं होता) ।
vi. मेहनतों की मुक्ति और पुनर्वास की योजना के अंतर्गत आनेवाले हिताधिकारी (एस एल आर्स) ।
vii. ग्रामीण गरीबों तक पहुंच के लिए स्व-सहायता समुहों को प्रदत्त अग्रिम ।

दिनांक 29/10/1999 के परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर.बीसी. सं. 114/13.03.00/99/2000 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

I. मूल ऋण दरों से संबंधित मानदंडों की समीक्षा

(क) वर्तमान में दो लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज दर का निर्धारण मूल ऋण दर से अधिक नहीं है और दो लाख रुपये से अधिक के ऋणों पर न्यूनतम ब्याज दर मूल ऋण दर है । बैंकों तथा बाज़ार के अन्य सहभागियों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा करके मूल ऋण दर संबंधी मानदंडों की आगे समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि बैंक निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में अपनी मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतत्र है :

(i) मीयादी ऋण देनेवाले संस्थाओं की पुनर्वित्त योजना में सम्मिलित ऋण

(ii) आवास वित्त संबंधी मध्यवर्ती एजेंसियों सहित मध्यवर्ती एजेंसियों को बैंक ऋण पर ब्याज दरें

(iii) बैंकों द्वारा बिल भुनाई

(iv) देशी / अनिवासी बाह्य रुपया / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर अग्रिम /ओवरड्राफ्ट

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

दिनांक 27/4/2000 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 168/13.03.00/99/2000 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

(i) अवधि-संबद्ध मूल उधार दर

बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी है कि वे अलग-अलग अवधिपूर्णताओं के लिए अलग-अलग मूल उधार दरें (पी. एल. आर.) लागू करें । यह देखा गया है कि कुछ बैंक अवधि-संबद्ध मूल उधार दरों के अलावा पृथक (स्टेंड एलोन) मूल उधार दरें घोषित कर रहे हैं । यह निर्णय किया गया है कि जो बैंक अवधि-संबद्ध मूल उधार दर घोषित करने लगे हैं, उन्हें हमेशा उस विशिष्ट अवधि का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए घोषित मूल उधार दरें लागू हैं ।

(ii) नियत दर ऋण

जैसा कि 11 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. 100/13.07.01/99 में स्पष्टीकरण दिया गया है, नियत दर मीयादी ऋण देने की सुविधा आस्ति-देयता प्रबंधन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों सहित सभी मीयादी ऋणों और सभी प्रयोजनों के लिए उपलब्ध है । यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को यह स्वतंत्रता दी जाये कि वे सभी ऋण नियत या अस्थिर दरों पर दे सकते हैं । तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथायोग्य लागू मूल उधार दर की शर्तों का अनुपालन किया जाता है । ऋण की मंजूरी के समय मूल उधार दर के साथ मेल खाने के स्वरूप अर्थात् चाहे वह ऋण मंजूर करने के समय हो या ऋण वितरित करने के समय, को स्पष्ट किया जाना चाहिए । तथापि 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों के लिए 'मूल उधार दर से अधिक नहीं' (संगत अवधिपूर्णता के लिए) की शर्त लागू रहेगी ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

औनिऋवि. सं.15/04.02.01/1999-2000 **25 मई, 2000**

सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष व
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

निर्यात ऋण - ब्याज दर

कृपया दिनांक 29 अक्तूबर 1999 का हमारा परिपत्र औनिऋवि. सं. 6/04.02.01/1999-2000 देखें जिसके अनुसार बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई थी कि वे पोतलदानोत्तर स्तर पर अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण श्रेणी के ऋणों के मामले में स्वयं उपयुक्त ब्याज दर निश्चित करें। अब यह निर्णय लिया गया है कि 26 मई 2000 से, बकाया निर्यात बिलों के मामले में, पोतलदानोत्तर स्तर पर अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋणों के लिए लागू ब्याजदर, बिलों के भुगतान के लिए नियत तारीख से 25 प्रतिशत (न्यूनतम) प्रतिवर्ष कर दी जाय। बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्यातक निर्यात की राशि का प्रत्यावर्तन नियत तारीख तक कर लें तथा वे इसमें विलम्ब न करें।

2. 26 मई 2000 से लागू होने वाला ब्याज दर उक्त संशोधन केवल नये अग्रिमों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू होगा।

3. दिनांक 25 मई 2000 के निदेश डीबीओडी. सं. बीसी. 178/13.07.01/2000 की, जिसमें रुपया निर्यात ऋणों पर ब्याज दर में किए गए उपर्युक्त परिवर्तन समाविष्ट हैं, प्रतिलिपि संलग्न है।

4. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक (बै.प.वि. विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग और औद्योगिक व निर्यात ऋण विभाग) द्वारा जारी की गई अनुदेश-पुस्तक के पैराग्राफ 13ए-III(5)(1) के संलग्नक II की मद 4(बी)पर निर्दिष्ट प्रतिबन्ध रहित शब्द की जगह 25.00 (न्यूनतम) पढ़ा जाए।

भवदीय

(एस.एस. गंगोपाध्याय)
मुख्य महाप्रबंधक

डीबीओडी सं.बीसी. 178/13.07.01/2000 **25 मई, 2000**

अग्रिमों पर ब्याज दर

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21 और 35 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, यह निदेश देता है कि, दिनांक 29 अक्तूबर 1999 के इसके निदेश डीबीओडी सं. डीआईआर.बीसी.105/13.07.01/99 के परिशिष्ट में मद सं.4(बी) के सामने रुपया निर्यात ऋण पर ब्याजदर इस निदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट में दिए गए निर्देश के अनुसार 26 मई 2000 से बदल दी जाए ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

संलग्नक : यथोपरि

		ब्याजदर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	
		वर्तमान	नई (26 मई 2000 से लागू)
4-	अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण		
(बी) पोतलदानोत्तर ऋण		प्रतिबन्ध रहित @	25.00 (न्यूनतम)

@ लिए जानेवाले ब्याज की दर निश्चित करने के लिए बैंक स्वतंत्र है ।

भाग VI

ऋण नियंत्रण (सामान्य)

बैंपविवि.सं. बीसी. 17/12.01.001/98/99 **1 मार्च 1999**
10 फाल्गुन 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी

कृपया हमारे मौद्रिक नीति विभाग का 01 मार्च 1999 का परिपत्र सं. एमपीडी/बीसी/183/07.01.279/ 98-99 देखें । नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी करने का निर्णय लिया गया है :

2. **प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से वर्तमान में यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निवल मांग और मीयादी देयताओं (शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत आने वाली देयताओं को छोड़कर) का 11.00 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रूप में रखें । 13 मार्च 1999 को प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखा जाने वाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निवल मांग और मीयादी देयताओं के 11.00 प्रतिशत से आधा प्रतिशत अंक घटाकर 10.50 प्रतिशत किया जा रहा है ।

3. यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव संबंधी अन्य सभी निर्धारण बने रहेंगे ।

4. 1 मार्च 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी.16/12.01.001/98-99 की एक प्रति संलग्न है ।

5. हम यह दुहराते हैं कि विधि के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार कुछ देयताओं पर शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण सहित देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर अलग-अलग निर्धारणों को देखते हुए कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 16/12.01.001/98-99

1 मार्च 1999
10 फाल्गुन 1920 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 20 अगस्त 1998 की अपनी अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी. 85/12.01.001 /98-99 का प्रतिस्थापन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 13 मार्च 1999 से आरंभ पखवाड़े से 10.5 प्रतिशत होगा ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं. बीसी. 18/12.02.001/98-99 **1 मार्च 1999**
10 फाल्गुन 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात के रखरखाव में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर

हम आपका ध्यान उप गवर्नर के 1मार्च 1999 के परिपत्र सं. एमपीडी.बीसी . 182/07.01.279/98-99 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार 1 मार्च 1999 को कारोबार की समाप्ति से बैंक दर 9.00 प्रतिशत वार्षिक से 1 प्रतिशत अंक घटाकर 8.00 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है । फलस्वरूप , प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात के रखरखाव में कमी की राशि पर लगायी जाने वाली दंडात्मक ब्याज दर, जो बैंक दर से संबद्ध होती है. 1 मार्च 1999 को कारोबार की समाप्ति से संशोधित कर दी गयी है ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 21/12.01.001/98/99

15 मार्च 1999
24 फाल्गुन 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - पात्र नकद शेष राशियों पर सूचना के लिए नियत पाक्षिक और तिमाही तदर्थ ब्याज दावे सूचित करने हेतु अंतिम फार्म 'ए' प्रस्तुत करना

कृपया 23 दिसंबर 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं.156/12.01.001/97-98 देखें, जिसके साथ तदर्थ ब्याज दावे की त्रैमासिक विवरणी का प्रोफार्मा भेजा गया था ।

2. यह पाया गया है कि कुछ बैंक सूचना के लिए नियत संगत पखवाड़ों के लिए फार्म 'ए' में अंतिम विवरणियां भेजने के बजाय फार्म 'ए' में अनंतिम विवरिणियों के आधार पर त्रैमासिक तदर्थ ब्याज दावे प्रस्तुत करते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बैंकों द्वारा रखे जाने वाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की राशि जैसे महत्वपूर्ण ब्योरे बाद में संशोधित करने पड़ते हैं । इसके कारण ब्याज दावों को निपटाने में विलंब होता है जिसका परिहार किया जा सकता है । इससे बचने के लिए बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करें :

(i) बैंक, हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित तिमाही के **सभी पखवाड़ों के लिए फार्म 'ए'में अंतिम विवरणी** प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद ही तदर्थ ब्याज दावा प्रस्तुत करें और प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रस्तुत तदर्थ ब्याज दावा विवरण में इस आशय का एक **प्रमाण पत्र** भी शामिल करें ।

(ii) इसके अलावा दावा विवरणों में दर्शाया गया औसत नकद शेष हमारे जमा लेखा विभाग द्वारा बैंकों को प्रस्तुत दैनिक शेष विवरण के अनुसार होना चाहिए और इस आशय का एक **प्रमाण पत्र** तदर्थ ब्याज दावा विवरण में शामिल किया जाना चाहिए ।

(iii) यदि किसी तिमाही के किन्हीं पखवाड़ों के दौरान कोई निधियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दो कार्यालयों के बीच मार्गस्थ हैं तो दावा विवरणों के साथ उनका भी अलग से उल्लेख किया जाये, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखे जाने वाले सही नकद शेष की गणना की जा सके ।

3. कृपया उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि हम ब्याज दावों को तेजी से निपटा सकें ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं. बीसी. 31/12.01.001/98-99 **20 अप्रैल 1999**
30 चैत्र 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी

कृपया 20 अप्रैल 1999 का गवर्नर का परिपत्र सं. एमपीडी/बीसी/185/07.01.279/ 98-99 देखें । जिसके साथ "वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति" पर विवरण संलग्न किया गया है । इस संबंध में हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

2. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) वर्तमान में यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निवल मांग और मीयादी देयताओं (शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत आने वाली देयताओं को छोड़कर) का 10.50 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रूप में रखें । 08 मई 1999 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखा जाने वाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निवल मांग और मीयादी देयताओं के 10.50 प्रतिशत से आधा प्रतिशत अंक घटाकर 10.00 प्रतिशत किया जायेगा ।

3. यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव संबंधी अन्य सभी निर्धारण बने रहेंगे ।

4. 20 अप्रैल 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी.30/12.01.001/98-99 की एक प्रति संलग्न है ।

5. हम यह दुहराते हैं कि विधि के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार कुछ देयताओं पर शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण सहित देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर अलग-अलग निर्धारणों को देखते हुए कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 30/12.01.001/98-99 **20 अप्रैल 1999**
30 चैत्र 1920 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1 मार्च 1999 की अपनी अधिसूचना सं. बैंपविवि.बीसी.16/ 12. 01. 001 / 98-99 का प्रतिस्थापन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जाने वाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 8 मई 1999 से आरंभ पखवाड़े से 10.00 प्रतिशत होगा ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं.आइबीएस.बीसी. 73 /23.67.001/99-2000 **21 जुलाई 1999**
30 आषाढ़ 1921(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विदेश से उधार लिये गये और निर्यातों के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये स्वर्ण के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात रखना

जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात आयात नीति 1997-2002 के पैरा 8.15 के अनुसार सोने के आयात के लिए प्राधिकृत किया है । इस संबंध में कृपया 14 मार्च 1998 के हमारे पत्र बैंपविवि.सं.आइबीएस. 1929/23.67.001/97-98 का अवलोकन करें (प्रति संलग्न), जिसके अनुसार 6 मार्च 1998 के एडी (जी.पी. सीरीज) परिपत्र सं. 7 के पैरा 2(i) के अंतर्गत प्राधिकृत बैंकों द्वारा विदेश से उधार लिया गया सोना बैंक की मांग और मीयादी देयताओं का हिस्सा होता है और उस पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात की शर्तें लागू होती हैं ।

2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि विदेश से सोना आयात करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों को विदेश से उधार लिये गये तथा निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये सोने के अंतर्गत उनकी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रखने से छूट प्रदान की जायेगी । यह छूट 31 जुलाई 1999 से प्रारंभ पखवाड़े से लागू होगी । इस संबंध में 21 जुलाई 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आइबीएस. 72/23.67.001/99-2000 की एक प्रति संलग्न है । तथापि, कुछ देयताओं पर विधि के अंतर्गत निर्दिष्ट शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी निर्धारणों सहित विभिन्न श्रेणियों की देयताओं पर अलग-अलग निर्धारणों को देखते हुए, विदेश से उधार लिये गये तथा निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये सोने के अंतर्गत देयताओं सहित कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर बैंक द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत अपेक्षित है ।

3. यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विदेश से उधार लिये गये तथा निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये सोने के अंतर्गत देयताओं पर सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने से 31 जुलाई 1999 से प्रारंभ पखवाड़े से छूट प्रदान की जाये । तथापि, चूंकि कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर सांविधिक चलनिधि अनुपात का वर्तमान निर्धारण 25 प्रतिशत है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (2ए) के अनुसार रखे जाने के लिए अपेक्षित सांविधिक न्यूनतम मात्रा है, अतः विदेश से उधार लिये गये तथा निर्यात

के प्रयोजन के लिए भारत में आभूषण निर्यातकों को उधार दिये गये सोने के अंतर्गत आनेवाली देयताओं सहित कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर बैंक द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी सांविधिक चलनिधि अनुपात 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

4. प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए सोने का मूल्यांकन रिपोर्टिंग शुक्रवार को लंदन की प्रातःकालीन नियत दर पर और रिपोर्टिंग शुक्रवार को डॉलर / रुपये की बंद हाजिर दर पर किया जायेगा ।

भवदीया

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1929/23.67.001/97-98

14 मार्च 1998
23 फाल्गुन 1919 (शक)

स्वर्ण आयात हेतु प्राधिकृत
बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

स्वर्ण का आयात

कृपया आप 6 मार्च 1998 का भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र एडी (जी.पी. सीरीज) परिपत्र सं. 7 देखें । उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 2 (1) के अनुसार विदेश से उधार लिया गया स्वर्ण बैंक की मांग और मीयादी देयताओं के भाग के रूप में माना जायेगा और इसलिए वह नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात के अधीन होगा ।

भवदीया

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.आइबीएस. बीसी. 72/23.67.001/99-2000 **21 जुलाई 1999**
30 आषाढ़ 1921

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (7) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा 31 जुलाई 1999 से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को (निर्यात आयात नीति - 1997 -2000 के पैरा 8.15 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेश से स्वर्ण आयात करने हेतु अधिकृत) विदेश से स्वर्ण उधार लेने और निर्यात करने के प्रयोजनार्थ आभूषण निर्यातकों को उधार देने के अंतर्गत अपनी देयताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अंतर्गत निर्धारित औसत आरक्षित नकदी अनुपात रखने से छूट प्रदान करता है ।

2. ऊपर निर्दिष्ट छूट (किसी अधिकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखे गये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत यथापरिकलित उसकी कुल मांग और मीयादी देयताओं के न्यूनतम 3 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी ।

(खिज़र अहमद)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. आइबीएस.बीसी. 96/23.67.001/99-2000 **5 अक्तूबर 1999**
13 आश्विन 1921(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

स्वर्ण जमा योजना - प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं से छूट

आपको विदित ही है कि रिज़र्व बैंक ने निर्यात नीति 1997-2002 के पैरा 8.15 के अनुसार स्वर्ण के आयात के लिए कुछ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्राधिकृत किया है । प्राधिकृत बैंकों द्वारा लागू करने के लिए प्रस्तावित स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत निष्क्रिय पड़े घरेलू सोने को जुटाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि भारत में जुटाये गये स्वर्ण से संबंधित जमाराशियों के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से उन बैंकों को छूट दी जाये जो स्वर्ण जमा योजना में भाग ले रहे हों । परंतु देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर अनेक निर्धारणों, जिनमें शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात भी शामिल है, की दृष्टि से किसी प्राधिकृत बैंक द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत देयताओं सहित उसकी कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत अपेक्षित है । इस संबंध में 5 अक्तूबर 1999 की अधिसूचना बैंपविवि.सं. आइबीएस. बीसी. 95/23.67.001/99-2000 की प्रति संलग्न है ।

2. जहां तक सांविधिक चलनिधि अनुपात का संबंध है, चूंकि सांविधिक चलनिधि अनुपात का वर्तमान निर्धारण कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं का 25 प्रतिशत है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24(2ए) के अनुसार रखी जाने वाली न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा है, अतः प्राधिकृत बैंकों द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी सांविधिक चलनिधि अनुपात, स्वर्ण जमा योजना के अधीन देयताओं सहित, कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा जुटाया गया सोना उस स्थिति में ही सांविधिक चलनिधि अनुपात के अंतर्गत पात्र आस्ति होगा जब बैंक ऐसे स्वर्ण को भौतिक रूप में अपने पास रखेंगे ।

3. बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं / पूंजी निर्धारण संबंधी अपेक्षाओं / तुलन-पत्र रूपांतर संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए स्वर्ण के रूप में आंकी गयी देयताओं और आस्तियों को रुपयों में परिवर्तित करें । स्वर्ण का रुपयों में परिवर्तन सोने के लिए प्रति अमेरिकी डॉलर लंदन की प्रातः निर्धारण दर को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित रुपया-डॉलर संदर्भ दर के साथ प्रति दर में बदलकर अर्थात् क्रॉसिंग द्वारा किया जाये । स्वर्ण का अंतिम मूल्य निकालने के लिए स्वर्ण के आयात के लिए लागू सीमा शुल्क को उपर्युक्त मूल्य में जोड़ा जायेगा ।

भवदीया

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 95/23.67.001/99-2000 **5 अक्तूबर 1999**
13 आश्विन 1921 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा स्वर्ण जमा योजना में सहभागी प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत भारत में जुटाये गये स्वर्ण से संबंधित देयताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अंतर्गत निर्धारित औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्रदान करता है ।

2. ऊपर निर्दिष्ट छूट किसी प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अंतर्गत यथापरिकलित उसकी कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.बीसी. सं. 113 /12.01.001/99-2000 **29 अक्तूबर 1999**
7 कार्तिक 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी

कृपया आप गवर्नर महोदय के 29 अक्तूबर 1999 के परिपत्र एमपीडी. बीसी. 190 /07.01.279/99-2000 के साथ संलग्न 'वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा' संबंधी वक्तव्य देखें । इस संबंध में हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

2. **(क) प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी :**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से वर्तमान में अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं (शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी निर्धारण के अधीन देयताओं को छोड़कर) के 10 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखें । स्थूल आर्थिक और मौद्रिक नीति संबंधी गतिविधियों की समीक्षा के प्रकाश में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात कम करने का निर्णय किया गया है । तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखा जानेवाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 10 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से दो किस्तों में घटाकर शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं का 09 प्रतिशत कर दिया जायेगा, जो निम्न प्रकार है :

निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ पखवाड़े से प्रभावी	शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)
06 नवम्बर 1999	9.50
20 नवम्बर 1999	9.00

(ख) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों (एफसीएनआर बी) के अंतर्गत देयताओं पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट :

वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1क) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं में

1 अप्रैल 1997 के स्तर से वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे । अब यह निर्णय किया गया है कि 06 नवम्बर 1999 से प्रारंभ पखवाड़े से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्रदान की जाये ।

3. इस बारे में 29 अक्तूबर 1999 की संबंधित अधिसूचनाओं बैंपविवि. सं. बीसी.110 /12.01.001 /99-2000 और बैंपविवि. सं. बीसी.111 /12.01.001/99-2000 की प्रतियां संलग्न हैं ।

4. हम यह पुनः कहना चाहते हैं कि कतिपय देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात, शून्य निर्धारण सहित देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के बहुविध निर्धारणों की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर 03 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि कानूनी रूप से निर्धारित है ।

5. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना के लिए प्रक्रिया में परिवर्तन :

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पखवाड़े के तुरंत बाद वाले शुक्रवार को विद्यमान शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के आधार पर पखवाड़े के दौरान प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे, जैसा कि 5 मार्च 1985 के हमारे परिपत्र डीबीओडी. सं. एलइजी. बीसी. 23/46ए-85 के पैराग्राफ 3 में दिये गये अनुदेशों में बताया गया है । बैंकों द्वारा नकदी प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से, उसे सरल बनाने के उपाय के रूप में, यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा निर्धारित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने में दो सप्ताह का अंतराल लागू किया जाये । इस प्रकार प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा पखवाड़े के दौरान रखा जानेवाला निर्धारित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर आधारित होगा । ये शुद्ध मांग और मीयादी देयतायें वे होंगी जो पिछले दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को हों । रखी जानेवाली प्रारक्षित निधि की गणना के लिए प्रक्रिया में यह परिवर्तन 06 नवम्बर 1999 से प्रारंभ पखवाड़े से लागू होगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधित क्रियाविधि के अंतर्गत बैंक 06 नवम्बर 1999 से प्रारंभ पखवाड़े के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना 22 अक्तूबर 1999 के रिपोर्टिंग शुक्रवार को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के आधार पर करेंगे ।

6. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने में लचीलापन :

सामान्यतः बैंक अपने वॉल्ट में न्यूनतम नकदी रखते हैं, क्योंकि यह बेकार पड़ी आस्ति होती है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता । शताब्दी की समाप्ति पर तारीख में परिवर्तन के संदर्भ में आकस्मिकता के रूप में बैंक नोटों की किसी भी अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को अपने कारोबारी लेनदेन पूरे करने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी वाल्ट नकदी रखनी होगी । वर्तमान में बैंक के हाथ में इस प्रकार की नकदी हालांकि सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए पात्र आस्ति होती है परन्तु इसे प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी अपेक्षाओं के लिए नहीं गिना जाता । सहस्राब्दी परिवर्तन के दौरान आकस्मिकता पूरी करने में बैंकों की सुविधा की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार बैंकों द्वारा हाथ में रखी गयी नकदी को 01 दिसम्बर 1999 से 31 जनवरी 2000 तक की दो महीने की सीमित अवधि के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अनुपालन के लिए पात्र माना जाये । यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अवधि में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजन

हेतु हाथ की जो नकदी गिनी जायेगी, उसे साथ ही साथ सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए पात्र नहीं माना जा सकता । 29 अक्तूबर 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. 112/12.01.001/99-2000 की प्रति संलग्न है ।

7. जैसा कि पहले बताया जा चुका है परिचालनात्मक सुविधा के लिए बैंकों द्वारा रखे जानेवाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को दो सप्ताह का बनाया जा रहा है । इस प्रकार 01 जनवरी 2000 से प्रारंभ पखवाड़े के दौरान रखा जानेवाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 17 दिसम्बर 1999 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के आधार पर होगा । दो सप्ताह की सुविधा से बैंकों को शताब्दी की तारीख परिवर्तन से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की अपेक्षा के अनुपालन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए । फिर भी, यदि किसी बैंक को वर्ष के अंत में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात पूरा करने में कोई विशेष असुविधा की आशंका हो तो वह उचित छूट / सहायता के लिए रिज़र्व बैंक से सम्पर्क कर सकता है ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी.110/12.01.001/99-2000 **29 अक्तूबर 1999**
7 कार्तिक 1921 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 अक्तूबर 1996 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी.30/12.01.001/98-99 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात नीचे उल्लिखित प्रभावी तारीखों से उनके सामने बताये गये प्रतिशत अंक होगा :

प्रभावी तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ पखवाड़ा)	**शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)**
06 नवम्बर 1999	9.50
20 नवम्बर 1999	9.00

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

डीबीओडी. सं. बीसी. 111/12.01.001/99-2000 **29 अक्तूबर 1999**
7 कार्तिक 1920 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (1ए) के साथ पठित उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 15 अप्रैल 1997 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि.सं. 44/ 12.01.001/ 96-97 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा 06 नवंबर 1999 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं में 11 अप्रैल 1997 को यथाविद्यमान स्तर से अधिक वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने की अपेक्षा को वापस लेता है ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

डीबीओडी. सं. बीसी. 112/12.01.001/99-2000

29 अक्तूबर 1999
7 कार्तिक 1920 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उनके द्वारा नकदी जमा बनाये रखने की अपेक्षा से उस सीमा तक छूट देता है जिस सीमा तक पहली दिसंबर 1999 से 31 जनवरी 2000 तक शुरू होने वाले दो महीनों की अवधि के लिए उनके हाथ में नकदी है, परंतु शर्त यह है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजन के लिए गिनी जाने वाली नकदी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (2ए) के अधीन सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए पात्र आस्ति नहीं होगी ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. 131 /12.01.001/99-2000 **28 दिसंबर 1999**
7 पौष 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 -
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर
तिमाही तदर्थ ब्याज का दावा प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा

कृपया आप 23 दिसंबर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 156 / 12.01.001/97-98 देखें, जिसके साथ तदर्थ ब्याज के दावे के तिमाही विवरण का प्रोफार्मा संलग्न किया गया था । जैसा कि आप जानते हैं, 29 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 113/12.01.001/99-2000 के पैरा 5 में निहित अनुदेशों के अनुसार 6 नवंबर 1999 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना की क्रियाविधि में परिवर्तन किया गया है । तदनुसार, पखवाड़े के दौरान प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला निर्धारित प्रारक्षित निधि अनुपात दूसरे पिछले पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उसकी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर आधारित होगा । इसके कारण तथा कुछ अन्य परिवर्तनों के कारण ब्याज के दावे प्रस्तुत करने के तिमाही विवरण में संशोधन करना जरूरी हो गया है । ब्याज का दावा प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर 1999 को समाप्त तिमाही से प्रयोग किया जाने वाला नया प्रोफार्मा बैंकों के उपयोग के लिए संलग्न है । नये प्रोफार्मा में तिमाही ब्याज के दावों को संकलित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाये :-

(i) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिसंबर 1999 में समाप्त तिमाही पहले तीन रिपोर्टिंग पखवाड़ों, अर्थात् 24.9.99 के रिपोर्टिंग पखवाड़े, 8.10.99 के रिपोर्टिंग पखवाड़े तथा 22.10.99 के रिपोर्टिंग पखवाड़े, के लिए अपना दावा ऊपर उल्लिखित 23.12.97 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 156/ 12.01.001 / 97-98 के साथ प्रेषित वर्तमान प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना होगा । इस तिमाही के शेष चार पखवाड़ों अर्थात् 22.10.99, 5.11.99, 19.11.99 तथा 3.12.99 के रिपोर्टिंग पखवाड़ों के लिए ब्याज दावा नये प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(ii) 29 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 113/12.01.001/99-2000 के पैरा 2(ख) के अनुसार विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों के अंतर्गत देयताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से 6.11.99 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से छूट प्राप्त है । इससे, अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली अनिवासी भारतीय देयताओं को 6 नवंबर 1999 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से वृद्धिशील प्रारक्षित निधि अनुपात रखने से छूट प्राप्त है । अतः वर्तमान प्रोफार्मा के कॉलम सं. 6, 7, 8, 13, 14 और 15 को नये प्रोफार्मा से हटा दिया गया है ।

(iii) 20 मई 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 44/12.01.001/98-99 के पैरा 2 के अनुसार 17 अप्रैल 1992 तक की शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के स्तर पर आधारित प्रत्येक बैंक द्वारा 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत रखा जानेवाला दो-तिहाई अतिरिक्त नकदी शेष 23 मई 1998 से शुरू पखवाड़े से 12 समान किस्तों में जारी किया गया है । चूंकि 3.5.91 के शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के स्तर के ऊपर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 13.3.99 से प्रारंभ पखवाड़े से पूरी तरह हटा दिया गया है, अतः वर्तमान प्रोफार्मा का कॉलम सं. 11 भी नये प्रोफार्मा से हटा दिया गया है ।

(iv) 29 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 113/12.01.001/1999-2000 के पैरा 6 के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी जानेवाली 'हाथ में नकदी' को 1 दिसंबर 1999 से 31 जनवरी 2000 तक की दो महीने की सीमित अवधि के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अनुपालन के रूप में माना जाये । बैंकों द्वारा अपने पास रखी जानेवाली नकदी को दर्शाने के लिए नया स्तंभ सं. 14 जोड़ा गया है, ताकि बैंक के पास धारित औसत नकदी शेष को दर्शाया जा सके । यह स्तंभ 1 दिसंबर 1999 से 31 जनवरी 2000 तक केवल दो महीनों के लिए प्रभावी होगा । स्तंभ सं. 15 सहित इस स्तंभ को जून 2000 को समाप्त तिमाही से ब्याज दावा प्रस्तुत करने के लिए हटा दिया जायेगा ।

(v) अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के 85 प्रतिशत तक का दैनिक शेष रखने की गणना करने के उद्देश्य से बैंक के अपने पास रखे जानेवाले 14 दिन (उपर्युक्त अवधि के दौरान) के लिए दैनिक (तारीखवार) नकदी जमा शेष का विवरण वर्तमान विवरण के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें पखवाड़े के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रहनेवाला दैनिक जमा शेष दर्शाया जाये ।

(vi) भारत विकास बांड (आइ डी बी) तथा यूरो निर्गम (यदि कोई हो) के अंतर्गत बकाया राशि विवरण में फुट नोट के रूप में दर्शायी जाये ।

(vii) जब तक अन्यथा सूचित न किया जाये तब तक संलग्न नये प्रोफार्मा को बाद की तिमाहियों के लिए भी उपयोग में लाया जाये ।

2. यह भी देखा गया है कि कुछ बैंक ब्याज का दावा विवरण अभी भी हमें कंप्रेस्ड प्रिंट आउट के रूप में भेज रहे हैं । उसमें दिये गये आंकड़े और अन्य ब्यौरे आसानी से पढ़े नहीं जा सकते । अतः आपको सूचित किया जाता है कि प्रस्तुत किये जानेवाले दावा विवरणों के ब्यौरे आकार, गुणवत्ता और प्रिंट की दृष्टि से उचित मानक वाले हों ।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि ब्याज के दावा विवरणों पर केवल वही अधिकारी हस्ताक्षर करें, जिनके हस्ताक्षर हमारे रिकार्ड में हैं । यदि हस्ताक्षरकर्ता बदल गया हो तो ऐसे अधिकारी / अधिकारियों के हस्ताक्षर हमारे पास पंजीकृत कराये जायें । कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
उप महा प्रबंधक

बैंक का नाम.....

.....को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गये पात्र नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाला विवरण

(राशि रुपयों में) स्तंभ सं. 3 से 16 में ,000 छोड़ दिया गया है

तथा स्तंभ सं. 17 में दो दशमलव तक वास्तविक आंकड़े होने चाहिए

क्र. सं.	रिपोर्टिंग शुक्रवार की तारीख अर्थात दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े का अंतिम शुक्रवार	बैंकिंग तंत्र के प्रति देयताओं के अंतर्गत बकाया राशि (शुद्ध) भारिबैं. अधिनियम, 1934, की धारा 42 (1) के स्पष्टीकरण का खंड (घ) (दूसरा पूर्ववर्ती पखवाड़ा)	निवल मांग और मीयादी देयताओं की मात्रा अर्थात I-III+II (यदि I-III) धनात्मक हो) या सिर्फ II (यदि I-III) ऋणात्मक हो) (दूसरा पूर्ववर्ती पखवाड़ा)	शून्य प्रारक्षित निधि निर्धारण संबंधी श्रेणियों के अंतर्गत आनेवाली देयताओं को छोड़कर स्तंभ सं.(2) में दर्शायी गयी तारीखों को शुद्ध देयताएं++ (दूसरा पूर्ववर्ती पखवाड़ा)	सी आर आर की दर	भारिबैं. अधिनियम, 1934, की धारा 42 (1) के प्रयोजन के लिए रखी जानेवाली औसत दैनिक शेषराशियों की मात्रा			भारिबैं अधिनियम, 1934, की धारा 42 (1) के अंतर्गत रखी जानेवाली वृद्धिशील सीआरआर की राशि	बैंक द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम 3% सीआरआर की राशि	औसत शेषराशि की मात्रा ———— (कुल)		बैंक द्वारा स्वयं अपने पास रखी गयी औसत नकद शेष राशि	वास्तविक रूप से रखी गयी कुल नकद शेष राशि	4% वार्षिक की दर पर ब्याज के लिए पात्र औसत दैनिक शेष की मात्रा (स्तंभ 12 से स्तंभ 11 घटाकर)	स्तंभ 16 के अनुसार सीआरआर की शेष-राशि पर 4% वार्षिक की दर पर देय ब्याज की मात्रा
						-को प्रारंभ पखवाड़ा)	-को समाप्त पखवाड़ा)	स्तंभ सं. 5 के आधार पर राशि(सभी रिपोर्टिंग शुक्रवारों के लिए)	5-8-94/ 30-9-94* की निवल मांग और मीयादी देयताओं से अधिक राशि पर	स्तंभ 4 के आधार पर	भारिबैं. अधिनियम, 1934, की धारा 42(1) और धारा 42(1क) के अंतर्गत रखे जाने के लिए अपेक्षित स्तंभ सं. (9+10) का जोड़	भारिबैं. अधिनियम, 1934, की धारा 42(1) और धारा 42(1क) के अंतर्गत सीआरआर के प्रयोजन के लिए भारिबैं. के पास वस्तुतः रखी गयी राशि	(1-12-99 से 31-11-2000 तक की अवधि के लिए	स्तंभ सं. 13 + 14 का जोड़	(स्तंभ सं. 12 से स्तंभ सं. 11 घटायें)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	22-10-99					06-11-99	19-11-99									
2.	05-11-99					20-11-99	03-12-99									
3.	19-11-99					04-12-99	17-12-99									
4.	03-12-99					18-12-99	31-12-99									
5.																
6.																
7.																

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही है। हमारे बैंक ने उक्त तिमाही के सभी पखवाड़ों के लिए सीआरआर अपेक्षा का पालन किया है/नहीं किया है # तथा तिमाही के दौरान सीआरआर रखने में चूक की है/नहीं की है #। बाद में किसी चूक का पता लगने की स्थिति में अधिक राशि तथा रिजर्व बैंक द्वारा लगाये ब्याज को मांग की तारीख से एक सप्ताह में लौटाने का हम वचन देते हैं। हम रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि ऐसा न होने पर वह अपने पास हमारे खाते में उतनी राशि नामे कर दें। हमने यह भी नोट कर लिया है कि गलत जानकारी देने/अपेक्षित विवरणी देर से प्रस्तुत करने की स्थिति में रिजर्व बैंक ब्याज के तदर्थ भुगतान की सुविधा समाप्त कर देगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

बैंक की मुहर :

यदि किसी पखवाड़े में सीआरआर रखने में कोई चूक/कमी हुई हो, तो कृपया उसके कारण बतायें।

++ शून्य प्रारक्षित निधि संबंधी निर्धारण के अंतर्गत देयताएं-एनआरई, एनआरएनआर, एफसीएनआर(बी) तथा बैंकिंग तंत्र के प्रति देयताएं (शुद्ध), स्तर II पूंजी की बकाया राशि, जैसा लागू हो।

* इस स्तंभ में जानकारी उन 37 बैंकों द्वारा दी जानी है, जिन्हें 5 अगस्त 1994/30 सितंबर 1994 को उनकी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने के लिए कहा गया है।

\# जो लागू न हो उसे काट दें और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर करें।

कृपया दो क्रम संख्याओं के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ें।

कृपया यूरो इशू डिपोजिट और इंडिया डेवलपमेंट बांडों के अंतर्गत बैंकों के पास रिपोर्टिंग शुक्रवार को बकाया राशि और उस पर पखवाड़ा-वार क्रमशः 7.5% की दर से रखा गया सीआरआर तथा औसत सीआरआर दर्शायें। यह राशि स्तंभ 12 के अंतर्गत शामिल करें। जिन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने स्तर II पूंजी के रूप में अनुषंगी ऋण जारी किया है, उन्हें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के 8 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 5/21.01.002/98/99 के पैरा 4 में निहित अनुदेशों का अनुपालन करना चाहिए तथा तदनुसार उक्त विवरण में स्तंभ सं. 4 (मांग और मीयादी देयताएं) और स्तंभ सं. 5 (शुद्ध मांग और मीयादी देयताएं) में अपेक्षित राशि शामिल करनी चाहिए।

विवरण के स्तंभ सं. 2,7 और 8 में दर्शायी गयी तारीखें सिर्फ दिसंबर 1999 को समाप्त तिमाही से संबंधित हैं।

बैंपविवि. सं. बीसी. 154 /12.02.001/99-2000

1 अप्रैल 2000
12 चैत्र 1922 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज की दर

हम आपका ध्यान उप गवर्नर महोदय के 01 अप्रैल 2000 के परिपत्र सं. एमपीडी. बीसी. 195 / 07.01.279 /99-2000 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार *बैंक* दर 01 अप्रैल 2000 को कारोबार बंद होने के समय से 8 प्रतिशत वार्षिक से 1 प्रतिशत अंक घटाकर 7.00 प्रतिशत अंक कर दी गयी है । फलस्वरूप, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने में कमी की राशि पर लगाये जानेवाले दंडात्मक ब्याज की दर, जो बैंक दर से सम्बद्ध है, 01 अप्रैल 2000 को कारोबार बंद होने के समय से संशोधित हो गयी है ।

भवदीय

(एस. पी. पाडगांवकर)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.बीसी. 156 /12.01.001/99-2000 **1 अप्रैल 2000**
12 चैत्र 1922(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी

उपर्युक्त विषय पर 01 अप्रैल 2000 का परिपत्र एमपीडी. बीसी. 194/07.1.279/99-2000 देखें ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) वर्तमान में अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं (शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी निर्धारण के अधीन देयताओं को छोड़कर) के 9 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखें । चलनिधि और बाज़ार की स्थितियों की समीक्षा करके प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात कम करने का निर्णय किया गया है । तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखा जाने वाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 9 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से दो किस्तों में घटाकर शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं का 8 प्रतिशत कर दिया जायेगा, जो निम्नप्रकार है :

निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ पखवाड़े से प्रभावी	शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)
8 अप्रैल 2000	8.50
22 अप्रैल 2000	8.00

2. इस बारे में 01 अप्रैल 2000 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 155/12.01.001/99-2000 की प्रतियां संलग्न हैं ।

3. हम यह पुनः कहना चाहते हैं कि कतिपय देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात, शून्य निर्धारण सहित देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के बहुविध निर्धारणों की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर 03 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि कानूनी रूप से निर्धारित है ।

भवदीय

(एस. पी. पाडगांवकर)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 155 / 12.01.001/99-2000

1 अप्रैल 2000
12 चैत्र 1922 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 29 अक्तूबर 1999 की अपनी अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी. 110/ 12.01.001/99-2000 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखे जानेवाले औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का प्रतिशत अंक नीचे बतायी गयी तारीखों के सामने दर्शाये गये अनुसार होगा :

प्रभावी तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ पखवाड़ा)	**शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)**
08 अप्रैल 2000	8.50
22 अप्रैल 2000	8.00

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. आइबीएस. बीसी.सं. 165 /23.67.001/99-2000 **27 अप्रैल 2000**
6 ज्येष्ठ 1922 (शक)

स्वर्ण का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

स्वर्ण जमा योजना - अन्य प्राधिकृत बैंकों को सोना
उधार देने के लिए बैंकों को अनुमति देना

कृपया 27 अप्रैल 2000 का गवर्नर महोदय का पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 196/07.01.279/99-2000 देखें, जिसके साथ "वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति " के संबंध में दिये गये वक्तव्य की एक प्रति संलग्न की गयी है । स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत जुटाये गये स्वर्ण की विनियोजन संबंधी नीति में किये गये परिवर्तनों से संबंधित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं ।

2. स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत जुटाये गये स्वर्ण का विनियोजन जिन क्षेत्रों में किया जाना है उनके ब्यौरे 5 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. आइबीएस. 912/23.67.001/99-2000 के साथ प्रेषित स्वर्ण जमा योजना लागू करने संबंधी दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 17 में दिये गये हैं । देश के भीतर विनियोजन के और क्षेत्रों की तलाश करने के लिए और साथ ही कुछ बैंकों की ऋण देने की विशेषज्ञता तथा अन्य बैंकों के व्यापक शाखा नेटवर्क के बीच मौजूद सहक्रियाशीलता (सिनर्जी) का उपयोग करने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत जुटाये गये स्वर्ण को उक्त दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु अन्य नामित बैंकों को ऋण के रूप में प्रदान किया जा सकता है । पैराग्राफ 17 में दिये गये अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

3. स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत प्राधिकृत बैंकों द्वारा (अन्य प्राधिकृत बैंकों से) जुटाये गये स्वर्ण को उधार लिये जाने को अंतर-बैंक देयताएं के रूप में माना जायेगा और इसलिए वह नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) से छूट प्राप्त होगा। तथापि, देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर बहुविध निर्धारणों को देखते हुए, प्राधिकृत बैंकों द्वारा स्वर्ण उधारों सहित कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) पर बनाये रखा जानेवाला नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए , जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अनुसार अपेक्षित है ।

भवदीय

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

दिनांक 3/5/2000 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 का प्रासंगिक अंश उद्धृत है :-

2. बैंकों द्वारा रखा जानेवाला अपेक्षित नकदी शेष

कृपया 24 अक्तूबर 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 128/12.01.001/94-95 का पैराग्राफ (ख) देखें, जिसके अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले दिन से प्रारंभ करके 13वें दिन तक अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी शेष के 85 प्रतिशत का स्तर बनाये रखना चाहिए और बैंकों को यह अनुमति है कि वे रिपोर्टिंग पखवाड़े के 14वें दिन अपेक्षित स्तर के दैनिक शेष के औसत को समायोजित करने के लिए अपेक्षित नकदी शेष के 85 प्रतिशत से कम का स्तर रख सकते हैं ।

बैंकों को इस बारे में और लचीलापन प्रदान करने तथा अवधि के दौरान नकदी प्रवाह के अनुसार प्रारक्षित नकदी शेष रखने की अधिकाधिक उपयोगी कार्य-नीति चुनने की सुविधा देने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि रखे जानेवाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी शेष की न्यूनतम अपेक्षा को 85 प्रतिशत से घटाकर 6 मई 2000 से प्रारंभ पखवाड़े से 65 प्रतिशत कर दिया जाये ।

नोट :- इस विषय पर विस्तृत परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि. सं. बीसी. 186/12.01.001/99-2000 **28 जून 2000**
7 ज्येष्ठ 1922(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42
नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सी आर आर) - दैनिक आधार पर 65 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर बनाये रखना

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना देने के लिए नियत पखवाड़े के पहले दिन से तेरहवें दिन तक प्रत्येक दिन बैंकों द्वारा रखे जाने वाले नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सी आर आर) का 65 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर बनाये रखें और दैनिक शेष के औसत को अपेक्षित स्तर पर समायोजित करने के लिए पखवाड़े के 14 वें दिन अपेक्षित नकदी शेष 65 प्रतिशत से कम रखने की बैंकों को अनुमति दी गयी है ।

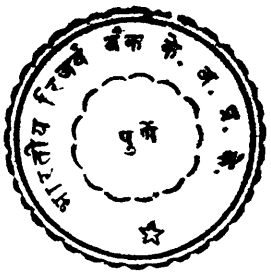
चूंकि 30 जून 2000 को सूचना देने के लिए नियत शुक्रवार भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा-बंदी का दिन है, इसलिए बैंक उस दिन भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे । अत: विशेष मामले के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 29 जून 2000 को नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सी आर आर) समायोजित करने का दिन मान लेने और उन्हें 29 जून 2000 को अपने अपेक्षित नकदी शेष 65 प्रतिशत से कम रखने की अनुमति दी जाये ।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
उप महा प्रबंधक

भाग VII

ऋण सूचना VII



बैंपविवि.सं.डीएल.(डब्ल्यू) 12/20.16.02(1)/98-99 **20 फरवरी 1999**
1 फाल्गुन 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सभी अधिसूचित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं यथा
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण
और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

प्रिय महोदय,

25 लाख रुपये तथा उससे अधिक की राशियों की अदायगी में जानबूझकर चूक करने के मामलों की जानकारी प्राप्त करना और जानकारी देना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक की राशियों की अदायगी में जानबूझकर चूक करने संबंधी मामलों की सूचना प्राप्त किये जाने तथा सूचना देनेवाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उसकी जानकारी दिये जाने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों के अनुसरण में एक योजना बनायी गयी है । इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को जानबूझकर चूक करनेवालों के ब्यौरे हमें प्रस्तुत करने होंगे ।

2. योजना का ब्योरा नीचे के पैराग्राफों में दिया गया है ।

i) यह योजना 1 अप्रैल 1999 से लागू होगी । तदनुसार, बैंक और वित्तीय संस्थाएं जानबूझकर चूक करने के ऐसे सभी मामलों की तिमाही आधार पर सूचना प्रस्तुत करेंगी जो 31 मार्च 1999 के बाद हुए हैं या जिनका पता लगा है ।

ii) इस योजना में ऐसे सभी अनर्जक उधार खाते आयेंगे जिनकी बकाया राशियां (निधिक सुविधाएं और ऐसी अनिधिक सुविधाएं जिन्हें निधिक सुविधाओं में परिवर्तित किया गया है) 25 लाख रुपये और उससे अधिक हैं ।

iii) जानबूझकर चूक करने में मोटे तौर पर निम्नलिखित मामले शामिल होंगे :

क) पर्याप्त नकदी प्रवाह और अच्छी मालियत के बावजूद देय राशियों का जानबूझकर भुगतान न करना ।
ख) चूक्कर्ता इकाई के लिए अहितकर रूप में वहां से निधियों को निकालना ।
ग) वे आस्तियां, जिनके लिए वित्तपोषण किया गया है, या तो खरीदी नहीं गयी हैं या बेच दी गई हैं और बिक्री आगम राशियों का दुरुपयोग किया गया है ।
घ) अभिलेखों को अयथार्थ रूप में / मिथ्या रूप में प्रस्तुत करना ।
ङ) बैंक की जानकारी के बिना प्रतिभूतियों का निपटान / उन्हें हटा लेना ।
च) उधारकर्ता द्वारा कपटपूर्ण लेन-देन ।

जानबूझकर चूक करने की पहचान उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए और किसी एक लेन-देन घटना के आधार पर इसका निश्चय नहीं किया जाना चाहिए । जिस चूक को जानबूझकर चूक करने के रूप में वर्गीकृत किया जाना हो, वह इरादतन, जानबूझकर तथा सुविचारित रूप से की गयी होनी चाहिए ।

iv) बैंक, जानबूझकर चूक करने के मामलों की पहचान करने हेतु तीन महा प्रबंधकों / उप महा प्रबंधकों या महा प्रबंधकों / उप महा प्रबंधकों के समकक्ष अधिकारियों की एक समिति का गठन करेंगे ।

v) जानबूझकर चूक करने संबंधी पहली विवरणी में 1 अप्रैल से 30 जून 1999 तक की तिमाही के मामले शामिल होंगे। बाद की तिमाहियों की विवरणियों में नये मामले तथा पिछली विवरणियों में सूचित मामले शामिल होंगे परंतु जिन मामलों को बाद में विनियमित किया गया है वे उनमें शामिल नहीं होंगे । जानबूझकर चूक करने की सूचना अनुबंध में दिये गये प्रारूप में फ्लॉपी डिस्केट में संबंधित तिमाही के बाद एक माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी । यदि जानबूझकर चूक करने का कोई मामला सूचित किये जाने योग्य नहीं है तो एक 'कुछ नहीं' विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

vi) विदेश स्थित शाखाओं में जानबूझकर चूक करने के मामलों की भी, यदि मेजबान देश के कानून के अंतर्गत ऐसी सूचना देने की अनुमति है तो, सूचना प्रस्तुत की जायेगी ।

vii) केवल उन निदेशकों के नाम प्रस्तुत किये जायें जो पणधारी (Stakeholder) हैं और विशेषज्ञ निदेशकों एवं वित्तीय संस्थाओं, केन्द्र / राज्य सरकारों के नामिती निदेशकों के नाम सूचित करने की आवश्यकता नहीं है ।

viii) संघीय / बहुविध उधार के मामले में बैंक और वित्तीय संस्थाएं अन्य सहभागी / वित्तपोषक बैंकों को भी जानबूझकर चूक करने संबंधी मामलों की सूचना प्रस्तुत करेंगी ।

ix) जानबूझकर चूक करनेवालों के मामले में किसी नये ऋण की मंजूरी / नवीकरण / ऋण सीमा में बढ़ोतरी पर प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर केवल निदेशक मंडल द्वारा ही विचार किया जाना चाहिए ।

3. उपर्युक्त योजना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं.बीसी/सीआइएस/47/20.16.002/ 94 द्वारा अप्रैल 1994 में लागू की गई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करने संबंधी उस योजना के अतिरिक्त है जिसके अंतर्गत बैंक और अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं मार्च 1994 से 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार संदिग्ध या हानि के रूप में वर्गीकृत 1 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक के चूककर्ताओं और मुकदमा दायर किये हुए खातों के ब्यौरे हमें फ्लॉपी - डिस्केटों में प्रस्तुत कर रही हैं और साथ ही यह प्रत्येक वर्ष बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिन उधार खातों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये हैं, उन उधार खातों की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सूची प्रकाशित करने के भी अतिरिक्त है ।

भवदीय

(राधेश्याम)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

अनुबंध

जानबूझकर की गई चूक करने के संबंध में आंकड़े देने हेतु फार्मेट

सूचना नीचे निर्दिष्ट फार्मेट में फ्लॉपी डिस्क में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए :

क) इनपुट माध्यम :	केवल 3.5" फ्लॉपी डिस्क
ख) फाइल विशेषताएं (कॅरेक्टरिस्टिक्स) :	आस्की (ASCII) या dbf फाइल

विभिन्न मदों का क्षेत्रवार (फील्डवाइज़) विवरण निम्नानुसार है :

1. क्रम संख्या	9(4) प्रत्येंक अभिलेख को एक अनन्य संख्या (यूनिक नंबर) दी जाये ।
2. बैंक-शाखा का नाम	x(14) जैसा कि मूल सांख्यिकीय विवरणी (बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न) में दिया जाता है ।
3. पार्टी का नाम	x(45) विधिक नाम
4. पंजीकृत पता	x(96) पंजीकृत कार्यालय का पता
5. बकाया राशि	9(6) बकाया कुल राशि लाख रुपयों में
6. निदेशकों के नाम	x(336) प्रत्येक को 24 बाइट के 14 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए ।
7. स्तर	मुकदमा दायर या गैर-मुकदमा दायर

बैंपविवि.सं. बीसी.डीएल. 46/20.16.002/98-99 **10 मई 1999**
20 वैशाख 1921(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक और
अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण - चूककर्ताओं / मुकदमा दायर खातों की सूची तथा जानबूझकर की गयी चूक संबंधी आंकड़े

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 11 नवंबर 1998 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी.डीएल. 106 / 20.16.002 / 98-99 के साथ पठित 6 दिसंबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी.डीएल. 156/20.16.002/96 देखें । जैसा कि आप जानते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान अनुदेशों / दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे चूककर्ताओं की सूची / मुकदमा दायर खातों की सूची को उचित रूप से सत्यापित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें वर्तमान अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक / निदेशक आदि के नाम दर्शाये गये हैं अर्थात् वे भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी सूचियों की तारीख को उस पद पर थे ।

2.चूंकि हमें इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ऐसे निदेशकों आदि के नामों की रिपोर्टिंग की जा रही है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है / जो निदेशक नहीं रहे हैं, अतः बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वे चूककर्ता कंपनियों / संगठनों के निदेशकों आदि की पहचान करने के लिए अनुसरण की जा रही प्रक्रियाओं को कारगर बनायें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी / संगठन के नवीनतम तुलनपत्र में दर्शाये गये ऐसे व्यक्तियों की वर्तमान सूची ही भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाये तथा कंपनियों / संगठनों से त्यागपत्र दे चुके / संबंध तोड़ चुके निदेशकों आदि के नाम सूचित न किये जायें । अतः ऐसा निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने के पहले बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे संबंधित निदेशकों आदि से स्पष्टीकरण प्राप्त करें । साथ ही, बैंक / वित्तीय संस्थाएं ऐसे निदेशकों आदि को सूचित करें कि उनके रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार उनका नाम उस कंपनी के निदेशक आदि के रूप में दर्शाया गया है जिसकी पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने के लिए चूककर्ता के रूप में की गयी है और यदि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ हो, तो वे बैंक / वित्तीय संस्था को तत्काल सूचित करें। बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा उन्हें इसके लिए भी सावधान किया जाए कि यदि वे बैंक / वित्तीय संस्था को उनके पत्र की प्राप्ति से 10 दिन के भीतर उत्तर नहीं देते तो भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने के लिए चूककर्ता कंपनी / संगठन के निदेशकों आदि के रूप में उनके नाम शामिल कर लिये जायेंगे ।

3. नामों को अंतिम रूप देने के बाद इन सूचियों को निर्दिष्ट अवधि के भीतर 23 अप्रैल 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी/ सीआइएस.47/20.16.002/94, 24 नवंबर 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. 135 / 20.16.002 /95 और 20 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी.डीएल.(डब्ल्यू) 12 /20.16.002 (1)/98-99 के अनुसार एक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि चूककर्ताओं की यह सूची उसमें दिये गये ब्यौरों का विधिवत् सत्यापन करने के बाद सही तरीके से संकलित की गयी है और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया गया है, बैंक / वित्तीय संस्था के पर्याप्त रूप में वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

4. कृपया नोट करें कि उक्त अनुदेश 25 लाख रुपये और उससे ऊपर के जानबूझकर चूक के मामलों में सूचना एकत्र करने और देने के लिए भी लागू होंगे ।

भवदीय

(नूरुल हक़ सिद्दीक़ी)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.बीसी.डीएल. 104 /20.16.002/99-2000 **23 अक्तूबर 1999**
2 आश्विन 1921(शक)

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक और वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणकर्ताओं द्वारा न्यायालय के बकाया (अनिर्णीत) मामलों के संदर्भ में सूचना का प्रकटीकरण

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि वाले चूककर्ताओं के संबंध में छमाही आधार पर तथा 25 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के जानबूझकर की गयी चूक के मामलों में तिमाही आधार पर सूचना एकत्र करता है और प्रसारित करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि वाले ऐसे ऋणकर्ताओं की सूची भी हर वर्ष प्रकाशित करता है जिनके विरुद्ध 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार मुकदमे दायर किये गये हों । बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया गया है कि वे इस सूचना का उपयोग करें और साथ ही अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए अपने ऋण मूल्यांकन नोटों में इस तथ्य के संबंध में उल्लेख करें कि 6 जुलाई 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी/डीएल/2/ 20.16.002/ 95-96 द्वारा परिचालित सूची में संबंधित ऋणकर्ता /निदेशकों के नाम आ रहे हैं ।

2. सूचना प्रकट करने की उपर्युक्त योजना अन्य उधार संस्थाओं के प्रति चूक करनेवालों के खिलाफ बैंकों को सतर्क करने तथा सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गयी थी। हमें यह सूचना मिली है कि एक बैंक ने इस तथ्य के बावजूद एक ऐसी कंपनी को निधि पर आधारित सुविधा प्रदान की जिसके विरुद्ध दूसरे बैंक ने पहले ही समापन याचिका दायर की थी और कंपनी विधि बोर्ड में भी एक याचिका दायर की हुई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मामले दोहराये न जायें, यह निर्णय किया गया है कि बैंक / वित्तीय संस्थाएं आगे से यह सुनिश्चित करें कि ऋण सुविधा के आवेदनपत्र में एक ऐसा स्तंभ होना चाहिए जिससे ऋणकर्ताओं या उनके भागीदारों / निदेशकों आदि पर चलाये जाने वाले उन मुकदमों का पता लगे जो बैंकों सहित अन्य वित्तदाताओं द्वारा चलाये जा रहे हों । इससे ऋणकर्ता द्वारा दी गयी सूचना की प्रति-जांच (क्रॉस चेक) की जा सकेगी ।

3. बैंक /वित्तीय संस्थाएं ऋण आवेदनपत्रों में उपयुक्त परिवर्तन कर ऊपर उल्लिखित प्रकार की सूचना अनिवार्यतः मंगाने की व्यवस्था करें ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.डीएल.बीसी. 117/20.16.002/99-2000 **30 अक्तूबर 1999**
7 आश्विन 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा
अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

रु. 1 करोड़ और अधिक के चूककर्ताओं के बारे में सूचना का प्रकटीकरण - मुकदमा दायर खातों की सूची - हर तिमाही में अद्यतन करना

कृपया 24 नवंबर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं.बीसी. सीआइएस. (डी)135/20.16.002/95-96 देखें, जिसके अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को रु.1 करोड़ और अधिक के उन ऋणकर्ता खातों के ब्यौरे हमारे पास प्रस्तुत करें जिनके विरुद्ध देयराशियों की वसूली के लिए मुकदमे दायर किये गये हों।

2. 31 मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार नवीनतम सूची भी अब प्रकाशित कर दी गयी है । उसका मूल्य रु. 340/- (डाक खर्च अतिरिक्त) है तथा यह हमारे निम्नलिखित कार्यालय में उपलब्ध है :

बिक्री अनुभाग,
रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल,
पी. एम. रोड, पो. बॉ. सं. 1036, फोर्ट,
मुंबई - 400 001

उक्त सूची **http://www.rbi.org.in** नामक पते पर **इंटरनेट** पर भी उपलब्ध है ।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि हर वर्ष 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को तिमाहीवार अद्यतन आंकड़े तैयार किये जायें, जिनमें ये ब्यौरे दर्शाये जायें (i) 31 मार्च को सूची में दर्शाये गये खाते, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया हो और (ii) ऐसे खाते, जिनके लिए 31 मार्च के बाद मुकदमा दायर किया गया हो।

4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया 30 जून 1999 को समाप्त तिमाही से निम्नलिखित विवरण हमारे पास प्रस्तुत किया करें ।

(i) रु. 1 करोड़ और अधिक के मुकदमा दायर खातों की सूची, जिन्हें 31 मार्च को रिपोर्ट किया गया था, परन्तु जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया (अनुबंध I - भाग अ में दिये प्रोफार्मा के अनुसार).

(ii) रु. 1 करोड़ और अधिक के ऐसे खातों की सूची, जिनके विरुद्ध 31 मार्च के बाद मुकदमे दायर किये गये (अनुबंध 1 - भाग आ में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार)।

4. बैंक और वित्तीय संस्थाएं अब तक की तरह हर वर्ष 31 मार्च को वार्षिक सूची प्रस्तुत किया करेंगी। ये सूचियां संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी हैं । 30 जून और 30 सितंबर 1999 को समाप्त तिमाहियों की सूचियां अलग से **तत्काल** भिजवा दें ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुबंध - I

बैंक का नाम :

_____ जून / सितंबर / दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए विवरण

भाग - अ उन खातों की सूची जिन्हें 31 मार्च 1999 को रु. 1 करोड़ और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों की सूची में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया किन्तु बाद में उन्हें बंद कर दिया गया, अत: उन्हें सूची से हटा दिया जाये

क्र.सं.	ऋण लेने वाले का नाम और पता	31 मार्च की सूची में उल्लिखित		
		पृष्ठ सं.		

भाग - आ रु. 1 करोड़ के बकाया वाले नये मुकदमा दायर खातों की सूची जिनके मुकदमे 31 मार्च 1999 के पश्चात् दायर किये गये ।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	ऋण लेने वाले का नाम और पता	निदेशक/साझेदारों/ मालिकों के नाम	बकाया राशि	आस्ति श्रेणी	मुकदमा दायर करने की तारीख	शाखा का नाम
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी : यह विवरण ए-4 साइज के पेपर पर स्वच्छतापूर्वक तैयार किया जाये ।

बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल. 161 /20.16.002/99-2000 **1 अप्रैल 2000**
12 चैत्र 1922(शक)

मुख्य कार्यपालक
i) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और
ii) अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं अर्थात्
आइ सी आइ सी आइ, आइ डी बी आइ, आइ एफ सी आइ

प्रिय महोदय,

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्जदार चूककर्ताओं
के संबंध में जानकारी का संग्रहण और वितरण

चूककर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करने के बारे में अप्रैल 1994 में लागू की गयी योजना के अंतर्गत बैंक और अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संदिग्ध और हानि वाली राशियों के रूप में वर्गीकृत कुल 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशियों के कर्जदारों की जानकारी तथा जिन मामलों में मुकदमा दायर किया गया है, उनकी भी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति की जानकारी हमें फ्लॉपी डिस्क में दें । इस बारे में 23 अप्रैल 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी/सीआइएस/47/ 20.16.002/94 देखें ।

इसके अतिरिक्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कुल 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशियों वाले जिन कर्जदारों से राशि की वसूली के लिए उनके विरुद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने मुकदमा दायर किया है, उनके भी ब्यौरे हमें बतायें । (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति की विस्तृत सूची का कागज पर प्रिंट प्रस्तुत किया जाता है और 31 मार्च के बाद जिन खातों को जोड़ा या सूची से हटाया जाता है उनकी भी जानकारी तिमाही आधार पर दी जाती है) । इस बारे में हमारे 30 अक्तूबर 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 117/20.16.002/99-2000 के साथ पठित 24 नवंबर 1995 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी/ सीआइएस (डी) 135/20.16.002/95-96 देखें ।

हमारे 20 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल.(डब्ल्यू) 12/20.16.002(1)/98-99 के अनुसार 25 लाख रुपये और उससे अधिक के जानबूझकर की गयी चूक के मामलों के ब्यौरे जून 1999 में समाप्त तिमाही से हर तिमाही फ्लॉपी डिस्क पर प्रस्तुत किये जाते हैं ।

2. हमें व्यक्तियों से इस आशय के अभिवेदन प्राप्त हुए हैं कि हालांकि उन्होंने कंपनी के निदेशक के पद से काफी पहले त्यागपत्र दे दिया था, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सूचियों में उनके नाम चूककर्ता कंपनी के नाम के साथ रिपोर्ट किये जा रहे हैं ।

इसी प्रकार सरकारी अधिकारियों और बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित, ने भी

अभिवेदन किया है कि वे सरकार / बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के 'नामिती निदेशक' के रूप में संबद्ध थे, किंतु उनके नाम रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परिचालित चूककर्ताओं की सूची में चूककर्ता कंपनियों के साथ रिपोर्ट किये जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है ।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक वही जानकारी देता है, जो उसे बतायी जाती है और सही सूचना देने तथा तथ्यों और आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का होता है । अतः बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने रिकॉर्ड अद्यतन करने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा निदेशकों के नाम ही हमें बताये जायें, जैसा कि 6 दिसंबर 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल. 156/20.16.002/96 में कहा गया है । इस संबंध में हमारा 10 मई 1999 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल. 46/20.16.002/98-99 भी देखना चाहिए ।

मौजूदा निदेशकों के नामों की रिपोर्ट देने के अतिरिक्त उन निदेशकों के बारे में भी जानकारी दी जाये जो चूककर्ता खाते के रूप में वर्गीकृत किये जाने के समय कंपनी से संबद्ध थे, ताकि अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सावधान किया जा सके । (सरकार, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के नामिती निदेशकों को शामिल न किया जाये)।

बैंक और वित्तीय संस्थाएं मौजूदा निदेशकों के बारे में, यथासंभव, कंपनी रजिस्ट्रार से जांच करके तथ्य देना भी सुनिश्चित करें ।

4. सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निदेशकों के नाम न बताये जायें । इसके बजाय "_____ सरकार का प्रतिष्ठान " शब्द जोड़े जायें । इस बारे में हमारा 11 नवंबर 1998 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल. 106/20.16.002/98-99 देखें ।

5. सनदी लेखाकार जैसे पेशेवर निदेशकों का जब तक कंपनी में कोई हित या हिस्सा न हो अथवा वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के काम से संबद्ध न हों, तब तक उन्हें प्रवर्तक निदेशकों अथवा प्रवर्त्तकों के परिवार के सदस्य / रिश्तेदार होने की हैसियत से बने निदेशकों अथवा कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन से संबद्ध निदेशकों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । अतः बैंकों को ऐसे निदेशकों के नाम के सामने 'पेशेवर निदेशक' स्पष्ट लिखना चाहिए ।

6. यह भी आरोप लगाये गये हैं कि चूककर्ता बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले लेते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि चूककर्ताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और वितरित करने की योजना तत्कालीन वित्तमंत्री के संसद में 28 फरवरी 1994 के बजट भाषण के अनुसरण में लागू की गयी थी, ताकि बैंकों को सतर्क किया जा सके और उन चूककर्ताओं से बचाया जा सके जो अन्य ऋण संस्थाओं के प्रति चूक कर चुके हैं । अतः ऐसी कंपनियों को अथवा जिन घटकों के साथ

चूककर्ता कंपनी के कोई निदेशक संबद्ध हों उन्हें नये ऋण देने का निर्णय बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए ।

7. ऊपर उल्लिखित 23 अप्रैल 1994 के परिपत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट देने के लिए हमारे फार्मेट में प्रतिभूतियों के स्वरूप जैसी कतिपय जानकारियां भी मांगी गयी हैं, जो अब प्रासंगिक नहीं हैं । अतः 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के चूककर्ताओं के ब्यौरे देने के लिए संशोधित फार्मेट (अनुबंध I) संलग्न है, जो 31 मार्च 2000 को समाप्त छमाही से लागू हो रहा है ।

वर्तमान में 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के जिन खातों में मुकदमा दायर किया गया है उनकी 31 मार्च की स्थिति की सविस्तार सूची कागज पर प्रिंट के रूप में दी जाती है और उनमें जोड़ने या हटाने की जानकारी तिमाही आधार पर दी जाती है । अब यह निर्णय किया गया है कि इसकी रिपोर्ट फ्लॉपी डिस्क में अनुबंध II में दिये गये फार्मेट में दी जाये ।

25 लाख रुपये या उससे अधिक के जानबूझकर चूक करने के मामलों के बारे में अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

8. जिन मामलों में देयराशियां छमाही समाप्त होने के बाद किंतु रिज़र्व बैंक को आंकड़े प्रस्तुत करने / रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित करने से पहले निपटा दी जाती हैं उनके ब्यौरे तत्परता से प्रस्तुत किये जायें, ताकि उनके नाम के आगे उपयुक्त टिप्पणी दी जा सके ।

9. उपर्युक्त अनुदेशों को सावधानी से नोट किया जाये और उनके कार्यान्वयन तथा तत्परता से रिपोर्ट देने के लिए तत्काल उपाय किये जायें ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुबंध I

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं (अधिसूचित) के 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि के चूककर्ता उधार लेने वालों के संबंध में जानकारी प्रकट करना

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं (अधिसूचित) के कुल 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशियों (निधिक और अनिधिक दोनों) के अंतर्गत चूककर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रकट करने की योजना के अंतर्गत जानकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति की छमाही आधार पर फ्लॉपी डिस्क में मांगी जाती है । इस संबंध में हमारा 23 अप्रैल 1994 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी. सीआइएस/47/20.16.002/94 देखें ।

प्रचलित अनुदेशों के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से छः भिन्न-भिन्न फाइलों/रिकॉर्ड सूचकांकों में फ्लॉपी डिस्क में जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है । यह निर्णय लिया गया है कि अब जो जानकारी अब अनावश्यक हो गयी है और बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को वर्तमान में परिचालित नहीं की जाती है, अर्थात प्रतिभूतियों का ब्योरा, सुविधाओं के प्रकार, गारंटी देने वालों के नाम आदि, उसे न मांग कर यह जानकारी केवल एक फाइल में एकत्र की जाये । तदनुसार संशोधित फार्मेट में केवल निम्नलिखित मदें रहेंगी :

1. बैंक / वित्तीय संस्थान की श्रेणी
2. बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम
3. शाखा का नाम
4. राज्य, जिसमें शाखा है
5. क्रम संख्या
6. पार्टी का नाम
7. पार्टी का पंजीकृत पता
8. बकाया राशि (लाख रुपये)
9. आस्ति वर्गीकरण
10. वर्गीकरण की तारीख
11. क्या खाते के बारे में मुकदमा दायर किया गया है
12. अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के नाम
13. निदेशक / भागीदार / मालिक का नाम

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को डाटा प्रस्तुत करते समय फ्लॉपी डिस्क में निम्नलिखित ढांचा (उन्हीं फील्ड नामों का) प्रयोग करें :

Field	*Field Name*	*Type*	*Wi-dth*	*Description*	*Remarks*
1	SCTG	Numeric	1	Category of bank/FI	Number 1/2/4/6/8 should be fed 1 SBI and its associate banks 2 Nationalised banks 4 Foreign banks 6 Private Sector Banks 8 Financial Institutions
2	BKNM	Character	40	Name of bank/FI	
3	BKBR	Character	30	Branch name	Name of the branch should be fed in place of branch code number.
4	STATE	Character	15	Name of state	Name of state in which branch is situated
5	SRNO	Numeric	4	Serial No.	
6	PRTY	Character	45	Name of Party	The legal name
7	REGADDR	Character	96	Registered address	Registered Office address
8	OSAMT	Numeric	6	Outstanding amount in Rs. lakhs (Rounded off)	In case of suit-filed accounts, the amount for which suit has been filed should be indicated.
9	ASSETCLASS	Character	5	Asset Classification	Fixed 'DOUBT' for doubtful a/c 'LOSS' for loss a/c However, in case of suit-filed a/cs, category of asset classification may be indicated as 'DOUBT'/' LOSS'/SUBST'/'STD' as the case may be, where 'SUBST' and 'STD' stand for sub-standard and standard accounts respectively.
10	DATECLASS	Character	5	Date of classification	Month in which the a/c was classified as 'DOUBT'/'LOSS' in the format 'mmmyy' where mmm stand for the first 3

					characters of the month. As this field is 'character' type, the format is not sensitive to date and the Y2K is not relevant. The date of classification 'march 2000' should be filled up as 'MAR00'.
11	SUIT	Character	4	Suit filed or not	Whether the suit is filed against the party. Type 'SUIT' in case suit is filed. Other cases this field should be kept blank.
12	OTHER_BK	Character	40	Name of other banks/ FIs	The names of other banks/FIs from whom the party has availed credit facility should be indicated. The names may be fed in abbreviated form e.g. BOB for Bank of Baroda, SBI for State Bank etc.
13	DIR1	Character	24	Name of director*	(a) In case of Government companies the legend "Govt. of _____undertaking" alone should be mentioned. (b) The names of nominee directors of banks/ FIs/ Central Govt./State Govt. should not be included. (c) In case of professional directors, '(Prof.)' should be entered against the name of such director. (d) If total number of directors exceed 14, the name of additional directors may be entered in blank spaces available in the other directors' columns.
14	DIR2	Character	24	Name of director	— do—
15	DIR3	Character	24	Name of director	— do —
16	DIR4	Character	24	Name of director	— do —

17	DIR5	Character	24	Name of director	— do —-
18	DIR6	Character	24	Name of director	— do —-
19	DIR7	Character	24	Name of director	— do —-
20	DIR8	Character	24	Name of director	— do —-
21	DIR9	Character	24	Name of director	— do —-
22	DIR10	Character	24	Name of director	— do —-
23	DIR11	Character	24	Name of director	— do —-
24	DIR12	Character	24	Name of director	— do —-
25	DIR13	Character	24	Name of director	— do —-
26	DIR14	Character	24	Name of director	— do —-
		Total bytes	**628**		

यह जानकारी उपर्युक्त फॉर्मेट में **3.5" फ्लॉपी में .dbf फाइल के रूप में ही प्रस्तुत की जाये (डीबेस अथवा फॉक्स-प्रो पैकेज में ही प्रोसेस की जानी चाहिए)** । फ्लॉपी प्रस्तुत करते समय बैंक / वित्तीय संस्था सह सुनिश्चित करें कि :

- ☞ फ्लॉपी वाइरस से मुक्त और पढ़ने योग्य है ।
- ☞ प्रत्येक फील्ड का नाम और उसकी चौड़ाई तथा उनका क्रम उपर्युक्त फॉर्मेट में ही है ।
- ☞ सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में अध्यक्ष / निदेशक आदि के नाम देने के बजाय "_____ सरकार का प्रतिष्ठान" का उल्लेख है ।
- ☞ बैंकों /वित्तीय संस्थाओं /केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के नामिती निदेशक के नाम शामिल नहीं किये गये हैं ।
- ☞ 1 करोड़ रुपये से कम की बकाया राशि के रिकॉर्ड शामिल नहीं किये गये हैं ।
- ☞ निम्नलिखित प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है (क्योंकि फील्ड को उचित रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है) :
  'मेसर्स', 'मिस्टर', 'श्री' आदि

- ☞ 'मिसेज', 'श्रीमती', 'डॉ'. आदि शब्द यदि लागू हों तो नाम के अंत में दिये गये हैं ।
- ☞ फील्ड सं. 11 को मुकदमा दायर किये गये खातों के मामले में ही भरा गया है । अन्य फील्डों के लिए जानकारी पूर्ण रूप से भरी गयी है और इन्हें रिक्त नहीं छोड़ा गया है (DIR1 से DIR14 तक कुछ फील्डों को छोड़ कर)

- ☞ प्रमाणपत्र पर पर्याप्त रूप में वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और लिखा गया है कि चूककर्ताओं की सूची सही ढंग से संकलित की गयी है और उसके ब्यौरों का विधिवत् सत्यापन किया गया है तथा रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया गया है । यह प्रमाणपत्र फ्लॉपी के साथ भेजा जाये ।
- ☞ शब्द 'SUIT' किसी भी खाते के लिए 'ASSETCLASS' फील्ड में शामिल नहीं किया गया है और उस फील्ड के अंतर्गत वास्तविक आस्ति वर्गीकरण दर्शाया गया है ।
- ☞ **जहां चूककर्ता सूची 31 मार्च को समाप्त छमाही के लिए प्रस्तुत की गयी हो, वहां मुकदमा दायर खातों की संख्या मुकदमा दायर खाते के विवरण के अंतर्गत प्रस्तुत मुकदमा दायर खातों की संख्या से मेल खानी चाहिए ।**

संशोधित फार्मेट उस फार्मेट के अनुकूल है, जिसमें बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को फ्लॉपी डिस्क में डाटा परिचालित किये जा रहे हैं । बैंक 31 मार्च 1999 को (अथवा उससे पहले) परिचालित फ्लॉपी की MAR 99 CMS.dbf से अपने बैंक/ वित्तीय संस्था से संबंधित रिकॉर्ड की नकल ले सकते हैं और उसे आधार फाइल के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त की गयी फाइल में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायें ताकि फाइल का ढांचा उपर बताये गये अनुसार बन सके :

1. 'BKNM' फील्ड की चौड़ाई 20 से बढ़ाकर 40 कर दी जाये ।
2. 'BKBR' फिल्ड की चौड़ाई 14 से बढ़ाकर 30 कर दी जाये ।
3. फील्ड 'STATE' को 15 की चौड़ाई देकर फील्ड 'BKBR' के बाद जोड़ा जाये ।
4. फील्ड 'SUIT' को फील्ड 'DATECLASS' के बाद 4 की चौड़ाई देकर जोड़ा जाये ।
5. फील्ड 'OTHER_BK' को 40 की चौड़ाई देकर 'SUIT' फील्ड के बाद जोड़ा जाये ।
6. फील्ड 'DIR10', 'DIR11', 'DIR12', 'DIR13', 'DIR14' को प्रत्येक को 24 की चौड़ाई देकर फील्ड 'DIR9' के बाद जोड़ा जाये ।

जानकारी प्राप्त करने और वितरित करने के संबंध में हमारे 23 अप्रैल 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी / सीआइएस / 47/20.16.002/94 के द्वारा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । ***बैंक / वित्तीय संस्थायें 31 मार्च 2000 को समाप्त छमाही से संशोधित फार्मेट में डाटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।***

अनुबंध II

25 लाख रुपये और उससे अधिक के जानबूझकर चूक करने के मामलों के संबंध में जानकारी फ्लॉपी डिस्क में प्रस्तुत करना

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे जानबूझकर चूक करने वालों के ब्यौरे 27 मई 1999 के परिपत्र सं. डीएल. (डब्ल्यू)952/20.16.002/98-99 के साथ पठित 20 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. डीएल. (डब्ल्यू) 12/20.16.002(1)/98-99 द्वारा निर्धारित फार्मेट में तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें।

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक को डाटा प्रस्तुत करते समय फ्लॉपी डिस्क में निम्नलिखित ढांचा (उन्हीं फील्ड नामों का) प्रयोग करें :

Field	*Field Name*	*Type*	*Wi-dth*	*Description*	*Remarks*
1	SCTG	Numeric	1	Category of bank/FI	Number 1/2/4/6/8 should be fed 1 SBI and its associate banks 2 Nationalised banks 4 Foreign banks 6 Private Sector Banks 8 Financial Institutions
2	BKNM	Character	20	Name of bank/FI	
3	BKBR	Character	14	Branch name number should be fed	Name of the branch/code
4	STATE	Character	15	Name of state	Name of state in which branch is situated
5	SRNO	Numeric	4	Serial No.	
6	PRTY	Character	45	Name of Party	The legal name
7	REGADDR	Character	96	Registered address	Registered Office address
8	OSAMT	Numeric	6	Outstanding amount in Rs. lakhs (Rounded off)	
9	SUIT	Character	4	Suit filed or not	Type 'SUIT' in case suit is filed. Other cases this field should be kept blank.

10	OTHER_BK	Character	40	Name of other banks/ FIs	The names of other banks/FIs from whom the party has availed credit facility should be indicated. The names may be fed in abbreviated form e.g. BOB for Bank of Baroda, SBI for State Bank etc.
11	DIR1	Character	24	Name of director	(a) In case of Government companies the legend "Govt. of _____ undertaking" alone should be mentioned. (b) The names of nominee directors of banks/ FIs/ Central Govt./State Govt. should not be included. (c) In case of professional directors, '(Prof.)' should be entered against the name of such director. (d) If total number of directors exceed 14, the name of additional directors may be entered in blank spaces available in the other directors' columns.
12	DIR2	Character	24	Name of director	— do—
13	DIR3	Character	24	Name of director	— do —
14	DIR4	Character	24	Name of director	— do —
15	DIR5	Character	24	Name of director	— do —
16	DIR6	Character	24	Name of director	— do —
17	DIR7	Character	24	Name of director	— do —
18	DIR8	Character	24	Name of director	— do —
19	DIR9	Character	24	Name of director	— do —
20	DIR10	Character	24	Name of director	— do —
21	DIR11	Character	24	Name of director	— do —
22	DIR12	Character	24	Name of director	— do —
23	DIR13	Character	24	Name of director	— do —
24	DIR14	Character	24	Name of director	— do —
		Total bytes	**582**		

यह जानकारी उपर्युक्त फार्मेट में **3.5" फ्लॉपी में .dbf फाइल के रूप में ही प्रस्तुत की जाये । (डी बेस अथवा फॉक्स-प्रो पैकेज में ही प्रोसेस की जानी चाहिए)** । फ्लॉपी प्रस्तुत करते समय बैंक / वित्तीय संस्थायें यह सुनिश्चित करें कि :

- ☞ फ्लॉपी वाइरस से मुक्त और पढ़ने योग्य है
- ☞ प्रत्येक फील्ड का नाम और उसकी चौड़ाई तथा उनका क्रम उपर्युक्त फार्मेट में ही है ।
- ☞ सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में अध्यक्ष / निदेशक आदि के नाम अेने की बजाय "_____ सरकार का प्रतिष्ठान" का उल्लेख है ।
- ☞ बैंकों / वित्तिय संस्थाओं / केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के नामिती निदेशकों के नाम शामिल नहीं किये गये हैं ।
- ☞ 25 लाख रुपये से कम की बकाया राशि के रिकॉर्ड शामिल नहीं किये गये हैं ।
- ☞ निम्नलिखित प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है (क्योंकि फील्ड को उचित रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है):
  'मेसर्स' , 'मिस्टर' , 'श्री' आदि
- ☞ 'मिसेज', 'श्रीमती', 'डॉ.' आदि शब्द यदि लागू हों तो नाम के अंत में दिये गये हैं ।
- ☞ फील्ड सं. 9 को मुकदमा दायर किये गये खातों के मामले में ही भरा गया है । अन्य फील्डों के लिए जानकारी पूर्ण रूप से भरी गयी है और इन्हें रिक्त नहीं छोड़ा गया है (DIR 1 से DIR 14 तक के कुछ फील्डों को छोड़कर) ।
- ☞ प्रमाणपत्र पर पर्याप्त रूप में वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और लिखा गया है कि चूककर्ताओं की सूची सही ढंग से संकलित की गयी है और उसके ब्यौरों का विधिवत् सत्यापन किया गया है तथा रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया गया है । यह प्रमाणपत्र फ्लॉपी के साथ भेजा जाये ।

संशोधित फार्मेट उस फार्मेट के अनुकूल है, जिसमें बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को फ्लॉपी डिस्क में डाटा परिचालित किये जा रहे हैं । बैंक 30 जून 1999 को (अथवा उससे पहले) परिचालित फ्लॉपी की JUN99WFD.dbf से अपने बैंक / वित्तीय संस्था से संबंधित रिकॉर्ड की नकल ले सकते हैं और उसे आधार फाइल के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं । विकल्प रूप में बैंक / वित्तीय संस्थाएं अपनी .dbf फाइल में ऊपर बताये गये ढांचे के अनुसार परिवर्तन कर सकती हैं । फार्मेट में संशोधन करते समय बैंक / वित्तीय संस्थाएं फील्ड नामों को बदलने का ध्यान रखें । इसके अतिरिक्त फील्ड 'STATE' को 15 की चौड़ाई देकर फील्ड 'BKBR' के बाद जोड़ा जाये तथा फील्ड 'OTHER-BK' को 40 की चौड़ाई देकर फील्ड 'SUIT' के बाद जोड़ा जाये ।

जानकारी प्राप्त करने और वितरित करने संबंध में हमारे 20 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी.डीएल. (डब्ल्यू) 12/20.16.002(1)/98-99 के द्वारा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । ***बैंक / वित्तीय संस्थायें 31 मार्च 2000 को समाप्त तिमाही से संशोधित फार्मेट में डाटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।***

अनुबंध III

(ए) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ताओं के बारे में जानकारी प्रकट करना- 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों की सूची

हमारे 24 नवम्बर 1995 के परिपत्र बैंपविवि. बीसी / सीआइएस (डी) सं. 135 / 20.16.002 / 95-96 द्वारा जारी किये गये वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों की प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति का विवरण कागज़ पर प्रिंट (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करें । मुकदमा दायर खातों के फार्मेट को मानक रूप देने और दोनों विवरणों में डाटा देने में दोहराव को बचाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों की सूची बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कागज पर प्रिंट के साथ-साथ फ्लॉपी डिस्क में भी प्राप्त की जाये ।

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक को डाटा प्रस्तुत करते समय फ्लॉपी डिस्क में निम्नलिखित ढांचा ('उन्हीं' फील्ड नामों का) प्रयोग करें :

Field	*Field Name*	*Type*	*Wi-dth*	*Description*	*Remarks*
1	SCTG	Numeric	1	Category of bank/FI	Number 1/2/4/6/8 should be fed 1 SBI and its associate banks 2 Nationalised banks 4 Foreign banks 6 Private Sector Banks 8 Financial Institutions
2	BKNM	Character	40	Name of bank/FI	
3	BKBR	Character	30	Branch name	Name of the branch should be fed in place of branch code number.
4	STATE	Character	15	Name of state	Name of state in which branch is situated
5	SRNO	Numeric	4	Serial No.	
6	PRTY	Character	45	Name of Party	The legal name
7	REGADDR	Character	96	Registered address	Registered Office address
8	OSAMT	Numeric	6	Outstanding amount	The amount for which suit has

				in Rs. lakhs (Rounded off)	been filed should be indicated.
9	ASSETCLASS	Character	5	Asset Classification	Fixed ◆ 'DOUBT' for doubtful a/c ◆ 'LOSS' for loss a/c ◆ 'SUBST' for sub-standard a/c ◆ 'STD' for standard a/c
10	DATECLASS	Character	5	Date of classification	Month in which the a/c was classified as 'DOUBT'/'LOSS/ SUBST/STD' in the format 'mmmyy' where mmm stand for the first 3 characters of the month. As this field is 'character' type, the format is not sensitive to date and the Y2K is not relevant. The date of classification 'march 2000' should be filled up as 'MAR00'.
11	DIR1	Character	24	Name of director*	(a) In case of Government companies the legend "Govt. of _____ undertaking" alone should be mentioned. (b) The names of nominee directors of banks/ FIs/ Central Govt./State Govt. should not be included. (c) In case of professional directors, '(Prof.)' should be entered against the name of such director. (d) If total number of directors exceed 14, the name of additional directors may be entered in blank spaces available in the other directors' columns.
12	DIR2	Character	24	Name of director	— do —-

13	DIR3	Character	24	Name of director	— do —
14	DIR4	Character	24	Name of director	— do —
15	DIR5	Character	24	Name of director	— do —
16	DIR6	Character	24	Name of director	— do—
17	DIR7	Character	24	Name of director	— do—
18	DIR8	Character	24	Name of director	— do —
19	DIR9	Character	24	Name of director	— do —
20	DIR10	Character	24	Name of director	— do —
21	DIR11	Character	24	Name of director	— do —
22	DIR12	Character	24	Name of director	— do —
23	DIR13	Character	24	Name of director	— do —
24	DIR14	Character	24	Name of director	— do —
		Total bytes	**584**		

उक्त ढांचा वही है जो चूककर्ताओं की सूची का है, सिवाय इसके कि जमाकर्ताओं की सूची के फार्मेट में 'SUIT' और 'OTHER_BK' नाम से एक अतिरिक्त फील्ड है । मुकदमा दायर खातों की सूची चूककर्ताओं की सूची से निकालकर तैयार की जा सकती है । यह जानकारी उपर्युक्त फार्मेट में **3.5" फ्लॉपी में .dbf फाइल के रूप में ही प्रस्तुत की जाये (डीबेस अथवा फॉक्स-प्रो पैकेज में ही प्रोसेस की जानी चाहिए)** । फ्लॉपी प्रस्तुत करते समय बैंक / वित्तीय संस्थायें यह सुनिश्चित करें कि :

- ☞ फ्लॉपी वाइरस से मुक्त और पढ़ने योग्य है
- ☞ प्रत्येक फील्ड का नाम और उसकी चौड़ाई तथा उनका क्रम उपर्युक्त फार्मेट में ही है ।
- ☞ सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में अध्यक्ष / निदेशक आदि के नाम देने की बजाय "_____ सरकार का प्रतिष्ठान" का उल्लेख है ।
- ☞ बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के नामिती निदेशकों के नाम शामिल नहीं किये गये हैं ।
- ☞ 1 करोड़ रुपये से कम की बकाया राशि के रिकॉर्ड शामिल नहीं किये गये हैं ।
- ☞ निम्नलिखित प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है (क्योंकि फील्ड को उचित रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है):

  'मेसर्स' , 'मिस्टर' , 'श्री' आदि

- ☞ 'मिसेज', 'श्रीमती', 'डॉ.' आदि शब्द यदि लागू हों तो नाम के अंत में दिये गये हैं ।
- ☞ फील्ड सं. 11 को मुकदमा दायर किये गये खातों के मामले में ही भरा गया है । अन्य फील्डों के लिए जानकारी पूर्ण रूप से भरी गयी है और इन्हें रिक्त नहीं छोड़ा गया है (DIR 1 से DIR 14 तक के कुछ फील्डों को छोड़कर) ।
- ☞ प्रमाणपत्र पर पर्याप्त रूप में वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और लिखा गया है कि चूककर्ताओं की सूची सही ढंग से संकलित की गयी है और उसके ब्यौरों का विधिवत् सत्यापन किया गया है तथा रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया गया है । यह प्रमाणपत्र फ्लॉपी के साथ भेजा जाये ।
- ☞ **खातों की संख्या 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के चूककर्ताओं की सूची के अंतर्गत प्रस्तुत मुकदमा दायर खातों की संख्या से मेल खानी चाहिए ।**

बैंक और वित्तीय संस्थाएं 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से उपर्युक्त फार्मेट में डाटा प्रस्तुत करें ।

(बी) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ताओं के बारे में जानकारी प्रकट करना - 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों की सूची - तिमाही अद्यतन

बैकों और वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती हे कि वे मुकदमा दायर खातों की सूची में जोड़ी गयी और उसमें से हटायी गयी जानकारी (30 जून, 30 दिसम्बर की स्थिति) हमारे 30 अक्तूबर 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 117/20.16.002/99-2000 के अनुसार कागज़ पर प्रिंट के रूप में प्रस्तुत करें । अब यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त सूची कागज़ पर प्रतियों के अतिरिक्त फ्लॉपी डिस्क में भी प्रस्तुत की जाये । निम्नलिखित फार्मेट दोनों प्रकार की फाइलों को अद्यतन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए । ये दो प्रकार की फाइलें हैं - एक तो जोड़े गये रिकॉर्ड के लिए तथा दूसरी हटाये गये रिकॉर्ड के लिए ।

(I) 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों में **तिमाही के दौरान जोड़ी गयी** जानकारी प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट - वही जो मुकदमा दायर खातों की सूची का है (जैसा कि ए में वर्णित है) ।

(II) । करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों में **तिमाही के दौरान हटायी गयी** जानकारी नीचे दिये गये रूप में है :

Field	*Field Name*	*Type*	*Wi-dth*	*Description*	*Remarks*
1	SCTG	Numeric	1	Category of bank/FI	Number 1/2/4/6/8 should be fed 1 SBI and its associate banks 2 Nationalised banks 4 Foreign banks 6 Private Sector Banks 8 Financial Institutions
2	BKNM	Character	40	Name of bank/FI	
3	BKBR	Character	30	Branch name	Name of the branch should be fed.
4	STATE	Character	15	Name of state	Name of state in which branch is situated
5	SRNO*	Numeric	4	Serial No.	
6	PRTY	Character	45	Name of Party	The legal name
7	REGADDR	Character	96	Registered address	Registered Office address
8	PAGENO	Numeric	4	Page Number	Page number in the booklet of suit-filed accounts published by RBI
	Total bytes		**236**		

* पुस्तिका में 31 मार्च की स्थिति दी गयी है ।

यह जानकारी उपर्युक्त फार्मेट में **3.5" फ्लॉपी में .dbf फाइल के रूप में ही प्रस्तुत की जाये (डी बेस अथवा फॉक्स-प्रो पैकेज में ही प्रोसेस की जानी चाहिए) ।**

जानकारी प्राप्त करने और वितरित करने के संबंध में हमारे 30 अक्तूबर 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 117/20.16.002/99-2000 के द्वारा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । ***बैंक / वित्तीय संस्थायें 30 जून 2000 को समाप्त तिमाही से संशोधित फार्मेट में डाटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।***

दिनांक 3/5/2000 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

4. ऋण सूचना ब्यूरो (सी. आइ. बी.)

देश में ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की रूपरेखा बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल की रिपोर्ट बैंकों को परिचालित की जा चुकी है । ऋण सूचना ब्यूरो से आशा है कि ऋण और निवेश के संबंध में बैंक और वित्तीय संस्थाएं शीघ्र निर्णय ले सकेंगी और साथ ही संस्थागत तंत्र के बेहतर होने से नयी अनर्जक आस्तियां पैदा नहीं होंगी । शुरुआत के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना और उक्त ब्यूरो की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए हाउसिंग विकास वित्त निगम (एच. डी. एफ. सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं । ये रूपरेखा इक्विटी सहभागिता, प्रबंधन-ढांचा, सुरक्षा मानकों, अधिकारों और देयताओं आदि से संबंधित होगी । प्रस्तावित ब्यूरो विभिन्न पार्टियों के संबंध में ऋण तथा अन्य जानकारी एकत्र करेगा और संभावित पार्टियों के साथ उस जानकारी को बांटेगा।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे इस प्रकार की जानकारी एक स्थान पर एकत्र और संग्रहीत करने के लिए अपनी गृह-व्यवस्था करें, ताकि जब कभी ब्यूरो की स्थापना हो, तो उसे यह जानकारी प्रेषित की जा सके ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

भाग IX

विवरणी

IX

बैंपविवि. सं. 10/12.01.001/98-99

15 फरवरी 1999
26 माघ 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की धारा 42(2) - फार्म 'ए' में विवरणी

कृपया 24 अगस्त 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. 89/12.01.001/98-99 देखें, जिसके अनुसार भारत स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे सूचना दिये जानेवाले शुक्रवार, 9 अक्तूबर 1998 से निम्नलिखित सूचना के साथ फार्म 'ए' में विवरणियां प्रस्तुत करें :-

(i) फार्म 'ए' का एक ज्ञापन, जिसमें प्रदत्त पूंजी, प्रारक्षित निधि, जमा प्रमाणपत्रों तथा मीयादी जमाराशियों की अवधिपूर्णता की संरचना संबंधी आंकड़े शामिल किये गये हों,

(ii) अनुबंध 'ए' - इसमें विभिन्न योजनाओं यथा, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) आदि के रूप में बाह्य देयताओं के अलग-अलग आंकड़े, विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा विदेशी मुद्रा में भारत में दिये गये बैंक ऋण और विभेदक / शून्य प्रारक्षित निधि संबंधी निर्धारणों के अंतर्गत आने वाली देशी देयताओं संबंधी आंकड़े शामिल किये गये हों तथा

(iii) अनुबंध 'बी' - इसमें तीन प्रतिभूतियों की तीन श्रेणियों अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा गैर अनुमोदन प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश संबंधी विस्तृत आंकड़े शामिल किये गये हों ।

2. हमें विभिन्न अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें उन्होंने फार्म 'ए' के ज्ञापन, अनुबंध 'ए' और अनुबंध 'बी' में प्रस्तुत किये जाने वाले कतिपय आंकड़ों के समेकन की पद्धति के संबंध में स्पष्टीकरण चाहे हैं । बैंक सही सूचना प्रस्तुत कर सकें इसके लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये जा रहे हैं :-

I. फार्म 'ए' का ज्ञापन

प्रारक्षित निधियां (मद 1.1) : बैंक अपने पिछले तुलनपत्र के अनुसार सभी प्रारक्षित निधियों (स्वतंत्र तथा सांविधिक प्रारक्षित निधि) को शामिल करें और उसे प्रत्येक पखवाड़े में तब तक सूचित करते रहें जब तक कि अगले वर्ष का लेखा-परीक्षित तुलनपत्र जारी न हो जाए ।

मीयादी जमाराशियां (मद 2) : बचत बैंक खाते की मीयादी देयताओं वाला भाग (विनियम 7 के अनुसार) भी अल्पावधि मीयादी जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाये (मद 2.1) ।

II. अनुबंध 'ए' - पुनर्मूल्यांकन मूल्य (स्तंभ 3) और ब्याज (स्तंभ 4)

बैंक विभिन्न योजनाओं, जैसे विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी), विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी), निवासी विदेशी मुद्रा, एस्क्रो खातों (आरएफसी), विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी) योजना के अंतर्गत अधिकतम विदेशी मुद्रा ऋण सीमा, फेडाई सांकेतिक दरों पर एशियाई समाशोधन यूनियन खातों (अमरीकी डालर) में जमा शेष के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में अपनी देयताओं का पुनर्मूल्यांकन करें । अन्य सभी अनिवासी रुपया देयताओं, जैसे अनिवासी विदेशी (एनआरई), अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) के पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जमाराशियां स्वीकार करते समय इनका रुपये में विनिमय परंपरागत (हिस्टोरिकल) / अनुमानित (नोशनल) दरों पर किया जाता है । जहां तक ब्याज (स्तंभ 4) का संबंध है, बैंक सभी देयताओं के संबंध में उपचित ब्याज देना जारी रखें, जैसा कि अभी दिया जा रहा है । यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात हेतु शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाराशियों को छोड़कर बकाया बही मूल्य (स्तंभ 2) और अनुबंध 'ए' के उपचित ब्याज (स्तंभ 4) को हिसाब में लेना चाहिए । विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाराशियों के मामले में नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात की गणना करने के लिए पुनर्मूल्यांकन मूल्य और उपचित ब्याज को लिया जाना चाहिए ।

विदेशी उधार : यह निर्णय किया गया है कि अनुबंध 'ए' के फुटनोट 3 को हटा दिया जाये ।
सभी नोस्ट्रो खातों में जमा से अधिक किये गये (कुल आहरणों को विदेशी उधारों में शामिल किया जाना चाहिए और इसे अन्य नोस्ट्रो खातों में जमा शेष के लिए घटाया नहीं जाना चाहिए । इसके अलावा विदेशी बाज़ार या प्रधान कार्यालय (विदेशी बैंकों के मामले में) से लिये गये किसी अन्य उधार को भी शामिल किया जाना चाहिए । जहां तक संभव हो **वास्तविक जमा शेष** के आंकड़े प्रस्तुत किया जाने चाहिए अन्यथा जमाशेष प्रतिरूप (मिरर) लेखों में दिये जा सकते हैं ।

III. अनुबंध 'बी' निवेशों का पुनर्मूल्यांकन

वर्तमान में, बैंकों को 3 अप्रैल 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 37/21.04.048/95 में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार त्रैमासिक आधार पर अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये अपने निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है । उन्हीं आंकड़ों (पुनर्मूल्यांकित) को उस तिमाही के दौरान अनुबंध 'बी' के स्तंभ 3 के अंतर्गत प्रत्येक सूचना दिये जानेवाले शुक्रवार को सूचित करें । जहां तक अनुबंध 'बी' की मद II के अंतर्गत गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों के पुनर्मूल्यांकन का संबंध है, उन्हें उस समय सूचित किया जाये जब बैंक **चालू पद्धति / अनुदेशों के अनुसार अपने निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करें** और अगला पुनर्मूल्यांकन किये जाने तक प्रत्येक पखवाड़े में उसी पुनर्मूल्यांकन दर पर सूचित करते रहें ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 48/12.05.005/98-99 **19 मई 1999**
29 वैशाख 1921(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

भारत स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां (फार्म ए-1)
और आय तथा व्यय का विवरण (फार्म ए-2)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा हर वर्ष 31 दिसंबर तक फार्म 'ए-1' और फार्म 'ए-2' में उक्त दो वार्षिक विवरणियां हमारे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को प्रस्तुत की जाती हैं । इस संबंध में, हम आपका ध्यान 1 अक्तूबर 1996 के अपने परिपत्र बैंपविवि.सं. 72/11.01.001/ (काम-बैंक्स) 96-97 की ओर आकृष्ट करते हैं ।

2. यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) से फार्म ए-1 में विवरणी मंगाना तत्काल बंद कर दिया जाये । फार्म ए-2 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से विवरणी मंगाना जारी रखा जायेगा । तथापि, फार्म ए-2 प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को संदर्भ वर्ष के दिसंबर के स्थान पर बदलकर सितंबर माह कर दिया गया है । फार्म ए-2 में सूचित किये जाने वाले आंकड़े हर तरह से (अनुबंधों सहित) पूरे होने चाहिए । सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया जाता है कि वे लेखा वर्ष के तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता तथा वार्षिक रिपोर्ट की एक-एक प्रति के साथ फार्म ए-2 में पूरी भरी गयी विवरणी हर वर्ष सितंबर के अंत तक निम्नलिखित पते पर सीधे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें :

निदेशक,
बैंकिंग अध्ययन प्रभाग,
सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी-9, 7वीं मंज़िल, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400051.

3. फार्म ए-2 के फार्मेट निदेशक, रिपोर्ट समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग, आर्थिक और विश्लेषण नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बिक्री अनुभाग, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, फोर्ट, मुंबई-400001 के पास उपलब्ध हैं ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 49/12.05.001/98-99 **19 मई 1999**
29 वैशाख 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक,
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 -
फार्म X विवरणी प्रस्तुत करना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27(1) के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार या उक्त शुक्रवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत यदि छुट्टी है तो उसके एक दिन पूर्व के कारोबार की समाप्ति के अनुसार भारत में अपनी आस्तियों और देयताओं का ब्योरा देते हुए फार्म "X" में एक विवरणी, जिस माह से विवरणी संबंधित है, उससे अगले माह की समाप्ति के पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होती है ।

इस संबंध में हम आपका ध्यान 15 फरवरी 1993 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 78/12.05.001/92-93 की ओर आकृष्ट करते हैं जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी प्रणाली में ऐसे समुचित उपाय अंतर्निहित हों जिससे फार्म "X" विवरणी निर्धारित एक माह की अवधि में सीधे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जाये जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त बैंक आता है । उक्त परिपत्र में बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि फार्म "X" की एक टंकित प्रति निम्नलिखित पते पर हमारे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को भी सीधे ही भेज दी जाये :

निदेशक,
सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
केन्द्रीय कार्यालय,
सी-8 /9, बांद्रा कुर्ला संकुल,
मुंबई - 400 051

सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग द्वारा हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कुछ वाणिज्य बैंक निर्धारित प्रोफार्मा में आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं और फार्म "X" में विवरणी के लिए समय सारणी का अनुपालन भी नहीं करते हैं । ये विवरणियां भारत में बैंकों की आस्तियों और देयताओं के संबंध में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराती हैं । समुचित कम अवधि में अंतिम आंकड़े तैयार करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा समय पर विवरणी प्रस्तुत करना अत्यावश्यक है । अतः आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में फार्म "X" में विवरणी बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को और सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को भी निर्धारित एक महीने की अवधि में प्रस्तुत की जाती है ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 127/12.05.005/99-2000 **30 नवंबर 1999**
9 अग्रहायण 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक,

प्रिय महोदय,

बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों का युक्तिकरण

बैंकों द्वारा नियमित रूप से प्रस्तुत वर्तमान विवरणियों / विवरणों की, युक्तिकरण और अनावश्यक शब्दों की पहचान के प्रयोजनार्थ, हाल ही में विस्तृत जांच की गयी थी । तदनुसार निम्नलिखित विवरणियों / विवरणों के प्रस्तुत करने में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय किया गया है :

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत फार्म X

बैंकों को 19 मई 1999 के परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 49/12.05.001/98-99 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि वे उपर्युक्त विवरणी बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें जिसके क्षेत्राधिकार में वह बैंक आता है तथा उसकी एक प्रति हमारे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को प्रस्तुत करें । समीक्षा के बाद यह निर्णय किया गया है कि इस विवरणी को अब उन्हें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने की आवश्यकता नहीं है । तथापि वे यह विवरणी सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को भेजते रहें ।

2. निजी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का विवरण

भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 27 मई 1983 के हमारे परिपत्र डीबीओडी. सं. 1142/सी.469(47)-83 के अनुसार प्रस्तुत उक्त विवरण की आवधिकता को छमाही से बदल कर वार्षिक कर देने का निर्णय किया गया है । संबंधित बैंक अब यह विवरण प्रत्येक वर्ष दिसंबर अंत की यथास्थिति के अनुसार संबंधित तारीख से दो महीने के भीतर हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करें ।

3. खाद्य तेलों और तिलहनों पर व्यापारियों को अग्रिमों का विवरण

बैंकों को 17 अगस्त 1977 के परिपत्र डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 103/सी.218(एच) द्वारा सूचित किया गया था कि वे खाद्य तेलों और तिलहनों पर 25,000 रुपये और उससे अधिक के बकाया अग्रिमों पर प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एक रिपोर्ट भेजें । यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को अब यह रिपोर्ट हमें भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

4. कार्ययोजना प्रगति की रिपोर्ट पर विवरणी

निजी क्षेत्र के बैंकों को 20 जुलाई 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एमसी. 02/19.06.02/97-98 के द्वारा सूचित किया गया था कि वे अप्रैल 1998 से मार्च 2000 तक की अवधि के लिए समुचित कार्ययोजना तैयार करें और छमाही आधार पर वर्तमान फार्मेट में आकड़ा / प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें । इस स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि बैंक उक्त छमाही प्रगति रिपोर्ट हमें और हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजना बंद कर दें क्योंकि कार्ययोजना में शामिल विभिन्न मापदंडों पर बैंकों द्वारा डीएसबी विवरणियों में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की जा रही है ।

5. हामीदारी व्यवसाय की विवरणी

बैंकों को 25 नवंबर 1986 के परिपत्र बैंपविवि. सं.जीसी. बीसी. 137/सी.408 सी (पी) 86 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि वे अपने निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी वार्षिक समीक्षा की एक प्रति हमें भेजें जिसमें वर्ष के दौरान किये गये हामीदारी परिचालनों, बैंक द्वारा शेयरों / डिबेंचरों में किये गये अभिदान आदि शामिल हों । यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अब भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त समीक्षा भेजने की आवश्यकता नहीं है । हमारे उपर्युक्त परिपत्र में सूचित अन्य अनुदेश जारी रहेंगे।

6. **प्रोफार्मा II और III** (नये कार्यालय और शाखाएं खोलने का विवरण और वर्तमान कार्यालय / शाखा की स्थिति में परिवर्तन / के विलयन / बंद करने का विवरण)

21 अक्तूबर 1997 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीएल. बीसी. 115/22.06.001/97 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि प्रोफार्मा II एवं III में मासिक विवरणियां संबंधित माह के अगले महीने के सात दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए । अब इन विवरणियों की आवधिकता मासिक से बदल कर तिमाही कर देने का निर्णय किया गया है । तदनुसार प्रोफार्मा II एवं III में उक्त विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ये दिसंबर 1999 की तिमाही से प्रारंभ की जायें जो 15 जनवरी, 2000 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
मुख्य महा प्रबंधक

भाग X

विविध

(ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय, आदि



बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 42/24.01.013/99 **29 अप्रैल 1999**
9 वैशाख 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक / वित्तीय संस्थाएं
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (एम एम एम एफ) के निवेशकों के लिए चेक काटने की सुविधा

कृपया आप 20 अप्रैल 1999 के परिपत्र एमपीडी सं. बीसी. 185/07.01.279/ 98-99 के साथ संलग्न 'वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति' के संबंध में गवर्नर के वक्तव्य का उपर्युक्त विषय पर पैरा 46 देखें । अधिक चलनिधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और बचतकर्ताओं के हित में यह निर्णय लिया गया है कि मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों को उनके निवेशकों के लिए चेक काटने की सुविधा देने की अनुमति दी जाये । चूंकि मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां कोई बैंक नहीं हैं और वे यह सुविधा सीधे प्रदान नहीं कर सकतीं, अतः चेक काटने की सुविधा किसी बैंक के साथ संबद्धता के स्वरूप की ही हो सकती है । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुविधा प्रदान करने में निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय करें :

(क) बैंकों द्वारा स्थापित एमएमएमएफ /मनी मार्केट डिपोजिट एकाउंट (एम एम डी ए) के मामले में यह संबद्धता प्रायोजक बैंक / उस बैंक के साथ होनी चाहिए जिसका एम एम डी ए एक प्रभाग है । वित्तीय संस्थाओं और पारस्परिक निधियों द्वारा स्थापित एम एम एम एफ के मामले में संबद्धता नामित बैंक के साथ होनी चाहिए । बैंक का नाम योजना के प्रस्ताव दस्तावेज़ में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए ।

(ख) प्रस्ताव दस्तावेज़ में यह स्पष्ट सूचित किया जाना चाहिए कि 'चेक काटने' की सुविधा देने के लिए की गयी संबद्धता एम एम एम एफ और नामित बैंक के बीच मात्र एक वाणिज्यिक व्यवस्था है, अत: एम एम एम एफ के यूनिटों के लिए सेवा प्रदान करना किसी भी तरह संबंधित बैंक का प्रत्यक्ष दायित्व नहीं होगा । सभी सार्वजनिक घोषणाओं और अलग-अलग निवेशकों को प्रेषित सूचनाओं में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(ग) एम एम एम एफ में किसी एकल निवेशकर्ता को इस सुविधा की अनुमति निवेशक के विकल्प पर नामित बैंक की किसी एक शाखा में ही दी जा सकती है ।

(घ) यह आहरण खाते के स्वरूप की होनी चाहिए, जो किसी अन्य खाते से पृथक् हो, आहरणों के लिए स्पष्ट सीमाएं हों और आहरित किये जाने वाले चेकों की संख्या आदि निश्चित हो, जैसा कि एम एम एम एफ द्वारा निर्धारित हो । खाते में कोई राशि जमा नहीं की जा सकती । उक्त सुविधा के अंतर्गत निवेश द्वारा किया गया प्रत्येक आहरण मुद्रा बाज़ार पारस्परिक

निधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए तथा उसे उस सीमा तक मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि की धारिताओं का मोचन माना जाना चाहिए ।

(ङ) मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों में निवेशों के लिए यह सुविधा निवेशकों को 15 दिनों की न्यूनतम अवरुद्ध (लॉक-इन) अवधि के बाद ही उपलब्ध होगी ।

(च) बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि द्वारा आहरण खाते को निधि हर समय पहले से उपलब्ध हो तथा निधियों की स्थिति की समीक्षा दैनिक आधार पर की जानी चाहिए ।

(छ) ऐसे अन्य उपाय, जिन्हें बैंक आवश्यक समझे ।

योजना से संबंधित अन्य सभी दिशा-निर्देश अपरिवर्तित हैं ।

भवदीय

(नूरुल हक़ सिद्दीक़ी)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी 65/24.01.001/99 **1 जुलाई 1999**
10 आषाढ़ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

वित्तीय सेवा कंपनियों की शेयर पूंजी में सहभागिता

हमें ऐसी जानकारी मिली है कि बैंक / बैंकों की सहायक संस्थाएं भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना शेयर बाज़ारों, डिपॉजिटरी आदि की ईक्विटी में अंशदान कर रही हैं । इस संबंध में हम 15 अक्तूबर 1991 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 45/सी.469-91/92 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक से विशिष्ट तौर पर पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना वित्तीय सेवा संबंधी किसी संस्था की ईक्विटी में भाग न लें, भले ही ऐसे निवेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर आ रहे हों । अतः अनुरोध है कि वित्तीय कंपनियों - शेयर बाज़ारों, डिपॉजिटरी आदि सहित - की ईक्विटी में संविभागीय निवेश करते समय हमारे उक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें ।

भवदीय

(अर्णव राय)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. 99/24.01.013/99-2000 **9 अक्तूबर 1999**
17 आश्विन 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) /
वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

मुद्रा बाज़ार म्युचुअल फंडों के निवेशकों के लिए
चेक काटने की सुविधा

कृपया 29 अप्रैल 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 42/24.01.013/99 देखें। दर्शाये गये सुरक्षा उपायों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र की मद (घ) के अंतर्गत उल्लिखित आहरण खाते को नियमित बैंक खाता नहीं माना जाना चाहिए तथा उसका प्रयोग तीसरे पक्षकारों के पक्ष में चेक जारी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चेक सिर्फ स्वयं निवेशक के पक्ष में (मोचन के भाग के रूप में) काटे जाने चाहिए ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 119 /24.01.013/99-2000 **2 नवम्बर 1999**
11 कार्तिक 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड)
योजना - दिशा-निर्देश

कृपया उपर्युक्त विषय में 11 दिसंबर 1995 का हमारा परिपत्र एफएससी. बीसी. 147/ 24.01.013/95-96 और उसमें बाद में किये गये परिवर्तन देखें । वर्तमान में, मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड) की स्थापना मुद्रा बाज़ार जमा खाते के रूप में विभागीय रूप से अथवा पृथक् अस्तित्व अर्थात् 'न्यास' के रूप में की जा सकती है । दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि आगे से मुद्रा बाज़ार म्युचुअल फंडों को केवल 'न्यास' के रूप में पृथक् अस्तित्व के रूप में स्थापित करने की अनुमति दी जाये । इस प्रकार, मुद्रा बाज़ार जमा खाते के रूप में मुद्रा बाज़ार म्युचुअल फ़ंडों की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

2. हमारे पहले के परिपत्रों में उल्लिखित परिचालन संबंधी अन्य सभी दिशा-निर्देश अपरिवर्तित हैं ।

3. इसके परिणामस्वरूप होने वाले संशोधन म्युचुअल फंड नियम पुस्तक खंड I - भाग II के पैरा 15.8 के अनुबंध में कृपया कर लें ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 120 /24.01.013/99-2000 **2 नवंबर 1999**
29 आश्विन 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

गिल्ट निधियों और चलनिधि आय योजनाओं के
निवेशकों के लिए चेक काटने की सुविधा

कृपया मौद्रिक और ऋण नीतिः 1999-2000 की मध्यावधि समीक्षा का पैराग्राफ 41(iv) देखें । 29 अप्रैल 1999 के परिपत्र सं.एफएससी.बीसी.42/24.01.013/99 तथा उसके बाद 9 अक्तूबर 1999 के परिपत्र सं.एफएससी.बीसी.99/ 24.01.013/99-2000 के द्वारा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्तमान में मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (म्युच्युअल फंडों) को अपने ग्राहकों को चेक काटने की सुविधा किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के साथ व्यवस्था करके देने की अनुमति है ।

2. अब यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुमति दी जाये कि वे गिल्ट निधियों और पारस्परिक निधियों की उन चलनिधि आय योजनाओं को चेक काटने की सुविधा दें जो मुद्रा बाजार के लिखतों में मुख्य रूप से अपने पूंजी निकाय के 80 प्रतिशत से कम नहीं) निवेश करते हैं । यह अनुमति उन्हीं सुरक्षात्मक उपायों के अधीन होगी, जो मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (म्युच्युअल फंडों) के लिए निर्धारित हैं । 29 अप्रैल 1999 के परिपत्र सं.एफएससी.बीसी. 42/ 24.01.013/99 का खण्ड (ङ), जिसमें न्यूनतम 15 दिन की रुद्धता अवधि निर्धारित की गयी है, गिल्ट निधियों और पारस्परिक निधियों की चलनिधि आय योजनाओं के मामले में लागू नहीं होगा । ऐसे मामलों में किसी रुद्धता अवधि का निर्धारण सेबी विनियमों से नियंत्रित होगा ।

भवदीया

(चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. 123 /24.01.019/99-2000 **12 नवम्बर 1999**
21 कार्तिक 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

कुछ बैंक स्मार्ट कार्ड /डेबिट कार्ड लागू कर चुके हैं और कुछ अन्य बैंक इस तरह के कार्ड लागू करने के इच्छुक हैं । चूंकि स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड भुगतान के नये लिखत हैं, अतः यह आवश्यक समझा गया है कि इस संबंध में पालन किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों सहित बैंकों को स्थूल दिशा-निर्देश जारी किये जायें । इस तरह के दिशा-निर्देश बैंकों द्वारा अनुपालन के लिए **अनुबंध - I** में दिये गये हैं ।

2. बैंक संलग्न दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्मार्ट / डेबिट कार्ड लागू करें । बैंकों को इसके लिए रिज़र्व बैंक का पहले से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, परन्तु लागू किये जानेवाले स्मार्ट / डेबिट कार्डों के ब्यौरे हमें भेजे जायें, जिनके साथ निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गयी कार्यसूची-टिप्पणी तथा उस पर पारित संकल्प की एक-एक प्रति भी भेजी जाये । यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को बैंकों से इतर किसी अन्य संस्था के साथ स्मार्ट / डेबिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए ।

3. बैंक स्मार्ट /डेबिट कार्डों के परिचालन संबंधी स्थिति की समीक्षा करें और समीक्षा नोट छमाही अंतराल पर अपने निदेशक मंडल को प्रस्तुत करें । यह समीक्षा नोट प्रतिवर्ष मार्च और सितम्बर के अंत की स्थिति का हो सकता है ।

4. बैंकों द्वारा जारी किये गये स्मार्ट / डेबिट कार्डों के परिचालनों से संबंधित रिपोर्ट प्रभारी परामर्शदाता, भारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक नीति विभाग, मुंबई - 400 001 को पाक्षिक आधार पर अर्थात् रिपोर्टिंग शुक्रवार को भेजी जाये, जिसमें **अनुबंध - II** में बतायी गयी जानकारी दी जाये ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुबंध - I

बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

1. व्याप्ति :

ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किन्हीं परिचालनों को समाहित करने वाले स्मार्ट / डेबिट कार्डों पर लागू होंगे -

- कार्ड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, विशेष रूप से बिक्री के स्थान तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जहां कार्ड के उपयोग / पहुंच के लिए टर्मिनल / उपकरण लगाया गया है ।
- बैंक नोटों का आहरण और बैंक नोट तथा चेक जमा करना और कैश वितरण मशीनों और स्वचलित टेलर मशीनों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संबंधित परिचालन ।
- कार्ड अथवा किसी भी कार्ड का ऐसा कार्य जिसमें इलेक्ट्रॉनिक धन के रूप में वास्तविक मूल्य निहित हो, जिसे किसी ने अग्रिम अदा किया हो, जिनमें से कुछ को आगे निधियों के लिए पुनः लोड किया जा सकता हो अथवा जो इस प्रकार के खाते के माध्यम से कार्डधारक के बैंक खाते को सम्बद्ध (ऑनलाइन) करता हो और जिसका इस्तेमाल अनेक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो ।

2. नकदी का आहरण

कोई नकदी लेनदेन नहीं हो, अर्थात् बिक्री के स्थान पर स्मार्ट / डेबिट कार्डों से किसी भी सुविधा के अंतर्गत बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण के बिना नकदी का आहरण और राशि जमा नहीं करना ।

3. ग्राहकों की पात्रता

बैंक अपने उन ग्राहकों को स्मार्ट / डेबिट कार्ड जारी करें जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो और जिन्होंने कम से कम छः महीने के लिए संतोषजनक ढंग से खाता परिचालित किया हो । फिर भी बैंक अच्छी वित्तीय स्थिति वाले चुनिंदा ग्राहकों को ऑनलाइन डेबिट कार्ड उस स्थिति में भी जारी कर सकते हैं जब उन ग्राहकों ने बैंक में छः महीने से कम समय तक रखा हो । बैंक स्मार्ट / डेबिट कार्ड की सुविधा बचत खाते / चालू खाते / उसी में निहित चलनिधि विशेषताओं वाले सावधि जमा खाते के धारक व्यक्तियों, कंपनी निकायों और फर्मों को जारी कर सकते हैं । स्मार्ट / डेबिट कार्ड सुविधा नकदी साख / ऋण खातेदारों को नहीं दी जानी चाहिए । परन्तु बैंक निजी ऋण खातों पर उस स्थिति में ऑनलाइन डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं जहां चेक के माध्यम से परिचालनों की अनुमति हो ।

4. चलनिधि संबंधी व्यवहार

स्मार्ट / डेबिट कार्डों में स्टोर की गयी बकाया शेष राशियां / खर्च न की गयी शेष राशियां प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं रखने के लिए गणना हेतु ली जायेंगी । इस स्थिति की गणना रिपोर्टिंग की तारीख को बैंक की बहियों में दिखायी गयी शेष राशियों के आधार पर की जायेगी ।

5. ब्याज का भुगतान

भंडार किये गये मूल्य वाले स्मार्ट कार्डों के मामले में (जैसा कि स्मार्ट कार्ड के परिचालन के ऑफलाइन कार्ड के मामले में है) स्मार्ट कार्ड को अंतरित की गयी शेष राशियों पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जायेगा । डेबिट कार्डों की ऑनलाइन स्मार्ट कार्डों के मामले में ब्याज का भुगतान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 के अंतर्गत समय-समय पर बैंकों को जारी किये गये ब्याज दर संबंधी निदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

6. सुरक्षा तथा अन्य पहलू

(क) बैंक स्मार्ट कार्ड की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे । स्मार्ट कार्ड की सुरक्षा बैंक की जिम्मेदारी होगी और सुरक्षा टूटने, सुरक्षात्मक तंत्र की असफलता के कारण किसी पार्टी को होने वाली हानि की भरपायी बैंक को करनी होगी ।

(ख) कोई भी बैंक ग्राहक द्वारा धारित कार्ड के खो जाने पर उसके बदले कार्ड भेजने के सिवाय, अन्यथा, जब तक मांगा न जाये, किसी भी ग्राहक को कार्ड नहीं भेजेगा ।

(ग) बैंक आंतरिक रिकॉर्ड काफी समय तक रखेंगे, ताकि परिचालनों का पता लगाया जा सके और त्रुटियों का निराकरण किया जा सके । (काल-वर्जित मामलों के लिए समय-सीमा को ध्यान में रखना होगा)।

(घ) लेनदेन पूरा हो जाने के बाद कार्डधारक को लेनदेन का लिखित रिकॉर्ड दिया जायेगा । यह रिकॉर्ड रसीद के रूप में या तो तुरंत या परंपरागत बैंक विवरण जैसे किसी अन्य रूप में एक उचित समय में दिया जायेगा ।

(ङ) कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने अथवा उसकी प्रतिलिपि बन जाने पर उसकी अधिसूचना हो जाने के समय तक हुई हानि को कार्डधारक वहन करेगा । परन्तु केवल एक निश्चित सीमा तक ही (यह सीमा कार्ड धारक और बैंक के बीच पहले से हुई सहमति के अनुसार नियत राशि अथवा लेनदेन के एक निश्चित प्रतिशत तक होगी) । वह स्थिति अपवाद होगी जहां कार्डधारक ने छल-कपटपूर्ण कार्य किया हो, जान-बूझकर किया हो अथवा अत्यधिक अनदेखी की हो ।

(च) प्रत्येक बैंक ऐसे साधन उपलब्ध करायेगा, जिनसे उसके ग्राहक भुगतान उपकरणों के खो जाने, चोरी हो जाने अथवा उनकी प्रतिलिपि बन जाने की सूचना दिन या रात किसी भी समय दे सकें ।

(छ) कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने अथवा प्रतिलिपि बन जाने की सूचना मिलने पर बैंक ऐसे सभी कार्य करेगा, जिनसे कार्ड का और उपयोग रोका जा सके ।

7. जारी करने के लिए नियम और शर्तें

बैंक और कार्डधारक के बीच संबंध संविदागत होगा । कार्डधारक और बैंक के बीच में संविदागत संबंध के मामले में :

(क) प्रत्येक बैंक कार्डधारक को इस प्रकार के कार्ड जारी करने और उसके उपयोग को शासित करने वाले संविदागत नियमों और शर्तों का लिखित सेट प्रदान करेगा । इन नियमों में संबंधित पार्टियों के हितों में उचित संतुलन रखा जायेगा ।

(ख) ये नियम स्पष्ट रूप से बताये जायेंगे ।

(ग) शर्तों में किन्हीं भी प्रभारों का आधार निर्दिष्ट किया जायेगा, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी समय लगाये जाने वाले प्रभारों की राशि बतायी जाये ।

(घ) इन नियमों में वह अवधि निर्दिष्ट होगी जिसमें कार्डधारक के खाते से राशि सामान्यतः नामे की जायेगी ।

(ङ) नियम बैंक द्वारा बदले जा सकते हैं, परन्तु कार्डधारक को इस परिवर्तन की काफी पहले सूचना देनी होगी, ताकि वह यदि चाहे तो इस सुविधा से अलग हो सके ।

(च) ऐसी अवधि निर्दिष्ट की जायेगी जिसके पूरे होने के बाद यदि कार्डधारक निर्दिष्ट अवधि में अलग नहीं होगा तो यह माना जायेगा कि उसे ये नियम मंजूर हैं ।

(छ) (i) इन नियमों के अनुसार कार्डधारक कार्ड और प्रयोग से संबंधित सूचनाओं (जैसे कि पीआइएन (PIN) अथवा कूट) को सुरखित रखने के लिए उचित उपाय करने को बाध्य होगा ।

(ii) इन नियमों के अनुसार कार्ड धारक इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह ऐसा पीआइएन(PIN) अथवा कूट रिकॉर्ड न करें जो बोधगम्य हो अथवा किसी तीसरी पार्टी की उस तक पहुंच हो सके, यदि इस प्रकार के रिकार्ड तक ईमानदारी से या बेईमानी से पहुंच की जाये ।

(iii) इन नियमों से कार्डधारक इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह निम्नलिखित की जानकारी मिलते ही बैंक को सूचना देगा :

- कार्ड अथवा उसके इस्तेमाल के साधनों के खो जाने अथवा चोरी होने अथवा उसकी प्रतिलिपि बन जाने की,
- कार्डधारक के खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन के रिकार्ड हो जाने की,
- बैंक द्वारा उस खाते को रखने में किसी त्रुटि अथवा किसी अन्य अनियमितता का पता चलने की ।

(iv) नियमों में ऐसे स्थान का उल्लेख किया जायेगा जहां इस तरह की सूचना दी जा सकेगी । इस तरह की सूचना दिन या रात में कभी भी दी जा सकती है ।

(v) इन नियमों के अनुसार कार्डधारक इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह अपने कार्ड के माध्यम से दिये गये किसी भी आदेश को रद्द न करे।

(ज) इन नियमों में यह निर्दिष्ट किया जायेगा कि पीआइएन अथवा कूट जारी करने में बैंक सावधानी रखेगा और कार्डधारक के पीआइएन अथवा कूट की संख्या कार्डधारक को छोड़कर किसी अन्य को न बतायी जाये ।

(झ) इन नियमों में यह निर्दिष्ट किया जायेगा कि बैंक के नियंत्रण में होने वाली प्रणाली की खराबी के कारण कार्डधारक को यदि कोई हानि हो तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा । परन्तु भुगतान प्रणाली में किसी तकनीकी खराबी के कारण यदि हानि हो तो उसके लिए बैंक उस स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा जब उपकरण में खराबी का संदेश दिया गया हो अथवा कार्ड धारक को अन्यथा ज्ञात हो । लेनदेन के निष्पादित न होने अथवा त्रुटिपूर्ण निष्पादित होने के लिए बैंक का उत्तरदायित्व मूल राशि तथा ब्याज की हानि तक ही सीमित होगा जो नियमों को शासित करनेवाले कानून के अंतर्गत होगा ।

अनुबंध - II

स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड जारी करने और उनके परिचालन के लिए सूचना देने का फार्मेट

1. बैंक का नाम :
2. सूचना की अवधि :
3. हार्डवेयर घटकों - (आई.सी. चिप)
   उदाहरणार्थ मैग्नेटिक स्ट्राइप, सीपीयू, मेमोरी - सहित कार्ड का प्रकार :
4. प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रकार :
5. स्मार्ट कार्ड के माध्यम से प्रस्तावित उत्पादों के नाम :
6. राशि के संचयन की सीमा :
7. पुनर्भरण संबंधी विशेषताएं :
8. अपनाये गये सुरक्षा मानक :
9. सेवा प्रदाता (स्वयं या अन्य) :
10. उन आउटलेटों की कुल संख्या, जहां स्मार्ट कार्डों का
    प्रयोग किया जा सकता है :

जिनमें से :

क. पी ओ एस टर्मिनल :
ख. व्यापारिक प्रतिष्ठान :
ग. ए टी एम :
घ. अन्य (कृपया उल्लेख करें) :

11. जारी किये गये कार्डों की कुल संख्या :

जिनमें से -

क. बचत / बैंक खाते पर :

ख. चालू खाते पर :

ग. फ्लोट खाते पर :

12. रिपोर्ट भेजने की तारीख को स्मार्ट कार्डों पर संचित (स्टोर की गयी) शेष की कुल राशि :

13. रिपोर्ट भेजने की तारीख को स्मार्ट कार्डों पर खर्च न की गयी कुल शेष राशि :

14. उक्त अवधि के दौरान कुल लेनदेनों की संख्या :

15. कुल लेनदेनों की संख्या में समाहित राशि :

16. लेनदेन - निपटान प्रक्रिया (पूरी क्रियाविधि) :

क. क्या ऑनलाइन अथवा

ख. ऑफलाइन

17. उक्त अवधि के दौरान कोई धोखाधड़ी के मामले हों तो :

क. धोखाधड़ी के मामलों की संख्या :

ख. धोखाधड़ी की राशि :

ग. बैंक को हुई हानि की राशि :

घ. कार्डधारक को हुई हानि की राशि :

बैंपविवि. सं. आइबीएस.बीसी. 130/23.31.006/99-2000 **24 दिसंबर 1999**
3 पौष 1921 (शक)

भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों के
मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

क्रेडिट कार्ड केन्द्र खोलना

जैसा कि आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड संबंधी कार्यकलापों को समर्थन देने के लिए विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे क्रेडिट कार्ड केन्द्रों की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करें । अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विदेशी बैंक क्रेडिट कार्ड केन्द्रों की स्थापना करें तथा क्रेडिट कार्ड केन्द्रों की स्थापना के एक महीने के भीतर इस विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय से, जिसके अधिकार क्षेत्र में भारत में विदेशी बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत कार्योत्तर लाइसेंस प्राप्त करें ।

2. क्रेडिट कार्ड केन्द्र सिर्फ क्रेडिट कार्ड से संबंधित कार्यकलाप करेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अनुरोध स्वीकार करना और जारी करना, क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग, चेक आदि के द्वारा, क्रेडिट कार्ड का भुगतान स्वीकार करना, जैसा कि **अनुबंध** में दर्शाया गया है ।

3. बैंक कृपया हर वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा स्थापित क्रेडिट कार्ड केन्द्रों की सूची पूरे पते के साथ हमारे पास प्रस्तुत किया करें।

भवदीय

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुबंध

क्रेडिट कार्ड से संबंधित गतिविधियों की सूची जो क्रेडिट कार्ड केन्द्र कर सकते हैं

क्रेडिट कार्ड केन्द्रो केवल क्रेडिट कार्ड संबंधी गतिविधियां ही करेंगे जैसे कि क्रेडिट कार्ड जारी करने से संबंधित अनुरोध तथा उन्हें जारी करना, क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग, चेक द्वारा क्रेडिट कार्ड का भुगतान स्वीकार करना आदि, जैसा नीचे दिया गया है :

(i) क्रेडिट कार्ड जारी करने के बारे में अनुरोध स्वीकारना और क्रेडिट कार्ड जारी करना ।

(ii) क्रेडिट कार्डों को प्रोसेस करना ।

(iii) चेक द्वारा क्रेडिट कार्ड का भुगतान स्वीकार करना ।

(iv) भावी ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बेचना ।

(v) क्रेडिट कार्ड संबंधी गतिविधियों के लिए केन्द्रों में (जहां बैंक की शाखा नहीं है) एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करना।

(vi) केन्द्र के व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी शेष का रखरखाव, न क्रेडिट कार्ड धारकों को भुगतान करने के लिए ।

बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 145/ 24.01.013-2000 **7 मार्च 2000**
17 फाल्गुन 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक /
वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

मुद्रा बाज़ार म्युचुअल फंडों से संबंधित दिशा-निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देश वापस लेने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार निम्नलिखित परिपत्र 7 मार्च 2000 को कारोबार समय की समाप्ति से वापस लिये जा रहे हैं :

बैंपविवि. सं. बीसी. 131/24.01.013/91-92 दिनांक 29 अप्रैल 1992,
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 147/24.01.013/95-96 दिनांक 11 दिसंबर 1995,
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 46/24.01.013/95-96 दिनांक 9 अप्रैल 1996,
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/24.01.013-96 दिनांक 3 जुलाई 1996,
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 130/24.01.013/96-97 दिनांक 22 अक्तूबर 1997,
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/13.03.00/98 दिनांक 29 अप्रैल 1998 [पैरा 4 (ii)]

2. आगे से, मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियमावली के दृष्टिक्षेत्र में आयेंगे ।

3. तथापि, मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड स्थापित करने के लिए इच्छुक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पंजीकरण के लिए सेबी से संपर्क करने के पूर्व यह अतिरिक्त कार्यकलाप शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन लेना होगा।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

(ग)
बैंकों में ग्राहक सेवा

बैंपविवि. सं. बीसी. सं. 59/09.07.007/98-99 **28 मई 1999**
7 ज्येष्ठ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

जमा खातों में नामांकन की सुविधा

कृपया 23 और 29 मार्च 1985 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. एलईजी. बीसी. 34 और 35 /सी.233 ए - 85 का अवलोकन करें, जिनके अनुसार बैंक जमाकर्ताओं को 29 मार्च 1985 से नामांकन की सुविधा प्रदान की गयी थी । बाद में, बैंकों को उनके ग्राहकों के बीच यह सुविधा लोकप्रिय बनाने के लिए 25 फरवरी 1988 के हमारे परिपत्र सं. बीसी.98/सी.90 (एच)(डी) -88 द्वारा सूचित किया गया था ।

2. हमने हाल में इस सुझाव की जांच की है कि जब बैंक का कोई खातेदार स्वयं नामांकन की सुविधा का लाभ उठाता हो तो जारी किये गये पासबुक पर उसे दर्शाया जाये ताकि खातेदार की मृत्यु होने की स्थिति में पासबुक देखकर उसके संबंधी यह जान सकें कि मृत जमाकर्ता को नामांकन की सुविधा प्राप्त थी और वे उपयुक्त कार्रवाई कर सकें ।

3. चूंकि प्राथमिक तौर पर नामांकन की सुविधा का उद्देश्य बैंकों द्वारा मृत जमाकर्ताओं के खातों में दावों के त्वरित निपटान को सुविधाजनक बनाना तथा इस संबंध में मृत जमाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को होनेवाली कठिनाइयों को कम करना है , अतः उक्त सुझाव को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । अतः बैंक 'नामांकन दर्ज' लिखकर नामांकन की सुविधा प्राप्त करने संबंधी स्थिति को पासबुक के मुखपृष्ठ पर रिकॉर्ड करने की पद्धति शुरू करें । मीयादी जमा रसीदों के मामले में भी ऐसा किया जाये ।

भवदीया

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 132/09.07.007/99-2000 **30 दिसंबर 1999**
9 पौष 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

ग्राहक सेवा - बाहरी चेकों की वसूली

कृपया 17 मई 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 59/09.07.007/95 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाहरी चेकों की वसूली के लिए समय-सीमा के बारे में बैंकों को सूचित किया गया है । उक्त परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार यह बात दुहराई जा रही है कि बाहरी चेकों की वसूली में देरी होने पर बैंक यह सुनिश्चित करें कि खातेदारों को **दांडिक ब्याज की अदायगी उनके अनुरोध के बिना** की जाये ।

2. हमारी जानकारी में अब यह बात लायी गयी है कि बाहरी चेकों की वसूली में देरी होने पर बैंक अपने आप ब्याज जमा नहीं कर रहे हैं, अपितु वे उसका अनुपालन तभी करते हैं जब यह मामला उनकी जानकारी में लाया जाता है ।

3. उक्त बातों को देखते हुए आप अपनी शाखाओं को इस बात के आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे बाहरी चेकों की देरी से वसूली होने की स्थिति में स्वतः ब्याज जमा करने संबंधी हमारे अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि जनता से अभ्यावेदन / शिकायत प्राप्त होने की गुंजाइश न रहे ।

कृपया प्राप्ति-सूचना दें तथा तत्काल कार्रवाई किये जाने की पुष्टि करें ।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीसी. सं. 136 /09.08.001/99-2000 **25 जनवरी 2000**
5 माघ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

चालू खाता खोलने और परिचालित करने के लिए आचार संहिता

हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कुछ उधारकर्ता उधार देनेवाले बैंक से भिन्न बैंक में चालू खाते इस उद्देश्य से खोलते हैं कि वे उधार देनेवाले बैंक द्वारा उन पर लगाये जानेवाले ऋण अनुशासन से बच सकें । वे सामान्यतः उस समय ऐसा करते जब उनके ऋण खाते अनियमित हो जाते हैं तथा वे ऋण खातों को विनियमित करने के लिए प्राप्त राशियों को उन खातों में जमा करना नहीं चाहते ।

बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के स्तर को कम करने के लिए ऋण अनुशासन के महत्व को देखते हुए, हम यह सूचित करते हैं कि चालू खाते खोलते समय, बैंकों को चाहिए कि वे खातेदार से इस आशय की घोषणा दिये जाने पर जोर दें कि उसे किसी अन्य बैंक से कोई ऋण सुविधा प्राप्त नहीं है या अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के ब्यौरे देते हुए घोषणा दिये जाने पर जोर दें । उक्त परवर्ती मामले में (जहां ऋण सुविधाओं के ब्यौरे देने हैं), उधार देनेवाले संबंधित बैंक को विधिवत् सूचित किया जाना चाहिए, ताकि उनके द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय किये जा सकें ।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी शाखाओं को उपयुक्त सूचना दें ।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 147/09.07.007/99-2000 **9 मार्च 2000**
19 फाल्गुन 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

ग्राहक सेवा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी) को प्राप्त सुझावों की दृष्टि से ग्राहक सेवा के निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में हमारे मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गयी है तथा ग्राहक सेवा में और सुधार लाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि बैंक निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें :

1. बाहरी लिखतों की राशि को जमा लिखने में विलंब - ब्याज दर

हमारे 27 मई 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 135/09.07.007/91-92 और 12 जुलाई 1993 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 140/09.07.007/93 के अनुसार बाहरी लिखतों की उगाही (वसूली) के लिए बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि जहां लिखतों की राशियां जमा खातों में जमा लिखी जानी हैं वहां निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब होने पर बचत बैंक दर से दो प्रतिशत अधिक वार्षिक दर पर ब्याज अदा किया जाये तथा जहां लिखतों की राशियां ग्राहक के नकदी ऋण (कैश क्रेडिट), ओवरड्राफ्ट अथवा ऋण खाते में जमा लिखी जानी हैं, वहां न्यूनतम ऋण दर (पी एल आर) पर ब्याज अदा किया जाये । यह निर्णय किया गया है कि बैंक **बाहरी लिखतों की राशि की वसूली में 10/14 दिन से अधिक के विलम्ब** के लिए सावधि जमा राशि की उपयुक्त अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज अदा करें । इसके अतिरिक्त बाहरी लिखतों की वसूली में शाखा द्वारा किये गये **असामान्य विलम्ब** के लिए सावधि जमा पर लागू होनेवाली दर से दो प्रतिशत अधिक की दर पर दंडात्मक ब्याज भी अदा करें । हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि यह ब्याज ग्राहक द्वारा दावा न किये जाने पर भी अदा किया जाना है ।

2. भुगतान न होने की सूचना प्राप्त किये बिना मांग ड्राफ्ट की अनुलिपि (डुप्लिकेट) जारी करना

यह निर्णय किया गया है कि पर्याप्त क्षतिपूर्ति (इंडेम्निटी) के आधार पर और अदा करनेवाली शाखा से भुगतान न करने की सूचना प्राप्त किये बिना मांग ड्राफ्ट की अनुलिपि जारी करने के लिए तलवार समिति द्वारा निर्धारित 2,500 रुपये के मूल्य को बढ़ाकर 5,000 रुपये तक कर दिया जाये । उपर्युक्त के संबंध में सरकारी / निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों को क्रमशः सम्बोधित हमारे 16 जून 1986 के परिपत्र डीबीओडी. सं. एलईजी. बीसी. 69/सी.466(IV)-86 और 23 मार्च 1987 के डीबीओडी. सं. एलईजी. बीसी. 10/466(IV)-87 में दिये गये अनुदेश उपयुक्त रूप से संशोधित हो जायेंगे ।

3. **ड्राफ्ट की अनुलिपि (डुप्लिकेट) जारी करने के लिए समय सीमा तय करना**

हमारे 3 मई 1990 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 104/सी.466(IV)-90 के अनुसार बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ड्राफ्ट की अनुलिपि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अधिक से अधिक पांच दिन में जारी कर दी जाये । हमें इस आशय के अभिवेदन प्राप्त हुए हैं कि अदा करनेवाली शाखा द्वारा भुगतान न करने की सूचना जारी करने में पर्याप्त विलम्ब होता है । अतः अब यह निर्णय किया गया है कि ग्राहक को मांग ड्राफ्ट की अनुलिपि इस तरह का अनुरोध मिलने की तारीख से **एक पखवाड़े** में ग्राहक को जारी कर दी जाये । उपर्युक्त निर्धारित अवधि के बाद ड्राफ्ट की अनुलिपि जारी करने में होनेवाले विलम्ब के लिए बैंकों को चाहिए कि वह इस प्रकार के विलम्ब के लिए ग्राहक को क्षतिपूर्ति करने हेतु सावधि जमाराशियों की तदनुरूपी अवधि हेतु लागू दर पर ब्याज अदा करें ।

कृपया प्राप्ति-सूचना भिजवायें ।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 148/09.07.007/99-2000

14 मार्च 2000
24 फाल्गुन 1921 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

मृत ग्राहकों के खातों में शेषराशि का
उत्तरजीवियों / दावेदारों को भुगतान

कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 जुलाई 1987 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 14/सी.466(IV)-87 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि यदि मृत जमाकर्ताओं के खाते में जमा 25,000/- रुपये से अधिक नहीं हैं तो वे कानूनी वारिसों से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर जोर न दें । भारतीय रिज़र्व बैंक में गठित विनियम समीक्षा प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त सुझाव के आलोक में उक्त दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गयी थी और अब यह निर्णय किया गया है कि संबंधित राशि चाहे कुछ भी हो, कानूनी वारिसों से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मांग करने की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाये । तथापि बैंक दावों का निपटान करते समय क्षतिपूर्ति बांड लेने सहित जैसा उचित समझें वैसे सुरक्षा उपाय अपना सकते हैं ।

भवदीय

(एस. पी. पाडगांवकर)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 180 /09.07.007/99-2000 **27 मई 2000**
6 ज्येष्ठ 1922 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

ग्राहक सेवा - चेक बुक जारी करना

हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कुछ बैंकों द्वारा ग्राहकों को जारी की गयी चेक बुकों की गुणवत्ता ठीक नहीं है, खास तौर से चेक पत्रकों के छिद्रण (परफोरेशन) तथा चेक बुकों की बाइंडिंग के संदर्भ में वह संतोषजनक नहीं है । इसके परिणामस्वरूप, चेक बुक से निकालते समय चेक फट जाते हैं / कट-फट जाते हैं, जिससे ग्राहकों और बैंकों को असुविधा और उलझन होती है ।

2. अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी चेक बुक पूरी सावधानी से मुद्रित की जाये, ताकि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो । इस संबंध में की गयी कार्रवाई की हमें सूचना दी जाये ।

भवदीय

(आर. सी. अग्रवाल)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी 181/09.07.007/99-2000 **29 मई 2000**
8 ज्येष्ठ 1922 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

ग्राहक सेवा - बाहरी और स्थानीय चेकों की राशि
तुरंत जमा लिखना - उच्चतम सीमा बढ़ाना

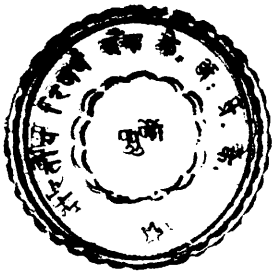
कृपया ग्राहकों द्वारा वसूली के लिए प्रस्तुत 5,000 रुपये के मूल्य तक के बाहरी और स्थानीय चेकों के संदर्भ में तुरंत जमा लिखने के बारे में 27 मई 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 135/09.07.007/91-92 तथा 25 फरवरी 1993 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 82 /09.07.007/93 देखें । इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि विनियमन समीक्षा प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि हमारे ऊपर उल्लिखित परिपत्रों में दी गयी शर्तों पर स्थानीय और बाहरी चेकों की राशि तुरंत जमा लिखने की 5,000 रुपये की वर्तमान उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाये । अतः आप इन अनुदेशों को तत्काल लागू करने के लिए अपनी शाखाओं को उचित अनुदेश जारी करें ।

भवदीय

(आर. सी. अग्रवाल)
महा प्रबंधक

(ङ)

अन्य



बैंपविवि.सं. बीसी. 01/12.06.115/98-99 **1 जनवरी 1999**

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'बैंक मस्कट इंटरनेशनल, एस ए ओ जी'

हम सूचित करते हैं कि "बैंक मस्कट इन्टरनेशनल, एस ए ओ जी" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 28 नवंबर 1998 से अर्थात् 5.11.1998 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1001/23.13.039/98-99 के भारत के राजपत्र (भाग - III खंड - 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है ।
बैंक का पता निम्नलिखित है :

बैंक मस्कट इंटरनेशनल एस ए ओ जी
एम्पायर बिल्डिंग, तल मंजिल,
29, इन्फैन्ट्री रोड,
बेंगलूर - 560 001

भवदीय

(एन. के. सरकार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीपी. बीसी. 3/21.04.109/98-99 **8 फरवरी 1999**
19 माघ 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

तुलन-पत्र विश्लेषण के संबंध में निर्दिष्ट मानदण्ड

जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों की वित्तीय स्थिति का उनके तुलन-पत्रों में दर्शाया गया विश्लेषण, कार्यनिष्पादन के विवेचनात्मक मानदण्डों के मूल्यांकन और सटीक सुधारात्मक कार्रवाई करने की दृष्टि से सुव्यवस्थित तरीके से नहीं किया जा रहा है । अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कार्यनिष्पादन में परिचालन दक्षता, शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए समकक्ष समूहों के कार्यनिष्पादन की तुलना करने का प्रयास भी नहीं किया जाता । इसके अलावा, विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय मानदण्डों को अपनाने में भी बैंकों के बीच समानता के अभाव में परिणाम हमेशा वस्तुनिष्ठ नहीं रहते । अतएव यह निर्णय लिया गया है कि एक समान मानदण्ड (फ्रेमवर्क) बनाया जाये, ताकि लाभ और जोखिम के संबंध में बैंकों द्वारा अपनाये गये महत्वपूर्ण उपायों का पता लगाने / विश्लेषण करने और लाभ तथा जोखिमों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए बैंक अपने तुलनपत्रों की गहन संवीक्षा कर सकें ।

2. तुलनपत्र का विश्लेषण करने के लिए हम एक प्रारूप संलग्न कर रहे हैं । प्रस्तावित प्रारूप दो भागों में विभाजित है - भाग I में निविष्टियों (इनपुट्स) की पहचान की गयी है और भाग II में विभिन्न अनुपातों, राशियों आदि का उल्लेख किया गया है, जिनकी विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता होती है । निविष्टियों और उत्पादों को मोटे तौर पर **केमल** आधार पर वर्गीकृत किया गया है । चलनिधि और बैंकों द्वारा माने गये ब्याज दर जोखिमों को मापने का प्रयास भी किया गया है ।

3. अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि अपने वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद वे सुझाये गये प्रारूप के अनुसार तुलनपत्रों का विश्लेषण करें और अपने निदेशक मंडल को ज्ञापन प्रस्तुत करें। निदेशक मंडल को प्रस्तुत नोट की प्रति, विश्लेषण सहित (फ्लॉपी में) **ऑसमॉस** प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र -1, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, मुंबई - 400 005 को नियमित रूप से भेजें ।

4. तथापि, नकदी -प्रवाह और ब्याज दरों में असमानताओं का विश्लेषण, 31 मार्च 2000 से किया जा सकता है, क्योंकि तब तक आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली में स्थायित्व आ जायेगा ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक
अनुलग्नक : 1 पुस्तिका

बैंपविवि. सं. बी पी. बी सी. सं. 8 / 21.04.098 / 99 **10 फरवरी 1999**
21 माघ 1920 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आस्ति - देयता प्रबंधन प्रणाली

कृपया आप हमारा 10 सितंबर 1998 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/21.04.098/ 98 देखें, जिसके साथ बैंकों में आस्ति - देयता प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा-निर्देशों का प्रारूप भेजा गया था । बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित सेमिनारों में तथा बैंकों के अध्यक्षों / बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की समीक्षा बैठक में उठाये गये मुद्दों / सुझावों के प्रकाश में हमने दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है । बैंकों से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर संशोधित अंतिम दिशा-निर्देश कार्यान्वयन के लिए संलग्न हैं, जो **पहली अप्रैल 1999** से प्रभावी होंगे । इस संबंध में हमें निम्नप्रकार सूचित करना है :

2. आस्ति-देयता प्रबंधन की कारगर प्रणाली लागू करने के लिए बैंकों को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए । बैंकों को एक आंतरिक आस्ति-देयता प्रबंधन समिति गठित करनी चाहिए, जिसके प्रमुख मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक हों । निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति या कोई विशिष्ट समिति इस प्रणाली के कार्यान्वयन पर नज़र रखे और उसके कार्य की आवधिक समीक्षा करे ।

3. बैंकों में कंप्यूटरीकरण के स्तर और वर्तमान प्रबंध सूचना प्रणाली को देखते हुए हो सकता है, सभी बैंकों के लिए **एकसमान आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली** अपनाना संभव न हो । अंतिम दिशा-निर्देश उन बैंकों के लिए बेंचमार्क के रूप में बनाये गये हैं, जिनमें आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली नहीं है । जिन बैंकों ने अधिक परिष्कृत प्रणाली अपना रखी है, वे अपनी मौजूदा प्रणाली जारी रखें , किंतु वे अपनी मौजूदा सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली को अधिक कारगर बनाना सुनिश्चित करें , ताकि वे उसे इन दिशा-निर्देशों में सुझायी गयी आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली के अनुकूल बना सकें । अन्य बैंक अपनी मौजूदा प्रबंध सूचना प्रणाली की जांच करें और नयी आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली में बताये गये निर्धारणों को पूरा करने के लिए सूचना प्रणाली बनाने की व्यवस्था करें । प्रारंभ में बैंक अपनी देयताओं और आस्तियों के **कम से कम 60 प्रतिशत** को शामिल करना सुनिश्चित करें । जहां तक शेष 40 प्रतिशत देयताओं और आस्तियों का संबंध है, बैंक अपने अनुमानों के आधार पर स्थिति शामिल कर सकते हैं । यह आवश्यक है कि बैंक **पहली अप्रैल 2000** तक अपने 100 प्रतिशत कारोबार को शामिल करने की दृष्टि से अंतरिम लक्ष्य निर्धारित करें । प्रबंध सूचना प्रणाली में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस प्रकार की न्यूनतम सूचना / आंकड़ों में गुणवत्ता और व्याप्ति लगातार बनी रहे और जब आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली एक बार स्थिर हो जाये और बैंकों को अनुभव प्राप्त हो जाये, तो वे इस स्थिति में हों कि ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए अवधि अंतराल विश्लेषण, अनुरूपण और जोखिम पर मूल्य जैसी अधिक परिष्कृत तकनीकों को अपनाने की स्थिति में हों ।

4. नकदी के आने और जाने से संबंधित अवधिपूर्णता विन्यास पर पकड़ रखने की दृष्टि से प्रारंभ में मार्च / जून /सितंबर /दिसंबर के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति का संरचनात्मक चलनिधि विवरण (अनुबंध - I) तैयार किया जाना चाहिए । इस विवरण को अंतिम रिर्पोटिंग शुक्रवार से एक महीने में आस्ति-देयता समिति / सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इसका उद्देश्य यह है कि रिपोर्टिंग प्रणाली को **पहली अप्रैल 2000** तक पाक्षिक आधार पर कर दिया जाये । संरचनात्मक चलनिधि विवरण को बैंक के निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये । यह भी आवश्यक होगा कि पहले संविदा किये गये विदेशी मुद्रा लेनदेनों (स्वैप, वायदा आदि) के कारण रुपया राशि के बाहर जाने या आने को हिसाब में लिया जाये । विभिन्न अवधि-पूर्णताओं के लिए सहन करने के स्तर (टॉलेरेंस लेवेल) बैंक के सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र द्वारा तय किये जाने चाहिए, जो बैंक के आस्ति-देयता स्थिति, स्थिर जमाराशि के आधार की सीमा, नकदी-प्रवाह के स्वरूप आदि पर निर्भर होंगे । 1-14 दिन के कालखंड और 15-28 दिन के कालखंड के लिए नकदी-प्रवाह में बेमेल स्थिति के मामले में बैंक के प्रबंध-तंत्र का यह प्रयास होना चाहिए कि बेमेल स्थिति को न्यूनतम स्तर पर रखा जाये । प्रारंभ में सामान्य रूप में 1-14 दिन और 15-28 दिन के कालखंडों के दौरान बेमेल स्थितियां इन कालखंडों में प्रत्येक के लिए 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि कोई बैंक अपनी बेमेल संरचानात्मक स्थिति की दृष्टि से उच्चतर सीमा आवश्यक समझता हों तो वह वह उच्चतर सीमा की आवश्यकता के कारण बताते हुए अपने निदेशक मंडल / प्रबंधन समिति के अनुमोदन से उच्चतर सीमा पर कार्य कर सकते हैं । **भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्देश्य सहन करने के स्तरों को पहली अप्रैल 2000 से कड़ाई से लागू करना है ।**

5. बैंक अपनी चलनिधि पर 1- 90 दिन की अवधि पर गत्यात्मक आधार पर निगरानी रख सकें, इसके लिए एक निदर्शनात्मक फार्मेट (अनुबंध - III) संलग्न है । अल्पावधि गत्यात्मक चलनिधि का विवरण प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति का तैयार किया जाना चाहिए और रिपोर्टिंग शुक्रवार से 2 / 3 दिन की अवधि में आस्ति-देयता प्रबंधन समिति / सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

6. हम यह सूचित करते हैं कि ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण (अनुबंध - II) में रुपया, देयताओं की तुलनपत्र से इतर स्थितियों की ही रिपोर्ट दी जानी चाहिए ।यह विवरण मार्च / जून / सितंबर / दिसंबर के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति का तैयार किया जाना चाहिए और अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से एक महीने में आस्ति-देयता प्रबंधन समिति / सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इसे बैंक के निदेशक मंडल की अगली बैठक में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए । बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे **पहली अप्रैल 2000** तक मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली अपना लेंगे । विवरण में एकत्र की गयी जानकारी बैंक के सामने आने वाले ब्याज दर जोखिम के संबंध में लाभदायक प्रतिसूचना प्रदान करेगी और सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र / निदेशक मंडल को सुधारात्मक उपाय करने होंगे तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्य-नीति बनानी होगी ।

7. आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों में बैंक के **घरेलू मुद्रा** में परिचालन शामिल हैं । विदेशी मुद्रा जोखिम के संबंध में बैंकों को हमारे विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किये गये 27 दिसंबर 1997 के परिपत्र एडी (एमए श्रृंखला) में दिये गये अनुदेशों का पालन करना चाहिए ।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक को आंकड़े प्रस्तुत करने के संबंध में हमारे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा अलग से ज़ानकारी दी जायेगी ।

9. इस परिपत्र को निदेशक मंडल की अगली बैठक में रखा जाये ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुलग्नक : 1 पुस्तिका

बैंपविवि.बीपी. बीसी. 9/21.04.018/99

10 फरवरी 1999
21 माघ 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों का तुलनपत्र -सूचना प्रकट करना

कृपया आप 27 जनवरी 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 9/21.04.018 /99 देखें, जिसके अनुसार बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां ' के अंतर्गत वित्तीय अनुपातों सहित कतिपय महत्वपूर्ण कारोबारी पैरामीटर प्रकट करें ।

2. बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम्) ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि बैंक एक चरणबद्ध रूप में ऋणों और अग्रिमों की अवधिपूर्णता का स्वरूप, निवेश प्रतिभूतियों की अवधिपूर्णता का स्वरूप, विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं , अनर्जक आस्तियां (एनपीए) आदि प्रकट करें, जिससे कि हमारे बैंकों के प्रकटीकरण संबंधी मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बन सकें । जैसा कि गवर्नर महोदय के 30 अक्तूबर 1998 के परिपत्र सं. एमपीडी. बीसी. 181 / 07.01.279 / 98-99 के साथ प्रेषित 1998 - 99 के लिए मुद्रा और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा संबंधी विवरण में बताया गया है , समिति की उपर्युक्त सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर ली गयी हैं ।

3. तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि बैंक 31 मार्च 2000 को समाप्त लेखा-वर्ष से तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां 'के अंतर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी प्रकट करें :

i) ऋणों और अग्रिमों की अवधिपूर्णता का स्वरूप
ii) निवेश प्रतिभूतियों की अवधिपूर्णता का स्वरूप
iii) विदेशी मुद्र आस्तियां और देयताएं
iv) अनर्जक आस्तियों में घट- बढ़
v) जमाराशियों की अवधिपूर्णता का स्वरूप
vi) उधार राशियों की अवधिपूर्णता का स्वरूप
vii) समय-समय पर यथापरिभाषित संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

4. इस संबंध में बैंकों को निम्नप्रकार सूचित किया जाता है :

क) उपर्युक्त मद (i), (ii), (v) और (vi) में बैंक जमाराशियों, उधारों, ऋणों और अग्रिमों तथा निवेशों की अवधिपूर्णता का स्वरूप प्रकट करने के लिए (10 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि सं. बीपी. बीसी. 8/ 21.04.098 / 98-99 के साथ प्रेषित) आस्ति - देयता प्रबंधन प्रणाली संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्धारित अवधिपूर्णता संबंधी कालखंड अपनायें ।

ख) मद (iii) में बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता का स्वरूप दिया जाना चाहिए ।

ग) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ प्रकट करने में (मद iv) वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां और शुद्ध अनर्जक आस्तियां (किये गये प्रावधान, ब्याज उचंत खाता, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से प्राप्त दावाराशि और उचंत खाते में आंशिक भुगतान घटाकर), वर्ष के दौरान घट - बढ़ और वर्ष के अंत में शेष राशि शामिल होनी चाहिए ।

घ) 'संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण' (मद vii) के अंतर्गत बैंकों को उन क्षेत्रों को दिये गये ऋण शामिल करने चाहिए जो आस्ति-मूल्य में भारी घट-बढ़ की दृष्टि से संवेदनशील हैं । इनमें पूंजी बाज़ार, स्थावर संपत्ति आदि क्षेत्रों को दिये गये ऋण तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों को दिये गये ऋण शामिल होने चाहिए जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर 'संवेदनशील' के रूप में परिभाषित किया जाये ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं. बीसी. 14 /12.06.116/98-99

25 फरवरी 1999
6 फाल्गुन 1920 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी ऑफ न्यूयार्क "

हम सूचित करते हैं कि "मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी ऑफ न्यूयार्क" का नाम 30 जनवरी 1999 से, अर्थात् उस तारीख से जिस तारीख को 8 जनवरी 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1600/23.13.112/98-99 भारत के राजपत्र (भाग III - खण्ड 4) में प्रकाशित की गयी थी, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है । बैंक का पता निम्नानुसार है :

मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी ऑफ न्यूयार्क,
वकील्स हाउस, 18 स्प्रॉट रोड,
बलार्ड एस्टेट,
मुंबई - 400 001

भवदीय

(एन. के. सरकार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.बीपी.बीसी. 29/21.01.023/98/99 **16 अप्रैल 1999**
26 चैत्र 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

परिचालन नियम-पुस्तक का संशोधन / अद्यतनीकरण

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर समिति (अध्यक्ष : श्री एम.नरसिंहम)ने अपनी रिपोर्ट के परिच्छेद 4.3 में सिफारिश की है कि बैंकों को **संशोधित परिचालन नियम-पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिये** एवं नित नयी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करते रहना चाहिये । बैंकों को अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि ये परिचालन अच्छी ग्राहक सेवा को बढ़ावा देने की दृष्टि से उनके अपने अधिकतम हित में चलाये जा सकें । समिति ने यह सिफारिश भी की है कि बैंक, अपनायी जाने वाली क्रियाविधि की विस्तृत परिचालन नियम-पुस्तक का प्रारूप तथा गतिविधियों और प्रत्येक प्रकार के लेनदेन को निष्पादित करने में बरती जाने वाली सावधानी की जाँच सूची तैयार करें । समिति का मत है कि ये आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आधार बननी चाहिये, जिसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :

(i) समवर्ती लेखा परीक्षा सहित आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा,
(ii) शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों द्वारा उच्चतर स्तर के कार्यालयों को नियंत्रण विवरणियां प्रस्तुत करना ,
(iii) नियंत्रण अधिकारियों द्वारा क्षेत्र स्तर के कार्यालयों का दौरा करना,
(iv) जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ,
(v) प्रलेखन, क्रियाविधियों और अंतर कार्यालय संप्रेषण चैनलों का सरलीकरण ।

2. समिति की उपर्युक्त सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं । तदनुसार बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनायी जाने वाली क्रियाविधियों और विभिन्न गतिविधियों और लेनदेनों को निष्पादित करने में बरती जाने वाली सावधानियों के लिए , भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य संगत एजेंसियों द्वारा जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित परिचालन नियम-पुस्तक और जाँच सूची प्रकाशित करें । बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी अनुदेश पुस्तिकाओं और जाँच सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है । इसके साथ ही बैंकों को स्टाफ-सदस्यों के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उक्त नियम-पुस्तक और जाँच सूची में निहित अनुदेश वे स्पष्ट रूप से समझ लें और दैनिक कार्य में उनका सतर्कता पूर्वक अनुपालन किया जा सके ।

3. बैंक, 30 सितंबर 1999 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुपालन की सूचना दें ।

भवदीय

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 34/21.01.040/99 **22 अप्रैल 1999**
2 वैशाख 1921 (शक)

अध्यक्ष,
सभी वाणिज्यिक बैंक

प्रिय महोदय,

अनर्जक आस्तियों का समझौते या बातचीत से निपटान

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 25 जुलाई 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.81/ 21.01. 040/95 के पैराग्राफ 5 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार बैंकों को प्रत्येक वर्ष सितंबर और मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार छमाही विवरण संबंधित छमाही से 30 दिनों के भीतर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करना है। हम सूचित करते हैं कि भविष्य में सितंबर 1999 को समाप्त छमाही से उक्त विवरण मुख्य महा प्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, कफ परेड, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई - 400 005 को भेजे जायें ।

भवदीय

(जे. बी. म्हात्रे)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 40/12.01.001/98-99 **24 अप्रैल 1999**
4 वैशाख 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक,
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - तिमाही ब्याज (प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रा.न.अ.) शेष राशियों पर) दावा विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखे गये अतिरिक्त नकदी शेष (प्रा.न.अ.)पर ब्याज दावों के तिमाही विवरण पर बैंकों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है । दावों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए बैंकों को उनके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर हमें प्रस्तुत करना है । वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, पदधारिता में परिवर्तन होने पर बैंकों को हमारे पास हस्ताक्षरों का नया सेट प्रस्तुत करना होता है । तथापि, यह देखा गया है कि कई बैंक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में परिवर्तन होने की स्थिति में हस्ताक्षरों का नया सेट प्रस्तुत नहीं करते । हमारे सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा में भी इस बात का उल्लेख किया है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों का अद्यतन रिकॉर्ड रखा जाये । अतः आपको सूचित किया जाता है कि प्रा.न.अ. कीं शेष राशियों पर ब्याज दावों के आवधिक विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों (चार तक सीमित) के नमूना हस्ताक्षर संलग्न प्रोफार्मा में हमारे पास भिजवायें । ये हस्ताक्षर उन अधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणित किये जाने चाहिए जिनके हस्ताक्षर पहले से ही हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध हों । कृपया भविष्य में पदधारिता में परिवर्तन होने पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षरों का नया सेट हमारे पास भिजवाना भी नोट कर लें ।

भवदीय

(के.एस. छाबड़ा)
उप महा प्रबंधक

नमूना हस्ताक्षर कार्ड

बैंक का नाम और पता :

भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात शेष पर तिमाही ब्याज संबंधी विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	नमूना हस्ताक्षर

अनुप्रमाणनकर्ता का नाम :

हस्ताक्षर :

पदनाम :

कार्यालय की मोहर :

प्रधान खाता निम्नलिखित जमा लेखा विभाग में स्थित है :

भारतीय रिज़र्व बैंक
जमा लेखा विभाग
.....
(स्थान का नाम)
खाता सं.

बैंपविवि.सं.बीसी. 44/12.06.117/98-99 **10 मई 1999**
20 वैशाख 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - "केबीसी बैंक एन.वी."

हम सूचित करते हैं कि "केबीसी बैंक एन.वी."का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 20 मार्च 1999 से अर्थात् 6 मार्च 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आइबीएस. 2112/23.13.077/ 98-99 के भारत सरकार के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित किये जाने की तारीख से शामिल कर लिया गया है । बैंक का पता निम्नलिखित है :

केबीसी बैंक एन.वी.,
होचेस्ट हाऊस, 4थी मंज़िल,
नरीमन पाइंट, मुंबई-400 021

भवदीय

(एन. के. सरकार)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.बीपी.(एससी).बीसी. 55/21.04.098/99 **24 मई 1999**
4 ज्येष्ठ 1921(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली

कृपया आप 10 फरवरी 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 8/21.04.098 देखें, जिसके साथ बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश भेजे गये थे । उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार बैंकों से अपेक्षा की गयी थी कि वे 01 अप्रैल 1999 से आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू करें । इस संबंध में हम जानना चाहेंगे कि आपके बैंक ने दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ।

2. कृपया निम्नलिखित के बारे में किये गये / प्रस्तावित उपायों की जानकारी दें :

i) 01 अप्रैल 2000 तक 100 प्रतिशत आस्तियों और देयताओं को शामिल करना सुनिश्चित करना ।

ii) ब्याजं-दर जोखिम के प्रबंधन के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन की अवधि अंतराल विश्लेषण, अनुरूपण और जोखिम पर मूल्य जैसी अधिक परिष्कृत तकनीकें अपनाना ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीपी. बीसी. 57/21.01.040/99

27 मई 1999
6 ज्येष्ठ 1921 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

निपटान परामर्श समितियों के गठन के लिए दिशा-निर्देश

कृपया आप 28 जुलाई 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 81 / 21. 01. 040/95 देखें, जिसमें अनर्जक अग्रिमों के समझौते द्वारा निपटान के समय बैंकों द्वारा अपनाये जानेवाले दिशा-निर्देश दिये गये हैं । अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए बैंकों में समझौते द्वारा निपटान की वर्तमान प्रणाली और क्रियाविधि में बहुत समय लगता है । यह भी रिपोर्टें मिली हैं कि बैंकों के अधिकारी समझौता-प्रस्तावों पर निर्णय लेने में बहुत झिझकते हैं । इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों के पुराने मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिन पर विभिन्न कारणों से कारगर कार्रवाई नहीं हो रही है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5.31 लाख मामलों में मुकदमे दायर किये गये हैं और इन मामलों की राशि 23915.21 करोड़ रुपये है । ये मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

2. वित्त मंत्री ने भी वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि निपटान परामर्श समितियों की स्थापना के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि बहुत पुराने मामले, विशेष रूप से लघु क्षेत्र से संबंधित मामले, समय पर और शीघ्रता से निपटाये जा सकें । इस संबंध में गवर्नर महोदय के 20 अप्रैल 1999 के पत्र सं. एंमपीडी. बीसी 185 /07.01..279/98-99 के साथ प्रेषित वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्य के पैराग्राफ 70 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है । तदनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निपटान परामर्श समितियों के गठन और लघु क्षेत्र के अनर्जक अग्रिमों के समझौते द्वारा निपटान के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश बनाये गये हैं, ताकि अनिर्णीत मामले कम किये जा सकें और बैंक अपेक्षाकृत बड़े मामलों पर अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई कर सकें ।

दिशा-निर्देशों की व्याप्ति

3. ये दिशा-निर्देश उन सभी अनर्जक खातों पर लागू होंगे, जो बहुत पुराने हैं और 31 मार्च 1999 को कम से कम तीन वर्ष पुराने हो चुके हैं और 30 सितंबर 2000 तक ही प्रचलन में रहेंगे । जो अनर्जक आस्तियां 31 मार्च1999 को तीन वर्ष पुरानी नहीं हुई हैं और जो 31.3.1999 के बाद बनेंगी, वे शामिल नहीं होंगी । ये लघु उद्योग क्षेत्र के ऋणकर्ताओं, व्यापार और निजी खंड सहित लघु कारोबार और कृषि क्षेत्र के ऋणकर्ताओं पर लागू होंगे, जहां खाते अनर्जक हो गये हैं । परंतु धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले शामिल नहीं होंगे । न्यायालयों और ऋण वसूली प्राधिकरणों में विचाराधीन मामले भी शामिल होंगे । परंतु ऐसे मामलों में समझौते द्वारा निपटान को परिलक्षित करते हुए न्यायालय / ऋण वसूली प्राधिकरण की डिक्री-सहमति ली जानी चाहिए ।

4. इस बात पर बल दिया जाता है कि बैंक बड़े और मझौले उधारकर्ताओं तथा वर्तमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत समाविष्ट न किये गये अन्य उधारकर्ताओं के संबंध में वर्तमान वसूली प्रक्रिया का अनुसरण करते रहेंगे । इन मामलों में वसूली की सामान्य प्रक्रियाओं का प्रभावी तौर पर अनुसरण करना जारी रखा जाना चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि कुछ बैंक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा अन्य महत्वपूण व्यक्तियों की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय के स्तर पर पहले ही निपटान परामर्श समितियों का गठन कर चुके हैं । अन्य बैंक, जो ऐसा करना चाहते हों, वे भी बड़े तथा मझौले उधारकर्ताओं के लिए इसी प्रकार की परामर्श समितियों की स्थापना कर सकते हैं ।

निपटान परामर्श समितियां -
निपटान परामर्श समितियों (नि. प. स.) का गठन

5. बोर्ड द्वारा प्रधान कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालयों में बैंक के अधिकारियों को शामिल करते हुए नि. प. स. का गठन किया जा सकता है । जिन बैंकों में आंचलिक कार्यालय नहीं हैं, उनमें क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर नि. प. स. का गठन किया जा सकता है । अनर्जक आस्ति बन जाने वाले ऋण विशेष के स्वीकृत करने वाले अधिकारी नि. प. स. की उस बैठक में भाग न लें, जिसमें उस ऋण के निपटान पर विचार किया जा रहा हो । उक्त प्रकार से गठित निपटान परामर्श समिति अपने कार्यक्षेत्रों में उक्त श्रेणी के उधारकर्ताओं की अनर्जक आस्तियों के सभी मामलों की समीक्षा तथा समझौता प्रस्तावों का शीघ्रतापूर्वक निपटान कर सकती है ।

निपटान परामर्श समिति की कार्य प्रणाली

6. बैंकों के बोर्ड निपटान परामर्श समिति की कार्य प्रणाली के लिए स्थूल दिशा-निर्देश और क्रियाविधियां बना सकते हैं । निपटान परामर्श समितियों के अध्यक्षों को दी गयी शक्तियों के भीतर निपटान परामर्श समितियों को समझौते द्वारा निपटान की मंजूरी के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए । गठित की जाने वाली निपटान परामर्श समितियों या ऐसी वर्तमान निपटान परामर्श समितियों, जो कुछ बैंकों में कार्य कर रही हैं, द्वारा समझौते द्वारा निपटान के अधिकांश मामलों को शामिल

करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की राशि छोड़ने / बट्टे खाते डालने की शक्तियों को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किये जाने का प्रस्ताव है । बैंक आंचलिक या क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं । इन शक्तियों का प्रयोग केवल संबंधित निपटान परामर्श समिति की सिफारिश पर ही किया जाना है ।

निपटान के लिए दिशा-निर्देश

7. पात्र लघु उद्योग यूनिट के संदर्भ में समझौते द्वारा निपटान के प्रयोजन के लिए संदर्भ तारीख (पैरा 3 देखें) वह हो सकती है जब प्रतिवादित (प्रोटेस्टेड) बिल खाते या इस स्वरूप के दूसरे किसी खाते में अंतरित तारीख को राशि बकाया हो या उस तारीख को विद्यमान राशि जब खाते को कठिनाई से वसूल होनेवाले (स्टिकी) या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, जैसा भी मामला हो । खाते में रहने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों के वसूलीयोग्य मूल्य तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की वसूली में लगनेवाले समय और लागत को देखते हुए समझौते द्वारा निपटान की शर्तों में चक्रवृद्धि और दंडस्वरूप ब्याज दर छोड़ने तथा प्रासंगिक (मटीरियल) तारीख से करीब 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज लगाने को शामिल किया जा सकता है । उन मामलों में जहां धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार का प्रमाण है, इन दिशा-निर्देशों के अधीन समझौते द्वारा कोई निपटान नहीं किया जाना चाहिए ।

8. समझौते द्वारा हिसाब लगायी गयी राशि सामान्यतः एकमुश्त अदा की जानी चाहिए । ऐसे योग्य मामलों में जहां ऋणकर्ता संपूर्ण राशि एकमुश्त अदा करने में असमर्थ है, वहां बैंक चुकौती की अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं जो निपटान की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होने चाहिए । किन्तु ऐसे मामलों में ऋणकर्ता द्वारा निपटान की तारीख को निपटान की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत उसी समय अदा किया जाना चाहिए । उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान रखते हुए बैंकों के निदेशक बोर्ड समझौते द्वारा निपटान के लिए मानदंड निर्धारित कर सकते हैं और निपटान परामर्श समिति के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार कर सकते हैं ।

9. बोर्ड को निपटान परामर्श समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए तथा उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निपटान की प्रक्रिया 6 महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाये । निपटान परामर्श समिति की कार्य प्रणाली के संबंध में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रत्येक समीक्षा नोट की एक प्रति तथा उक्त परंतुक के अंतर्गत किये गये समझौता निपटानों के ब्यौरे अनुबंध में दर्शाये गये फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किये जायें ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

..... को समाप्त छमाही के लिए लघु क्षेत्र को अग्रिमों के संबंध में बैंक द्वारा किये गये समझौता निपटान का ब्यौरा

बैंक का नाम : **(हजार रुपये)**

उधारकर्ताओं की श्रेणी	मामलों की संख्या	बकाया राशि	कल्पित ब्याज राशि, अर्थात् परिकलित परन्तु खाते में नहीं लगाया गया ब्याज	समझौता निपटान की राशि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
(i) लघु उद्योग				
(ii) छोटे सड़क परिवहन परिचालकों सहित लघु कारोबार				
(iii) व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यावसायिक				
(iv) पशुपालन सहित कृषि				
(v) कारोबार उद्यम				
(vi) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, आदि				
छमाही का योग				
वित्तीय वर्ष का संचयी योग				

बैंपविवि. सं.बीपी.बीसी. 62/21.01.001/98-99 **18 जून 1999**
28 ज्येष्ठ 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकारों का प्रत्यायोजन

अभी तक नीति विषयक मामलों के संबंध में तथा इस विभाग द्वारा जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने वाले पत्रों सहित पूछताछ संबंधी अन्य विविध पत्र हमें मुंबई में भेजे जाते हैं । बैंकों से प्राप्त पत्रों के निपटान में और तेज़ी लाने के प्रयोजनार्थ यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण तथा अनुदेश प्राप्त करने वाले सभी पत्र उस केन्द्र के भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक को संबोधित किये जायें जहां पर बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है । तथापि, नीति संबंधी सभी पत्र सीधे इस विभाग को ही संबोधित किये जाते रहेंगे ।

2. जिन बैंकों के प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित हैं वे विभाग से संबंधित सभी पत्राचार अभी तक की भांति सीधे हमें संबोधित करते रहेंगे ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 67/21.04.048/99 **1 जुलाई 1999**
10 आषाढ़ 1921(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

नॉस्ट्रो खातों का समाधान

कृपया बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया 27 जनवरी 1999 का परिपत्र बैंपविवि.सीओ.एसएमसी. बीसी .सं. 45/22.02.001 (ए)-98-99 देखें ,जिसके साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नॉस्ट्रो खातों के समाधान करने की प्रणाली की जाँच करने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित की गयी थी । उक्त रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की जाँच की गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि आंतरिक लेखा परीक्षकों से अपनी बहियों का निरीक्षण कराने और प्रक्रिया को लागू करने के पूर्व प्रस्ताव को अपने संबंधित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् बैंक एक बार के उपाय के रूप में निवल राशि निर्धारित करने की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायें :

1. 31 मार्च 1996 तक की अवधि की उन प्रविष्टियों के संबंध में जो 31 मार्च 2000 को समाधान हेतु शेष हों, नॉस्ट्रो खाते की जमा प्रविष्टियों को संबंधित प्रतिरूप खाते (मिरर अकाउंट) की नामे प्रविष्टियों में से घटाया जा सकता है । इसी प्रकार प्रत्येक नॉस्ट्रो खाते की नामे प्रविष्टियों को संबंधित मिरर अकांउट की जमा प्रविष्टियों में से घटाया जा सकता है । इसके पश्चात् प्रत्येक नॉस्ट्रो खाते की निवल नामे या निवल जमा की, जो भी स्थिति हो, गणना की जानी चाहिए । निवल नामे स्थिति प्रदर्शित करने वाले और निवल जमा स्थिति प्रदर्शित करने वाले खातों को अलग-अलग जोड़ लेना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक खाते की निवल नामे स्थिति को दूसरे खाते की निवल जमा स्थिति के साथ या इसके विपरीत स्थितियों को समायोजित नहीं किया जाये । निवल नामे और निवल जमा स्थिति, बैंक के वर्ष 1999-2000 के खातों में, सकल निवल नामे को लाभ-हानि खाते में और सकल निवल जमा को फुटकर लेनदारों के खाते में अंतरित करके प्रदर्शित की जानी चाहिए ।

2. जिन बैंकों ने समाधान न की गयी नामे राशि को पहले ही लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया है, वे ऊपर उल्लिखित निवल राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया अपनाने के प्रयोजनार्थ उक्त राशि को संबंधित खाते में प्रत्यावर्तित न करें ।

3. बाद की अवधि की (अर्थात् 1 अप्रैल 1996 से बाद की अवधि की)नॉस्ट्रो खाते और मिरर अकाउंट की समाधान न की गयी जो नामे प्रविष्टियां तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं, उनके लिए बैंक को संगत लेखा वर्ष में शत प्रतिशत प्रावधान करना चाहिए ।

4. 1 अप्रैल 1996 तथा इससे आगे की नॉस्ट्रो खाते और मिरर अकाउंट की समाधान न की गयी जो जमा प्रविष्टियां तीन वर्ष से बकाया हैं, उन्हें अलग कर लिया जाये और उन्हें गैर दावाकृत जमा खाते की तरह के किसी खाते में रखा जाये ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 71/12.06.111/99-2000 **19 जुलाई 2000**
28 आषाढ़ 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,
1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन -
दि कमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया लि.

हम यह सूचित करते हैं कि दि कमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया लि. का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से 5 जून 1999 अर्थात् 22 मई 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. आइबीएस. 2823/23.13.089/98-99 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से निकाल दिया गया है ।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 81/21.03.038/99-2000 **13 अगस्त 1999**
22 श्रावण 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
मुख्य कार्यपालक
(विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

समीक्षा-कैलेण्डर - निदेशक मंडल और प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामले

प्राधिकृत विक्रेताओं के स्तर पर बकाया निर्यात बिलों में वृद्धि की प्रवृत्ति, जो हमारे विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग की छमाही समीक्षा से प्रकट होती है, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए गंभीर चिंता का विषय है । विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा बैंकों के अध्यक्षों को बकाया निर्यात बिलों की स्थिति के बारे में समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है । तथापि, मामले की गंभीरता को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि 23 सितंबर 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 121/21.03.038/96 के अनुबंध I की मद II(3) के अनुसार निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित 'निर्यात वित्त और विदेशी मुद्रा कारोबार की समीक्षा' विषयक समीक्षा रिपोर्ट में भी बकाया निर्यात बिलों की स्थिति के बारे में चर्चा की जानी चाहिए और ऐसे बिलों की शीघ्र वसूली के लिए बैंकों द्वारा कदम उठाये जाने चाहिए । बोर्ड के संकल्प के साथ समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को भेजी जानी चाहिए ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 85/09.08.001/99-2000 **6 सितम्बर 1999**
15 भाद्र 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

बंबई उच्च न्यायालय - याचिका (रिट पिटीशन) सं. 1998 की 434 -
ए. जे. रिज़वी तथा अन्य बनाम इंडो फ्रेंच
बायोटेक इंटरप्राइजेज लि. तथा अन्य

कृपया आप 27 जून 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 63/09.08.001/97-98 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे माननीय बंबई उच्च न्यायालय के 16 जून 1998 के आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त याचिका के प्रतिवादी सं. 1 से 8 तक और प्रतिवादी सं. 1 और 2 की कंपनियों के समूह के अपने यहां खातों में परिचालनों की अनुमति न दें। अब माननीय उच्च न्यायालय, बंबई ने 5 अगस्त 1999 के अपने आदेश द्वारा ऊपर उल्लिखित प्रतिवादियों के खातों में परिचालनों पर रोक लगाने से संबंधित अपने पहले के 16 जून 1998 के आदेश को रद्द कर दिया है। अतएव हम सूचित करते हैं कि अनुबंध में दिये गये प्रतिवादी सं. 1 से 8 और प्रतिवादी सं. 1 और 2 के कंपनियों के समूह के खातों पर लगी रोक हटा दें और अपने बैंक में उनके संबंधित खातों में परिचालन की अनुमति दें।

भवदीया

(सुश्री के. आर. प्रधान)
उप महा प्रबंधक

अनुबंध

प्रतिवादियों की सूची

इंडो फ्रेंच बायोटेक इंटरप्राइजेज लि.
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, जिसका कार्यालय निम्नलिखित है -
5, भास्कर मैंशन, 32, शीतलादेवी टेंपल रोड, माहिम,
मुंबई - 400 016

2. इंडो ग्लोबल बायोटिक एम्बीएंस लि.
कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, जिसका कार्यालय निम्नलिखित है -
9/23, आनंद नगर, पौड रोड, कोथरूड, पुणे - 411 029

3. मेजर कुमुदचंद्रा जे. बोडीवाला,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंडो फ्रेंच बायोटेक इंटरप्राइजेज लि.
जिनका निवास निम्नलिखित है -
8, शेफाली, दूसरी मंजिल, माहिम मार्कंड हाउसिंग सोसाइटी लि.,
कॅडल रोड, माहिम, मुंबई - 400 016

4. श्रीमती विमला कुमुदचंद्र बोडीवाला,
प्रबंध निदेशक, इंडो-ऑस्ट्रेलियन गोल्डन प्लांटेशन लि.

5. सुश्री दर्शना कुमुदचंद्र बोडीवाला,
इंडो फ्रेंच बायोटेक इंटरप्राइजेज लि. के निदेशक मंडल के कांस्टिट्यूटेड अटॉर्नी

6. श्रीमती इला ए. अगरवाल
कुमुदचंद्र जे. बोडीवाला की सुपुत्री
सभी का पता-8, शेफाली, दूसरी मंजिल, माहिम मार्कंड हाउसिंग सोसाइटी लि.,
कॅडल रोड, माहिम, मुंबई - 400 016

7. हरकिसनदास आर. शर्मा,
पूर्णकालिक निदेशक, इंडो फ्रेंच बायोटेक इंटरप्राइजेज लि.

8. प्रफुल्ल आर. रणदिवे,
पूर्णकालिक निदेशक, इंडो फ्रेंच बायोटेक इंटरप्राइजेज लि.
नं. 7 और 8
5, भास्कर मैंशन, 31, शीतलादेवी टेंपल रोड,
माहिम, मुंबई - 400 016

बैंपविवि.सं.निदेश.बीसी. 86/13.10.00/99-2000 **7 सितंबर 1999**
16 भाद्र 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

वाणिज्य बैंकों द्वारा सेवा प्रभार लगाना

अब तक भारतीय बैंक संघ अपने सदस्य बैंकों को आधारभूत (बेंचमार्क) सेवा प्रभारों की सूचना देता रहा है जिसके आधार पर प्रत्येक बैंक से अपेक्षित था कि वह अपने प्रभार स्वयं निर्धारित करे । संघ ने 18 अगस्त 1997 के अपने परिपत्र सं.ओपीआर/सी.22-12/2 के द्वारा सदस्य बैंकों को सेवा प्रभारों के संबंध में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया था।

2. हमने बैंकों द्वारा विभिन्न सेवा प्रभारों की दरों को निर्धारित करने के समस्त मामले की समीक्षा की है और पाया है कि वर्तमान प्रथा ब्याज दर निर्धारण की पुरानी प्रथा के अनुरूप है किन्तु यह स्पर्धा पर दिये जानेवाले वर्तमान बल के अनुरूप नहीं है।

3. अतः यह निर्णय किया गया है कि भारतीय बैंक संघ द्वारा आधारभूत (बेंचमार्क) सेवा प्रभार तय करने की प्रथा समाप्त कर दी जाये और सेवा प्रभार निर्दिष्ट करने का निर्णय अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया जाये। बैंकों को सूचित किया जाता है कि चेक वसूली आदि, जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारों का निर्धारण करते समय वे यह सुनिश्चित करें कि ये प्रभार युक्तिसंगत हों और इन सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत से ये असंगत न हों। बैंकों को इस बात को सुनिश्चित करने का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कम लेन-देन वाले ग्राहकों को इससे नुकसान न हो।

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निदेशक मण्डल के पूर्वानुमोदन से, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 3 के अंतर्गत संस्तुत है, इन प्रभारों के परिकलन हेतु व्यवस्था करें और उन्हें अपनी शाखाओं में यथाशीघ्र लागू करें ।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 88/12.06.057/99-2000 **14 सितंबर 1999**
23 भाद्र 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन "बैंक ऑफ अमेरिका एन टी एण्ड एस ए"

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "बैंक ऑफ अमेरिका एन टी एण्ड एस ए" का नाम बदलकर "बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल असोसिएशन" कर दिया गया है, जो 28 अगस्त 1999 अर्थात् 3 अगस्त 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं.आइबीएस. 324/23.03.006/ 99-2000 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रभावी है ।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 91/21.01.040/99 **22 सितंबर 1999**
31 भाद्र 1921(शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

समझौता करने / बट्टे खाते डालने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन

कृपया 27 मई 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 57/21.01.040/99 का पैराग्राफ 6 देखें, जिसके द्वारा निपटान परामर्शदात्री समितियों के गठन के लिए दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख है कि छूट देने / बट्टे खाते डालने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की शक्तियां बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है । भारत सरकार के अनुमोदन से अब यह निर्णय लिया गया है कि छूट देने / ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की शक्तियों की सीमा वर्तमान रु. 10 लाख से बढ़ाकर रु. 50 लाख कर दी जाये । अतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल रु. 50 लाख तक की राशि बट्टे खाते डालने / छूट देने, माफी के प्रस्तावों के संदर्भ में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं । फलस्वरूप हमारे 25 मार्च 1997 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 24/21.01.040/97 की मद 2 के अंतर्गत रु. 10 लाख तक बट्टे खाते डालने / छूट देने, माफी संबंधी प्रस्तावों के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को प्रत्यायोजित शक्तियां उपर्युक्त रूप से संशोधित हो गयी हैं ।

2. निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के बारे में निर्णय लिये जाने के बाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित शक्तियों के 75 प्रतिशत तक शक्तियां कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं । ऋण समझौते / प्रस्तावों को बट्टे खाते डालने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को शक्तियां प्रत्यायोजित करने में किये गये संशोधन के फलस्वरूप, निदेशक मंडल बैंक के अन्य पदाधिकारियों की शक्तियों में भी उपयुक्त संशोधन कर सकता है।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 97/12.06.113/99-2000

7 अक्तूबर 1999
15 आश्विन 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
दूसरी अनुसूची से निष्कासन - "हनिल बैंक"

हम यह सूचित करते हैं कि हनिल बैंक का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से 18 सितंबर 1999 अर्थात् 28 अगस्त 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं.आइबीएस. 572/23.13.86/ 99-2000 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से निकाल दिया गया है ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं. बीपी. (एससी). बीसी. 98/21.04.103/99 **7 अक्तूबर 1999**
15 आश्विन 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली

कृपया 30 अक्तूबर 1998 के मौद्रिक नीति विभाग के पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 181/07.01.279/98-99 के साथ प्रेषित '1998-99 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा' संबंधी वक्तव्य का पैरा 28 देखें, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ऋण बाज़ार और परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे। तदनुसार दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया है और कुछ बैंको के बीच उन्हें अभिमत / सुझाव के लिए परिचालित किया गया। दिशा-निर्देशों के प्रारूप को प्राप्त प्रतिसाद तथा 2 सितम्बर 1999 को चुने हुए बैंकों के अध्यक्षों / मुख्य कार्य अधिकारियों के साथ हुई रिज़र्व बैंक की समीक्षा बैठक में उभरे सुझावों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गयी है। अंतिम दिशा-निर्देश बैंकों के द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिए संलग्न हैं।

2. उक्त दिशा-निर्देशों में मोटे तौर पर ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के प्रबंध को शामिल किया गया है। आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये हैं तथा इनका उद्देश्य मुख्य रूप से चलनिधि और ब्याज दर संबंधी जोखिमों को शामिल करना था। आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों सहित अब जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों का उद्देश्य ऐसे बैंकों को आधार (बेंचमार्क) प्रदान करना है, जिन्होंने अभी समेकित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित नहीं की है। बैंक अपने कार्यकलापों के स्वरूप और आकार तथा संभावित जोखिम के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रणालियां विकसित कर सकते हैं। बैंक इन दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपनी वर्तमान जोखिम प्रबंधन प्रणाली का सम्यक् मूल्यांकन करें और विद्यमान कमियों को दूर करने तथा अपेक्षित उन्नयन के लिए उपयुक्त प्रणाली लागू करें।

3. बैंकों में तुलन पत्र की मदों की भिन्नता और अलग-अलग आकार के कारण न तो यह संभव है और न ही यह जरूरी है कि एक समान जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनायी जाये। जोखिम प्रबंधन ढांचा इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि वह कारोबार की मात्रा और जटिलता, जोखिम-विचार, बाज़ार संभावना और उन्हीं के वर्तमान स्तर के अनुसार बैंक की अपनी जरूरत पर आधारित हो।

4. जोखिम संबंधी मानदंड निर्धारित करने और जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी निदेशक बोर्ड की होगी। समेकित जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन जोखिम प्रबंधन समिति अथवा सर्वोच्च कार्यपालकों की समिति को सौंपा जा सकता है, जो बोर्ड को रिपोर्ट देगी। कुछ देशों में वित्तीय संकट से सुरक्षा-रहित (अन्हेज्ड) बाज़ार जोखिम तथा ऋण जोखिम के बीच गहरा संबंध परिलक्षित हुआ है। ऋण की मंजूरी, वितरण तथा अनुवर्ती कार्रवाई एवं समग्र बैंक के आधार पर ऋण जोखिम के प्रबंधन और नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए बैंकों को एक उच्च स्तरीय ऋण नीति समिति गठित करनी चाहिए। इसके साथ-साथ

बैंकों को एक अलग ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग भी स्थापित करना चाहिए जो जोखिम मानदंड और बोर्ड / ऋण समिति द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाएं लागू करें और उनके अनुपालन पर निगरानी रखें । ऋण और बाज़ार जोखिमों के प्रबंधन के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ALCO) तथा ऋण नीति समिति (CPC) की गतिविधियों को समन्वित करने की जरूरत है ।

ऋण जोखिम

5. ऋण जोखिम के प्रबंधन पर सर्वोच्च प्रबंध तंत्र द्वारा सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति में ऋण जोखिम को मापने, निगरानी रखने और नियंत्रित करने के तरीके शामिल होने चाहिए । प्रत्येक बैंक की शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्पष्ट योजना होनी चाहिए और साथ ही उसे एक ऐसी ऋण अनुमोदन प्रणाली बनानी चाहिए जहां एक पूर्व निर्दिष्ट सीमा से अधिक के ऋण प्रस्ताव का अनुमोदन "अनुमोदन श्रृंखला (ग्रिड)" या "समिति" द्वारा किया जाये । ऋण जोखिम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ऋण नीति में आधारगत वित्तीय अनुपातों, एकल ऋणकर्ता या ऋणकर्ता-समूह को ऋण, भारी ऋण, उद्योग विशेष, क्षेत्र विशेष और सेक्टर विशेष के लिए ऋणों, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ऋण आदि के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड को शामिल किया जाना चाहिए ।

6. बैंकों को ऐसी व्यापक जोखिम निर्धारण प्रणाली तैयार करनी चाहिए जो ऋण और निवेश संबंधी निर्णयों के संदर्भ में प्रतिपक्षी पार्टियों के विविध जोखिम तत्वों के एक जगह पर निर्देशक के रूप में कार्य कर सके । इसके साथ ही, बैंकों को ऋण और निवेश संबंधी जोखिम के आकलन की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए जो संभावित चूक प्रतिबिंबित कर सके ।

7. अनर्जक ऋणों का तुलनपत्र की तारीख के आसपास पता लगाने की पद्धति ऋण बही की सही गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं करती है । निवेश-संविभाग गुणवत्ता का मूल्यांकन ऋणकर्ताओं के एक निर्धारण मान से दूसरे निर्धारण मान में जाने (उच्च क्रम या निम्न क्रम) का पता लगाकर निरंतर आधार पर किया जाना चाहिए । जब वातावरण में तेजी से परिवर्तन हों तो बैंकों को तेजी से संविभाग समीक्षा, दबाव परीक्षण और स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए ।

8. 31 अक्तूबर 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.002/98 के अनुसार बैंकों से कहा गया है कि बड़े अग्रिमों के लिए ऋण समीक्षा तंत्र (एल आर एम) स्थापित करें । ऋण समीक्षा / लेखा परीक्षा विभाग को ऋण प्रशासन की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करने और ऋण का दर्जा देने की प्रक्रिया की अखंडता बनाये रखने, ऋण की हानि के लिए प्रावधान का वस्तुनिष्ठ तरीके से अनुमान लगाने एवं निवेश-संविभाग गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ।

9. निवेश के प्रस्तावों पर भी उसी मात्रा में ऋण जोखिम विश्लेषण लागू किया जाना चाहिए जैसा ऋण प्रस्तावों पर लागू है । निवेश-संविभाग मूल्यांकन में निवेश सहित कुल ऋण-जोखिम (एक्सपोज़र) शामिल होना चाहिए ।

10. तुलन पत्र बाह्य ऋण जोखिम मूल्यांकन की शर्त पर दिये जाने चाहिए । वर्तमान और संभावित ऋण-जोखिमों की माप दैनिक आधार पर की जानी चाहिए तथा संभावित ऋण-जोखिमों की मात्रा बाज़ार की गतिविधियों, जिनमें

विदेशी विनिमय दर, ब्याज दर, इक्विटी मूल्य, चलनिधि की स्थितियां जैसे बाज़ार के परिवर्तनशील तत्वों में होनेवाले सामान्य और असामान्य घट-बढ़ शामिल हों, के संदर्भ में आकलित कर ज्ञात की जानी चाहिए ।

11. बैंकों को एक उपयुक्त ढांचा विकसित करना चाहिए, ताकि अन्य बैंकों पर सकल ऋण का केंद्रित रूप में विहंगावलोकन किया जा सके । बैंकों को एक आंतरिक संपुटक (मैट्रिक्स) तैयार करने का भी प्रयास करना चाहिए, जिसमें प्रतिपक्षकार (काउंटर पार्टी) तथा देश संबंधी जोखिमों का उल्लेख हो ।

बाज़ार जोखिम

12. बैंकों में एक अप्रैल 1999 से आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए 10 फरवरी 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 8/21.04.098/99 द्वारा ब्यौरेवार दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं । कम्प्यूटरीकरण और प्रबंध-सूचना प्रणाली के स्तर को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बाज़ार जोखिम के प्रबंधन के लिए आसानी से समझ में आनेवाले विश्लेषणात्मक साधनों का प्रयोग करें । दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने अवधि (Duration), जोखिम पर आय (इ ए आर), जोखिम पर मूल्य (वी ए आर) तथा जटिल अनुकरण मॉडल (सिम्यूलेशन मॉडल) जैसी अधिक परिष्कृत तकनीकें अपनाने में काफ़ी प्रगति कर ली है । इनमें से अधिकांश बैंकों ने पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ नामक "रूपरेखा" अपनायी है तथा जोखिमों अथवा प्रतिलाभों की परिवर्तनीयता के आधार पर आर्थिक पूंजी का आंबटन किया है । *बासले समिति* ने सिफारिश की है कि आर्थिक जोखिम की तुलना में पूंजी पर्याप्तता बैंकों की दीर्घकालिक सुदृढ़ता के लिए एक आवश्यक शर्त है । समिति ने उन बैंकों के लिए, जिनमें ब्याज दर जोखिम उल्लेखनीय तौर पर औसत से अधिक है, बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी प्रभार विकसित करने का प्रस्ताव भी किया है । देशी बाज़ार को बाह्य बाज़ारों के साथ क्रमिक रूप से समन्वित करने की पृष्ठभूमि में, भारत के बड़े बैंकों को भी बाज़ार जोखिम का प्रबंधन करने में अधिक परिष्कृत तकनीक अपनानी चाहिए । बैंकों को वर्तमान प्रणालियों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए ।

चलनिधि संबंधी जोखिम

13. आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्दिष्ट नकदी प्रवाह संबंधी बेमेल स्थितियों पर विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन करने के अलावा बैंकों को अंतर-बैंक ऋणों, विशेषत: मांग निधियों, खरीदी गयी निधियों, प्रमुख जमा राशियों, तुलनपत्र से इतर वचनबद्धताओं, अदला-बदली की गयी (स्वैप्ड) निधियों, आदि पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करने पर भी विचार करना चाहिए । बैंकों को बैंकविशिष्ट और बाज़ार संकट के परिदृश्य में चलनिधि के ढांचे का भी मूल्यांकन करना चाहिए । चलनिधि की स्थितियों में आकस्मिक विपरीत घट-बढ़ को बर्दाश्त करने की क्षमता की माप के लिए आकस्मिकता योजनाएं तैयार करनी चाहिए ।

ब्याज दर जोखिम

14. ब्याज दर जोखिम की माप के लिए "जोखिम पर मूल्य" तथा "अवधि" जैसे दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों को एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए । अत्यंत अस्थिर दशाओं अथवा बाहरी घटनाओं के प्रतिकूल

प्रभावों को रोकने के लिए बैंकों को दबाव परीक्षण की योग्यताएं विकसित करनी चाहिए । आस्ति-देयता प्रबंधन के अनुपूरक उपाय के रूप में आंतरिक निधि अंतरण मूल्य की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित की जा सकती है ।

बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी

15. बैंकों को जिन बाज़ार जोखिमों का सामना करना पड़ता है उनके लिए पूंजी का स्पष्ट प्रावधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक अपनाना वांछनीय होगा । जहां प्रमुख रूप से भारत में कार्यरत छोटे बैंक मानक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, वहीं बड़े बैंकों तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कार्यरत बैंकों को बाज़ार जोखिम मापने के लिए आंतरिक मॉडल तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए ।

परिचालनगत जोखिम

16. वित्तीय लेन-देनों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि, उच्च स्तरीय संरचनागत बदलावों तथा जटिल प्रौद्योगिकी समर्थक प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए परिचालनगत जोखिम सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन के एक उल्लेखनीय अंग के रूप में उभर रहा है । बैंकों को परिचालनगत जोखिम की माप, उस पर निगरानी और नियंत्रण के लिए उचित प्रणालियां अपनानी चाहिए ।

जोखिम का समेकन और पूंजी का आबंटन

17. जोखिम अथवा प्रतिलाभों की परिवर्तनशीलता के आधार पर आर्थिक पूंजी के आबंटन को अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिल चुकी है तथा पर्यवेक्षकगण बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता के आकलन का मूल्यांकन करने की योजना बना रहे हैं । हो सकता है, हमारे कुछ बैंक पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (आरएआरओसी) नामक ढांचा तत्काल अपनाने तथा विभिन्न कारोबारी यूनिटों को पूंजी आबंटित करने की स्थिति में न हों । अन्य बैंकों को इन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए एक मध्यावधि रणनीति अपनानी चाहिए । अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कार्यरत बैंकों को आर्थिक पूंजी का अनुमान लगाने और उसको बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2001 तक उपयुक्त पद्धति तैयार कर लेनी चाहिए ।

18. दिशा-निर्देशों के साथ यह परिपत्र निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए । निदेशक मंडल को छमाही अंतरालों पर दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए । निदेशक मंडल के नोट की एक प्रति हमारे पास 1 जनवरी 2000 तक भिजवा दी जाये, उसमें वर्तमान जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में मौजूद अंतरों तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए तैयार की गयी नीतियों और कार्य-नीतियों का उल्लेख हो ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुलग्नक :- 1 पुस्तिका

बैंपविवि. सं. बीपी. 101/12.04.002/99-2000 **12 अक्तूबर 1999**
20 आश्विन 1921 (शक)

अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

तार अंतरण भुनाई सुविधा - नवीकरण

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 15 अक्तूबर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 101/12.04.002/99 देखें ।

2. यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत भारतीय रिज़र्व बैंक से तार अंतरण के अंतर्गत सीमाएं प्राप्त करने से संबंधित अवधि को और एक वर्ष के लिए अर्थात् 1 नवंबर 1999 से 31 अक्तूबर 2000 तक बढ़ा दिया जाये ।

भवदीय

(एन. के. सरकार)
मुख्य महाप्रबंधक

बैंपविवि., के. का., मुंबई द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत टी. टी. भुनाई सुविधा संबंधी सीमाएं दर्शाने वाला विवरण - 1.11.1999 से 31.10.2000 तक लागू

(लाख रुपयों में)

बैंक का नाम	अ'बाद	बंगलूर	भुवनेश्वर	भोपाल	मुंबई	कलकत्ता	गुवाहाटी	हैदराबाद	जयपुर	कानपुर	चेन्नई	नागपुर	नई दिल्ली	पटना	त्रिवेंद्रम	चंडीगढ़	जोड़
अमेरिकन एक्सप्रेस	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	250
बैंक ऑफ बेह.और कुवैत	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
बैंक ऑफ बड़ौदा	2000	1000	200	100	0	1000	200	400	400	200	1000	300	2000	300	200	200	9500
बैंक ऑफ इंडिया	300	100	50	0	0	500	10	200	125	50	300	50	1500	35	100	100	3420
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	50	50	0	30	0	50	0	100	10	15	50	25	100	8	10	0	498
बैंक ऑफ राजस्थान	15	0	0	0	0	15	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	50
केनरा बैंक	20	125	10	0	0	50	50	25	0	3	125	0	50	25	25	0	508
कारपोरेशन बैंक	25	0	5	0	0	15	0	50	5	0	0	40	5	25	15	0	185
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	400	200	100	250	0	2000	100	200	100	500	1000	100	2500	100	200	500	8250
सिटी बैंक	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	70	0	0	0	130
ड्यूश बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70
देना बैंक	1000	100	75	100	0	750	100	200	100	100	200	75	1000	50	50	100	4000
सांगली बैंक	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10	5	10	0	0	0	55
सिंडीकेट बैंक	300	500	100	0	0	800	100	200	50	100	400	50	500	100	200	500	3900
स्टेट बैंक ऑफ बी.ज.	50	15	0	0	0	30	25	0	2000	100	20	10	500	25	0	0	2775
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	25	10	0	0	0	40	0	40	5	20	50	0	50	0	0	0	240
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	50	25	0	0	0	25	0	500	10	15	15	0	20	0	15	0	675
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	200	200	15	50	0	500	150	60	0	50	100	20	50	50	0	0	1445
यूनायटेड वेस्टर्न बैंक	5	5	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	15	0	0	0	55
इलाहाबाद बैंक	0	50	0	0	0	0	5	140	25	4	4	10	0	50	15	25	328
ग्रिंडलेज बैंक	0	40	0	0	0	0	0	100	0	25	0	0	0	0	0	0	165
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	0	0	0	0	50	50	0	0	0	20	25	0	30	0	0	0	175
युनायटेड बैंक ऑफ इंडिया	50	25	60	0	125	0	50	25	20	20	50	30	100	75	5	0	635
यूको बैंक	100	15	30	0	20	0	25	40	50	15	25	75	50	25	25	0	495
बरेली कारपोरेशन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7

बैंपविवि., के. का., मुंबई द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत टी. टी. भुनाई सुविधा संबंधी सीमाएं दर्शाने वाला विवरण - 1.11.1999 से 31.10.2000 तक लागू

(लाख रुपयों में)

बैंक का नाम	अ'बाद	बंगलूर	भुवनेश्वर	भोपाल	मुंबई	कलकत्ता	गुवाहाटी	हैदराबाद	जयपुर	कानपुर	चेन्नई	नागपुर	नई दिल्ली	पटना	त्रिवेंद्रम	चंडीगढ़	जोड़
बनारस स्टेट बैंक	0	0	0	0	110	30	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	250
बैंक ऑफ मदुरा	40	15	0	0	45	15	0	20	25	0	0	35	15	15	25	0	250
भारत ओव. बैंक	50	25	0	0	200	50	0	50	0	0	0	0	50	0	25	50	500
इंडियन बैंक	50	20	5	0	0	0	2	40	10	25	0	15	50	15	10	0	242
इंडियन ओव. बैंक	50	0	30	0	0	0	10	30	20	40	0	25	0	30	10	0	245
कारूर वैश्य बैंक	20	20	0	0	25	15	0	20	0	0	0	0	15	0	0	0	115
लक्ष्मी विलास बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
तामिलनाडु मर्क. बैंक	0	45	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	100
कॅथलिक सि. बैंक	0	10	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	10	0	0	0	30
फेडरल बैंक	20	15	3	0	40	0	0	10	0	10	0	0	20	5	0	0	123
नेदनगुड्डी बैंक	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
साउथ इंडियन बैंक	5	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	25
कर्नाटका बैंक	50	0	0	0	200	0	0	25	0	0	45	0	100	0	25	0	445
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	25	0	0	0	250	100	0	60	0	0	150	5	100	0	10	0	700
विजया बैंक	50	0	20	0	100	100	0	10	0	10	100	20	100	0	10	0	520
वैश्य बैंक	10	0	0	0	30	8	0	20	0	0	20	0	10	0	5	0	103
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	20	25	0	0	100	500	0	300	25	100	400	20	0	10	0	0	1500
आंध्रा बैंक	5	50	25	0	100	50	0	0	15	10	0	25	35	100	5	0	420
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	0	100	0	0	0	200	0	200	0	0	200	0	200	0	0	0	900
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
जे. एण्ड के. बैंक	0	0	0	0	0	50	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	80
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	40	20	5	30	0	100	50	25	15	100	50	10	0	25	20	0	490
भारतीय स्टेट बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
ओरियंट. बैंक ऑफ कॉमर्स	5	10	0	0	0	0	0	5	10	10	0	5	0	5	5	0	55
कुल जोड़	5040	2840	733	560	1595	7133	877	3375	3050	1549	4379	962	9655	1073	1010	101475	145306

बैंपविवि.सं.आइबीएस.बीसी. 109/23.06.001/99-2000 **30 अक्तूबर 1999**
8 कार्तिक 1921(शक)

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के
मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

स्टाफ का भारतीयकरण

जैसा कि आप जानते हैं, विदेशी बैंकों को हमारे 20 मार्च 1969 के पत्र बैंपविवि.सं. 312/सी.319 बी-69 के साथ संलग्न फार्मेट में विवरणी हमें प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी होती है । हमने स्वदेश लौटे व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए उक्त विवरणी की उपयोगिता की समीक्षा की है और जब तक स्वदेश लौटे व्यक्तियों की नियुक्ति हमारे सभी विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को संबोधित 31 अगस्त 1970 के अशा.पत्र डीबीओडी. 1318/सी.319/70 द्वारा विदेशी बैंकों के स्टाफ के भारतीयकरण की योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बैंक के लिए नियत पात्रता / सीमा के अंतर्गत है, तब तक उन्हें हमारे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

2. उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आपको उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित वार्षिक विवरणी भविष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, यह अपेक्षित है कि आप स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों की अतिरिक्त नियुक्ति की अनुमति के लिए आवेदन करते समय अपने बैंक द्वारा नियुक्त किये गये स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे हमें सूचित करें अर्थात् स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति का नाम, भारत में उनके आने की तारीख और भारत से उनके जाने की प्रत्याशित तारीख, आदि बतायें, जैसा कि 11 मार्च 1994 के हमारे पत्र आइबीएस. 1033/ 23.07.001/94 के अनुसार अपेक्षित है, ताकि इस संबंध में आपके अनुरोध पर विचार किया जा सके ।

भवदीय

(पी. वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं. बीसी. 115 /09.11.001/99-2000 **30 अक्तूबर 1999**
8 कार्तिक 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

वर्ष 2000 (वाइ 2 के) की तैयारी

कृपया आप गवर्नर महोदय के 29 अक्तूबर 1999 के परिपत्र एमपीडी. बीसी. 190 /07.01.279/99-2000 के साथ संलग्न 'वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा' संबंधी वक्तव्य का पैराग्राफ 57 देखें ।

हम सूचित करते हैं कि वर्ष 2000 (वाइ 2 के) की समस्या से निपटने की तैयारी के लिए आकस्मिकता योजना के भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय परंपराओं के अनुरूप सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) 01 जनवरी 2000 को जनता के साथ लेनदेन के लिए बंद रहेंगे । परंतु बैंक स्टाफ सदस्यों के लिए खुले रहेंगे, ताकि वर्ष 2000 के संदर्भ में कारोबारी परिचालनों के जारी रहने की जांच की जा सके । 01 जनवरी 2000 को कार्यालय बंद रहने से आपके दायित्वों का निर्वाह न हो पाने के संबंध में किसी भी जोखिम अथवा देयता से बचने के लिए प्रभावित हो सकने वाली सभी पार्टियों को उचित और पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाये ।

01 जनवरी 2000 को जनता के साथ लेनदेन के लिए छुट्टी रखने से संबंधित 30 अक्तूबर 1999 का निदेश बैंपविवि. सं. बीसी.116 /09.11.001/99-2000 संलग्न है ।

भवदीया

(देवकी मुत्तुकृष्णन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 116 /09.11.001/99-2000

30 अक्तूबर 1999
8 कार्तिक 1921 (शक)

वर्ष 2000 (वाइ 2 के) की तैयारी

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) वर्ष 2000 (वाइ 2 के) की समस्या से निपटने की तैयारी के लिए आकस्मिकता योजना के भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय परंपराओं के अनुरूप 01 जनवरी 2000 को जनता के साथ लेनदेन के लिए बंद रहेंगे ।

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 118 /21.01.023/99-2000

2 नवम्बर 1999
11 कार्तिक 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भारत में संघों / संगठनों द्वारा विदेशी अभिदान स्वीकार करना

कृपया आप 28 जुलाई 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. सीएस. बीसी. 1/21.01.023/99 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे संघों / संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदानों के संबंध में विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के विभिन्न उपबंधों का पालन सुनिश्चित करें । विशेष रूप से, बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है कि दान राशियां / अभिदान प्राप्त करनेवालों के बैंक खातों में राशि जमा लिखने से पहले प्राप्त करनेवालों द्वारा भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो । हमें बताया गया है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले संघों /संगठनों द्वारा रखे गये खातों में राशि जमा लिखने में बैंकों की ओर से विलम्ब होता है । हम यह सूचित करते हैं कि इन बैंक खातों में परिचालनों के बारे में क्रियाविधि / सावधानी का पालन करते समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां संघों /संगठनों ने उक्त अधिनियम के उपबंधों का विधिवत् पालन किया है उन मामलों में हिताधिकारियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए जमा लिखने में अनावश्यक विलम्ब न हो ।

हमारा अनुरोध है कि आप अपनी शाखाओं को तदनुसार सूचित करें ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

दिनांक 3.11.1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/21.04.124/99 का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

(ii) अलग-अलग ऋणकर्ताओं को ऋण जोखिम की सीमाएं

26 मई 1989 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 132/66-89 के अनुसार किसी एकल ऋणकर्ता के लिए बैंक के ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा उस बैंक की पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत पर नियत की गयी है । इस बारे में **15 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय मानक के निकट, चरणों में, पहुंचने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि किसी एकल ऋणकर्ता के संबंध में ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा बैंक की पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 01 अप्रैल 2000 से 20 प्रतिशत कर दी जाये । बैंकों को सूचित किया जाता है कि जहां ऋण जोखिम का वर्तमान स्तर 31 अक्तूबर 1999 को 20 प्रतिशत से अधिक है, वहां उसे दो वर्ष की अवधि में (अर्थात् अक्तूबर 2001 के अंत तक) घटाकर पूंजी निधियों का 20 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए ।**

नोट : उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/13.10.00/99-2000 **18 नवम्बर 1999**
27 कार्तिक 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

उड़ीसा राज्य में तूफान से प्रभावित लोगों को राहत के लिए अंशदान भेजने के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा सेवा प्रभार लगाना

कृपया आप 7 सितम्बर 1999 का हमारा परिपत्र डीआइआर. बीसी. 86/13.10.00/99-2000 देखें, जिसके अनुसार सेवा प्रभार निर्धारित करने का निर्णय अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया गया था ।

2. उड़ीसा राज्य में हाल ही में आये तूफान से पीड़ित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के राष्ट्रीय प्रयास में योगदान देने की दृष्टि से हम सूचित करते हैं कि बैंक उन निधियों के संबंध में कोई सेवा प्रभार / कमीशन न लगायें, जो प्रधानमंत्री राहत कोष, उड़ीसा तूफान राहत निधि में जमा करने के लिए भेजी जायें । साथ ही उन अन्य अंशदानों पर भी प्रभार कमीशन न लगायें जो उड़ीसा राज्य में तूफान से प्रभावित लोगों को भेजे जा रहे हों।

3. कृपया अपने बैंक के नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को तत्काल आवश्यक अनुदेश जारी करें ।

भवदीय

(मुनीश कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. जेपीसी. बीसी. 137/27.01.031/99-2000 **4 फरवरी 2000**
15 माघ 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891

विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों के लेनदेन से संबंधित अपराधों का विचारण) द्वारा दिये गये एक न्याय-निर्णय में माननीय न्यायाधीश ने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 में प्रमाणीकरण / सत्यापन से संबंधित उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । न्यायालय ने यह इच्छा प्रकट की है कि कानूनी प्रक्रिया में बैंककार की बहियों में प्रविष्टियों को सिद्ध करने के लिए बैंक इन उपबंधों से दिशा-निर्देश प्राप्त करें । अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण, उपभोक्ता मंच आदि के समक्ष किसी कानूनी प्रक्रिया में बैंककार की बहियों में प्रविष्टियों को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता की स्थिति में बैंक अपने विधि परामर्शदाता / वकील के परामर्श से बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 की धारा 2(8) के उपबंध के साथ पठित धारा 4 के अंतर्गत क्रियाविधि अपनायें ।

2. आप यह मानेंगे कि उक्त क्रियाविधि को अपनाने से किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम मंच के समक्ष कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य में बैंक के भारी मात्रा में मूल रिकार्डों को प्रस्तुत करने से बचा जा सकेगा । इससे उन प्रशासकीय एवं प्रक्रियागत असुविधाओं से भी बचा जा सकेगा जो सामान्यतः ऐसी कानूनी प्रक्रिया के पूरे होने तक रिकार्डों के न्यायालय की अभिरक्षा में रहने की स्थिति में हो सकती है । परंतु बैंक यह सुनिश्चित करें कि जो मूल रिकार्ड / दस्तावेज़ इस तरह की कानूनी प्रक्रिया की विषयवस्तु हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अंतिम निपटान तक सुरक्षित रखा जाये, इस संबंध में बैंककारी कंपनी (अभिलेखों की परिरक्षण अवधि) नियमावली, 1985 के उपबंध कुछ भी हों ।

3. उपर्युक्त अधिनियम की प्रति आपके तुरत संदर्भ के लिए संलग्न है । आपका ध्यान उसके निम्नलिखित उपबंधों की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है :

(i) पद 'बैंककार की बही', 'कानूनी प्रक्रिया' और 'प्रमाणित प्रतिलिपि' की परिभाषा वही होगी, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत यथापरिभाषित है ;

(ii) धारा 4 के उपबंध, जिनके अनुसार बैंककार की बही में किन्हीं प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि सभी कानूनी प्रक्रियाओं में इस तरह की प्रविष्टि के होने का प्राथमिक साक्ष्य माना जायेगा और प्रत्येक मामले में उसमें रिकार्ड की गयी विषयवस्तु, लेनदेन और लेखा के साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जायेगी । इसे उसी तरह से और उसी सीमा तक स्वीकार किया जायेगा जिस तरह और जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि को अभी कानून द्वारा स्वीकार किया जाता है, किन्तु इससे अधिक या अन्यथा नहीं ।

(iii) धारा 5 के उपबंध, जिनके अनुसार किसी बैंक का कोई भी अधिकारी किसी ऐसी कानूनी प्रक्रिया में बैंककार की बही को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिस कानूनी प्रक्रिया का वह बैंक एक पक्ष नहीं है । ऐसा उक्त अधिनियम के अंतर्गत विषयवस्तु, लेनदेनों और लेखा को सिद्ध करने अथवा विषयवस्तु को सिद्ध करने के लिए गवाह के रूप में प्रस्तुत होने के लिए भी तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक न्यायालय अथवा न्यायाधीश के आदेश से विशेष कारण के रूप में ऐसा करने के लिए न कहा जाये ।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबंध, जिनके किसी पक्ष के द्वारा न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया या न्यायाधीश को आवेदन करने पर न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि इस तरह की प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए इस तरह की पार्टी (पक्ष) बैंककार की बहियों को लेने के लिए स्वतंत्र है, निरीक्षण और उनमें की गयी प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां अथवा न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि आदेश में निर्दिष्ट अवधि में इस तरह की सभी प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां तैयार की जायें और प्रस्तुत की जायें, जिनके साथ इस तरह का प्रमाणपत्र भी हो कि बहियों में इस तरह की प्रक्रिया में इस मुद्दे में विषयवस्तु से संबंधित बैंक की बहियों में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी । इस तरह के प्रमाणपत्र पर तारीख डाली जायेगी । उस पर उसी तरह से हस्ताक्षर किये जायेंगे जैसा कि प्रमाणित प्रतिलिपियों के संदर्भ में निर्देश दिया गया है ।

4. इस परिपत्र को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जाये । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी शाखाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी करें ।

भवदीया

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी. 139/12.06.065/99-2000 **7 फरवरी 2000**
18 माघ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
दूसरी अनुसूची से हटाना -
दि ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडल ईस्ट

हम सूचित करते हैं कि दि ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडल ईस्ट का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से 9 अक्तूबर 1999 से, अर्थात् 25 सितंबर 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीएस. 817/ 23.13.022/ 99-2000 के भारत के राजपत्र (भाग III - खण्ड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से, हटा दिया गया है ।

भवदीय

(एस. पी. पाडगांवकर)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीसी. 142/12.06.088/ 99-2000

18 फरवरी 2000
29 माघ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - 'आइसीआइसीआइ बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड' के स्थान पर 'आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड'

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 15 जनवरी 2000 से, अर्थात् उस तारीख से जिस तारीख को 23 दिसंबर 1999 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीपी/ 1395/ 21.01.057/ 99 भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित हुई थी, 'आइसीआइसीआइ बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड' का नाम बदलकर 'आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड' कर दिया गया है ।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 170 /21.04.018/2000

4 मई 2000
14 वैशाख 1922 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

लेखा मानक (एएस)- 11 (संशोधित)

कृपया आप 30 मार्च 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/21.04.048/99 का पैराग्राफ 3 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों को अंतिम रूप देने के लिए 5 जून 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 68/21.04.018/96 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का पालन करें । चूंकि एएस-11 (संशोधित) के बैंकों पर लागू होने की अभी भी जांच की जा रही है, अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों को अंतिम रूप देने के लिए भी ऊपर उल्लिखित 5 जून 1996 के परिपत्र में निहित दिशा-निर्देशों का पालन करें ।

भवदीय

(ए. एल. सिंहमार)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 171/21.04.098 / 99-2000 **5 मई 2000**
15 वैशाख 1922(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों का तुलनपत्र - सूचना प्रकट करना

कृपया आप 10 फरवरी 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 9/21.04.018 /99 देखें, जिसमें बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से अपने तुलन-पत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां' के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रकट करें :

i) ऋणों और अग्रिमों की अवधिपूर्णता का स्वरूप
ii) निवेश प्रतिभूतियों की अवधिपूर्णता का स्वरूप
iii) जमाराशियों की अवधिपूर्णता का स्वरूप
iv) उधार राशियों की अवधिपूर्णता का स्वरूप

2. कुछ बैंकों ने मार्च 2000 में समाप्त वर्ष के तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां' के अंतर्गत उपर्युक्त अतिरिक्त जानकारी प्रकट करने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं, क्योंकि उन्होंने आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली में अपना शत-प्रतिशत कारोबार शामिल नहीं किया है । अतः यह निर्णय किया गया है कि बैंक, यदि आवश्यक हो तो, उपर्युक्त जानकारी 'निदेशकों की रिपोर्ट ' में प्रकट करें ।

3. परंतु बैंकों को उपर्युक्त अतिरिक्त जानकारी 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां' के अंतर्गत प्रकट करनी चाहिए ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 172/21.04.105/ 99-2000 **9 मई 2000**
19 वैशाख 1922(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विशेष लाभांश खाते में अंतरित अदत्त लाभांश

जैसा कि आपको विदित है कि कंपनी अधिनियम की धारा 205ए के अनुसार जब किसी कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया गया हो परंतु घोषणा की तारीख से बयालीस (42) दिन के भीतर लाभांश पाने के पात्र किसी अंश धारक को लाभांश अदा नहीं किया गया हो (या अंश धारक द्वारा उसका दावा नहीं किया गया हो) तो कंपनी उक्त बयालीस दिन की अवधि पूरी होने की तारीख से सात दिन के अंदर उस लाभांश की संपूर्ण राशि को ,जो उक्त बयालीस दिनों के अंदर अदत्त (या बिना दावा किये) रहती है , इस प्रयोजन हेतु किसी अनुसूचित बैंक में कंपनी द्वारा खोले जाने वाले ".....कंपनी लिमिटेड / कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड का अदत्त लाभांश खाता" नामक विशेष खाते में अंतरित करेगी ।

2. बैंक अभी तक कंपनियों का अदत्त लाभांश खाता चालू खाते के रूप में रख रहे हैं । यह सूचित किया जाता है कि यदि अदत्त / गैर दावाकृत लाभांश के संबंध में विशेष जमा खाता खोलने के प्रयोजन हेतु **कंपनियों से इस हेतु अनुरोध प्राप्त होते हैं तो बैंक सावधि जमा खाता खोल सकते हैं ।**

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 174/21.04.007/2000 **15 मई 2000**
25 वैशाख 1922 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

प्रशिक्षण सुविधायें

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के कार्यकलापों और भावी दिशा की समीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक में एक समिति की स्थापना की गयी थी, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित विभिन्न अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं के संदर्भ में बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय की भूमिका का अध्ययन करना और वर्ष 2005 तक के लिए एक भविष्य-निरूपण (विज़न) तय करना था । उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें (अनुबंध में सूचीबद्ध) दे दी हैं, जो वाणिज्य बैंकों के लिए प्रासंगिक हैं । बैंकिंग क्षेत्र में मानव संसाधन और कुशल कार्य-बल के विकास में प्रशिक्षण के अत्यधिक महत्व की दृष्टि से बैंक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर विचार करें ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

अनुबंध

सिफारिशों की सूची

(क) बैंकों को प्रशिक्षण पर और अधिक ध्यान देना जारी रखना चाहिए । बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय में आधार स्तरीय कार्यक्रम और सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्यक्रम जारी नहीं रखे जायेंगे और ये बैंकों के अपने महाविद्यालयों में चलाये जायेंगे अथवा उनके लिए बैंकों को अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी । प्रधानाचार्य और संकाय-सदस्यों के पदों को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए । प्रतिभासम्पन्न और ज्ञानवान तथा श्रेष्ठ रिकार्ड वाले अधिकारियों को संकाय-सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए तथा उन्हें अच्छी सुविधायें दी जानी चाहिए ।

(ख) प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पदस्थ किये जानेवाले अधिकारियों को भी उपयुक्त और पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि बैंक अपने प्रशिक्षण संस्थानों में कुछ ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी पुनः चलाने की स्थिति में हों, जो बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय में चलाये जायेंगे ।

(ग) बैंक यह ध्यान रखें कि सहभागी की योग्यता और कार्यक्रम के स्तर के बीच उचित तालमेल हो । अधिकारी द्वारा लिये जानेवाले प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद उसकी नियुक्ति में भी तालमेल होना चाहिए, ताकि प्रशिक्षण से मिलनेवाले लाभ बैंक तथा अधिकारी दोनों के लिए अधिकाधिक उपयोगी हो सकें ।

(घ) बैंकों को चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों को उत्साहित करने और परामर्श देने में पहले से सक्रिय भूमिका निभायें, ताकि वे अपने पेशे की योग्यता प्राप्त कर सकें और अपने ज्ञान का आधार सुदृढ़ कर सकें तथा पेशेवर निपुणता हासिल कर सकें ।

(ङ) भारतीय बैंकर संस्थान (आइ. आइ. बी.) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से बैंक स्टाफ के लिए बैंकिंग और वित्त में एम. बी. ए. का कार्यक्रम तैयार किया है । पेशेवर ज्ञानार्जन और बैंकिंग और वित्त में विशिष्ट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के मापदंड के रूप में सभी बैंक अपने उस स्टाफ को पाठ्यक्रम के खर्च की प्रतिपूर्ति करें, जो एम. बी. ए. की यह विशेष उपाधि प्राप्त करें ।

(च) प्रशिक्षण के लिए दिये जानेवाले महत्व का एक संकेतक यह भी है कि बैंक के बजट में प्रशिक्षण के लिए कितनी राशि आबंटित की जाती है । इसलिए बैंक इस बात का अध्ययन करें कि अधिकारियों को दिये जानेवाले प्रशिक्षण पर्याप्त हैं या नहीं और साथ ही उनके स्थापना संबंधी समग्र खर्च की तुलना में प्रशिक्षण के लिए कितनी निधि आबंटित की गयी है, इसका भी अध्ययन करें तथा सुधार के लिए आवश्यक उपाय करें ।

(छ) चूंकि बैंकिंग उद्योग में प्रशिक्षण से संबंधित पर्याप्त अंतराल हैं, इसलिए बैंक क्षेत्रीय केन्द्रों पर मिलकर सहभागी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करें । विकल्प के रूप में उन बैंकों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सुविधाओं का भी उपयोग करें जिनके पास अतिरिक्त क्षमता या प्रशिक्षण सुविधायें हैं । बड़े वाणिज्य बैंक अपने प्रशिक्षण संस्थानों (जितनी अतिरिक्त क्षमता हो या अतिरिक्त चैनल उपलब्ध हों) को ऐसे अन्य बैंकों के अधिकारियों के लिए खोलने की संभावना पर भी विचार करें जिनके पास प्रशिक्षण की सुविधायें या तो कम हैं या विशिष्ट क्षेत्रों में कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं हैं ।

बैंपविवि. सं. आइबीएस.बीसी. 175/23.09.001/99-2000 **19 मई 2000**
29 वैशाख 1922 (शक)

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों
द्वारा लाभ का प्रेषण

कृपया भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा प्रेषित लाभ के ब्यौरे सूचित करने के संबंध में 9 अक्तूबर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 99/23.09.001/98-99 देखें ।

2. हमारे उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित विवरण का प्रोफार्मा संशोधित कर दिया गया है । आपको सूचित किया जाता है कि मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए तथा उसके बाद संलग्न संशोधित फार्मेट में लाभ के प्रेषण संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

3. 9 अक्तूबर 1998 के हमारे उक्त परिपत्र में दिये गये अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

4. इसके फलस्वरूप अनुदेश मैन्युअल - खंड II में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायें ।

विवरणी / विवरण सं. 31-क को संशोधित विवरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये ।

भवदीय

(जे. जी. गुप्ता)
महा प्रबंधक

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा प्रधान कार्यालय को प्रेषित लाभ के ब्यौरे सूचित करने के लिए प्रोफार्मा

बैंक का नाम :

(i)	वित्त वर्ष	:
(ii)	वर्ष के दौरान बैंक की आय	:
(iii)	भारत में व्यय (लगाये गये प्रधान कार्यालय के व्ययों सहित)	:
(iv)	लाभ और हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ	:
(v)	लाभ और हानि खाते में प्रभारित प्रधान कार्यालय के व्यय	:
(vi)	आय कर अधिनियम की धारा 44 ग के अंतर्गत अनुमतियोग्य प्रधान कार्यालय के व्यय	:
(vii)	कर योग्य प्रधान कार्यालय के व्यय (v-vi)	:
(viii)	कर के लिए किये गये वास्तविक प्रावधान	
(ix)	अन्य प्रावधान (कर के लिए अनुमतियोग्य उच्चतम सीमा के अलावा)	:
	क) कर के लिए ख) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए ग) स्टाफ के सेवांत लाभों के लिए	
(x)	कर योग्य अधिशेष [(iv + vii + viii + ix)]	:
(xi)	अधिशेष की संपूर्ण राशि अर्थात् (x) पर पूरी दर * पर परिकलित कर के लिए प्रावधान	:
(xii)	प्रारक्षित निधियों में अंतरित राशि (ब्यौरे दें)	:
(xiii)	पिछले वर्षों की बकाया कर देयताओं, यदि कोई हों (+ या -), के प्रति समायोजन	:
(xiv)	सी आर ए आर संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए भारत में प्रतिधारित राशि, यदि कोई हो,	:

(xv) प्रेषणयोग्य अधिशेष [(x) - (xi से xiv तक का जोड़)] :

(xvi) प्रधान कार्यालय को प्रेषित प्रेषणयोग्य अधिशेष की राशि और लागू की गयी विनिमय दर :

(xvii) प्रेषण की तारीख :

(xviii) प्रेषण की तारीख को पूंजीगत निधियां :

(xix) प्रेषण की तारीख को सी आर ए आर :

* दर विनिर्दिष्ट की जाये ।

प्रमाणित किया जाता है कि -

(i) वर्ष के लिए खातों में शामिल बैंक की संपूर्ण आय भारतीय स्रोतों से प्राप्त हुई तथा इस संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों का अनुपालन किया गया है । (यदि आय का कोई भाग भारत के बाहर से प्राप्त हुआ है तो प्रमाणपत्र में यह स्पष्ट दर्शाया जाये कि उसकी राशि वसूल होने पर तत्काल भारत को प्रेषित कर दी गयी थी)

(ii) कर के प्रावधान के लिए अलग रखी गयी राशि आलोच्य वर्ष में बैंक की भारत स्थित शाखा(ओं) की कर देयताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त है ।

बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम और मुहर)

बैंक के लेखा परीक्षक

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम और मुहर)

टिप्पणी : यदि प्रेषण पिछले वर्षों के न भेजे गये ऐसे लाभों से संबंधित हो, जिन्हें पूंजी पर्याप्तता के लिए प्रतिधारित न किया गया हो परंतु विदेश में प्रेषित करने के लिए रखा गया हो तो वर्षवार पूरे ब्यौरे प्रस्तुत किये जायें ।

ध्यान दें : पहले से प्रेषित 1998-99 के लाभ के ब्यौरे भी इस संशोधित फार्मेट में प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 176 /21.01.040/2000 **20 मई 2000**
30 वैशाख 1922 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

निपटान परामर्श समितियां के
गठन के लिए दिशा-निर्देश

कृपया आप 27 मई 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/21.01.040/99 देखें, जिसमें लघु क्षेत्र से संबंधित पुराने अनर्जक अग्रिमों के समझौते द्वारा निपटान के लिए निपटान परामर्श समितियां के गठन के लिए स्थूल, निर्देशक मानदंड निर्धारित किये गये हैं । उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3 के अनुसार उक्त दिशा-निर्देश केवल 30 सितम्बर 2000 तक ही प्रचलन में रहेंगे ।

2. हमने पाया है कि निपटान परामर्श समितियों के माध्यम से अनर्जक आस्तियों की वसूली की प्रगति धीमी है । हमें लघु उद्योग इकाइयों और उद्योग संघों (एसोसिएशनों) से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं कि बैंक इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के पास भारी संख्या में मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं । अनर्जक आस्तियों की वसूली में धीमी प्रगति का एक कारण निपटान परामर्श समितियों द्वारा समझौते से निपटान के मामलों पर विचार करने में विलम्ब भी बताया गया है । यह आवश्यक है कि निपटान परामर्श समितियों को लघु उद्योग क्षेत्र के पुराने अनर्जक अग्रिमों की वसूली के लिए कारगर माध्यम बनाया जाये । अतः आपको सूचित किया जाता है कि अपने आंचलिक / क्षेत्रीय क़ार्यालयों के साथ इस मामले को उठाकर निपटान परामर्श समितियों के कार्यों की ओर ध्यान दें और निपटान परामर्श समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक अनर्जक अग्रिमों की वसूली सुनिश्चित करें ।

3. कृपया निपटान परामर्श समितियों के माध्यम से अनर्जक अग्रिमों की वसूली के संबंध में 31 मार्च 2000 की स्थिति हमें सूचित करें अर्थात् निपटाये गये मामलों और निपटान की राशि बतायें । निपटान परामर्श समितियों के माध्यम से अनर्जक अग्रिमों की वसूली में आपके सामने जो अड़चनें आयी हों, कृपया वे भी हमें बतायें ।

भवदीय

(जी. पी. मुनियप्पन)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 182/16.13.100/99-2000 **31 मई 2000**
10 ज्येष्ठ 1922 (शक)

निजी क्षेत्र के सभी भारतीय वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

शेयरों का अंतरण

कृपया 21 सितंबर 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 349/16.13.100/99-2000 देखें, जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि जब अन्तरण के कारण अलग-अलग व्यक्ति / समूह की शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूंजी के पांच प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर हो जाये तो शेयरों का अंतरण करने के पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की अभिस्वीकृति प्राप्त कर लें । उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3 में उल्लेख किया गया था कि अभौतिक (डिमैट) शेयरों के संबंध में अलग से सूचना भेजी जायेगी ।

2. इस संबंध में हम यह सूचित करते हैं कि डिमैट वर्ग में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कंपनियों के शेयरों की पूर्व अभिस्वीकृति के लिए प्रक्रिया संबंधी रूपरेखा का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है । इस दल में रिज़र्व बैंक, सेबी और नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं । कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि इस प्रयोजन के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया जाये ।

3. इस बीच, हम सूचित करते हैं कि बैंकों को अपने **संस्था के अंतर्नियमों** में इस आशय का संशोधन करना चाहिए कि किसी व्यक्ति / समूह द्वारा शेयरों के ऐसे अभिग्रहण के लिए जिससे उसकी / उनकी शेयरधारिता बैंक की कुल जारी पूंजी की 5 प्रतिशत या अधिक (या समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्रतिशत) के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए ।

4. आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में **तत्काल** आवश्यक कार्रवाई करें और हमारे अभिलेख के लिए संशोधित खंड का सार हमारे पास भेजें ।

भवदीय

(ए. एल. नरसिंहन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 183/12.06.098/99-2000

2 जून 2000
12 ज्येष्ठ 1922(शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन - दि टाइम्स बैंक लि.

हम यह सूचित करते हैं कि दि टाइम्स बैंक लि. का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से 4 मार्च 2000 अर्थात् 26 फरवरी 2000 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. पीएसबीएस. एच. 886/16.01.131/99-2000 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से निकाल दिया गया है ।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 184/21.01.040/2000 **12 जून 2000**
22 ज्येष्ठ 1922 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

अनर्जक आस्तियों की वसूली -
डिगरी प्राप्त ऋणों की राशि को तत्परता से प्राप्त करना

आपको विदित ही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार समय-समय पर इस बात पर चिन्ता प्रकट करती रही है कि ऋणकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दायर करने और डिगरी प्राप्त होने पर उसकी राशि को प्राप्त करने के लिए डिगरी के निष्पादन में बैंकों की ओर से विलम्ब होते रहे हैं। इसलिए रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 1993 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 77/09.08.001/93 द्वारा बैंकों को सूचित किया था कि बैंक डिगरी के निष्पादन और डिगरी प्राप्त होने पर न्याय में बताये गये कर्जदारों से डिगरी की राशि प्राप्त करने की ओर उन मामलों में विशेष ध्यान दें जिनमें राशि की वसूली या तो मूल कर्जदार से अथवा गारंटी देनेवालों से करना संभव है और न्याय में बताये गये कर्जदारों से राशि की वसूली के लिए भी तत्परता से कार्रवाई करें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 30 मार्च 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/21.03.38/99 में इन अनुदेशों को पुन: दोहराया है और हानिवाली आस्तियों की राशि प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई समय पर करने पर जोर दिया है। वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तत्परता से करने के लिए समय निर्धारण करने के अलावा रिज़र्व बैंक ने मुकदमा दायर / मुकदमा दायर और डिगरी प्राप्त मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करने और न्यायालयों द्वारा दी गयी डिगरियों के निष्पादन के लिए तत्परता से याचिका दायर करने के महत्व पर बल दिया है।

3. इस संबंध में हाल ही के एक निर्णय में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने डिगरी को समय पर निष्पादित करने में एक बैंक की असफलता के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस असफलता के कारण निष्पादन याचिका काल-वर्जित हो गयी थी। उच्च न्यायालय ने डिगरियों के निष्पादन में बैंकों द्वारा विलम्ब न होने देने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि इस प्रकार की मुकदमेबाजी में जनता का धन फंसा होता है। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों के विधि विभाग और क्षेत्र स्तरीय कार्याधिकारियों और साथ ही उनके कानूनी सलाहकारों के बीच उचित समन्वय रहे। इस संबंध में यह भी रिपोर्ट दी गयी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह व्यवस्था दी है कि किसी निष्पादन याचिका के दायर करने के लिए परिसीमा अवधि निर्णय की तारीख से

शुरू होती है और यह कि डिगरीधारक डिगरी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगनेवाले समय को छोड़ने का लाभ नहीं ले सकता ।

4. उपर्युक्त बातों की दृष्टि से हम यह पुनः दोहराना चाहते हैं कि बैंक मुकदमा दायर किये गये सभी अनिर्णीत मामलों की तत्परता से समीक्षा करें और सभी स्तर पर कार्याधिकारियों को इस आवश्यकता से अवगत करायें कि मुकदमा दायर किये गये और डिगरीप्राप्त मामलों की लगातार निगरानी कितनी आवश्यक है । बैंकों के विधि अधिकारियों को चाहिए कि वे निर्णय प्राप्त करने के संबंध में और अनिर्णीत मामलों की डिगरियों के निष्पादन में तत्परता लाने के लिए बैंक के वकीलों से लगातार सम्पर्क में रहें। इस संबंध में बैंक में विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए और जहां आवश्यक हो मुकदमा दायर किये गये जो मामले तीन वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत हों उनकी निगरानी करने और उच्चतर प्राधिकारियों को उसकी रिपोर्ट देने की उचित क्रियाविधि होनी चाहिए। साथ ही जिन ऋणों के बारे में डिगरी प्राप्त हो गयी और एक वर्ष से अधिक कार्रवाई लम्बित है उनके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक अनर्जक आस्तियों की वसूली में प्रगति की समीक्षा के एक भाग के रूप में बैंकों की लेखा-परीक्षा समितियों द्वारा मुकदमा दायर / डिगरीप्राप्त ऋणों के लिए शीघ्र तिमाही समीक्षा निर्धारित करेंगा । इसके अलावा आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करने के एक भाग के रूप में बैंकों के आंतरिक लेखाकारों को भी ये अनुदेश दिये जाने चाहिए कि वे मुकदमा दायर / डिगरीप्राप्त ऋण के काफी समय से लम्बित मामलों पर विवेचनात्मक टिप्पणियां दें और सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई का सुझाव दें । इसके अतिरिक्त बैंकों के वकीलों के कार्य की वार्षिक विवेचनात्मक समीक्षा की प्रणाली भी, यदि अभी तक लागू न हो तो, लागू की जानी चाहिए, ताकि नये मामले सौंपने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के मुकदमों के मामलों में कार्रवाई करने में वे कुशल हैं ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 187/21.01.007/2000 **29 जून 2000**
8 आषाढ़ 1922 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

ब्याज कर अधिनियम, 1974 -
ब्याज कर की समाप्ति

कृपया आप 28 जुलाई 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 84/21.01.007/97 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया है कि 1 अक्तूबर 1991 से 3 प्रतिशत की दर पर लगाया जानेवाला ब्याज कर 31 मार्च 1997 के बाद प्रोद्भूत अथवा बननेवाले किसी भी ब्याज के संबंध में घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है और ब्याज कर की राशि समानुपातिक आधार पर उधारकर्ता से ली जानी चाहिए।

2. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 के बजट में ब्याज कर अधिनियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया है :

ब्याज कर

ब्याज कर अधिनियम, 1974 में धारा 4 में उप धारा (2) के बाद निम्नलिखित उप धारा को 1 अप्रैल 2001 से जोड़ा जायेगा, अर्थात् -

"(3)उप धारा (1) और (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी 31 मार्च 2000 के बाद प्रोद्भूत या बननेवाले किसी भी ब्याज के संबंध में कोई भी ब्याज कर नहीं लगाया जायेगा"।

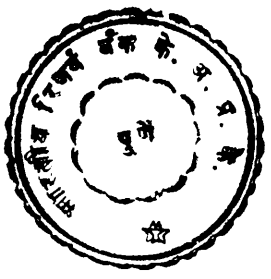
अब भारत सरकार ने सूचित किया है कि वित्त विधेयक, 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गयी है और वित्त अधिनियम, 2000 पारित कर दिया गया है, जिसमें वित्त विधेयक में सम्मिलित अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ ब्याज कर को भी समाप्त करने की मंजूरी दी गयी है । तदनुसार बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे **31 मार्च 2000 के बाद प्रोद्भूत या बननेवाले किसी भी ब्याज के संबंध में कोई ब्याज कर न लगायें** ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

भाग XI

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले



बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 22/21.04.018/99 **24 मार्च 1999**
3 चैत्र 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

अंतर शाखा खाते - निवल नामे शेष हेतु प्रावधान

जैसा कि आपको विदित ही है कि अंतर शाखा खातों के समाधान में बकाया बड़ी राशियां गंभीर चिंता का विषय है और समय समय पर बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पुरानी बकाया प्रविष्टियों के त्वरित समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करें । अब यह निर्णय लिया गया है कि लेखा वर्ष 1998-99 से प्रारंभ करके प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को तीन वर्ष से अधिक समय तक बकाया समाधान न की गई प्रविष्टियों (नामे तथा जमा दोनों) से अपने अंतर शाखा खातों में आयी **निवल नामे** स्थिति के लिए बैंक शत प्रतिशत प्रावधान करें ।

2. प्रारंभ में 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक अपने अंतर शाखा खातों में 31 मार्च 1999 को समाधान न की गई 31 मार्च 1995 तक की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग करेंगे और निवल स्थिति की गणना करेंगे । निवल नामे की स्थिति में 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष हेतु उक्त निवल स्थिति के 100 प्रतिशत के बराबर राशि का प्रावधान किया जाए । ऐसा करते समय 27 जुलाई 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/21.04.018/98 में निहित अनुदेशों के अनुसार सृजित 'ब्लॉक्ड अकाउण्ट' में जमा शेष को भी हिसाब में लिया जाये ।

3. 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ करके अंतर शाखा खातों के माध्यम से निष्पादित विभिन्न प्रकार के लेनदेनों के लिए बैंकों को श्रेणीवार (शीर्षवार) खाते रखने चाहिये ताकि निवल राशि की श्रेणीवार गणना की जा सके । तुलनपत्र की तारीख को बैंक तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया समाधान न की गयी नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग करेंगे और श्रेणीवार निवल स्थिति की गणना करेंगे । इसके पश्चात् अंतर शाखा खातों की सभी श्रेणियों के अंतर्गत निवल नामे को जोड़ा जायेगा और उक्त जोड़ के 100 प्रतिशत के बराबर राशि का प्रावधान किया जायेगा । निवल राशि की गणना करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि एक श्रेणी के अंतर्गत निवल नामे को दूसरी श्रेणी की निवल जमा के साथ समायोजित न किया जाये ।

4. यह पुनः सूचित किया जाता है कि बैंक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अंतर शाखा खातों में बकाया प्रविष्टियों का संकलन करें तथा जैसा कि बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा उनके 14 नवंबर 1998 के परिपत्र बैंपवि. केंका.एसएमसी.13सी सं. 41/22.09.001/97-98 में पहले ही सूचित किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जा रहे त्रैमासिक विवरण में उनके ब्यौरों की सूचना दें ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 24/21.04.048/99 **30 मार्च 1999**
9 चैत्र 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी पर्याप्तता -
आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना

कुछ प्रमुख बैंकों के सर्वोच्च कार्यपालकों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) और भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों की बैंक लेखा-परीक्षा समिति की बैठक 8 मार्च 1999 को हुई, जिसमें 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र को अंतिम रूप देने से संबंधित कतिपय मामलों और आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करने और पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्डों पर चर्चा हुई। उक्त चर्चा के प्रकाश में और बैंकों से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित प्रकार सूचित करते हैं :

1. निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए अधिक प्रावधान

हमारे 12 जून 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 67/21.04.048/97 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार निवेशों के संबंध में मूल्यह्रास के लिए किये गये अधिक प्रावधान को लाभ और हानि खाते में विनियोजन के द्वारा प्रारक्षित पूंजी खाते को अंतरित किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किये गये अधिक प्रावधान को प्रारक्षित पूंजी खाते के बजाय "निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाता" को विनियोजित किया जाना चाहिए और उसे अनुसूची 2 में "राजस्व तथा अन्य प्रारक्षित निधियां" शीर्ष के अंतर्गत "प्रारक्षित निधियां और अधिशेष" में अलग से दिखाया जाना चाहिए और यह राशि स्तर II की पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होगी। निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रारक्षित पूंजी खाते के अंतर्गत किये गये अधिक प्रावधान की मौजूदा राशि 31 मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार "निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाता" को अंतरित मानी जायेगी। "निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाता" में रखी राशि का इस्तेमाल भविष्य में प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी आवश्यक मूल्यह्रास के लिए किया जा सकता है।

2. पूंजी पर्याप्तता

29 जनवरी 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/21.04.048/97 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार आस्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालते समय उन अग्रिमों के लिए घटाने (नेटिंग) की अनुमति है, जिनके लिए नकदी मार्जिन अथवा जमाराशियों, ऋणकर्ता के चालू या अन्य खातों में जमा शेष राशियों की संपार्श्विक जमानत हो और इसकी अनुमति तभी है जब ये राशियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित न हों तथा उन पर कोई ग्रहणाधिकार न हो। साथ ही, यह अनुमति उन आस्तियों के संबंध में भी

है जहां मूल्यह्रास या अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है । अब यह निर्णय लिया गया है कि आास्तियों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए बैंको को ऋणकर्ता के कुल बकाया ऋण के संबंध में निम्नलिखित मदों के लिए भी घटाने (नेट ऑफ) की अनुमति होगी :

(i) डीआइसीजीसी/ईसीजीसी से प्राप्त दावे, जो समायोजन न होने तक अलग खाते में रखे गये हैं ।
(ii) आइआरडीपी अग्रिमों के लिए प्राप्त उपदान राशियां, जो अलग खाते में रखी गयी हैं ।

3. लेखा मानदंड 11 (संशोधित)

लेखा मानदंड 11 (संशोधित) को प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू करने से संबंधित कतिपय मुद्दों की जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के परामर्श से की जा रही है । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के खातों को अंतिम रूप देने के लिए 5 जून 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 68/21.04.018/96 में निर्धारित दिशा-निर्देश अपनायें ।

4. बही ऋण पर अग्रिम

बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे तुलनपत्र की "अनुसूची 9 - अग्रिम" में अग्रिमों के ब्यौरे दिखायेंगे । यह स्पष्ट किया जाता है कि बही ऋणों पर दिये गये अग्रिमों को अनुसूची 9 की मद बी (I) - "गोचर आस्तियों द्वारा सुरक्षित" के अंतर्गत शामिल किया जाये ।

5. क्रेडिट कार्ड परिचालनों में बकाया राशियां

वर्तमान में क्रेडिट कार्ड परिचालनों में बकाया राशियों को तुलनपत्र में प्रकट करने के संबंध में बैंकों के बीच कोई एकरूपता नहीं है । यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड परिचालनों में बकाया राशियों को अन्य आस्तियों के अंतर्गत एक साथ रखने के बजाय तुलनपत्र में (अनुसूची 9 की मद ए (ii) - नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋणों के अंतर्गत) अग्रिमों के भाग के रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महाप्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.04.048 /98-99 **15 अप्रैल 1999**
25 चैत्र 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण,
प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले -
निवेशों का मूल्यन

कृपया आप 11 अप्रैल 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 29 /21.04.048 / 98 देखें , जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि 31 मार्च 1998 की स्थिति के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यन करने के लिए बैंकों और लेखा-परीक्षकों को क्या पद्धति अपनानी चाहिए । अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 31मार्च 1999 की स्थिति के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय अनुबंध में बतायी गयी पद्धति अपनानी चाहिए ।

2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि अनुबंध में बताये गये अनुसार मूल्यन करने पर प्रतिभूतियों के मूल्य में यदि कोई बढ़ोत्तरी हो तो उसे आय के रूप में बहियों में **नहीं** लिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त जिन बैंकों ने प्रतिभूतियों के मूल्यन की अब सुझायी जा रही पद्धति से अधिक विवेकपूर्ण पद्धति अपनायी हुई है, वे अब तक अपनायी जा रही पद्धति जारी रखें ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

अनुबंध

निवेश श्रेणी	बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली पद्धति
1. स्थायी निवेश -	(i) 'स्थायी' श्रेणी में प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वाले लाभ को पहले लाभ और हानि खाते में दर्शाना चाहिए तथा उसके बाद उसका विनियोजन 'पूंजीगत प्रारक्षित निधि' में किया जा सकता है।
	(ii) 'स्थायी' निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाना चाहिए तथा लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होने पर प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम होने पर अंतर की अनदेखी की जानी चाहिए तथा उसका परिशोधन नहीं किया जाना चाहिए या उसे आय खाते में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह राशि वसूल न किये गये अभिलाभ का सूचक है।
2. चालू निवेश	'चालू' श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 31 मार्च 1999 के बाजार भावों के अनुसार, जहां-कहीं उपलब्ध हो, किया जाना चाहिए। जहां बाजार भाव उपलब्ध **न** हो, वहां सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए :

31 मार्च 1999 को भारतीय रिज़र्व बैंक की सूची में केंद्र सरकार की जो प्रतिभूतियां बिक्री पर थीं, उनके मूल्य नीचे दिये गये हैं :

प्रतिभूति का नाम	**बिक्री मूल्य** (रु. पै.)
11.15% 2002	99.80
11.98% 2004	101.60
12.40% 2013	100.60

6.00 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांड 2002 को छोड़कर केंद्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में 31 मार्च 1999 को निम्नलिखित प्राप्तियां लागू की जानी चाहिए :

वर्षों की संख्या	**वाई टी एम (परिपक्वता पर प्राप्ति) (%)**
0	7.65
1	10.07
2	11.00
3	11.17
4	11.32
5	11.50
6	11.63

6	11.63
7	11.74
8	11.84
9	11.94
10	12.05
11	12.13
12	12.18
13	12.24
14	12.29
15	12.33
16	12.37
17	12.40
18	12.44
19	12.47
20 और अधिक	12.50

ऊपर दर्शायी गयी प्राप्तियां राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर भी लागू की जानी चाहिए।

6.00 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांडों का मूल्याकंन 22 जनवरी 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 8/12.02.001/97-98 में दी गयी परिभाषा के अनुसार 'लागत' पर किया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वाई टी एम की उपयुक्त दर के बारे में निर्णय लेने के प्रयोजन के लिए वर्ष की आंशिक अवधि को निकटतम पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित करके वर्षों की संख्या की गणना की जानी चाहिए।

कर योग्य गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) बांडों के मूल्यांकन के लिए ऊपर उल्लिखित सरकारी प्रतिभूतियों की वाई टी एम दरों से 2% अधिक की दर लगायी जानी चाहिए।

कर मुक्त गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पीएसयू बांडों के लिए ऊपर उल्लिखित सरकारी प्रतिभूतियों की वाई टी एम दरों से 1% कम की दर लगायी जानी चाहिए।

कर मुक्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पीएसयू बांडों के लिए ऊपर उल्लिखित सरकारी प्रतिभूतियों की वाई टी एम दरों से 2% कम की दर लगायी जानी चाहिए।

कर-योग्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पीएसयू बांडों के मूल्यांकन के लिए ऊपर उल्लिखित सरकारी प्रतिभूतियों की वाई टी एम दरें लागू की जानी चाहिए।

जहां तक अन्य गैर उद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का संबंध है, बैंकों को गैर उद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए 'परिपक्वता पर प्राप्ति' की पद्धति का एक समान तरीके से अनुसरण करना चाहिए।

3. शेयर

(i) जहां-कहीं शेयर बाजारों के भाव उपलब्ध हों, शेयरों का मूल्यांकन तदनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) जिन शेयरों के वर्तमान भाव उपलब्ध न हों अथवा जहां शेयरों के भाव शेयर बाजारों में उद्धृत न किये जा रहे हों, उन्हें बही मूल्य पर (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि, यदि कोई हो, पर विचार किये बिना) लिया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण नवीनतम तुलनपत्र से किया जाना है। यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो, तो शेयरों को प्रति कंपनी रु. 1 पर लिया जाना है।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन 31 मार्च 1998 को तुलनपत्र के अनुसार अलग-अलग मूल्यों पर किया जाना चाहिए। 31 मार्च 1998 का तुलनपत्र उपलब्ध न होने पर 31 मार्च 1997 के तुलनपत्र के अनुसार अलग-अलग मूल्य निकाला जाना चाहिए तथा उसे 20% घटा या भांजित कर दिया जाना चाहिए। यदि 31 मार्च 1997 का तुलनपत्र भी उपलब्ध न हो तो संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी रु. 1 पर किया जाना चाहिए।

4. डिबेंचर

(i) जहां शेयर बाजार के भाव उपलब्ध हों, वहां डिबेंचरों का मूल्यांकन तदनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) जब कभी वर्तमान भाव उपलब्ध न हों अथवा जहां डिबेंचरों के भाव शेयर बाजारों में उद्धृत न किये जा रहे हों वहां उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाना चाहिए.

क) कारोबारी लागत (अर्थात बही मूल्य) पर, यदि ब्याज की अदायगी नियमित रूप से की जा रही हो।

ख) जहां ब्याज की अदायगी नियमित रूप से न की जा रही हो और वह बकाया हो, उन्हें अग्रिमों की ही तरह अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में वर्गीकृत करके उन पर मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए।

5. म्युचुअल फंड के यूनिट

म्यूचुअल फंड के यूनिटों में किये गये निवेश को म्यूचुअल फंड द्वारा प्रत्येक विशेष योजना के संबंध में घोषित नवीनतम निवल आस्ति मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि शेयर बाजार के भावों के अनुसार बाजार दरें उपलब्ध हों तो बाजार दरें अपनायी जानी चाहिए।

6. सहायक कंपनियों और प्रायोजित संस्थाओं में निवेश

प्रतिभूति का मूल्यांकन कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर निरंतर आधार पर किया जाना है।

7. खजाना बिल (सभी अवधिपूर्णताएं)

मूल्यांकन कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर आधारित होगा।

8. वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाना है।

9. सामान्य मसले

i) पूर्णांकित करना (अर्थात् निकटतम हजार तक)

बैंक के विवेक पर निरंतर आधार पर किया जाये।

ii) निवेश श्रेणी

तुलनपत्र के प्रयोजन के लिए, निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है :

क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल, शून्य कूपन बांड सहित)
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग) शेयर
घ) डिबेंचर और बांड
ङ) सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थाएं)
च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड के यूनिट, आदि)

iii) समेकन

प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूतियों को ऊपर दर्शाये गये अनुसार स्क्रिप-वार मूल्यांकित किया जाएगा और मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का जोड़ श्रेणीवार किया जाएगा। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाएगा। निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, की अनदेखी की जानी चाहिए। किसी एक श्रेणी में किये जानेवाले निवल मूल्यह्रास को किसी दूसरी श्रेणी की निवल मूल्यवृद्धि के कारण कम नहीं किया जाना चाहिए।

10. पुनर्पूंजीकरण बांड

पुनर्पूजीकरण बांड स्थायी या चालू निवेशों का हिस्सा नहीं होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार से प्राप्त पुनर्पूजीकरण बांडों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि यदि बैंकों को निवेश के प्रयोजनों के लिए अन्य बैंकों के पुनर्पूजीकरण बांड प्राप्त हों तो मूल्यह्रास,यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करना होगा।

दिनांक 24-4-1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 35/21.01.002/99 का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

2. विवेकपूर्ण मानदंड

(i) अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों का मूल्यन

विवेकपूर्ण लेखांकन मानक अपनाने तथा निवेश पोर्टफोलियो के "बाज़ार भाव पर मूल्यन" की दिशा में अग्रसर होने की दृष्टि से 29 अप्रैल 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36 /13.03.00 / 98 के पैरा 5 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेश के कम-से-कम 70 प्रतिशत को मार्च 1999 में समाप्त वर्ष के लिए 'चालू' निवेश के रूप में वर्गीकृत करेंगे।

यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेश के कम-से-कम 75 प्रतिशत को 'चालू' निवेशों के रूप में वर्गीकृत करें ।

(iii) आस्ति वर्गीकरण - पुनर्निर्धारित ऋण

27 अप्रैल 1992 के परिपत्र बीपी. बीसी. 129/21.04.043/92 के पैरा 2 बी (ii) में निहित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस अग्रिम के संबंध में उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ब्याज और मूलधन के संबंध में ऋण संबंधी करार की शर्तों के बारे में पुनः समझौता किया गया है या किस्तें पुनर्निर्धारित की गयी हैं; उन्हें अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उसे पुनः किये गये समझौते या पुनर्निर्धारित मियाद के अंतर्गत उस श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष तक संतोषजनक रूप में रहना चाहिए । हमें बैंकों से अभिवेदन प्राप्त होते रहे हैं कि कतिपय परिस्थितियों (उदाहरण के लिए साइक्लीकल डाउन-टर्न) में जहां ऋणों को पुनर्निर्धारित किया गया है परंतु कुछ समय बाद ऋणकर्ताओं ने नियमित आधार पर अपने ऋणों की चुकौती करना प्रारंभ कर दिया, निर्धारित दो वर्षों की अवधि काफी लंबी अवधि है ।

यह निर्णय लिया गया है कि यदि **पुनर्निर्धारण की शर्तों के अनुसार ऋण की ब्याज और उसकी किस्तों की नियमित चुकौती की गयी है तो उक्त दो वर्ष की अवधि को घटाकर एक वर्ष (या चार तिमाहियां) कर दिया जाये । उक्त अनुदेश आस्ति वर्गीकरण के लिए 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष से लागू होंगे ।**

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 45/21.04.048/99 **10 मई 1999**
20 वैशाख 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना -
वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संकल्पना

कृपया 20 अप्रैल 1999 के गवर्नर के पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 185 / 07.01.279/98-99, जिसके साथ 'वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति' संबंधी विवरण संलग्न किया गया है , के पैरा 62 का अवलोकन करें ।

2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किसी अग्रिम को अनर्जक आस्ति तब माना जाता है जब चुकौती-अनुसूची उत्पादन शुरू होने के बाद पुनः निर्धारित की जाती है । बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा उधारकर्ताओं ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि यद्यपि इकाई में उत्पादन प्रारंभ हो जाता है तथापि परियोजना पूरी होने की तारीख के तत्काल बाद उत्पादन का स्तर और उसकी मात्रा प्रायः इतनी नहीं होती है कि उससे ऋण की चुकौती के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकदी प्राप्त हो सके । यह अभ्यावेदन किया गया है कि उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए कुछ समय-सीमा की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रायः उत्पादन के प्रारंभिक चरण के दौरान कुछ रुकावटें आती हैं । चूंकि वित्तपोषक बैंक परियोजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है तथा वह इस बात का बेहतर निर्णय ले सकता है कि क्या इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में स्थिरता आ गयी है तथा ऋण को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले को संबंधित बैंकों के निदेशक बोर्ड पर छोड़ दिया जाये । बोर्ड द्वारा स्टाफ सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किये जा सकते हैं ताकि वे बोर्ड के समक्ष अलग-अलग मामले प्रस्तुत करते समय उन्हें ध्यान में रख सकें । इन दिशा-निर्देशों को तैयार करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायेंगी :

इकाई / परियोजना में नियमित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है या नहीं, इसके बारे में निर्णय लेने के लिए मुख्य मार्गदर्शक बात यह होगी कि क्या इकाई ने ऋण की चुकौती करने के लिए नकद लाभ-अलाभ (ब्रेक-ईवन) की स्थिति प्राप्त कर ली है । यदि बैंक की राय में नियमित वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करने में आयी रुकावट अस्थायी स्वरूप की हो और उससे इकाई की आर्थिक व्यवहार्यता में किसी दीर्घकालिक क्षति का संकेत न मिलता हो तथा ऐसा संभव हो कि कुछ समय और दिये जाने पर नकद लाभ-अलाभ की स्थिति आ सकती हो, तो बैंक ऋण का पुनर्निर्धारण कर सकता है तथा आस्ति को मानक मान सकता है । तथापि, जैसा कि मंजूरी की शर्तों में दर्शाया गया हो, यह समय-सीमा आम तौर पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के समय से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । संघ सहायता व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्वीकृत ऋण सुविधाओं के संदर्भ में इस बात का निर्णय अग्रणी संस्था अथवा अग्रणी बैंक द्वारा लिया जाये कि उधारकर्ता इकाई में नियमित वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है तथा पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है और अन्य सहभागी संस्थाएं / बैंक उसका अनुसरण करें ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/24.01.001/99 **17 जुलाई 1999**
26 आषाढ़ 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

उपस्कर पट्टेदारी कार्यकलाप -
लेखांकन / प्रावधान करने संबंधी मानदण्ड

विभागीय रूप में पट्टेदारी संबंधी कार्यकलाप करने वाले बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही लेखांकन संबंधी पद्धतियों में एकरूपता लाने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया) (आइ सी ए आइ) द्वारा जारी किये गये "गाइडेंस नोट ऑन एकाउंटिंग फॉर लीजेज" (पट्टेदारी के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी टिप्पण) का अनुपालन करना चाहिए । तथापि, पट्टेदारी संबंधी कार्यकलाप को ऋण तथा अग्रिम के समतुल्य मानने संबंधी हमारे अनुदेश लागू रहेंगे । इसके अलावा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देश बैंकों के पट्टेदारी संबंधी लेनदेनों पर भी लागू रहेंगे ।

2. तदनुसार, अन्य ऋण सुविधाओं के लिए लागू आय निर्धारण तथा प्रावधान करने संबंधी मानदण्डों के आधार पर बैंकों द्वारा पट्टे पर दी गयी अपनी आस्तियों के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए : -

अ) पट्टे पर दी गयी अनर्जक आस्तियों के मामले में आय का निर्धारण

पट्टे पर दी गयी आस्ति पर प्रोद्भूत तथा आस्ति के अनर्जक बनने के पूर्व आय खाते में जमा तथा वसूल न हुए शुद्ध पट्टेदारी किराये (वित्त प्रभार) को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए अथवा उसके लिए चालू लेखांकन अवधि में प्रावधान किया जाना चाहिए ।

'निवल पट्टेदारी किराया' शब्दावली से लाभ और हानि खाते में जमा वित्त प्रभार की राशि अभिप्रेत है तथा सांविधिक मूल्यह्रास और पट्टेदारी समकरण खाते * की राशि द्वारा समायोजित सकल पट्टेदारी किरायों के रूप में उसका हिसाब किया जायेगा ।

आ) पट्टे पर दी गयी अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने संबंधी मानदण्ड

i)	अवमानक आस्ति :	**निवल बही मूल्य** का 10% **
ii)	संदिग्ध आस्ति :	(क) पट्टे पर दी गयी आस्ति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा प्रतिभूत न किये गये वित्त के 100% तक; वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थ आधार पर लगाया जाये । (ख) उक्त (क) के अलावा, प्रतिभूत भाग के **निवल बही मूल्य पर** निम्नलिखित **प्रावधान** किया जाना चाहिए, जो उस अवधि पर निर्भर होगा जिसके लिए आस्ति संदिग्ध बन गयी थी :- **अवधि** — **प्रावधान का प्रतिशत** 1 वर्ष तक — 20 % 1 से 3 वर्ष — 30 % 3 वर्ष से अधिक — 50 %
iii)	हानि आस्ति :	संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते डालना चाहिए । यदि किसी कारणवश आस्ति को बहियों में रखने की अनुमति दी गयी हो तो **निवल बही मूल्य** के 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

3. भविष्य में आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण और ऋणों /अग्रिमों तथा अन्य ऋण सुविधाओं के लिए प्रावधान संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में किया गया कोई भी परिवर्तन विभागीय स्तर पर पट्टेदारी संबंधी कार्यकलाप करनेवाले बैंकों की पट्टे पर दी गयी आस्तियों पर भी लागू होगा ।

4. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइ सी ए आइ) द्वारा जारी "गाइडैंस नोट ऑन एकाउंटिंग फॉर लीजेज" संलग्न है ।

भवदीय

(नूरूल हक़ सिद्दीक़ी)
मुख्य महा प्रबंधक

* आइ सी ए आइ द्वारा जारी "गाइडेंस नोट ऑन एकाउंटिंग फॉर लीजेज" के पैरा 11(ए)और 11(बी) में स्पष्ट किया गया है ।
** आइ सी ए आइ द्वारा जारी "गाइडेंस नोट ऑन एकाउंटिंग फॉर लीजेज" के पैरा 11(सी)और 11(डी) में स्पष्ट किया गया है ।

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 87/21.01.002/99 **8 सितंबर 1999**
17 भाद्र 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

पूंजी पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों/
प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर जोखिम भार

कृपया उपर्युक्त विषय पर 31 अक्तूबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.103/21.01.002 / 98 के पैराग्राफ 2 (सी)तथा 28 दिसंबर 1998 के परिपत्र बीपी. बीसी. 119/21.01.002/98 का अवलोकन करें जिनमें उन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची दी गयी है जिनके बांड /डिबेंचर बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए 20 प्रतिशत जोखिम-भार के पात्र होंगे।

2. उपर्युक्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची में "इंडियन रिन्यूवेबल एनर्ज़ी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आई आर ई डी ए)" को सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है, जिसके बांड और डिबेंचर पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए 20 प्रतिशत जोखिम-भार के पात्र होंगे ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 101/21.04.048 /99-2000 **18 अक्तूबर 1999**
26 आश्विन, 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना -
बैंकों द्वारा सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यन

1. सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यन

आपको विदित ही है कि 15 अप्रैल 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.04.048/98-99 द्वारा दिये गये मौजूदा अनुदेशों के अनुसार बैंकों द्वारा सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यन सतत आधार पर वाहक लागत (अर्थात् बही मूल्य)पर किया जाना चाहिए । उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि वे सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्यन के लिए दीर्घकालिक निवेशों के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक 13, 'निवेशों का लेखांकन' अपनायें । लेखांकन मानक 13 के अनुसार दीर्घकालिक निवेशों को वित्तीय विवरणों में वाहक लागत पर लाया जाना चाहिए । परंतु निवेशों के मूल्य में घटाव या कमी (डिमिन्यूशन) के लिए प्रावधान निवेशों के मूल्य में आयी गिरावट, अस्थायी को छोड़कर, को स्वीकारने के लिए किया जाना चाहिए । इस प्रकार की कटौती प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग निर्धारित करके की जानी चाहिए । सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्यन की उपर्युक्त पद्धति 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से लागू होगी ।

2. स्तर - II की पूंजी जुटाने के लिए अनुषंगी ऋण जारी करना - रिपोर्टिंग

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों को स्तर - II की पूंजी के रूप में अनुषंगी रुपया ऋण जुटाने के लिए स्वायत्तता दी गयी है, जो 08 फरवरी 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.5 / 21.01.002/99 के अनुबंध में बताये गये नियमों और शर्तों पर होगी । इस संबंध में बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे जुटायी गयी पूंजी के ब्यौरे देते हुए एक रिपोर्ट निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें । इन ब्यौरों में प्रस्ताव-दस्तावेज़ की प्रति सहित, जुटायी गयी राशि, लिखत की अवधिपूर्णता, ब्याज की दर जैसे ब्यौरे दिये जाने चाहिए ।

3. मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान

31 अक्तूबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी.103 / 21.01.002/98 के पैराग्राफ 6 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से मानक आस्तियों पर न्यूनतम 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करें । इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिये जाते हैं :

- मानक आस्तियों पर 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान सार्वभौमिक ऋण संविभाग के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल देशी अग्रिमों पर ।
- मानक आस्तियों के लिए प्रावधान कुल अग्रिमों में से घटाया जाना चाहिए और केवल शुद्ध अग्रिम ही तुलनपत्र में दर्शाये जाने चाहिए ।
- मानक आस्तियों पर प्रावधानों को शुद्ध अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 103/21.04.048/99-2000 **21 अक्तूबर 1999**
29 आश्विन 1921(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करना -
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों
के माध्यम से वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि वित्त

कृपया आप 17 दिसंबर 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 59/21.04.043/92 का पैराग्राफ 9 देखें, जिसके अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की गयी है कि किसी उधारकर्ता को मंजूर की गयी ऋण सुविधाओं में से यदि कोई एक ऋण सुविधा अनर्जक आस्ति हो जाये तो उक्त सभी ऋण सुविधाओं को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाये । यह अभ्यावेदन किया गया है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों के कुछ सदस्यों द्वारा समिति को अपनी चुकौती करने में चूक होने पर बैंक द्वारा उक्त प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों को मंजूर अन्य ऋण सुविधाओं पर भी ये मानदंड लागू हो जाते हैं और उक्त प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों के अन्य सदस्यों द्वारा नियमित रूप से चुकौती करने के बावजूद उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा 22 जून 1996 के परिपत्र आरपीसीडी. सं. बीसी.155/07.37.02/95-96 (अनुबंध की मद II - 2) द्वारा राज्य सहकारी बैंकों / केन्द्रीय सहकारी बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा, सत्तांतरित (ceded) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों को आगे उधार देने की व्यवस्था के अंतर्गत मंजूर कृषि अग्रिमों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर किये गये अग्रिमों के संबंध में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों को मंजूर केवल वह विशिष्ट ऋण सुविधा ही अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत की जायेगी जिसका भुगतान, गत देय (पास्ट ड्यू) (देय तिथि के एक माह बाद) होने के पश्चात् दो फसल मौसमों (दो अर्ध-वर्षों से अधिक नहीं) / दो तिमाहियों तक की अवधि के लिए नहीं किया गया है । प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों को मंजूर सभी ऋण सुविधाएं अनर्जक आस्ति नहीं होंगी । तथापि, आगे उधार देने की व्यवस्था के बाहर बैंक द्वारा किसी प्राथमिक कृषि ऋण समिति / कृषक सेवा समिति के सदस्य उधारकर्ता को मंजूर अन्य प्रत्यक्ष ऋणों और अग्रिमों में से, यदि कोई हों तो, उसी उधारकर्ता को मंजूर ऋण सुविधाओं में से किसी भी ऋण सुविधा के अनर्जक आस्ति हो जाने पर, वे सभी प्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किये जायेंगे ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

दिनांक 3/11/1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 121/12.04.124/99-2000 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

(i) सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए न गिनी जानेवाली प्रतिभूतियों पर जोखिम भार

31 अक्तूबर 1998 के परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.002/98 के अनुसार सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश को बाज़ार जोखिम के लिए 31 मार्च 2000 से 2.5 प्रतिशत का जोखिम भार दिया गया है । अब यह निर्णय किया गया है कि **सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए न गिनी जानेवाली प्रतिभूतियों सहित सभी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों को *बाज़ार जोखिम* के लिए 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से 2.5 प्रतिशत का जोखिम भार दिया जाना चाहिए । यह उन प्रतिभूतियों में निवेशों पर भी लागू होगा, जिन पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार है, क्योंकि सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ऋण जोखिम के अतिरिक्त बाज़ार जोखिम के लिए भी कुछ पूंजी गुंजाइश रखी जानी चाहिए ।**

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 133/21.04.018/2000 **10 जनवरी 2000**
20 पौष 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

अंतर-शाखा खाते - निवल नामे शेष हेतु प्रावधान

कृपया 24 मार्च 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 22/ 21.04.018/99 का अवलोकन करें, जिसमें बैंकों से कहा गया था कि वे अपने अंतर-शाखा खातों में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को तीन वर्ष से अधिक समय से समाधान न की गयी (नामे और जमा दोनों) बकाया प्रविष्टियों के कारण हुई निवल नामे स्थिति के लिए 31 मार्च 1999 से 100 प्रतिशत प्रावधान करें । उपर्युक्त उपाय का उद्देश्य यह था कि विवेकसम्मत विचार के आधार पर समाधान करने की प्रक्रिया तेज़ की जा सके । कुछ बैंकों ने इस संबंध में अच्छी प्रगति की है, जबकि कुछ बैंकों में समाधान की प्रगति धीमी है । तथापि उत्तम बैंकिंग प्रवृत्तियों के अनुसार अंतर-शाखा प्रविष्टियों का समाधान छह माह में हो जाना चाहिए । विवेकसम्मत विचार के आधार पर अब यह निर्णय किया गया है कि अंतर-शाखा खातों में निवल नामे शेष हेतु प्रावधान करने के लिए अंतराल को 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से 3 वर्ष से कम करके 2 वर्ष कर दिया जाये । तदनुसार बैंकों को चाहिए कि वे अंतर-शाखा खातों में 31 मार्च 1998 तक की अवधि से संबंधित तथा मार्च 2001 को बकाया नामे और जमा प्रविष्टियों को अलग-अलग कर लें और निवल स्थिति की गणना कर लें । निवल नामे स्थिति के मामले में मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए नामे स्थिति के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाये । ऐसा करते समय 27 जुलाई 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/21.04.018/98 में निहित हमारे अनुदेशों के अनुसार सृजित अवरुद्ध खाते (ब्लॉक्ड अकाउंट) में जमा शेष को भी हिसाब में लिया जाये ।

2. ऊपर उल्लिखित 24 मार्च 1999 के हमारे परिपत्र के पैरा 3 में दिये हुए अनुदेशों के अनुसार 1 अप्रैल 1999 से बैंकों को अंतर-शाखा खातों के माध्यम से निष्पादित विभिन्न प्रकार के लेनदेनों के लिए श्रेणीवार (शीर्ष वार) खाते भी रखने हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि निवल स्थिति पर आने के लिए एक श्रेणी के निवल नामे की पूर्ति दूसरी श्रेणी के निवल जमा से नहीं की जानी चाहिए । तथापि बैंकों द्वारा व्यक्त विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकों से परामर्श करके भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंतर-शाखा लेनदेनों की कुछ बड़ी श्रेणियों में आंकड़े लेने के लिए एक फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है । आशा की जाती है कि बैंक 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ करते हुए अंतर-शाखा खातों के माध्यम से निष्पादित विभिन्न प्रकार के लेनदेनों के लिए श्रेणीवार (शीर्ष वार) खाते रखने की स्थिति में होंगे । इसके बाद बैंकों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में वर्णित प्रावधानीकरण की अपेक्षा के प्रयोजनार्थ 31 मार्च 2002 को या उसके आगे 2 वर्ष या उससे अधिक समय से समाधान के लिए शेष प्रविष्टियों की श्रेणीवार निवल नामे स्थिति पर आना संभव होगा ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 138/21.04.048/2000 **07 फरवरी 2000**
18 माघ 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और
प्रावधान करना - निर्यात परियोजना वित्त

बैंकों को विदित ही है कि राजनीतिक / देश संबंधी जोखिम से सामान्य निर्यात / आयात लेनदेनों की तुलना में निर्यात परियोजना वित्त के अधिक प्रभावित होने की आशंका रहती है, विशेष रूप से इसलिए कि यह दीर्घावधि स्वरूप का होता है तथा अन्य उलझनें होती हैं । कुछ बैंकों ने रिज़र्व बैंक को उन कठिनाइयों की जानकारी दी है जो आयातकर्ताओं द्वारा पहले से अदा की जा चुकी देय राशियों के प्रेषण पर लगे प्रतिबंधों के कारण पैदा होती हैं । इसलिए निर्यात परियोजना वित्त के रूप में उधार लेने वाली कंपनियों को दी गयी सहायता को क्या विवेकशील विनियमन के सीमित प्रयोजन हेतु विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है ? इस बात की जांच करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये निर्यात परियोजना वित्त के संबंध में आस्तियों के वर्गीकरण पर एक कार्यदल गठित किया था । उक्त कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि निर्यात परियोजना वित्त के संबंध में दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :

(i) ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां वास्तविक आयातकर्ता ने विदेश स्थित बैंक को देय राशि अदा कर दी हो किन्तु वह बैंक युद्ध, आंतरिक संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की पाबंदियों जैसी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उस राशि का प्रेषण करने में असमर्थ रहा हो । ऐसे मामलों में जहां संबंधित (ऋण देने वाला) बैंक दस्तावेज़ी साक्ष्य के द्वारा यह स्थापित करने में समर्थ हो कि आयातकर्ता ने विदेश स्थित बैंक में राशि जमा करके सम्पूर्ण देय राशियां चुका दी हैं और यह चुकौती बैंक की बहियों में अनर्जक आस्तियां बनने से पहले हो चुकी हो, किन्तु आयातकर्ता का वह देश राजनीतिक स्थिति अथवा अन्य कारणों से उस राशि का प्रेषण करने की अनुमति न दे रहा हो, तो आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित प्रचलित विवेकपूर्ण मानदंड उस तारीख से **एक वर्ष के बाद लागू किये जायें जिस तारीख को विदेश स्थित बैंक में आयातकर्ता द्वारा राशि जमा की गयी हो ।**

(ii) विनियम दर में घट-बढ़ खाते के लिए प्रारक्षिति निधि

जब भारतीय रुपये की विनिमय दर में प्रतिकूल घट-बढ़ हो और विदेशी मुद्रा में नामित ऋणों की बकाया राशि (जहां वास्तविक वितरण भारतीय रुपयों में किया गया हो) अतिदेय हो जाये तो प्रावधान करने संबंधी आवश्यकताओं के मौजूदा निहितार्थ के अनुसार उक्त राशि बढ़ जाती है । यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार की आस्ति का सामान्यतः पुनर्मूल्यन न किया जाये । यदि इस तरह की आस्तियों का लेखा-प्रथाओं अथवा किसी अन्य अपेक्षा के कारण पुनर्मूल्यन किया जाना हो तो निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए :

(क) पुनर्मूल्यन के कारण हुई हानि को बैंक के लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाये ।

(ख) आस्ति वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता के अतिरिक्त बैंकों को समवर्ती आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन से हुए लाभ की सम्पूर्ण राशि को, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा घट-बढ़ के कारण उस आस्ति विशेष पर प्रावधान के रूप में मानना चाहिए ।

(iii) निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त और समायोजित न हुए दावे

निर्यात ऋण गारंटी निगम की मौजूदा क्रियाविधि के अनुसार दावों के निपटान के संबंध में निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त राशियों को बैंकों द्वारा अलग चालू खाते में रखने की अपेक्षा की जाती है, ताकि ऋण देनेवाले बैंक द्वारा उधारकर्ता से उसकी प्राप्ति की जा सके । तदनुसार निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा निपटाये गये दावों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार वसूली नहीं माना जाता । बैंकों को सूचित किया जाता है कि निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त दावों के निपटान की जो राशि अलग चालू खाते में रखी गयी है, जो तकनीकी कारणों से होती है, उससे संबंधित खातों में बकाया देय राशियों के प्रति समायोजित करने की अनुमति दी जा सकती है । ऋण देनेवाले बैंकों द्वारा उधारकर्ता से वसूली का कार्य तब तक शेष रहेगा जब तक कि देय राशियों का अंतिम निपटान न हो जाये ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीपी. बीसी. 144/21.04.048/2000 **29 फरवरी 2000**
10 फाल्गुन 1921 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले और पूंजी पर्याप्तता मानक - 'टेक आउट' वित्तपोषण

मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं की दीर्घावधि वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाएं /बैंक नये-नये तरीकों का सहारा ले रहे हैं। दीर्घावधि मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था के सन्दर्भ में 'टेक आउट' वित्तपोषण का सहारा लिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाली संस्था /बैंक किसी अन्य वित्तीय संस्था के साथ व्यवस्था करके पूर्व निर्धारित आधार पर इस प्रकार के वित्तपोषण के सम्बन्ध में अपनी बहियों में बकाया राशि के उनकी बहियों में अंतरण की व्यवस्था करेंगे। 'टेक आउट' वित्तपोषण के प्रस्ताव बैंकों को आस्ति-देयता प्रबन्धन में भी मदद करते हैं, क्योंकि मूलभूत संरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण उनके प्रधानतः अल्पावधि संसाधनों की तुलना में दीर्घावधि-स्वरूप का होता है। 'टेक आउट' वित्तपोषण के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से वे या तो शर्तरहित 'टेक आउट' वित्तपोषण अथवा शर्तसहित 'टेक आउट' वित्तपोषण के रूप में होते हैं, यद्यपि इसमें ऋण जोखिम सम्पूर्ण अथवा आंशिक लेना पड़ सकता है। 'टेक आउट' वित्त व्यवस्था में तीन पक्ष शामिल होंगे - परियोजना कम्पनी, ग्रहणकर्त्ता संस्था और ऋणदाता बैंक / वित्तीय संस्था। इसके अलावा, अन्तर-ऋणदाता समझौते के माध्यम से कम्पनी को भी उक्त व्यवस्था को मान्यता प्रदान करनी चाहिए । 'टेक आउट' वित्तपोषण के सम्बन्ध में पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए जोखिम भार निर्धारित करने हेतु मानदंड और अन्य विवेकसम्मत मानदण्डों को लागू करने संबंधी मुद्दों की जाँच की जा चुकी है तथा हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :-

इस प्रकार के वित्तपोषण के सम्बन्ध में जोखिम भार निम्नानुसार निर्धारित किये जायेंगे :

(अ) शर्तरहित 'टेक आउट' वित्तपोषण

शर्तरहित 'टेक आउट' वित्तपोषण में मूल ऋणदाता से वित्त ग्रहण करने के लिए सहमत संस्था द्वारा ऋण जोखिम आंशिक रूप से /पूर्णतः स्वीकृत करना निहित है। ऐसी स्थिति में ग्रहण होने तक ऋणकर्ता को दी गयी ऋण सुविधा मूल ऋणदाता

की बहियों में बरकरार रहेगी। ग्रहण करने के लिए सहमत संस्था को अपनी बहियों में इस दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाना होगा, जब तक कि वह सहमति के अनुसार आंशिक अथवा सम्पूर्ण ऋण जोखिम के साथ वास्तव में ग्रहण न कर लें ।

परिणामस्वरूप,

(क) ऋणदाता संस्था को चाहिए कि वह ग्रहण करने वाली वित्तीय संस्था द्वारा ली गयी जोखिम सीमा तक की आस्ति पर 20 प्रतिशत का जोखिम-भार लगाये, क्योंकि प्रतिपक्ष एक वित्तीय संस्था है। ग्रहणकर्ता संस्था द्वारा जिस भाग को ग्रहण नहीं किया जायेगा, उस पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगाना होगा । (20 प्रतिशत जोखिम भार लगाने के लिए किसी बैंक से वित्त ग्रहण करने वाली वित्तीय संस्था ऐसी संस्था होगी, जिसका नाम समय-समय पर यथासंशोधित 31 अक्तूबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/ 21.01.002/98 के साथ संबद्ध सूची में शामिल किया गया हो। अन्यथा संपूर्ण आस्ति पर 100 प्रतिशत का जोखिम-भार लगाया जायेगा) ।

(ख) ग्रहणकर्ता संस्था की बहियों में आकस्मिक देयता को 100 प्रतिशत के ऋण परिवर्तन घटक पर परिवर्तित करना होगा। चूंकि प्रतिपक्ष के ऋण की मात्रा के आधार पर जोखिम भार का निर्धारण किया जायेगा, अतः सभी ऋणकर्ताओं के सम्बन्ध में यह 100 प्रतिशत और सरकारी गारण्टी उपलब्ध होने पर शून्य प्रतिशत होगा ।

(आ) सशर्त ग्रहण

ऐसे परिदृश्य में, ग्रहणकर्ता संस्था कुछ शर्तें निर्धारित करती है, जो ऋणदाता संस्था से ग्रहण करने से पूर्व ऋणकर्ता को पूरी करनी होती हैं। अतः ग्रहणकर्ता संस्था को आस्तियों के अंतिम अंतरण पर कुछ अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए जोखिम भार और अन्य निर्धारण अलग प्रकार के होंगे ।

(क) ऋणदाता संस्था की बहियों में आस्तियों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार रहेगा, क्योंकि ग्रहण स्वचालित नहीं है ।

(ख) यद्यपि इन आस्तियों के ग्रहण का दायित्व सशर्त है, फिर भी ग्रहणकर्ता संस्था की बहियों में उसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाने की जरूरत है । तथापि, चूंकि ग्रहण सशर्त है, अतः शर्तरहित ग्रहण के 100 प्रतिशत की तुलना में ऋण परिवर्तन घटक केवल 50 प्रतिशत होगा । जहाँ तक जोखिम भार देने की बात है, उधारकर्ताओं के मामले में जोखिम भार 100 प्रतिशत और सरकारी गारण्टी समर्थित उधारकर्ताओं के मामले में शून्य प्रतिशत होगा।

2. आय निर्धारण और प्रावधान

आस्ति-ग्रहण में लगनेवाले समय को देखते हुए इस बीच चूक की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता । उस सम्बद्ध बैंक / वित्तीय संस्था को आय निर्धारण और प्रावधान करने के मानदण्डों का अनुपालन करना होगा जिसकी बहियों में इन खातों को संगत तारीख को तुलनपत्र की मद के रूप में लिया गया है। यदि ऋणदाता संस्था को लगता है कि वसूली के रिकार्ड के आधार पर कोई आस्ति अनर्जक आस्ति बन चुकी है, तो उसका तदनुसार वर्गीकरण करना चाहिए । ऋणदाता संस्था को आय का निर्धारण उपचय के आधार पर नहीं करना चाहिए और इसे केवल तभी हिसाब में लेना चाहिए, जब ऋणकर्ता / ग्रहणकर्ता संस्था से इसका भुगतान मिल जाये (यदि व्यवस्था में ऐसा प्रावधान हो)। ऋणदाता संस्था को किसी आस्ति के अनर्जक आस्ति में परिवर्तित हो जाने की दशा में, ग्रहणकर्ता संस्था द्वारा ग्रहण किये जाने तक, उसके लिए प्रावधान करने चाहिए। जैसे ही ग्रहणकर्ता संस्था आस्तियों का ग्रहण कर ले, तभी सम्बद्ध प्रावधानों को प्रतिवर्तित किया जा सकता है। तथापि, ऐसी आस्तियों को ग्रहण करने पर ग्रहणकर्ता संस्था को खाते को उसी तारीख से अनर्जक आस्ति के रूप में लेते हुए प्रावधान करना चाहिए जिस तारीख को यह वस्तुतः अनर्जक खाता बना हो, भले ही उस तारीख को वह खाता इसकी बहियों में न रहा हो ।

'टेक आउट' वित्तपोषण के सम्बन्ध में जोखिम भार के निरूपण, आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधान करने से संबंधित दिशा-निर्देशों का सारांश अनुबंध में दिया गया है।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

अनुबंध

जोखिम भार

	शर्तरहित ग्रहण	**ऋण परिवर्तन घटक**	**जोखिम भार**
(i)	ऋणदाता संस्था		
(क)	जहां सम्पूर्ण ऋण जोखिम ग्रहणकर्ता संस्था द्वारा लिया गया हो ।	लागू नहीं, क्योंकि यह तुलनपत्र की मदों से बाह्य की मद नहीं है	20%
(ख)	जहां ग्रहणकर्ता संस्था ने केवल आंशिक ऋण जोखिम लिया हो ।	- वही -	ग्रहण की जा रही राशि पर 20% ग्रहण न की जा रही राशि पर100%
(ii)	ग्रहणकर्ता संस्था	100%	ग्रहण की जा रही राशि पर 100 %
	सशर्त ग्रहण	**ऋण परिवर्तन घटक**	**जोखिम भार**
(i)	ऋणदाता संस्था	लागू नहीं, क्योंकि यह तुलनपत्र की मदों से बाह्य की मद नहीं है ।	100 %
(ii)	ग्रहणकर्ता संस्था	50%	100%

टिप्पणी :

1) 20 प्रतिशत जोखिम भार के मामले में ग्रहण करने वाली संस्था बैंक अथवा 31 अक्तूबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी.103/ 21.01. 002/98 के साथ संलग्न समय-समय पर संशोधित सूची में शामिल अखिल भारतीय वित्तीय संस्था होनी चाहिए ।

2) उपर्युक्त मामलों में जहां प्रतिपक्ष जोखिम की गारंटी सरकार ने दी हो, वहां जोखिम भार शून्य होगा ।

शर्तरहित और सशर्त ग्रहण के तहत आय निर्धारण और प्रावधान

जहां ग्रहणकर्ता संस्था द्वारा ग्रहण किये जाने से पहले ही ऋण सुविधा अनर्जक बन जाए :-

(1) ऋणदाता संस्था

(i) अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत की जाए ।
(ii) आय का निर्धारण उपचित आधार पर न किया जाए ।
(iii) आस्ति वर्गीकरण के अनुरूप प्रावधान किया जाए ।

(2) ग्रहणकर्ता संस्था

(i) अस्ति का वास्तविक ग्रहण होने तक कोई दायित्व नहीं होगा ।
(ii) ऐसी आस्तियों का ग्रहण करने पर इस खाते को उसी तारीख से अनर्जक आस्ति के रूप में लेते हुए प्रावधान करना चाहिए जिस तारीख को यह वस्तुतः अनर्जक खाता बना हो, भले ही उस तारीख को वह खाता इसकी बहियों में न रहा हो ।

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 163 /21.04.048/2000 **7 अप्रैल 2000**
28 चैत्र 1922 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन

कृपया आप 15 अप्रैल 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.04.048/98-99 देखें, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि 31 मार्च 1999 की स्थिति के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यन करने के लिए बैंकों और लेखा-परीक्षकों को क्या पद्धति अपनानी चाहिए । अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 31 मार्च 2000 की स्थिति के तुलनपत्र के लिए अनुबंध में बतायी गयी पद्धति अपनानी चाहिए ।

2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि अनुबंध में बताये गये अनुसार मूल्यन करने पर प्रतिभूतियों के मूल्य में यदि कोई बढ़ोत्तरी हो तो उसे आय के रूप में बहियों में **नहीं** लिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त जिन बैंकों ने प्रतिभूतियों के मूल्यन की अब सुझायी जा रही पद्धति से अधिक विवेकपूर्ण पद्धति अपनायी हुई है, वे अब तक अपनायी जा रही पद्धति जारी रखें ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

अनुबंध

निवेश श्रेणी	बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली पद्धति
1. स्थायी निवेश -	(i) स्थायी श्रेणी में प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वाले लाभ को पहले लाभ और हानि खाते में दर्शाना चाहिए तथा उसके बाद उसका विनियोजन 'पूंजीगत प्रारक्षित निधि' में किया जा सकता है।
	(ii) स्थायी निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाना चाहिए तथा लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होने पर प्रीमियम प्रतिभूति की परिपक्वता की शेष अवधि में चुकाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम होने पर अंतर की अनदेखी की जानी चाहिए तथा उसे चुकता नहीं किया जाना चाहिए या उसे आय खाते में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह राशि वसूल न किये गये अभिलाभ का सूचक है।
2. चालू निवेश	चालू श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 31 मार्च 2000 के बाजार भावों के अनुसार, जहां-कहीं उपलब्ध हो, किया जाना चाहिए। जहां बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए :

6.00 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांड 2002 को छोड़कर केंद्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में 31 मार्च 2000 को निम्नलिखित प्रतिफल लगाये जायें :

वर्षों की संख्या	वाई टी एम (परिपक्वता पर प्राप्ति) (%)
0	8.82
1	9.93
2	10.27
3	10.35
4	10.43
5	10.51
6	10.58
7	10.65
8	10.72
9	10.79
10	10.85

11	10.90
12	10.95
13	10.99
14	11.02
15	11.05
16	11.08
17	11.10
18	11.12
19	11.14
20 और अधिक	11.15

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों का उपर्युक्त प्रतिफलों से **25 आधार अंक ऊपर** मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

6.00 प्रतिशत कैपिटल इंडेक्स्ड बांडों का मूल्याकंन 22 जनवरी 1998 के परिपत्र बैपविवि. सं. बीसी. 8/12.02.001/97-98 में दी गयी परिभाषा के अनुसार लागत पर किया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वाई टी एम की उपयुक्त दर के बारे में निर्णय लेने के प्रयोजन के लिए वर्ष की आंशिक अवधि को निकटतम पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित करके वर्षों की संख्या की गणना की जानी चाहिए।

जहां तक अन्य गैर उद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का संबंध है, बैंको को गैर उद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए परिपक्वता पर प्रतिफल की पद्धति का एक समान तरीके से अनुसरण करना चाहिए।

3. शेयर

(i) जहां-कहीं शेयर बाजारों के भाव उपलब्ध हों, शेयरों का मूल्यांकन तदनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) जिन शेयरों के वर्तमान भाव उपलब्ध न हों अथवा जहां शेयरों के भाव शेयर बाजारों में उद्धृत न किये जा रहे हों, उन्हें बही मूल्य पर (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि पर, यदि कोई हो, विचार किये बिना) लिया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण नवीनतम तुलनपत्र से किया जाना है। यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो, तो शेयरों को प्रति कंपनी 1 रुपये पर लिया जाना है।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन 31 मार्च 1999 को तुलनपत्र के अनुसार

अलग-अलग मूल्यों पर किया जाना चाहिए। 31 मार्च 1999 का तुलनपत्र उपलब्ध न होने पर 31 मार्च 1998 के तुलनपत्र के अनुसार अलग-अलग मूल्य निकाला जाना चाहिए तथा उसे 20% घटा या भांजित कर दिया जाना चाहिए। यदि 31 मार्च 1998 का तुलनपत्र भी उपलब्ध न हो तो संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी रु. 1 पर किया जाना चाहिए।

4. डिबेंचर

(i) जहां शेयर बाजार के भाव उपलब्ध हों, वहां डिबेंचरों का मूल्यांकन तदनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) जब कभी वर्तमान भाव उपलब्ध न हों अथवा जहां डिबेंचरों के भाव शेयर बाजारों में उद्धृत न किये जा रहे हों वहां उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाना चाहिए।

क) कारोबारी लागत (अर्थात बही मूल्य) पर, यदि ब्याज की अदायगी नियमित रूप से की जा रही हो।

ख) जहां ब्याज की अदायगी नियमित रूप से न की जा रही हो और वह बकाया हो, उन्हें अग्रिमों की ही तरह अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में वर्गीकृत करके उन पर मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए।

5. म्यूचुअल फंड के यूनिट

म्युचुअल फंड के यूनिटों में किये गये निवेश का मूल्यांकन म्युचुअल फंड द्वारा प्रत्येक विशेष योजना के संबंध में घोषित नवीनतम निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। परंतु यदि स्टॉक एक्सचेंज उद्धरणों के अनुसार बाजार मूल्य उपलब्ध हों तो बाजार मूल्य लगाया जाये।

6. सहायक कंपनियों में निवेश

निवेशों का मूल्यांकन कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाये। परंतु अस्थाई कमी हो छोड़कर, निवेशों के मूल्य में कमी की पहचान हेतु ऐसी कमी के निश्चित होने और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग किये जाने पर ह्रास का प्रावधान किया जायेगा।

7. प्रायोजित संस्थाओं में निवेश

प्रतिभूति का मूल्यांकन सुसंगत आधार पर कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाए।

8. खजाना बिल (सभी अवधिपूर्णताएं)

मूल्यांकन कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर आधारित होगा।

9. वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाना है।

10. सामान्य मसले

i) **पूर्णांकित करना (अर्थात् निकटतम हजार तक)**

बैंक के विवेक पर निरंतर आधार पर किया जाये।

ii) **निवेश श्रेणी**

तुलनपत्र के प्रयोजन के लिए निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है :

क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल, शून्य कूपन बांड सहित)
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग) शेयर
घ) डिबेंचर और बांड
ङ) सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थाएं)
च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड के यूनिट, आदि)

iii) **समेकन**

प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूतियों को ऊपर दर्शाये गये अनुसार स्क्रिप-वार मूल्यांकित किया जाएगा और मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का जोड़ श्रेणीवार किया जाएगा। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाएगा। निवल मूल्यवृद्धि की, यदि कोई हो, अनदेखी की जानी चाहिए। किसी एक श्रेणी में किये जानेवाले निवल मूल्यह्रास को किसी दूसरी श्रेणी की निवल मूल्यवृद्धि के कारण कम नहीं किया जाना चाहिए।

11. पुनर्पूंजीकरण बांड

पुनर्पूंजीकरण बांड स्थायी या चालू निवेशों का हिस्सा नहीं होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार से प्राप्त पुनर्पूंजीकरण बांडों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि यदि बैंकों को निवेश के प्रयोजनों के लिए अन्य बैंकों के पुनर्पूंजीकरण बांड प्राप्त हों तो मूल्यह्रास,यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करना होगा।

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.164 /21.04.048/2000 **24 अप्रैल 2000**
4 वैशाख 1922 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण,
आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने
आदि संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

1. राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर जोखिम भार

31 अक्तूबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.002/98 के पैरा 2(घ) की मद 4 में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे उन प्रतिभूतियों में अपने निवेश के लिए बाज़ार जोखिम हेतु 2.5 प्रतिशत का जोखिम भार नियत करें, जिनमें ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी राज्य सरकारों द्वारा दी गयी हो । तथापि, राज्य सरकार द्वारा ब्याज / मूल धन की अदायगी में चूक किये जाने की स्थिति में बैंकों से अपेक्षित है कि वे उस राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या गारंटीकृत सभी प्रतिभूतियों में निवेश पर 100 प्रतिशत जोखिम भार नियत करें । स्थिति की समीक्षा की गयी है तथा अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को **सिर्फ चूककर्ता संस्थाओं द्वारा जारी राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर** 100 प्रतिशत का जोखिम भार **नियत करना है, न कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अथवा गाारंटीकृत सभी प्रतिभूतियों पर ।**

साथ ही बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे राज्य सरकार के गारंटी के बल पर उस राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिये जानेवाले ऋणों के लिए प्राप्त होनेवाले अन्य अनुरोधों को प्रोसेस करते समय उस राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटियां सकारने संबंधी उनके रिकॉर्ड पर उचित ध्यान दें ।

2. पुनर्वास के अंतर्गत रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां

3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 36/21.04.048/95 के पैरा 3 के अनुसार बीआइएफआर / मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत आनेवाली इकाइयों को स्वीकृत अग्रिमों को अनर्जक आस्ति माना जाता है तथा तदनुसार उनके लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित है । तथापि, बीआइएफआर / मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत आनेवाली इकाइयों को स्वीकृत अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के

लिए वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रावधान किये जाने की जरूरत नहीं है । दूसरे शब्दों में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी हमारे दिशा-निर्देश ऐसी अतिरिक्त ऋण सुविधाओं पर वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद ही लागू होंगे ।

बैंक इस बात के लिए अभ्यावेदन देते रहे हैं कि उनके द्वारा **स्वयं अथवा सहायता संघ व्यवस्थाओं के अंतर्गत** तैयार किये गये पुनर्वास पैकेज / पोषण कार्यक्रम के तहत स्वीकृत अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में उक्त छूट उपलब्ध नहीं है । मामले की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि **उन लघु उद्योग इकाइयों को स्वीकृत अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए कोई प्रावधान किये जाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें रुग्ण (17 अप्रैल 1993 के ग्राआऋवि परिपत्र सं. पीएफएनएफएस. बीसी. 99/06.02.031/92-93 के पैरा 5(क) में यथापरिभाषित) माना गया हो तथा जिनके संबंध में बैंकों द्वारा स्वयं या सहायता संघ व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुनर्वास पैकेज / पोषण कार्यक्रम तैयार किये गये हों ।**

3. मानक आस्तियों पर प्रावधान

मानक आस्तियों पर प्रावधान किये जाने के संबंध में 18 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 101/ 21.04.048/99 का पैरा 3 देखें । मानक आस्तियों पर प्रावधान करने तथा उसका लेखांकन करने के संबंध में बैंकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम अपने अनुदेशों को निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधित कर रहे हैं :

- मानक आस्तियों पर 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान सार्वभौमिक पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ देशी अग्रिमों के आधार पर ।
- जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है, मानक आस्तियों पर किये जाने वाले प्रावधानों को कुल अग्रिमों से घटाने की आवश्यकता **नहीं** है, बल्कि उसे तुलनपत्र की अनुसूची सं. 5 में "अन्य देयताएं तथा प्रावधान - अन्य" के अंतर्गत "मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान" के रूप में अलग से दर्शाया जाना चाहिए ।
- उक्त आकस्मिक प्रावधान स्तर II पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।

4. बही ऋण की जमानत पर अग्रिम

30 मार्च 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/21.04.048/99 के पैरा 4 में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों को बही ऋण की जमानत पर दिये गये अग्रिमों को अनुसूची 9 की मद बी (i) - "भौतिक आस्तियों द्वारा प्रतिभूत" के अंतर्गत दर्शाना है । हालांकि ऐसे अग्रिम जमानती हैं, परंतु यह संभव है कि वे भौतिक आस्तियों द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत न हों । अतः अब बैंक अनुसूची 9 में अलग से यह दर्शायें कि मद बी (i) में "बही ऋणों की जमानत पर दिये गये अग्रिम"

निम्नानुसार शामिल हैं :

अग्रिम - (अनुसूची 9)
बी (i) भौतिक आस्तियों द्वारा प्रतिभूत*
(* इसमें बही ऋण की जमानत पर दिये गये अग्रिम शामिल हैं)

5. निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि लेखा

30 मार्च 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/21.04.048/99 के पैराग्राफ 1 में निहित अनुदेशों के अनुसार "निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि लेखा" में रखी गयी राशि का उपयोग भविष्य में प्रतिभूतियों में निवेश पर मूल्यह्रास संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है । इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास की स्थिति में अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान को लाभ और हानि खाते में नामे डाला जाना चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो समतुल्य राशि वर्ष के लाभ का निर्धारण करने के बाद निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि लेखा से लाभ और हानि लेखा में **"रेखा से नीचे** (below the line)" मद के रूप में अंतरित कर दी जाये ।

6. उक्त अनुदेश 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष तथा उसके बाद के तुलनपत्र को अंतिम रूप देने के लिए लागू होंगे ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

दिनांक 3/5/2000 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 169/21.01.002/2000 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

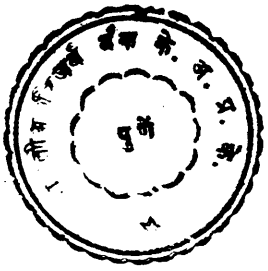
3. अनुषंगी कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता

बैंकों की अनुषंगी कंपनियों के तुलनपत्र वर्तमान में न तो मूल बैंक के तुलन-पत्र के अनुसार समेकित किये जाते हैं और न ही अनुषंगी कंपनियों के लिए कोई एकसमान पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित किया गया है । बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासल समिति ने प्रस्ताव रखा है कि पूंजी पर्याप्तता का नया ढांचा समेकित आधार पर विस्तृत किया जाये, जिसमें धारक कंपनियों को, जो बैंकिंग समूहों की मूल हैं, शामिल की जायें । विवेकपूर्ण विचार के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल सर्वोत्तम प्रथायें अपनाना आवश्यक है, जिनमें स्थानीय स्थितियां भी विधिवत् परिलक्षित हों ।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अनुषंगी कंपनियों के अंतर्निर्मित जोखिम भारित घटकों को काल्पनिक (नोशनल) आधार पर अपने तुलन पत्र में स्वेच्छा से शामिल करें, जो बैंकों की अपनी आस्तियों के लिए लागू जोखिम भार के अनुसार हों । इसलिए बैंक समय के साथ-साथ अपनी बहियों में अतिरिक्त पूंजी नियत करते रहें, ताकि कुछ समय बाद जब संपूर्ण समूह के लिए एकीकृत तुलन-पत्र की प्रणाली अपनायी जाये तो उनकी अपनी शुद्ध मूल्यवत्ता में गिरावट की संभावना न रहे । अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान बैंक की बहियों में मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ करके कई चरणों में किया जाये ।

नोट :- उक्त विषय पर ब्यौरेवार परिपत्र अध्याय III में दिया गया है ।

भाग XII
बैंकों में हिन्दी का प्रयोग



बैंपविवि. सं. बीसी. 60/06.11.04/98-99

8 जून 1999
18 ज्येष्ठ 1921 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक और
वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-बैंकों में हिन्दी का प्रयोग-
कार्यालय/शाखा स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

भारत सरकार, बैंकिंग प्रभाग के 4 सितंबर 1995 के पत्र सं. 11014/11/95 हिन्दी के अनुसार प्रत्येक बैंक और वित्तीय संस्था के प्रधान कार्यालय सहित उसके अंचलों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालय स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन होना आवश्यक है । इसके साथ ही प्रत्येक तिमाही में उनकी बैठक करना भी उतना ही आवश्यक है । परंतु शाखाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत रिपोर्टों से पता चलता है कि ये बैठकें नियमित रूप से नहीं की जाती है ।

भारत सरकार के राजभाषा विषयक अनुदेशों का पालन न करना एक गंभीर चूक है । अत: आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक के प्रधान कार्यालय, अंचलों क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का हर तिमाही में नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)
महाप्रबंधक

बैंपविवि. सं.बीसी. 68/06.11.04 /98/99

7 जुलाई 1999
16 आषाढ़ 1921 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय ,

बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में
तिमाही प्रगति रिपोर्टों का कंप्यूटरीकृत समेकन

आंकड़ों के समेकन में लगने वाले समय को कम करने तथा उन्हें आसानी से पुनः प्राप्त करने एवं एक समान तरीके से अद्यतन करने की दृष्टि से 8 अप्रैल 1999 को पुणे में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 79वीं बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों का क्षेत्रवार समेकन कंप्यूटर पर किया जाये । तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में बैंक अपनी रिपोर्टें भारतीय रिज़र्व बैंक को फ्लॉपी के माध्यम से भिजवायें तथा साथ में हस्ताक्षर किया हुआ प्रिंट आउट भी भिजवायें । अतः इसके साथ एक फ्लॉपी संलग्न की जा रही है, जिसमें निर्धारित प्रोफार्मा दिया गया है । तथापि जिन बैंकों के लिए फ्लॉपी पर रिपोर्ट भेजना फिलहाल संभव न हो, वे भविष्य में इसकी व्यवस्था करें तथा तब तक वे इसके साथ संलग्न मुद्रित प्रोफार्मा में आंकड़े समेकित कर भिजवायें । इस बात की सावधानी बरती जाये कि आंकड़े संबंधित स्तंभ शीर्षों में सही तरीके से संकलित किये जायें । मुद्रित प्रति पहले की तरह **अनिवार्यतः हस्ताक्षरित** होनी चाहिए ।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)
महा प्रबंधक

बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

बैंक का नाम :

रिपोर्ट तैयार करने की तारीख :

प्रधान कार्यालय का पता :

क्षेत्र	कुल अधिकारी	कुल कर्मचारी	इनमें से प्रवीणता प्राप्त		कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त		हिंदी शिक्षण पा रहे		शिक्षण के लिए शेष		कुल		हिंदी जानने वाले		हिंदी जानने वालों का प्रतिशत	
			अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	आशु.	टंकक	आशु.	टंकक	आशु.	टंकक
क्र. 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 क्षेत्र-क																
2 क्षेत्र-ख																
3 क्षेत्र-ग																

							अनुवाद प्रशिक्षण							
	वर्ड प्रोसे.इले. टाइप. पर प्रशि.		प्रशि. पा रहे		प्रशि. के लिए शेष		अनुवाद कार्य में लगे		अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त		प्रशिक्षण हेतु शेष			धारा 3(3)
क्षेत्र	आशु.	टंककक	आशु.	टंककक	आशु.	टंककक	अधि.	कर्म.	अधि.	कर्म.	अधि.	कर्म.	शाखाएं जहा रोस्टर नहीं हैं	अंग्रेजी में जारी प्रलेख
क्र. 2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1 क्षेत्र-क														
2 क्षेत्र-ख														
3 क्षेत्र-ग														

क्षेत्र	हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति			पत्र					तार/टेलेक्स				
	हिंदी में प्राप्त पत्र	जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया	जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	कुल पत्र	हिन्दी में	अंग्रेजी में	वर्तमान तिमाही में प्रतिशत	पिछली तिमाही में प्रतिशत	कुल तार/ टेलेक्स	हिन्दी में	अंग्रेजी में	वर्तमान तिमाही में प्रतिशत	पिछली तिमाही में प्रतिशत
क्र. 2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1 क्षेत्र-क													
2 क्षेत्र-ख													
3 क्षेत्र-ग													

	आंतरिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का प्रतिशत										हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट	
क्षेत्र	पासबुक	वाउचर	ड्राफ्ट	जमा रसीदें	रजिस्टर लेजर आदि में प्रविष्टि	चेक	फार्मों पर कार्रवाई	टिप्पण लेखन	अंतर विभागीय ज्ञापन	पत्रों नोटों आदि पर टिप्पणियां	अनुभाग	विनिर्दिष्ट विषय
क्र. 2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1 क्षेत्र-क												
2 क्षेत्र-ख												
3 क्षेत्र-ग												

	राजभाषा नियम 10(4) में अधिसूचित			वेतनमान 4 एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य										
						हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या			हिन्दी में मूल काम के लिए प्रोत्साहन योजना में भाग ले रहे				विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प	
क्षेत्र	कुल कार्यालय	अधि-सूचित कार्यालय	शेष कार्यालयों की स्थिति	उच्च अधिका-रियों की संख्या	हिंदी जानने-वालों की संख्या	अधिकांशतः	सामान्यतः	कभी - कभी	अधि.	कर्म.	पुरस्कृत अधि.	पुरस्कृत कर्म.	वर्ष में कुल परीक्षाएं	परीक्षाएं,जिनमें द्विभाषी प्रश्नपत्र/हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प नहीं है।
क्र. 2	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1 क्षेत्र-क														
2 क्षेत्र-ख														
3 क्षेत्र-ग														

क्षेत्र	तिमाही के दौरान राजभाषा संबंधी निरीक्षण कार्य का ब्यौरा				बैंक के निरीक्षकों द्वारा आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा रिपोर्ट			हिन्दी कार्यशालाएं				विभागीय प्रशिक्षण हेतु संकाय-सदस्य/प्रशिक्षक		
	प्रधान कार्यालय के अनुभागों/ विभागों की कुल संख्या	निरीक्षित अनुभागों/ विभागों की कुल संख्या	अधीनस्थ कार्यालयों आदि की संख्या	निरीक्षित शाखाओं/ कार्यालयों की सं.	हिन्दी में	अंग्रेजी में	कुल	कुल हिन्दी कार्यशा-लाएं	आंबटित मानव घंटे	प्रशिक्षित अधि./ कर्म.	हिन्दी में काम करनेवाले अधि./ कर्म.	कुल संख्या	हिन्दी में सत्र लेने में सक्षम	हिन्दी/ मिले-जुले माध्यम से सत्र लेनेवाले
क्र. 2	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
1 क्षेत्र-क														
2 क्षेत्र-ख														
3 क्षेत्र-ग														

क्षेत्र	कुल बैंकिंग/संस्थानिक प्रशि. कार्यक्रम				हैंड आउट			प्रशिक्षण संबंधी अन्य साहित्य			मैनुअल टाइपराइटर			
	कुल	हिन्दी माध्यम से	मिले जुले माध्यम से	अंग्रेजी माध्यम से	हिन्दी में/ द्विभाषी	अंग्रेजी में	कुल	हिन्दी में/ द्विभाषी	अंग्रेजी में	कुल	कुल सं.	रोमन	देवनागरी	हिन्दी में कार्य का प्रतिशत
क्र. 2	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
1 क्षेत्र-क														
2 क्षेत्र-ख														
3 क्षेत्र-ग														

क्षेत्र	इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर					टेलेक्स/टेलीप्रिंटर					पतालेखी मशीनें				
	कुल संख्या	रोमन	देवनागरी	द्विभाषिक रूप में	हिन्दी में कार्य का प्रतिशत	कुल संख्या	रोमन	देवनागरी	द्विभाषिक रूप में	हिन्दी में कार्य का प्रतिशत	कुल संख्या	रोमन	देवनागरी	द्विभाषिक रूप में	हिन्दी में कार्य का प्रतिशत
क्र. 2	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
1 क्षेत्र-क															
2 क्षेत्र-ख															
3 क्षेत्र-ग															

क्षेत्र	अन्य उपकरण					कंप्यूटरों की कुल संख्या			द्विभाषी कंप्यूटर			कंप्यूटर पर कुल कार्य में हिन्दी कार्य का प्रतिशत	
	कुल संख्या	रोमन	देवनागरी	द्विभाषिक रूप में	हिन्दी में कार्य का प्रतिशत	सिंगल यूजर (पी.सी.)	मल्टी यूजर मिनी/मेन-फ्रेम	कुल	जिस्टकार्ड युक्त	द्विभाषी सॉफ्टवेयर युक्त	कुल	जिस्ट सुविधा से	द्विभाषी सॉफ्टवेयर से
क्र. 2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
1 क्षेत्र-क													
2 क्षेत्र-ख													
3 क्षेत्र-ग													

क्षेत्र	प्रोग्राम जो विभाग को उपलब्ध नहीं हुए			कंप्यूटर-प्रचालन में प्रशिक्षित कर्मचारी		कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य कर सकने वाले कर्मचारी		हिन्दी में प्रोग्राम बनाने-वाले प्रोग्रामरों की संख्या	कुल कोड, मैन्युअल आदि					कुल मानक फार्म				
	जिस्ट संबंधी	द्विभाषी सॉफ्ट-वेयर संबंधी	जिस्ट टर्मि. संबंधी	जिस्ट संबंधी	द्विभाषी सॉफ्ट-वेयर संबंधी	जिस्ट संबंधी	द्विभाषी सॉफ्ट-वेयर संबंधी		कुल संख्या	द्विभाषी	अंग्रेजी में	हिन्दी में	द्विभाषी/ हिन्दी में न होने का कारण	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिन्दी में	द्विभाषी/ हिन्दी में न होने का कारण
क्र. 2	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
1 क्षेत्र-क																		
2 क्षेत्र-ख																		
3 क्षेत्र-ग																		

क्षेत्र	कुल तकनीकी साहित्य					कुल पत्र-पत्रिकाएं					अन्य प्रकाशन					राजभाषा के पद			
	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिन्दी में	द्विभाषी/ हिन्दी में न होने का कारण	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिन्दी में	द्विभाषी / हिन्दी में न होने का कारण	कुल प्रकाशन	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिन्दी में	द्विभाषी / हिन्दी में न होने का कारण	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त	भरने के लिए की गयी कार्रवाई
क्र. 2	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
1 क्षेत्र-क																			
2 क्षेत्र-ख																			
3 क्षेत्र-ग																			

क्षेत्र	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक			हिन्दी सलाहकार समिति			राजभाषा कार्यान्वयन समिति			संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासन			
	रा. भा. का. स. की कुल संख्या	तिमाही में कितनी समितियों की बैठक हुई	क्या कार्यसूची राज.विभाग के निदेशानुसार तैयार की गयी	पिछली बैठक के लंबित निर्णय	इस बैठक के निर्णय	कुल निर्णय जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई पूरी हुई	पिछली बैठक के लंबित निर्णय	इस बैठक के निर्णय	कुल निर्णय जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई पूरी हुई	तिमाही के आरंभ में कुल लंबित आश्वासन	तिमाही के दौरान पूरे किये गये आश्वासन	तिमाही के दौरान अन्य विशिष्ट उपलब्धियां	अन्य विशिष्ट उपलब्धि
क्र. 2	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177
1 क्षेत्र-क													
2 क्षेत्र-ख													
3 क्षेत्र-ग													

कार्यालय की रा.भा.का.स. के अध्यक्ष के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

दूरभाष संख्या :

पता :

बैंपविवि.सं.बीसी. 80/06.11.04/98-99 **12 अगस्त 1999**
21 श्रावण 1921 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

बैंकों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन-
राजभाषा (हिन्दी) की स्वर्ण जयंती मनाना

सरकारी क्षेत्र के बैंक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जो कि अब दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जन-समुदाय तक पहुंच गयी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पांच दशक पहले संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किये हैं। उन्होंने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। व्यापक ग्राहक वर्ग के साथ घनिष्ठ संपर्क रखने के लिए बैंकों के दिन-प्रति-दिन के कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना अब और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

2. वित्त सचिव, भारत सरकार, के मौखिक साक्ष्य के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि **राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष, 1999-2000** (अर्थात् 14 सितंबर 1999 से 14 सितंबर 2000) के अवसर पर सरकारी क्षेत्र के बैंक इस वर्ष के महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं, समारोहों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करें।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महाप्रबंधक

बैंपविवि. बीसी. सं. 90/06.11.04 /99-2000 **18 सितंबर 1999**
27 भाद्र 1921 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के लिए
द्विभाषिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार करवाना

आपको विदित ही है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक कंप्यूटर पर शब्द संसाधन (वर्ड प्रोसेसिंग) का कार्य हिन्दी में कर रहे हैं । परंतु द्विभाषिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटरों पर डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य हिन्दी में नहीं किया जा रहा है । इस विषय में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न बैठकों में चर्चा की जाती रही है । भारतीय बैंक संघ ने भी इस संबंध में बैंकों को सूचित किया है । फिर भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हो पायी है । इस मामले पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की 02 सितंबर 1999 को हुई बैठक में चर्चा की गयी और यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और उपयुक्त *द्विभाषिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर* तैयार करवाकर अपनी उन शाखाओं में लगवाना चाहिए जहां ग्राहकों की दृष्टि से यह आवश्यक हो ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस बारे में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाये ।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीसी. सं. 94/06.07.03/99-2000 **30 सितंबर 1999**
8 आश्विन 1921 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

पत्र-पत्रिकाओं के लिए दिशा-निर्देश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने अपने 10 अगस्त 1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11011/23/99 - रा.भा.(प)में कहा है कि मंत्रालयों /विभागों / बैंकों / उपक्रमों और संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में साहित्यिक रचनाओं की बहुतायत रहती है । वस्तुतः इन पत्रिकाओं का उद्देश्य पूरा करने की दृष्टि से उनमें अधिकाधिक लेख उस कार्य के विषय में होने चाहिए जिससे ये मंत्रालय, विभाग, बैंक, उपक्रम या संस्थाएं जुड़ी हुई हैं; ताकि इन पत्रिकाओं पर किये जाने वाला व्यय सार्थक हो सके। इन पत्रिकाओं का प्रमुख उद्देश्य राजभाषा हिन्दी को लेखन का माध्यम बनाते हुए मंत्रालयों, विभागों, बैंकों, उपक्रमों या संस्थाओं आदि की गतिविधियों के बारे में पाठकों को प्रामाणिक और विशिष्ट विषयपरक जानकारी उपलब्ध कराना है ।

2. इस संबंध में सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का ध्यान 17 जुलाई 1997 को इंदौर में आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 72वीं बैठक में लिये गये इस निर्णय की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि बैंकों की गृह-पत्रिकाओं में बैंकिंग विषयों पर अधिक सामग्री दी जाये, हिन्दी पृष्ठों की संख्या बढ़ायी जाये तथा भाषा को अधिक प्रवाहपूर्ण बनाया जाये। यह भी कहा गया था कि बैंक अपनी गृह पत्रिकाओं की व्याप्ति में सुधार करें ।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा पत्रिकाओं में राष्ट्र और मानवता के बारे में प्रमुख विषयों से संबंधित लेखों का समावेश भी सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.बीसी.सं. 122/06.11.04/99/2000

5 नवंबर 1999
14 कार्तिक 1921(शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

देवनागरी (हिन्दी) में तार भेजने में आनेवाली प्रौद्योगिकीय समस्याएं

कुछ बैंकों में हिन्दी में तार भेजने में उनके सामने आने वाली प्रौद्योगिकीय समस्याओं के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट किया था । इस मामले में बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय को लिखा गया। उन्होंने इस मामले में दूर संचार विभाग से संपर्क करके यह सूचित किया है कि देवनागरी (हिन्दी) में तार भेजने की सुविधा हर टेलीग्राफ ऑफिस एवं संयुक्त डाक-तार घरों में मौजूद है । तथापि, यदि देवनागरी तारों को रोमन में वितरित करने के कोई उदाहरण हों तो कृपया उन्हें दूरसंचार विभाग (सहायक निदेशक (टी); टी.1 अनुभाग, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001) की जानकारी में लायें ताकि वे सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें ।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 01/06.11.04/99-2000

6 जनवरी 2000
16 पौष 1921 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

हिन्दी में होर्डिंग दर्शाना

सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी नयी योजनाओं आदि के प्रचार के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में अपने होर्डिंग दर्शाते हैं। परन्तु ऐसा देखा गया है कि इन राज्यों में होर्डिंग हिन्दी में बहुत कम होते हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए तथा हिन्दी के प्रचार के संबंध में जागरूकता लाने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि प्रमुख स्थलों पर हिन्दी में भी होर्डिंग दर्शाये जाने चाहिए।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)
महा प्रबंधक

बैपविवि.बीसी.सं. 146/06.11.04/99-2000 **8 मार्च 2000**
18 फाल्गुन 1921 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक)

प्रिय महोदय,

कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य

कृपया आप हमारा 18 सितंबर 1999 का परिपत्र बैपविवि. सं. बीसी. 90/06.11.04/99-2000 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे द्विभाषिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार करवाकर उसे अपनी शाखाओं में यथाशीघ्र लगवायें। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना है कि कंप्यूटर उनके कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में बाधक न बनने पायें।

इस संबंध में आपका ध्यान 26 फरवरी 2000 के हमारे पत्र बैपविवि. सं. 722/06.02.01/99-2000 के साथ प्रेषित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 82 वीं बैठक के कार्यविवरण की मद सं. 4 के परिशिष्ट की ओर आकृष्ट किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में आवश्यक कदम उठायें :

(i) स्टाफ के लिए हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना

बैंकिंग प्रभाग के 24 फरवरी 2000 के पत्र सं. 11012/1/99-हिन्दी के साथ प्रेषित सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के 2 फरवरी 2000 के अ.शा.सं. 12015/8/2000-राभा (त.क.) के संदर्भ में यह अनुरोध है कि वर्ष 2000-2001 के लिए अपने स्टाफ-सदस्यों को द्विभाषी / हिन्दी सॉफ्टवेयरों के उपयोग का प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें। कृपया उक्त कार्यक्रम के ब्यौरे संलग्न प्रोफार्मा में इस कार्यालय को भिजवायें।

(ii) बैंक के वेबसाइट में हिन्दी पाठ दर्शाना

कृपया यह भी सूचित करें कि क्या आपके बैंक का कोई वेबसाइट है ? यदि हां, तो उक्त वेबसाइट का पता हमें सूचित करें। यह भी सूचित करें कि क्या उसमें हिन्दी पाठ दर्शाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो इसकी व्यवस्था कब तक कर ली जायेगी।

प्रसंगवश, यह भी अनुरोध हे कि अपने राजभाषा के ई-मेल का पता, यदि हो, हमें सूचित करें। कृपया यह भी नोट करें कि आप इस कार्यालय के महा प्रबंधक (राजभाषा) को निम्नलिखित पते पर ई-मेल भेज सकते हैं :

< g_rajeshwar@hotmail.com >

कृपया की गयी कार्रवाई से हमें यथाशीघ्र, किन्तु हर हालत में 15 अप्रैल 2000 तक, अवगत करायें।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)
महा प्रबंधक

कंप्यूटरों में हिन्दी का प्रयोग - प्रशिक्षण

बैंक का नाम_____

	अधिकारी	कर्मचारी
1. कंप्यूटरों पर कार्य करने वाले स्टाफ की कुल सं.		
2. कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य कर सकने वाले स्टाफ की सं.		
3. मार्च 2000 तक कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या		

4. बनायी गयी योजना के अंतर्गत तीनों भाषिक क्षेत्रों में अप्रैल 2000 से मार्च 2001 के बीच कंप्यूटरों पर हिन्दी के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे -

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल कितने स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाना है ?	
(ख) आंतरिक स्तर पर चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के नाम और उनकी अवधि	
(ग) बाहरी संस्थाओं में प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण के ब्यौरे -	

हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का
नाम और पदनाम

बैंपविवि. सं. बीसी. 162/06.11.04/99-2000 **3 अप्रैल 2000**
14 चैत्र 1922 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक)

प्रिय महोदय,

बैंकों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन-
आंतरिक स्थायी कार्यकारी दलों का गठन

आपका ध्यान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 82 वीं बैठक के कार्यविवरण के साथ प्रेषित परिशिष्ट की ओर आकर्षित किया जाता है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 20 वें राजभाषा सम्मेलन की मद सं. 5 के संबंध में किये गये निर्णय के अनुसार आपसे अनुरोध है कि सभी स्तरों पर कार्यरत शाखाओं / कार्यालयों में कंप्यूटरों पर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु प्रधान कार्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर आंतरिक स्थायी कार्य दल गठित किये जायें । इन कार्य दलों में राजभाषा विशेषज्ञ, आई. टी. विशेषज्ञ तथा व्यावहारिक बैंकर शामिल हों तथा आवधिक बैठकों में इस विषय की समीक्षा की जाये । की गयी प्रगति की रिपोर्ट हमें छमाही अंतरालों पर दी जाये ।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. बीसी.सं. 185/06.11.04/99-2000 **21 जून 2000**
31 ज्येष्ठ 1922 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट का
संशोधित प्रोफार्मा - तिमाही प्रगति रिपोर्ट का कंप्यूटरीकृत समेकन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ने हाल ही में उक्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रोफार्मा संशोधित किया है, जो 01 अप्रैल 2000 से लागू होगा। इसे देखते हुए 07 जुलाई 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 68/06.11.04/ 98-99 के साथ प्रेषित कंप्यूटरीकृत प्रोफार्मा में भी संशोधन किया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि जून 2000 को समाप्त तिमाही से तिमाही प्रगति रिपोर्ट संलग्न फार्मेट में फ्लॉपी डिस्क पर उसके हस्ताक्षरित 'प्रिंट आउट' के साथ भिजवायें। फ्लॉपी पहले की तरह क्रमिक स्तंभ संख्या (running column numbers) देते हुए 'माइक्रोसाफ्ट ऑफिस - एक्सेल' में तैयार की जानी चाहिए।

3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट का भाग II, 31मार्च को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट के साथ वर्ष में सिर्फ एक बार भेजा जाना है। इस भाग II का कंप्यूटरीकृत फार्मेट यथासमय भिजवाया जायेगा।

4. प्रधान / केन्द्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित न होने पर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जायेगी।

भवदीय

(राजेश्वर गंगवार)
महा प्रबंधक

बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

बैंक का नाम :

भाग - I (प्रत्येक तिमाही के लिए)

प्रधान कार्यालय का पता :

रिपोर्ट तैयार करने की तारीख :

क्र.	क्षेत्र	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)के अंतर्गत जारी कागजात		हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति	
		कुल संख्या	अंग्रेजी में जारी कागजात	हिंदी में प्राप्त पत्र कुल पत्र	जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र - क				
2	क्षेत्र - ख				
3	क्षेत्र - ग				

जारी किये गये कुल पत्रों की संख्या *				
कुल पत्र	हिन्दी में जारी	अंग्रेजी में जारी	पिछली तिमाही में प्रतिशत	इस तिमाही में प्रतिशत
7	8	9	10	11

* नोट : 1. इसके साथ तार, टेलेक्स, फैक्स और स्तंभ 5 और 6 में दिखाये गये उत्तरस्वरूप हिंदी / अंग्रेजी में प्रेषित पत्रों की संख्या भी शामिल की जाये ।

2. 'ग' क्षेत्र को जो पत्र द्विभाषी भेजे गये हों, उन्हें उक्त स्तंभ 8 में शामिल करें, यदि पत्र मूल रूप में हिंदी में तैयार किया गया हो और अपेक्षानुसार उसका अंग्रेजी रूपांतर किया गया हो ।

3. 'ग' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों / उनके कार्यालयों / व्यक्तियों को भेजे गये पत्रों की संख्या इस मद में शामिल न करें ।

आंतरिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का प्रतिशत																			
पासबुक		वाउचर		ड्राफ्ट		जमा रसीदें		रजिस्टर, लेजर आदि में प्रविष्टि		जारी चेक		फार्म भरना		नोट तैयार करना		अंतरविभागीय ज्ञापन		पत्रों ,नोटों आदि पर टिप्पणियां	
पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

फाइलों पर हिन्दी में कार्य		हिन्दी कार्यशालाएं			राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक				शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकें	
तिमाही के अंत तक कुल कितनी फाइलें खोली गयीं	इनमें से कितनी फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणियां लिखी जा रही हैं?	कुल हिन्दी कार्यशालाएं	कुल घंटे	प्रशिक्षित अधि./ कर्म.(राज.अधि. एवं चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर)	केन्द्रीय / प्रधान कार्यालय की बैठक की तिथि	अधीनस्थ कार्यालयों / शाखाओं में गठित समितियों की संख्या	तिमाही में कितनी समितियों की बैठक हुई	क्या कार्यसूची और कार्यवृत्त हिन्दी में या द्विभाषी रूप में जारी किये गये	कुल संख्या	कितनी बैठकों में वार्तालाप / कार्रवाइयां पूरी तरह हिन्दी में की गयीं?
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

कार्यालय की रा.भा.का.स. के अध्यक्ष के हस्ताक्षर : पदनाम : फैक्स नम्बर :

कार्यालय की रा.भा.का.स. के अध्यक्ष का नाम : दूरभाष नम्बर : ई-मेल पता :

नोट : यह रिपोर्ट माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में फ्लापी में भी प्रेषित की जाये ।

FOR RESTRICTED CIRCULATION ONLY

Circulars of DBOD

(1999-2000)



Reserve Bank of India, Mumbai

Published by :
A. Ghosh
Chief General Manager-in-Charge
Department of Banking Operations
and Development
Reserve Bank of India
Mumbai 400 005

Printed by :
Mayur Trading Corporation
Fort, Mumbai - 400 001.
Tel. : 208 24 28 / 206 61 91/231 8529
Fax : 206 50 13

Printed in India

PREFACE

The Book Of Circulars containing the instructions issued by the Department of Banking Operations & Development is published every year by the Reserve Bank of India. From this year, the coverage of the period of the Book is being changed to coincide with the RBI's accounting year i.e. July to June. However, as a transitory measure, this year's volume includes all the circulars issued from January 1, 1999 to June 30, 2000. In future, the period of July to June next will be followed as the year for the purpose of this publication. All the circulars are placed individually in a loose-leaf binder system so that the banks will be able to replace the old ones as and when a fresh circular is issued in replacement of the same. The practice of sending individual circulars to banks as and when they are issued will also continue. In view of the increasing importance on prudential norms, circulars on this topic have been grouped into a separate chapter on "Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters". It is hoped that this publication will help the banks and other users as a reference text.

G. P. Muniappan
Executive Director
November 15, 2000.

GENERAL CONTENTS, SECTIONAL INDEX AND CHRONOLOGICAL INDEX

GENERAL CONTENTS

				Page No.
Section	I	:	Capital, Dividend, Reserves	1
Section	II	:	Deposits	7
Section	III	:	Review of Credit Policy/Refinance to banks	45
Section	IV	:	Investments	71
Section	V	:	Advances	109
Section	VI	:	Credit Control (General)	139
Section	VII	:	Credit Information	167
Section	VIII	:	Appointments / Remuneration	
Section	IX	:	Returns	193
Section	X	:	Miscellaneous :	
			a) Branch expansion	
			b) Non-traditional type of work taken up by banks - Merchant banking, credit card system, hire - purchase business etc.	199
			c) Customer Service in banks	215
			d) Frauds, etc. in banks	
			e) Others	223
Section	XI	:	Income recognition, asset classification, provisioning & other related matters	287
Section	XII	:	Use of Hindi in banks	339

SECTIONAL INDEX

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
	SECTION I	
	CAPITAL, DIVIDEND, RESERVES	
DBOD.No.BP.BC. 5/21.01.002/98-99 dated 8.02.1999	Issue of subordinated debt for raising Tier-II Capital	1
DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated 24.04.1999	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	5
DBOD.No.BP.BC. 101/21.04.048/99 dated 18.10.1999	Relevant Extract of the Circular on Income recognition, asset classification and provisioning	6
	SECTION II	
	DEPOSITS	
DBOD.No.Dir.BC. 36/13.01.04/99 dated 23.04.1999	Interest rates on deposits (Directive)	7
DBOD.No.Dir. 37/13.01.04/99 dated 23.04.1999	Advances against domestic term deposits	8
DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated 24.04.1999	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	9
DBOD.No.Dir.BC. 41/13.01.09/99 dated 28.04.1999	Converstion of NRE Accounts of the Returning Indians into RFC Accounts - Payment of interest	10
DBOD.No.Dir.BC. 41B/13.03.00/99 dated 28.04.1999	Interest rates on deposits accepted in Japanese Yen under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	11

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.Dir.BC. 41A/13.03.00/99 dated 28.4.1999	Interest rates on deposits accepted in Japanese Yen under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme (Directive)	12
DBOD.No.Dir.BC. 43/13.01.09/99 dated 5.05.1999	Safeguards to be observed in case of deposits from NRIs	13
DBOD.No.Dir.BC. 52/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits (Covering letter)	15
DBOD.No.Dir.BC. 50/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits (Directive)	17
DBOD.No.Dir.BC. 51/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits held under Foreign Currency Non-Resident (Banks) Scheme (Directive)	19
DBOD.No.Dir.BC. 54/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits -Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	21
DBOD.No.Dir.BC. 53/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits -Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Notification)	22
DBOD.No.BP.BC. 61/21.02.052/99 dated 12.06.1999	Deduction of tax at source from interest on time deposits with banks	23
DBOD.No.Dir.BC. 107A/13.01.04/99 dated 29.10.1999	Advances against domestic term deposits (Covering letter)	24
DBOD.No.Dir.BC. 107/13.01.04/99 dated 29.10.1999	Interest rates on deposits (Directive)	25

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.Dir.BC. 108/13.01.09/99 dated 29.10.1999	Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	26
DBOD.No.Dir.BC. 114/13.03.00/99-2000 dated 20.10.2000	Relevant Extract of the circular on Mid-Term Review of Monetory and Credit Policy 1999-2000	27
DBOD.No.Dir.BC. 135/13.03.00/99-2000 dated 13.1.2000	Interest rates on deposits (Covering letter)	28
DBOD.No.Dir.BC. 134/13.03.00/99-2000 dated 13.1.2000	Interest rates on deposits (Directive)	29
DBOD.No.Dir.BC. 141/13.03.00/99-2000 dated 12.2.2000	Interest rates on deposits (Covering letter)	30
DBOD.No.Dir.BC. 140/13.03.00/99-2000 dated 12.2.2000	Interest rates on deposits (Directive)	31
DBOD.No.Dir.BC. 153/13.03.00/99-2000 dated 23.3.2000	Interest rates on advances against domestic/NRE/FCNR((B) term deposits (Covering letter)	32
DBOD.No.Dir.BC. 151/13.03.00/99-2000 dated 23.3.2000	Interest rates on deposits (Directive)	33
DBOD.No.Dir.BC. 152/13.03.00/99-2000 dated 23.3.2000	Foreign Currency (Non-Residents) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	34
DBOD.No.Dir.BC. 158/13.03.00/2000 dated 1.4.2000	Interest rates on deposits (Covering letter)	35

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.Dir.BC. 157/13.03.00/2000 dated 1.4.2000	Interest rates on deposits (Directive)	36
DBOD.No.Dir.BC. 160/13.03.00/2000 dated 1.4.2000	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	37
DBOD.No.Dir.BC. 159/13.03.00/2000 dated 1.4.2000	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Directive)	38
DBOD.No.Dir.BC. 166/13.03.00/2000 dated 27.4.2000	Interest rates on deposits (Directive)	39
DBOD.No.Dir.BC. 167/13.03.00/2000 dated 27.4.2000	Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	40
DBOD.No.Dir.BC. 168/13.03.00/2000 dated 27.4.2000	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy for the year 2000-2001	41
DBOD.No.BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated 3.5.2000	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	42
DBOD.No.Dir.BC. 179/13.01.16/99-2000 dated 26.5.2000	Capital Gains Accounts Scheme, 1988 - Renewal of overdue term deposit	43
	SECTION III	
	REVIEW OF CREDIT POLICY/REFINANCE TO BANKS	
DBOD.No.FSC.BC. 20/24.92.001/99 dated 10.03.1999	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme-Primary Dealers	45
DBOD.No.FSC.BC. 23/24.91.001/99 dated 27.03.1999	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme-Private sector Mutual Funds	46

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.FSC.BC. 27/24.91.001/99 dated 7.04.1999	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme-Private sector Mutual Funds	47
DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated 24.04.1999	Monetary and Credit Policy Measures (Covering letter)	48
DBOD.No.FSC.BC. 56/24.92.001/99 dated May 27,1999	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme – Primary Dealers	52
DBOD.No.FSC.BC. 58 /24.91.001/99 dated 28.05.1999	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme – Private Sector Mutual Funds	53
DBOD.No.FSC.BC. 64/24.91.001/99 dated 1.07.1999	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme – Private Sector Mutual Funds	54
DBOD.No.FSC.BC. 75/24.91.001/98-99 dated 29.07.1999	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme – Private Sector Mutual Funds	55
DBOD.No.BP.BC. 82/21.01.002/99 dated 18.8.1999	Monetary and Credit Policy Measures	56
DBOD.No.FSC.BC. 92/24.91.001/99 dated 23.09.1999	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	58
DBOD.No.FSC.BC. 102/24.92.001/99 dated 21.10.1999	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscount-ing Scheme- Primary Dealers	59
DBOD.No.Dir.BC. 114/13.03.00/99 dated 29.10.1999	Mid-Term Review of Monetary and Credit Policy 1999-2000 (Covering letter)	60

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 121/21.04.124/99 dated 03.11.1999	Monetary and Credit Policy Measures	62
DBOD.No.FSC.BC. 143/24.92.001/2000 dated 23.2.2000	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme-Primary Dealers	63
DBOD.No.Dir.BC. 168/13.03.00/2000 dated 27.4.2000	Monetary and Credit Policy for the Year 2000-2001 - Interest Rate Policy (Covering letter)	64
DBOD.No.BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated 3.5.2000	Monetary and Credit Policy Measures	66
DBOD.No.Dir.BC. 173/13.07.05/99-2000 dated 12.5.2000	Rediscounting of bills by banks	68
DBOD.No.FSC.BC. 177/24.91.001/2000 dated 23.5.2000	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	69
	SECTION IV INVESTMENTS	
DBOD.No.FSC.BC. 7/24.76.001/99 dated 10.02.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	71
DBOD.No.FSC.BC. 6/24.76.001/99 dated 10.02.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	72
DBOD.No.Dir.BC. 13/13.07.05/99 dated 23.02.1999	Investments in and underwriting of Shares and Debentures of Corporate bodies.	73
DBOD.No.FSC.BC. 33/24.76.002/99 dated 21.01.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	74
DBOD.No.FSC.BC. 32/24.76.002/99 dated 21.04.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	75

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated 24.04.1999	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	76
DBOD.No.FSC.BC. 39/24.76.002/99 dated 23.04.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	77
DBOD.No.FSC.BC. 38/24.76.002/99 dated 23.04.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	78
DBOD.No.FSC.BC. 74/24.76.002/99 dated 27.07.1999	Ready Forward Transactions	79
DBOD.No.FSC.BC. 77/24.76.002/99 dated 29.07.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	84
DBOD.No.FSC.BC. 76/24.76.002/99 dated 29.07.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	85
DBOD.No.FSC.BC. 84/24.76.002/99 dated 23.8.1999	Ready Forward Transaction (Covering letter)	86
DBOD.No.FSC.BC. 83/24.76.002/99 dated 23.8.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	87
DBOD.No.FSC.BC. 126/24.76.002/99 dated 24.11.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	88
DBOD.No.FSC.BC. 125/24.76.002/99 dated 24.11.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	89
DBOD.No.FSC.BC. 150/24.76.002/99-2000 dated 23.3.2000	Ready Forward Transactions (Covering letter)	90

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.FSC.BC. 149/24.76.002/2000 dated 23.3.2000	Ready Forward Transactions (Directive)	92
	SECTION V ADVANCES	
DBOD.No.Dir.BC. 2/13.07.05/99 dated 29.01.1999	Bridge loan	109
DBOD.No.BC. 11/08.95.005/98-99 dated 15.02.1999	Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949—Special Order/General Order	110
IECD.No. 19/04.02.01/98-99 dated 3.03.1999	Export Credit-Interest rates (Covering letter)	113
DBOD.No.BC. 19/13.07.01/99 dated 3.03.1999	Intrest rates on advances (Directive)	114
DBOD.No.BP.BC. 25/21.03.038/99 dated 30.03.1999	Filing of suits by banks to recover dues	116
DBOD.No.BC. 26/08.95.005/99 dated 1.04.1999	Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 - General Order	117
DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated 24.04.1999	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	119
DBOD.No.BP.BC. 47/21.04.012/99 dated 11.05.1999	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu and Kashmir	120
DBOD.No.BP.BC. 69/21.03.038/99 dated 12.07.1999	Filing of suits by banks to recover dues	121
DBOD.No.BP.BC. 78/21.04.009/99 dated 4.8.1999	Bank Guarantees	122

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 93/21.02.036/99 dated 23.09.1999	Grant of advances against the security of Relief Bonds	123
DBOD.No.Dir.BC. 100/13.07.01/99 dated 11.10.1999	Interest rates on advances - Fixed rate loans	124
IECD.No. 6/04.02.01/ 99-2000 dated 29.10.1999	Export Credit - Interest rates (Covering letter)	125
DBOD.No.BC. 105/13.07.01/99 dated 29.10.1999	Interest rates on advances (Directive)	126
DBOD.No.Dir.BC. 106/13.03.00/99-2000 dated 29.10.1999	Interest rates on advances (Directive)	128
DBOD.No.Dir.BC. 114/13.03.00/99 dated 29.10.1999	Relevant Extract of the Circular on Mid-Term Review of Monetory and Credit Policy 1999-2000	133
DBOD.No.Dir.BC. 168/13.03.00/2000 dated 27.4.2000	Relevant Extract of the Circular on Mid-Term Review of Monetory and Credit Policy for the year 2000-2001	134
IECD.No. 15/04.02.01/99-2000 dated 25.5.2000	Export Credit - Interest rates (Covering letter)	135
DBOD.No.BC. 178/13.07.01/2000 dated 25.5.2000	Interest rates on advances (Directive)	136
	SECTION VI	
	CREDIT CONTROL (GENERAL)	
DBOD.No.BC. 17/12.01.001/98-99 dated 1.03.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Covering letter)	139

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 16/12.01.001/98-99 dated 1.03.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	140
DBOD.No.BC. 18/12.02.001/98-99 dated 1.03.1999	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	141
DBOD.No.BC. 21/12.01.001/98-99 dated 15.03.1999	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Submission of Final Form A for reporting fortnights and quarterly Ad-hoc interest claim on eligible cash balances	142
DBOD.No.BC. 31/12.01.001/98-99 dated 20.04.1999	Section 42(1) of the RBI Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Covering letter)	143
DBOD.No.BC. 30/12.01.001/98-99 dated 20.04.1999	Section 42(1) of the RBI Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	144
DBOD.No.IBS.BC. 73/23.67.001/99-2000 dated 21.07.1999	Maintenance of CRR and SLR on liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of exports (Covering letter)	145
DBOD.No.IBS.BC. 72/23.67.001/99-2000 dated 21.07.1999	Maintenance of CRR/SLR on liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of exports (Notification)	148
DBOD.No.IBS.BC. 96/23.67.001/99-2000 dated 05.10.1999	Gold Deposit Scheme – Exemption from Reserve Requirements (Covering letter)	149
DBOD.No.IBS.BC. 95/23.67.001/99-2000 dated 05.10.1999	Gold Deposit Scheme – Exemption from Reserve Requirements (Notification)	150

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 113/12.01.001/99-2000 dated 29.10.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act,1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Covering letter)	151
DBOD.No.BC. 110/12.01.001/99-2000 dated 29.10.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act,1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio-(Notification)	154
DBOD.No.BC. 111/12.01.001/99-2000 dated 29.10.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act,1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio-(Notification)	155
DBOD.No.BC. 112/12.01.001/99-2000 dated 29.10.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act,1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio-(Notification)	156
DBOD.No.BC. 131/12.01.001/99-2000 dated 28.12.1999	Section 42 of the RBI Act, 1934 - Revised format for submission of quarterly ad-hoc interest claim on eligible CRR balances.	157
DBOD.No.BC. 154/12.02.001/99/2000 dated 1.4.2000	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	160
DBOD.No.BC. 156/12.01.001/99-2000 dated 1.4.2000	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934-Reduction in Cash Reserve Ratio (Covering letter)	161
DBOD.No.BC. 155/12.01.001/99-2000 dated 1.4.200	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934-Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	162
DBOD.No.IBS.BC. 165/23.67.001/99-2000 dated 27.4.2000	Gold Deposit Scheme - Allowing banks to lend gold to other Authorised Banks	163
DBOD.No.BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated 3.5.2000	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	164
DBOD.No.BC. 186/12.01.001/99-2000 28.6.2000	Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934- Cash Reserve Ratio (CRR) - Maintenance of minimum level of 65 per cent on a daily basis	165

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
	SECTION VII	
	CREDIT INFORMATION	
DBOD.No.BC.DL(W). 12/20.16.002(1)/98-99 dated 20.2.99	Collection and dissemination of information on cases of Wilful Default of Rs. 25 lakhs and above	167
DBOD.No.DL.BC. 46/20.16.002/98-99 dated 10.05.99	Disclosure of information regarding defaulting borrowers - List of defaulters/suit filed accounts and data on Wilful Default	170
DBOD.No.DL.BC. 104/20.16.002/99-2000 dated 23.10.1999	Disclosure of information in respect of pending court cases by borrowers of banks and financial institutions	172
DBOD.No.DL.BC. 117/20.16.002/99-2000 dated 30.10.1999	Disclosure of information about defaulters of Rs.1 crore and above - List of suit-filed accounts - Quarterly updation	173
DBOD.No.DL.BC. 161/20.16.002/99-2000 dated 1.4.2000	Collection and dissemination of information on defaulting borrowers of banks and financial institutions	176
DBOD.No.BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated 3.5.2000	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	192
	SECTION IX	
	RETURNS	
DBOD.No.BC. 10/12.01.001/98-99 dated 15.02.1999	Section 42(2) of Reserve Bank of India Act, 1934 - Return in Form A	193
DBOD.No.BC. 48/12.05.005/98-99 dated 19.05.1999	Statistical Tables related to banks in India (Form A-1) and Statement of Earnings and Expenses (Form A-2)	195
DBOD.No. BC. 49/12.05.001/98-99 dated 19.05.1999	Section 27 of B. R. Act, 1949 - Submission of Form X Returns	196

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 127/12.05.005/99-2000 dated 30.11.1999	Rationalisation of Returns submitted by banks to RBI	197

SECTION X

MISCELLANEOUS

(b) NON - TRADITIONAL TYPE OF WORK TAKEN UP BY BANKS - MERCHANT BANKING, CREDIT CARD SYSTEM, HIRE-PURCHASE BUSINESS ETC.

DBOD.No.FSC.BC. 42/24.01.013/99 dated 29.4.1999	'Cheque Writing' facility for investors of Money Market Mutual Funds (MMMFs)	199
DBOD.No.FSC.BC. 65/24.01.001/99 dated 1.07.1999	Participation in share capital of financial services companies.	201
DBOD.No.FSC.BC. 99/24.01.013/99-2000 dated 09.10.1999	'Cheque Writing' facility for investors of Money Market Mutual Funds (MMMFs)	202
DBOD.No.FSC.BC. 119/24.01.013/99-2000 dated 02.11.1999	Scheme for Money Market Mutual Funds – Guidelines	203
DBOD.No.FSC.BC. 120/24.01.013/99-2000 dated 02.11.1999	'Cheque Writing' facility for investors of Gilt Funds and Liquid Income Schemes	204
DBOD.No.FSC.BC. 123/24.01.019/99-2000 dated 12.11.1999	Guidelines for issue of Smart/Debit Cards by banks	205
DBOD.IBS.BC. 130/23.31.006/99-2000 dated 24.12.1999	Opening of Credit Card centres	212
DBOD.No.FSC.BC. 145/24.01.013/2000 dated 7.3.2000	Guidelines relating to Money Market Mutual Funds (MMMFs)	214

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
	(c) CUSTOMER SERVICE IN BANKS	
DBOD.BC.No. 59/09.07.007/98-99 dated 28.5.1999	Nomination facility in Deposit Acounts	215
DBOD.No.BC. 132/09.07.007/99-2000 dated 30.12.1999	Customer Service - Collection of outstation cheques	216
DBOD.No.BC. 136/09.08.001/99-2000 dated 25.1.2000	Code of conduct for opening and operating current accounts	217
DBOD.No. 147/09.07.007/99-2000 dated 9.3.2000	Customer Service	218
DBOD.No. 148/09.07.007/99-2000 dated 14.3.2000	Payment of balance in accounts of the deceased customer to survivors / claimants	220
DBOD.No.BC. 180/09.07.007/99-2000 dated 27.5.2000	Customer Service - Issue of cheque books	221
DBOD.No.BC. 181/09.07.007/99-2000 dated 29.5.2000	Customer Service - Immediate credit of outstation and local cheques - Enhancement of ceiling	222
	(e) OTHERS	
DBOD.No.BC. 1/12.06.115/98-99 dated 1.01.1999	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 - " Bank Muscat International, SAOG-"	223
DBOD.No.BP.BC. 3/21.04.109/99 dated 8.02.1999	Framework on analysis of Balance Sheets	224
DBOD.No.BP.BC. 8/21.04.098/99 dated 10.02.1999	Asset Liability Management (ALM) System	225

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 9/21.04.018/99 dated 10.02.1999	Balance Sheet of banks—Disclosure of information	228
DBOD.No.BC. 14/12.06.116/98-99 dated 25.02.1999	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934— "Morgan Guaranty Trust Company of New York."	230
DBOD.No.BP.BC. 29/21.01.023/99 dated 16.04.1999	Revising/Updating of Operational Manual	231
DBOD.No.BP.BC. 34/21.01.040/99 dated 22.04.1999	Compromise or negotiated settlements of Non-performing Assests (NPAs)	232
DBOD.No.BC. 40/12.01.001/98-99 dated 24.4.1999	Section 42 of the RBI Act, 1934 - Specimen signatures of officials authorised to sign quarterly interest (on CRR balances) claim statements	233
DBOD.No.BC. 44/ 12.06.117/98-99 dated 10.05.1999	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 –"KBC Bank N.V"	235
DBOD.No.BP.(SC.)BC. 55/21.04.098/99 dated 24.05.1999	Asset - Liability Management (ALM) System	236
DBOD.No.BP.BC. 57/21.01.040/99 dated 27.05.1999	Guidelines for constitution of Settlement Advisory Committees (SAC)	237
DBOD.No.BP.BC. 62/21.01.001/98-99 dated 18.06.1999	Delegation of powers to Regional Offices of RBI	241
DBOD.No.BP.BC. 67/24.04.048/99 dated 1.07.1999	Reconciliation of Nostro Accounts	242

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 71/12.06.111/99-2000 dated 19.07.1999	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934-"The Commercial Bank of Korea Ltd."	243
DBOD.No.BP.BC. 81/21.03.038/99-2000 dated 13.8.1999	Calendar of reviews –Matters to be placed before Board of Directors and Management Committee	244
DBOD.No.BC. 85/09.08.001/99-2000 dated 06.09.1999	Bombay High Court - Writ Petition No.434 of 1998 - A.J.Rizvi & Others V/s Indo French Enterprises Limited and Others	245
DBOD.No.Dir.BC. 86/13.10.001/99-2000 dated 07.09.1999	Levy of Service Charges by Commercial Banks	247
DBOD.No.BC. 88/12.06.057/2000 dated 14.09.1999	Alteration in the name of the bank in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 -"Bank of America NT & SA"	248
DBOD.No.BP.BC. 91/21.01.040/99 dated 22.09.1999	Delegation of powers to Chairman and Managing Director (CMD) / Executive Director (ED) for compromise / write-off	249
DBOD.No.BC. 97/12.06.113/99-2000 dated 07.10.1999	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Hanil Bank"	250
DBOD.No.BP.(SC).BC. 98/21.04.103/99 dated 07.10.1999	Risk Management Systems in banks	251
DBOD.No.BC. 101/12.04.002/99-2000 dated 12.10.1999	T.T. Discounting Facility - Renewal	256
DBOD.No.IBS.BC. 109/23.06.001/99-2000 dated 30.10.1999	Indianisation of Staff	259

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 115/09.11.001/99-2000 dated 30.10.1999	Year 2000 (Y2K) preparations (Covering letter)	260
DBOD.No.BC. 116/09.11.001/99-2000 dated 30.10.1999	Year 2000 (Y2K) preparations (Directive)	261
DBOD.No.BP.BC. 118/21.01.023/99 dated 02.11.1999	Receipt of foreign contributions by associations/organisations in India under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976	262
DBOD.No.BP.BC. 121/21.04.124/99 dated 3.11.1999	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	263
DBOD.No.Dir.BC. 124/13.10.00/99-2000 dated 18.11.1999	Levy of Service Charges by Commercial Banks for remittances of contribution for relief of cyclone affected people in Orissa State	264
DBOD.No.JPC.BC. 137/27.01.031/99-2000 dated 4.2.2000	Bankers' Books Evidence Act, 1891	265
DBOD.No.BC. 139/12.06.065/99-2000 dated 7.2.2000	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934- "The British Bank of the Middle East"	271
DBOD.No.BC. 142/12.06.088/99-2000 dated 18.2.2000	Alteration in the name of the bank in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934- "ICICI Banking Corporation Limited" to "ICICI Bank Limited"	272
DBOD.No.BP.BC. 170/21.04.018/2000 dated 4.5.2000	Accounting Standard - 11 (Revised)	273
DBOD.No.BP.BC. 171/21.04.098/99-2000 dated 5.5.2000	Balance Sheet of banks - Disclosure of information	274

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 172/21.04.105/99-2000 dated 9.5.2000	Unpaid dividend transferred to Special Dividend Account	275
DBOD.No.BP.BC. 174/21.04.007/2000 dated 15.5.2000	Training facilities	276
DBOD.No.IBS.BC. 175/23.09.001/99-2000 dated 19.5.2000	Remittance of profits by foreign banks operating in India	278
DBOD.No.BP.BC. 176/21.04.040/2000 dated 20.5.2000	Guidelines for constitution of Settlement Advisory Committees (SACs)	281
DBOD.No.PSBS.BC. 182/16.13.100/99-2000 dated 31.5.2000	Transfer of shares	282
DBOD.No.BC. 183/12.06.098/99-2000 dated 2.6.2000	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Times Bank Ltd."	283
DBOD.No.BC. 184/ 21.01.040/2000 dated 12.6.2000	Recovery of NPAs - Expeditious realisation of	284
DBOD.No.BP.BC. 187/21.01.007/2000 dated 29.6.2000	Interest Tax Act, 1974 - Withdrawal of Interest - tax	286
	SECTION XI	
	INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING & OTHER RELATED MATTERS	
DBOD.No.BP.BC. 22/21.04.018/99 dated 24.03.1999	Inter-branch Accounts - Provisioning for Net Debit Balance	287
DBOD.No.BP.BC. 24/21.04.048/99 dated 30.03.1999	Prudential norms - Capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning	288

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 28/21.04.048/98-99 dated 15.04.1999	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters – Valuation of investments	290
DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated 24.04.1999	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	295
DBOD.No.BP.BC. 45/21.04.048/99 dated 10.05.1999	Income recognition, asset classification and provisioning – Concept of commencement of commercial production	296
DBOD.No.FSC.BC. 70/24.01.001/99 dated 17.07.1999	Equipment leasing activity - Accounting/ provision norms	297
DBOD.No.BP.BC. 87/21.01.002/99 dated 08.09.1999	Capital Adequacy Ratio - Risk Weight on bank's investment in bonds / securities issued by Financial Institutions	316
DBOD.No.BP.BC. 101/21.04.048/99 dated 18.10.1999	Income recognition, asset cassification and provisioning - Valuation of investment by banks in subsidiaries	317
DBOD.No.BP.BC. 103/21.04.048/99 dated 21.10.1999	Income recognition, asset classification and provisioning - Agricultural finance by commercial banks through Primary Agricultural Credit Societies (PACS) / FSS	319
DBOD.No.BP.BC. 121/21.04.124/99 dated 3.11.1999	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	320
DBOD.No.BP.BC. 133/21.04.018/2000 dated 10.1.2000	Inter-branch Accounts- Provisioning for Net Debit Balance	321
DBOD.No.BP.BC. 138/21.04.048/2000 dated 7.2.2000	Income recognition, asset classification and provisioning - Export Project Finance	323
DBOD.No.BP.BC. 144/21.04.048/2000 dated 29.2.2000	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters and capital adequacy standards - Take out finance	325
DBOD.No.BP.BC. 163/21.04.048/2000 dated 7.4.2000	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	330

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 164/21.04.048/2000 dated 24.4.2000	Prudential norms on capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning etc.	335
DBOD.No.BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated 3.5.2000	Relevant Extract of the Circular on Monetory and Credit Policy Measures	338
	SECTION XII USE OF HINDI IN BANKS	
DBOD.No.BC. 60/06.11.04/98-99 dated 8.06.1999	Town Official Language Implementation Committee – Use of Hindi in banks – Meeting of Office/Branch level Official Language Implementation Committees	339
DBOD.No.BC. 68/06.11.04/98-99 dated 7.07.1999	Computerised compilation of Quarterly Progress Reports regarding use of Hindi in banks	340
DBOD.No.BC. 80/06.11.04/98-99 dated 12.8.1999	Implementation of Rajbhasha policy in banks – Celebration of Golden Jubilee year of Rajbhasha (Hindi)	341
DBOD.No.BC. 90/06.11.04/99-2000 dated 18.09.1999	Preparation of Bilingual Data Processing Software for Branches of Public Sector Banks	342
DBOD.No.BC. 94/06.07.03/99-2000 dated 30.09.1999	Guidelines for periodicals	343
DBOD.No.BC. 122/06.11.04/99-2000 dated 5.11.1999	Technological problems being faced in sending telegrams in Devanagari (Hindi)	344
DBOD.No.BC. 01/06.11.04/99-2000 dated 6.1.2000	Display of hoardings in Hindi	345
DBOD.No.BC. 146/06.11.04/99-2000 dated 8.3.2000	Working in Hindi on computers	346
DBOD.No.BC. 162/06.11.04/99-2000 dated 3.4.2000	Implementation of Rajbhasha Policy in banks- Constitution of Internal Standing Working Groups	347
DBOD.No.BC. 185/06.11.04/99-2000 dated 21.6.2000	Revised proforma for QPR regarding use of Hindi in banks - Computerised compilation of QPR	348

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 1/12.06.115/99 dated 1.01.1999	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 - "Bank Muscat International, SAOG"	X(e)
DBOD.No.Dir.BC. 2/13.07.05/99 dated 29.01.1999	Bridge loan	V
DBOD.No.BP.BC. 3/21.04.109/99 dated 8.02.1999	Framework on analysis of Balance Sheets	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 5/21.01.002/98-99 dated 8.02.1999	Issue of subordinated debt for raising Tier-II Capital	I
DBOD.No.FSC.BC. 6/24.76.001/99 dated 10.02.99	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD.No.FSC.BC. 7/24.76.001/99 dated 10.02.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD.No.BP.BC. 8/21.04.098/99 dated 10.02.1999	Asset Liability Management (ALM) System	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 9/21.04.018/99 dated 10.02.1999	Balance Sheet of banks—Disclosure of information	X(e)
DBOD.No.BC. 10/12.01.001/98-99 dated 15.02.1999	Section 42(2) of Reserve Bank of India Act, 1934 - Return in Form A	IX

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 11/08.95.005/99 dated 15.02.1999	Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949—Special Order/General Order.	V
DBOD.No.BC.DL(W). 12/20.16.002(1)/98-99 dated 20.2.1999	Collection and dissemination of information on cases of Wilful Default of Rs. 25 lakhs and above	VII
DBOD.No.Dir.BC. 13/13.07.05/99 dated 23.02.1999	Investments in and underwriting of Shares and Debentures of Corporate bodies.	IV
DBOD.No.BC. 14/12.06.116 dated 25.02.1999	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934—"Morgan Guaranty Trust Company of New York."	X(e)
DBOD.No.BC. 16/12.01.001/98-99 dated 1.03.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	VI
DBOD.No.BC. 17/12.01.001/98-99 dated 1.03.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 Reduction in Cash Reserve Ratio (Covering letter)	VI
DBOD.No.BC. 18/12.02.001/99 dated 1.03.1999	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	VI
IECD.No. 19/04.02.01/98-99 dated 3.03.1999	Export Credit -Interest rates (Covering letter)	V
DBOD.No.BC. 19/13.07.01/99 dated 3.03.1999	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD.No.FSC. BC. 20/24.92.001/99 dated 10.03.1999	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Primary Dealers	III

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 21/12.01.001/98-99 dated 15.03.1999	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Submission of Final Form A for reporting fortnights and quarterly Ad-hoc interest claim on eligible cash balances	VI
DBOD.No.BP.BC. 22/21.04.018/99 dated 24.03.1999	Inter-branch Accounts - Provisioning for Net Debit Balance	XI
DBOD.No.FSC.BC. 23/24.91.001/99 dated 27.03.1999	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme-Private Sector Mutual Funds	III
DBOD.No.BP.BC. 24/21.04.048/99 dated 30.03.1999	Prudential norms - Capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning	XI
DBOD.No.BP.BC. 25/21.03.038/99 dated 30.03.99	Filing of suits by banks to recover dues	V
DBOD.No.BC. 26/08.95.005/99 dated 1.04.1999	Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 - General Order	V
DBOD.No.FSC.BC. 27/24.91.001/99 dated 7.04.1999	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD.No.BP.BC. 28/21.04.048/98-99 dated 15.04.1999	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters –Valuation of investments	XI
DBOD.No.BP.BC. 29/21.01.023/99 dated 16.04.1999	Revising/Updating of Operational Manual	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 30/12.01.001/98-99 dated 20.04.1999	Section 42(1) of the RBI Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	VI
DBOD.No.BC. 31/ 12.01.001/98-99 dated 20.04.1999	Section 42(1) of the RBI Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Covering letter)	VI
DBOD.No.FSC.BC. 32/24.76.002/99 dated 21.04.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD.No.FSC.BC. 33/24.76.002/99 dated 21.01.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD.No.BP.BC. 34/21.01.040/99 dated 22.04.1999	Compromise or negotiated settlements of Non-performing Assets (NPAs)	X(e)
DBOD.No.Dir.BC. 36/13.01.04/99 dated 23.04.1999	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD.No.BC.Dir. 37/13.01.04/99 dated 23.04.1999	Advances against domestic term deposits	II
DBOD.No.FSC.BC. 38/24.76.002/99 dated 23.04.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD.No.FSC.BC. 39/24.76.002/99 dated 23.04.1999	Ready Forward Transactions- (Covering letter)	IV
DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated 24.04.1999	Monetary and Credit Policy Measures (Covering letter)	III

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 40/12.01.001/98-99 dated 24.4.1999	Section 42 of the RBI Act, 1934 - Specimen signatures of officials authorised to sign quarterly interest (on CRR balances) claim statements	X(e)
DBOD.No.Dir.BC. 41/13.01.09/99 dated 28.4.1999	Conversion of NRE Accounts of the Returning Indians into RFC Accounts-Payment of interest	II
DBOD.No.Dir.BC. 41A/13.03.00/99 dated 28.4.1999	Interest rates on deposits accepted in Japanese Yen under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 41B/13.03.00/99 dated 28.4.1999	Interest rates on deposits accepted in Japanese Yen under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD.No.FSC.BC. 42/24.01.013/99 dated 29.4.1999	'Cheque Writing' facility for investors of Money Market Mutual Funds (MMMFs)	X(b)
DBOD.No.Dir.BC. 43/13.01.09/99 dated 5.05.1999	Safeguards to be observed in case of deposits from NRIs	II
DBOD.No.BC. 44/12.06.117/99 dated 10.05.1999	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 –"KBC Bank N.V."	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 45/21.04.048/99 dated 10.05.1999	Income recognition, asset classification and provisioning – Concept of commencement of commercial production	XI
DBOD.No.DL.BC. 46/20.16.002/99 dated 10.05.1999	Disclosure of information regarding defaulting borrowers - List of defaulters/suit filed accounts and data on Wilful Default	VII

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 47/21.04.012/99 dated 11.05.1999	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu and Kashmir	V
DBOD.No.BC. 48/12.05.005/98-99 dated 19.05.1999	Statistical Tables relating to banks in India (Form A-1) and Statement of Earnings and Expenses (Form A-2)	IX
DBOD.No. BC. 49/12.05.001/98-99 dated 19.05.99	Section 27 of B.R. Act, 1949 - Submission of Form X Returns	IX
DBOD.No.Dir.BC. 50/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 51/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits held under Foreign Currency Non-Resident (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 52/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits (Covering letter)	II
DBOD.No.Dir.BC. 53/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Notification)	II
DBOD.No.Dir.BC. 54/13.03.00/99 dated 22.05.1999	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	II
DBOD.No.BP.(SC)BC. 55/21.04.098/99 dated 24.05.1999	Asset - Liability Management (ALM) System	X(e)
DBOD.No.FSC.BC. 56/24.92.001/99 dated 27.05.1999	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme – Primary Dealers	III

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 57/21.01.040/99 dated 27.05.1999	Guidelines for constitution of Settlement Advisory Committees (SAC)	X(e)
DBOD.No.FSC.BC. 58/24.91.001/99 dated 28.05.1999	Permission to participate in Call/Notice/Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme – Private Sector Mutual Funds	III
DBOD.No.BC. 59/09.07.007/98-99 dated 28.05.1999	Nomination facility in Deposit Accounts	X(c)
DBOD.No.BC. 60/06.11.04/98-99 dated 8.06.1999	Town Official Language Implementation Committee –Use of Hindi in banks –Meeting of Office/Branch level Official Language Implementation Committees	XII
DBOD.No.BP.BC. 61/21.02.052/99 dated 12.06.1999	Deduction of tax at source from interest on time deposits with banks	II
DBOD.No.BP.BC. 62/21.01.001/98-99 dated 18.06.1999	Delegation of powers to Regional Offices of RBI	X(e)
DBOD.No.FSC.BC. 64/24.91.001/99 dated 1.07.1999	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscouting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD.No.FSC.BC. 65/24.01.001/99 dated 1.07.1999	Participation in share capital of financial services companies	X(b)
DBOD.No.BP.BC. 67/24.04.048/99 dated 1.07.1999	Reconciliation of Nostro Accounts	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 68/06.11.04/98-99 dated 7.07.1999	Computerised compilation of Quarterly Progress Reports regarding use of Hindi in banks	XII
DBOD.No.BP.BC. 69/21.03.038/99 dated 12.07.1999	Filing of suits by banks to recover dues	V
DBOD.No.FSC.BC. 70/24.01.001/99 dated 17.07.1999	Equipment leasing activity-Accounting/ provisioning norms	XI
DBOD.No.BC. 71/12.06.111/99-2000 dated 19.07.1999	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934-"The Commercial Bank of Korea Ltd."	X(e)
DBOD.No.IBS.BC. 72/23.67.001/99 -2000 dated 21.07.1999	Maintenance of CRR and SLR on liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of exports (Notification)	VI
DBOD.No.IBS.BC. 73/23.67.001/99-2000 dated 21.07.1999	Maintenance of CRR and SLR on liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of exports (Covering letter)	VI
DBOD.No.FSC.BC. 74/24.76.002/99 dated 27.07.1999	Ready Forward Transactions	IV
DBOD.No.FSC.BC. 75/24.91.001/98-99 dated 29.07.1999	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme-Private Sector Mutual Funds	III
DBOD.No.FSC.BC. 76/24.76.002/99 dated 29.07.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.FSC.BC. 77/24.76.002/99 dated 29.07.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD.No.BP.BC. 78/21.04.009/99 dated 4.8.1999	Bank Guarantees	V
DBOD.No.BC. 80/06.11.04/98-99 dated 12.8.1999	Implementation of Rajbhasha policy in banks – Celebration of Golden Jubilee year of Rajbhasha (Hindi)	XII
DBOD.No.BP.BC. 81/21.03.038/99 dated 13.8.1999	Calendar of reviews –Matters to be placed before Board of Directors and Management Committee	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 82/21.01.002/99 dated 18.8.1999	Monetary and Credit Policy Measures	III
DBOD.No.FSC.BC. 83/24.76.002/99 dated 23.8.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD.No.FSC.BC. 84/24.76.002/99 dated 23.8.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD.No.BC. 85/09.08.001/99-2000 dated 06.09.99	Bombay High Court - Writ Petition No.434 of 1998 - A.J.Rizvi & Others V/s Indo French Enterprises Limited and Others	X(e)
DBOD.No.Dir.BC. 86/13.10.00/99-2000 dated 07.09.99	Levy of Service Charges by Commercial Banks	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 87/21.01.002/99 dated 08.09.99	Capital Adequacy Ratio - Risk Weight on bank's investment in bonds / securities issued by Financial Institutions	XI

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 88/12.06.057/99-2000 dated 14.09.1999	Alteration in the name of the bank in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Bank of America NT & SA"	X(e)
DBOD.No.BC. 90/06.11.04/99-2000 dated 18.09.1999	Preparation of Bilingual Data Processing Software for Branches of Public Sector Banks	XII
DBOD.No.BP.BC. 91/21.01.040/99 dated 22.09.1999	Delegation of powers to Chairman and Managing Director (CMD) / Executive Director (ED) for compromise / write-off	X(e)
DBOD.No.FSC.BC. 92/24.91.001/99 dated 23.09.1999	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD.No.BP.BC. 93/21.02.036/99 dated 23.09.1999	Grant of advances against the security of Relief Bonds	V
DBOD.No.BC. 94/06.07.03/99-2000 dated 30.09.1999	Guidelines for periodicals	XII
DBOD.No.IBS.BC. 95/23.67.001/99-2000 dated 05.10.1999	Gold Deposit Scheme – Exemption from Reserve Requirements (Notification)	VI
DBOD.No.IBS.BC. 96/23.67.001/99-2000 dated 05.10.1999	Gold Deposit Scheme – Exemption from Reserve Requirements (Covering letter)	VI
DBOD.No.BC. 97/12.06.113/99-2000 dated 07.10.1999	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 -"Hanil Bank"	X(e)
DBOD.No.BP.(SC)BC. 98/21.04.103/99 dated 07.10.1999	Risk Management Systems in banks	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.FSC.BC. 99/24.01.013/99-2000 dated 09.10.1999	'Cheque Writing' facility for investors of Money Market Mutual Funds (MMMFs)	X(b)
DBOD.No.Dir.BC. 100/13.07.01/99 dated 11.10.1999	Interest rates on advances - Fixed rate loans	V
DBOD.No.BC. 101/12.04.002/99-2000 dated 12.10.1999	T.T. Discounting Facility - Renewal	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 101/21.04.048/99 dated 18.10.1999	Income recognition, asset classification and provisioning - Valuation of investment by banks in subsidiaries	XI
DBOD.No.FSC.BC. 102/24.92.001/99 dated 21.10.1999	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme- Primary Dealers	III
DBOD.No.BP.BC. 103/21.04.048/99 dated 21.10.1999	Income recognition, asset classification and provisioning - Agricultural finance by commercial banks through Primary Agricultural Credit Societies (PACS) / FSS	XI
DBOD.No.DL.BC. 104/20.16.002/99-2000 dated 23.10.1999	Disclosure of information in respect of pending court cases by borrowers of banks and financial institutions	VII
IECD.No. 6/04.02.01/99-00 Dated 29.10.1999	Export Credit - Interest rates (Covering letter)	V
DBOD.No.BC. 105/13.07.01/99 dated 29.10.1999	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD.No.Dir.BC. 106/13.03.00/99-2000 dated 29.10.1999	Interest rates on advances (Directive)	V

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.Dir.BC. 107/13.01.04/99 dated 29.10.1999	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 107A/13.01.04/99 dated 29.10.1999	Advances against domestic term deposits (Covering letter)	II
DBOD.No.Dir.BC. 108/13.01.09/99 dated 29.10.1999	Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD.No.BC. 110/12.01.001/99-2000 dated 29.10.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	VI
DBOD.No.BC. 111/12.01.001/99-2000 dated 29.10.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	VI
DBOD.No.BC. 112/12.01.001/99-2000 dated 29.10.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	VI
DBOD.No.BC. 113/12.01.001/99-2000 dated 29.10.1999	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (Covering letter)	VI
DBOD.No.Dir.BC. 114/13.03.00/99 dated 29.10.1999	Mid-Term Review of Monetary and Credit Policy 1999-2000 (Covering letter)	III
DBOD.No.IBS.BC. 109/23.06.001/99 dated 30.10.1999	Indianisation of Staff	X(e)
DBOD.No.BC. 115/09.11.001/99-2000 dated 30.10.1999	Year 2000 (Y2K) preparations (Covering letter)	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 116/09.11.001/99 dated 30.10.1999	Year 2000 (Y2K) preparations (Directive)	X(e)
DBOD.No.DL.BC. 117/20.16.002/99-2000 dated 30.10.1999	Disclosure of information about defaulters of Rs.1 crore and above - List of suit-filed accounts - Quarterly updation	VII
DBOD.No.BP.BC. 118/21.01.023/99 dated 02.11.1999	Receipt of foreign contributions by associations/organisations in India under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976	X(e)
DBOD.No. FSC. BC. 119/24.01.013/99 dated 02.11.1999	Scheme for Money Market Mutual Funds – Guidelines	X(b)
DBOD.No.FSC.BC. 120/24.01.013/99-2000 dated 02.11.1999	'Cheque Writing' facility for investors of Gilt Funds and Liquid Income Schemes	X(b)
DBOD.No.BP.BC. 121/21.04.124/99 dated 03.11.1999	Monetary and Credit Policy Measures	III
DBOD.No.BC. 122/06.11.04/99-2000 dated 5.11.1999	Technological problems being faced in sending telegrams in Devanagari (Hindi)	XII
DBOD.No.FSC.BC. 123/24.01.019/99-2000 dated 12.11.1999	Guidelines for issue of Smart/Debit Cards by banks	X(b)
DBOD.No.Dir.BC. 124/13.10.00/99-2000 dated 18.11.1999	Levy of Service Charges by Commercial Banks for remittances of contribution for relief of cyclone affected people in Orissa State	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.FSC.BC. 125/24.76.002/99 dated 24.11.1999	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD.No.FSC.BC. 126/24.76.002/99 dated 24.11.1999	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD.No.BC. 127/12.05.005/99-2000 dated 30.11.1999	Rationalisation of Returns submitted by banks to RBI	IX
DBOD.No.IBS.BC. 130/23.31.006/99-2000 dated 24.12.1999	Opening of Credit Card Centres	X(b)
DBOD.No.BC. 131/12.01.001/99-2000 dated 28.12.1999	Section 42 of the RBI Act, 1934 - Revised format for submission of quarterly ad-hoc interest claim on eligible CRR balances	VI
DBOD.No.BC. 132/09.07.007/99-2000 dated 30.12.1999	Customer Service - Collection of outstation cheques	X(c)
DBOD.No.BC. 01/06.11.04/99-2000 dated 6.1.2000	Display of hoardings in Hindi	XII
DBOD.No.BP.BC. 133/21.04.018/2000 dated 10.1.2000	Inter-branch Accounts- Provisioning for Net Debit Balance	XI
DBOD.No.Dir.BC. 134/13.03.00/99-2000 dated 13.1.2000	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 135/13.03.00/99-2000 dated 13.1.2000	Interest rates on deposits (Covering letter)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BC. 136/09.08.001/99-2000 dated 25.1.2000	Code of conduct for opening and operating current accounts	X(c)
DBOD.No.JPC.BC. 137/27.01.031/99-2000 dated 4.2.2000	Bankers' Books Evidence Act, 1891	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 138/21.04.048/2000 dated 7.2.2000	Income recognition, asset classification and provisioning - Export Project Finance	XI
DBOD.No.BC. 139/12.06.065/99-2000 dated 7.2.2000	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934- "The British Bank of the Middle East"	X(e)
DBOD.No.Dir.BC. 140/13.03.00/99-2000 dated 12.2.2000	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 141/13.03.00/99-2000 dated 12.2.2000	Interest rates on deposits (Covering letter)	II
DBOD.No.BC. 142/12.06.088/99-2000 dated 18.2.2000	Alteration in the name of the bank in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934- "ICICI Banking Corporation Limited" to "ICICI Bank Limited"	X(e)
DBOD.No.FSC.BC. 143/24.92.001/2000 dated 23.2.2000	Permission to participate in Call/Notice/ Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme -Primary Dealers	III
DBOD.No.BP.BC. 144/21.04.048/2000 dated 29.2.2000	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters and capital adequacy standards - Take out finance	XI
DBOD.No.FSC.BC. 145/24.01.013/2000 dated 7.3.2000	Guidelines relating to Money Market Mutual Funds (MMMFs)	X(b)
DBOD.No.BC. 146/06.11.04/99-2000 dated 8.3.2000	Working in Hindi on computers	XII

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No. 147/09.07.007/99-2000 dated 9.3.2000	Customer Service	X(c)
DBOD.No. 148/09.07.007/99-2000 dated 14.3.2000	Payment of balance in accounts of the deceased customer to survivors / claimants	X(c)
DBOD.No.FSC.BC. 149/24.76.002/2000 dated 23.3.2000	Ready Forward Contracts (Directive)	IV
DBOD.No.FSC.BC. 150/24.76.002/99-2000 dated 23.3.2000	Ready Forward Contracts (Covering letter)	IV
DBOD.No.Dir.BC. 151/13.03.00/99-2000 dated 23.3.2000	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 152/13.03.00/99-2000 dated 23.3.2000	Foreign Currency (Non-Residents) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 153/13.03.00/99-2000 dated 23.3.2000	Interest rates on advances against domestic/NRE/FCNR((B) term deposits (Covering letter)	II
DBOD.No.BC. 154/12.02.001/99-2000 dated 1.4.2000	Penal rate of interest on the shortfall in the maintenance of CRR/SLR	VI
DBOD.No.BC. 155/12.01.001/99-2000 dated 1.4.2000	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934-Reduction in Cash Reserve Ratio (Notification)	VI
DBOD.No.BC. 156/12.01.001/99-2000 dated 1.4.2000	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934-Reduction in Cash Reserve Ratio (Covering letter)	VI
DBOD.No.Dir.BC. 157/13.03.00/2000 dated 1.4.2000	Interest rates on deposits (Directive)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.Dir.BC. 158/13.03.00/2000 dated 1.4.2000	Interest rates on deposits (Covering letter)	II
DBOD.No.Dir.BC. 159/13.03.00/2000 dated 1.4.2000	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 160/13.03.00/2000 dated 1.4.2000	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	II
DBOD.No.DL.BC. 161/20.16.002/99-2000 dated 1.4.2000	Collection and dissemination of information on defaulting borrowers of banks and financial institutions	VII
DBOD.No.BC. 162/06.11.04/99-2000 dated 3.4.2000	Implementation of Rajbhasha Policy in banks- Constitution of Internal Standing Working Groups	XII
DBOD.No.BP.BC. 163/21.04.048/2000 dated 7.4.2000	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	XI
DBOD.No.BP.BC. 164/21.04.048/2000 dated 24.4.2000	Prudential norms on capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning etc.	XI
DBOD.No.IBS.BC. 165/23.67.001/99-2000 dated 27.4.2000	Gold Deposit Scheme - Allowing banks to lend gold to other Authorised Banks	VI
DBOD.No.Dir.BC. 166/13.03.00/2000 dated 27.4.2000	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 167/13.03.00/2000 dated 27.4.2000	Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD.No.Dir.BC. 168/13.03.00/2000 dated 27.4.2000	Monetary and Credit Policy for the Year 2000-2001 - Interest Rate Policy (Covering letter)	III

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated 3.5.2000	Monetary and Credit Policy Measures	III
DBOD.No.BP.BC. 170/21.04.018/2000 dated 4.5.2000	Accounting Standard - 11 (Revised)	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 171/21.04.098/99-2000 dated 5.5.2000	Balance Sheet of banks - Disclosure of information	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 172/21.04.105/99-2000 dated 9.5.2000	Unpaid dividend transferred to Special Dividend Account	X(e)
DBOD.No.Dir.BC. 173/13.07.05/99-2000 dated 12.5.2000	Rediscounting of bills by banks	III
DBOD.No.BP.BC. 174/21.04.007/2000 dated 15.5.2000	Training facilities	X(e)
DBOD.No.IBS.BC. 175/23.09.001/99-2000 dated 19.5.2000	Remittance of profits by foreign banks operating in India	X(e)
DBOD.No.BP.BC. 176/21.04.040/2000 dated 20.5.2000	Guidelines for constitution of Settlement Advisory Committees (SACs)	X(e)
DBOD.No.FSC.BC. 177/24.91.001/2000 dated 23.5.2000	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
IECD.No. 15/04.02.01/99-2000 dated 25.5.2000	Export Credits - Interest rates (Covering letter)	V
DBOD.No.BC. 178/13.07.01/2000 dated 25.5.2000	Interest rates on advances (Directive)	V

Circular No. & Date	Subject	Section
1.	2.	3.
DBOD.No.Dir.BC. 179/13.01.16/99-2000 dated 26.5.2000	Capital Gains Accounts Scheme, 1988- Renewal of overdue term deposit	II
DBOD.No.BC. 180/09.07.007/99-2000 dated 27.5.2000	Customer Service - Issue of cheque books	X(c)
DBOD.No.BC. 181/09.07.007/99-2000 dated 29.5.2000	Customer Service - Immediate credit of outstation and local cheques - Enhancement of ceiling	X(c)
DBOD.No.PSBS.BC. 182/16.13.100/99-2000 dated 31.5.2000	Transfer of shares	X(e)
DBOD.No.BC. 183/12.06.098/99-2000 dated 2.6.2000	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Times Bank Ltd."	X(e)
DBOD.No.BC. 184/21.01.040/2000 dated 12.6.2000	Recovery of NPAs - Expeditious realisation of	X(e)
DBOD.No.BC. 185/06.11.04/99-2000 dated 21.6.2000	Revised proforma for QPR regarding use of Hindi in banks - Computerised compilation of QPR	XII
DBOD.No.BC. 186/12.01.001/99-2000 dated 28.6.2000	Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934- Cash Reserve Ratio (CRR) - Maintenance of minimum level of 65 per cent on a daily basis	VI
DBOD.No.BP.BC. 187/21.01.007/2000 dated 29.6.2000	Interest Tax Act, 1974 - Withdrawal of Interest - tax	X(e)

SECTION I

CAPITAL, DIVIDEND, RESERVES

DBOD.No.BP.BC. 5/21.01.002/99

February 8, 1999
Magha 19, 1920 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

ISSUE OF SUBORDINATED DEBT FOR RAISING TIER II CAPITAL

Proposals from banks to issue subordinated debt for Tier II capital were hitherto being approved by the Reserve Bank of India. It has now been decided to give autonomy to the banks including foreign banks operating in India, to raise rupee subordinated debt as Tier II capital, subject to the terms and conditions given in the Annexure. Banks should ensure that the terms and conditions are strictly adhered to.

2. For issue of subordinated debt instruments in foreign currency by banks as well as for borrowing from Head Office by foreign banks for inclusion in Tier II capital, prior approval of Reserve Bank of India should be obtained.

Yours faithfully

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager.

Annexure

Issue of unsecured bonds as subordinated debt by banks for raising Tier-II capital

I. Rupee subordinated debt

1. Terms of issue of bond

To be eligible for inclusion in Tier – II Capital, terms of issue of the bonds as subordinated debt instruments should be in conformity with the following :

(a) Amount

The amount of subordinated debt to be raised may be decided by the Board of Directors of the banks.

(b) Maturity period

(i) Subordinated debt instruments with an initial maturity period of less than 5 years, or with a remaining maturity of one year should not be included as part of Tier-II Capital. Further, they should be subjected to progressive discount as they approach maturity at the rates shown below :

Remaining maturity of the instruments	Rate of discount
a) Less than One year	100%
b) More than One year and less than Two years	80%
c) More than Two years and less than Three years	60%
d) More than three years and less than Four years	40%
e) More than Four years and less than Five years	20%

(ii) The bonds should have a minimum maturity of 5 years. However if the bonds are issued in the last quarter of the year i.e. from 1st January to 31st March, they should have a minimum tenure of sixty three months.

(c) Rate of interest

The interest rate should not be more than 200 basis points above the yield on Government of India securities of equal residual maturity at the time of issuing bonds. The instruments should be 'vanila' with no special features like options etc.

(d) Other conditions

i) The instruments should be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and should not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.

ii) Necessary permission from Exchange Control Department should be obtained for issuing the instruments to NRIs/OCBs/FIIs.

iii) Banks should comply with the terms and conditions, if any, set by SEBI/other regulatory authorities in regard to issue of the instruments.

iv) Nationalised banks should obtain permission from the Government for issuing the instruments.

v) In the case of foreign banks rupee subordinated debt should be issued by the Head Office of the bank, through the Indian branch after obtaining specific approval from Exchange Control Department.

2. Inclusion in Tier-II Capital

Subordinated debt instruments will be limited to 50 per cent of Tier-I Capital of the bank . These instruments, together with other components of Tier II capital, should not exceed 100% of Tier I capital.

3. Grant of advances against bonds

Banks should not grant advances against the security of their own bonds.

4. Compliance with reserve requirements

(a) The funds collected by various branches of the bank or other banks for the issue, and held pending finalisation of allotment will have to be taken into account for the purpose of calculating reserve requirements.

(b) To the extent the instruments are treated as Tier II Capital [after discount at the rates mentioned at item 1(b)(i)] they will be exempted from reserve requirements. However, in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescription of a zero reserve requirement on certain liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by the bank on total demand and time liabilities, including the total amount raised under subordinated debt, should not be less than 3% and 25% respectively.

5. Treatment of investment in subordinated debt

Investments by banks in subordinated debt of other banks will be assigned 100% risk weight for capital adequacy purpose.

II. (a) Subordinated debt in foreign currency

(b) Subordinated debt in the form of foreign currency borrowings from Head Office by foreign banks.

Banks may take approval of RBI on a case by case basis.

Relevant Extract of circular DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated April 24, 1999 is reproduced below :-

2. (ii) Issue of sub-ordinated debt for raising Tier II Capital

In terms of instructions contained in Circular DBOD.No.BP.BC.5/21.01.002/ 98-99 dated February 8, 1999, banks were given autonomy to raise rupee denominated subordinated debt as Tier II Capital, subject to the terms of issue of the bonds being in conformity with the conditions indicated therein.

It has been observed that there has been a high level of cross holding of such instruments among banks and financial institutions, without necessarily leading to accretion of capital to the financial system.

It has been decided that a bank's aggregate investment in Tier II bonds issued by other banks and financial institutions shall be permitted up to 10 per cent of the investing bank's total capital. The total capital for this purpose will be the same as that reckoned for the purpose of capital adequacy. In case any bank has already exceeded this limit of 10 per cent, a reference may be made to RBI indicating the period within which the exposure would be brought within the stipulated limit.

It is reiterated in this connection that investments by banks in Tier II bonds of other banks/financial institutions would carry 100 per cent risk weight [vide paragraph 2(d) of Circular DROD.No.BP.BC.103/21.01.002/98 dated 31st October, 1998.]

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

Relevant Extract of circular DBOD.No. BP.BC.101/21.04.048/99 dated Qctober 18,1999 is reproduced below :-

2. Issue of subordinated debt for raising Tier II capital – Reporting

Banks, including foreign banks operating in India, have been given autonomy to raise rupee subordinated debt as Tier II capital subject to terms and conditions given in the Annexure to our circular DBOD.No.BP.BC.5/21.01.002/99 dated 8th February 1999. In this connection, banks are advised to submit a report to Reserve Bank of India giving details of the capital raised such as amount raised, maturity of the instrument, rate of interest, together with a copy of the offer document, soon after the issue is completed.

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter XI

SECTION II

DEPOSITS

DBOD.No.Dir.BC. 36/13.01.04/99

April 23, 1999
Vaishakha 3, 1921 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Section 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of the Directive DBOD No.Dir.BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that clause (a) of paragraph 11 of the said Directive shall be substituted by the following:

"When an advance is granted against a term deposit and the deposit stands in the name of

(i) the borrower either singly or jointly,

(ii) one of the partners of a partnership firm and the advance is made to the said firm,

(iii) the proprietor of a proprietary concern and the advance is made to such a concern,

(iv) a ward whose guardian is competent to borrow on behalf of the ward and where the advance is made to the guardian of the ward in such capacity,

the interest rates chargeable shall be equal to bank's Prime Lending Rate or less. However, in cases where deposit rates are equal to or more than Prime Lending Rate or less than one percentage point below Prime Lending Rate, banks will have freedom to charge suitable rates of interest on advances against such deposits without reference to the ceiling of Prime Lending Rate."

2. The other provisions contained in paragraph 11 shall remain unchanged.

(S. Gurumurthy)
Executive Director



DBOD.No.Dir.BC. 37/13.01.04/99

April 23, 1999
Vaishakha 3, 1921 (Saka)

All Regional Rural Banks

Dear Sir,

ADVANCES AGAINST DOMESTIC TERM DEPOSITS

As per the instructions contained in item 2 of RBI circular DBOD.No. Dir. BC. 60/ 13.03.00/98 dated June 15, 1998 interest rates chargeable on loans and advances granted to depositors against their domestic term deposits should not exceed the normal lending rate which the bank is charging on its best borrowal accounts. Consequent on the statement released by the Governor, Reserve Bank of India on "Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000", directive DBOD.No.Dir.BC. 36/13.01.04/99 dated April 23, 1999 has been issued. As RRBs have been given freedom to determine their lending rates, it has been decided that in cases where deposit rates are equal to or more than the normal lending rates, which the banks are charging on their best borrowal accounts or less than one percentage point below the normal lending rates, the banks will have freedom to charge suitable rates of interest on advances against such deposits without reference to the ceiling of the normal lending rates. Thus, the interest rates on advances shall invariably be more than the interest rates paid on respective deposits.

The effective date of changes mentioned above shall be announced by the banks as early as possible.

Yours faithfully

(N.H. Siddiqui)
Chief General Manager

Relevant Extract of circular DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated April24,1999 is reproduced below :-

1. (iii) Advances against domestic/NRE term deposits

As per the instructions contained in Item 2(ii) of RBI circular DBOD No. Dir.BC. 36/ 13.03.00/98 dated April 29, 1998, interest rates chargeable on loans and advances granted to depositors against their domestic/NRE term deposits should not exceed PLR. While PLR has been coming down, the interest rates on deposits have remained unaltered on the existing deposits. In certain cases, this has resulted in the interest rates on advances based on PLR being lower than the interest rates an deposits themselves.

In order to remove this anomaly, it has been decided that in cases where deposit rates are equal to or more than PLR or less than one percentage point below PLR, the banks will have freedom to charge suitable rates of interest on advances against domestic/NRE term deposits without reference to the ceiling of PLR. Thus, the interest rates on advances shall invariably be more than the interest rates paid on respective deposits.

The effective date of changes mentioned above shall be announced by the banks as early as possible.

The amending Directive DBOD No. Dir.BC.36/13.01.04/99 dated April 23, 1999 is enclosed.

(iv) Asset-Liability Management Committee

Banks have been representing that the present requirement that changes in deposit rates and lending rates should be approved by the Board of Directors of the bank restricts the ability of banks to respond promptly to changes in interest rates environment.

Accordingly, it has been decided that the Boards of Directors of banks may authorise the Asset-Liability Management Committee to fix interest rates on Deposits and Advances subject to reporting to the Board immediately thereafter.

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

DBOD.No.Dir.BC. 41/13.01.09/99

April 28, 1999
Vaishakha 8, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

CONVERSION OF NRE ACCOUNTS OF THE RETURNING INDIANS INTO RFC ACCOUNTS - PAYMENT OF INTEREST

Please refer to our circular DBOD.No.BC.68/13.01.09/93 dated January 20, 1993 advising exemption from levy of penalty on premature withdrawal of FCNR /NRE deposits for the purpose of conversion to Resident Foreign Currency Accounts (RFC) and circular DBOD.No.Dir. BC.7/13.01.09/98 dated January 20,1998 permitting banks to pay interest on prematurely withdrawn FCNR(B) deposits before completion of minimum stipulated period for conversion into RFC Account.

2. On requests received from banks, the matter has been reconsidered by us and it has been decided to extend similar facility to NRE deposits also. Accordingly, banks are allowed to pay interest at their discretion, at the time of conversion of NRE Account into RFC Account, even if the same has not run for a minimum maturity of six months, subject to the condition that the rate of interest does not exceed the rate payable on savings bank deposits held under RFC Account Scheme and the request for such conversion is received immediately on return of the NRE Account holder to India.

3. The above instructions are issued under Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 41B/13.03.00/99

April 28, 1999
Vaishakha 8, 1921(Saka)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS ACCEPTED IN JAPANESE YEN UNDER FOREIGN CURRENCY NON-RESIDENT ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to paragraph 1(d) of our Circular DBOD.No.Dir.BC. 36/13.03.00/98 dated April 29, 1998 in terms of which banks are permitted to offer interest rate of "LIBOR minus 25 basis points" on deposits accepted for 6 months and above but less than one year under Foreign Currency Non-Resident (Banks) Scheme {FCNR(B)}. Reserve Bank has received representations from banks that in the current scenario relating to LIBOR for JPY, the above requirement results in negative interest rates for FCNR(B) deposits in JPY and, therefore, the requirements need revision. In the light of these representations and keeping in view the low level of interest rates, it has been decided that until further notice, all scheduled commercial banks authorised to deal in foreign exchange may pay fixed/floating rate of interest 'not exceeding LIBOR" on deposits accepted by them in Japanese Yen for six months and above but less than one year under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme.

An amending directive DBOD.No.Dir.BC. 41A/13.03.00/99 dated April 28, 1999 is enclosed.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 41A/13.03.00/99 **April 28, 1999**
Vaishakha 8, 1921 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS ACCEPTED IN JAPANESE YEN UNDER FOREIGN CURRENCY NON-RESIDENT ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the existing paragraph (vi) of Directive DBOD.No. BC.115/13.01.09/93 dated April 29, 1993 as amended vide Directive DBOD.No.Dir.BC.35/13.03.00/98 dated April 29, 1998, relating to deposits accepted under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme, shall be substituted as under:

(i) In respect of deposits of six months and above but less than one year and floating rate deposits, interest shall be paid at a rate not in excess of LIBOR minus 25 basis points for the respective currency / maturity except for deposits in Japanese Yen where fixed/floating rates of interest "not exceeding LIBOR" shall be paid. For floating rate deposits, the interest reset period shall be six months.

(ii) In respect of deposits of maturity of one year and above, the interest shall be paid within the ceiling of Swap rates for the respective currency / maturity plus 50 basis points.

(iii) The LIBOR / Swap rates as on the last working day of the preceding week would form the base for fixing the ceiling rates for the interest rates that would be offered effective the following week.

The other provisions of Directive DBOD.No.Dir.BC.95/C.347(I)-86 dated September 11, 1986 and DBOD.No.Dir.BC. 115/13.01.09-93 dated April 29, 1993, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC. 43/13.01.09/99 **May 5, 1999**
Vaishakha 15, 1921 (Saka)

The Chairmen
of all Commercial Banks

Dear Sir,

SAFEGUARDS TO BE OBSERVED IN CASE OF DEPOSITS FROM NRIs

Of late, we have been receiving complaints from Non-Resident Indians (NRIs) regarding cheating/fraud by certain unscrupulous finance brokers/ middlemen/ agents, who canvass placement of deposits by NRIs with banks operating in India. These middlemen / agents carry on, by themselves, the entire operation of procuring funds from NRIs, depositing the funds with banks and passing on the Deposit Receipts to the NRI depositors. Thus, in such cases there is no direct contact between NRI depositors and concerned branches of banks where deposits have been kept. Some of these agents/middlemen are reported to have misappropriated the funds and given forged/bogus deposit receipts to the NRI investors. In some cases, only a part of the funds were invested in deposits and the balance was misappropriated by middlemen/ agents and to offset the differential amount, these agents altered the deposit receipts with inflated figures.

2. It is reported that, some of these agents /middlemen have obtained loans either themselves or in the names of third parties against these deposits by submitting forged loan applications and/or authority letters purported to have been given by the NRI depositors. If the banks would have exercised due diligence in acceptance of NRI deposits and granting of advances thereagainst, the perpetration of such fraudulent transactions would have been prevented.

3. In view of the foregoing, we shall be glad if you will please instruct the branches of your bank to strictly follow the stipulated safeguards so as to protect the interest of both the bank and its NRI depositors. With a view to preventing the recurrence of such instances in future, the branches may be advised to scrupulously follow the guidelines contained in Chapter 9 and Chapter 20 of Manual of Instructions issued by RBI. You may also ask the branches to take the following additional precautions while accepting deposits from NRIs through agents/ middlemen:-

(a) The deposit receipt should invariably be sent through registered post to the NRI depositor at the address given in the application/account opening form.

(b) The deposit receipt should not be handed over to agents/middlemen/third party.

(c) The branch should ensure that complete postal address of the NRI depositor has been furnished in the account opening form. The branch should exercise special care if the address is incomplete or only post box number has been furnished.

(d) In case loan against the NRI deposit is requested, the loan should be disbursed only after the genuineness of the loan application is fully verified and appropriate documents are received to the satisfaction of the bank direct from the NRI depositor.

(e) In the case of large loans to third parties against NRI deposits normally the relative documentation should be done by the NRI depositor in the presence of bank officials at the branch from where loan is being sought. If for any special reason the depositor cannot come, special care should be taken in regard to verification of the depositors' identity and signatures.

4. We shall be glad if you will please advise your branches suitably in the matter.

Yours faithfully,

(N.H.Siddiqui)
Chief General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 52/13.03.00/99 **May 22, 1999**
Jyestha 1, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(including RRBs)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our Directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time.

2. In terms of clause (i) of paragraph 3 of the aforesaid Directive, banks have been prohibited from opening savings bank accounts in the name of certain bodies/ organizations. Clarification was sought by a bank regarding opening of savings bank account in the name of political parties. It is clarified that political parties come under the purview of the prohibition on opening of savings bank accounts. However, for the sake of clarity, the said clause (i) has since been amended.

3. In terms of clause (i) of paragraph 4 of the said Directive, scheduled commercial banks having aggregate demand and time liabilities of less than Rs.25 crores have discretion to allow additional interest of quarter per cent per annum on savings deposits. This discretion has since been withdrawn.

4. Paragraph 9 of the aforesaid directive provides for premature closure of a term deposit, a deposit in the form of daily deposit or a recurring deposit for reinvestment in another term deposit with the same bank on payment of interest as indicated in paragraph 8 thereof without levy of penalty. As the banks have now been given freedom to determine their own penal interest rates for premature withdrawal of domestic/NRE term deposits, the banks should pay interest in respect of such a term deposit in the manner indicated in paragraph 8 without reducing the interest by way of penalty provided the deposit remains with the bank after reinvestment for a period longer than the remaining period of original contract.

5. Clause (ii) of paragraph 10 of the aforesaid directive in case of NRE deposits and paragraph 5 of our directive DBOD.No.Dir.BC.95/C.347(I)-86 dated September

11,1986 in case of FCNR deposits, allow the banks to fix their own interest rates on overdue deposits where the overdue period exceeds 14 days and on the amount placed as a fresh deposit. It has been decided that banks are free to recover the interest so paid for the overdue period if the deposit is withdrawn before completion of minimum period prescribed under the scheme, after renewal.

6. In order to have uniformity in the provisions in regard to interest payable on deceased depositors' FCNR and NRE deposits, paragraph 8 of our directive DBOD.No.Dir.BC.95/C.347(I)-86 dated September 11, 1986 relating to FCNR deposits has been amended to accommodate joint deposits as also to allow the payment of interest till the date of payment instead of till the date of claim by the legal heirs. Also, if the legal heirs are residents, the maturity proceeds may be converted into Indian rupees on the date of maturity and interest for the subsequent period may be paid at a rate applicable to the deposit of similar maturity under domestic deposit scheme.

7. The amending directives DBOD.No.Dir.BC. 50 and 51 /13.03.00/99 dated May 22, 1999, enumerating the above changes are enclosed.

Yours faithfully,

(N.H. Siddiqui)
Chief General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 50/13.03.00/99 **May 22, 1999**
Jyestha 1, 1921 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 And 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in modification of its directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that :-

I) clause (i) of paragraph 3 of the aforesaid Directive shall be substituted by the following :

3. **Prohibition against opening of savings bank accounts in the name of certain bodies/organisations.**

(i) .No bank shall open a savings deposit account in the name of Government departments/bodies depending upon budgetary allocations for performance of their functions/Municipal Corporations or Municipal Committees/Panchayat Samitis/State Housing Boards/Water and Sewerage/Drainage Boards/State Text Book Publishing Corporations/Societies/Metropolitan Development Authority/State/District Level Housing Cooperative Societies, etc. or any political party or any trading/business or professional concern , whether such concern is a proprietary or a partnership firm or a company or an association.

EXPLANATION : For the purposes of this clause, 'political party' means an association or body of individual citizens of India, which is, or is deemed to be,
registered with the Election Commission of India as a political party under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 as in force for the time being.

II) Clause (i) of paragraph 4 of the aforesaid Directive shall be deleted.

III) Paragraph 9 of the aforesaid Directive shall be substituted by the following :

"9. Premature closure of a term deposit, a deposit in the form of daily deposit or a recurring deposit for reinvestment in term deposit.

The bank, on a request from the depositor, shall allow closure of a term deposit, a deposit in the form of daily deposit or recurring deposit, to enable the depositor to immediately reinvest the amount lying in the aforesaid deposits with the same bank in another term deposit. The bank shall pay interest in respect of such term deposit in the manner indicated in paragraph 8 above without reducing the interest by way of penalty as stated in the said paragraph. Provided that the deposit remains with the bank after reinvestment for a period longer than the remaining period of the original contract".

IV) Clause (ii) of paragraph 10 of the aforesaid Directive shall be substituted by the following -

"(ii) Non-resident (External) Rupee Account"

The bank may, at its discretion, renew an overdue deposit or a portion thereof provided the overdue period from the date of maturity till the date of renewal (both days inclusive) does not exceed 14 days and the rate of interest payable on the amount of the deposit so renewed shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity or on the date when the depositor seeks renewal whichever is lower. In the case of overdue deposits where the overdue period exceeds 14 days and if the depositor places the entire amount of overdue deposit or a portion thereof as a fresh NRE term deposit, banks may fix their own interest rates for the overdue period on the amount so placed as a fresh deposit.

Banks are free to recover the interest so paid for the overdue period if the deposit is withdrawn before completion of minimum period prescribed under the scheme, after renewal".

2. The other provisions of Directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC. 51/13.03.00/99

May 22, 1999
Jyestha 1, 1921 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY NON-RESIDENT (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act. 1949 and in modification of its Directive DBOD.No.Dir.BC.95/C.347(I)-86 dated September 11, 1986, as amended from time to time, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that -

I The existing paragraph 5 of the aforesaid directive shall be modified as under :

"5. Overdue deposits

The bank may, at its discretion, renew an overdue deposit or a portion thereof provided the overdue period from the date of maturity till the date of renewal (both days Inclusive), does not exceed 14 days and the rate of interest payable on the amount of the deposit so renewed shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity or on the date when the depositor seeks renewal, whichever is lower. In the case of overdue deposits where the overdue period exceeds 14 days and if the depositor places the entire amount of overdue deposit or a portion thereof as a fresh FCNR(B) deposit, banks may fix their own interest rates for the overdue period on the amount so placed as a fresh term deposit. Banks are free to recover the interest so paid for the overdue period if the deposit is withdrawn before completion of minimum stipulated period under the scheme, after renewal".

II The existing paragraph 8 of the aforesaid directive shall be substituted as under :

"8. Interest payable on the deposit of a deceased depositor

In the case of a deposit standing in the name/s of -

1. a deceased individual depositor or
2. two or more joint depositors, where one of the depositors has died, interest shall be paid in the manner indicated below.

i) at the contracted rate on maturity of the deposit;

ii) in the event of the heir/s, legal representative/s or nominee/s claiming the payment of deposit before maturity date, the bank may, at its discretion, pay interest at an applicable rate prevailing on the date of placement of the deposit, without charging the penalty;

iii) If the amount of the deposit is claimed by the heir/s, legal representative/s or nominee/s after the date of maturity, the bank shall pay interest at the contracted rate till the date of maturity. After the date of maturity to the date of the payment to the heir/s, legal representative/s or nominee/s the bank shall pay interest as permissible under the directive on interest rates on deposits operative on the date of maturity.

iv) if on request from the heir/s, legal representative/s or nominee/s, bank agrees to split the amount of term deposit and issues two or more receipts individually in the name of the heir/s, legal representative/s or nominee/s, it shall not be construed as premature withdrawal of the term deposit for the purpose of levy of penalty provided the period and aggregate amount of the deposit do not undergo any change.

NOTE

In the case of legal heirs being residents, the maturity proceeds may be converted into Indian Rupees on the date of maturity and interest be paid for the subsequent period at a rate applicable to the deposit of similar maturity under domestic deposit scheme".

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC. 54/13.03.00/99

May 22, 1999
Jyestha 1, 1921 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS -
CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

Please refer to our Notification DBOD. No.Dir.BC.121/13.01.01/97 dated October 21, 1997 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme, 1988, introduced by Government of India. The minimum period of maturity of the deposits in Account "B" has been reduced from 30 days to 15 days and our Notification DBOD.No.Dir.BC. 53/13.03.00/99 dated May 22, 1999 advising the revised minimum period is enclosed.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 53/13.03.00/99

May 22, 1999
Jyestha 1, 1921 (Saka)

NOTIFICATION

INTEREST RATES ON DEPOSITS - CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its Notification DBOD.No.Dir.BC.121/13.01.01/97 dated October 21, 1997, Reserve Bank of India, hereby specifies that the minimum period of maturity of the deposits in Account "B" shall be 15 days and the interest paid by the banks on deposits made in Account "A" and "B" under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder :

Category of Account	Per cent per annum
i) Account "A"	4.5
ii) Account "B"	
15 days and over	Free

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD.No.BP.BC. 61/21.02.052/99 **June 12, 1999**
Jyestha 22, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

DEDUCTION OF TAX AT SOURCE FROM INTEREST ON TIME DEPOSITS WITH BANKS

Please refer to our circular DBOD.No.BC.32/C.469(81.A)-91 dated October 4, 1991 advising banks among other things regarding amendment to Section 194A of the Income Tax Act to secure deduction of tax at source on interest on time deposits with banks where it exceeds Rs. 2,500 in a financial year and our another Circular DBOD.No.BP.BC.43/C.469(81.A)-91 dated October 10, 1991 advising the procedure to be followed by banks for securing relief from the requirement of deduction of tax at source under the provisions contained in Sections 194A(1) 197 and 197(A) of the Income Tax Act, 1961. As you are aware the Government has by the Finance Act, 1995 raised the above limit of Rs. 2,500/- to Rs. 10,000/- with effect from July 1, 1995.

2. In this connection, it has been reported by the Commissioner of Income Tax, Tamil Nadu (Chennai) that recently a survey conducted by Income Tax Department has revealed that major banks in Chennai have not deducted tax at source on interest payment on term deposits in accordance with the provisions of Section 194 of the Income Tax Act, 1961. The survey also noted that in spite of the Central Offices of the banks issuing instructions to effect the deductions on interest paid on accrual basis, the same has not been complied with. As this is a serious violation of Tax Deduction at Source (TDS) provisions and entails a penalty that would be equal to tax not deducted apart from a mandatory levy of interest, you are advised to instruct your branches in general and in Tami Nadu in particular to deduct tax at source on interest payment on term deposits on accrual basis and remit the tax so deducted into the Central Government account forthwith.

Yours faithfully,

(J.B. Mhatre)
Deputy General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 107A/13.01.04/99

October 29, 1999
Kartika 7, 1921 (Saka)

All Regional Rural Banks

Dear Sir,

ADVANCES AGAINST DOMESTIC TERM DEPOSITS

As per the instructions contained in RBI circular DBOD No. Dir. BC.37/13.01.04/99 dated April 23, 1999, interest rate chargeable on loans and advances granted to depositors against their domestic term deposits should not exceed the normal lending rate which the bank is charging on its best borrowal accounts, except in cases where deposit rates are equal to or more than the normal lending rate, which the bank is charging on its best borrowal accounts or less than one percentage point below the normal lending rate, the banks have freedom to charge suitable rates of interest without reference to the ceiling of their own normal lending rate.

2. Consequent on the statement released by the Governor, Reserve Bank of India on "Mid-Term Review of Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000" a Directive DBOD No. Dir. BC. 107/13.01.04/99 dated October 29, 1999, has been issued, a copy of which is enclosed. Accordingly, Regional Rural Banks will have freedom to charge interest rates on advances granted to depositors against their domestic term deposits without reference to their own normal lending rate.

Yours faithfully

(M. P. Kothari)
General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 107/13.01.04/99 **October 29, 1999**
Kartika 7, 1921 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of the Directive DBOD No.Dir.BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that clause (a) of paragraph 11 of the said Directive shall be substituted by the following with immediate effect :

"When an advance is granted against a term deposit and the deposit stands in the name of

(i) the borrower either singly or jointly,
(ii) one of the partners of a partnership firm and the advance is made to the said firm,
(iii) the proprietor of a proprietary concern and the advance is made to such a concern,
(iv) a ward whose guardian is competent to borrow on behalf of the ward and where the advance is made to the guardian of the ward in such capacity,

the banks shall be free to charge interest rates without reference to the Prime Lending Rate."

2. The other provisions contained in paragraph 11 shall remain unchanged.

(G.P. Muniappan)
Executive Director

DBOD No. Dir. BC. 108/13.01.09/99 **October 29, 1999**
Kartika 7, 1921 (Saka)

FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that in the Bank's directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated April 29, 1993, the existing Clauses (vii) and (viii) shall be substituted by the following with immediate effect:

"(vii) The deposits shall be accepted under the Scheme for the following maturity periods:

(a) One year and above but less than two years
(b) Two years and above but less than three years
(c) Three years only

(viii) (a) when a loan or an advance is granted against a term deposit which stands in the name of :

(i) the borrower either singly or jointly or
(ii) a ward and the advance is made to the guardian of the ward, or
(iii) one of the partners of a partnership firm and the advance is made to the said firm, or
(iv) the proprietor of a proprietary concern and the advance is made to such concern,

the banks shall be free to charge interest rates without reference to their own Prime Lending Rate.

(b) when a loan or advance is granted against a deposit to any person other than that mentioned at (a) above, the interest rate chargeable shall be at the rate as prescribed in terms of the Reserve Bank of India's directive relating to Interest Rates on Advances.

(c) when a loan or advance is granted out of resources mobilized under the scheme, interest rate chargeable shall be at the rate as prescribed in terms of Reserve Bank of India's directive relating to Interest Rates on Advances".

(G.P. Muniappan)
Executive Director

Relevant Extract of circular DBOD No. Dir.BC. 114/13.03.00/99-2000 dated October 29,1999 is reproduced below :-

I. (b) Advances against domestic/NRE/FCNR(B) term deposits

As per the instructions contained in Item 1(iii) of RBI circular DBOD No. BP. BC. 35/ 21.01.002/99 dated April 24, 1999 interest rates chargeable on loans and advances granted to depositors against their domestic/NRE term deposits should be equal to bank's Prime Lending Rate or less, except in cases where deposit rates are equal to or more than Prime Lending Rate or less than one percentage point below the Prime Lending Rate in which case the banks have freedom to charge suitable rates of interest without reference to the ceiling of Prime Lending Rate. Loans against NRE deposits to the depositors when repaid in Rupees are subject to Prime Lending Rate stipulations. Loans and overdrafts against FCNR(B) deposits are also subject to Prime Lending Rate norms in terms of circular DBOD No. Dir.BC.133/13.01.09/97 dated October 21, 1997.

It has been decided to give freedom to banks to charge interest rates on loans against domestic/NRE (irrespective of repayment of loan in Foreign Currency or Rupee)/ FCNR(B) deposits to the depositors without reference to their own Prime Lending Rate.

II. Minimum period of maturity for FCNR(B) deposits

In terms of Clause (vii) of circular DBOD No. BC. 116/13.01.09/93 dated April 29, 1993, the minimum period of maturity for FCNR(B) deposits is six months. In line with the policy of minimizing country's short term external borrowing liabilities, it has been decided that the minimum maturity for FCNR(B) deposits be raised to one year from six months. Banks, however, will continue to have the freedom to offer floating rate deposits (with a maturity of one year or more and interest reset period of six months)

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

DBOD.No.Dir.BC. 135/13.03.00 /99-2000 **January 13, 2000**
Pausha 23, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(including RRBs)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our Directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27,1985 on Interest Rates on Deposits, as amended from time to time.

2. In terms of paragraph 3(i) of our Directive referred to in paragraph I above, banks have been prohibited from opening savings bank accounts, interalia, in the name of Government departments/bodies depending upon budgetary allocations for performance of their functions. However, certain organisations/agencies have been exempted from this prohibition vide paragraph 3(ii) thereof. It has now been decided to allow **Public Sector Banks** to open savings bank accounts in the name of Collector/ District Magistrate/District Commissioner in respect of funds released for implementation of Member of, Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) where the works under the scheme are executed through Planning Department of the State Government. Public Sector Banks may also open savings bank accounts under the said scheme in the name of District Rural Development Agency (DRDA) in terms of paragraph 3(ii) (f) of the above Directive.

3. In terms of circular RPCD.No.PLFS.BC.123/05.05.16/97-98 dated May 20, 1998 issued by our Rural Planning and Credit Department, Scheduled Commercial Banks have, interalia, been advised to [i] introduce annual composite cash credit limits to all agricultural borrowing families and

[ii] consider designing a fully liquid savings module with an appropriate return and in-build the same in the loan product which will take care of the farmers' interests in the event of adverse price fluctuations or natural calamities. It has, therefore, been decided now to allow scheduled commercial banks to pay interest, at their discretion, at a rate based on their perception and other relevant factors on the minimum credit balance in the composite cash credit accounts of farmers during the period from the 10th to the last day of each calendar month.

4. An amending Directive DBOD.No.Dir.BC. 134/13.03.00/99-2000 dated January 13, 2000 is enclosed.

Yours faithfully,

(P.V.Subba Rao)
Chief General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 134/13.03.00/99-2000 **January 13, 2000**
Puasha 23, 1921 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of its Directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347-85 dated D6cember 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that –

I. After sub-clause [o] of clause [ii] of paragraph 3, the following sub-clause shall be added:

"[p] Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) subject, however, to the condition that no such account shall be opened with a bank other than a public sector bank."

II. After paragraph 7, the following paragraph 7A shall be added.

"7A. Discretion to pay interest on credit balance in composite cash credit account of a farmer

A scheduled commercial bank may, at its discretion, pay interest at a rate based on its perception and other relevant factors on the minimum credit balance 'In the composite cash credit account of a farmer during the period from the 10th to the last day of each calendar month."

2. The other provisions of the Directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(G.P. Muniappan)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC. 141/13.03.00/99-2000

February 12, 2000
Magha 23, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(including RRBs)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our Directive DB0D.No.Dir.BC. 151/C.347/85 dated December 27,1985 on Interest Rates on Deposits, as amended from time to time.

2. In terms of paragraph 3(i) of our Directive referred to in Paragraph I above, banks have been prohibited from opening savings bank accounts, interalia, in the name of Government departments/bodies depending upon budgetary allocations for performance of their functions. However, certain organizations/agencies have been exempted from this prohibition vide paragraph 3(ii) thereof. It has now been decided to allow Public Sector Banks to open savings bank accounts in the name of Zilla Parishads/Gram Panchayats in respect of funds released for implementation of various rural development/welfare programmes and/or subsidy/margin-money linked programmes sponsored by the State Governments/Government of India.

3. An amending Directive DBOD.No.Dir.BC. 140 /13-03.00/9,9-2000 dated February 12, 2000 is enclosed.

Yours faithfully,

(A.L. Narasimhan)
Chief General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 140/13.03.00/99-2000 **February 12, 2000**
Magha 23, 1921 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that, with immediate effect, paragraph 3(ii)(n)of its Directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, shall be amended further as indicated below:

"(n) Zilla Parishads/Gram Panchayats in respect of funds released for implementation of various rural development/welfare programmes and/or subsidy/margin-money linked programmes sponsored by the State Governments/Government of India, subject, however, to the condition that no such account shall be opened with a bank other than a public sector bank."

2. The other provisions of the Directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(G.P. Muniappan)
Executive Director

DBOD.Dir.BC. 153/13.03.00/99-2000

March 23, 2000
Chaitra 3, 1922 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON ADVANCES AGAINST DOMESTIC/NRE/FCNR(B) TERM DEPOSITS

Please refer to our Directives DBOD.No.Dir.BC.107/13.01.04/99 and 108/ 13.01.09/99 dated 29 October 1999 in terms of which banks have been given freedom to charge interest rates without reference to their Prime Lending Rate (PLR) on advances granted to depositors against their own domestic/NRE/FCNR(B) term deposits. However, it has been observed that in certain cases, especially in respect of advances upto Rs.2 lakhs against third party deposits, the rate of interest chargeable becomes lower than that on advances against depositor's own deposits. Accordingly, the matter has been reviewed and it has been decided that banks may be given discretion to charge interest at suitable rates in case of advances upto Rs.2 lakhs against third party deposits, as has been done recently in case of advances to depositors against their own deposits. They will now be free to charge interest, on such advances upto Rs.2 lakhs without reference to their Prime Lending Rate (PLR). However, interest rate on advances above Rs.2 lakhs against third party deposits will continue to be determined in terms of Reserve Bank of India's directives on interest rates on advances issued from time to time.

2. Accordingly, amending Directives DBOD.No.Dir.BC 151&152/13.03.00199-2000 dated March 23,2000 are enclosed.

Yours faithfully,

P. V. Subba Rao
(Chief General Manager)

DBOD No. Dir. BC. 151/13.03.00/99-2000 **March 23, 2000**
Chaitra 3, 1922 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of its Directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that sub-clause (b) of paragraph 11 be amended, as under, with immediate effect.

"(b) When an advance is granted against a term deposit, which is not in the nature of those at (i) to (iv) in sub-clause (a) above

i) the banks shall be free to charge interest rates without reference to the Prime Lending Rate, provided the advance is upto Rs. 2 lakhs, and

ii) if the advance exceeds Rs. 2 lakhs, the interest chargeable shall be at the rate prescribed in terms of Reserve Bank of India's directive relating to interest rates on advances issued from time to time"

The other provisions of the Directive DBOD No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(G.P.Muniappan)
Executive Director

DBOD No. Dir. BC. 152/13.03.00/2000

March 23, 2000
Chaitra 3, 1922 (Saka)

FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that in the Bank's directive DBOD No. BC.115/ 13.01.09/93 dated April 29, 1993, as amended from time to time, the existing sub-clause (b) of Clause (viii) shall be substituted by the following with immediate effect:

"(b) When an advance is granted against a term deposit which is not in the nature of sub-clause (a) above

i) the banks shall be free to charge interest rate without reference to the Prime Lending Rate, provided the advance is upto Rs. 2 lakhs, and

ii) if the advance exceeds Rs. 2 lakhs, the interest chargeable shall be at the rate prescribed in terms of Reserve Bank of India's directive relating to interest rates on advances issued from time to time."

The other provisions of the directive DBOD.No.BC. 115/13:01:09-93 dated April 29,1993, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(G.P. Muniappan)
Executive Director

DBOD. Dir.BC. 158/13.03.00/2000 **April 1, 2000**
Chaitra 12, 1922 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time.

2. It has since been decided to reduce the interest rate on domestic and ordinary non-resident savings deposits as well as savings deposits under Non-resident (External) Accounts Scheme by 0.5 percentage point from 4.5 per cent to 4.0 per cent per annum effective April 1, 2000.

3. All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

4. An amending directive DBOD.No.Dir. BC.157 /13.03.00/2000 dated April 1, 2000 is enclosed.

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

DBOD.No. Dir.BC. 157/13.03.00/2000

April 1, 2000
Chaitra 12, 1922 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985 as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that, the rate of interest on domestic and ordinary non-resident savings deposits as well as savings deposits under Non-resident (External) Accounts Scheme shall be 4.0 per cent per annum effective from April 1, 2000.

2. Accordingly, Annexure-I and Annexure-II of the directive DBOD.No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, may be amended. All other provisions shall remain unchanged.

(G. P. Muniappan)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC. 160/13.03.00/2000

April 1, 2000
Chaitra 12, 1922 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS -
CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

Please refer to our Notification DBOD. No.Dir.BC.53/13.03.00/99 dated May 22, 1999 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme, 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our Notification DBOD.No.Dir.BC. 159/13.03.00/2000 dated April 1, 2000 advising the revised rates of interest, is enclosed. The revised rates will come into effect from April 1, 2000.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 159/13.03.00/2000 **April 1, 2000**
Chaitra 12, 1922 (Saka)

NOTIFICATION

INTEREST RATES ON DEPOSITS - CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its Notification DBOD.No.Dir.BC.53/13.03.00/99 dated May 22, 1999, Reserve Bank of India, hereby specifies that the interest paid by the banks on deposits in Account "A" and "B" under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective April 1, 2000

Category of Account	**Per cent per annum**
i) Account "A"	4.0
ii) Account "B" 15 days and over	Free

(G.P. Muniappan)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC. 166/13.03.00/2000 **April 27, 2000**
Vaishakha 7, 1922 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its Directive DBOD. No. Dir. BC. 151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the clause (c) of paragraph 17 of the aforesaid Directive shall be substituted by the following:

"(c) discriminate in the matter of rate of interest paid on domestic term deposits and non-resident (external) rupee deposits, between one deposit and another, accepted on the same date and for the same maturity whether such deposits are accepted at the same office or at different offices of the bank, except in respect of single term deposit of Rs. 15 lakh and above on the basis of size of deposits, subject to the following conditions:

a) The permission to offer varying rates of interest for deposits of the same maturity shall apply to domestic term deposits and non-resident (external) rupee term deposits of Rs. 15 lakh and above. Banks may, therefore, offer same rate of interest or differential rates of interest for such term deposits of Rs. 15 lakh and above. For deposits below Rs. 15 lakh of the same maturity the same rate will apply.

b) Banks should disclose in advance the schedule of interest rates payable on deposits including deposits on which differential interest will be paid. Interest rates paid by the bank should be as per the schedule and not be subject to negotiation between the depositor and the bank.

2. The other provisions of Directive DBOD. No. Dir. BC. 151/C. 347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(G.P. Muniappan)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC. 167/13.03.00/2000 **April 27, 2000**
Vaishakha 7, 1922 (Saka)

FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that in the Bank's directives DBOD. No. Dir. BC. 95/C.347(I)-86 dated September 11, 1986 and DBOD. No. BC. 115/13.01.09/93 dated April 29, 1993 the existing clause 10(b) and paragraph (vi) respectively shall be substituted by the following paragraphs:

(i) 10. Prohibition

(b) discriminate in the matter of rate of interest paid on the deposits, between one deposit and another accepted on the same date and for the same maturity, whether such deposits are accepted at the same office or at different offices of the bank, except on the size group basis. The permission to offer varying rates of interest based on size of the deposits will be subject to the following conditions :

(1) Banks shall, at their discretion decide the currency-wise minimum quantum on which differential rates of interest may be offered. For the term deposits below the prescribed quantum with same maturity the same rate will apply.

(2) The differential rates of interest so offered shall be subject to the overall ceiling prescribed.

(3) Interest rates paid by the bank should be as per the schedule and not be subject to negotiation between the depositor and the bank.

(ii) Paragraph (vi) - Interest Rates

(a) In respect of deposits of maturity of one year and above and floating rate deposits, the interest shall be paid within the ceiling of Swap Rates for the respective currency/ maturity plus 50 basis points.

(b) The LIBOR/Swap Rates as on the last working day of the preceding week would form the basis for fixing the ceiling rates for the interest rates that would be offered effective the following week.

(c) Banks shall have the option to choose the current Swap Rates quoted on any online screen based information system while offering FCNR (B) deposits.

2. The other provisions of Directives DBOD. No. Dir. BC. 95/C.347(I)-86 dated September 11, 1986 and DBOD. No. Dir BC. 115/13.01.09/93 dated April 29, 1993, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(G. P. Muniappan)
Executive Director

Relevant Extract of circular DBOD. No. Dir. BC. 168 / 13.03.00 / 2000 dated April 27, 2000 is reproduced below :-

(iii) Online screen based Swap Rates for FCNR(B) deposits

At present, in terms of our circular DBOD.No.Dir.BC. 41B/13.03.00/99 dated April 28, 1999, in the case of FCNR(B) deposits, Swap Rates as on the last working day of the preceding week form the base for fixing the ceiling rates for the interest rates that are effective the following week. In order to make the market more "online", it has been decided to give the banks the option to choose, at their discretion, the current Swap Rates while offering FCNR(B) deposits. Thus, the banks will have the freedom to refer to the Swap Rates quoted on any online screen based information system.

(iv) Differential interest rate on NRE/FCNR(B) deposits

Presently, banks are free to offer, at their discretion, differential rates of interest on domestic term deposits of the same maturity of Rs.15 lakh and above. Banks also enjoy freedom to offer fixed/floating rates on NRE/FCNR(B) term deposits. It has been decided to permit banks to offer, at their discretion, differential rates of interest also on NRE/FCNR(B) term deposits on size group basis. In the case of NRE term deposits, it will be on the lines of domestic term deposits as specified in paragraph 1(c) of our circular DBOD.No.Dir.BC. 36/13.03.00/98 dated April 29, 1998. In the case of FCNR(B) deposits, banks shall have discretion to decide currency-wise minimum eligible quantum qualifying for such differential rates of interest. The rates offered should, however, be subject to overall ceiling prescribed.

Note :- The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

Relevant Extract of circular DBOD. No. BP. BC. 169 / 21.01.002/2000 dated May 3, 2000 is reproduced below :-

1. Certificate of Deposits (CDs) Scheme

In terms of paragraph 5 of our Circular DBOD. NO.BP.BC.134/65-89 dated 6 June, 1989 on the scheme of Certificate of Deposits (CDs), the maturity period of CDs should not be less than 3 months. With a view to bringing it on par with other instruments such as Commercial Paper (C P) and term deposits, **it has been decided that the minimum maturity of CDs should be reduced to 15 days. Accordingly, the minimum maturity of CDs issued by banks will henceforth be 15 days. In terms of circular DBOD. No. Dir. BC. 36/13.03.00/98 dated April 29, 1998, the minimum lock-in period of CDs has already been reduced to 15 days. All other terms and conditions relating to the issue of CDs by banks remain unchanged.**

Note :- The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

DBOD No.Dir.BC. 179/13.01.16/99-2000 **May 26, 2000**
Jyestha 5, 1922 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988 –
RENEWAL OF OVERDUE TERM DEPOSIT

A clarification has been sought whether a bank can renew an overdue term deposit under the Capital Gains Account Scheme, 1988 from the date of its maturity with retrospective effect and pay interest for the overdue period. The matter has been examined by us in consultation with the Government of India and Central Board of Direct Taxes.

2. Accordingly, it has been decided that a bank may renew an overdue term deposit under the Capital Gains Account Scheme and allow interest on such renewed term deposit or a portion thereof from the date of the maturity of the deposit, provided that –

i) the total amount of overdue term deposit or a part thereof is renewed from the date of its maturity till some future date;

ii) the interest allowed shall be at the appropriate rate operative on the date of maturity of such overdue term deposit; and

iii) the interest so paid from the date of the maturity/renewal shall be subject to the rules under the Income Tax Act, 1961.

Yours faithfully,

(P. V.Subba Rao)
Chief General Manager

SECTION III

REVIEW OF CREDIT POLICY/ REFINANCE TO BANKS



DBOD. No.FSC.BC. 20/24.92.001/99

March 10, 1999
Phalguna 19, 1920 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE/ TERM MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIMARY DEALERS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.28/24.91.001/97 dated April 9, 1997 on the captioned subject. It has been decided to allow the following four Primary Dealers to participate in the Call/Notice/Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme, **both as lenders and borrowers.**

1. ABN Amro Securities (India) Pvt. Ltd.
2. Ceat Financial Services Ltd.
3. J.P. Morgan Securities India Pvt. Ltd.
4. Tata Finance Securities Ltd.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 23/24.91.001/99 **March 27, 1999**
Chaitra 6, 1921 (Saka)

All Commercial Banks and other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market.

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC.28/24.91.001/99 dated April 9, 1999 on the above subject. It has been decided to permit Kotak Mahindra Mutual Fund to participate **only as a lender** in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 27/24.91.001/99

April 7, 1999
Chaitra 17, 1921 (Saka)

All Commercial Banks and other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market.

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC.23/24.91.001/99 dated March 27, 1999 on the above subject. It has been decided to permit Infrastructure Leasing and Financial Services Limited Mutual Fund (IL&FS MF) to participate **only as a lender** in the Call/ Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99

April 24,1999
Vaishakha 4, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

MONETARY AND CREDIT POLICY MEASURES

Please refer to Governor's letter No.MPD.BC.185/07.01.279/98-99 dated April 20, 1999 enclosing a copy of the statement on "Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000". The guidelines in regard to the policy measures indicated therein, are given below:

1) Rationalisation of Interest Rates

In terms of our circular DROD.No.BP.BC.115/13.07.01/94 dated October 17, 1994 banks are free to prescribe their own lending rates, which should be the Prime Lending Rate (PLR), for credit limits of over Rs.2 lakhs, with the approval of their Boards after duly taking into consideration their cost of funds, transaction cost and minimum spread over the PLR. The only lending rates now prescribed by the Reserve Bank are the concessional rates below the PLR of the respective banks for certain sectors like exports, small loans upto Rs. 2 lakh, and under the Differential Rate of Interest scheme. Banks have been permitted to prescribe separate PLRs for short-term credit and long-term credit for 3 years and above. With a view to providing some more flexibility to banks, the following measures in respect of interest rates have been introduced with immediate effect:

(i) Tenor Linked PLRs

The PLR system with a spread between PLR and the maximum lending rate that is determined by the banks' Boards has been in operation for some time now and has by and large served the purpose of ensuring transparency and objectivity. There have been requests from banks and borrowers for tenor linked PLR i.e. PLR for different maturities.

It has, therefore, been decided to provide banks with freedom to operate different PLRs for different maturities provided the transparency and uniformity of treatment originally envisaged continues to be maintained.

(ii) Fixed Rate Loans for project finance

Similarly, industries, especially those requiring project finance, have been requesting for fixity of interest rates on term loans.

It has been decided to permit banks to offer fixed rate loans subject to conformity to Asset Liability Management (ALM) guidelines.

(iii) Advances against domestic/NRE term deposits

As per the instructions contained in Item 2(ii) of RBI circular DBOD No. Dir.BC. 36/13.03.00/ 98 dated April 29, 1998, interest rates chargeable on loans and advances granted to depositors against their domestic/NRE term deposits should not exceed PLR. While PLR has been coming down, the interest rates on deposits have remained unaltered on the existing deposits. In certain cases, this has resulted in the interest rates on advances based on PLR being lower than the interest rates an deposits themselves.

In order to remove this anomaly, it has been decided that in cases where deposit rates are equal to or more than PLR or less than one percentage point below PLR, the banks will have freedom to charge suitable rates of interest on advances against domestic/NRE term deposits without reference to the ceiling of PLR. Thus, the interest rates on advances shall invariably be more than the interest rates paid on respective deposits.

The effective date of changes mentioned above shall be announced by the banks as early as possible.

The amending Directive DBOD No. Dir.BC.36/13.01.04/99 dated April 23, 1999 is enclosed.

(iv) Asset-Liability Management Committee

Banks have been representing that the present requirement that changes in deposit rates and lending rates should be approved by the Board of Directors of the bank restricts the ability of banks to respond promptly to changes in interest rates environment.

Accordingly, it has been decided that the Boards of Directors of banks may authorise the Asset-Liability Management Committee to fix interest rates on Deposits and Advances subject to reporting to the Board immediately thereafter.

2. Prudential Norms

(i) Valuation of banks' investments in approved securities

With a view to adopting prudent accounting standards and moving towards "mark to market" valuation of the investment portfolio, banks were advised in paragraph 5 of Circular DBOD.No.Dir.BC.36/13.03.00/98 dated April 29, 1998 to classify a minimum of 70 per cent of their investment in approved securities as "current" investments for the year ended March 1999.

It has been decided that for the year ending March 31, 2000, banks shall classify a minimum of 75 per cent of their investments in approved securities as "current" investments.

(ii) Issue of sub-ordinated debt for raising Tier II Capital

In terms of instructions contained in Circular DBOD.No.BP.SC.5/21.01.002/ 98-99 dated February 8, 1999, banks were given autonomy to raise rupee denominated subordinated debt as Tier II Capital, subject to the terms of issue of the bonds being in conformity with the conditions indicated therein.

It has been observed that there has been a high level of cross holding of such instruments among banks and financial institutions, without necessarily leading to accretion of capital to the financial system.

It has been decided that a bank's aggregate investment in Tier II bonds issued by other banks and financial institutions shall be permitted up to 10 per cent of the investing bank's total capital. The total capital for this purpose will be the same as that reckoned for the purpose of capital adequacy. In case any bank has already exceeded this limit of 10 per cent, a reference may be made to RBI indicating the period within which the exposure would be brought within the stipulated limit.

It is reiterated in this connection that investments by banks in Tier II bonds of other banks/financial institutions would carry 100 per cent risk weight [vide paragraph 2(d)] of Circular DROD.No.BP.BC.103/21.01.002/98 dated 31st October, 1998.]

(iii) Asset Classification - Rescheduled Loans

As per the present guidelines contained in Para 2.B (ii) of Circular BP.BC.129/21.04.043/92 dated April 27,1992, an advance where the terms of the loan agreement regarding interest and principal have been renegotiated or rescheduled after commencement of production, should be classified as sub-standard and should remain in that category for at least two years of satisfactory performance under the renegotiated or rescheduled term. We have been receiving representations from banks that in certain situations (e.g. cyclical down-turn) where loans have been rescheduled, but where borrowers have started servicing their loans on a regular basis after a short gap, the prescribed waiting period of two years is too long.

It has been decided that the period of two years may be reduced to one year (or four quarters) if the interest and instalment of loans have been serviced regularly as per the terms of reschedulement. The above instructions will be applicable for asset classification with effect from the year ended March 31, 1999.

(iv) Bank's investments in Venture Capital

In terms of circular DBOD.No.Dir.BC.78/13.07.05/98-99 dated August 8, 1998 banks have been permitted to invest in units of dedicated venture capital funds meant for information technology within the ceiling of 5% of incremental deposits of the previous year prescribed for investment in equity shares including PSU shares, convertible debentures of corporates and in units of Mutual Funds Schemes the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt instruments.

In order to encourage the flow of finance for venture capital, it has been decided that the above overall ceiling of 5% will stand automatically enhanced to the extent of bank's investment in venture capital (including units of dedicated Venture Capital funds meant for Information Technology), subject to the condition that the venture capital funds/companies are registered with SEBI.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

Note : The amending directive DBOD. No. Dir. BC. 36/13.01.04/99 dated April 23, 2000 is shown in chapter No. II - 'Deposits.'

DBOD. No.FSC.BC. 56/24.92.001/99

May 27, 1999
Jyestha 6, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE/TERM MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIMARY DEALERS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.20/24.92.001/97 dated March 10, 1999 on the captioned subject. It has been decided to allow the following three Primary Dealers to participate in the Call/Notice/Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme, **both as lenders and borrowers.**

1. Kotak Mahindra Capital Company (Unlimited)
2. DSP Merrill Lynch Ltd.
3. Deutsche Securities (India) Pvt. Ltd.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 58/24.91.001/99

May 28, 1999
Jyestha 7, 1921 (Saka)

All Commercial Banks and other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market.

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC.27/24.91.001/99 dated April 7, 1999 on the above subject. It has been decided to permit Dundee Mutual Fund to participate **only as a lender** in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 64/24.91.001/99

July 1, 1999
Aashadha 10, 1921 (Saka)

All Commercial Banks and other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market.

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC.58/24.91.001/99 dated May 28, 1999 on the above subject. It has been decided to permit ING Savings Trust Mutual Fund to participate **only as a lender** in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.BC. 75/24.01.001/98/99

July 29, 1999
Shravana 7, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC.68/24.91.001-95 dated 27th June 1995 in terms of which 20th Century Mutual Fund, was permitted access in the call/notice money/ bills rediscounting market as lender. With the change in name of 20th Century Mutual Fund to Zurich India Mutual Fund, it is advised that Zurich India Mutual Fund is permitted to participate, only as a lender, in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.BP.BC. 82/21.03.038/99

August 18, 1999
Shravana 27, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir

MONETARY & CREDIT POLICY MEASURES

Please refer to our circular DBOD.No.BP.BC.103/21.01.002/98 dated October 31, 1998 and DBOD.No.BP.BC.35/21.01.002/99 dated April 24, 1999 containing guidelines on Monetary and Credit Policy Measures.

2. We shall be glad to be advised of the steps taken to comply with the prudential norms as advised in the above circulars on capital adequacy, asset classification and provisioning requirements as also other organizational issues (as per details given in the Annexure), within the time schedule prescribed. The report in this regard should reach us by September 30, 1999.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager.

ANNEXURE

1. Enhancement of minimum CRAR from 8% to 9% with effect from the year ending 31st March, 2000.
2. Assignment of risk weight of 2.5% for market risk for investments in Government and other approved securities with effect from the year ending 31st March 2000.
3. Assignment of 20% risk weight on investments in the Government guaranteed securities of Government undertakings, which do not form part of the approved market borrowing programme from the financial year 2000-2001.
4. Assignment of 20% risk weight on investments in other approved securities where payment of interest and repayment of principal are not guaranteed by Central/State Government.
5. Assigning uniform risk weight of 20% on investments in bonds/debentures of PFIs.
6. Assignment of risk weight of 20% on loans and advances guaranteed by State Governments, where the guarantees have been invoked and the concerned State Government had defaulted. Risk weight to be made 100% for such loans and advances, where the concerned State Government continues to be in default in respect of such invoked guarantees beyond 31st March, 2001.
7. Provisioning for NPAs consequent on reduction in the time frame for sub-standard assets to be downgraded to doubtful assets from 24 months to 18 months, by March 31, 2001.
8. Provisioning requirements in respect of advances guaranteed by a State Government where guarantee has been invoked and the concerned State Government has defaulted (vide para 5(b) of circular BP.BC.103 dated 31st October 1998).
9. General provision of 0.25% on standard assets for the year ending 31st March, 2000.
10. Banks to take effective steps for reduction of NPAs and also to put in place risk management systems and practices.
11. Banks should bring out revised operational manuals and update them regularly.
12. Setting up of a loan review mechanism for larger advances soon after its sanction for continuous monitoring.
13. More focus needs to be given in training in areas like Credit Management, Treasury Management, Derivative Products, ALM System, Risk Management, Payment and Settlement System and Information Technology.
14. For the year ending 31st March 2000, banks shall classify a minimum of 75% of their investments in approved securities as "Current" investments.
15. A bank's aggregate investment in Tier II bonds issued by other banks and financial institutions shall be permitted upto 10% of the investing bank's total capital. In case any bank has already exceeded this limit of 10% a reference may be made to Reserve Bank of India indicating the period within which the exposure would be brought within the stipulated limit.

DBOD. No.FSC.BC. 92/24.91.001/99

September 23, 1999
Ashwina 1, 1921 (Saka)

All Commercial Banks and other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market.

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC.64/24.91.001/99 dated July 1, 1999 on the above subject. It has been decided to permit Cholamandalam Cazenove Mutual Fund to participate **only as a lender** in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 102/24.92.001/99

October 21, 1999
Ashwina 29, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE/TERM MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIMARY DEALERS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC.56/24.92.001/99 dated May 27, 1999 on the captioned subject. It has been decided to allow the IDBI Capital Market Services Ltd. a new Primary Dealer to participate in the Call/Notice/Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme, **both as a lender and borrower.**

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD No. Dir.BC. 114/13.03.00/99

October 29, 1999
Kartika 7, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

MID-TERM REVIEW OF MONETARY AND CREDIT POLICY 1999-2000

Please refer to our Governor's letter No.MPD.BC.190/07.01.279/99-2000 dated 29 October 1999 enclosing a copy of the statement on "Mid-Term Review of Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000". The guidelines in regard to the policy measures relating to interest rates on advances and amendments in FCNR(B) deposit scheme, are given below:

I. Review of norms relating to Prime Lending Rates

(a) Currently, loans up to Rs.2 lakh carry the prescription of not exceeding the Prime Lending Rate and on the loans above Rs.2 lakh Prime Lending Rate is the minimum lending rate. Keeping in view the suggestions received from the banks and other market participants the existing Prime Lending Rate norms have been further reviewed and it has been decided that banks shall be given freedom to charge interest rates without reference to their own Prime Lending Rate, in respect of the following categories:

(i) Loans covered by refinance scheme of term lending institutions
(ii) Interest rates on bank lending to intermediary agencies including housing finance intermediary agencies
(iii) Bill discounting by banks
(iv) Advances/overdrafts against domestic/NRE/FCNR(B) deposits

(b) Advances against domestic/NRE/FCNR(B) term deposits

As per the instructions contained in Item 1(iii) of RBI circular DBOD No. BP. BC. 35/ 21.01.002/99 dated April 24, 1999 interest rates chargeable on loans and advances granted to depositors against their domestic/NRE term deposits should be equal to bank's Prime Lending Rate or less, except in cases where deposit rates are equal to or more than Prime Lending Rate or less than one percentage point below the Prime Lending Rate in which case the banks have freedom to charge suitable rates of interest without

reference to the ceiling of Prime Lending Rate. Loans against NRE deposits to the depositors when repaid in Rupees are subject to Prime Lending Rate stipulations. Loans and overdrafts against FCNR(B) deposits are also subject to Prime Lending Rate norms in terms of circular DBOD No. Dir.BC.133/13.01.09/97 dated October 21, 1997.

It has been decided to give freedom to banks to charge interest rates on loans against domestic/NRE (irrespective of repayment of loan in Foreign Currency or Rupee)/FCNR(B) deposits to the depositors without reference to their own Prime Lending Rate.

II. Minimum period of maturity for FCNR(B) deposits

In terms of Clause (vii) of circular DBOD No. BC. 116/13.01.09/93 dated April 29, 1993, the minimum period of maturity for FCNR(B) deposits is six months. In line with the policy of minimizing country's short term external borrowing liabilities, it has been decided that the minimum maturity for FCNR(B) deposits be raised to one year from six months. Banks, however, will continue to have the freedom to offer floating rate deposits (with a maturity of one year or more and interest reset period of six months).

Amending Directives DBOD No. Dir.BC.106/13.07.01/99, 107/13.01.04/99 and 108/13.01.09/99 dated October 29, 1999, are enclosed.

Yours faithfully

(A.L. Narasimhan)
Chief General Manager

Note : The amending directives DBOD. No. Dir. BC. 106/13.03.00/99, 107/13.01.04/99 & 108/13.01.09/99 all dated 29/10/1999 are shown in respective chapters i.e. Chapter V - 'Advances', Chapter II - 'Deposits' & Chapter II - 'Deposits.'

DBOD. No.BP.BC. 121/21.04.124/99

November 3, 1999
Kartika 12, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

MONETARY AND CREDIT POLICY MEASURES

Please refer to Governor's letter No.MPD.BC.190/07.01.279/99-2000 dated October 29, 1999 enclosing a copy of the Statement on "Mid-Term Review of Monetary and Credit Policy for the Year 1999-2000". The guidelines in regard to **prudential norms** in terms of paragraph 45 of the Statement are given below :

i) Risk weight on non-SLR securities

In terms of circular DBOD.No.BP.BC.103/21.01.002/98 dated October 31, 1998, investments in Government and other approved securities have been assigned a risk weight of 2.5 per cent for market risk with effect from the year ending March 31, 2000. **It has now been decided that banks' investments in all securities including securities outside SLR, should be assigned a risk weight of 2.5 per cent for *market risk* with effect from the year ending March 31, 2001.This will also be applicable to investments in securities carrying 100% risk weight since in line with best practices, some capital cushion should also be provided for market risk in addition to credit risk.**

ii) Limits on credit exposure to individual borrowers

In terms of Circular DBOD.No.BP.BC.132/66-89 dated May 26, 1989, the ceiling on a bank's exposure to an individual borrower has been fixed at 25 per cent of the bank's capital funds. **With a view to moving closer to the international standard of 15 per cent, in phases, it has been decided to lower the exposure ceiling in respect of an individual borrower from the present level of 25 per cent to 20 per cent of the bank's capital funds effective April 1, 2000. Banks are advised that where the existing level of exposure as on October 31, 1999, is more than 20 per cent, they should reduce the exposure to 20 per cent of capital funds over a two year period (i.e. by end October, 2001).**

The other terms and conditions indicated in the circular of May 26, 1989 will remain unchanged.

Yours faithfully,

(A.L. Narasimhan)
Chief General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 143/24.92.001/2000

February 23, 2000
Phalguna 4, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE/ TERM MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME - PRIMARY DEALERS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.102/24.92.001/99 dated October 21, 1999 on the captioned subject. It has been decided to allow Corpbank Securities Ltd., a new Primary Dealer to participate in the Call/Notice/Term Money Market and Bills Rediscounting Scheme, **both as a lender and borrower.**

2. Amendments may please be carried out to Part A of Annexure I and to Annexure II to Paragraph 22.6 of the Manual of Instructions Vol. I - Part II by adding the name of the above institution.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 168/13.03.00/2000 **April 27, 2000**
Vaishakha 7, 1922 (saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

MONETARY AND CREDIT POLICY FOR THE YEAR 2000-2001
INTEREST RATE POLICY

Please refer to our Governor's letter No.MPD.BC. 196/07.01.279/99-2000 dated 27 April 2000 enclosing a copy of the statement on "Monetary and Credit Policy for the Year 2000-2001". As you are aware, the Reserve Bank of India has been adopting a policy of progressive deregulation of interest rates on deposits and advances. With the objective of providing more operational flexibility and eliminating rigidities, the following measures have been introduced with immediate effect.

(i) Tenor-Linked PLR

Banks have been provided the freedom to operate different PLRs for different maturities. It is observed that some banks are declaring a stand alone PLR in addition to tenor linked PLRs. It has been decided that the banks, which have moved over to declaration of tenor-linked PLRs should always indicate the specific tenor for which the declared PLR is applicable.

(ii) Fixed Rate Loans

As clarified in our circular DBOD.No.Dir.BC. 100/13:07:01-99 dated October 11, 1999, the facility to offer fixed rate term loans is available for all term loans and for all purposes including small loans upto Rs. 2 lakh, subject to conformity to Asset-Liability Management (ALM) Guidelines. It has been decided to grant freedom to banks to offer all loans on fixed or floating rates. However, banks should ensure that the PLR stipulations as applicable are complied with. The nature of alignment with PLR i.e. whether it is at the time of sanction or disbursement of the loan, should be made explicit at the time of sanction of the loan. However, for small loans up to Rs. 2 lakh, the stipulation of 'not exceeding PLR' (for relevant maturity) will continue to be applicable.

(iii) On-line screen based Swap Rates for FCNR(B) deposits

At present, in terms of our circular DBOD.No.Dir.BC. 41B/13:03:00-99 dated April 28, 1999, in the case of FCNR(B) deposits, Swap Rates as on the last working day of the preceding week form the base for fixing the ceiling rates for the interest rates that are effective the following week. In order to make the market more "online", it has been decided to give the banks the option to choose, at their discretion, the current Swap Rates while offering FCNR(B) deposits. Thus, the banks will have the freedom to refer to the Swap Rates quoted on any online screen based information system.

(iv) Differential interest rate on NRE/FCNR(B) deposits

Presently, banks are free to offer, at their discretion, differential rates of interest on domestic term deposits of the same maturity of Rs.15 lakh and above. Banks also enjoy freedom to offer fixed/floating rates on NRE/FCNR(B) term deposits. It has been decided to permit banks to offer, at their discretion, differential rates of interest also on NRE/FCNR(B) term deposits on size group basis. In the case of NRE term deposits, it will be on the lines of domestic term deposits as specified in paragraph 1(c) of our circular DBOD.No.Dir.BC. 36/13:03:00-98 dated April 29, 1998. In the case of FCNR(B) deposits, banks shall have discretion to decide currency-wise minimum eligible quantum qualifying for such differential rates of interest. The rates offered should, however, be subject to overall ceiling prescribed.

Amending directives DBOD.No.Dir.BC. 166 & 167/13.03.00-2000 dated April 27, 2000 are enclosed.

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

Note : The amending directives DBOD. No. Dir. BC. 166/13.03.00/2000 & 167/13.03.00/2000 both dated April 27, 2000 are shown in respective chapters. i.e. Chapter II - 'Deposits.'

DBOD. No.BP. BC. 169/21.01.002/2000 **May 3, 2000**
Vaishakha 13, 1922 (Saka)

All commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

MONETARY AND CREDIT POLICY MEASURES

Please refer to Governor's letter No.MPD.BC. 196/ 07.01.279 / 99-2000 dated April 27, 2000 enclosing a copy of the Statement on 'Monetary and Credit Policy for the year 2000-2001'. The guidelines in regard to some of the policy changes indicated therein are given below:

1. Certificate of Deposits (CDs) Scheme

In terms of paragraph 5 of our Circular DBOD. NO.BP.BC.134/65-89 dated 6 June, 1989 on the scheme of Certificate of Deposits (CDs), the maturity period of CDs should not be less than 3 months. With a view to bringing it on par with other instruments such as Commercial Paper (C P) and term deposits, **it has been decided that the minimum maturity of CDs should be reduced to 15 days. Accordingly, the minimum maturity of CDs issued by banks will henceforth be 15 days. In terms of circular DBOD. No. Dir. BC. 36/13.03.00/98 dated April 29, 1998, the minimum lock-in period of CDs has already been reduced to 15 days.**

All other terms and conditions relating to the issue of CDs by banks remain unchanged.

2. Cash Balances required to be maintained by banks

Please refer to para (b) of our circular DBOD. NO.BC. 128/12.01.001/94-95 dated October 24, 1994, in terms of which Scheduled Commercial Banks should maintain a minimum level of 85 per cent of CRR balances required to be maintained by banks on each of the days of the reporting fortnight beginning the first working day upto the 13th day and on the 14th day of the reporting fortnight , banks are allowed to maintain less than 85 per cent of the required cash balances to adjust the average of daily balances to the required level.

With a view to providing further flexibility to banks and enabling them to choose an optimum strategy of holding reserves depending upon their intra - period cash flows, it has been decided to reduce the requirement of minimum of 85 per cent of the CRR balances to be maintained to 65 per cent with effect from the fortnight beginning May 6, 2000.

3. Capital adequacy for subsidiaries

Presently, the balance sheet of subsidiaries of banks is neither consolidated with that of the parent bank nor has any uniform Capital Adequacy norm been prescribed for subsidiaries. The Basel Committee on Banking Supervision has proposed that the New Capital Adequacy Framework should be extended to include, on a consolidated basis, holding companies that are parents of banking groups. On prudential considerations, it is necessary to adopt best practices in line with international standards, while duly reflecting local conditions.

Banks are advised that they may on their own voluntarily build-in the risk weighted components of their subsidiaries into their own balance sheet on notional basis, at par with the risk weights applicable to the bank's own assets. Banks should therefore, earmark additional capital in their books over a period of time so as to obviate the possibility of impairment to their net worth when switchover to unified balance sheet for the group as a whole is adopted after some time. The additional capital required may be provided in the bank's books in phases, beginning from the year ending March, 2001.

4. Credit Information Bureau

The report of the Working Group set up by RBI to work out the modalities for setting up a Credit Information Bureau in the country had been circulated to banks. The Credit Information Bureau is expected to expedite credit and investment decisions by banks and financial institutions as also curb growth of fresh NPAs through better institutional mechanism. To begin with, State Bank of India has entered into an MoU with Housing Development Finance Corporation (HDFC) to set up a Credit Information Bureau and the modalities for setting up of the Bureau in regard to ownership and equity participation, management structure, security standards, rights and liabilities of the Bureau, etc. are being worked out. The proposed Bureau will have to collect credit and other information on various parties for sharing among the intended parties.

The banks and financial institutions are advised to make the necessary in-house arrangement for gathering and collection of such information in one place for transmitting it to the Bureau, as and when it is established.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 173/13.07.05/99-2000 **May 12, 2000**
Vaishakha 22, 1922 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

REDISCOUNTING OF BILLS BY BANKS

Please refer to paragraph 3 of our circular DBOD No.Dir.BC.107/ 13.07.05/98-99 dated November 11, 1998 in terms of which banks have been allowed to rediscount bills discounted by NBFCs arising from the sale of commercial vehicles including light commercial vehicles subject to their normal lending safeguards.

2 We have been receiving requests from various NBFCs to allow them to avail of bills rediscounting facility with banks/financial institutions in respect of bills arising out of sale of two wheeler/three wheeler vehicles. We understand that the sale of such vehicles has increased substantially during the last few years. The market size of these vehicles has also expanded considerably, particularly in rural areas. Over a period of time, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) have acquired considerable experience in assessing the credit risk of dealers of such vehicles as well as the individual customers. They are also in a position to meet the increasing demand for financing the consumers' needs in this sector.

3 In view of the above, it has been decided that banks may rediscount bills discounted by NBFCs arising from sale of two wheeler and three wheeler vehicles subject to the following conditions:

(i) the bills should have been drawn by the manufacturers on dealers only;

(ii) the bills should represent genuine sale transactions as may be ascertained from the chasis/engine number; and

(iii) before rediscounting the bills, the banks should satisfy themselves about the bonafides and track-record of NBFCs which have discounted the bills.

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 177/24.91.001/2000 **May 23, 2000**
Jyestha 2, 1922 (Saka)

All Commercial Banks and other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market.

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME – PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC.92/24.91.001/99 dated September 23, 1999 on the above subject. It has been decided to permit ANZ Grindlays Mutual Fund to participate **only as a lender** in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

SECTION IV

INVESTMENTS

DBOD. No.FSC.BC. 7/24.76.002/99

February 10, 1999
Magha 21, 1920 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.117/24.76.002/99 dated December 15, 1998 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the following two Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

12.29 per cent Government Stock, 2010
12.32 per cent Government Stock, 2011

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 6/24.76.002/99 dated February 10, 1999 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 6/24.76.002/99 **February 10, 1999**
Magha 21, 1920 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O.2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S.O.425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the following two Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in the said Government securities subject to the condition that

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in the said two Government securities only at Mumbai.

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

12.29 per cent Government Stock, 2010
12.32 per cent Government Stock, 2011

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD. No.Dir.BC. 13/13.07.05/99

February 23, 1999
Phalguna 4, 1920 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INVESTMENTS IN AND UNDERWRITING OF SHARES AND DEBENTURES OF CORPORATE BODIES

Please refer to our circular DBOD.No.Dir.BC. 78/13.07.05/98-99 dated August 8, 1998 on the above subject. We advise that the last sentence in the circular may please be substituted as under:

'It is clarified that investments in the units of dedicated venture capital funds meant for Information Technology is also eligible for inclusion within the five per cent limit prescribed for investments in equity instruments'.

Yours faithfully,

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 33/24.76.002/99

April 21, 1999
Vaishakha 1, 1921 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.7/24.76.002/99 dated February 10, 1999 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.99 per cent Government Stock, 2009 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD.No.FSC.BC.32 /24.76.002/99 dated April 21, 1999 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(N.H. Siddiqui)
Chief General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 32/24.76.002/99

April 21, 1999
Vaishakha 1, 1921 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O.2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S.O.425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 11.99 per cent Government Stock, 2009 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.99 per cent Government Stock, 2009 subject to the condition that –

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.99 per cent Government Stock, 2009 only at Mumbai.

ii) Such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

Relevant Extract of circular DBOD. No. BP.BC. 35/21.01.002/99 dated April 24, 1999 is reproduced below :-

2. (iv) Bank's investments in Venture Capital

In terms of circular DBOD.No.Dir.BC.78/13.07.05/98-99 dated August 8, 1998 banks have been permitted to invest in units of dedicated venture capital funds meant for information technology within the ceiling of 5% of incremental deposits of the previous year prescribed for investment in equity shares including PSU shares, convertible debentures of corporates and in units of Mutual Funds Schemes the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt instruments.

In order to encourage the flow of finance for venture capital, it has been decided that the above overall ceiling of 5% will stand automatically enhanced to the extent of bank's investment in venture capital (including units of dedicated Venture Capital funds meant for Information Technology), subject to the condition that the venture capital funds/companies are registered with SEBI.

Note :- The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

DBOD.No.FSC.BC. 39/24.76.002/99

April 23,1999
Vaishakha 3, 1921 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 33/24.76.002/99 dated April 21, 1999 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.68 per cent Government Stock, 2006 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD. No. FSC. BC. 38/24.76.002/99 dated April 23, 1999 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(N. H. Siddiqui)
Chief General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 38/24.76.002/99

April 23, 1999
Vaishakha 3, 1921 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O.2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S.O.425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 11.68 per cent Government Stock, 2006 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.68 per cent Government Stock, 2006 subject to the condition that –

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.68 per cent Government Stock, 2006 only at Mumbai.

ii) Such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD. No.FSC.BC. 74/24.76.002/99 **July 27, 1999**
Shravana 5, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.39/24.76.002/98 dated May 6, 1998 on the above subject.

2. The Government of India vide their notification dated July 14, 1999 (copy enclosed) have notified the following institutions (24 of which were earlier permitted to undertake only reverse ready forward transactions) as eligible institutions in addition to the institutions indicated earlier to undertake ready forward transactions in Treasury Bills and in such dated securities of the Government of India as are approved by the RBI in consultation with the Government.

- Canbank Mutual Fund;
- Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd;
- Export Import Bank of India;
- General Insurance Corporation of India;
- GIC Mutual Fund;
- Indian Bank Mutual Fund;
- Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd.,
- Industrial Development Bank of India;
- IDBI Mutual Fund;
- ITC Thread Needle Mutual Fund;
- Life Insurance Corporation of India;
- National Bank for Agriculture and Rural Development;
- National Housing Bank;
- New India Assurance Company Ltd.,
- Oriental Insurance Company Ltd.,
- Reliance Capital Mutual Fund;
- SBI Mutual Fund;

- Small Industries Development Bank of India;
- Unit Trust of India;
- LIC Mutual Fund;
- J.M. Mutual Fund;
- Birla Mutual Fund;
- Kothari Pioneer Mutual Fund;
- Jardine Fleming Mutual Fund;
- Kotak Mahindra Mutual Fund;
- JP Morgan Securities India Private Ltd.;
- ABN AMRO Securities (India) Pvt. Ltd.,
- Deutsche Securities (India) Private Ltd.;
- Industrial Investment Bank of India Ltd.,
- Bank of India Mutual Fund;
- Sun F & C Mutual Fund;
- Prudential ICICI Mutual Fund;
- Housing Development Finance Corporation Ltd;
- Stock Holding Corporation of India Ltd.;
- SICOM Limited.

It would, therefore, be in order for banks to enter into ready forward transactions in the specified securities with the above institutions.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II SECTION 3 - SUBSECTION (ii).

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Capital Market and External Commercial Borrowing Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 July, 1999

SO,.....(E) In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) number S.O. 2561, dated the 27th June, 1969, namely :-

In the said notification,-

(a) in the second proviso, after serial number (xvii), the following serial numbers shall be inserted, namely :-

" (xviii) Canbank Mutual Fund;
(xix) Export Credit Guarantee Corporation of India Limited;
(xx) Export Import Bank of India;
(xxi) General Insurance Corporation of India;
(xxii) GIC Mutual Fund;
(xxiii) Indian Bank Mutual Fund;
(xxiv) Industrial Credit & Investment Corporation of India Limited;
(xxv) Industrial Development Bank of India;
(xxvi) IDBI Mutual Fund;
(xxvii) ITC Thread Needle Mutual Fund;
(xxviii) Life Insurance Corporation of India;
(xxix) National Bank for Agriculture and Rural Development;
(xxx) National Housing Bank;
(xxxi) New India Assurance Company Limited;
(xxxii) Oriental Insurance Company Limited;
(xxxiii) Reliance Capital Mutual Fund;
(xxxiv) SBI Mutual Fund;
(xxxv) Small Industries Development Bank of India;

(xxxvi) Unit Trust of India;
(xxxvii) LIC Mutual Fund;
(xxxviii) J. M. Mutual Fund;
(xxxix) Birla Mutual Fund;
(xl) Kothari Pioneer Mutual Fund;
(xli) Jardine Fleming Mutual Fund;
(xlii) Kotak Mahindra Mutual Fund;
(xliii) JP Morgan Securities India Private Limited;
(xliv) ABN AMRO Securities (India) Pvt. Limited;
(xlv) Deutsche Securities (India) Private Limited;
(xlvi) Industrial Investment Bank of India Limited;
(xlvii) Bank of India Mutual Fund;
(xlviii) Sun F & C Mutual Fund;
(xlix) Prudential ICICI Mutual Fund;
(l) Housing Development Finance Corporation Limited;
(ii) Stock Holding Corporation of India Limited;
(iii) SICOM Limited".

(b) the third proviso shall be omitted;
(c) in the fourth proviso, the words "and third proviso" shall be omitted;
(d) in the Explanation occurring below the fourth proviso, after serial number (xxvii-n), the following serial numbers shall be inserted, namely :-

'(xxvii-o) "Kotak Mahindra Mutual Fund" means a trust sponsored by Kotak Mahindra Finance Limited and managed by Kotak Mahindra Asset Management Company Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at 229 Bakhtawar, 2nd floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021;

(xxvii-p) "J. P. Morgan Securities India Private Limited" means a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Vakil's House, 1st Floor, 18, Sprott Road, Ballard Estate, Mumbai - 400 001;

(xxvii-q) "ABN AMRO Securities (India) Pvt. Limited" means a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at 102, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai - 400 021;

(xxvii-r) "Deutsche Securities (India) Private Limited" means a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Tolstoy House,

13/17 Tolstoy Marg, New Delhi - 110 001;

(xxvii-s) "Industries Investment Bank of India Limited" means a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at 19 Netaji Subhas Road, Calcutta - 700 001;

(xxvii-t) "Bank of India Mutual Fund" means a trust sponsored by the Bank of India and managed by the Bank of India Asset Management Company Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Stock Exchange Building, 24th floor, Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001;

(xxvii-u) "Sun F & C Mutual Fund" means a trust sponsored by the Foreign & Colonial Emerging Markets Limited, UK and managed by the Sun F & C Asset Management (I) Pvt. Ltd., a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at World Trade Centre, 19th floor, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

(xxvii-v) "Prudential ICICI Mutual Fund" means a trust sponsored by ICICI Limited and Prudential Corporation Plc through its subsidiary Prudential Corporation Holdings Limited and managed by the Prudential ICICI Asset Management Company Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at 206, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001;

(xxvii-w) "Housing Development Finance Corporation Limited" means a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Ramon House, 169, Backbay Reclamation, Mumbai - 400 020;

(xxvii-x) "Stock Holding Corporation of India Limited" means a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Mittal Court, 'B' Wing, 2nd floor, 224 Nariman Point, Mumbai - 400 021;

(xxvii-y) "SICOM Limited" means a company registered under the Companies Act , 1956 (1of 1956) and having its registered office at 1st floor, Nirmal, Nariman Point, Mumbai - 400 021;

[F. No. 1/32/SE/97]

(Dr. J. Bhagwati)
Joint Secretary

Note : The principal notification was issued under S.O. No. 2561 dated 27.6.1969 published in the Gazette of India Part II, Section 3, page 839 dated 27.6.1969 and subsequent notifications S.O. 425 (E), S.O. 750 (E), S.O. 434 (E), S.O. 764 (E), S.O. 225 (E) and S.O. 345 (E) were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 1.6.1994, 18.10.1994, 13.6.1996, 6.11.1997, 18.3.1998 and 24.4.1998 respectively.

DBOD. No. FSC.BC. 77/24.76.002/99 **July 29, 1999**
Shravana 7, 1921 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.39/24.76.002/99 dated April 23, 1999 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 12.30 per cent Government Stock, 2016 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD.No.FSC.BC.76/24.76.002/99 dated July 29, 1999 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No. FSC.BC. 76/24.76.002/99 **July 29, 1999**
Shravana 7, 1921 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O.2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S.O.425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 12.30 per cent Government Stock, 2016 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 12.30 per cent Government Stock, 2016 subject to the condition that –

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 12.30 per cent Government Stock, 2016 only at Mumbai.

ii) Such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD. No.FSC.BC. 84/24.76.002/99 **August 23, 1999**

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.77/24.76.002/99 dated July 29, 1999 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.40 per cent Government of India Compensation (Project Export to Iraq) Bonds, 2003 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 83/24.76.002/99 dated August 23, 1999 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No. FSC.BC. 83/24.76.002/99 **August 23, 1999**

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O.2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S.O.425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 11.40 per cent Government of India Compensation (Project Export to Iraq) Bonds, 2003 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.40 per cent Government of India Compensation (Project Export to Iraq) Bonds, 2003 subject to the condition that -

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.40 per cent Government of India Compensation (Project Export to Iraq) Bonds, 2003 only at Mumbai.

ii) Such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(G.P. Muniappan)
Executive Director

DBOD. No. FSC.BC. 126/24.76.002/99

November 24, 1999
Agrahayana 3, 1921 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD.No.FSC.BC.84/24.76.002/99 dated August 23, 1999 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.83 per cent Government Stock 2014 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD.No.FSC.BC.125/24.76.002/99 dated November 24, 1999, issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

DBOD. No. FSC.BC. 125/24.76.002/99

November 24, 1999
Agrahayana 3, 1921 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No.S.O.2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S.O.425(E) dated June 1, 1994 and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 11.83 per cent Government Stock, 2014 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.83 per cent Government Stock, 2014 subject to the condition that –

(i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.83 per cent Government Stock, 2014 only at Mumbai.

(ii) Such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(G.P. Muniappan)
Executive Director

DBOD. No. FSC.BC. 150/24.76.002/99/2000

March 23, 2000
Chaitra 3, 1922 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD CONTRACTS

In terms of Notification No.S.O.2561 dated 27th June 1969 issued by Government of India under Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 all forward contracts in securities had been banned excepting ready forward transactions specifically exempted by the Government. Government of India has now rescinded the 1969 notification and delegated powers to Reserve Bank of India under Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act for regulating contracts in Government securities, money market securities, gold related securities and derivatives based on these securities, as also ready forward contracts in all debt securities. The copies of notifications issued by Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India in this connection are enclosed for your information.

2. In terms of the second proviso to the notification of the Reserve Bank of India referred to above, ready forward contracts as described in the proviso (including Reverse Ready Forward contracts), may be entered into in accordance with the terms and conditions and among the participants as specified here under.

(a) ready forward contracts should be undertaken only in Treasury Bills and dated securities of all maturities issued by the Government of India and State Governments

(b) ready forward contracts in the securities specified at (a) above should be entered into by a banking company with another banking company, a cooperative bank, or any person maintaining a Subsidiary General Ledger Account and a Current Account with RBI Mumbai. The list of non-bank entities currently having SGL and Current Account with Reserve Bank of India, Mumbai Office is given in the Annexure –V of the enclosed slip.

(c) such ready forward contracts shall be settled through the Subsidiary General Ledger Account of the participants with Reserve Bank of India at Mumbai only

(d) no sale transaction should be put through without actually holding the securities in the portfolio

(e) compliance with all other instructions on securities transactions in force and issued from time to time.

3. A directive DBOD. No.FSC.BC.149 /24.76.002/2000 dated March 23, 2000 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

DBOD. No. FSC.BC. 149/24.76.002/2000

March 23, 2000
Chaitra 3, 1922 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') under Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No.183(E) dated 1st March 2000 issued under Section 29A of the said Act, the Bank has issued a Notification No.S.O.185(E) dated 1st March 2000 providing inter alia, that ready forward contracts may be entered into in the manner and by the participants as specified therein, in accordance with the terms and conditions as may be specified by the Bank. Accordingly, the Reserve Bank of India, in exercise of its powers conferred by Section 35A of Banking Regulation Act, 1949 hereby permits banks to undertake ready forward deals subject to the following conditions –

(a) ready forward contracts should be undertaken only in Treasury Bills and dated securities of all maturities issued by the Government of India and State Governments

(b) ready forward contracts in the securities specified at (a) above should be entered into by a banking company with another banking company, a cooperative bank or any person maintaining a Subsidiary General Ledger Account and a Current Account with RBI Mumbai.

(c) such ready forward contracts shall be settled through the Subsidiary General Ledger Account of the participants with Reserve Bank of India at Mumbai only

(d) no sale transaction should be put through without actually holding the securities in the portfolio

(e) compliance with all other instructions on securities transactions in force and issued from time to time.

(G.P. Muniappan)
Executive Director

रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99 REGD. NO. D. L. 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप खण्ड (ii)
PART - II - Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2000/फाल्गुन 11, 1921
No. 135] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2000/PHALGUNA 11, 1921

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(पूंजी बाजार तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1मार्च 2000

का. आ. 186(अ)-प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 27 जून, 1969 की अधिसूचना स. का. आ. 2561 को निरस्त करती है।

[फा सं. 1/55/एस.ई./97]
डॉ. जे. भगवती, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड [ii] के पृष्ठ 839 पर प्रकाशित, दिनांक 27 जून, 1969 को प्रकाशित दिनांक 27-6-1969 के का. आ. सं. 2561 के तहत जारी की गई थी, और तदनंतर भारत के राजपत्र असाधारण के भाग -II, खण्ड 3,उप-खण्ड [ii] में क्रमशः दिनांक 1-6-1994, 18-10-1994, 13-6-1996, 6-11-1997, 18-3-1998, 24-4-1998 तथा 14-7-1999 को प्रकाशित का. आ. सं.425 (अ), का. आ. सं. 750 (अ), का. आ. सं.434(अ), का. आ. सं. 764 (अ), का. आ. सं. 225(अ),का. आ. सं.345(अ) तथा का. आ. सं.581 (अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Capital Markets and External Commercial Borrowings Division)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st March, 2000

S.O. 186 (E) - In exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), number S.O. 2561, dated the 27 th June, 1969.

{File No. 1/55/SE/97}
Dr. J. BHAGWATI.Jt. Secy.

Foot Note:- The principle notification was issued vide S.o.No. 2561 dated 27-6-1969, published at page 839 in part II section 3, Sub-section(ii) of the Gazette of India Extra ordinary dated the 27th June, 1969 and subse quently amended vide S.O. No. 425(e), S.O. No. 750(e), S.O. No. 434(e), S.O. No. 764(e), S.O. No. 225(e), S.O. No. 345(e), and S.O. No. 581(e), published in part II, Section 3Sub-section (ii), of the Gazette of India, Extra ordinary dated 1-6-1994, 18-10-1994, 13-06-1996, 06-11-1997, 18-03-1998, 24-04-1998 and 14-07-1999 respectively.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(CAPITAL MARKETS AND EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, 1st march 2000,

S.O. 183(E)- In exercise of powers conferred by Section 29A of the Securities Contract (Regulation Act), 1956 (42 of 1946), the Central Government hereby amends the Notification of the Government of India, Ministry of Finance(Department of Economic Affairs), No. S.O. 573(E), dated the 30th July 1992 as follows, namely-

"Provided the powers exercisable by the Central Government under the said section 16 of the said Act, in relation to any contracts in Government securities, money market securities, gold related securities and in securities derived from these securities and in relation to ready forward contracts in bonds, debentures, debentures stock , securitised debt and other debt securities shall also be exercisable by the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934)

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered into in accordance with, --

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

(b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India:

(c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956)"

[File No. 1/55/SE/97}
Dr.J.BHAGWATI, JT.Secy.

THE GAZETTE OF INDIA

EXTRA ORDINARY

PART II SECTION 3 SUB-SECTION(ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
MUMBAI,THE 1st DAY OF MARCH 2000

NOTIFICATION

S.O. No.184 (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of securities contracts (Regulation)Act, 1956 (42 of 1956), read with Government of India Notification No. S.O.No. 573 (E) dated 13th July 1992and notification no 183(E) dated 1,March2000 issued under section 29a of the said act , the securities and exchange board of India (herein after referred to as the board) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of india hereby declare that no person in the territory to which the said act extends shall save with the permission of the board enter into any contract for sale or purchase of securities other than such spot delivery contract for cash or hand delivery or special delivery or contract in derivatives in as is permissible under the said act or the securities and exchange board of india act 1992 (15 of 1992) and rules and regulations made under such act and rules regulations and bye-laws of recognised stock exchange

Provided that any contracts for sale or purchase of government securuties or gold related securities, money market securities and ready forward contracts in debt securities entered into on the recognised stock exchange shall be entered into in accordance with -

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the direction issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts ;

(b) the rules made or guidelines or direction issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Acts, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India:

(c) the provisions contained in the notifications issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

File No. SEBI/LF/3650/2000

D.R.MEHTA
CHAIRMAN
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99 REGD. NO. D. L. 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप खण्ड (ii)
PART - II - Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2000/फाल्गुन 11, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2000/PHALGUNA 11, 1921

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 1 मार्च , 2000

का. आ. 185(अ). - प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम , 1956 (1956 का 42) की धारा 29ए के अंतर्गत भारत सरकार की दिनांक 1 मार्च 2000 की अधिसूचना सं.183 (अ) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक -

यह मानते हुए कि संपूर्ण भारत में प्रतिभूतियों के अवांछनीय सट्टे को रोकना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति ,

(क) उक्त अधिनियम ,संबंधित शेयर बाजारों के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अंतर्गत अनुमत हाजिर सुपुर्दगी संविदा अथवा मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में की जानेवाली संविदाओं को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण से संबंधित प्रतिभूतियों तथा मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा खरीद के लिए संविदा नहीं करेगा ।

(ख) बांडों, डिबेंचरों शेयरों, प्रतिभूतिकृत ऋण तथा किसी व्यक्ति अथवा केंद्र अथवा राज्य के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी निकाय द्वारा जारी की गयी अन्य ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं नहीं करेगा ।

लेकिन, कोई बैंकिंग कंपनी, कोई सहकारी बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सहायक सामान्य बही खाता अथवा चालू खाता रखनेवाला कोई व्यक्ति अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य कोई व्यक्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक सामान्य बही खाते के जरिए समस्त सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं कर सकता है ।

साथ ही, संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा की समाप्ति तक बकाया तैयार वायदा संविदाएं बनी रहेंगी·

यह भी शर्त है कि मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में की गयी ऐसी संविदाएं:

(क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 (1956 का 42) अथवा प्रतिभूति और भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा उपविधियों अथवा उक्त अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति अथवा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अंतर्गत अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (1973 का 46) के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी

(ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 (1956 का 42) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं में उल्लिखित उपबंधों के अनूसार की जाएंगी

स्पष्टीकरण

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

(क) बैंकिंग कंपनी से तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 के 10) की धारा 5 के खंड (सी) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी से है

(ख) सहकारी बैंक से तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 के 10) की धारा 56 के खंड (सी) के साथ पठित धारा 5 के खंड (सी सी आइ) में यथापरिभाषित बैंक से है।

[सं. आइडीएमसी.1/10.02.02/99-2000]

पी. आर. गोपालराव, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st March, 2000

S.O.185 (E).-- In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India under section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No. 183 (E) dated 1st March, 2000, issued under section 29A of the said Act, the Reserve Bank of India--

(i) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India hereby declares that no person in the territory to which the Act extends, shall, enter into any

(a) contract for the sale or purchase of Government securities, gold related securities and money market securities other than spot delivery contracts or such other contract traded on a recognised stock exchange, as is permissible under the said Act, rules and bye-laws of such stock exchange.

(b) ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock securitised debt, and other debt securites issued by any person or any body corporate established by or under a Central or State Act.

Provided that ready forward contracts may be entered into in all Government securities put through the Subsidiary General Ledger Account held with the Reserve Bank of India in accordance with terms and conditions as may be specified by Reserve Bank of India, by a banking company, a co-operative bank or any person maintaining a Subsidiary General Ledger Account and Current Account with the Reserve Bank of India or any other person permitted by the Reserve Bank of India:

Provided further that the outstanding ready forward contracts shall continue till termination of the contracts as per the contratual terms :

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered in accordance with -

a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the direction issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India;

c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act,1956 (42 of 1956).

Explanation

For the purpose of this notification :

a) "banking company" means a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

b) "co-operative bank" means a bank as defined in clause (cci) of section 5 read with clause (c) of section 56 of the Banking Regulation Act,1949 (10 of 1949).

[No.IDMC.1/10.02.02/99-2000]

P. R .GOPALA RAO. Executive Director

ANNEXURE I

[Paragraph 11.2(i)]

Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1 st March, 2000

S.O.186(E) - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 16 of the Securities Contracts (Regulation)Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), number S.O. 2561, dated the 27th June, 1969.

(File No. 1/55/SE/97)

Sd/-
Dr.J. BHAGWATI , Jt.Secy.

Foot Note : - The principle notification was issued vide S.O.No. 2561 dated 27.6.1969, published at page 839 in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 27th June, 1969 and subsequently amended vide S.O.No. 425(E),S.O.No. 750(E), S.O.No. 434(E), S.O. No. 764(E), S.O.No. 225(E), S.O.No. 345(E) and S.O. No.581(E), published in Part II, Section 3,Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 1.6.1994, 18.10.1994, 13.6.1996, 6.11.1997,18.3.1998, 24.4.1998 and 14.7.1999 respectively.

ANNEXURE II

[Paragraph 11.2(i)]

Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1 st March, 2000

S.O. 183(E) - In exercise of powers conferred by Section 29A of the Securities Contracts (Regulation Act), 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby amends the Notification of the Government of India, Ministry of Finance(Department of Economic Affairs), No. S.O. 573(E), dated the 30th July 1992 as follows, namely-

"Provided the powers exercisable by the Central Government under the said Section 16 of the said Act, in relation to any contracts in Government securities, money market securities, gold related securities and in securities derived from these securities and in relation to ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock , securitised debt and other debt securities shall also be exercisable by the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934)

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered into in accordance with --

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;
(b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India:
(c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956)"

[File No. 1/55/SE/97]

Sd/-
Dr.J.BHAGWATI, Jt.Secy.

ANNEXURE III

[Paragraph 11.2(i)]

Reserve Bank of India

NOTIFICATION

Mumbai, the 1 st March, 2000

S.O.185 (E). -- In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India under section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No. 183 (E) dated 1st March, 2000, issued under Section 29A of the said Act, the Reserve Bank of India--

(i) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India hereby declares that no person in the territory to which the Act extends, shall, enter into any

(a) contract for the sale or purchase of Government securities, gold related securities and money market securities other than spot delivery contracts or such other contract traded on recognised stock exchange, as is permissible under the said Act, rules and bye-laws of such stock exchange.

(b) ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock securitised debt, and other debt securities issued by any person or any body corporate established by or under a Central or State Act.

Provided that ready forward contracts may be entered into in all Government securities put through the Subsidiary General Ledger Account held with the Reserve Bank of India in accordance with terms and conditions as may be specified by Reserve Bank of India, by a banking company, a co-operative bank or any person maintaining a Subsidiary General Ledger Account and Current Account with the Reserve Bank of India or any other person permitted by the Reserve Bank of India:

Provided further that the outstanding ready forward contracts shall continue till termination of the contracts as per the contratual terms :

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchange shall be entered in accordance with -

a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the direction issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or The Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India;

c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act,1956 (42 of 1956).

Explanation

For the purpose of this notification :

a) "banking company" means a banking company as defined in clause (c) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

b) "co-operative bank" means a bank as defined in clause (cci) of Section 5 read with clause (c) of Section 56 of the Banking Regulation Act,1949 (10 of 1949).

[No.IDMC.1/10.02.02/99-2000]

Sd/-

P.R.GOPALA RAO, Executive Director

ANNEXURE IV

[Paragraph 11.2(i)]

The Gazette of India
Extra Ordinary
Part II Section 3 Sub-section (ii)
Published by Authority
Securities and Exchange Board of India

NOTIFICATION

Mumbai, the 1 st March, 2000

S.O. No.184 (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of The Securities Contracts (Regulation)Act, 1956 (42 of 1956), read with Government of India Notification No. S.O.No. 573 (E) dated 13th July 1992and notification no 183(E) dated 1,March2000 issued under section 29A of the said Act , the Securities and Exchange Board of India (herein after referred to as the Board) being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India hereby declare that no person in the territory to which the said Act extends, shall, save with the permission of the Board enter into any contract for sale or purchase of securities other than such spot delivery contract or contract for cash or hand delivery or special delivery or contract in derivatives as is permissible under the said Act or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and the rules and regulations made under such Acts and rules, regulations and bye-laws of a recognised stock exchange.

Provided that any contract for sale or purchase of government securities or gold related securities , money market securities and ready forward contracts in debt securities entered into on the recognized stock exchange shall be entered into in accordance with -

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts ;
(b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulations Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India:
(c) the provisions contained in the notifications issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

File No. SEBI/LE/3650/2000

Sd/-
D.R.MEHTA
CHAIRMAN
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

अनुबंध V

[पैराग्राफ 11.2(i)]

हाज़िर वायदा संविदाएं करने के लिए बैंकों से इतर संस्थाओं की सूची

1. दि डिस्काउंट एंड फाइनान्स हाउस ऑफ इंडिया लि.
2. गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.
3. आइ सी आइ सी आइ सिक्युरिटीज एण्ड फाइनान्स कं. लि.
4. पी एन बी गिल्ट्स लि.
5. एस बी आइ गिल्ट्स लि.
6. सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
7. डी एस पी मेरिल लिंच लि.
8. सीएट फाइनान्सियल सर्विसेज लि.
9. कोटक महिन्द्रा कैपिटल कंपनी (असीमित)
10. बिरला ग्लोबल फाइनान्स कंपनी लि.
11. होअरे गोवेट (इंडिया) सिक्युरिटीज लि.
12. दिल विकास फाइनान्स लि.
13. एस आर ई आइ इंटरनेशनल सिक्युरिटीज प्रा. लि.
14 टॉवर कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि.
15. टाटा फाइनान्स सिक्युरिटीज लि.
16. कैन बैंक म्युचुअल फंड
17. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
18. भारतीय निर्यात आयात बैंक
19. भारतीय साधारण बीमा निगम
20. जी आइ सी म्युचुअल फंड
21. इंडियन बैंक म्युचुअल फंड
22. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
23. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
24. आइ डी बी आइ म्युचुअल फंड
25. आइ टी सी थ्रेड नीडल म्युचुअल फंड
26. भारतीय जीवन बीमा निगम
27. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
28. राष्ट्रीय आवास बैंक
29. न्यु इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लि.
30. ओरियंटल इंशूरेंस कंपनी लि.

ANNEXURE V

[Paragraph 11.2(i)]

The list of non-bank entities for entering into ready forward contracts

1) The Discount and Finance House of India Ltd.
2) Gift Securities Trading Corporation Ltd.
3) ICICI Securities and Finance Co. Ltd.
4) PNB Gilts Ltd.
5) SBI Gilts Ltd.
6) Securities Trading Corporation of India Ltd.
7) DSP Merrill Lynch Ltd.
8) Ceat Financial Services Ltd.
9) Kotak Mahindra Capital Company (unlimited)
10) Birla Global Finance Company Ltd.
11) Hoara Govett (india) securities Ltd.
12) Dil Vikas Finance Company Ltd.
13) SREI International Securities Pvt.Ltd.
14) Tower Capital and Securities Pvt Ltd.
15) Tata Finance Securities Ltd.
16) Canbank Mutual Fund
17) Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
18) Export Import Bank of India
19) General Insurance Corporation of India.
20) GIC Mutual Fund
21) India Bank Mutual Fund
22) Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd.
23) Industrial Development Bank of India
24) IDBI Mutual Fund
25) ITC Thread Needle Mutual Fund
26) Life Insurance Corporation of India
27) National Bank for Agriculture and Rural Development
28) National Housing Bank
29) New India Assurance Company Ltd.
30) Oriental Insurance Company Ltd.

31. रिलायंस कैपिटल म्युचुअल फंड
32. एस बी आइ म्युचुअल फंड
33. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
34. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
35. एल आइ सी म्युचुअल फंड
36. जे. एम. म्युचुअल फंड
37. बिरला म्युचुअल फंड
38. कोठारी पायोनियर म्युचुअल फंड
39. जार्डिन फ्लेमिंग म्युचुअल फंड
40. कोटक महिन्द्रा म्युचुअल फंड
41. जे पी मार्गन सिक्युरिटीज इंडिया प्रा. लि.
42. ए बी एन अम्रो सिक्युरिटीज इंडिया प्रा. लि.
43. ड्यूश सिक्युरिटीज इंडिया प्रा. लि.
44. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.
45. बैंक ऑफ इंडिया म्युचुअल फंड
46. सन एफ एंड सी म्युचुअल फंड
47. प्रूडेंशिअल आइ सी आइ सी आइ म्युचुअल फंड
48. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि.
49. स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
50. सिकॉम लि.
51. डुंडी म्युचुअल फंड
52. टेंपलटन म्युचुअल फंड
53. आइ डी बी आइ कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.
54. टाटा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड *खाता* टाटा म्युचुअल फंड
55. डी एस पी मेरिल लिंच म्युचुअल फंड
56. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
57. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
58. कॉर्पबैंक सिक्युरिटीज
59. जूरिक इंडिया म्युचुअल फंड
60. अलाइंस कैपिटल म्युचुअल फंड
61. आइ आइ एंड एफ एस म्युचुअल फंड
62. बॉब म्युचुअल फंड
63. नेशनल सिक्युरिटीज क्लीअरिंग कार्पोरेशन लि.
64. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.

31) Reliance Capital Mutual Fund
32) SBI Mutual Fund
33) Small Industries Development Bank of India
34) Unit Trust of India
35) LIC Mutual Fund
36) J.M.Mutual Fund
37) Birla Mutual Fund
38) Kothari Pioneer Mutual Fund
39) Jardine Fleming Mutual Fund
40) Kotak Mahindra Mutual Fund
41) JP Mogan Securities India Private Ltd.
42) ABN AMRO Securities (India) Pvt.Ltd.
43) Deutsche Securities (India) Pvt. Ltd.
44) Industrial Investment Bank of India Ltd.
45) Bank of India Mutual Fund
46) Sun F & C Mutual Fund
47) Prudential ICICI Mutual Fund
48) Housing Development Finance Corporation Ltd.
50) SICOM Limited
51) Dundee Mutual Fund
52) Tempeton Mutual Fund
53) IDBI Capital Market Services Ltd.
54) Tata Trustee Company Limited a/c Tata Mutual Fund
55) DSP Merrill Lynch Mutual Fund
56) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
57) Industrial Finance Corporation of India
58) Corpbank Securities
59) Zurich India Mutual Fund
60) Alliance Capital Mutual Fund
61) II&FS Mutual Fund
62) BoB Mutual Fund
63) National Securities Clearing Corporation Ltd.
64) National Securities Depository Ltd.

SECTION V

ADVANCES

DBOD.No.Dir.BC. 2/13.07.05/99 **January 29, 1999**
Magha 9, 1920 (Saka)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

BRIDGE LOANS

Please refer to our circular DBOD.No.Dir.138/13.07.05/97-98 dated October 21, 1997, in term of which banks are permitted to sanction bridge loans to companies for a period not exceeding one year against expected equity flows/issues. Such loans are required to be accommodated within the ceiling of 5% of incremental deposits of the previous year prescribed for banks' investments in ordinary shares/ convertible debentures of corporates including PSU shares, loans sanctioned to corporates for meeting promoters' contributions and in units of mutual funds schemes the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt instruments.

2. It has been decided to permit the banks to extend bridge loans, besides against the expected equity flows/issues, also against the expected proceeds of Non-Convertible Debentures, External Commercial Borrowings, Global Depository Receipts and/or funds in the nature of Foreign Direct Investments, provided the bank is satisfied that the borrowing company has already made firm arrangements for raising the aforesaid resources/funds.

3. The other terms and conditions for sanction of the bridge loans shall remain unchanged.

Yours faithfully

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

DBOD. No. BC. 11/08.95.005/98/99

February 15, 1999
Magha 26, 1920 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

SECTION 20 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949 - SPECIAL ORDER/GENERAL ORDER

Please refer to our circular letter DBOD.No.Leg.96/C.235C-78 dated 25th July 1978 forwarding a copy of the General Order DBOD.No.Leg.320/C. 235C-78 of even date exempting loans and advances granted for certain specific purposes by a banking company to its Chairman and Chief Executive Officer from the provisions of Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. It has been decided that the exemption from the said provisions of the act should be extended to the loans and advances granted to Chairman and Chief Executive Officer for a few other purposes on such terms and conditions as may be stipulated by Reserve Bank. Copies of Special Order DBOD. No.733/09.11. 013/97 dated 14th February 1997 and General Order DBOD.No.415/08.95.005/98 dated 29th September 1998 issued by the Reserve Bank in this regard are enclosed for your information.

2. Banks should obtain prior approval of Reserve Bank indicating the purpose and the terms and conditions subject to which such loans and advances are proposed to be granted to their Chairman and Chief Executive Officer. The application in this regard may be submitted to our concerned Regional Office under whose jurisdiction they function.

Yours faithfully,

(C.R.G. Nair)
Assistant General Manager

DBOD. No. 733/09.11.013/97 **February 14,1997**

SPECIAL ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (a) of the Explanation under sub-section (4) of section 20 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and having regard to the consideration referred to therein, the Reserve Bank of India hereby specifies as under:

That for the purposes of the aforesaid, the term "loans or advances" shall not include such loans or advances as are granted by a banking company to its Chief Executive Officer, for the purpose of purchasing a car for his personal use, with the prior approval of Reserve Bank of India and on such terms and conditions as may be stipulated by it.

Explanation

In this order "banking company" includes every bank to which provisions of Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) apply.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

DBOD. No. 415/08.95.005/98 **September 29, 1998**
Ashwina 7, 1920 (Saka)

GENERAL ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (a)of the Explanation under sub-section [4] of Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and having regard to the considerations referred to therein, the Reserve Bank of India hereby specifies as under:That for the purpose of the aforesaid Section, the term "loans or advances" shall not include such loans or advances as are granted by a banking company to its Chief Executive Officer, for the purpose of purchasing Personal Computer for his personal use and Festival Advance, with the prior approval of Reserve Bank of India and on such terms and conditions as may be stipulated by it.

Explanation

In this order "banking company" includes every bank to which provisions of Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) apply.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

IECD.No. 19/04.02.01/98-99 **March 3, 1999**

The Chairmen/Chief Executives of
all commercial banks

Dear Sir,

EXPORT CREDIT - INTEREST RATES

Please refer to our Circular IECD.No.5/04.02.01/98-99 dated August 6, 1998 and MPD Circular No.BC.184/07.01.279/98-99 dated March 1, 1999.

2. As indicated in para. 3 of our MPD Circular referred to above, effective April 1, 1999, interest rates on pre-shipment and post-shipment rupee credit will stand revised. The revised rates are given in the Annexure.

3. The revision in the interest rates as above, with effect from April 1, 1999, will be applicable not only to fresh advances but also to existing advances for the remaining period of credit.

4. A copy of the Directive DBOD.No.BC.19/13.07.01/99 dated March 3, 1999, containing the changes made in the interest rates on rupee export credit as indicated above, is enclosed.

Yours faithfully,

(M.G.Srivastava)
Chief General Manager

DBOD.No.BC. 19/13.07.01/99 **March 3, 1999**

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the interest rate on rupee export credit indicated in Annexure to its Directive DBOD. No.Dir.BC.77/13.07.01/98 dated August 6, 1998 be changed as indicated in the Annexure enclosed to this Directive, from April 1, 1999.

(S.Gurumurthy)
Executive Director

Annexure
Interest Rates on Export Credit of Scheduled Commercial Banks

(Per cent per annum)

	Interest Rates		
	Existing upto March 31, 1999	Effective April 1, 1999) Originally scheduled*	Now Revised
1. Pre-Shipment Credit			
a) (i) Upto 180 days	9.0	11.0	10.0
(ii) Beyond 180 days and upto 270 days	12.0	14.0	13.0
b) Against Incentives receivable from Government covered by ECGC guarantee upto 90 days	9.0	11.0	10.0
2. Post-shipment Credit			
a) On demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	9.0	'Not exceeding 11.0'	'Not exceeding 10.0'
b) Usance Bills (for total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable)			
(i) Upto 90 days	9.0	'Not exceeding 11.0'	'Not exceeding 10.0'
(ii) Beyond 90 days and upto 6 months from the date of shipment	11.0	13.0	12.0
c) Against incentives receivable from Government covered by ECGC guarantee upto 90 days	9.0	'Not exceeding 11.0'	'Not exceeding 10.0'

DBOD. No. BP.BC. 25/21.03.038/99 **March 30, 1999**
Chaitra 9, 1921(Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir

FILING OF SUITS BY BANKS TO RECOVER DUES

As banks are aware, timely and appropriate legal action for realisation of assets and recovery of dues from the borrowers is absolutely necessary to bring down the level of NPAs. The decision to file a suit in respect of a borrowal account is generally taken by banks in accordance with their loan policy and keeping in view the availability/enforceability of charges, adequacy of realisable value of the securities to cover the dues, period of limitation, the time taken and cost involved in litigation etc. The need for prescribing a time frame for starting legal recovery procedure promptly in respect of loss assets which are carried in the books of banks for long periods, was recently examined. We advise that in cases where loss assets are more than two years old on the books of the bank without legal action being initiated, banks should submit a review note to the Management Committee/Board giving specific reason as to why suits have not been filed. Such a review should be placed before the Management Committee/ Board every half year with reference to the position as on September 30 and March 31 of each year.

A copy of this review should be sent to the Regional Office of Department of Banking Supervision under whose jurisdiction your bank's Head Office falls.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager.

DBOD. No.BC. 26/08.95.005/99 **April 1, 1999**
Chaitra 11, 1921(Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir

SECTION 20 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949 - GENERAL ORDER

Please refer to our circular No.BC.11/08.95.005/98-99 dated 15 February 1999 forwarding a copy each of the Special Order DBOD No. 733/09.11.013/97 dated 14 February 1997 and General Order DBOD No. 415/08.95.005/98 dated 29 September 1998 exempting loans and advances granted to the Chairman and Chief Executive Officer for certain purposes from the above provisions of the Banking Regulation Act, 1949. It has been decided that the exemption from the said provisions of the Act as granted in the above Orders should be extended to the loans and advances granted by a banking company to its whole-time directors for the purpose indicated therein and on such terms and conditions as may be stipulated by Reserve Bank of India. A copy of the General Order No. 938/ 08.95.005/99 dated 8 February 1999 issued by the Reserve Bank in this regard, is enclosed for your information.

2. Banks should obtain prior approval of Reserve Bank indicating the purpose and the terms and conditions subject to which such loans and advances are proposed to be granted to their whole-time directors. The application in this regard may be submitted to our concerned Regional Office, under whose jurisdiction they function.

Yours faithfully

(C.R.G. Nair)
Assistant General Manager

DBOD. No.BC. 938/08.95.005/99 **February 8, 1999**
Magha 19, 1920 (Saka)

GENERAL ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (a) of the Explanation under sub-section (4) of Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and having regard to the considerations referred to therein, the Reserve Bank of India hereby specifies that for the purposes of the said Section, the term "loans or advances" shall not include such loans or advances as are granted by a banking company to its whole-time director for the purposes of purchasing Furniture, Car, Personal Computer or constructing/acquiring a House for his personal use, with the prior approval of Reserve Bank and on such terms and conditions as may be stipulated by it.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

Relevant Extract of circular DBOD.No.BP.BC. 35/21.01.002/99 dated April 24,1999 is reproduced below :-

1) Rationalisation of Interest Rates

In terms of our circular DBOD.No.Dir.BC. 115/13.07.01/94 dated October 17, 1994 banks are free to prescribe their own lending rates, which should be the Prime Lending Rate (PLR), for credit limits of over Rs. 2 lakhs, with the approval of their Boards after duly taking into consideration their cost of funds, transaction cost and minimum spread over the PLR. The only lending rates now prescribed by the Reserve Bank are the concessional rates below the PLR of the respective banks for certain sectors like exports, small loans upto Rs. 2 lakh, and under the Differential Rate of Interest scheme. Banks have been permitted to prescribe separate PLRs for short-term credit and long-term credit for 3 years and above. With a view to providing some more flexibility to banks, the following measures in respect of interest rates have been introduced with immediate effect :

(i) Tenor Linked PLRs

The PLR system with a spread between PLR and the maximum lending rate that is determined by the banks' Boards has been in operation for some time now and has by and large served the purpose of ensuring transparency and objectivity. There have been requests from banks and borrowers for tenor linked PLR i.e. PLR for different maturities.

It has, therefore, been decided to provide banks with freedom to operate different PLRs for different maturities provided the transparency and uniformity of treatment originally envisaged continues to be maintained.

(ii) Fixed Rate Loans for project finance

Similarly, industries, especially those requiring project finance, have been requesting for fixity of interest rates on term loans.

It has been decided to permit banks to offer fixed rate loans subject to conformity to Asset Liability Management (ALM) guidelines.

Note:- The detailed circular on the subject is contained in chapter III

DBOD. No.BP.BC. 47/21.04.012/99

May 11, 1999
Vaishakha 21, 1921(Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

RELAXATIONS TO TRADE AND INDUSTRY IN THE STATE OF JAMMU & KASHMIR

Please refer to our circular letter DBOD.No. BP.BC. 83/21.04.012/98 dated August 18, 1998 extending the period of concessions/credit relaxations to the borrowers/ customers in the State of Jammu & Kashmir upto 31 March 1999. It has been decided that the existing concessions/credit relaxations to borrowers/customers in the State of Jammu and Kashmir will continue to be operative for a further period of one year i.e. upto 31 March 2000.

2. Suitable instructions may please be issued to your controlling/ branch offices in this regard.

Yours faithfully,

(C. R. Muralidharan)
General Manager.

DBOD. No.BP.BC. 69/21.03.038/99 **July 12, 1999**
Aashadha 21, 1921(Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

FILING OF SUITS BY BANKS TO RECOVER DUES.

Please refer to our Circular DBOD.No.BP.BC.25/21.03.038/99 dated March 30, 1999, advising banks that in cases where loss assets are more than two years old on the books of the bank without legal action being initiated, a review note should be submitted to the Management Committee/Board at half yearly intervals, giving specific reason as to why suits have not been filed. It has been represented by some banks, that as there are a large number of small value borrowal accounts under this category, a cut-off limit may be specified so that the review by the Managing Committee/Board is focussed on the larger accounts and appropriate remedial steps are initiated expeditiously. It has, therefore, been decided that loss assets outstanding for more than two years and where legal action has not been initiated, may be reviewed henceforth at different levels as specified below, keeping in view the other instructions contained in the Circular referred to above.

	Types of assets	**To be reviewed by**
(a)	Borrowal accounts with outstanding balance of Rs.5.00 lakh and above	Management Committee/ Board of Directors
(b)	Borrowal accounts with balance outstanding between Rs. 1.00 lakh and Rs. 5.00 lakh	Chairman and Managing Director
(c)	Borrowal accounts with outstanding balance less than Rs. 1.00 lakh	Appropriate levels to be decided by the bank

Yours faithfully,

(C.R.Muralidharan)
General Manager

DBOD.No.BP.BC. 78/21.04.009/99 **August 4,1999**
Shravana 13, 1921(Saka)

All Commercial Bank
(excluding RRBs)

Dear Sir,

BANK GUARANTEES

It has been reported by the Government of India that correspondence relating to guarantees furnished by the banks in favour of Government Departments in the name of the President of India and which have expired are being directly addressed to the President of India causing avoidable inconvenience to the President's Secretariat.

2. As you are well aware, the constitution of India states that all executive action relating to Union of India shall be and shall be stated to be in the name of President of India. However, the business of the Government of India is transacted through several ministries/departments and even though documents such as guarantees, reflect the President of India as one of the parties, correspondence is not to be exchanged with the President of India but with concerned Government Ministry/Departments.

3. You are, therefore, advised to instruct your all branches suitably in the matter to avoid recurrences of such instances, in future.

Yours faithfully,

(J.B. Mhatre)
Deputy General

DBOD No.BP.BC. 93/21.02.036/99 **September 23, 1999**
Ashwina 1, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

GRANT OF ADVANCES AGAINST THE SECURITY OF RELIEF BONDS

Please refer to our circular BP.BC.No.123/21.02.036/93 dated May 18, 1993 advising banks that they may sanction advances against the security of 10% Relief Bonds 1993 on the terms mentioned in paragraph 2 of our circular.

2. As banks may be aware, Government of India have from time to time issued Relief Bonds with different interest rates and maturities. Recently, 9% Relief Bonds 1999 were issued vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification No.4(1)-W & M/99 dated 1st January 1999 the scheme regarding which has been modified (vide Notification No.F.4(I)W & M/99 dated 3rd May 1999) to the extent of providing for issue of the bonds in dematerialised form viz. Bond Ledger Account. We have been receiving queries as to whether banks can sanction advances against the security of these bonds also. We clarify that the bonds issued in different series as above would be eligible security for sanction of loans subject to the terms as detailed in our above circular viz.,

(i) The banks should satisfy themselves as to the acceptability of the purpose, genuiness of the credit need of the borrower and end-use of funds lent, and should not be guided solely by availability of Relief Bonds as security;

(ii) The rate of interest should be in accordance with the directives on interest rates issued by the Reserve Bank of India from time to time; and

(iii) Adequate margin should be kept to cover defaults, if any, in repayment of the principal and interest at the appropriate rate.

3. Necessary instructions may be issued by you if not already done, to your branches in this regard.

Yours faithfully,

(J.B.Mhatre)
Deputy General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 100/13.07.01/99 **October 11, 1999**
Ashwina 19, 1921(Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON ADVANCES -FIXED RATE LOANS

Please refer to paragraph 1(ii) of our directive DBOD.No.BP.BC. 35 /21.01.002/ 99 dated April 24, 1999, in terms of which banks were permitted to offer fixed rate term loans, especially those requiring project finance, subject to conformity to Asset Liability Management (ALM) guidelines.

2. We have been receiving references from banks seeking clarifications whether fixed rate term loans could also be extended for other purposes e.g. small loans upto Rs.2 lakhs for housing finance, educational loans, consumer loans and various other purposes. In this context we clarify that this facility is available to banks for all **term loans** (repayable within a period of not less than three years) and for all purposes including small loans upto Rs.2 lakhs, subject to conformity to Asset Liability Management (ALM) Guidelines.

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

IECD.No. 6/04.02.01/99-2000 **October 29, 1999**

The Chairmen/Chief Executives of
all commercial banks

Dear Sir,

EXPORT CREDIT - INTEREST RATES

Please refer to our Circular IECD.No.26/04.02.01/97-98 dated December 17, 1997 read with circular IECD.No.32/04.02.01/97-98 dated December 31, 1997 in terms of which the higher rate of interest of 20 per cent per annum (minimum) was prescribed for "Export Credit Not Otherwise Specified (ECNOS)" at post-shipment stage. It has now been decided (c.f. para. 36(iv) of the statement on "Mid-Term Review of Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000 enclosed to Governor's letter No.MPD.BC/190/07.01.279/99-2000 dated October 29, 1999) to withdraw this stipulation and give freedom to banks to decide the rate of interest on their own. Accordingly, effective from October 29, 1999 banks will have the freedom to decide the appropriate rate of interest in respect of the category of "Export Credit Not Otherwise Specified" at post-shipment stage. However, the present procedure for ensuring that there is no deliberate attempt to delay repatriation of export receipts will remain in force. The revised rate is indicated in the Appendix to the Annexure.

2. Consequently, the rate of interest applicable in respect of the category of "Export Credit Not Otherwise Specified" indicated against item No.3(b) of Annexure to our Circular IECD.No.2/04.02.01/1999-2000 dated August 16, 1999 has also been freed.

3. The revision in the rate of interest as above with effect from October 29, 1999, will be applicable not only for fresh advances but also to the existing advances for the remaining period.

4. A copy of the Directive DBOD.No.BC/105/13.07.01/99 dated October 29, 1999 containing the changes made in the interest rate on rupee export credit as indicated above, is enclosed.

5. In view of the above the words "20.00 (minimum)" stated at item 4(b) of Annexure II to Paragraph 13A-III(5)(I) in the Manual of Instructions issued by RBI (DBOD, DBS and IECD) may please be corrected to read as "free".

Yours faithfully,

(V.G.Damle)
Chief General Manager

DBOD.No.BC 105/13.07.01/99 October 29, 1999

INTEREST RATES ON ADVANCE

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from October 29, 1999 the interest rate on rupee export credit indicated against item No.4(b) in Annexure to its Directive DBOD.No.Dir.BC.19/13.07.01/99 dated March 3, 1999 be changed as given in the Appendix.

(G.P.Muniappan)
Executive Director

	Rate of Interest (per cent per annum)	
	Existing	**New (Effective October 29, 1999)**
4. EXPORT CREDIT NOT OTHERWISE SPECIFIED		
(b) Post-shipment credit	20.00 (Minimum)	Free @

@ Free - The banks are free to decide the rate of interest to be charged.

DBOD.No.Dir.BC. 106/13.03.00/99 **October 29, 1999**
Kartika 7, 1921(Saka)

INTEREST RATES ON ADVANCE

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs, in supersession of its directive DBOD NO. Dir.BC. 33/13.03.00/98 dated April 29, 1998 that with effect from October 29, 1999, no commercial bank shall charge interest on loans/advances/cash credit/overdrafts or any other financial accommodation granted or provided by it or renewed by it or discount usance bills except in accordance with the rates as specified in the annexure hereto. The interest at the rates specified in the annexure shall be charged with quarterly or longer rests.

2. For the purpose of this Directive, term loan means a loan, which is repayable within a period of not less than 3 years.

3. Nothing contained in this Directive shall apply to loans or advances or other financial accommodation made or provided or renewed by a commercial bank -

i) against Domestic/NRE/FCNR(B) deposit/s with the bank, provided that the deposit/s stands/stand either in the name/s of the borrower himself/ borrowers themselves, or in the names of the borrower jointly with an other person.

ii) to a co-operative bank or to any other banking institution,

iii) to its own employees,

4. All other terms and conditions relating to advances against commodities subject to Selective Credit Control, as contained in the directives, issued from time to time, shall remain unaffected.

(G. P. Muniappan)
Executive Director

ANNEXURE

Interest Rate Structure excluding Interest Tax for rupee advances of commercial banks effective from October 29,1999.

Size of limit	Rate of interest (Per cent per annum) Existing	Revised (effective Oct.29, 1999)
	All advances including Term loans	
1. (a) Upto and inclusive of Rs.2 lakhs	Not exceeding Prime Lending Rate (PLR)	Not exceeding Prime Lending Rate (PLR)
(b) Over Rs.2 lakh	Free	Free
2. (i) Loans for purchase of consumer durables	Free	Free@
(ii) Loans to individuals against shares and debentures/bonds	Free	Free@
(iii) Other non-priority sector personal loans	Free	Free@
3. Lending rate for commodities coming within the purview of Selective Credit Control (SCC)		
Loans/Advances/Cash Credit/Overdrafts against commodities subject to SCC	Free	Free
4. Export Credit		
(1) Pre-shipment Credit		
(a) (i) Upto 180 days	10.0	10.0
(ii) Beyond 180 days and upto 270 days	13.0	13.0
(b) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	10.0	10.0

	Existing	Revised (effective Oct.29,1999)
(2) Post-shipment Credit		
(a) On demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	Not exceeding 10.0	Not exceeding 10.0
(b) Usance Bills (for total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable)		
(i) Upto 90 days	Not exceeding 10.0	Not exceeding 10.0
(ii) Beyond 90 days and upto 6 months from date of shipment	12.0	12.0
(iii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	Not exceeding 10.0	Not exceeding 10.0
(iv) Against undrawn balances (upto 90 days)	Not exceeding 10.0	Not exceeding 10.0
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	Not exceeding 10.0	Not exceeding 10.0
(3) Deferred Credit Deferred credit for the period beyond 180 days	free	free
(4) Export Credit not otherwise specified		
(a) Pre-shipment credit	free	free
(b) Post-shipment credit (minimum)	20.0	free
5. DRI advances	4.0	4.0

		Existing	Revised (effective Oct.29, 1999)
6.	(a) Finance granted to intermediary agencies (excluding those for housing) for onlending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support.	6(a) For finance granted to intermediary agencies (excluding those for housing) for onlending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support, the rate will be 1.5 percentage points below each bank's Prime Lending Rate for credit limits in the category of advances over Rs.2 lakhs.	Free to charge interest rates without reference to PLR
6	(b) Finance granted to housing finance intermediary agencies for onlending to ultimate beneficiaries	6(b) For finance granted to housing finance intermediary agencies interest at different rates provided they are below the applicable Prime Lending Rate	Free to charge interest rates without reference to PLR
7.	Loans covered by participation in refinancing schemes of term lending institutions.	As applicable to other advances indicated at item 1 above.	Free to charge interest rates as per stipulations of the refinancing agencies without reference to PLR
8.	Discounting of bills	As applicable to other advances indicated at item 1 above	Free to charge interest rates without reference to PLR

Note:

1. Free@ : The banks are free to determine the rates of interest without reference to PLR. Howerver, it is not the intention to allow any concessionality in case of such loans and therefore banks should not charge rates below PLR, regardless of the size of the loan amount.
2. Free : The banks are free to determine rates of interest subject to PLR and spread guidelines.
3. Intermediary agencies are indicated in Appendix.

Appendix

An illustrative list of Intermediary Agencies

1. State sponsored organizations for on-lending to weaker Sections.@
2. Distributors of agricultural inputs/implements.
3. State Financial Corporations (SFCs)/State Industrial Development Corporations (SIDCs) to the extent they provide credit to weaker sections.
4. National Small Industries Corporation (NSIC).
5. Khadi and Village Industries Commission (KVIC).
6. Agencies involved in assisting the decentralized sector.
7. State sponsored organizations for on-lending to the weaker sections.
8. Housing and Urban Development Corporation Ltd.(HUDCO).
9. Housing Finance Companies approved by National Housing Bank (NHB) for refinance.
10. State sponsored organizations for SCs/STs (for purchase and supply of inputs to and/or marketing of output of the beneficiaries of these organizations).
11. Micro Finance Institutions/Non-Government Organisatioins (NGOs) on-lending to SHGs.

@ **'Weaker Sections' in Priority Sector includes following:**

i. Small and marginal farmers with Landholdings of 5 acres and less, landless labourers, tenant farmers and share-croppers;
ii. Artisans, village and cottage industries where individual credit requirements do not exceed Rs.25,000/-.
iii. Small and marginal farmers sharecroppers, agricultural and non-agricultural labourers, rural artisans and families living below the poverty lines are the benefi ciaries. The family income should not exceed Rs.11,000/- per annum.
iv. Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
v. Beneficiaries are persons whose family income from all sources does not exceed Rs.7200/- per annum in urban or semi urban areas or Rs.6,400/- per annum in rural areas. They should not own any land or the size of their holdings does not exceed one acre in the case of irrigated land and 2.5 acres in the case of unirrigated land (land holdings criteria donot apply to SC/ST).
vi. Beneficiaries under scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers (SLRs).
vii. Advances granted to Self-Help Groups (SHGs) for reaching the rural poor.

Relevant Extract of circular DBOD.No.Dir.BC. 114/13.03.00/99 dated October 29,1999 is reproduced below :-

I. Review of norms relating to Prime Lending Rates

(a) Currently, loans up to Rs. 2 lakh carry the prescription of not exceeding the Prime Lending Rate and on the loans above Rs. 2 lakh Prime Lending Rate is the minimum lending rate. Keeping in view the suggestions received from the banks and other market participants the existing Prime Lending Rate norms have been further reviewed and it has been decided that banks shall be given freedom to charge interest rates without reference to their own Prime Lending Rate, in respect of the following categories :

(i) Loans covered by refinance scheme of term lending institutions

(ii) Interest rates on bank lending to intermediary agencies including housing finance intermediary agencies

(iii) Bill discounting by banks

(iv) Advances/overdraft against domestic/NRE/FCNR(B) deposits

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

Relevent Extract of circular DBOD.No.Dir.BC. 168/13.03.00/2000 dated April 27, 2000 is reproduced below :-

(i) Tenor-Linked PLR

Banks have been provided the freedom to operate different PLRs for different maturities. It is observed that some banks are declaring a stand alone PLR in addition to tenor linked PLRs. It has been decided that the banks, which have moved over to declaration of tenor-linked PLRs should always indicate the specific tenor for which the declared PLR is applicable.

(ii) Fixed Rate Loans

As clarified in our circular DBOD.No.Dir.BC. 100/13.07.01/99 dated October 11, 1999, the facility to offer fixed rate term loans is available for all term loans and for all purposes including small loans upto Rs.2 lakh, subject to conformity to Asset-Liability Management (ALM) Guidelines. It has been decided to grant freedom to banks to offer all loans on fixed or floating rates. However banks should ensure that the PLR stipulations as applicable are complied with. The nature of alignment with PLR i.e. whether it is at the time of sanction or disursement of the loan, should be made explicit at the time of sanction of the loan. However, for small loans up to Rs. 2 lakh, the stipulation of 'not exceeding PLR' (for relevant maturity) will continue to be applicable.

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

IECD.No. 15/04.02.01/99-2000 **May 25, 2000**

The Chairmen/Chief Executives of all Commercial banks

Dear Sir,

EXPORT CREDIT - INTEREST RATES

Please refer to our circular No 6/04.02.01/99/2000 dated October 29, 1999 in terms of which freedom was given to banks to decide the appropriate rate of interest in respect of the category of "Export Credit Not Otherwise Specified"(ECNOS) at post shipment stage. It has now been decided that with effect from May 26,2000 the interest rate applicable for ECNOS at post-shipment stage in respect of overdue export bills be changed to 25 per cent per annum (minimum) from the date the bills fall due for payment. Banks are advised to ensure that exporters do not delay repatriation of export proceeds beyond the due date.

2. The revision in the interest rate as above effective from May 26, 2000 will be applicable not only to fresh advances but also to the existing advances for the remaining period.

3. A copy of the Directive, DBOD.No,BC,178/13.07.0/2000 dated May 25, 2000 containig the changes made in the interest rate on rupee export credit indicated above is enclosed.

4. In view of the above , the word "free" stated at item 4(b) of Annexure II to paragraph 13A-III (5)(1)in the Manual of Instructions issued by RBI(DBOD, DBS and IECD) may please be corrected to read as "25.00 (minimum)"

Yours faithfully,

(S.S. Gangopadyaya)
Chief General Manager

DBOD.No.BC. 178/13.07.01/2000 **May 25, 2000**

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from May 26, 2000 the interest rate on rupee export credit indicated against item 4(b) in the Appendix to its Directive DBOD.NO.Dir.BC. 105/1.3.07.01/99 dated October 29, 1999 be changed as indicated in the Appendix enclosed to this Directive.

(G.P.Muniappan)
Executive Director

	Rate of Interest (per cent per annum)	
	Existing	**New (Effective May 26, 2000)**
4. EXPORT CREDIT NOT OTHERWISE SPECIFIED		
(b) Post-shipment credit	Free @	25.00 (Minimum)

@ Free - The banks are free to decide the rate of interest to be charged.

SECTION VI

CREDIT CONTROL (GENERAL)

DBOD No.BC. 17/12.01.001/98/99 **March 1,1999**
Phalguana 10,1920(Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42(1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT,1934 -
REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO

Please refer to the Circular No.MPD BC 183/07.01.279/98-99 dated March 01,1999 from our Monetary Policy Department. It has been decided to reduce the Cash Reserve Ratio (CRR) as detailed below :

2. **Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR)**

Under Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act,1934 all Scheduled Commercial Banks { excluding Regional Rural Banks (RRBs) } are, at present, required to maintain with the Reserve Bank of India a Cash Reserve Ratio (CRR) of 11.00 per cent of the Net Demand and Time Liabilities (NDTL) (excluding liabilities subject to zero CRR prescriptions). Effective from the fortnight beginning March 13, 1999, the CRR to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) is being reduced by one half of one percentage point from 11.00 per cent to 10.50 per cent of NDTL.

3. It may be mentioned that all other prescriptions regarding maintenance of incremental CRR under Section 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 would continue.

4. A copy of the relative notification DBOD No.BC.16/12.01.001/98-99 dated March 01,1999 is enclosed.

5. We may reiterate that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities including zero prescriptions of CRR on certain liabilities as stipulated under the law, effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total Net Demand and Time Liabilities should not be less than 3 per cent.

Yours faithfully,

(N.K.Sarkar)
General Manager



DBOD.No.BC. 16/12.01.001/98-99

March 1,1999
Phalguna 10,1920(saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the RBI Act,1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No.DBOD.BC.85/12. 01.001/98-99 dated August 20,1998 the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be 10.50 per cent with effect from the fortnight beginning March 13, 1999.

(Khizher Ahmed)
Executive Director

DBOD. No. BC. 18/12.02.001/98-99 **March 1, 1999**
Phalguna 10, 1920 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

PENAL RATE OF INTEREST ON THE SHORTFALL IN THE MAINTENANCE OF CRR/SLR

We invite your attention to Deputy Governor's circular No.MPD.BC.182/ 07.01.279/ 98-99 dated March 1,1999 in terms of which the Bank Rate has been reduced by one percentage point from 9.00 per cent per annum to 8.00 per cent per annum with effect from the close of business on 1st March 1999. Consequently, the penal rate of interest charged on the amount of shortfalls in the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) which is linked to Bank Rate stands revised from the close of business on 1st March 1999.

Yours faithfully,

(N. K. Sarkar)
General Manager.

DBOD. No. BC. 21/12.01.001/98-99 **March 15, 1999**
Phalguna 24, 1920 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir ,

SECTION 42 OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934-SUBMISSION OF FINAL FORM A FOR REPORTING FORTNIGHTS AND QUARTERLY AD HOC INTEREST CLAIM ON ELIGIBLE CASH BALANCES.

Please refer to our circular letter DBOD BC No 156/12.01.001/97-98 dated December 23,1997 enclosing therewith proforma of the quarterly statement of ad hoc interest claim .

2. It has been observed that some banks have been submitting quarterly Ad hoc interest claim based on the Provisional Returns in Form A instead of Final Returns in Form A for the relevant reporting fortnights , resulting in the subsequent revision of material details like the amount of CRR required to be maintained by the banks . This results in avoidable delays in settling the interest claim. To obviate this the banks are advised to ensure *inter alia* the following :

(i) The banks should submit the ad hoc claims only after the **Final Returns in Form A for all the fortnights** of the quarter are submitted to our concerned Regional Offices and a **CERTIFICATE** to that effect may be incorporated in the ad hoc interest claim statement submitted at the end of each quarter.

(ii) Further, the average cash balances shown in the claim statements should be according to the daily balance statement furnished by our DAD to the banks and a **CERTIFICATE** to that effect may be incorporated in the adhoc interest claim statement.

(iii) In case any funds are in transit during any of the fortnights of a quarter between two offices of RBI , the same may also be stated separately along with the claim statements in order to arrive at the correct cash balances maintained by the banks with Reserve Bank of India.

3. Please ensure that the above requirements are complied with so as to enable us to settle the interest claims expeditiously.

Yours faithfully,

(N.K.Sarkar)
General Manager

DBOD. No. BC. 31/12.01.001/98-99 **April 20, 1999**
Chaitra 30, 1921(Saka)

To All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 – REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO

Please refer to Governor's Circular No MPD BC 185 / 07.01.279 /98-99 dated April 20, 1999 enclosing a copy of the statement on "Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000". In this connection , we advise as under :

2. **Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR)**

Under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act , 1934 all Scheduled Commercial Banks { excluding Regional Rural Banks (RRBs) } are , at present , required to maintain with the Reserve Bank of India a Cash Reserve Ratio (CRR) of 10.50 per cent of the Net Demand and Time Liabilities (NDTL) (excluding liabilities subject to zero CRR prescription).Effective from the fortnight beginning May 8 ,1999 , the CRR to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) will be reduced by one half of one percentage point from 10.50 per cent to 10.00 per cent of NDTL.

3. It may be mentioned that all other prescriptions regarding maintenance of incremental CRR under Section 42 (1A) of the Reserve Bank of India Act , 1934 would continue.

4. A copy of the relative notification DBOD No BC. 30 /12.01.001/98-99 dated April 20 , 1999 is enclosed.

5. We may reiterate that in view of the multiple prescriptions of CRR on different categories of liabilities including zero prescription of CRR on certain liabilities , as stipulated under the law , effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total Net Demand and Time Liabilities should not be less than 3 per cent.

Yours faithfully,

(N.K.Sarkar)
General Manager.

DBOD.No.BC. 30/12.01.001/98-99

April 20,1999
Chaitra 30,1921 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No.DBOD.BC.16/12.01.001/98-99 dated March 1, 1999 the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be 10.00 per cent with effect from the fortnight beginning from May 8, 1999.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD. No.IBS.BC. 73/23.67.001/99-2000 **July 21, 1999**
Aashadha 30, 1921(Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

MAINTENANCE OF CRR AND SLR ON LIABILITIES UNDER GOLD BORROWED FROM ABROAD AND LENT TO JEWELLERY EXPORTERS IN INDIA FOR THE PURPOSE OF EXPORTS

As you are aware, some scheduled commercial banks have been authorised by RBI to import gold in terms of para 8.15 of Exim Policy 1997-2002. In this connection, please refer to our circular DBOD.No.IBS.1929/23.67.001/97-98 dated the 14th March 1998, (copy enclosed) in terms of which the gold borrowed by authorised banks from abroad under paragraph 2(i) of AD (G.P.Series) Circular No.7 dated March 6, 1998 forms part of the bank's demand and time liabilities and is subject to Cash Reserve Ratio and Statutory Liquidity Ratio.

2. On a review, it has since been decided that banks authorised by RBI to import gold from abroad will be exempted from maintenance of Cash reserve Ratio on their liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of export. This exemption will be effective fortnight beginning from July 31, 1999. A copy of the relevant Notification DBOD.No.IBS.BC.72/23.67.001/99-2000 dated July 21, 1999 in this regard is enclosed. However, in view of multiple prescriptions on different categories of liabilities including zero CRR prescription on certain liabilities as stipulated under the law, effective CRR maintained by the bank on total net demand and time liabilities, including the liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of export should not be less than 3 per cent as required in terms of Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

3. It has also been decided to exempt authorised scheduled commercial banks from maintenance of Statutory Liquidity Ratio on liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of export, with effect from the fortnight beginning from July 31, 1999. However, since the present prescription of SLR on total net demand and time liabilities is 25 per cent which is

statutory minimum required to be maintained in terms of section 24 (2A) of the Banking Regulation Act, 1949, effective SLR maintained by the bank on total net demand and time liabilities including the liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of export should not be less than 25 per cent.

4. Valuation of gold for the purpose of reserve requirements will be based on the London morning fix rate on Reporting Friday crossed with closing dollar/rupee spot rate on the Reporting Friday.

Yours faithfully,

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

DBOD. No.IBS. 1929/23.67.001/97-98 **March 14, 1998**

The Chief Executives of the Banks
Authorised to Import Gold

Dear Sir,

IMPORT OF GOLD

Please refer to the RBI circular AD (G.P. Series) Circular No.7 dated 6.3.1998. Gold borrowed from abroad in terms of para 2(1) of the above mentioned circular will form part of the bank's demand and time liabilities and will therefore be subject to Cash Reserve Ratio and Statutory Liquidity Ratio.

Yours faithfully,

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

DBOD. No.IBS.BC. 72/23.67.001/99-2000

July 21, 1999
Aashadha 30, 1921 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), Reserve Bank of India hereby exempts with effect from the fortnight beginning July 31, 1999 every scheduled commercial bank (authorised by RBI to import gold from abroad in terms of para 8.15 of Export-Import Policy 1997-2002) from maintenance of average Cash Reserve Ratio (CRR) prescribed under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 on their liabilities under gold borrowed from abroad and lent to jewellery exporters in India for the purpose of export.

2. The exemption stipulated above shall be subject to the CRR maintained by an authorised scheduled commercial bank at not less than 3 per cent of its total of the demand and time liabilities as computed under Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(Khizer Ahmed)
Executive Director

DBOD. No. IBS.BC. 96/23.67.001.99-2000 **October 5, 1999**
Ashwina 13, 1921(Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

GOLD DEPOSIT SCHEME – EXEMPTION FROM RESERVE REQUIREMENTS

As you are aware, some scheduled commercial banks have been authorised by RBI to import gold in terms of para 8.15 of Exim Policy 1997-2002. With a view to encouraging mobilisation of domestic idle gold under the Gold Deposit Scheme proposed to be introduced by the authorised banks, it has been decided to exempt these banks participating in the Gold Deposit Scheme from maintaining Cash Reserve Ratio (CRR) on liabilities under gold deposits mobilised in India. However, in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including zero CRR prescription on certain liabilities as stipulated under the law, the effective CRR maintained by the authorised banks on total Net Demand and Time Liabilities (NDTL), including the liabilities under the Gold Deposit Scheme should not be less than 3 per cent as required in terms of Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934. A copy of the Notification DBOD.No.IBS.BC.95/23.67.001/99-2000 dated October 5, 1999 in this regard is enclosed.

2. With regard to the Statutory Liquidity Ratio (SLR), since the present prescription of SLR on total NDTL is 25 per cent, which is the statutory minimum required to be maintained in terms of Section 24 (2A) of the Banking Regulation Act, 1949, the effective SLR maintained by the nominated banks on total NDTL including the liabilities under Gold Deposit Scheme should not be less than 25 per cent. It is clarified that the mobilised gold with the bank will constitute an eligible asset under SLR if the banks hold such gold with themselves in physical form.

3. Banks are required to convert the liabilities and assets denominated in terms of gold into rupees for the purpose of compliance with reserve requirements/ capital prescription requirements/balance sheet translation requirements. The conversion of gold into rupees may be done by crossing the London AM fixing for Gold/USD rate with the Rupee-dollar reference rate announced by RBI. The prevalent customs duty for import of gold will be added to the above value to arrive at the final value of gold.

Yours faithfully,

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

DBOD. No. IBS.BC. 95/23.67.001/99-2000

October 5, 1999
Ashwina 13, 1921(Saka)

NOTIFICATION

In terms of powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), Reserve Bank of India hereby exempts authorised scheduled commercial banks participating in the Gold Deposit Scheme from maintenance of average Cash Reserve Ratio (CRR) prescribed under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 on their liabilities under gold deposits mobilised in India.

2. The exemption stipulated above shall be subject to the CRR maintained by an authorised scheduled commercial bank at not less than 3 per cent of its total net demand and time liabilities as computed under Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(G.P.Muniappan)
Executive Director

DBOD. No. BC. 113/12.01.001/99-2000 **October 29, 1999**
Karthika 7, 1921(Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 – REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO

Please refer to Governor's Circular No MPD. BC. 190 / 07.01.279 /99-2000 dated October 29, 1999 enclosing a copy of the statement on "Mid -Term Review of Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000". In this connection, we advise as under:

2. **(a) Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR)**

Under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 all Scheduled Commercial Banks {excluding Regional Rural Banks (RRBs)} are, at present, required to maintain with the Reserve Bank of India a Cash Reserve Ratio (CRR) of 10 per cent of the Net Demand and Time Liabilities (NDTL) (excluding liabilities subject to zero CRR prescription). In the light of the macro-economic and monetary policy developments reviewed, it has been decided to reduce the CRR. Accordingly, the CRR to be maintained by the Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) will be reduced by one percentage point from the present level of 10 per cent to 9 per cent of NDTL in two installments as set out below:

Effective from the fortnight beginning from	CRR on Net Demand and Time Liabilities (per cent)
November 06, 1999	9.50
November 20, 1999	9.00

(b) Exemptions from Incremental Cash Reserve Ratio (CRR) on Liabilities under Foreign Currency Non Resident (Banks) Accounts (FCNR (B):

At present, under Section 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 all the Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) are required to maintain an incremental Cash Reserve Ratio (CRR) of 10 per cent on increase in liabilities

under Foreign Currency Non Resident (Banks) Scheme over the level as on April 11, 1997. It has now been decided that with effect from the fortnight beginning November 06, 1999 the liabilities under FCNR (B) will be exempted from the maintenance of incremental CRR of 10 per cent.

3. Copies of the relative notifications DBOD No BC.110 /12.01.001/99-2000, DBOD No.BC.111/ 12.01.00199-2000 both dated October 29, 1999 are enclosed.

4. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions of CRR on different categories of liabilities including zero prescription of CRR on certain liabilities , as stipulated under the law , effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total Net Demand and Time Liabilities should not be less than 3 per cent.

5. **Change of the procedure for calculation of CRR**:

At present all the Scheduled Commercial Banks are required to maintain the prescribed Cash Reserve Ratio during the fortnight based on the NDTL obtaining on Friday immediately preceding the fortnight as per the instructions contained in para 3 of our circular DBOD No.leg BC.23/46A-85 dated March 05, 1985. In order to improve the cash management by banks, as a measure of simplification, it has been decided to introduce a lag of two weeks in the maintenance of stipulated CRR by banks. Thus, the prescribed CRR during a fortnight will be maintained by every Scheduled Commercial Bank based on its NDTL as on the last Friday of the second preceding fortnight. This change in the procedure for calculation of reserve maintenance will be effective from the fortnight beginning from November 06, 1999. It is clarified that under the revised procedure, the banks shall calculate Cash Reserve Ratio for the fortnight beginning from November 6, 1999 based on the NDTL as on reporting Friday, October 22, 1999.

6. **Flexibility in the treatment of CRR** :

Normally, banks maintain minimum cash in their own vaults since it is an idle asset, without the benefit of earning any interest. In the context of date change at the turn of the century, in order to meet any additional demand for bank notes as a contingency, banks may have to keep larger vault cash for meeting their business transactions. At present such cash in hand with the bank though an eligible asset for SLR , is not counted for CRR requirements. To facilitate banks to tide over the contingency during the millennium change , it has been decided to treat cash in hand maintained by the banks for compliance of CRR for a limited period of two months commencing from December 1, 1999 to January 31, 2000. It is clarified here that the cash in hand which

will be counted for CRR purposes, during the above period cannot be treated as eligible asset for SLR purposes simultaneously. A copy of the relative notification DBOD No.BC. 112/12.01.001/99-2000 dated October 29, 1999 is enclosed.

7. As already indicated, for operational convenience, the maintenance of CRR by banks is being lagged by two weeks. As such, for maintaining CRR during the fortnight beginning January 1, 2000, the NDTL base would be December 17, 1999. With the leverage of two weeks available, banks should not have any problem in complying with the CRR requirement around the century date change. Nevertheless, any bank that expects a special problem in meeting its CRR obligations at the end of the year can approach the RBI for appropriate relaxation/assistance.

Yours faithfully,

(N.K.Sarkar)
Chief General Manager.

DBOD. No. BC. 110/12.01.001/99-2000 **October 29, 1999**
Karthika 7, 1921(Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No.DBOD.BC.30/12.01.001/98-99 dated April 20, 1999 the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective date (ie the fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)
November 06,1999	9.50
November 20,1999	9.00

(G.P.Muniappan)
Executive Director.

DBOD. No. BC. 111/12.01.001/99-2000

October 29, 1999
Karthika 7, 1921(Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub Section (7) read with sub-Section (1A) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 34) and in supersesion of its Notification DBOD No.BC.44/12.01.001/96-97 dated April 15,1997 , the Reserve bank of India hereby withdraws the requirement by all Scheduled Commercial Banks to maintain an incremental CRR of 10 per cent on increase in liabilities under Foreign Currency Non Resident (Banks) Scheme over the level prevailing as on April 11,1997 with effect from the fortnight beginning November 06,1999.

(G.P.Muniappan)
Executive Director.

DBOD.No. BC. 112/12.01.001/99-2000

October 29, 1999
Karthika 7, 1921(Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of RBI Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby exempts all Scheduled Commercial Banks requiring them to maintain cash balances with Reserve Bank of India under Section 42 (1) of Reserve Bank of India Act, 1934 to the extent of cash in hand with them for a period of two months commencing from December 1, 1999 to January 31, 2000 subject to the condition that such cash in hand counted for the purpose of Cash Reserve Ratio during the above period will not be eligible asset for the purpose of Statutory Liquidity Ratio under Section 24(2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

(G.P.Muniappan)
Executive Director.

DBOD. No. BC. 131/12.01.001/1999-2000 **December 28,1999**
Pausha 7, 1921(Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RBI ACT 1934 – REVISED FORMAT FOR SUBMISSION OF QUARTERLY AD-HOC INTEREST CLAIM ON ELIGIBLE CRR BALANCES

Please refer to our Circular letter DBOD NO.BC. 156/ 12 .01 .001/97 - 98 dated December 23, 1997 enclosing therewith proforma of the quarterly ad-hoc interest claim statement. As you are aware, the procedure for calculation of CRR has undergone change with effect from the fortnight beginning Nov. 6,1999 in terms of instructions contained in para 5 of our Circular letter DBOD No. BC. 113/12.0l.001/ 99-2000 dated 29-10-99. Accordingly, the prescribed CRR during fortnight will be maintained by every Scheduled Commercial Bank based on its NDTL as on the last Friday of the second preceding fortnight. This and certain other changes have necessitated revision in the format for submission of quarterly interest claims. The new format to be used for submission of interest claim with effect from the quarter ended December 99 onwards is enclosed for the use of banks. The following points may be noted while compiling the quarterly interest claims in the new format.

i) All the Scheduled Commercial Banks are required to submit their claims for the first three reporting fortnights of the quarter ended Dec.99, i.e., reporting fortnight 24-9-99, 8-10-99 and 22-10-99 in the existing format forwarded with our circular letter DBOD No.BC.156/12.0l.001/97-98 dated 23-12-97 referred to above. The interest claims for remaining four fortnights of this quarter i.e., reporting fortnights 22-10-99, 5-11-99, 19-11 -99 and 3-12-99 should be submitted in the new format.

ii) In terms of para 2(b) of our circular letter DBOD No. SC. 113/12.01.001/99-2000 dated 29-10-99, the liabilities under FCNR (B) deposits have been exempted from the maintenance of incremental CRR @ 10 percent under Section 42(IA) of RBI Act 1934 with effect from fortnight beginning 6-11-99. With this, the NRI liabilities under NRE, NRNR & FCNR (B) categories are exempted from maintenance of incremental CRR with effect from the fortnight beginning November 6, 1999. The Column Nos. 6, 7,8,13,14 and 15 of the existing format have, therefore, been omitted in the new format.

iii) In terms of para 2 of circular letter DBOD No.BC-44/12.01.001/98 –99 dated 2O-5-98, the remaining two-thirds of additional cash balance maintained under 10 per cent incremental CRR by each bank based on the level of Net Demand and Time Liabilities upto April 17,1992 have been released in 12 equal installments from the fortnight beginning May 23,1998. As the incremental CRR over the NDTL level of 3-5-91 has been completely withdrawn with effect from fortnight beginning 13-3-99, the Col. No. 11 of the existing format has also been omitted in the new format.

iv) In terms of para 6 of our circular letter DBODNo.BC.113/12.0l.001/1999-2000 dated 29-10-99, it has been decided to treat 'cash in hand' maintained by Scheduled Commercial Banks for compliance of CRR for a limited period of two months commencing from Dec.1, 1999 to January 31,2000. In order to indicate cash maintained by banks with themselves, new Column No. 14 has been introduced to indicate average cash balances held with themselves. This column will be operative only for two months from 1 Dec.99 to 31 January 2000. This column together with Col. No. 15 may be deleted for the submission of interest claim from the quarter ended June 2000 onwards.

v) In order to arrive at the maintenance of daily balances to the extent of 85% of the required CRR, a statement of daily (date-wise) cash balances held with the bank itself for the 14 days (during the above period) should be enclosed along with the existing statement showing daily balances held with Reserve Bank of India during the fortnight.

vi) The amount outstanding under India Development Bonds (IDBs) and Euro Issue, if any, should be shown by way of footnote (fortnight-wise) in the statement.

vii) The enclosed new format is to be used for subsequent quarters also unless advised otherwise.

2. It is also observed that some of the banks are still forwarding to us interest claim statements in the form of compressed printout. The figures and other details therein are not easily decipherable. You are, therefore advised to ensure that the details of claim statements submitted are of reasonable standard in respect of size, quality and print.

Please ensure that the interest claim statements are signed only by those officials whose signatures are on our record. In case of change in the incumbency, the signature/s of such official/s should be registered with us.

Yours faithfully,

(Rajesh Verma)
Deputy General Manager

Name of the bank_____

Statement showing the amount of interest payable on eligible cash balances maintained with RBI for the quarter ended_____

(Amount in Rs.) Col. No. 3 to 16, 000 omitted

and Col. No. 17 should be in actual upto two decimals

Sr. No.	Date of reporting Friday i.e. last Friday of Second preceding fortnight.	Amount outstanding under liabilities to banking system (Net) Clause (d) of explanation to Sec. 42(1) of RBI Act. 1934, (Second preceding fortnight)	Amount of DTL i.e. I-III + II (if I-III) is +ve) or only II (if I-III is -ve) (Second preceding fortnight)	Net liabilities on dates indicated in Col.No.(2) excluding liabilities under zero reserve prescription categories. ++ (Second preceding fortnight)	Rate of CRR	Amount of average daily balances required to be maintained for the purpose of Section 42(1) of RBI Act, 1934			Amount of incremental CRR required to be maintained under Section 42(A) of RBI Act, 1934.	The amount of minimum 3% CRR required to be maintained by the bank.	Amount of avarage balances aggregate		Average cash balances held with bank itself.	Total cash balances actually held.	Amount of average daily balances (ADB), eligible for interest @ 4% p.a. [Col.No. 12 less col. No. 11]	Amount of interest payable at 4% p.a. on CRR balances as per Col. 16
						Fortnight beginning	Fortnight ended	Amount on the basis of Col.. No. 5 (or all the reporting fortnights)	Over the NDTL as of 5.8.94/ 30.9.94*	On the basis of Col 4.	Required to be maintained under Sec. 42(1) & under Sec.42(1A) of the RBI Act, 1934, Total of Col.Nos. (9+10)	Actually maintained with RBI for the purpose of CRR under Sec. 42(1) and Sec. 42(1A) of the RBI Act, 1934.	(Only for the period 1.12.99 to 31.12000	Total of Column Nos. 13 + 14)	(Col.No. 12 less Col. 11)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	22-10-99					06-11-99	19-11-99									
2.	05-11-99					20-11-99	30-12-99									
3.	19-11-99					04-12-99	17-12-99									
4.	03-12-99					18-12-99	31-12-99									
5.																
6.																
7.																

We hereby certify that the information furnished above is correct. Our Bank has/has not# complied with CRR requiremet for all the fortnights of the quarter and has/has not# defaulted in the maintenance of CRR during the quarter. In case of the default detected subsequently, we undertake to refund the excess amount alongwith such interest as may be levied by Reserve Bank of India within a week from the date of demand, failing which we authorise Reserve Bank of India to debit our account with them for a like amount. We also note that Reserve Bank of India would withdraw the facility of ad-hoc payment of interest in the event of furnishing incorrect information/delayed submission of required returns/submission of incorrect return.

Place :
Date :

Signature :
Name ;
Designation :

Seal of the Bank.

In case there is default/shortfall in the maintenance of CRR in any of the fortnights; please indicate reasons therefor.

++ Liabilities under zero reserve prescription - NRE, NRNR, FCNR(B) and liabilities to banking system (Net), outstanding amount of Tier II capital as applicable.
* Information under this column is to be furnished by 37 banks which were asked to maintain 10 per cent incremental CRR over their NDTL of 5-8-94/30-9-94.
# Strike out which is not applicable under the signature of authorised signatory.

Please leave sufficient space between two Sr. Nos.
Please indicate the amount of outstanding on reporting Friday under Euro Issue Deposits and India Development Bonds(IDBs) with banks and CRR maintained @ 7.5% and average CRR respectively thereon fortnight-wise. This amount may be included under Col. 12. Scheduled Commercial Banks which have issued subordinated debt as Tier II capital, should follow the instructions contained para.4 of DBOD Circular letter DBOD No. BP. BC. 5/21.01.002/98-99 dated 8 February 1999 and accordingly include requisite amount in column No. 4 (DTL) and column No. 5(NDTL) in the above statement.
Dates indicated in column Nos. 2, 7 and 8 of the statement relate only to the quarter ended December 1999.

DBOD.No.BC. 154/12.02.001/99-2000

April 1, 2000
Chaitra 12, 1922 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

PENAL RATE OF INTEREST ON THE SHORTFALL IN THE MAINTENANCE OF CRR/SLR

We invite your attention to Deputy Governor's circular No.MPD.BC.195/07.01.279/99-2000 dated April 1, 2000 in terms of which the Bank Rate has been reduced by one percentage point from 8.00 per cent per annum to 7.00 per cent per annum with effect from the close of business on 1st April 2000. Consequently, the penal rate of interest charged on the amount of shortfalls in the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) which is linked to Bank Rate stands revised from the close of business on 1st April 2000.

Yours faithfully,

(S.P. Padgaonkar)
General Manager

DBOD. No.BC. 156/12.01.001/99-2000

April 1, 2000
Chaitra 12, 1922(Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934-
REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO

Please refer to circular No. MPD BC 194/07.01.279/99/2000 dated April 01, 2000 on the captioned subject. Under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 all Scheduled Commercial Banks {excluding Regional Rural Banks (RRBs} are, at present, required to maintain with the Reserve Bank of India a Cash Reserve Ratio (CRR) of 9 per cent of the Net Demand and Time Liabilities (NDTL) (excluding liabilities subject to zero CRR prescription). On a review of liquidity and market conditions, it has been decided to reduce the CRR. Accordingly, the CRR to be maintained by the Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) will be reduced by one percentage point from the present level of 9 per cent to 8 per cent of NDTL in two installments as set out below :

Effective from the fortnight beginning from	CRR on Net Demand and Time Liabilities (per cent)
April 08, 2000	8.50
April 22, 2000	8.00

2. Copies of the relative notification DBOD No. BC. 155/12.01.001/99/2000, dated April 01, 2000 is enclosed.

3. It may be reiterated that in view of the multiple prescripions of CRR on different categories of liabilities including zero prescription of CRR on certain liabilities, as stipulated under the law, effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total Net Demand and Time Liabilities should not be less than 3 per cent.

Yours faithfully,

(S. P. Padgaonkar)
General Manager.

DBOD. No.BC. 155/12.01.001/99-2000 **April 1, 2000**
Chaitra 12, 1922 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the Proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD.BC. 110/12.01.001/99-00 dated October 29, 1999 the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective date (ie. the fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)
April 08, 2000	8.50
April 22, 2000	8.00

(G. P. Muniappan)
Executive Director.

DBOD. No.IBS. BC. 165/23.67.001/99-2000 **April 27, 2000**
Jyestha 6, 1922 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
authorised to deal in Gold

Dear Sir,

GOLD DEPOSIT SCHEME - ALLOWING BANKS TO LEND GOLD TO OTHER AUTHORISED BANKS

Please refer to the Governor's letter No. MPD.BC. 196 /07.01.279/99-2000 dated 27 April 2000 enclosing a copy of the statement on "Monetary and Credit Policy for the year 2000-2001". Guidelines in regard to change in policy relating to deployment of gold mobilised under the Gold Deposit Scheme are given below.

2. The avenues of deployment of the gold mobilised under the Gold Deposit Scheme have been outlined in paragraph 17 of the guidelines for introduction of Gold Deposit Scheme forwarded with our circular letter DBOD No.IBS.912/23.67.001/99-2000 dated 5 October 1999. In order to provide more deployment avenues within the country and at the same time to exploit the synergy between the lending expertise of a few banks with the vast branch net work of the others, it has now been decided that gold mobilized under the Gold Deposit Scheme may be lent to other authorised banks, for similar use as specified in Paragraph 17 of the guidelines referred to above. The other instructions contained in paragraph 17 remain unchanged.

3. Borrowing of gold mobilized under the Gold Deposit Scheme by authorised banks (from other authorised banks) will be treated as inter bank liabilities and therefore are exempt from CRR. However, in view of multiple prescriptions on different categories of liabilities, the effective CRR maintained by the authorised banks on total Net Demand and Time Liabilities (NDTL) including the gold borrowing should not be less than 3 per cent as required in terms of Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

Relevant Extract of circular DBOD. No. BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated May 3, 2000 is reproduced below :-

2. Cash Balances required to be maintained by banks

Please refer to para (b) of our circular DBOD. NO. BC. 128/12.01.001/94-95 dated October 24, 1994, in terms of which Scheduled Commercial Banks should maintain a minimum level of 85 per cent of CRR balances required begining the first working day upto the 13th day and on the 14th day of the reporting fortnight, banks are allowed to maintain less than 85 per cent of the required cash balances to adjust the average of daily balances to the required level.

With a view to providing further flexibility to banks and enabling them to choose an optimum strategy of holding reserves depending upon their intraperiod cash flows, it has been decided to reduce the requirement of minimum of 85 per cent of the CRR balances to be maintained to 65 per cent with effect from the fortnight beginning May 6, 2000.

Note :- The detailed circular on the subject is contained in chapter III

DBOD. BC.No. 186/12.01.001/99-2000 **June 28, 2000**

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 OF RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 -
CASH RESERVE RATIO (CRR)- MAINTENANCE OF
MINIMUM LEVEL OF 65 PER CENT ON A DAILY BASIS

As per extant instructions the banks are required to maintain a minimum level of 65.0 per cent of CRR balances required to be maintained by banks on each of the days of the reporting fortnight beginning the first working day upto the 13th day and on the 14th day of the reporting fortnight, banks are allowed to maintain less than 65.0 per cent of the required cash balances to adjust the average of daily balances to the required level.

As June 30, 2000, the reporting Friday, happens to be RBI's account closing, day, the banks will not be in a position to transact any business with RBI on that day. Therefore, as a special case, it has been decided to allow the banks to treat 29.6.2000 for adjusting their CRR balances and allow them to maintain less than 65.0 per cent on June 29. 2000.

Yours faithfully,

(Rajesh Verma)
Deputy General Manager

SECTION VII

CREDIT INFORMATION VII

DBOD.No.BC.DL.(W)12/20.16.002(1)98-99 **February 20, 1999**
Phalguna 1, 1920 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
All notified All India Financial Institutions viz. IDBI, ICICI and IFCI

Dear Sir,

COLLECTION AND DISSEMINATION OF INFORMATION ON CASES OF WILFUL DEFAULT OF RS.25 LAKHS AND ABOVE

Pursuant to the instructions of the Central Vigilance Commission for collection of information on wilful defaults of Rs.25 lakhs and above by RBI and dissemination to the reporting banks and FIs, a Scheme has been framed under which the banks and financial institutions viz., IDBI, IFCI and ICICI will be required to submit to us the details of the wilful defaulters.

2. The details of the scheme are given in the following paragraphs.

i) The scheme will come into force with effect from 1st April 1999. Accordingly, banks and FIS will report all cases of wilful defaults which occurred or are detected after 31st March 1999 on quarterly basis.

ii) The scheme will cover all non-performing borrowal accounts with outstandings (funded facilities and such non-funded facilities which are converted into funded facilities) aggregating Rs.25 lakhs and above.

iii) Wilful default will broadly cover the following:

a) Deliberate non-payment of the dues despite adequate cash flow and good networth.
b) Siphoning off of funds to the detriment of the defaulting unit.
c) Assets financed have either not been purchased or have been sold and proceeds have been misutilised.
d) Misrepresentation/falsification of records.
e) Disposal/removal of securities without bank's knowledge.
f) Fraudulent transactions by the borrower.

The identification of the wilful default should be made keeping in view the track record of the borrowers and should not be decided on the basis of isolated transactions/ incidents. The default to be categorised as wilful must be intentional deliberate and calculated.

iv) The banks/FIs will form a Committee consisting of three GMs/DGMs or equivalent to GMs/DGMs for identifying the cases of wilful default.

v) The first return on wilful default will contain cases for the quarter 1st April to 30th June 1999. Returns for the subsequent quarters will contain fresh cases as well as those reported in the earlier returns but will exclude cases which have been regularised subsequently. Information on wilful default will be submitted on floppy diskettes, as per proforma given in Annexure, within a month from the quarter to which it relates. If there are no cases to report, a Nil statement should be submitted.

vi) Cases of wilful defaults at overseas branches will also be reported if such disclosure is permitted under the laws of the host country.

vii) The names of directors who are stakeholders only should be reported and the names of Professional Directors and Nominee Directors of FIs, Central/State Governments need not be reported.

viii) In case of consortium/multiple lending, banks and FIs will report wilful defaults to other participating/financing banks also.

ix) In the case of wilful defaulters, only the Board of Directors should consider any fresh limit/renewal/enhancement on merits of each case.

3. The above scheme is in addition to the Scheme of Disclosure of Information on Defaulting Borrowers of banks and FIs introduced in April 1994, vide our Circular DBOD.No.BC/CIS/47/20.16.002/94 dated 23 April 1994, under which banks and notified FIs are furnishing to us details of defaulters of Rs.1 crore and above classified as Doubtful or Loss and suit filed accounts as on 31 March and 30 September on floppy diskettes since March 1994 and in addition to publication of the list of borrowal accounts against which banks and FIs have filed suits for recovery of dues as on 31 March every year.

Yours faithfully,

(Radhe Shyam)
Additional Chief General Manager

Annexure

FORMAT FOR REPORTING OF DATA ON WILFUL DEFAULT

Information should be furnished to the Reserve Bank of India in floppy diskette in format specified as below:

a)Input media :	3.5" floppy disk only
b)File characteristics :	ASCII or dbf file

The field-wise description of various items is as follows:

1.	Serial Number	9(4) Unique number to be given to each of the records
2.	Bank-branch name	x(14) As in the case of Basic Statistical Return
3.	Party's name	x(45) The legal name
4.	Registered address	x(96) Registered office address
5.	Amount outstanding	9(6) Total amount outstanding in Rs. lakhs
6.	Names of directors	x(336) To be divided into 14 sub-fields of 24 bytes each.
7.	Status	Suitfiled or non-suitfiled

DBOD.No.BC.DL. 46/20.16.002/98-99

May 10, 1999
Vaishakha 20, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks and
Notified Financial Institutions

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING DEFAULTING BORROWERS - LISTS OF DEFAULTERS/SUIT FILED A/CS AND DATA ON WILFUL DEFAULT

Please refer to our circular letter DBOD.No.BC.DL.156/20.16.002/96 dated the 6th December 1996 read with DBOD.No.BC.DL.106/20.16.002/98-99 dated the 11th November 1998 on the captioned subject. As you are aware, in terms of extant instructions/guidelines issued by the Reserve Bank of India, banks and financial institutions are required to properly verify the list of defaulters/list of suit filed accounts so as to ensure that the names of the Chairmen/Managing Directors/Executive Directors/Directors etc. indicated therein are current ones i.e. they were holding such positions as on the date of the lists submitted to Reserve Bank of India.

2. Since we continue to receive complaints about reporting of names of directors, etc., who have resigned/ceased to be director, it will be necessary for the banks and financial institutions to streamline the procedures followed to identify the directors, etc. of defaulting companies/organisations in order to ensure that only the current list of such persons as disclosed in the latest balance sheet of the company/organisation is furnished to RBI and that the names of those directors, etc. who have resigned/ severed their connections with the companies/ organisations are not reported. It has, therefore, been decided that before submitting the list of defaulters to RBI, the banks/ financial institutions should seek clarification from the concerned directors, etc. Further, banks/financial institutions should advise such directors, etc. that as per information available on its records, their names appear as a director, etc. of the concerned company which has been indentified as defaulter for reporting to RBI and in case there is any change in their position, they may inform the bank/financial institution immediately. They should also be cautioned by the bank/financial institution that in case they do not reply to the bank/financial institution within 10 days from the date of the letter, their names would be included as directors, etc. of the defaulting company/organisation for reporting to RBI.

3. After the finalisation of the names, the lists should be submitted to RBI within the stipulated period in terms of our Circular letters DBOD.No.BC/CIS.47/ 20.16.002/94 dated 23rd April 1994, DBOD.No.135/20.16.002/95 dated 24th November 1995 and DBOD.No.BC.DL(W)12/20.16.002(1)/98-99 dated 20th February 1999 together with a certificate signed by a sufficiently senior official of the bank/financial institution stating that the list of defaulters has been correctly compiled after duly verifying the details thereof and RBI's instructions have been strictly followed.

4. Please note that the above instructions are also applicable to collection and dissemination of information on cases of Wilful Default of Rs.25 lakhs and above.

Yours faithfully,

(N.H.Siddiqui)
Chief General Manager

DBOD.No.BC.DL. 104/20.16.002/99-2000 **October 23, 1999**

The Chairmen/Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks and
Financial Institutions

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION IN RESPECT OF PENDING COURT CASES BY BORROWERS OF BANKS & FINANCIAL INSTITUTIONS

As you are aware, RBI collects and disseminates information on defaulters with outstandings of Rs.1 crore and above on a half yearly basis and on cases of willful defaults of Rs.25 lakhs and above on a quarterly basis. RBI also publishes a list of borrowers with outstandings of Rs.1 crore and above against whom suits have been filed as on 31st March every year. Banks/FIs have been advised to make use of this information and to make a mention in their loan appraisal notes regarding the fact that the names of the concerned borrower/director appear in the list circulated by us vide our circular letter DBOD.No.BC/DL/2/20.16.002/95-96 dated 6th July 1995, to safeguard their interest.

2. The above Scheme of disclosure of information was put in place to alert banks and put them on guard against the defaulters to other lending institutions. It was reported to us that a company was granted fund based facility by a bank despite the fact that another bank had already initiated winding up petition against it and a petition was also filed with the Company Law Board. In order to ensure that such cases do not recur, it has since been decided that banks/FIs may henceforth ensure that the application for credit facility should contain a column to enquire about all litigations the borrowers or their partners/directors etc. are facing which have been initiated by another financier including banks. This would facilitate to cross check the information furnished by the borrower.

3. Banks/FIs may arrange to invariably call for the type of information as stated above by making suitable changes in the loan applications.

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

DBOD.No.DL.BC. 117/20.16.002/99-2000 **October 30, 1999**

All Scheduled Commercial Banks and
All India notified FIs

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION ABOUT DEFAULTERS OF RS.1 CRORE AND ABOVE - LIST OF SUIT-FILED ACCOUNTS - QUARTERLY UP-DATION

Please refer to our circular DBOD.No.BC.CIS(D)135/20.16.002/95-96 dated 24 November 1995 in terms of which banks and FIs are required to report to us details of borrowal accounts of Rs.1 crore and above against which suits have been filed for recovery of dues as on 31 March every year.

2. The latest list as on 31 March 1999 has also since been published. Priced at Rs.340/- excluding postage, it is available with our under-noted office;

Sales Section
Division of Reports, Review and Publications
Reserve Bank of India
Amar Building, Ground Floor
P.M.Road, Post Box No. 1036
Fort, Mumbai 400 001.

The said list is also available on **internet** at the **address http://www.rbi.org.in**

3. It has since been decided to prepare a quarterly up-date as on 30 June, 30 September and 31 December every year indicating the particulars of (I) accounts reported in the list as on 31 March but closed subsequently and (ii) accounts where suit has been filed after 31 March.

4. Accordingly, you are requested to please submit to us the following statements effective from the quarter ended 30 June 1999.

(i) List of suit-filed accounts of Rs.1 crore and above which were reported as on 31 March but closed subsequently (as per proforma given in Annexure I Part A).

(ii) List of accounts of Rs. 1 crore and above against which suits have been filed after 31 March (as per proforma given in Annexure I - Part B)

5. Banks and FIs will continue to submit the annual list as on 31 March every year as hitherto. The lists have to be submitted within a period of 15 days from the end of the quarter to which they relate. Separate lists for the quarters ended 30 June and 30 September 1999 may please be sent **immediately.**

Yours faithfully,

(P.V.Subba Rao)
Chief General Manager

ANNEXURE I

Name of the Bank :

Statement for the quarter ended June/September/December

PART - A - List of accounts which were reported to RBI in the list of suit filed accounts of Rs.1 crore and above as on 31 March 1999 but closed subsequently and hence to be deleted

Sr.No.	Name & Address of the Borrower	Appearing in the list as on 31st March	
		Page No.	Sr.No.

PART B - List of new suit filed accounts with outstanding of Rs.1 crore in which suits were filed after 31 March

(Rs. in crores)

Sr. No.	Name of borrower & address	Name of Director/ Partners/Proprietors	Balance Outstanding	Asset Class	Date of filing suit	Name of branch
1	2	3	4	5	6	7

Note : The statement should be neatly prepared on quarter-size papers

DBOD. No. BC.DL. 161/20.16.002/99-2000

April 1, 2000
Chaitra 12, 1922 (Saka)

The Chief Executives of
i) All scheduled commercial banks (excluding RRBs) and
ii)All India Notified Financial Institutions viz. ICICI, IDBI, IFCI

Dear Sir,

COLLECTION AND DISSEMINATION OF INFORMATION ON DEFAULTING BORROWERS OF BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Under the Scheme of Disclosure of Information on Defaulters introduced in April 1994, banks and Notified Financial Institutions (FIs) are required to report the particulars of borrowers with outstandings agreegating Rs. 1 crore and above classified as doubtful or loss and also borrowers against whom suits have been filed, on floppy diskettes as on 31st March and 30th September every year, vide our circular DBOD No. BC/CIS/47/ 20.16.002/94 dated 23 April 1994.

Besides, banks and FIs are also required to report particulars of defaulting borrowers with outstandings aggregating Rs. 1 crore and above against whom banks and FIs have filed suits for recovery of their dues. (Detailed list in hard print is submitted as on 31 March each year and details of accounts deleted or added subsequent to 31 March are also being reported in hard print on a quarterly basis) vide circulars DBOD No. BC.CIS (D) 135/20.16.001/95-96 dated 24 November 1995, read with Circular DBOD.No.DL.BC.117/ 20.16.002/99-2000 dated 30 October 1999.

In terms of our circular DBOD No.BC.DL.(W) 12/20.16.002 (1)/98-99 dated 20 February 1999 cases of willful default of Rs.25 lakhs and above are being reported on floppy diskettes on a quarterly basis from the quarter ended June 1999.

2. Representations have been received from individuals that although they have resigned long back from the directorship of the companies, their names continue to be reported along with the names of the defaulting company in the lists being circulated by RBI.

Similarly, Government officials and representatives of banks/FIs, including retired officials, have represented that they were associated with such companies as 'nominee directors'

of the Government/bank/FIs, but their names have been reported along with the defaulting companies in the list of defaulters circulated to banks and FIs by RBI causing damage to their reputation.

3. RBI disseminates the information as reported to it and responsibility for reporting correct information and also accuracy of facts and figures rests with the concerned banks and financial institutions. Therefore, banks and financial institutions should take immediate steps to up-date their records and ensure that the names of current directors are reported to us as advised vide our Circular DBOD. No. BC.DL. 156/20.16.002/96 dated 6 December 1996. In this connection, a reference may also be made to our circular DBOD No.BC.DL/ 46 /20.16.002/98-99 dated 10 May 1999.

In addition to reporting the names of current directors, it is necessary to furnish information about directors (excluding nominee directors of the Government, banks, FIs) who were associated with the company at the time the account was classified as defaulter, to put the other banks and financial institutions on guard.

Banks and FIs may also ensure the facts about current directors, wherever possible, by checking with Registrar of Companies.

4. In the case of Government undertakings, it should be ensured that the names of directors are not to be reported. Instead, a legend "Government of ———— undertaking" should be added, vide our circular DBOD.No.BC.DL.106/ 20.16.002/98-99 dated 11 November 1998.

5. Professional directors such as Chartered Accountants unless they have any interest or stake in the company or are otherwise involved in day to day management of the company cannot be equated with the promoter directors or directors who are promoters' family members/relatives or those who are involved with the day to-day management of the company. Therefore, against the name of such professional directors, banks should clearly mention 'professional director'.

6. Allegations have also been made that the defaulters get loan from banks and FIs. It is clarified that the Scheme of Collection and Dissemination of Information on Defaulters was introduced pursuant to the then Finance Minister's Budget Speech made in the Parliament on 28 February 1994 to alert the banks and put them on guard against the borrowers who have defaulted to other lending institutions. Therefore, the decision for granting fresh loans to such companies and to new constituents with whom any of the

directors of the defaulting company is associated, should be taken with due care.

7. Our reporting format enclosed with the circular dated 23rd April 1994 referred to above contains certain information such as nature of securities etc. which are not relevant now. Therefore, a revised format (Annexure I) is enclosed for reporting the particulars of defaulters of Rs.1 crore and above for the half-year ending 31st March 2000 onwards .

It has also been decided that the lists of suit filed accounts of Rs.1 crore and above presently being reported in hard prints as on 31 March in detail, and subsequent deletion and additions on a quarterly basis, should also be reported on floppy diskettes as per format given in Annexure II..
Instructions for reporting cases of wilful default of Rs.25 lakhs and above remain unchanged.

8. In cases where the dues have been settled after the close of the half year but before submission of data to the RBI / consolidation thereof by the RBI, details may be expeditiously furnished so that a suitable remark is entered against the name.

9. The above instructions may please be noted carefully and immediate steps be taken for implementation thereof and for prompt reporting.

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

ANNEXURE I

Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions (notified) of Rs.1 crore and above

Under the scheme of disclosure of information about defaulters of banks and financial institutions (notified) with outstanding (both under funded and non-funded) aggregating Rs 1 crore and above, the information is being called on floppy diskettes from banks and FIs on a half-yearly basis as on 31 March and 30 September, vide our circular DBOD No.BC.CIS/47/ 20.16.002/94 dated 23 April 1994.

As per the extant instructions, banks/FIs are required to furnish information under 6 different files / Record Index numbers in the floppy diskettes. It has been decided to collect the information in 1 file only, by not calling for the information which is redundant and presently not circulated to banks/FIs e.g. details of securities, types of facilities, names of guarantors etc. Accordingly, the revised format will consist of following items only :

1. Category of bank/FI
2. Name of bank/FI
3. Branch name
4. State of the branch
5. Serial number
6. Name of the party
7. Registered address of the party
8. Outstanding amount in lakhs
9. Asset classification
10. Date of classification
11. Whether the account is suit-filed
12. Names of other banks /FIs
13. Names of directors/partners/proprietors

The banks/FIs are required to use the following structure (with the same field names) while submitting data to RBI in floppy diskettes :

Field	*Field Name*	*Type*	*Wi-dth*	*Description*	*Remarks*
1	SCTG	Numeric	1	Category of bank/FI	Number 1/2/4/6/8 should be fed 1 SBI and its associate banks 2 Nationalised banks 4 Foreign banks 6 Private Sector Banks 8 Financial Institutions
2	BKNM	Character	40	Name of bank/FI	
3	BKBR	Character	30	Branch name	Name of the branch should be fed in place of branch code number.
4	STATE	Character	15	Name of state	Name of state in which branch is situated
5	SRNO	Numeric	4	Serial No.	
6	PRTY	Character	45	Name of Party	The legal name
7	REGADDR	Character	96	Registered address	Registered Office address
8	OSAMT	Numeric	6	Outstanding amount in Rs. lakhs (Rounded off)	In case of suit-filed accounts, the amount for which suit has been filed should be indicated.
9	ASSETCLASS	Character	5	Asset Classification	Fixed 'DOUBT' for doubtful a/c 'LOSS' for loss a/c However, in case of suit-filed a/cs, category of asset classification may be indicated as 'DOUBT'/' LOSS'/SUBST'/'STD' as the case may be, where 'SUBST' and 'STD' stand for sub-standard and standard accounts respectively.
10	DATECLASS	Character	5	Date of classification	Month in which the a/c was classified as 'DOUBT'/'LOSS' in the format 'mmmyy' where mmm stand for the first 3

					characters of the month. As this field is 'character' type, the format is not sensitive to date and the Y2K is not relevant. The date of classification 'march 2000' should be filled up as 'MAR00'.
11	SUIT	Character	4	Suit filed or not	Whether the suit is filed against the party. Type 'SUIT' in case suit is filed. Other cases this field should be kept blank.
12	OTHER_BK	Character	40	Name of other banks/ FIs	The names of other banks/FIs from whom the party has availed credit facility should be indicated. The names may be fed in abbreviated form e.g. BOB for Bank of Baroda, SBI for State Bank etc.
13	DIR1	Character	24	Name of director*	(a) In case of Government companies the legend "Govt. of _____ undertaking" alone should be mentioned. (b) The names of nominee directors of banks/ FIs/ Central Govt./State Govt. should not be included. (c) In case of professional directors, '(Prof.)' should be entered against the name of such director. (d) If total number of directors exceed 14, the name of additional directors may be entered in blank spaces available in the other directors' columns.
14	DIR2	Character	24	Name of director	— do—-
15	DIR3	Character	24	Name of director	— do —-
16	DIR4	Character	24	Name of director	— do —-

17	DIR5	Character	24	Name of director	— do —-
18	DIR6	Character	24	Name of director	— do —-
19	DIR7	Character	24	Name of director	— do —-
20	DIR8	Character	24	Name of director	— do —-
21	DIR9	Character	24	Name of director	— do —-
22	DIR10	Character	24	Name of director	— do —-
23	DIR11	Character	24	Name of director	— do —-
24	DIR12	Character	24	Name of director	— do —-
25	DIR13	Character	24	Name of director	— do —-
26	DIR14	Character	24	Name of director	— do —-
		Total bytes	**628**		

* In the case of Directors who held office at the time the account was classified as defaulter, but are no longer on the Board, the symbol @ may be indicated in brackets against their names (vide paragraph 3 of circular dated 1.4.2000)

The information should be submitted in the above format **in 3.5" floppy as .dbf file only (should be processed under dBASE or Fox-pro package)**. While submitting the floppy, the banks/FIs should ensure that :

- Ø the floppy is free from virus and is readable.
- Ø the name and width of each of the fields and order of the fields is strictly as per the above format.
- Ø In case of Government undertakings, instead of giving names of Chairman/Director etc., a legend "Govt. of _____ undertaking" has been mentioned.
- Ø the names of nominee directors of banks/FIs/Central Govt./State Govt. have not been included.
- Ø the records with outstanding amount of less than Rs.1 crore have not been included.
- Ø the use of following types of words have been avoided (as the fields can not be properly indexed) : 'M/s', 'Mr', 'Shri' etc.
- Ø the words 'Mrs', 'Smt', 'Dr' etc. have been fed at the end of name of the person, if applicable.
- Ø field no.11 has been filled up in the case of suit-filed accounts. For other fields (except

for some of the fields from DIR1 To DIR 14), information is completely filled up and these are not kept blank.

- Ø certificate signed by a sufficiently senior official stating that 'the list of defaulters has been correctly compiled after duly verifying the details thereof and RBI's instructions have been strictly followed' is sent along with the floppy.
- Ø The word 'SUIT' is **not incorporated** in 'ASSETCLASS' field for any of the accounts and actual asset classification is indicated under that field.
- Ø **the number of suit-filed accounts tally with the number of suit-filed accounts submitted under statement of suit-filed accounts, where the defaulters list is submitted for the half year ended on 31st March.**

The modified format is identical to the format in which data is being circulated to banks/ FIs in floppy diskettes. The banks may copy the records pertaining to their banks/FIs from MAR99CMS.dbf file of the floppy circulated as on 31.3.1999 (or earlier one) and use this as a base file. The following changes are required to be carried out in the file so obtained, so as to make the structure of the file as described above :

1. The width of 'BKNM' field should be increased to 40 from 20.
2. The width of 'BKBR' field should be increased to 30 from 14.
3. The field 'STATE' should be inserted after the field 'BKBR' with the width of 15.
4. The field 'SUIT' should be inserted after the field 'DATECLASS' with the width of 4.
5. The field 'OTHER_BK' should be inserted after the field 'SUIT' with the width of 40.
6. The fields 'DIR10', 'DIR11', 'DIR12', 'DIR13', 'DIR14' should be added after the field 'DIR9' with the width of 24 each.

The other instructions pertaining to collection and dissemination of information issued to banks/ FIs vide our circular DBOD No.BC/CIS/47/20.16.002/94 dated 23rd April 1994 remain unchanged. ***The banks/FIs should submit the data in revised format from the half-year ended as on 31.3.2000 onwards***.

ANNEXURE II

Submission of Information about Cases of Wilful Default of Rs.25 lakhs and above on floppy diskette

Banks and FIs are required to submit to RBI on quarterly basis details of wilful defaulters in the format prescribed by circular DBOD No.BC.DL.(W)12/ 20.16.002(1)/98-99 dated 20th February 1999 read with circular DBOD No. DL(W) 952/ 20.16.002/ 98-99 dated 27th May 1999.

The banks/FIs are required to use the following structure (with the same field names) while submitting data to RBI in floppy diskettes :

Field	*Field Name*	*Type*	*Wi-dth*	*Description*	*Remarks*
1	SCTG	Numeric	1	Category of bank/FI	Number 1/2/4/6/8 should be fed 1 SBI and its associate banks 2 Nationalised banks 4 Foreign banks 6 Private Sector Banks 8 Financial Institutions
2	BKNM	Character	20	Name of bank/FI	
3	BKBR	Character	14	Branch name	Name of the branch/code number should be fed
4	STATE	Character	15	Name of state	Name of state in which branch is situated
5	SRNO	Numeric	4	Serial No.	
6	PRTY	Character	45	Name of Party	The legal name
7	REGADDR	Character	96	Registered address	Registered Office address
8	OSAMT	Numeric	6	Outstanding amount in Rs. lakhs (Rounded off)	
9	SUIT	Character	4	Suit filed or not	Type 'SUIT' in case suit is filed. Other cases this field should be kept blank.

10	OTHER_BK	Character	40	Name of other banks/ FIs	The names of other banks/FIs from whom the party has availed credit facility should be indicated. The names may be fed in abbreviated form e.g. BOB for Bank of Baroda, SBI for State Bank etc.
11	DIR1	Character	24	Name of director	(a) In case of Government companies the legend "Govt. of _____ undertaking" alone should be mentioned. (b) The names of nominee directors of banks/ FIs/ Central Govt./State Govt. should not be included. (c) In case of professional directors, '(Prof.)' should be entered against the name of such director. (d) If total number of directors exceed 14, the name of additional directors may be entered in blank spaces available in the other directors' columns.
12	DIR2	Character	24	Name of director	— do—
13	DIR3	Character	24	Name of director	— do —
14	DIR4	Character	24	Name of director	— do —
15	DIR5	Character	24	Name of director	— do —
16	DIR6	Character	24	Name of director	— do —
17	DIR7	Character	24	Name of director	— do —
18	DIR8	Character	24	Name of director	— do —
19	DIR9	Character	24	Name of director	— do —
20	DIR10	Character	24	Name of director	— do —
21	DIR11	Character	24	Name of director	— do —
22	DIR12	Character	24	Name of director	— do —
23	DIR13	Character	24	Name of director	— do —
24	DIR14	Character	24	Name of director	— do —
		Total bytes	**582**		

The information should be submitted in the above format **in 3.5" floppy as .dbf file only (should be processed under dBASE or Fox-pro package).** While submitting the floppy, the banks/FIs should **ensure** that :

- Ø the floppy is free from virus and is readable.
- Ø the name and width of each of the fields and order of fields is strictly as per the above format.
- Ø in case of Government undertakings, instead of giving names of Chairman/Director etc. a legend "Govt. of _____ undertaking" has been mentioned.
- Ø the names of nominee directors of banks/FIs/Central Govt./State Govt. have not been included.
- Ø the records with outstanding amount less than Rs.25 lakhs have not been included.
- Ø the use of following types of words have been avoided (as the fields can not be properly indexed) :

  'M/s', 'Mr', 'Shri' etc.

- Ø the words 'Mrs', 'Smt', 'Dr' etc. have been fed at the end of name of the person, if applicable.
- Ø field no.9 has been filled up in the case of suit-filed accounts. For other fields (except for some of the fields from DIR1 To DIR 14), information is completely filled up and these are not kept blank.
- Ø certificate signed by a sufficiently senior official stating that 'the list of wilful defaulters has been correctly compiled after duly verifying the details thereof and RBI's instructions have been strictly followed' is sent along with the floppy.

The modified format is identical to the format in which data is being circulated to banks/ FIs in floppy diskettes. The banks may copy the records pertaining to their banks/FIs from JUN99WFD.dbf file of the floppy circulated as on 30.6.1999 and use this as a base file. Alternatively banks/FIs can make changes in their .dbf file as per the structure suggested above. While modifying format banks/FIs **should take care to change field names.** Further, the field 'STATE' should be inserted after the field 'BKBR' with the width of 15 and the field 'OTHER_BK' should be inserted after the field 'SUIT' with the width of 40.

The other instructions pertaining to collection and dissemination of information issued to banks/ FIs vide our circular DBOD No.BC.DL.(W)12/ 20.16.002(1)/98-99 dated 20th February 1999 remain unchanged. ***The banks/FIs should submit the data in revised format from the quarter ended as on 31.3.2000 onwards.***

ANNEXURE III

(A) Disclosure of information about defaulters of banks and Financial Institutions – List of Suit-filed accounts of Rs.1 crore and above

As per the extant guidelines issued vide our circular No. DBOD.BC/CIS(D) No. 135/ 20.16.002/95-96 dated 24th November 1995 bank/FIs are required to submit statement of suit-filed accounts of Rs. 1 crore and above as on 31st March each year in hard copies (duplicate). In order to standardise the format of suit filed account and to avoid duplication in feeding of data in statement under defaulters list and suit-filed accounts, it has been decided to obtain the List of Suit-filed accounts of Rs. 1 crore and above in floppy diskettes in addition to obtaining the same in hard copies from banks/FIs.

The banks/FIs are required to use the following structure (with the same field names) while submitting the List of Suit-filed accounts as on 31st March to RBI in floppy diskettes

Field	*Field Name*	*Type*	*Width*	*Description*	*Remarks*
1	SCTG	Numeric	1	Category of bank/FI	Number 1/2/4/6/8 should be fed 1 SBI and its associate banks 2 Nationalised banks 4 Foreign banks 6 Private Sector Banks 8 Financial Institutions
2	BKNM	Character	40	Name of bank/FI	
3	BKBR	Character	30	Branch name	Name of the branch should be fed in place of branch code number.
4	STATE	Character	15	Name of state	Name of state in which branch is situated
5	SRNO	Numeric	4	Serial No.	
6	PRTY	Character	45	Name of Party	The legal name
7	REGADDR	Character	96	Registered address	Registered Office address
8	OSAMT	Numeric	6	Outstanding amount	The amount for which suit has

				in Rs. lakhs (Rounded off)	been filed should be indicated.
9	ASSETCLASS	Character	5	Asset Classification	Fixed ◆ 'DOUBT' for doubtful a/c ◆ 'LOSS' for loss a/c ◆ 'SUBST' for sub-standard a/c ◆ 'STD' for standard a/c
10	DATECLASS	Character	5	Date of classification	Month in which the a/c was classified as 'DOUBT'/'LOSS/ SUBST/STD' in the format 'mmmyy' where mmm stand for the first 3 characters of the month. As this field is 'character' type, the format is not sensitive to date and the Y2K is not relevant. The date of classification 'march 2000' should be filled up as 'MAR00'.
11	DIR1	Character	24	Name of director*	(a) In case of Government companies the legend "Govt. of _____ undertaking" alone should be mentioned. (b) The names of nominee directors of banks/ FIs/ Central Govt./State Govt. should not be included. (c) In case of professional directors, '(Prof.)' should be entered against the name of such director. (d) If total number of directors exceed 14, the name of additional directors may be entered in blank spaces available in the other directors' columns.
12	DIR2	Character	24	Name of director	— do —

13	DIR3	Character	24	Name of director	— do —-
14	DIR4	Character	24	Name of director	— do —-
15	DIR5	Character	24	Name of director	— do —-
16	DIR6	Character	24	Name of director	— do—-
17	DIR7	Character	24	Name of director	— do—-
18	DIR8	Character	24	Name of director	— do —-
19	DIR9	Character	24	Name of director	— do —-
20	DIR10	Character	24	Name of director	— do —-
21	DIR11	Character	24	Name of director	— do —-
22	DIR12	Character	24	Name of director	— do —-
23	DIR13	Character	24	Name of director	— do —-
24	DIR14	Character	24	Name of director	— do —-
		Total bytes	**584**		

* In the case of Directors who held office at the time the account was classified as defaulter, but are no longer on the Board, the symbol @ may be indicated in brackets against their names (vide paragraph 3 of circular dated 1.4.2000)

The structure is the same as that of the defaulters list except that the format of defaulters list has an additional field 'SUIT' and 'OTHER_BK'. The list of suit-field accounts can be prepared by extracting records with suit-filed accounts from the defaulters list. The information should be submitted in the above format **in 3.5" floppy as .dbf file only (should be processed under dBASE or Fox-pro package)**. While submitting the floppy, the banks/FIs should ensure that :

- Ø the floppy is free from virus and is readable.
- Ø the name and width of each of the fields and order of the fields is strictly as per the above format.
- Ø in case of Government undertakings, instead of giving names of Chairman/Director etc., a legend "Govt. of _____ undertaking" has been mentioned.
- Ø the names of nominee directors of banks/FIs/Central Govt./State Govt. have not been included.

- Ø the records with outstanding amount of less than Rs.1 crore have not been included.
- Ø the use of following types of words have been avoided (as the fields can not be properly indexed) :

  'M/s', 'Mr', 'Shri' etc.

- Ø the words 'Mrs', 'Smt', 'Dr' etc. have been fed at the end of name of the person, if applicable.
- Ø All the records are completely filled up and none of the fields (except for some of the fields from DIR1 To DIR 14) is kept blank.
- Ø certificate signed by a sufficiently senior official stating that 'the list of suit-filed accounts has been correctly compiled after duly verifying the details thereof and RBI's instructions have been strictly followed' is sent along with the floppy.
- Ø **the number of accounts tally with the number of suit-filed accounts submitted under defaulters list of Rs.1 crore and above.**

The banks/FIs should submit the data in the above format from the year ended as on 31.3.2000 onwards.

(B) Disclosure of information about defaulters of banks and Financial Institutions – List of Suit-filed accounts of Rs.1 crore and above – Quarterly Updates

The banks/FIs are required to submit the list of suit-filed accounts added and deleted as on 30th June, 30th September and 31st December in hard copies in terms of our circular No. DBOD No.DL.BC/117/20.16.002/99-2000 dated 30th October 1999. It has been decided that the said lists should be submitted in floppy diskettes in addition to the hard copies. The following formats should be used for updating the 2 types of files i.e. 1 file for added records and other file for deleted records of suit-filed accounts during the quarter.

(I) Format for submitting information on suit-filed accounts of Rs.1 crore and above **added during the quarter** – Same as the List of suit-filed accounts (as described at A)

(II) Format for submitting information on suit-filed accounts of Rs.1 crore and above **deleted during the quarter** – As given below :

Field	*Field Name*	*Type*	*Wi-dth*	*Description*	*Remarks*
1	SCTG	Numeric	1	Category of bank/FI	Number 1/2/4/6/8 should be fed 1 SBI and its associate banks 2 Nationalised banks 4 Foreign banks 6 Private Sector Banks 8 Financial Institutions
2	BKNM	Character	40	Name of bank/FI	
3	BKBR	Character	30	Branch name	Name of the branch should be fed.
4	STATE	Character	15	Name of state	Name of state in which branch is situated
5	SRNO*	Numeric	4	Serial No.	
6	PRTY	Character	45	Name of Party	The legal name
7	REGADDR	Character	96	Registered address	Registered Office address
8	PAGENO	Numeric	4	Page Number	Page number in the booklet of suit-filed accounts published by RBI
	Total bytes		**236**		

* Appearing in the booklet as on 31st March

The information should be submitted in the above format **in 3.5" floppy as .dbf file only (should be processed under dBASE or Fox-pro package)**.

The other instructions pertaining to updating of list of suit-filed accounts issued to banks/ FIs vide our circular No. DBOD No.DL.BC/117/20.16.002/99-2000 dated 30th October 1999 remain unchanged. ***The banks/FIs should submit the data in the above format from the quarter ended as on 30.6.2000 onwards.***

Relevant Extract of circular DBOD. No. BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated May 3,2000 is reproduced below :-

4. Credit Information Bureau

The report of the Working Group set up by RBI to work out the modalities for setting up a Credit Information Bureau in the country had been circulated to banks. The Credit Information Bureau is expected to expedite credit and investment decisions by banks and financial institutions as also curb growth of fresh NPAs through better institutional mechanism. To begin with, State Bank of India has entered into an MoU with Housing Development Finance Corporation (HDFC) to set up a Credit Information Bureau and the modalities for setting up of the Bureau in regard to ownership and equity participation, management structure, security standards, rights and liabilities of the Bureau, etc. are being worked out. The proposed Bureau will have to collect credit and other information on various parties for sharing among the intended parties.

The banks and financial institutions are advised to make the necessary in-house arrangement for gathering and collection of such information in one place for transmitting it to the Bureau, as and when it is established.

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

SECTION IX

RETURNS

DBOD. No.BC.10/12.01.001/98-99 **February 15 , 1999**
Magha 26 , 1920 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42(2) OF RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - RETURN IN FORM A

Please refer to our Circular DBOD No.89/12.01.001/98-99 dated August 24, 1998 in terms of which all the Scheduled Commercial Banks in India are required to submit from the Reporting Friday October 09, 1998 the above Returns in Form A along with the following information :-

i) A Memorandum to Form A , incorporating data on paid up capital, reserves, certificates of deposits, and maturity structure of time deposits ,

ii) Annexure A - incorporating data on break up of external liabilities in terms of various schemes *eg* ., FCNR (B) *etc* ., foreign currency assets and bank credit in India in foreign currency , and domestic liabilities subject to differential /zero reserve prescriptions and

iii) Annexure B - incorporating detailed data on banks' investments in three categories of securities *viz* ., government securities , other approved securities , and non approved securities.

2. We have been receiving queries from various Scheduled Commercial Banks seeking clarifications on the method of compilation of certain data required to be furnished in the Memorandum to Form A , Annexure A & Annexure B. To enable the banks to furnish correct information the following clarifications are being issued : -

I. Memorandum to Form A:

Reserves (item 1.1) : The banks should include all the reserves (free as well as Statutory reserves ,.) as per the last balance sheet and continue to report the same every fortnight until the release of audited balance sheet of the following year.

Time Deposits (item 2) : The time liabilities portion of the Savings Bank Account (vide Regulation 7) may also be classified as short term time deposits (item 2.1)

II. Annexure A - Revaluation value (Col.3) and interest (Col.4) .
The banks should revalue their liabilities in foreign currency under various schemes like FCNR (B) , EEFC. RFC, ESCROW accounts , foreign credit line under PCFC Scheme , credit balance in ACU (US $) accounts at FEDAI indicative rates. All other Non resident Rupee liabilities like NRE , NRNR, need not be revalued as these deposits are swapped into rupees at historical /notional rates at the time of acceptance of deposits. As regards interest (Col No 4) the banks should continue to give accrued interest (as is being given at present) in respect of all liabilities . It is clarified that for the computation of Net Demand and Time Liabilities for CRR the banks should take into account the outstanding book value (Col No.2) and accrued interest (Col No.4) of Annexure A , except FCNR (B) deposits. In the case of FCNR (B) deposits the revaluation value and accrued interest should be taken for the computation of CRR.

Overseas Borrowings : It has been decided to drop footnote 3 to Annexure A. The overseas borrowings should include total of overdrawal in all NOSTRO accounts and should not be netted for credit balance in other NOSTRO Accounts. In addition to this , any other borrowings from foreign market or Head Office (in the case of foreign banks) also should be included. As far as possible the figures of **actual balances** should be furnished otherwise balances in mirror accounts can be given.

III. Annexure B : Revaluation of investments : At present , banks are required to revalue their investment in approved securities on quarterly basis as per the guidelines contained in our circular DBOD BP. BC 37/21.04.048/95 dated April 03, 1995. The same figures (revalued) may be reported by them on every Reporting Friday during that quarter under Col no 3 of Annexure B. As regards revaluation of Investments in Non approved securities under item II of Annexure B , the same may be reported as and when the banks **revalue their investments as per the current practice / instructions** and continue to report at the same revaluation rate every fortnight till the next revaluation.

Yours faithfully,

(N.K.Sarkar)
General Manager

DBOD. No.BC. 48/12.05.005/98-99 **May 19, 1999**
Vaishakha 29, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(including RRBs)

Dear Sir,

STATISTICAL TABLES RELATING TO BANKS IN INDIA (FORM A-1) AND STATEMENT OF EARNINGS & EXPENSES (FORM A-2)

The captioned two annual returns in Form 'A-1' and Form ' A-2' are submitted to our Department of Statistical Analysis and Computer Services (DESACS) by all Scheduled Commercial Banks including RRBs by 31st December each year. In this connection, we invite a reference to our circular DBOD.No.72/11.01.001 (Com.Banks)/96-97 dated 1 October 1996.

2. It has been decided to discontinue the return in Form A-1 from all Scheduled Banks (including Regional Rural Banks) with immediate effect. The return in Form A-2 will continue from all Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks). However, the deadline of submitting Form A-2 is changed to the month of September instead of December of the reference year. The data reporting in the Form A-2 should be complete in all respects (including Annexures). All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) are advised to ensure that the completed return in Form A-2 along with a copy each of Balance Sheet, Profit & Loss Account and Annual Report for an accounting year is submitted latest by the end of September every year directly to the DESACS at the address given below :

The Director,
Division of Banking Studies,
Department of Statistical Analysis
and Computer Services,
Reserve Bank of India,
Bandra Kurla Complex,
C-9, 7th floor, Bandra (East),
Mumbai-400 051.

3. Formats of Form A-2 are available with the Director, DRRP, Department of Economic Analysis & Policy, Reserve Bank of India, Sales Section, Amar Building, Ground Floor, Fort, Mumbai-400 001.

Yours faithfully,

(N. K. Sarkar)
Chief General Manager

DBOD. No.BC. 49/12.05.001/98-99

May 19, 1999
Vaishakha 29,1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 27 OF B.R. ACT 1949 -
SUBMISSION OF FORM X RETURNS

In terms of Section 27(1) of Banking Regulation Act, 1949 every banking company is required, before the close of the month succeeding that to which it relates to submit to the Reserve Bank of India a return in Form "X" showing its assets and liabilities in India as at the close of business on the last Friday of every month or if that Friday is a public holiday under the Negotiable Instruments Act 1881 at the close of business on the preceding working day.

In this connection we invite your attention to our circular DBOD. No.BC.78/12.05.001/92-93 dated February 15, 1993 advising all Scheduled Commercial Banks to ensure that adequate measures are built up into their system so that the Form "X" return is submitted within the prescribed time limit of one month directly to the Regional Office of the Department of Banking Operations and Development under whose jurisdiction the bank falls. The banks were also advised in our above circular to submit one typed copy of the Form "X" directly to our Department of Statistical Analysis and Computer Services at the following address -

The Director
Department of Statistical Analysis
and Computer Services,
Reserve Bank of India,Central Office,
C-8/9 Bandra-Kurla Complex,Mumbai 400 051.

It has been brought to our notice by Department of Statistical Analysis and Computer Services that some of the commercial banks do not furnish the data in the prescribed proforma and also do not adhere to the time schedule for submission of return in Form "X". These returns provide uptodate information on assets and liabilities of Banks in India. Timely submission of return by Scheduled Commercial Banks is very essential for generating final data in a reasonable short period of time. You may, therefore, please ensure that return in prescribed Form "X" is submitted to the Regional Office of Department of Banking Operations and Development and also to the Department of Statistical Analysis and Computer Services within the prescribed period of one month in future.

Yours faithfully,

(N.K. Sarkar)
Chief General Manager

DBOD.BC. No.127/12.05.005/99-2000 **November 30, 1999.**
Agrahayana 9, 1921(Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

RATIONALISATION OF RETURNS SUBMITTED BY BANKS TO RBI

A detailed examination of the existing returns/statements submitted regularly by banks was undertaken by us recently for the purpose of rationalization and identification of redundancy. Accordingly, it has been decided that the following changes be made with immediate effect in the submission of the under noted returns / statements:

1. Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act. 1949.

The banks were advised vide circular DBOD. No. BC. 49/12.05.001/98-99 dated May 19, 1999 to submit the above return to Regional Offices (R.O.s) of DBOD under whose jurisdiction the bank falls with a copy to our Department of Statistical Analysis and Computer Services (DESACS). On a review, it has been decided that they need not submit this return to Regional Offices of DBOD henceforth. They will, however, continue to submit the return to DESACS.

2. Statement of reservation of posts for SC/ST in the private sector banks.

It has been decided to change the periodicity of the statement submitted by Indian private sector banks vide our circular DBOD. No. BP.1142/C.469 (47)-83 dated May 27, 1983 from half yearly to yearly. The concerned banks may now submit this statement as at the end of December every year to our Regional Offices within two months from the date to which it relates.

3. Return on advances against edible oils and oil seeds to traders

The banks were advised vide circular DBOD No.Dir.BC. 103/C.218 (H)-77 dated 17 August 1977 to send a consolidated report on outstanding advances of Rs.25000 and above against edible oil seeds and oils as on last Friday of each month. It has been decided that banks need not henceforth submit this report to us.

4. Return on action plan progress report :

The private sector banks were advised vide circular DBOD.No. MC.02/19.06.02/97-98 dated July 20, 1998 to draw suitable action plan for the period April 1998 to March 2000 and submit to us the data/progress report in the existing format at half yearly intervals. On a review of the position it has been decided that the banks may discontinue to submit the half yearly progress reports to us and to our Regional Offices as extensive information on various parameters included in the action plan is being submitted by the banks in DSB returns.

5. Return on underwriting business.

The banks were advised vide circular DBOD.No. GC. BC. 131/C.408 C(P)/86 dated November 25, 1986 to forward to us a copy of the annual review, placed before their boards of directors, covering the underwriting operations taken up during the year, the shares / debentures devolved on the bank, etc. It has been decided that banks need not furnish a copy of review to RBI henceforth. Other instructions communicated in our aforesaid circular, will continue.

6. Proformae II and III. (Statement of opening new offices and branches and Statement of change in status / merger / closure etc. of existing office/branch).

It was advised vide circular DBOD. No. BL. BC. 115/22.06.001/97 dated October 21, 1997 that the monthly returns in Proformae II & III should be submitted within 7 days of the end of the month to which they relate. It has now been decided to change the periodicity of these returns from monthly to quarterly. Accordingly, the returns in Proformae II & III should be submitted within 15 days of the end of the quarter starting with returns in respect of December 1999 quarter which should be submitted by January 15, 2000.

Yours faithfully,

(N.K.Sarkar)
Chief General Manager

SECTION X

MISCELLANEOUS

(b) NON - TRADITIONAL TYPE OF WORK TAKEN UP BY BANKS - MERCHANT BANKING, CREDIT CARD SYSTEM, HIRE-PURCHASE BUSINESS ETC.



DBOD. No.FSC.BC. 42/24.01.013/99 **April 29,1999**
Vaishakha 9, 1921 (Saka)

All Commercial Banks (excluding RRBs)/
Financial Institutions

Dear Sir,

'CHEQUE WRITING' FACILITY FOR INVESTORS OF MONEY MARKET MUTUAL FUNDS (MMMFs)

Please refer to Paragraph 46 of the Governor's statement on "Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000" enclosed to circular MPD No.BC.185/07.01.279/ 98-99 dated 20th April 1999 on the captioned subject. In order to provide more liquidity and in the interest of savers, it has been decided to permit MMMFs to offer 'cheque writing' facility to their investors. Since MMMFs are non-banks and cannot provide this facility directly, the 'cheque writing' facility has to be in the nature of a tie-up arrangement with a bank. Banks are advised to observe the following safeguards in offering this facility.

(a) In the case of a MMMF/ Money Market Deposit Account (MMDA) set up by a bank, the tie-up arrangement should be with the sponsor bank/ bank of which the MMDA forms a division. In the case of MMMF set up by financial institutions and mutual funds, the tie-up should be with a designated bank. The name of the bank should be clearly indicated in the Offer Document of the Scheme.

(b) The Offer Document should clearly indicate that the tie-up to offer 'cheque writing' facility is purely a commercial arrangement between the MMMF and the designated bank, and as such, the servicing of the units of MMMF will not in any way be the direct obligation of the bank concerned. This should be clearly stated in all public announcements and communications to individual investors.

(c) The facility to any single investor in the MMMF can be permitted at the investor's option, in only one of the branches of the designated bank.

(d) It should be in the nature of a drawing account, distinct from any other account, with clear limits for drawals, the number of cheques that can be drawn etc. as prescribed by the MMMF. No deposits can be made in the account. Each drawal made by the investor under the facility should be consistent with the terms prescribed by the MMMF and treated as redemption of the holdings in the MMMF to that extent.

(e) The facility can be availed of by investors only after the minimum lock-in period of 15 days for investments in MMMFs.

(f) The bank should ensure pre-funding of the drawing account by the MMMF at all times and review the funds position on a daily basis.

(g) Such other measures as may be considered necessary by the bank.

All other guidelines relating to the Scheme remain unchanged.

Yours faithfully,

(N.H. Siddiqui)
Chief General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 65/24.01.001/99

July 1, 1999
Aashadha 10, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

PARTICIPATION IN THE SHARE CAPITAL OF FINANCIAL SERVICES COMPANIES

It has come to our notice that banks/subsidiaries of banks are contributing to the equity of Stock Exchanges, depositories etc. without obtaining the prior approval of the Reserve Bank of India. In this connection we invite a reference to our circular DBOD.No.FSC.BC.45/C.469-91/92 dated 15 October 1991 wherein banks were advised that they should not participate in the equity of any financial services venture without obtaining the prior specific approval of the Reserve Bank of India, notwithstanding the fact that such investments may be within the ceiling prescribed under Section 19(2) of the Banking Regulation Act, 1949. We shall be glad if you will strictly adhere to the instructions contained in our above circular, while making portfolio investments in the equity of financial companies, including Stock Exchanges, depositories etc.

Yours faithfully,

(Arnab Roy)
Deputy General Manager

DBOD. No.FSC. 99/24.01.013/99-2000

October 9, 1999
Ashwina 17, 1921 (Saka)

All Commercial Banks (excluding RRBs)/
Financial Institutions

Dear Sir,

'CHEQUE WRITING' FACILITY FOR INVESTORS OF MONEY MARKET MUTUAL FUNDS (MMMFs)

Please refer to our Circular DBOD.No.FSC.BC.42/24.01.013/99 dated April 29, 1999. In the safeguards indicated, it is clarified that the drawing account mentioned under item (d) of the Circular, should not be treated as a regular bank account and should not be used for issuing cheques in favour of third parties. Cheques should be only in favour of the investor himself (as part of redemption).

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 119/24.01.013/99-2000

November 2, 1999
Kartika 11, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks/
Financial Institutions

Dear Sir,

SCHEME FOR MONEY MARKET MUTUAL FUNDS – GUIDELINES

Please refer to our circular FSC.BC.147/24.01.013/95-96 dated December 11, 1995 on the captioned subject and subsequent changes thereof. At present, MMMFs can be set up either departmentally in the form of a Money Market Deposit Account (MMDA) or as a separate entity, i.e., 'Trust'. On a review of the guidelines, it has been decided to henceforth allow MMMFs to be set up as a separate entity in the form of a 'Trust' only. As such, MMMFs in form of MMDA will not be permitted.

2. All other operating guidelines mentioned in our earlier circulars remain unchanged.

3. Consequential amendments may please be carried out in the Annexure to Paragraph 15.8 of the Manual of Instructions Vol.I – Part-II.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 120/24.01.013/99-2000 **November 2, 1999**
Ashwina 29, 1921 (Saka)

All Commercial Banks (excluding RRBs)/
Financial Institutions

Dear Sir,

'CHEQUE WRITING' FACILITY FOR INVESTORS OF GILT FUNDS AND LIQUID INCOME SCHEMES

Please refer to paragraph 41(iv) of the Mid-Term Review of the Monetary and Credit Policy 1999-2000. At present, in terms of circular No.FSC.BC.42/24.01.013-99 dated April 29, 1999 and subsequent clarification vide circular No.FSC.99/24.01.013/99-2000 dated October 9, 1999, Money Market Mutual Funds (MMMFs) are permitted to offer 'Cheque Writing' facility to their investors by way of tie-up arrangement with a scheduled commercial bank.

2. It has now been decided to permit scheduled commercial banks to offer 'Cheque Writing' facility to Gilt Funds and to those Liquid Income Schemes of mutual funds which predominantly invest in money market instruments (not less than 80 per cent of their corpus) subject to the same safeguards prescribed for MMMFs. However, the clause (e) of the circular No.FSC.BC.42/24.01.013/99 dated April 29, 1999 prescribing minimum lock-in-period of 15 days will not apply in the case of Gilt Funds and Liquid Income Schemes of Mutual Funds. Any prescription of lock-in-period in such cases will be governed by SEBI Regulations.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 123/24.01.019/99-2000 **November 12, 1999**
Kartika 21, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

GUIDELINES FOR THE ISSUE OF SMART/DEBIT CARDS BY BANKS

Some of the banks have introduced Smart Cards/Debit Cards and some more are desirous of introducing such cards. Since Smart Cards/Debit Cards are new payment instruments, it has been considered necessary to issue broad guidelines to banks including safeguards to be observed in this regard. The guidelines are given in the **Annexure-I** for compliance by banks.

2. Banks may introduce Smart/Debit Cards with the approval of their Boards, keeping in view the Guidelines enclosed. While banks need not obtain the prior approval of the RBI, the details of smart/debit cards introduced may be advised to us together with a copy each of the agenda note put up to their Boards and the resolution passed thereon. It is advised that banks should not issue smart/debit cards in tie-up with any other non-bank entities.

3. The banks should review operations of Smart/Debit Cards and put up review notes to their Boards at half-yearly intervals, say, as at the end of March and September, every year.

4. A report on the operations of the Smart/Debit Cards issued by banks may be forwarded to the Adviser-in-Charge, Reserve Bank of India, Monetary Policy Department, Mumbai – 400 001 on a fortnightly basis, i.e., as on the reporting Friday, incorporating information as indicated in **Annexure –II.**

Yours faithfully,

(P.V. Subba Rao)
Chief General Manager

Annexure - I

The guidelines for the Issue of the Smart Cards/Debit Cards by banks

1. Coverage :

The guidelines apply to the smart cards/cards encompassing all or any of the following operations –

- Electronic payment involving the use of card, in particular at point of sale and such other places where a terminal/device for the use/access of the card is placed.

- The withdrawing of bank notes, the depositing of the bank notes and cheques and connected operations in electronic devices such as cash dispensing machines and ATMs.

- Any card or a function of a card which contains real value in the form of electronic money which someone has paid for in advance, some of which can be reloaded with further funds or one which can connect to the cardholder's bank account (online) for payment through such account and which can be used for a range of purposes.

2. Cash Withdrawals :

No cash transaction, that is, cash withdrawals or deposits should be offered at the Point of Sale, with the smart/debit cards under any facility, without prior authorization of RBI under Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949.

3. Eligibility of Customers :

The banks should issue the smart/debit card to its customers having good financial standing and who have maintained the accounts satisfactorily for at least six months. However, the banks can issue on line debit cards to select customers with good financial standing even if they have maintained the accounts with the banks for less than six months. Banks can extend the Smart Card/Debit Cards facility to those having saving bank account/current account/fixed deposit accounts with built-in liquidity features maintained by individuals, corporate bodies and firms. Smart Card/Debit Card facility should not be extended to cash credit/loan account holders. The banks can, however, issue on line debit cards against personal loan accounts, where operations through cheques are

permitted.

4. Treatment of Liability :

The outstanding balances/unspent balances stored on the smart/debit cards shall be subject to the computation for the purpose of maintenance of reserve requirements. This position will be computed on the basis of the balances appearing in the books of the bank as on the date of reporting.

5. Payment of Interest :

In case of smart cards having stored value (as in case of the off-line mode of operation of the smart card), no interest may be paid on the balances transferred to the smart cards. In case of debit cards or on line smart cards, the payment of interest should be in accordance with the interest rate directives issued to banks from time to time under Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

6. Security and other aspects :

(a) The bank shall ensure full security of the smart card. The security of the smart card shall be the responsibility of the bank and the losses incurred by any party on account of breach of security, failure of the security mechanism shall be borne by the bank.

(b) No bank shall dispatch a card to a customer unsolicited, except in the case where the card is a replacement for a card already held by the customer.

(c) Banks shall keep for a sufficient period of time, internal records to enable operations to be traced and errors to be rectified (taking into account the law of limitation for the time barred cases).

(d) The cardholder shall be provided with a written record of the transaction after he has completed it, either immediately in the form of receipt or within a reasonable period of time in another form such as the customary bank statement.

(e) The cardholder shall bear the loss sustained up to the time of notification to the bank of any loss, theft or copying of the card but only up to a certain limit (of fixed amount or a percentage of the transaction agreed upon in advance between the cardholder and the bank), except where the cardholder acted fraudulently, knowingly or with extreme negligence.

(f) Each bank shall provide means whereby his customers may at any time of the day or night notify the loss, theft or copying of their payment devices.

(g) On receipt of notification of the loss, theft or copying of the card, the bank shall take all action open to it to stop any further use of the card.

7. Terms and conditions for issue :

The relationship between the bank and the card holder shall be contractual. In case of contractual relationship between the cardholder and the bank :

a) Each bank shall make available to the cardholders in writing, a set of contractual terms and conditions governing the issue and use of such a card. These terms shall maintain a fair balance between the interests of the parties concerned.

b) The terms shall be expressed clearly.

c) The terms shall specify the basis of any charges, but not necessarily the amount of charges at any point of time.

d) The terms shall specify the period within which the cardholder's account would normally be debited.

e) The terms may be altered by the bank, but sufficient notice of the change shall be given to the cardholder to enable him to withdraw if he so chooses. A period shall be specified after which time the cardholder would be deemed to have accepted the terms if he had not withdrawn during the specified period.

f) (i) The terms shall put the cardholder under an obligation to take all appropriate steps to keep safe the card and the means (such as PIN or code) which enable it to be used.

(ii) The terms shall put the cardholder under an obligation not to record the PIN or code, in any form that would be intelligible or otherwise accessible to any third party if access is gained to such a record, either honestly or dishonestly.

(iii) The terms shall put the cardholder under an obligation to notify the bank immediately after becoming aware:

- of the loss or theft or copying of the card or the means which enable it to be used;
- of the recording on the cardholder's account of any unauthorised transaction;
- of any error or other irregularity in the maintaining of that account by the bank.

(iv) The terms shall specify a contact point to which such notification can be made.

Such notification can be made at any time of the day or night.

(v) The terms shall put the cardholder under an obligation not to countermand an order which he has given by means of his card.

g) The terms shall specify that the bank shall exercise care when issuing PINs or codes and shall be under an obligation not to disclose the cardholder's PIN or code, except to the cardholders.

h) The terms shall specify that the bank shall be responsible for direct losses incurred by a cardholder due to a system malfunction directly within the bank's control. However, the bank shall not be held liable for any loss caused by a technical breakdown of the payment system if the breakdown of the system was recognizable for the cardholder by a message on the display of the device or otherwise known. The responsibility of the bank for the non-execution or defective execution of the transaction is limited to the principal sum and the loss of interest subject to the provisions of the law governing the terms.

Annexure –II

Reporting format for the Issue and operations of the Smart Cards/Debit Cards:

1.	Name of the bank	:
2.	Period of reporting	:
3.	Type of the card with the hardware components – (I.C. Chip) e.g. Magnetic stripe, CPU, memory	:
4.	Type of the software used	:
5.	Names of products offered through the smart card	:
6.	Limits on the storage of the amount	:
7.	Re-loadability features	:
8.	Security standards followed	:
9.	Service provider (self or otherwise)	:
10.	Total No. of outlets where the smart cards can be used	:
	Of which	
	a. POS Terminals	:
	b. Merchant Establishments	:
	c. ATMs	:
	d. Others – (please specify)	:
11	Total no of cards issued	:
	Of which –	
	a. against savings bank a/c	:
	b. against current a/c	:

c. against float a/c :

12. Total amount of balance stored on the smart cards as on the date of reporting :

13. Total amount of unspent balance on the smart cards as on the date of reporting :

14. Total no. of transactions during the period :

15. Amount involved in the total no. of transactions :

16. Transaction settlement mechanism (full procedure) :

a. whether on-line or

b. off-line

17. Instances of fraud, if any, during the period :

a. No. of frauds :

b. Amount involved :

c. Amount of loss to the bank :

d. Amount of loss to the card holder :

DBOD. No. IBS. BC. 130/23.31.006/99-2000

December 24, 1999
Pausha 3, 1921 (Saka)

Chief Executives of all Foreign Banks operating in India

Dear Sir,

OPENING OF CREDIT CARD CENTRES

As you are aware, foreign banks are required to obtain specific approval of Reserve Bank for setting up of Credit Card Centres to support activities related to credit cards. It has since been decided that foreign banks may in future set up Credit Card Centres and obtain a post-facto licence under Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 from the concerned Regional Office of this department in whose jurisdiction the Principal Office of the foreign bank in India is located, within one month from the setting up of the Credit Card Centres.

2. Credit Card Centres will undertake only Credit Card related activities such as attending to the request for and issue of credit cards, processing of credit cards, acceptance of credit card payment by cheques etc as indicated in the **Annexure.**

3. Banks may please submit to us a list of Credit Card Centres set up by them with detailed address as on 31 March every year.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

Annexure

List of Credit Card related activities which Credit Card Centres can undertake

Credit Card Centres will undertake only Credit Card related activities such as attending to the request for and issue of credit cards, processing of credit cards, acceptance of credit card payment by cheques, etc., as indicated below.

(i) Attending to the request for and issue of credit cards.

(ii) Processing of credit cards.

(iii) Acceptance of credit card payment by cheques.

(iv) Marketing credit cards to prospective customers.

(v) Utilisation of services of agent at centres (where the bank has no presence) to carry out credit card related activities.

(vi) Maintenance of cash balances for meeting expenses of the centre and not for payment to credit card holders.

DBOD. No.FSC.BC. 145/24.01.013/2000 **March 7, 2000**
Phalguna 17, 1921 (Saka)

All Commercial Banks/Financial Institutions

Dear Sir,

GUIDELINES RELATING TO MONEY MARKET MUTUAL FUNDS (MMMFs)

It has been decided to withdraw all the guidelines issued by the Reserve Bank of India relating to MMMFS. Accordingly the circulars

DBOD.No.BC.131/24.01.013/91-92 dated April 29, 1992L
DBOD.No.FSC.BC.147/24.01.013/95-96 dated December 11, 1995;
DBOD.No.FSC.BC.46/24.01.013/95-96 dated April 9, 1996,
DBOD.No.FSC.BC.95/24.01,013-96 dated July 3, 1996,
DBOD.No.FSC.BC.130/24.01.013/96-97 dated October 22, 1997,
DBOD.No.Dir.BC.36/13.03.00/98 dated April 29, 1998 [Para 4(ii)),
stand withdrawn with effect from the close of business on 7th March 2000.

2. Henceforth, MMMFs would come under the purview of Securities and Exchange Board of India (SEBI) regulations.

3. Banks and Financial Institutions desirous of setting up MMMFs would, however, have to seek necessary clearance from the RBI for undertaking this additional activity before approaching SEBI for registration.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

(c) CUSTOMER SERVICE IN BANKS

DBOD.No.BC. 59/09.07.007/98-99

May 28, 1999
Jyestha 7, 1921 (Saka)

The Chief Executive
of all Commercial Banks

Dear Sir,

NOMINATION FACILITY IN DEPOSIT ACCOUNTS

Please refer to our Circular Ref.DBOD.No.Leg.BC. 34 and 35/ C.233A -85 dated 23rd and 29th March 1985 respectively, in terms of which, nomination facility for bank depositors was introduced with effect from 29th March 1985.Subsequently, the banks were advised in our Circular No.BC.98/C.90 (H) (D)-88 dated 25th February 1988 to popularise the facility among their constituents.

2. We have recently examined a suggestion that when a bank account holder has availed himself of nomination facility, the same may be indicated on the passbook issued so that, in case of death of the account holder, his relatives can know from the pass book that the nomination facility has been availed of by the deceased depositor and take suitable action.

3. Since nomination facility is intended, primarily, to facilitate expeditious settlement of claims by banks in the accounts of deceased depositors and to minimise hardship caused to the family members of the deceased depositors in this regard, it has been decided to accept the suggestion. Banks may, therefore, introduce the practice of recording on the face of the passbook the position regarding availment of nomination facility with the legend "Nomination Registered" This may be done in the case of term deposit receipts also.

Yours faithfully,

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

DBOD. No.BC. 132/09.07.007/99-2000 **December 30, 1999**
Pausha 9, 1921 (Saka)

The Chief Executives
of all Commercial Banks

Dear Sir,

CUSTOMER SERVICE - COLLECTION OF OUTSTATION CHEQUES

Please refer to our Circular DBOD.BC.No. 59/09.07.007/95 dated 17-5-1995 advising the banks, interalia, the time schedule for collection of outstation cheques. In terms of para 6 thereof, it has been reiterated that banks should ensure that where delays in collection of outstation cheques occur, the account holders are paid penal interest **without their making request therefor.**

2. It has now been brought to our notice that banks are not giving automatic credit of interest for delayed collection of outstation cheques, but they comply with the same only if the matter is brought to their notice.

3. In view of the foregoing, we advise that necessary instructions may be issued to your branches with a view to ensuring strict compliance of our instructions for automatic credit of interest in respect of delayed collection of outstation cheques so as to avoid any room for representations /complaints from public.

Please acknowledge receipt and confirm having taken immediate action.

Yours faithfully,

(A. L. Narasimhan)
Chief General Manager

DBOD.No.BC. 136/09.08.001/99-2000

January 25, 2000
Magha 5, 1921 (Saka)

The Chief Executives
of all Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

CODE OF CONDUCT FOR OPENING AND OPERATING CURRENT ACCOUNTS

It has been brought to our notice that some borrowers open current accounts with banks other than the lending bank with a view to overcoming credit discipline that is imposed on them by the lending bank. This is usually resorted to by them when their loan accounts turn irregular and they do not intend to deposit receipts into the loan accounts for regularizing them.

Keeping in view the importance of credit discipline for reduction in NRA level of banks, we advise that at the time of opening of current accounts, the banks should insist on a declaration from the account-holder to the effect that he is not enjoying any credit facility with any other bank or a declaration giving particulars of credit facilities enjoyed with other banks. In the latter case, the concerned lending bank(s) should be duly informed so that suitable precautionary measures may be taken by them.

We shall be glad if you will please advise your branches suitably for ensuring strict compliance of the above instructions.

Yours faithfully,

(A.L. Narasimhan)
Chief General Manager

DBOD.No.BC. 147/09.07.007/99-2000

March 9, 2000
Phalguna 19,1921 (Saka)

The CMDs / Chief Executives
of all Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

CUSTOMER SERVICE

In the light of the suggestions received by the Regulation Review Authority (RRA) constituted in the Reserve Bank of India our extant instructions to banks in respect of the undernoted areas of Customer Service have been reviewed and with a view to improving Customer Service further it has been decided that banks should follow the instructions as under:

1. Delay in crediting the proceeds of outstation instruments - Rate of interest.

In terms of our circulars DBOD.No.BC. 135/09/07.007/91-92 dated 27 May 1992 and DBOD.No.BC.140/09.07.007/93 dated 12 July 1993 banks are required to pay interest for delayed collection of outstation instruments beyond the stipulated period at 2 per cent per annum above the savings bank rate where the proceeds of the instruments are to be credited to the deposit accounts and at the minimum lending rate (PLR) where the proceeds are to be credited to the cash credit, overdraft or loan accounts of the customer. It has been decided that banks should pay interest at rate as applicable for appropriate tenor of fixed deposit **for the period of delay beyond 10 / 14 days in collection of outstation instruments**. Further, banks should also pay penal interest at the rate of 2 per cent above fixed deposit rate applicable **for abnormal delay** caused by the branch in collection of outstation instruments. We reiterate that the interest is required to be paid without the customer having to claim it.

2. Issue of Duplicate Demand Draft without receipt of Non-Payment Advice

It has been decided that the present monetary value prescribed by the Talwar Committee at Rs.2,500/- may be enhanced to Rs, 5,000/- for issue of duplicate demand draft on the basis of adequate indemnity and without obtaining Non-

Payment Advice (NPA) from the drawee branch. Our earlier instructions on the above aspect contained in circulars DBOD.NO. Leg.BC.69 / C.466 (IV)-86 dated 16 June 1986 and DBOD.No.Leg.BC. 10 466 (IV) 87 dated 23-3-1987 addressed to public / private sector and foreign banks, respectively stand suitably modified.

3. Fixation of time-frame for issue of duplicate draft

In terms of our circular DBOD.No.Leg.BC. 104 / C.466(IV) - 90 dated 3 May 1990 banks were interalia, advised to ensure that a duplicate draft is issued within a maximum period of five days after the completion of all formalities. As it has been represented to us that there is considerable delay in issue of non-payment advice by the drawee branch, it has now been decided that a duplicate demand draft should be issued to the customer within a **fortnight** from the receipt of such request. For delay in issuing duplicate draft beyond the above stipulated period, banks should pay interest at rate applicable for fixed deposit of corresponding maturity in order to compensate the customer for such delay.

Yours faithfully

(A.L. Narasimhan)
Chief General Manager

DBOD. No.BC. 148/09.07.007/99-2000

March 14, 2000
Phalguna 24, 1921 (Saka)

The CMD/CEO
of all Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

PAYMENT OF BALANCE IN ACCOUNTS OF THE DECEASED CUSTOMERS TO SURVIVORS / CLAIMANTS

Please refer to our circular DBOD No. Leg.BC.14 /C.466(IV)-87 dated 22-7-1987 on the above subject, wherein banks were advised not to insist upon succession certificate from legal heirs where the amount to the credit of the deceased depositor does not exceed Rs.25,000/-. The said guidelines were reviewed in the light of suggestion received through Regulation Review Authority constituted in RBI and it has now been decided that the requirement of insisting of succession certificate should be totally withdrawn from the legal heirs irrespective of amount involved. However, banks should adopt such safeguards in settling claims as they consider appropriate including taking of indemnity bond.

Yours faithfully

(S.P. Padgaonkar)
General Manager

DBOD.No.BC. 180/09.07.007/99-2000

May 27, 2000
Jyestha 6, 1922 (Saka)

The Chairmen & Managing Directors/Chief Executive Officers of all Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs)

Dear Sir,

CUSTOMER SERVICE – ISSUE OF CHEQUE BOOKS

It has been brought to our notice that the quality of cheque books issued by some banks to customers is not upto the mark inasmuch as the perforation in the cheque leaves as also binding of cheque books are not satisfactory. As a result, the cheque leaves get torn/mutilated while removing from cheque books, which causes inconvenience and embarrassment to the customers as well as to the banks.

2. Banks are therefore advised to ensure that their cheque books are printed with due care so as to avoid any inconvenience to the customers. Action taken in this regard may be reported to us.

Yours faithfully,

(R.C.Agrawal)
General Manager

DBOD.No. BC. 181/09.07.007/99-2000

May 29, 2000
Jyestha 8, 1922 (Saka)

The CMD/CEO
of all Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

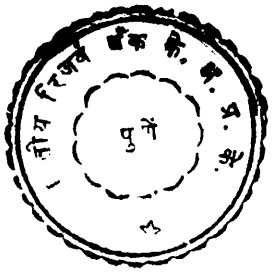
CUSTOMER SERVICE – IMMEDIATE CREDIT OF OUTSTATION AND LOCAL CHEQUES – ENHANCEMENT OF CEILING

Please refer to our circulars DBOD No. BC 135/09.07.007/91-92 dated 27th May 1992 and DBOD No. BC 82 / 09.07.007 / 93 dated 25th February 1993 for affording immediate credit upto the value of Rs.5000/- in respect of outstation and local cheques tendered for collection by customers. In this connection we advise that based on the recommendation of the Regulation Review Authority it has been decided that the present ceiling of Rs. 5,000/- should be enhanced to Rs. 7,500/- for immediate credit of local as well as outstation cheques on the same terms and conditions as set out in our circulars referred to above. You may, therefore , issue suitable instructions to your branches for implementation of these instructions with immediate effect.

Yours faithfully,

(R.C.Agrawal)
General Manager

(e) OTHERS



DBOD.No.BC. 1/12.06.115/98-99 **January 1, 1999**

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "BANK MUSCAT INTERNATIONAL, SAOG"

We advise that the name of "Bank Muscat International, SAOG" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 28th November 1998 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No. IBS.1001/23.13.039/98-99 dated 5thNovember 1998 was published in the Gazette of India (Part III -Sec.4). The address of the bank is as under:

Bank Muscat International, SAOG
Empire Building, Ground Floor
29, Infantry Road,
Bangalore-560 001.

Yours faithfully,

(N. K. Sarkar)
General Manager.

DBOD. No.BP.BC. 3/21.04.109/99

February 8, 1999
Magha 19, 1920 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

FRAMEWORK ON ANALYSIS OF BALANCE SHEETS

As you are aware, the analysis of the financial position of banks as disclosed in the balance sheets is not being done in a systematic manner with a view to evaluating the critical parameters of performance and initiating appropriate corrective measures. Peer group comparison of performance parameters is also not attempted to evaluate the operational efficiency, strengths and weaknesses in performance vis-à-vis competitors. Further, in the absence of uniformity among banks in using various financial and non-financial parameters, the results are not always objective. It has, therefore, been decided that a uniform framework should be devised to enable banks to undertake focussed scrutiny of the balance sheets to identify/analyse the key measures of returns and risks, assumed by banks and to demonstrate the relationship of returns and risks.

2. We enclose a format in which the balance sheet analysis has to be undertaken. The suggested framework is broadly divided into two parts – Part-I identifies the inputs and Part-II indicates the various ratios, amounts, etc. which require detailed interpretation. The inputs and outputs are broadly classified on CAMEL basis. An attempt has also been made to measure the liquidity and interest rate risks assumed by banks.

3. Banks are, therefore, advised to analyse the balance sheets immediately on finalisation of their annual accounts as per the suggested framework and submit a memorandum to their Board of Directors. The copy of the note put up to the Board together with the analysis (in floppies), may be submitted to the OSMOS Division, Reserve Bank of India, Department of Banking Supervision, Central Office, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai-400 005, on a regular basis.

4. The mismatches in cash flows and interest rates may, however, be analysed from March 31, 2000, by which time the Asset-Liability Management System would have stabilised.

Yours faithfully,

(**C R.. Muralidharan**)
General Manager

Encl.: 1 Booklet

DBOD.No. BP.BC. 8/21.04.098/99 **February 10, 1999**

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

ASSET - LIABILITY MANAGEMENT (ALM) SYSTEM

Please refer to our circular DBOD No. BP. BC. 94/ 21. 04. 098/ 98 dated September 10, 1998 forwarding therewith draft Guidelines for putting in place Asset-Liability Management (ALM) System in banks. The draft Guidelines have been reviewed by us in the light of the issues raised/suggestions made by banks in the seminars held at Bankers Training College and also at the Review Meeting of the Chairmen/ Chief Executive Officers of banks. The final Guidelines revised on the basis of the feedback received from banks are enclosed, for implementation by banks, effective **April 1, 1999.** In this connection, we have to advise as under:

2. Banks should give adequate attention to putting in place an effective ALM System. Banks should set up an internal Asset-Liability Committee (ALCO), headed by the CEO/CMD or the ED. The Management Committee or any specific Committee of the Board should oversee the implementation of the system and review its functioning periodically.

3. Keeping in view the level of computerisation and the current MIS in banks, adoption of a **uniform ALM System** for all banks may not be feasible. The final guidelines have been formulated to serve as a benchmark for those banks which lack a formal ALM System. Banks which have already adopted more sophisticated systems may continue their existing systems but they should ensure to fine-tune their current information and reporting system so as to be in line with the ALM System suggested in the Guidelines. Other banks should examine their existing MIS and arrange to have an information system to meet the prescriptions of the new ALM System. To begin with, banks should ensure coverage of **at least 60%** of their liabilities and assets. As for the remaining 40% of their assets and liabilities, banks may include the position based on their estimates. It is necessary that banks set targets in the interim, for covering 100 per cent of their business by **April 1, 2000**. The MIS would need to ensure that such minimum information/

data consistent in quality and coverage is captured and once the ALM System stabilises and banks gain experience, they must be in a position to switch over to more sophisticated techniques like Duration Gap Analysis, Simulation and Value at Risk for interest rate risk management.

4. In order to capture the maturity structure of the cash inflows and outflows, the Statement of Structural Liquidity (Annexure-I) should be prepared, to start with, as on the last reporting Friday of March/June/ September/December and put up to ALCO/Top Management within a month from the close of the last reporting Friday. It is the intention to make the reporting system on a fortnightly basis by **April 1, 2000.** The Statement of Structural Liquidity should be placed before the bank's Board in the next meeting. It would also be necessary to take into account the rupee inflows and outflows on account of previously contracted forex transactions (swaps, forwards, etc). Tolerance levels for various maturities may be fixed by the bank's Top Management depending on the bank's asset - liability profile, extent of stable deposit base, the nature of cash flows, etc. In respect of mismatches in cash flows for the 1-14 days bucket and 15-28 days bucket, it should be the endeavour of the bank's management to keep the cash flow mismatches at the minimum levels. To start with, the mismatches **(negative gap)** during 1-14 days and 15-28 days in normal course may not exceed 20% each of the cash outflows during these time buckets. If a bank in view of its structural mismatches needs higher limit, it could operate with higher limit with the approval of its Board/Management Committee, giving specific reasons on the need for such higher limit. **The objective of RBI is to enforce the tolerance levels strictly by April 1, 2000.**

5. In order to enable the banks to monitor their liquidity on a dynamic basis over a time horizon spanning from 1-90 days, an indicative format (Annexure III) is enclosed. The statement of Short-term Dynamic Liquidity should be prepared as on each reporting Friday and put up to the ALCO/Top Management within 2/3 days from the close of the reporting Friday.

6. We advise that in the Statement of Interest Rate Sensitivity (Annexure - II) only rupee assets, liabilities and off-balance sheet positions should be reported. The statement should be prepared as on the last reporting Friday of March/ June/September/December and submitted to the ALCO / Top Management within a month from the last reporting Friday. It should also be placed before the bank's Board in the next meeting. The banks are expected to move

over to monthly reporting system by **April 1, 2000.** The information collected in the statement would provide useful feedback on the interest rate risk faced by the bank and the Top Management/Board would have to formulate corrective measures and devise suitable strategies wherever needed.

7. The guidelines for ALM cover the banks' operations in **domestic currency**. In regard to foreign currency risk, banks should follow the instructions contained in Circular AD (MA Series) No.52 dated December 27, 1997 issued by the Exchange Control Department.

8. As regards furnishing of data to RBI, a separate communication will follow from the Department of Banking Supervision.

9. This circular may please be placed before the Board of Directors at its next meeting

Yours faithfully,

(**A . Ghosh**)
Chief General Manager

Encl.: 1 Booklet

DBOD. No.BP. BC. 9/21.04.018/99 **February 10, 1999**
Magha 21, 1920 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

BALANCE SHEET OF BANKS – DISCLOSURE OF INFORMATION

Please refer to our circular DBOD. No. BP. BC. 9/21. 04. 018 /98 dated January 27, 1998 in terms of which banks are required to disclose certain important business parameters including financial ratios in the 'Notes on Accounts' to their balance sheet.

2. The Committee on Banking Sector Reforms (Chairman: Shri. M. Narasimham) in its report has recommended *inter alia* that banks should disclose, in a phased manner, the maturity pattern of loans and advances, maturity pattern of investment securities, foreign currency assets and liabilities, non performing assets, etc. in order to bring the disclosure standards of our banks on par with the international accounting standards. As indicated in the Statement on Mid-Term Review of the Monetary and Credit Policy for 1998-99 forwarded vide Governor's circular letter No. MPD. BC. 181/ 07. 01. 279 /98-99 dated October 30, 1998, the above recommendations of the Committee have been accepted for implementation, in a phased manner.

3. Accordingly, it has been decided that banks should disclose the following additional information in the 'Notes on Accounts' to the balance sheet from the accounting year ending March 31, 2000 :

i) Maturity pattern of Loans and Advances
ii) Maturity pattern of Investment Securities
iii) Foreign Currency Assets and Liabilities
iv) Movements in NPAs
v) Maturity Pattern of Deposits
vi) Maturity Pattern of Borrowings
vii) Lending to Sensitive Sectors as defined from time to time

4. In this connection, banks are advised as under:

a) Against items (i), (ii), (v) and (vi) above, banks may follow the maturity buckets prescribed in the guidelines on Asset-Liability Management (ALM) System (forwarded vide Circular DBOD.BP.BC.8/ 21.04.098/98-99 dated February 10,1999, for disclosure of maturity pattern of deposits, borrowings, loans and advances and investments.

b) As regards item (iii), the maturity profile of the bank's foreign currency assets and liabilities should be given.

c) The disclosures on movements of NPAs (item iv) should include the opening balances of Gross NPAs and Net NPAs (after deducting provisions held, interest suspense account, DICGC claims received and part payments in suspense account) at the beginning of the year, reductions/additions to the NPAs during the year and the balances at the end of the year.

d) Under 'lending to Sensitive Sectors,' (item vii), banks should disclose lendings to sectors which are sensitive to asset price fluctuations. These should include advances to sectors such as capital market, real estate, etc. and such other sectors to be defined as 'sensitive' by the RBI from time to time.

Yours faithfully,

(**A. Ghosh**)
Chief General Manager

DBOD. No.BC. 14/12.06.116/98-99

February 25, 1999
Phalguna 6, 1920 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 -"MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK"

We advise that the name of "Morgan Guaranty Trust Company of New York" has been included in the Second Schedule to the ReserveBank of India Act, 1934 with effect from 30th January 1999 i.e., the date on which the relative notification DBOD. No. IBS. 1600/23.13.112/98-99 Dated 8th January 1999 was published in the Gazette of India (Part III - Sec4). The address of the bank is as under :

Morgan Guaranty Trust Company of New York
Vakils House, 18 Sprott Road,
Ballard Estate,
Mumbai-400 001.

Yours faithfully,

(N. K. Sarkar)
General Manager

DBOD. No.BP. BC. 29/21.01.023/99

April 16, 1999
Chaitra 26, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

REVISING / UPDATING OF OPERATIONAL MANUAL

The Committee on Banking Sector Reforms (Chairman : Shri. M. Narasimham) in paragraph 4.3 of its Report has recommended that banks should ***bring out revised Operational Manuals*** and update them regularly keeping in view the emerging needs. The banks need to ensure adherence to the instructions so that these operations are conducted in its best interest with a view to promoting good customer service. The Committee has also recommended that banks should draw up detailed Operational Manual and Check List of procedures to be followed and precautions to be taken in putting through each variety of activities and transactions. The Committee is of the view that these should form the basic objective of internal control systems, the major components of which are :

(i) Internal Inspection and Audit, including Concurrent Audit,

(ii) Submission of Control returns by branches/controlling offices to higher level offices

(iii) Visits by controlling officials to the field level offices

(iv) Risk Management Systems

(v) Simplification of documentation, procedures and of inter-office communication channels.

2. The above recommendations of the Committee have been accepted by RBI. Accordingly, banks are advised to bring out revised Operational Manual and Check List keeping in view the instructions and guidelines issued by RBI / other relevant agencies from time to time, for procedures to be followed and precautions to be taken in putting through various activities and transactions. The banks should also ensure updating of the Manual of Instructions and Check List regularly. Further, banks should arrange to hold periodical training programmes for the members of staff so that the instructions contained in the Manual and Check List are clearly understood and meticulously followed in day-to-day work.

3. The banks should report compliance to the RBI by September 30, 1999.

Yours faithfully,

(**A. Ghosh**)
Chief General Manager

DBOD. No. BP.BC. 34/21.01.040/99

April 22, 1999
Vaishakha 2, 1921 (Saka)

The Chairman
of all Commercial Banks

Dear Sir,

COMPROMISE OR NEGOTIATED SETTLEMENTS OF NON-PERFORMING ASSETS (NPAs)

Please refer to Paragraph 5 of our circular DBOD. No. BP.BC. 81/21.01.040/95 dated 25th July 1995, in terms of which the banks are required to submit half yearly statement as at the end of September and March of each year within 30 days of the half year to which the statement relates, to DBOD, RBI, CO, Mumbai. We advise that in future, starting from the half year ending September 1999, the statements may be forwarded to the Chief General Manager, Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India, Central Office, Centre – I, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.

Yours faithfully

(J.B. Mhatre)
Deputy General Manager

DBOD. No.BC. 40/12.01.001/98-99 **April 24, 1999**
Vaishakha 4, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

SECTION 42 OF RBI ACT, 1934 - SPECIMEN SIGNATURES OF OFFICIALS AUTHORISED TO SIGN QUARTERLY INTEREST (ON CRR BALANCES) CLAIM STATEMENTS

As you are aware, the quarterly statement of interest claims on additional cash balances (CRR) maintained by Scheduled Commercial Banks with Reserve Bank of India are required to be signed by authorised officials of banks. In order to verify the authenticity of the claims banks are required to furnish to us specimen signatures of officers so authorised by them. As per the extant instructions, the banks have to submit to us fresh set of signatures whenever there is change in the incumbency. However, it is observed that many of the banks do not forward the fresh set of signatures in the event of change in the authorised signatories. This has also been pointed out by our Statutory Auditors during their audit. It has, therefore been decided to maintain an up-to-date record of specimen signatures of authorised officials of all the Scheduled Commercial banks. You are, therefore advised to forward to us the specimen signatures of officials (restricted to four) who are authorised to sign the periodical statements of interest claims on CRR balances in the proforma enclosed. These signatures should be attested by the official whose signature is already on our record. Please also note to forward to us in future, a fresh set of signatures of authorised signatories whenever there is a change in the incumbency.

Yours faithfully,

(K.S. Chhabra)
Deputy General Manager

SPECIMEN SIGNATURE CARD

Name and Address of the Bank :

Officials authorised to sign statements of quarterly interest claim on CRR balances to be submitted to Reserve Bank of India

Serial No.	Name of the Officer	Designation	Specimen signature

Attested by :

Signature :

Designation :

Official Seal :

Principal Account maintained at :

Reserve Bank of India

Deposit Accounts Department

(Name of the place)

Account No.

DBOD. No.BC. 44/12.06.117/98-99 **May 10, 1999**
Vaishakha 20, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "KBC BANK N.V."

We advise that the name of "KBC Bank N.V." has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 20th March 1999 i.e., the date on which the relative Notification DBOD.No.IBS.2112/ 23.13.077/98-99 dated 6th March 1999 was published in the Gazette of India (Part III-Sec.4). The address of the bank is as under:

KBC Bank N. V.,
Hoechst House,4th Floor,
Nariman Point,
Mumbai-400 021.

Yours faithfully,

(N. K. Sarkar)
Chief General Manager.

DBOD. No.BP.(SC). BC. 55/21.04.098-99

May 24, 1999
Jyèstha 4, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

ASSET-LIABILITY MANAGEMENT (ALM) SYSTEM

Please refer to our circular DBOD. No. BP. BC. 8 / 21. 04. 098 / 99 dated February 10, 1999 forwarding therewith the final guidelines on the Asset-Liability Management (ALM) System in banks. In terms of the above circular banks were required to operationalise the ALM System from April 1, 1999. In this connection we would like to know the steps taken and the progress made by your bank in implementation of the guidelines.

2. Please also advise us of the steps taken/proposed to be taken for :

i) ensuring coverage of 100% of assets and liabilities by April 1, 2000;

ii) switching over to more sophisticated ALM techniques like Duration Gap Analysis, Simulation and Value at Risk (VaR) for interest rate risk management.

Yours faithfully,

(**A. Ghosh**)
Chief General Manager

DBOD.No. BP.BC. 57/21.01.040/99 **May 27, 1999**
Jyestha 6, 1921 (Saka)

Chairmen and Managing Directors
of all Public Sector Banks.

Dear Sir,

GUIDELINES FOR CONSTITUTION OF
SETTLEMENT ADVISORY COMMITTEES (SAC)

Please refer to our Circular DBOD. No. BP.BC.81/21.01.040/95 dated 28th July 1995 setting out the guidelines to be followed by banks while entering into compromise settlements of non-performing advances. The present system and procedures of compromise settlements in banks for recovery of NPAs has been observed to be long drawn. There are also reports of considerable reluctance on the part of the bank officials to take decisions on compromise proposals. As a result, the NPAs of public sector banks continue to contain very large number of chronic cases which are not effectively pursued for various reasons. There were as many as 5.31 lakh cases filed by the public sector banks for amounts aggregating Rs. 23915.21 crore pending disposal with various Courts.

2. The Finance Minister while presenting the Union Budget for 1999-2000 has also observed that Public Sector Banks would be encouraged to set up Settlement Advisory Committees so that chronic cases, specially those relating to the small sector are settled in a timely and speedy manner. In this connection, a reference is also invited to paragraph 70 of the Statement on Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000 forwarded vide Governor's letter MPD.BC.185/07.01.279/98-99 dated April 20, 1999. The following Guidelines have accordingly been drawn up for constitution of Settlement Advisory Committees and compromise settlement of NPAs of small sector by the Public Sector Banks in order to reduce pendencies and enable banks to vigorously pursue other relatively large cases.

Coverage of the Guidelines

3. The guidelines will apply to all non-performing accounts, which are chronic and at least 3 years old as on March 31, 1999 and will be operative only up to September 30, 2000. NPAs which were not yet 3 years old as on March 31, 1999 and those arising after 31.3.1999 will not be covered. It will apply to borrowers in the Small Scale Industries Sector, Small Business including trading and personal segment and Agricultural Sector, where the accounts have become non-performing. However, cases of fraud and malfeasance will not be covered. Cases pending before Courts as well as DRTs may also be covered. However consent decree to reflect the compromise settlement may be obtained from the Court/DRT in such cases.

4. It may be emphasised that banks will continue to follow their existing recovery procedure for large and medium scale borrowers as well as other borrowers not covered under the present guidelines. In these cases, the normal channels of recovery should continue to be vigorously pursued. It may be mentioned that some of the banks have already constituted Settlement Advisory Committees at head office level under the chairmanship of a retired High Court Judge or other eminent persons. Other banks who wish to do so, may also set up similar Advisory Committees for large and medium scale borrowers.

Settlement Advisory Committees -
Constitution of SACs

5. SAC comprising officials of the bank may be constituted by the Board at Head Office and Zonal Offices. In case of banks which do not have Zonal Office, SAC may be set up at regional office level. The official sanctioning the particular loan which has become NPA should not participate in the SAC meeting where that loan is under consideration for settlement. The Settlement Advisory Committee (SAC) constituted as above, may review all cases of NPAs of the above category of borrowers in their area of operations and process compromise proposals speedily.

Functioning of SAC

6. The Boards of banks may draw the broad guidelines and procedures for the functioning of SAC. SACs should be authorised to sanction compromise settlements within the powers delegated to the Chairman of the SACs. For covering majority of the

cases of compromise settlement by the SACs to be set up or the existing SACs which are functioning in some banks the powers of CMD for waiver/write-off is proposed to be raised to Rs. 50 lakhs. Banks may fix suitable limits to be exercised by Zonal or Regional Managers. These powers are to be exercised only on the recommendation of concerned SAC.

Guidelines for settlement

7. Reference date for the purpose of compromise settlement, in respect of eligible small scale unit (see para 3) could be the amount outstanding as on the date of transfer to the protested bills account or an account of similar nature or the amount as on the date on which the account was first categorised as sticky or NPA, as the case may be. Having regard to the realisable value of collaterals held in an account and the time and cost involved in realisation of the collateral, terms of compromise settlement could include waiver of the compound and penal rate of interest and charging of simple interest @ approximately 10 per cent per annum from the material date. No compromise settlement under these guidelines should be entertained in cases where there is evidence of fraud or malfeasance.

8. The amount of settlement arrived at should normally be paid in one lumpsum. In deserving cases where the borrowers are unable to pay the entire amount in one lumpsum, banks may consider extending the period of time of repayment which should not exceed a period of 1 year from the date of settlement. However, in such cases the borrower should pay at least 25 per cent of the amount of settlement up-front on the date of settlement. The Board of Directors of banks may lay down norms for compromise settlements and frame suitable guidelines for SAC keeping in view the above aspects.

9. The Board should review the decisions taken by the SAC and also ensure that the process of settlement is complete within a period of 6 months. A copy each of the Review note put up to the Board on the functioning of the SAC and the details of compromise settlements made under the above proviso may be forwarded to the RBI in the format indicated in the Annexure.

Yours faithfully,

(A.Ghosh)
Chief General Manager

Details regarding the compromise settlement effected by the bank in respect of advances to small sector for the half year ended .....

Name of the bank : **(Rs. in thousands)**

Category of Borrowers	Number of cases	Amount Outstanding	Amount of notional interest calculated but not charged to the account	Amount of compromise settlement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) Small Scale Industry				
(ii) Small business including small road transport operators				
(iii) Professionals for professional use				
(iv) Agriculture including animal husbandry				
(v) Business enterprises				
(vi) Government sponsored schemes viz. IRDP, PMRY, etc.				
Total for the half year				
Cumulative Total for the financial year				

DBOD. No.BP.BC. 62/21.01.001/98-99 **June 18, 1999**
Jyestha 28, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

DELEGATION OF POWERS TO REGIONAL OFFICES OF RBI

At present references on policy matters as well as other miscellaneous references including those seeking clarifications on instructions and guidelines issued by this department are addressed to us at Mumbai. With a view to further expediting the disposal of references received from banks, it has been decided that references seeking clarification and instructions of any nature may please be addressed to the Regional Director of RBI of the centre at which the bank's Head Office is located. However, all references having a bearing from policy angle will continue to be addressed to this department directly.

2. Banks whose Head Offices are located in Mumbai will continue to address all communications meant for this department directly to us as hitherto.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

DBOD. No.BP.BC. 67/21.04.048/99

July 1, 1999
Aashadha 10, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

RECONCILIATION OF NOSTRO ACCOUNTS

Please refer to circular No.DBS.CO.SMC.BC.No.45/22.02.001(A)/98-99 dated January 27, 1999 issued by Department of Banking Supervision forwarding therewith a copy of the Report of the Working Group to look into the system of reconciliation of Nostro Accounts of public sector banks. The recommendations contained in the Report have been examined and it has been decided that as a one time measure banks may adopt the following netting procedure after undertaking an inspection of their books by the internal auditors and after getting the proposal placed before their respective Board before implementation.

1. In respect of the entries pertaining to the period upto March 31, 1996 and remaining unreconciled as on March 31, 2000 the credit entries in each Nostro Account may be netted against the debit entries in the respective Mirror Account. Likewise, the debit entries in each Nostro Account may be netted against the credit entries in the respective Mirror Account. The net debit or net credit position as the case may be in each Nostro Account may thereafter be computed. The accounts showing net debit position and the accounts showing net credit position may be aggregated separately, taking care not to set off the net debit position in an account with a net credit position in another account or vice versa. The net debit and net credit position should be reflected in the bank's accounts for the year 1999-2000 by transferring the aggregate net debit to profit and loss account and the aggregate net credit to Sundry Creditors Account.

2. Banks which have already transferred unreconciled debits to profit and loss account should not write back the same amount to the respective account in order to carry out netting exercise as indicated above.

3. For unreconciled debit entries in the Nostro and Mirror accounts for the subsequent period i.e. from April 1, 1996 onwards and outstanding for more than three years, the bank should make 100 per cent provision in the relevant accounting year.

4. Unreconciled credit entries in the Nostro and Mirror accounts for the period from April 1, 1996 onwards and outstanding for more than three years may be segregated and kept in an account like Unclaimed Deposit Account.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager

DBOD. No.BC No. 71/12.06.111/99-2000 **July 19,1999**
Aashadha 28, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

EXCLUSION FROM THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "THE COMMERCIAL BANK OF KOREA LTD."

We advise that the name of the Commercial Bank of Korea Ltd. has been excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 5th June 1999 i.e. the date on which the relative notification DBOD.No. IBS.2823/23.13.089/98-99 dated 22nd May 1999 was published in the Gazette of India (Part III - Section 4).

Yours faithfully,

(Rajesh Verma)
Deputy General Manager

DBOD. No.BP.BC. 81/21.03.038/99-2000

August 13, 1999
Sharavana 22, 1921 (Saka)

The Chief Executives of
all Commercial Banks
(excluding Foreign Banks and RRBs)

Dear Sir,

CALENDAR OF REVIEWS – MATTERS TO BE PLACED BEFORE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT COMMITTEE

The increasing trend in the export bills outstanding at Authorised Dealers' level as revealed by the half yearly reviews in our Exchange Control Department (ECD) has been a matter of serious concern to Reserve Bank of India. The Chairmen of banks are being periodically apprised by the ECD about the position of export bills outstanding. Nevertheless, considering the seriousness of the matter, it has now been decided that the Review Report on 'Review of Export Finance and Foreign Exchange Business' required to be put up to the Board of Directors in terms of item II(3) of Annexure I to our circular DBOD.No.BP.BC.121/21.03.038/96 dated September 23, 1996 should also deal with the position of export bills outstanding and the steps taken by the banks for early realization of such bills. A copy of the Review Report together with the Board Resolution should be sent to the Chief General Manager, Exchange Control Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai-400 001.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager.

DBOD. No.BC. 85/09.08.001/99-2000

September 6, 1999
Bhadra 15, 1921 (Saka)

Chief Executives of
all Commercial Banks,

Dear Sir,

BOMBAY HIGH COURT – WRIT PETITION NO. 434 OF 1998 – A.J. RIZVI & OTHERS V/S INDO FRENCH BIOTECH ENTERPRISES LIMITED AND OTHERS.

Please refer to our circular DBOD No.BC.63/09.08.001/97-98 dated 27 June, 1998 advising the banks not to permit operations in the accounts maintained with them by respondent Nos. 1 to 8 to the captioned petition and the Group Companies of respondent Nos.1 and 2 thereof, pursuant to the directions given by the Bombay High Court's Order dated 16 June 1998. Now the Hon'ble High Court, Bombay by their Order dated 5 August 1999 have vacated the earlier Orders dated 16 June 1998 freezing the accounts of above referred respondents. We, therefore, advise you to defreeze the accounts of the Respondents at Sr. Nos. 1 to 8 as per list furnished in Annexure and Group Companies of respondents at Sr. Nos.1 and 2 and to allow them to operate their respective accounts held with your bank.

Yours faithfully,

(Kum. K.R. Pradhan)
Deputy General Manager.

ANNEXURE

List of Respondents

1. Indo French Biotech Enterprises Ltd.,
a company registered under The Companies Act, 1956
having its office at
5, Bhaskar Mansion,
32, Sitaladevi Temple Road, Mahim,
Mumbai – 400 016.

2. Indo Global Biotic Ambience Ltd.
a company registered under The Companies Act, 1956
and having its office at
9/23, Anand Nagar, Paud Road, Kothrud, Pune-411 029.

3. Maj Kumudchandra J. Bodiwalla,
Chairman & Managing Director, of
Indo French Biotech Enterprises Ltd., residing at
8, Shefali, 2nd floor, Mahim Markand Housing Society Ltd.,
Cadell Road, Mahim, Mumbai – 400 016.

4. Mrs. Vimala Kumudchandra Bodiwalla,
Managing Director of
Indo-Australian Golden Plantation Ltd.

5. Miss Darshana Kumudchandra Bodiwalla,
Constituted Attorney of the
Board of Directors of Indo French Biotech Enterprises Ltd.

6. Mrs. Illa A Agarwal d/o Kumudchandra J. Bodiwalla
All at –
8, Shefali, 2nd floor, Mahim Markand Housing Society Ltd.,
Cadell Road, Mahim,
Mumbai – 400 016.

7. Harkishandas R. Sharma,
Wholetime Director of
Indo French Biotech Enterprises Ltd.

8. Prafulla R. Ranadive,
Wholetime Director of
Indo French Biotech Enterprises Ltd.
Nos. 7 and 8 both at
5, Bhaskar Mansion,
31, Sitaladevi Temple Road, Mahim,
Mumbai – 400 016.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

DBOD. No.Dir. BC. 86/13.10.00/99-2000 **September 7, 1999**
Bhadra 16, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

LEVY OF SERVICE CHARGES BY COMMERCIAL BANKS

Hitherto Indian Banks' Association had been communicating the benchmark service charges to the member banks based on which each bank was expected to decide the charges. The Association had conveyed its views on the service charges to member banks vide its circular No.OPR/C.22-12/2 dated August 18. 1997.

2. We have since reviewed the entire matter of fixing rates for various service charges by the banks and it has been observed that the existing practice was consistent with the past regime of administered interest rates but is no more consistent with the current accent on competition.

3. It has, therefore, been decided that the practice of IBA fixing the benchmark service charges on behalf of member banks should be done away with and the decision to prescribe service charges should be left to the individual banks. Banks are advised that while fixing service charges for various types of services like charges for cheque collection, etc., they should ensure that the charges are reasonable and are not out of line with the average cost of providing these services. Banks should also take care to ensure that customers with low volume of activities are not penalised.

4. Banks are advised to make arrangements for working out charges with prior approval of their Boards of Directors as recommended under paragraph 3 above and operationalise them in their branches as early as possible.

Yours faithfully,

(A. L. Narasimhan)
Chief General Manager

DBOD. No.BC. 88/12.06.057/99-2000

September 14, 1999
Bhadra 23, 1921 (Saka)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

ALTERATION IN THE NAME OF THE BANK IN THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "BANK OF AMERICA NT & SA"

We advise that the name of "Bank of America NT & SA" has been changed to "Bank of America, National Association" in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 28th August 1999 i.e. the date on which relative Notification DBOD. No. IBS. 324/23.03.006/99-2000 dated 3rd August 1999 was published in Gazette of India (Part III Sec. 4).

Yours faithfully,

(Rajesh Verma)
Deputy General Manager

DBOD. No.BP.BC. 91/21.01.040/99 **September 22, 1999**
Bhadra 31, 1921 (Saka)

All Public Sector Banks.

Dear Sir,

DELEGATION OF POWERS TO CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR (CMD)/EXECUTIVE DIRECTOR (ED) FOR COMPROMISE/WRITE-OFF

Please refer to paragraph 6 of our Circular DBOD.No.BP.BC.57/ 21.01.040/99 dated May 27, 1999 forwarding guidelines for the constitution of Settlement Advisory Committees wherein it was, inter-alia, mentioned that the powers of CMDs for waiver/write-off was proposed to be raised to Rs.50 lakhs. It has since been decided with the approval of the Government of India to enhance the powers of CMDs of public sector banks for waiver/write-off of loans from the existing limit of Rs.10 lakh to Rs.50 lakh. The Board of Directors of public sector banks may, therefore, delegate suitable powers to the CMD in respect of proposals involving write-off/waiver, remission upto Rs.50 lakh. Consequently, the powers delegated to the CMDs in respect of proposals involving write-off/waiver, remission up to Rs. 10 lakhs, as advised under item 2 of our Circular DBOD.No.BP.BC.24/ 21.01.040/97 dated March 25, 1997, will stand amended as above.

2. After the Board takes a view on the delegation of powers to CMD, ED may be delegated powers to the extent of 75 per cent of those delegated to the CMD. As a consequence of the revision in the delegation of powers to CMD and ED for loan compromise/write-off of proposals, the Board may revise the powers of other functionaries of the bank as considered appropriate.

Yours faithfully,

(A.Ghosh)
Chief General Manager

DBOD. No.BC. 97/12.06.113/99-2000

October 7, 1999
Ashwina 15, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

EXCLUSION FROM THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 – "HANIL BANK"

We advise that the name of the Hanil Bank has been excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 18th September 1999 i.e. the date on which the relative notification DBOD. No. IBS. 572/ 23.13.86/99-2000 dated 28th August 1999 was published in the Gazette of India (Part III – Section 4).

Yours faithfully,

(N. K. Sarkar)
Chief General Manager

DBOD. No. BP.(SC).BC. 98 /21.04.103/99 **October 7, 1999**

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

RISK MANAGEMENT SYSTEMS IN BANKS

Please refer to para. 28 of the statement on "Mid-Term Review of Monetary and Credit Policy for 1998-99", forwarded under cover of Monetary Policy Department's letter No.MPD.BC.181/07.01.279/98-99 dated October 30, 1998, wherein it was indicated that Guidelines for management of credit, market and operational risks would be issued to banks. Accordingly, draft Guidelines were prepared and circulated among a few banks for comments/suggestions. The draft Guidelines have been reviewed in the light of the feedback received and the suggestions which emerged in the review meeting taken by RBI with the Chairmen / Chief Executive Officers of select banks on September 2, 1999. The final Guidelines are enclosed for implementation by banks.

2. The Guidelines broadly cover management of credit, market and operational risks. The Guidelines on Asset-Liability Management System, which have already been issued, were intended to cover mainly liquidity and interest rate risks. The Guidelines now being issued together with the ALM guidelines are purported to serve as a benchmark to the banks, which are yet to establish an integrated risk management system. Banks can evolve their own systems compatible with the type and size of operations as well as risk perception. Banks may evaluate critically their existing risk management system in the light of these guidelines and put in place a proper system for covering the existing deficiencies and requisite upgradation.

3. Due to the diversity and varying size of balance sheet items between banks, it may not be possible nor necessary to adopt uniform risk management system. The design of risk management framework should be oriented towards the bank's own requirement dictated by the size and complexity of business, risk philosophy, market perception and the existing level of capital.

4. The primary responsibility of laying down risk parameters and establishing the risk management and control system rests with the Board of Directors. The implementation of the integrated risk management could be assigned to a Risk Management Committee or a Committee of Top Executives that reports to the Board. Banks should constitute a high-level Credit Policy Committee (CPC) to deal with issues pertaining to credit sanction, disbursement and follow-up procedures and to manage and control credit risk on a whole bank basis. Concurrently, banks should also set up an independent Credit Risk Management Department to enforce and monitor compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board / CPC. The financial crises in some countries have revealed a strong correlation between unhedged market risk and credit risk. The activities of Asset-Liability Management Committee (ALCO) and CPC for management of credit and market risks need to be integrated.

Credit Risk

5. The management of credit risk should receive the prime attention of the top management. The Loan Policy, approved by the Board, should cover the methodologies for measurement, monitoring and control of credit risk. Each bank should have a clearly defined scheme of delegation of powers and also evolve a credit approving system, where the loan proposals beyond a pre-specified limit are approved by an 'Approval Grid' or a 'Committee'. In order to control the magnitude of credit risk, prudential norms on benchmark financial ratios, single borrower or borrower - group exposure, substantial exposure, industry-specific, region-specific and sector-specific exposures, exposure to sensitive sectors, etc. should be covered in the Loan Policy.

6. Banks should evolve comprehensive risk rating system that serves as a single point indicator of diverse risk factors of counterparties in relation to credit and investment decisions. At the same time, banks should adopt scientific method to price the credit and investment risk, which should reflect the expected probability of defaults.

7. The method of tracking non-performing loans near about the balance sheet date does not reveal the true quality of the Loan Book. The portfolio quality should be evaluated as an on-going exercise by tracking migration (upward or downward) of borrowers from one rating scale to another. Banks should undertake

rapid portfolio reviews, stress tests and scenario analysis when the environment undergoes rapid changes.

8. In terms of circular DBOD.No.BP.BC.103/21.01.002/98 dated October 31, 1998, banks have been advised to put in place a Loan Review Mechanism (LRM) for large advances. The Loan Review / Audit Department should be assigned the responsibility of evaluating the effectiveness of loan administration and maintaining the integrity of credit grading process, assessing the loan loss provision in an objective manner and ensuring the portfolio quality.

Investments

9. The proposals for investment should be subjected to same degree of credit risk analysis, as loan proposals. The portfolio evaluation should cover the total exposures, including investments.

Off-balance Sheet Exposure

10. The off-balance sheet exposures should be subjected to risk evaluation. The current and potential credit exposures may be measured on a daily basis and the potential exposures may be quantified by subjecting the position to market movements involving normal and abnormal movements in market variables like forex rate, interest rate, equity prices, liquidity conditions, etc.

Inter-bank Exposure and Country Risk

11. Banks should evolve a suitable framework to provide a centralised overview of the aggregate exposure on other banks. Banks should also endeavour for developing an internal matrix that reckons the counterparty and country risks.

Market Risk

12. Detailed Guidelines have been issued vide circular DBOD.No.BP.BC.8 / 21.04.098/99 dated February 10, 1999 for operationalising Asset-Liability Management System in banks, effective April 1, 1999. Keeping the level of computerisation and MIS, banks have been advised to adopt easy-to-comprehend analytical tools for management of market risk. International banks, on the other

hand, have made considerable progress in adopting more sophisticated techniques like Duration, Earnings at Risk (EaR), Value at Risk (VaR) and complex simulation models. Most of these banks have also adopted the Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) framework and allocated economic capital on the basis of risks or variability of returns. The Basel Committee recommends that capital adequacy in relation to economic risk is a necessary condition for the long-term soundness of banks. The Committee also proposes to develop a capital charge for interest rate risk in the banking book for banks where the interest rate risk is significantly above average. In the backdrop of gradual integration of domestic markets with external markets, large banks in India should also adopt more sophisticated techniques in the management of market risk. The banks should take the following steps for improving the existing systems.

Liquidity Risk

13. Apart from complying with the prudential limits on cash flow mismatches stipulated under ALM Guidelines, banks should also consider putting in place prudential limits on inter-bank borrowings, especially call fundings, purchased funds, core deposits to core assets, off-balance sheet commitments, swapped funds, etc. Banks should also evaluate liquidity profile under bank-specific and market crisis scenarios. Contingency plans should be prepared to measure the ability to withstand sudden adverse swings in liquidity conditions.

Interest Rate Risk

14. Banks should fix a definite timeframe for moving over to VaR and Duration approaches for measurement of interest rate risk. Banks should also develop capabilities to undertake stress tests to capture the adverse effects of extreme volatile conditions or outlier events. A scientific internal Funds Transfer Price (FTP) mechanism could be evolved to supplement the ALM.

Capital for Market Risk

15. It would be desirable to adopt international standards on providing explicit capital cushion for the market risk to which banks are exposed. While small banks operating predominantly in India could adopt the standardised approach, large banks as well as banks operating in international markets should develop expertise in evolving internal models for measurement of market risk.

Operational Risk

16. Operational risk is emerging as an important feature of sound risk management in the wake of phenomenal increase in the volume of financial transactions, high degree of structural changes and complex technological support systems. Banks should adopt proper systems for measurement, monitoring and control of operational risk.

Risk Aggregation and Capital Allocation

17. Allocation of economic capital on the basis of risk or variability of returns has gained international acceptance and the supervisors are planning to evaluate the internal capital adequacy assessment of banks. Some of our banks may not be in a position to adopt immediately the RAROC framework and allocate capital to various businesses units. Banks operating in international markets should develop by March 31, 2001 suitable methodologies for estimating and maintaining economic capital. The other banks should formulate a medium-term strategy to comply with these requirements.

18. This circular together with the Guidelines may please be placed before the Board of Directors at its next meeting. The Board should review the progress in implementation of the Guidelines at half-yearly intervals. A copy of the Board note indicating the gaps in the existing risk management practices and the policies and strategies for complying with the Guidelines may be sent to us by January 1, 2000.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

Encl.: 1 Booklet

DBOD. No.BC. 101/12.04.002/99-2000

October 12, 1999
Ashwina 20, 1921 (Saka)

Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

T. T. DISCOUNTING FACILITY—RENEWAL

Please refer to our circular letter DBOD No BC 101/12.04.002/99 dated 15th October 1998 on the captioned subject.

2. It has been decided to extend the period for availing of the limits under Telegraphic Transfer with the Reserve Bank of India sanctioned to scheduled commercial banks for a further period of one year i.e. from 1st November 1999 to 31st October 2000.

Yours faithfully

(N. K. Sarkar)
Chief General Manager

STATEMENT SHOWING THE T.T. DISCOUNTING FACILITY LIMITS SANCTIONED TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS BY DBOD, CENTRAL OFFICE, MUMBAI WHICH WILL BE IN FORCE FROM 1.11.1999 TO 31.10.2000

(Rs.' in Lacs)

NAME OF THE BANK	A'BAD	B'LORE	B'SWAR	BHOPAL	MUMBAI	C'CUTTA	G'HATI	HY'BAD	JAIPUR	KANPUR	CHENNAI	NAGPUR	N. DELHI	PATNA	T'DRUM	CH'GARH	TOTAL
AMERICAN EXPRESS	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	250
BANK OF BEH & KUW	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
BANK OF BARODA	2000	1000	200	100	0	1000	200	400	400	200	1000	300	2000	300	200	200	9500
BANK OF INDIA	300	100	50	0	0	500	10	200	125	50	300	50	1500	35	100	100	3420
BANK OF MAHARASH.	50	50	0	30	0	50	0	100	10	15	50	25	100	8	10	0	498
BANK OF RAJ.	15	0	0	0	0	15	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	50
CANARA BANK	20	125	10	0	0	50	50	25	0	3	125	0	50	25	25	0	508
CORPORATION BANK	25	0	5	0	0	15	0	50	5	0	0	40	5	25	15	0	185
CENTRAL BK. OF IND.	400	200	100	250	0	2000	100	200	100	500	1000	100	2500	100	200	500	8250
CITY BANK	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	70	0	0	0	130
DEUSCHE BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70
DENA BANK	1000	100	75	100	0	750	100	200	100	100	200	75	1000	50	50	100	4000
SANGLI BANK	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10	5	10	0	0	0	55
SYNDICATE BANK	300	500	100	0	0	800	100	200	50	100	400	50	500	100	200	500	3900
SBBJ	50	15	0	0	0	30	25	0	2000	100	20	10	500	25	0	0	2775
ST. BK. OF INDORE	25	10	0	0	0	40	0	40	5	20	50	0	50	0	0	0	240
ST. BK. OF SAURAS.	50	25	0	0	0	25	0	500	10	15	15	0	20	0	15	0	675
UNION BK. OF INDIA	200	200	15	50	0	500	150	60	0	50	100	20	50	50	0	0	1445
UNITED WEST. BANK	5	5	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	15	0	0	0	55
ALLAHABAD BANK	0	50	0	0	0	0	5	140	25	4	4	10	0	50	15	25	328
GRINDLAYS BANK	0	40	0	0	0	0	0	100	0	25	0	0	0	0	0	0	165
STAN. CHAR. BANK	0	0	0	0	50	50	0	0	0	20	25	0	30	0	0	0	175
UNITED BK. OF INDIA	50	25	60	0	125	0	50	25	20	20	50	30	100	75	5	0	635
UCO BANK	100	15	30	0	20	0	25	40	50	15	25	75	50	25	25	0	495
BERREILLY CORP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7

STATEMENT SHOWING THE T.T. DISCOUNTING FACILITY LIMITS SANCTIONED TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS BY DBOD, CENTRAL OFFICE, MUMBAI WHICH WILL BE IN FORCE FROM 1.11.1999 TO 31.10.2000

(Rs. in Lacs)

NAME OF THE BANK	A'BAD	B'LORE	B'SWAR	BHOPAL	MUMBAI	C'CUTTA	G'HATI	HY'BAD	JAIPUR	KANPUR	CHENNAI	NAGPUR	N. DELHI	PATNA	T'DRUM	CH'GARH	TOTAL
BENARAS STATE BK	0	0	0	0	110	30	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	250
BANK OF MADURA	40	15	0	0	45	15	0	20	25	0	0	35	15	15	25	0	250
BHARAT OVERS BK.	50	25	0	0	200	50	0	50	0	0	0	0	50	0	25	50	500
INDIAN BANK	50	20	5	0	0	0	2	40	10	25	0	15	50	15	10	0	242
INDIAN OVERS BANK	50	0	30	0	0	0	10	30	20	40	0	25	0	30	10	0	245
KARUR VYSYA BANK	20	20	0	0	25	15	0	20	0	0	0	0	15	0	0	0	115
LAXMI VILAS BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
ST. BK OF TR'CORE	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
TAMILNAD MER. BK.	0	45	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	100
CATHOLIC SY. BANK	0	10	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	10	0	0	0	30
FEDERAL BANK	20	15	3	0	40	0	0	10	0	10	0	0	20	5	0	0	123
NEDENGUDI BANK	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
SOUTH INDIAN BANK	5	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	25
KARNATAKA BANK	50	0	0	0	200	0	0	25	0	0	45	0	100	0	25	0	445
ST. BK OF MYSORE	25	0	0	0	250	100	0	60	0	0	150	5	100	0	10	0	700
VIJAYA BANK	50	0	20	0	100	100	0	10	0	10	100	20	100	0	10	0	520
VYSYA BANK	10	0	0	0	30	8	0	20	0	0	20	0	10	0	5	0	103
ST. BK. OF PATIALA	20	25	0	0	100	500	0	300	25	100	400	20	0	10	0	0	1500
ANDHRA BANK	5	50	25	0	100	50	0	0	15	10	0	25	35	100	5	0	420
GLOBAL TRUST BANK	0	100	0	0	0	200	0	200	0	0	200	0	200	0	0	0	900
STATE BK OF HY'BAD	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
J. & K. BANK	0	0	0	0	0	50	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	80
PUNJ. & SIND BANK	40	20	5	30	0	100	50	25	15	100	50	10	0	25	20	0	490
STATE BK OF INDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
ORIENT. BK OF COM.	5	10	0	0	0	0	0	5	10	10	0	5	0	5	5	0	55
GRAND TOTAL	5040	2840	733	560	1595	7133	877	3375	3050	1549	4379	962	9655	1073	1010	101475	145306

DBOD. No.IBS.BC.No.109/23.06.001/99-2000 **October 30, 1999**
Kartika 8, 1921 (Saka)

The Chief Executives of Foreign Banks
Operating in India

Dear Sir,

INDIANISATION OF STAFF

As you are aware, foreign banks are required to submit to us, annually, statement in the format enclosed with our letter DBOD.N0. Ref. 312/C.319B-69 dated 20th March 1969. We have since undertaken a review of usefulness of this return in view of liberalisation in the engagement of expatriates to the extent that they need not obtain our approval if the engagement of expatriates is within the entitlement/limit fixed for the bank , in terms of the norms prescribed under the scheme of Indianisation of staff of foreign banks vide our D.O. letter No.DBOD.Ref.1318/C-319-70 dated 31st August 1970 addressed to the Chief Executives of all foreign banks.

2 In view of the above, you need not submit the annual statement referred to in the above paragraph in future. You are, however, required to furnish us details of expatriates engaged by your bank viz. name of the expatriate, date of his/her arrival in India and expected date of his/her departure from India, at the time of applying for permission to engage additional expatriate as required in terms of our letter IBS.1033/23.07.001/94 dated 11th March 1994, to consider your request in this regard.

Yours faithfully,

(P. V. Subba Rao)
Chief General Manager

DBOD.No. BC. 115/09.11.001/99-2000

October 30, 1999
Kartika 8, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(including RRBs)

Dear Sir,

YEAR 2000 (Y2K) PREPARATIONS

Please refer to paragraph 57 of the statement on "Mid Term Review of Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000" enclosed to Governor's circular MPD.BC.190/07.01.279/99-2000 dated 29th October 1999.

We advise that in conformity with the international practices as a part of contingency plan for year 2000 (Y2K) preparations, it has been decided that all scheduled commercial banks, including RRBs, shall remain closed for public transactions on 1st January 2000. Banks, however, should be kept open on that day for staff members so that continuity of business operations in the year 2000 context could be checked. Due and sufficient notice may be given to all the parties concerned who are likely to be affected by the closure to avoid any risk or liability in regard to non-performance of your obligations to be met on 1st January 2000.

A Directive DBOD No.BC. 116 /09.11.001/99-2000 dated 30th October 1999 regarding observance of 1st January 2000 as holiday for public transactions, is enclosed.

Yours faithfully,

(Devaki Muthukrishnan)
General Manager

DBOD. No.Dir.BC. 116/09.11.001/99-2000 **October 30 , 1999**
Kartika 8, 1921 (Saka)

YEAR 2000 (Y2K) PREPARATIONS

In exercise of the powers conferred under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, hereby directs that all Scheduled Commercial Banks (including RRBs) in India, shall remain closed for public transactions on 1st January 2000 in conformity with the international practices as a part of contingency plan for year 2000 (Y2K) preparations.

(G.P. Muniappan)
Executive Director.

DBOD.No.BP.BC. 118/21.01.023/99 **November 2, 1999**
Kartika 11, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(except RRBs)

Dear Sir,

RECEIPT OF FOREIGN CONTRIBUTIONS BY ASSOCIATIONS/ORGANISATIONS IN INDIA UNDER FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) ACT, 1976

Please refer to our circular DBOD.No.BP.CS.BC.1/21.01.023/99 dated 28th July 1999 advising the banks the need to ensure compliance with the various provisions of Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 in connection with the foreign contributions received by associations/ organisations. In particular, the banks are required to ensure that prior permission of Government of India has been obtained by the recipients of donations/contributions before actually affording credits to their bank accounts. It has been reported to us that there are delays in affording credits by banks to the accounts held by associations/organizations covered under the above Act. We advise that while observing the procedure/ precautions for operations in these bank accounts, it may also be ensured that in genuine cases where the Associations/Organisations have duly complied with the provisions of the Act , there are no undue delays in affording credits to avoid hardships to the beneficiaries.

We shall be glad if you will please advise your branches accordingly.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager

Relevant Extract of circular DBOD. No.BP.BC. 121/21.04.124/99 dated November 3, 1999 is reproduced below :-

ii) Limits on credit exposure to individual borrowers

In terms of Circular DBOD. No. BP. BC. 132/66-89 dated May 26, 1989, the ceiling on a bank's exposure to an individual borrower has been fixed at 25 per cent of the bank's capital funds. **With a view to moving closer to the international standard of 15 per cent, in phases, it has been decided to lower the exposure ceiling in respect of an individual borrower from the present level of 25 per cent of 20 per cent of the bank's capital funds effective April 1, 2000. Banks are advised that where the existing level of exposure as on October 31, 1999, is more than 20 per cent, they should reduce the exposure to 20 per cent of capital funds over a two year period (i.e. by end October, 2001).**

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

DBOD. No.Dir. BC. 124/13.10.00/99-2000 November 18, 1999
Kartika 27, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

LEVY OF SERVICE CHARGES BY COMMERCIAL BANKS FOR REMITTANCES OF CONTRIBUTION FOR RELIEF OF CYCLONE AFFECTED PEOPLE IN ORISSA STATE

Please refer to our circular Dir. BC. 86/13.10.00/99-2000 dated September 7, 1999 in terms of which decision to prescribe service charges was left to the individual banks.

2. In order to contribute in the national effort to mitigate the hardships being faced by people in the recent cyclone in Orissa State, we advise that banks may not levy any service charge/commission in respect of funds being remitted for credit to the Prime Minister's Relief Fund, Orissa Cyclone Relief Fund as also any other contribution being remitted to provide relief to the cyclone affected people in the Orissa State.

3. Necessary instructions to the Controlling Offices and branches of your bank may please be issued immediately.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager

DBOD. No.JPC.BC. 137/27.01.031/99-2000 **February 4, 2000**
Magha 15, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

BANKERS' BOOKS EVIDENCE ACT, 1891

In a judgement delivered by the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) the Hon'ble Justice had drawn attention to the provisions relating to certification/authentication in the Bankers' Books Evidence Act, 1891 and desired that banks be guided by these provisions to prove entries in bankers' books in legal proceedings. Banks are, therefore, advised that, in the event of need for production of evidence to prove entries in bankers' books in any legal proceedings before Courts, Tribunal, Consumer Forum etc., they may in consultation with their Legal Adviser/Counsel, adopt the procedure as laid down under Section 4 read with the provision of Section 2(8) of the Bankers' Books Evidence Act, 1891.

2. The above procedure would obviate the need for production of volumes of original records of the bank in evidence in legal proceedings before the Court or any other Competent Forum and would also avoid administrative and procedural inconvenience which is normally caused in the event of such records remaining in the custody of the Court till completion of such proceedings. Banks should, however, ensure that original records/documents which are the subject matter of such legal proceedings are preserved at their end till the final disposal of the proceedings notwithstanding the provisions of the Banking Companies (period of preservation of records) Rules, 1985.

3. A copy of the Act is enclosed for your ready reference and we draw your attention in particular to the following provisions thereof.

(i) the definition of the terms, "bankers' books", "legal proceeding" and "certified copy" as defined under Section 2 of the said Act;

(ii) the provisions of Section 4 in terms whereof a certified copy of any entry in banker's book shall in all legal proceedings be received as prima facie evidence of the existence of such entry, and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry itself is now by law admissible, but not further or otherwise.

(iii) the provisions of Section 5 as per which no officer of a bank shall in any legal proceeding to which the bank is not a party be compellable to produce any banker's book, the contents of which can be proved under the said Act, or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, unless by order of the Court or a Judge made for special cause;

(iv) the provisions of Section 6 of the said Act in terms whereof, on the application of any party to a legal proceeding the Court or a Judge may order that such party is at liberty to inspect and take copies of any entries in a banker's book for any of the purposes of such proceeding, or may order the bank to prepare and produce, within a time to be specified in the order, certified copies of all such entries, accompanied by a further certificate that no other entries are to be found in the books of the bank relevant to the matters in issue in such proceeding, and such further certificate shall be dated and subscribed in the same manner as directed in reference to certified copies.

4. This circular may be placed before the Board of Directors of the bank at its next meeting and suitable instructions issued to the branches.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

ANNEXURE

THE BANKERS' BOOKS EVIDENCE ACT, 1891[1]

(Act No. 18 of 1891)[2]

CONTENTS

1. Title and extent.
2. Definitions.
3. Power to extend provisions of Act.
4. Mode of proof of entries in bankers' books.
5. Case in whichOfficer of bank not compellable to produce books.
6. Inspection of books by order of Court of Judge.
7. Costs.
8. Order of court to be construed to be order made by specified Officer.

[1st October, 1891]

An Act to amend the Law of Evidence with respect to Bankers' Books.

Whereas it is expedient to amend the Law of Evidence with respect to Bankers" Books;

It is hereby enacted as follows :-

1. Title and extent. --

(1) This Act may be called the Bankers' Books Evidence Act, 1891.

(2) It extends to the whole of India [3][except the State of Jammu and Kashmir]; [4][***]

[5][* * * * *]

2. Definitions. – In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context,--

[6][(1) "company" means any company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and includes a foreign company within the meaning of Section 591 of that Act;

(1A) "corporation" means any body corporate established by any law for the time being in force in India and includes the Reserve Bank of India, the State Bank of India and any subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);]

(2) "bank" and "banker" mean :

[7][(a) any company or corporation carrying on the business of banking.]

---

1. As amended by the Banking Laws (Amendment) Act, 1983 (Act, 1983 (Act No. 1 of 1984).
2. The Act has been extended in its application to the whole of the Union Territory of Lakshadweep (with effect from 1.10.1967) vide Regulation 8 of 1965, Section 3 and Schedule and to the Union Territory of Pondicherry by Act 26 of 1968, Section 3 and Schedule. This Act shall apply in relation to the Development Bank as if that were a bank as defined in Section 2 of this Act, vide Act 18 of 1964, Section 33,
3. Substituted by Act 3 of 1951, Section 3 and Schedule, for "except Part B State".
4. The word "and" at the end of sub-section (2) and sub-section (3) repealed by Act 10 of 1914.
5. The word "and" at the end of sub-section (2) and sub-section (3) repealed by Act 10 of 1914.
6. Substituted by Act 56 of 1962, Section 4, for clause (1).
7. Substituted by Section 4, ibid., for sub-clause (a).

(b) any partnership or individual to whose books the provisions of this act shall have been extended as hereinafter provided,

[1][(c) any Post-office savings bank or money order office:]

(3) "bankers' books" include ledgers, day-books, cash-books, account-books and all other books used in the ordinary business of a bank;

[2][(4) "legal proceeding' means :--

(i) any proceeding or inquiry in which evidence is or may be given;

(ii) an arbitration; and

(iii) any investigation or inquiry under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or under any other law for the time being in force for the collection of evidence, conducted by a Police Officer or by any other person (not being a Magistrate) authorised in this behalf by a Magistrate or by any law for the time being in force;]-

(5) "the Court" means the person or persons before whom a legal proceeding is held or taken;

(6) "Judge" means a Judge of a High Court;

(7) "trial" means any hearing before the Court at which evidence is taken; and

(8) "certified copy" means a copy of any entry in the books of a bank together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such entry, that such entry is contained in one of the ordinary books of the bank and was made in the usual and ordinary course of business, and that such book is still in the custody of the bank, [3][and where the copy was obtained by a mechanical or other process which in itself ensured the accuracy of the copy, a further certificate to that effect. but where the book from which such copy was prepared has been destroyed in the usual course of the bank's business after the date on which the copy had been so prepared, a further certificate to that effect, each such certificate being dated and subscribed by the principal Accountant or Manager of the bank with his name and official title].

3. Power to extend provisions of Act.--

The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, extend the provisions of this Act to the books of any partnership or individual carrying on the business of bankers within the territories under its Administration, and keeping a set of not less than three ordinary account-books, namely, a cash book, a day-bank or journal, and a ledger, and may in like manner rescind and any such notification.

---

1. Added by Act 1 of 1893, Section 2.
2. Substituted by Act, 1 of 1984, Section 2, for clause (4) (w.e.f. 15.2.1984).
3. Substituted by Section 2, ibid, for certain words (w.e.f. 15.2.1984).

4. Mode of proof of entries in bankers' books.--

Subject to the provisions of this Act, a certified copy of any entry in a banker's book shall in all legal proceedings be received as *Prima facie* evidence of the existence of such entry, and shall be admittted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry itself is now by law admissible, but not further or otherwise.

COMMENTS

Where the original entries are fraudulent and not admitted, the bank must produce evidence in support of the entities to show that the money was advanced. *[Chandradhar Goswani v. Gauhali Bank Ltd.,* (1967) 37 Comp. Cas. 108 (SC) : AIR 1967 SC 1058.]

The entries from the books of accounts or copies thereof are not sufficient to charge a borrower with liability. However, certified copy of entries from the books of accounts in *prima facie* evidence of the transactions recorded and has the same value as the original entries themselves. On the basis of a duly certified Statement of Account, which is a *prima facie* evidence of the fact that the amount was due without any further evidence, a Decree may be passed unless a particular entry is challenged and proved as incorrect. *[United Commercial Bank Ltd. v. G.C. Dey,* AIR 1974 Calcutta 151.]

5. Case in which officer of bank not compellable to produce books. --

No Officers of a bank shall in any legal proceeding to which the bank is not a party be compellable to produce any banker's book the contents of which can be proved under this Act, or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, unless by order of the Court or a Judge made for special cause.

COMMENTS

A Magistrate may make an order under Section 94 or Criminal Procedure Code for production of documents by Bank but the Bank producing the documents may object to its inspection. The present Act is a special law and the Criminal Procedure Code does not affect the present Act. An Order of Court for inspection of books of accounts of Bank cannot be made without hearing the Bank. *[Central Bank of India Ltd. v. P.D. Shamdasani,* AIR 1938 Bom 33.]

6. Inspection of books by order of Court or Judge.---

(1) On the application of any party to a legal proceeding the Court or a Judge may order that such party be at liberty to inspect and take copies of any entries in a banker's book for any of the purposes of such proceeding, or may order the bank to prepare and produce, within a time to be specified in the order, certified copies of all such entries, accompanied by a further certificate that no other entries are to be found in the books of the bank relevant to the matters in issue in such proceeding, and such further certificate shall be dated and subscribed in manner hereinbefore directed in reference to certified copies.

(2) An order under this or the preceding section may be made either with or without summoning the bank, and shall be served on the bank three clear days (exclusive of bank holidays) before the same is to be obeyed, unless the Court or Judge shall otherwise direct.

(3) The bank may at any time before the time limited for obedience to any such order as aforesaid either offer to produce their books at the trial or give notice of their intention to show cause against such order, and thereupon the same shall not be enforced without further order.

COMMENTS

The Police, however, with proper authority may inspect the books of accounts of a customer against whom investigations are going on without the order of a Court. *[A.F.G. Price v. Emperor,* AIR 1937 Lahore 160.]

7. Costs.---

(1) The costs of any application to the Court or a Judge under or for the purposes of this Act and the costs of anything done or to be done under an order of the Court or a Judge made under or for the purposes of this Act shall be in the discretion of the Court or Judge, who may further order such costs or any part thereof to be paid to any party by the bank if they have been incurred in consequence of any fault or improper delay on the part of the bank.

(2) Any order made under this section for the payment of costs to or by a bank may be enforced as if the bank were a party to the proceedings.

(3) Any order under this section awarding costs may, on application to any Court of Civil Judicature designated in the order, be executed by such Court as if the order were a decree for money passed by itself :

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to derogate from any power which the Court or Judge making the order may posses for the enforcement of its or his directions with respect to the payment of costs.

8. Order of court to be construed to be order made by specified Officer ---

In the application of Sections 5, 6 and 7 to any investigation or inquiry referred to in sub-clause (iii) of clause (4) of Section 2, the order of a Court or a Judge referred to in the said sections shall be construed as referring to an order made by an Officer of a rank not lower than the rank of a Superintendent of Police as may be specified in this behalf by the appropriate Government.

Explanation.-- In this section, "appropriate Government" means the Government by which the Police Officer or any other person conducting the investigation or inquiry is employed.]

DBOD No.BC. 139/12.06.065/99-2000

February 7, 2000
Magha 18, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

EXCLUSION FROM THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST"

We advise that the name of the British Bank of the Middle East has been excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 9th October 1999, i.e., the date on which the relative notification DBOD No.IBS.817/23.13.022/ 99-2000 dated 25th September 1999 was published in the Gazette of India (Part III - Section 4).

Yours faithfully,

(S.P. Padgaonkar)
General Manager

DBOD No.BC. 142/12.06.088/99-2000 **February 18, 2000**
Magha 29, 1921 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

ALTERATION IN THE NAME OF THE BANK IN THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - 'ICICI BANKING CORPORATION LIMITED' TO 'ICICI BANK LIMITED.'

We advise that the name of 'ICICI Banking Corporation Limited' has been changed to 'ICICI Bank Limited.' in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 15th January 2000, i.e., the date on which relative notification DBOD No.BP/1395/21.01.057/99 dated 23rd December 1999 was published in Gazette of India (Part III - Section 4).

Yours faithfully,

(Rajesh Verma)
Deputy General Manager

DBOD. No.BP. BC. 170/21.04.018/2000

May 4, 2000
Vaishakha 14, 1922 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

ACCOUNTING STANDARD –11(REVISED)

Please refer to paragraph 3 of our circular DBOD No.BP.BC.24/21.04.048/99 dated March 30, 1999 advising banks to follow the guidelines prescribed in circular DBOD No. BP.BC.68/21.04.018/96 dated June 5, 1996 for finalising the accounts for the year ended 31 March, 1999. As the applicability of AS-11 (Revised) to banks is still under examination, banks are advised to follow the guidelines contained in the circular dated June 5, 1996, referred to above, for finalising the accounts for the year ended 31 March, 2000 also.

Yours faithfully,

(A.L. Sinhmar)
Deputy General Manager

DBOD. No.BP.BC. 171/21.04.098/99-2000

May 5, 2000
Vaishakha 15, 1922 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

BALANCE SHEET OF BANKS
DISCLOSURE OF INFORMATION

Please refer to our circular DBOD No. BP.BC.9/21.04.018/99 dated 10th February, 1999 advising the banks to disclose among others, the following additional information in the 'Notes on accounts' to the balance sheet from the year ended March 31,2000 :-

i) Maturity Pattern of Loans and Advances;
ii) Maturity Pattern of Investment Securities;
iii) Maturity Pattern of Deposits;
iv) Maturity pattern of Borrowings;

2. Some banks have expressed difficulties in disclosing the above additional information in the 'Notes on Accounts' to the balance sheet for the year ended March, 2000 as they have not covered 100% of their business under ALM System. It has therefore, been decided that banks may, if need be, disclose the above information in the 'Directors' Report'.

3. However, banks should disclose the above additional information in the 'Notes on Accounts' to the balance sheet for the year ending 31st March, 2001.

Yours faithfully,

(A.Ghosh)
Chief General Manager.

DBOD. No.BP. BC. 172/21.04.105/99-2000 **May 9, 2000**
Vaishakha 19, 1922 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

UNPAID DIVIDEND TRANSFERRED TO SPECIAL DIVIDEND ACCOUNT

As you are aware, in terms of section 205A of the Companies Act, where a dividend has been declared by a company but has not been paid (or claimed) within forty two days from the date of the declaration, to any share holder entitled to the payment of the dividend, the company shall, within seven days from the date of expiry of the said period of forty- two days, transfer the total amount of dividend which remains unpaid (unclaimed) within the said period of forty-two days to a special account to be opened by the company in that behalf in any scheduled bank, to be called "Unpaid Dividend Account of ..... Company Limited/ Company (Private) Limited".

2. Banks have so far been maintaining the Unpaid Dividend Account of companies in the form of current accounts. It is advised that the **banks may open fixed deposit accounts if requests are received from companies to that effect** for the purpose of maintaining Special Deposit Account in respect of unpaid/ unclaimed dividend.

Yours faithfully,

(A. L. Narasimhan)
Chief General Manager

DBOD. No.BP.BC. 174/21.04.007/2000 **May 15, 2000**
Vaishakha 25, 1922 (Saka)

All scheduled commercial banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

TRAINING FACILITIES

A Committee was set up in RBI to review the activities and future direction of Bankers Training College (BTC) with a vision reaching upto the year 2005 and to study the role of BTC in the context of various other training facilities that have been established in the banking sector. The Committee has made the recommendations (as listed out in the Annexure) which are relevant to the commercial banks. In view of the paramount importance of training in the development of human resources and efficient work force in the banking sector, banks may consider implementation of the recommendations of the Committee.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager.

Annexure

List of Recommendations

a) Banks should continue to bestow more attention on training. As base level programmes and those on general banking will be discontinued in BTC and will be conducted by banks in their own colleges or in-house facilities, the posts of Principal and Members of Faculty should be accorded higher importance. Talented and knowledgeable officers with proven track record should be appointed as Members of Faculty with a good package of facilities.

b) Officers posted as faculty of training colleges should also be sufficiently exposed to suitable training so that banks are in a position to replicate some of the Training Programmes conducted in BTC in their own training establishments.

c) Banks should take care that there is a proper fit between the participant profile and the Programme profile. There should be a match between the training undergone by an officer and his post-training placement so that the benefits arising out of the training may be put to the best use of both the bank and the officer.

d) Banks should assume a pro-active role of encouraging and counselling their employees to acquire professional qualifications for strengthening the knowledge base and enhancement in professional competence.

e) The Indian Institute of Bankers and Indira Gandhi National Open University have now jointly come out with an MBA Programme in Banking and Finance exclusively for bank staff. As a measure of encouraging professional learning and acquisition of a specialised Post-Graduate Degree in Banking and Finance, all banks may consider reimbursing the course expenses to those staff who pass this special MBA degree.

f) One of the indicators of the importance attached to training is the amount of allocation made for training in the budget of a bank. Banks should, therefore, carry out a study to determine the adequacy of training provided to the officers and also about the funds allocated for training vis-à-vis their overall establishment expenses and take necessary corrective measures.

g) As huge training gaps exist in the banking industry, banks could come together and establish collaborative training colleges at regional centres. Alternatively, needy banks can utilise training colleges of banks which have excess capacity or training facilities. Large commercial banks should explore the possibility of opening up their training establishments (to the extent of spare capacity or spare channels available) for officers of other banks in which training facilities are either deficient or where there are no courses in specific areas.

DBOD. No.IBS.BC. 175/23.09.001/99-2000 **May 19, 2000**
Vaishakha 29, 1922 (Saka)

The Chief Executives of Foreign Banks operating in India.

Dear Sir,

REMITTANCE OF PROFITS BY FOREIGN BANKS OPERATING IN INDIA

Please refer to our circular DBOD.No.IBS.BC.99/23.09.001/98-99 dated 9th October 1998 regarding reporting of details of profits remitted by foreign banks operating in India.

2. The proforma of the statement mentioned in paragraph 2 of our above mentioned circular has since been modified. You are advised to furnish the particulars of profit remittances in the revised format enclosed for the year ended March 1999 and onwards.

3. The other instructions contained in our above mentioned circular dated 9th October 1998 remain unchanged.

4. The following consequential changes may be made in the Manual of Instructions – Vol. II.

The return/statement No.31-A may be replaced by the modified statement.

Yours faithfully,

(J.G.Gupta)
General Manager

Proforma for reporting details of profits remitted to Head Office by foreign banks operating in India

Name of the bank :

i)	Financial Year	:
ii)	Income of the bank during the year	:
iii)	Expenditure in India (including H.O. Expenses charged)	:
iv)	Net Profit as per the Profit & Loss Account	:
v)	H.O. expenses charged to P & L Account	:
vi)	Allowable H.O. expenses under Section 44C of Income Tax Act	:
vii)	Taxable H.O. expenses (v – vi)	:
viii)	Actual provisions made for tax	:
ix)	Other provisions (beyond tax allowable ceilings)	:
	a) for tax b) for bad & Doubtful debts c) for terminal benefits of the staff	
x)	Taxable Surplus [(iv + vii + viii + ix)]	:
xi)	Provision for tax calculated at full rate * on the entire amount of surplus i.e. on (x)	:
xii)	Amount transferred to reserves (give details)	:
xiii)	Adjustment towards outstanding tax liabilities of previous years, if any (+ or -)	:

xiv) Amount, if any, retained in India for meeting CRAR requirements :

xv) Remittable surplus [(x) – (total of xi to xiv)] :

xvi) Amount of Remittable surplus remitted to H.O. and the rate of exchange applied :

xvii) Date of remittance :

xviii) Capital funds on the date of remittance :

xix) CRAR on the date of remittance :

* rate to be specified

Certified that –

(i) The entire income of the bank included in the accounts for the year had accrued from sources in India and the provisions of B.R. Act, 1949 and the directions issued by RBI in this regard have been complied with. (In case a part of the income had accrued outside India, the certificate should clearly indicate that the amount thereof was repatriated to India immediately on realization).

(ii) The amount set aside as provision for tax is adequate to cover the tax liabilities of branch(es) in India of the bank for the year in question.

Chief Executive Officer of the bank — Auditors of the bank

(Name of the signatory and stamp) — (Name of the signatory and stamp)

Note :- If the remittance relates to unremitted profits of earlier years which have not been retained for capital adequacy but are held for remittance abroad, full details, year-wise, may be furnished.

N.B. Details of profits for 1998-99 already remitted should also be submitted in this revised format.

DBOD.No.BP.BC. 176/21.01.040/2000 **May 20, 2000**
Vaishakha 30, 1922 (Saka)

Chairmen and Managing Directors
of all Public Sector Banks

Dear Sir,

GUIDELINES FOR CONSTITUTION OF SETTLEMENT ADVISORY COMMITTEES (SACs)

Please refer to Circular DBOD.No.BP.BC.57/21.01.040/99 dated May 27, 1999 setting out broad, indicative parameters for constitution of Settlement Advisory Committees (SACs) for compromise settlement of chronic Non Performing Advances relating to the small sector. In terms of paragraph 3 of the aforesaid circular, the guidelines will be operative only up to September 30, 2000.

2. We observe that the progress of recovery of NPAs through the SACs is slow. We have received representations from small scale industrial units as also Industry Associations that the banks are not implementing these guidelines, as a result of which a large number of cases are pending with banks. One of the reasons for the slow progress of recovery of NPAs is reported to be the delay in considering cases for compromise settlement by the SACs. It is necessary that the SACs are made an effective medium for recovery of chronic NPAs of the small sector. You are, therefore, advised to look into the functioning of SACs closely by taking up the matter with your zonal / regional offices and ensure that all efforts are made to recover the maximum amount of NPAs through the SACs.

3. Please furnish us the latest position in regard to recovery of NPAs through SACs as on March 31, 2000 viz. number of cases settled and amount of settlement. You may also indicate to us the constraints, if any, faced by you in recovery of NPAs through SACs.

Yours faithfully,

(**G.P. Muniappan**)
Executive Director

DBOD.No.PSBS.BC. 182/16.13.100/99-2000 **May 31, 2000**
Jyestha 10, 1922 (Saka)

All Indian Private Sector
Commercial Banks

Dear Sir,

TRANSFER OF SHARES

Please refer to our circular DBOD.No.PSBS.BC. 349/16.13.100/99-2000 dated 21 September 1999 advising banks to obtain acknowledgement from Reserve Bank of India before effecting transfer of shares when the transfer makes the shareholding of the individual / group equivalent to five per cent and over of the total paid-up capital of the bank. It was mentioned in para 3 of the above circular that as regards demat shares, a separate communication would follow.

2. In this context, we advise that a Working Group was set up comprising senior officials from RBI, SEBI and NSDL for suggesting a procedural framework for prior acknowledgement of shares of banking companies by RBI in the demat segment. The Working Group has recommended that an amendment to the Banking Regulation Act, 1949 may be carried out for the purpose.

3. In the meanwhile, we advise that banks should promote an amendment to their **Articles of Association** to the effect that acquisition of shares by a person/ group which would take his/its holding to a level of 5% or more of the total issued capital of the bank (or such other percentage as may be prescribed by the Reserve Bank from time to time) should be with the prior approval of Reserve Bank of India.

4. We shall be glad if you will initiate necessary action **urgently** in the matter and forward to us, for our record, an extract of the amended clause.

Yours faithfully,

(A.L. Narasimhan)
Chief General Manager

DBOD. No.BC. 183/12.06.098/99-2000 **June 2, 2000**
Jyestha 12, 1922 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

EXCLUSION FROM THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "THE TIMES BANK LTD."

We advise that the name of the Times Bank Ltd. has been excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 4th March 2000 i.e. the date on which the relative notification DBOD.No.PSBS/ H.886/ 16.01.131/99-2000 dated 26th February 2000 was published in the Gazette of India (Part III - Section 4).

Yours faithfully,

(**Rajesh Verma**)
Deputy General Manager

DBOD. No.BP.BC. 184/21.01.040/2000

June 12, 2000
Jyestha 22, 1922 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks,
(excluding RRBs)

Dear Sir,

RECOVERY OF NPAs-EXPEDITIOUS REALISATION OF DECREED DEBTS

As you are aware, RBI/Government of India have been expressing from time to time, concern over the delays on the part of banks in filing of suits against borrowers and in promptly executing the decrees obtained for realising the decreed amount. RBI had therefore advised banks vide circular DBOD. No. BC. 77/ 09.08.001/93 dated 11th February 1993 that banks should give special attention to the execution of decrees and realisation of decreed amount from the judgement debtors in cases where it is possible to recover the money either from the principal debtors or from guarantors and also to take prompt action for recovery of amount from the judgement debtors.

2. RBI had recently reiterated the instructions in circular DBOD.No. BP.BC. 25/21.03.38/99 dated March 30, 1999 stressing the need for timely legal action for realisation of loss assets. Apart from the need for prescribing a time frame for starting legal recovery procedure promptly, RBI had also been emphasizing the importance of evolving suitable internal control systems for closely monitoring suit filed/suit filed & decreed cases and in particular, in expeditious filling of petition for execution of decrees granted by the Courts of Law.

3. In this connection in a recent judgement, the Honourable High Court of Judicature at Bombay has expressed serious concern on the failure of a bank to get a decree executed in time due to which the execution petition was rendered time barred. The High Court has further emphasized the need for avoidance of delays by banks in executing decrees, considering the public money involved in such litigations. The banks should also ensure that there is proper co-ordination between banks' legal department and field level functionaries as well as their legal counsel. In this connection it has been further reported that the Superme Court has also ruled that the limitation period for filing of an execution petition

starts from the date of Judgement and that a decree holder does not have the benefit of exclusion of the time taken for obtaining certified copy of the decree.

4. In view of the above, we once again reiterate that banks should review urgently the pendency of all suit filed cases and convey to the functionaries at all levels the need for close monitoring of suit filed and decreed cases on an ongoing basis. The legal officers of banks should have a continuous dialogue with the bank's advocates to expedite judgements as also execution of decrees of pending cases. The arrangements obtaining in the bank in this regard should be reviewed and where necessary, proper procedure for monitoring and reporting to the higher authorities of all suit filed cases pending for more than three years and decreed debts pending action for more than a year should be laid down. RBI would be prescribing shortly quarterly reviews of suit filed/decreed debts by the Audit Committees of banks as part of the review of the progress in recovery of NPAs. Further, as a part of strengthening internal controls, the Internal Auditors of the banks should also be instructed to make critical comments on long pending suit filed/decreed debt accounts and suggest time bound corrective actions. Further, a system of annual critical review of performance of bank's advocates should be put in place, if not already in existence, to ensure that their efficiency in conducting bank's suits is taken into account while entrusting fresh cases.

Yours faithfully,

(C. R. Muralidharan)
General Manager

DBOD.No.BP.BC. 187/21.01.007/2000

June 29, 2000
Aashadha 8, 1922 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST TAX ACT, 1974-
WITHDRAWAL OF INTEREST - TAX

Please refer to our circular DBOD.No.BP.BC. 84/21.01.007/97 dated 28th July 1997 advising you, inter alia, that interest tax levied at the rate of 3% from 1st October 1991 has been reduced to 2% in respect of any chargeable interest accruing or arising after the 31st March 1997 and that the incidence of interest tax should be passed on, pro rata to the borrowers.

2. The Union Finance Minister in the budget for the financial year 2000-2001 has proposed the following amendments to the Interest-tax Act. 1974.

Interest Tax

In the Interest Tax Act, 1974, in section 4, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2001, namely :-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2), no interest-tax shall be charged in respect of any chargeable interest accruing or arising after the 31st day of March, 2000".

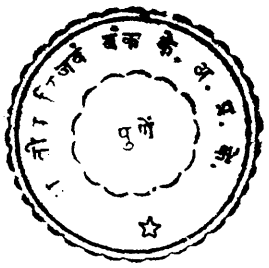
Government of India has now advised that the Presidential sanction has been obtained to Finance Bill, 2000 and Finance Act, 2000 has been passed giving sanction to abolish the interest tax along with other proposals included in the Finance Bill. Accordingly, banks are advised not to **charge interest tax in respect of any chargeable interest accruing or arising after the 31 day of March 2000.**

Yours faithfully,

(C. R. Muralidharan)
General Manager

SECTION XI

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING & OTHER RELATED MATTERS



DBOD.No.BP.BC. 22/21.04.018/99

March 24, 1999
Chaitra 3, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

INTER-BRANCH ACCOUNTS –PROVISIONING FOR NET DEBIT BALANCE

As you are aware, large arrears in the reconciliation of Inter-branch Accounts is a cause for serious concern and banks have been advised from time to time to take necessary action for speedy reconciliation of old outstanding entries. It has now been decided that, beginning from the accounting year 1998-99, banks should make 100 percent provision for the **net debit** position, in their Inter-branch Accounts, arising out of the unreconciled entries (both debit and credit) outstanding for more than three years as on 31st March every year.

2. To start with, for the year ending 31st March 1999, banks shall segregate the debit and credit entries in the Inter-branch Accounts upto 31 March 1995 remaining unreconciled as on March 31, 1999 and arrive at the net position. In case of a net debit, a provision equivalent to 100 percent thereof may be made for the year ending 31 March 1999. While doing so, the credit balance in the 'Blocked Account' created in terms of our instructions contained in Circular DBOD. BP.BC. 73/21.04.018/98 dated July 27, 1998 may also be taken into account.

3. Beginning from 1st April 1999 banks should maintain category-wise (head-wise) accounts for various types of transactions put through Inter-branch Accounts, so that the netting can be done category-wise. As on the balance sheet date, banks shall segregate the debit and credit entries remaining unreconciled for more than 3 years and arrive at the net position category-wise. Thereafter, the net debit under all the categories of Inter-branch Accounts should be aggregated and a provision equivalent to 100 percent of the aggregate net debit shall be made. While netting, it may be ensured that the net debit under one category is not set off against net credit in another category.

4. It is further advised that banks may compile and report details of outstanding entries in Inter-branch Accounts under various heads in the quarterly statements being submitted to RBI as has already been advised by Department of Banking Supervision in its Circular DBS.CO.SMC.13C No.41/22.09.001/97-98 dated November 14, 1998.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager

DBOD.No.BP.BC. 24/21.04.048/99

March 30, 1999
Chaitra 9, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir.

PRUDENTIAL NORMS – CAPITAL ADEQUACY –
INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING

A meeting of the Bank Audit Committee comprising top executives of some major banks, representatives of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Indian Banks' Association (IBA) was held on March 8, 1999 to discuss certain issues relating to finalisation of balance sheet for the year ending March 31, 1999 and prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning and capital adequacy. In the light of the discussions held and also suggestions received from banks, we advise as under:

1. Excess provisions towards depreciation on investments

In terms of instructions contained in circular DBOD.No.BP.BC.67/21.04.048/97 dated June 12, 1997 the excess provision towards depreciation on investments should be transferred to Capital Reserve Account by way of appropriation in the Profit and Loss Account. It has been decided that the excess provision towards depreciation on investments should be appropriated to "Investment Fluctuation Reserve Account" instead of Capital Reserve Account and should be shown as a separate item in Schedule 2 – "Reserves and Surpluses" under the head "Revenue and other Reserves" and will be eligible for inclusion in Tier II capital. The existing amount of excess provision towards depreciation on investments held under Capital Reserve Account should stand transferred to "Investment Fluctuation Reserve Account" as on March 31, 1999. The amount held in "Investment Fluctuation Reserve Account " could be utilised to meet, in future, the depreciation requirement on investment in securities.

2. Capital adequacy

In terms of instructions contained in circular DBOD.No.BP.BC.9/21.04.048/97 dated January 29, 1997, while working out risk adjusted values of assets and

off-balance sheet items, netting is permitted for advances collateralised by cash margins or deposits, credit balances in current or other accounts of the borrower which are not earmarked for specific purposes and are free from lien, and in respect of any assets where provisions for depreciation or for bad debts have been made. It has been decided that for the purpose of computing risk adjusted values of assets, banks may "net off" against the total outstanding exposure of the borrower, the following items also:

(i) Claims received from DICGC/ECGC and kept in a separate account pending adjustment.

(ii) Subsidies received against IRDP advances and kept in a separate account.

3. Accounting Standard 11 (Revised)

Certain issues relating to applicability of AS 11 (Revised) to Authorised Dealers are still under examination in consultation with the Institute of Chartered Accountants of India. Banks are advised to follow the guidelines prescribed in circular DBOD.No.BP.BC.68/21.04.018/96 dated June 5, 1996 for finalising the accounts for the year ending March 31, 1999.

4. Advances against Book Debt

Banks are required to show details of advances in "Schedule 9 – Advances" of the balance sheet. It is clarified that advances against Book Debts may be included under item B(I) – "Secured by tangible assets" of Schedule 9.

5. Outstandings in credit card operations

At present there is no uniformity among banks regarding disclosure of amount outstanding in credit card operations in the balance sheet. It is clarified that outstandings in credit card operations should be shown as part of "Advances" (under item A(ii) – Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand of Schedule 9) in the balance sheet instead of clubbing these under "Other Assets".

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager.

DBOD.No.BP.BC. 28/21.04.048/98-99

April 15, 1999
Chaitra 25, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING AND OTHER RELATED MATTERS - VALUATION OF INVESTMENTS

Please refer to our circular DBOD.No.BP.BC.29/21.04.048/98 dated 11 April, 1998 prescribing the method to be adopted by banks and auditors for valuation of Government and other securities while finalising the Balance Sheet as on 31 March, 1998. It has now been decided that banks should adopt the method indicated in the Annexure, for the Balance Sheet as on 31 March, 1999.

2. In this connection we advise that if there is any appreciation in the value of securities on account of the method of valuation as indicated in the Annexure, it should **not** be booked as income. Further, banks which have adopted a more prudent method of valuation of securities than the one now being suggested, may continue the practice hitherto followed by them.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager

ANNEXURE

Investment Category	Method to be adopted by banks
1. Permanent Investments	Any gain on sale of securities in the 'Permanent' category should be first taken to the Profit and Loss account and thereafter it could be appropriated to "Capital Reserve". 'Permanent' investments should be valued at cost and in case cost price is higher than the face value, the premium should be amortised over the remaining period of maturity of the security. On the other hand, where the cost price is less than the face value, the difference should be ignored and should not be amortised or taken to income account since the amount represents unrealised gain.
2. Current Investments	Valuation of Government Securities in the 'Current' category should be done as per market quotations as on 31 March, 1999, wherever available. Where market quotations are <u>not</u> available, valuation of the Government Securities should be made on the following basis : As on 31 March, 1999 the Central Government Securities which were on the RBI list for sale and their prices are given below :

Nomenclature of security	**Sale Price** (Rs. Ps.)
11.15 % 2002	99.80
11.98 % 2004	101.60
12.40 % 2013	100.60

In respect of other Central Government Securities, other than the 6.00 per cent Capital Indexed Bonds 2002, the following yields as on March 31, 1999 may be applied:

No. of years	**YTM (%)**
0	7.65
1	10.07
2	11.00
3	11.17
4	11.32
5	11.50
6	11.63
7	11.74
8	11.84

9	11.94
10	12.05
11	12.13
12	12.18
13	12.24
14	12.29
15	12.33
16	12.37
17	12.40
18	12.44
19	12.47
20 and beyond	12.50

The yields as indicated above should also be applied to the State Government Securities and Government Guaranteed Securities.

The 6.00 per cent Capital Indexed Bonds may be valued at 'Cost' as defined in Circular DBOD.No.BC.8/12.02.001/97-98 dated January 22, 1998.

It is clarified that the reckoning of number of years for the purpose of deciding upon appropriate YTM Rate be done by rounding off the fractional period of an year to the nearest completed year.

For valuation of **taxable non priority sector PSU bonds**, 2% above the YTM rates of Government Securities stated above should be applied.

For **tax free non priority sector PSU bonds,** 1% below the YTM rates of Government Securities stated above should be applied.

For **tax free priority sector PSU bonds,** 2% below the YTM rates of Government Securities stated above should be applied.

For valuation of **taxable priority sector PSU bonds**, YTM rates of Government Securities stated above should be applied. As regards valuation of other unquoted securities banks should uniformly follow 'Yield To Maturity' method for arriving at valuation of unquoted securities.

3. Shares	(i)	Wherever Stock Exchange quotations are available, the shares should be valued accordingly.
	(ii)	In the case of shares for which Current quotations are not available or where the shares are not quoted on the Stock Exchanges, the same should be taken at Book Value (without considering Revaluation Reserves, if any) which is to be ascertained from the latest Balance Sheet. In case latest Balance Sheet is not available, the shares are to be taken at Re.1 per company.
	(iii)	In the case of public sector companies, shares of PSUs should be valued at the break-up value as per the Balance Sheet as on 31 March, 1998. In case the 31 March, 1998 Balance Sheet is not available, the break-up value as per 31 March, 1997 Balance Sheet should be worked out and it should be reduced or discounted by 20%. If 31 March, 1997 Balance Sheet is also not available, the shares of the concerned PSUs should be valued at Re.1 per company.
4. Debentures	(i)	Wherever Stock Exchange quotations are available, the debentures should be valued accordingly.
	(ii)	Wherever Current quotations are not available or where the debentures are not quoted on the Stock Exchanges the same should be valued as follows : a) At Carrying Cost (i.e. book value), if interest is serviced regularly. b) Where interest is not serviced regularly and as such, is in arrears, the Depreciation should be made on the same lines as advances classified as sub-standard, doubtful and loss.
5. Mutual Fund Units		Investment in Mutual Fund Units is to be valued based on latest NAV declared by the Mutual Fund in respect of each particular Scheme. However, if market rates are available as per Stock Exchange quotations, market rates should be adopted.
6. Investments in subsidiaries and sponsored institutions		Security is to be valued at Carrying Cost (i.e. book value) on a consistent basis.

7. Treasury Bills (All maturities)	Valuation may be based at Carrying Cost (i.e. book value).
8. Commercial Paper	Commercial Paper to be valued at Carrying Cost (i.e. book value).
9. General Issues	
(i) Rounding off (e. g. to nearest 000s)	May be done at bank's discretion on a consistent basis.
(ii) Investment Categories	For the purpose of Balance Sheet, investments are to be classified into the following categories : (a) Government Securities (inclusive of T Bills, Zero Coupon bonds) (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures and bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures (sponsored institutions) (f) Others (CP, Mutual Fund Units, etc.)
(iii) Aggregation	Securities under each category shall be valued scrip-wise as indicated above and Depreciation/ Appreciation shall be aggregated category-wise. Net depreciation, if any, shall be provided for. Net Appreciation, if any, should be ignored. Net Depreciation required to be provided for in any one category should not be reduced on account of Net Appreciation in any other category.
10. Recapitalisation Bonds	Recapitalisation Bonds will not form part of 'Permanent' or 'Current' investments. It will not be necessary to provide for depreciation on the Recapitalisation Bonds received by the nationalised banks from Government. In case, however, banks acquire recapitalisation bonds of other banks for Investment purposes, the Depreciation, if any, will have to be provided for.

Relevant Extract of circular DBOD. No. BP.BC. 35/21.01.002/99 dated April 24, 1999 is reproduced below :-

2. Prudential Norms

(i) Valuation of banks' investments in approved securities.

With a view to adopting prudent accounting standards and moving towards "mark to market" valuation of the investment portfolio, banks were advised in paragraph 5 of Circular DBOD. No. Dir. BC. 36/13.03.00/98 dated April 29, 1998 to classify a minimum of 70 per cent of their investment in approved securities as "current" investments for the year ended March 1999.

It has been decided that for the year ending March 31, 2000, banks shall classify a minimum of 75 per cent of their investments in approved securities as "current" investments.

(iii) Asset Classification - Rescheduled Loans.

As per the present guidelines contained in Para 2.B (ii) of Circular BP.BC. 129/ 21.04.043/92 dated April 27, 1992, an advance where the terms of the loan agreement regarding interest and principal have been renegotiated or rescheduled after commencement of production, should be classified as sub-standard and should remain in that category for at least two years of satisfactory performance under the renegotiated or rescheduled term. We have been receiving representations from banks that in certain situations (e.g. cyclical down-turn) where loans have been rescheduled, but where borrowers have started servicing their loans on a regular basis after a short gap, the prescribed waiting period of two years is too long.

It has been decided that the period of two years may be reduced to one year (or four quarters) if the interest and instalment of loans have been serviced regularly as per the terms of reschedulement. The above instructions will be applicable for asset classification with effect from the year ended March 31, 1999.

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

DBOD.No.BP.BC. 45/21.04.048/99

May 10, 1999
Vaishakha 20, 1921 (Saka)

To All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING - CONCEPT OF COMMERCEMENT OF COMMERCIAL PRODUCTION.

Please refer to para 62 of Governor's letter No. MPD.BC. 185/07.01.279/98/99 dated April 20, 1999 enclosing the statement on "Monetary and Credit Policy for the year 1999-2000".

2. As per current instructions an advance is treated as NPA if the repayment schedule is re-fixed after commencement of production. Banks, Financial Institutions and borrowers have represented that though the unit may have commenced production, the level and volume of production reached immediately after the date of completion of the project is aften not adequate to generate the required cash flow to service the loan. It has been represented that some lead time is needed to stabilise production as very often certain constraints arise during the initial phase of production. As the financing bank is monitoring the implementation of the project and is in a better position to judge whether the unit has stabilised commercial production and there is a need for rescheduling of the loan, it has been decided to leave the matter to the Board of Directors of the concerned banks. The Board may lay down broad parameters for guidance of the staff for taking a view while putting up individual cases to the Board. In framing these guidelines, the following will be kept in view ;

In order to arrive at a decision as to whether the unit/project has achieved regular commercial production, the main guiding factor would be whether the unit has achieved cash break-even in order to service the loan. If in the opinion of the bank the bottleneck in achieving regular commercial production is of a temporary nature not indicative of any longterm impairment of the unit's economic viability and it is likely to achieve cash break-even if some time is allowed, the bank may reschedule the loan and treat the asset as standard However, the lead time would normally not exceed one year from the schedule of commencement of commercial production as indicated in the terms of sanction. In respect of credit facilities sanctioned under consortium arrangements, the decision as to whether the borrowing unit has achieved regular commercial production and there is a need for rescheduling may be taken by the lead institution or lead bank and other participating institutions/banks may follow the same.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager

DBOD. No.FSC.BC. 70/24.01.001/99

July 17, 1999
Aashadha 26, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

EQUIPMENT LEASING ACTIVITY - ACCOUNTING/PROVISIONING NORMS

With a view to bringing in uniformity in the accounting practices followed by banks undertaking leasing activity departmentally, it has since been decided that banks should follow the "Guidance Note on Accounting for Leases" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). However, our instructions on treatment of leasing activity on par with loans and advances would continue to remain in force. Moreover extant guidelines in regard to income recognition, asset classification and provisioning would continue to be applicable to lease transactions of banks.

2. Accordingly, based upon the prevalent income recognition and provisioning norms for other credit facilities, the following guidelines should be followed by banks in respect of their leased assets :-

(A) RECOGNITION OF INCOME IN CASE OF NON-PERFORMING LEASED ASSETS

The net lease rentals (finance charge) on the leased asset accrued and credited to income account before the asset became non performing, and remaining unrealised, should be reversed or provided for in the current accounting period.

The term 'net lease rentals' would mean the amount of finance charge taken to the credit of P&L account and would be worked out as gross lease rentals adjusted by amount of statutory depreciation and lease equalisation a/c*.

B) PROVISIONING NORMS FOR NON-PERFORMING LEASED ASSETS

i)	Sub-standard Asset	:	10% of the **net book value.****
ii)	Doubtful Asset	: a)	100% of the extent to which the finance is not secured by the realisable value of the leased asset; Realisable value to be estimated on a realistic basis.
		b)	Over and above a) above, depending upon the period for which asset had been doubtful the following **provision on the *net book value*** of the secured portion should be made :-
			Period — **Percentage of provision** Upto 1 year — 20% 1 to 3 years — 30% More than 3 years — 50%
iii)	Loss Asset		The entire asset should be written off. If for any reason, asset is allowed to remain in books, 100% of the **net book value** should be provided for.

3. Any changes brought about, in future, in respect of guidelines in asset classification, income recognition and provisioning for loans/advances and other credit facilities would also be applicable to leased assets of banks undertaking leasing activity departmentally.

4. The "Guidance Note on Accounting for Leases" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is annexed.

Yours faithfully,

(N.H. Siddiqui)
Chief General Manager.

* Explained in Paragraphs 11(a) and 11(b) of the 'Guidance Note on Accounting For Leases' issued by the ICAI.

** As explained in Paragraphs 11 (c) and 11 (d) of the 'Guidance Note on Accounting for Leases' issued by the ICAI.

ANNEXURE

GUIDANCE NOTE ON ACCOUNTING FOR LEASES ISSUED BY ICAI

Introduction

1. This Guidance Note deals with accounting for leases, except for the following specialised types of leases:

(a) Lease agreement to explore for or use natural resources, such as oil, gas, timber, metals and other mineral rights.

(b) Licensing agreements for such items as motion picture films, video recordings, plays, manuscipts, patents and copyright.

(c) Hire Purchase Agreements as defined under the Hire Purchase Act 1972.[1]

2. The Council of the Institute of Chartered Accountants of India recognizes the need for issuance of an accounting standard on the subject of accounting for leases with a view to established sound accounting principles and practices in the leasing industry. The matter is under consideration of the Council, but it is recognised that issuance of such a standard will take some time. It is also recognised that the existing accounting practices in the leasing industry have mainly resulted keeping in view the relevant provisions of the Income - tax Act, 1961, regarding permissibility of the depreciation allowance only to the owners of the assets. In this context, this Guidance Note is being issued only as an interim measure. In making the recommendations in the Guidance Note, the Committee recognizes that they do not preclude according for lease transactions in accordance with International Accounting Standard-17 (IAS-17) on Accounting for Leases,even during the interim period.

Definitions

3. The following terms are used in this Guidance Note with the meanings specified;

Lessor : A person, who under an agreement, conveys to another person (the lessee)the right to use , in return for rent, an asset for an agreed period of time.

Lessee : A person, who under an agreement, obtains from another person (the lessor) the right to use, in return for rent, an asset for an agreed period of time.

Lease : An agreement whereby the lessor conveys to the lessee, in return for rent, the right to use an asset for an agreed period of time.

---

1. Accounting for such transactions has to be done according to the generally accepted accounting practices. Such assets are recorded at their cash value in the books of the hirer (Reference may be made to AS-10, Accounting for Fixed Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India).The hirer is also entitled to depreciation under the Income-tax Act, 1961, on such assets.

Finance Lease : A lease under which the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease exceeds or is equal to substantially the whole of the fair value of the leased asset.

Operating Lease : A lease other than a finance lease.

Non-Cancellable Lease : A lease that is cancellable only :

(a) upon the occurrence of some remote contingency,

(b) with the permission of the lessor,

(c) if the lessee enters into a new lease for the same or any equivalent asset with the same lessor, or

(d) upon payment by the lessee of an additional amount such that, at inception, continuation of the lease is reasonably certain

Inception of the Lease : The earlier of the date of the lease agreement or of a commitment by the parties to the principal provisions of the lease.

Lease Term : The non-cancellable period for which the lessee has contracted to take on lease the asset together with any further periods for which the lessee has the option to continue the lease of the asset, with or without further payment , which option at the inception of the lease it is reasonably certain that the lessee will exercise.

Minimum Lease Payments : The payments over the lease term that the lessee is or can be required to make (excluding costs for services and taxes to be paid by and be reimbursable to the lessor) together with the residual value.

Fair Value : The amount for which an asset could be exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arms length transaction.

Useful Life : In the case of an operating lease either (a) the period over which a fixed asset is expected to be used by the enterprise; or (b) the number of production (or similar) units expected to be obtained from the asset by the enterprise. In the case of a finance lease, the useful life of the asset is the lease term.

Residual Value : Value estimated at the inception of lease , of the leased asset, at the expiry of the lease term.

Interest Rate Implicit in the Lease : The discount rate that, at the inception of the lease, causes the aggregate present value of the minimum lease payments, from the standpoint of the lessor , to be equal to the fair value of the leased asset, net of any grants and tax credits receivable by the lessor.

Gross Investment in the Lease : The aggregate of the minimum lease payments under a finance lease from the standpoint of the lessor.

Unearned Finance Income : The difference between the lessors gross investment in the lease and its present value.

Net Investment in the Lease : The gross investment in the lease less unearned finance income.

Explanation

4. A lease is classified as a finance lease if it secures for the lessor the recovery of his capital outlay plus a return on the funds invested during the lease term. Such a lease is normally non-cancellable and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease exceeds or is equal to substantially the whole of the fair value of the leased asset.

5. A lease is classified as an operating lease if it does not secure for the lessor the recovery of this capital outlay plus a return on the funds invested during the lease term.

6. Since the transaction between a lessor and a lessee is based on a lease agreement common to both parties, normally, the two parties will classify the lease in the same way. Nevertheless, the application of these definitions to the differing circumstances of the two parties may sometimes result in the same lease being classified differently by lessor and lessee.

7. Residual value is the value estimated at the inception of lease, of the leased asset, at the expiry of the lease term. Such estimate can be made with reference to the terms of lease agreement, type of the asset, and proportion of the lease period to the life of the asset as per the technical / commercial evaluation and such other considerations. It may be possible for the enterprise to estimate the residual value as a fixed percentage of the value of the asset on the basis of its experience over a period of years.

8. There may be certain situation where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking in respect of any lease rental. In such cases, according to the accrual basis of accounting, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved and it may be appropriate to recognise revenue, in respect of such rentals, only when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made.

Accounting for Leases in the Books of a Lessor

Finance Leases

9. Assets leased under finance leases should be disclosed as "Assets given on lease", as a separate section under the head "Fixed Assets" in the balance sheet of the lessor.

The classification of 'Assets given on lease' should correspond to that adopted in respect of other fixed assets. In addition to the particulars required by statute, e.g., Schedule VI to the Companies Act, 1956, particulars relating to Lease Adjustment Account should be disclosed as stated in para 11.

10. Lease rentals (those received and those due but not received) under a finance lease should be shown separately under "Gross Income" in the profit and loss acount of the relevant period.

11. It is appropriate that against the lease rental, a matching lease annual charge is made to the profit and loss account, This annual lease charge should represent recovery of the net investment / fair value of the leased asset over the lease term. The said charge should be calculated by deducting the finance income for the period (as per para 12 below) from the lease rental for that period .This annual lease charge would comprise (i) minimum statutory depreciation (e.g., as per the Companies Act, 1956) and (ii) lease equalisation charge, where the annual lease charge is more than the minimum statutory depreciation. However, where annual lease charge is less than minimum statutory depreciation, a lease equalisation credit would arise. In this regard the following accounting entries/dosclosures should be made.

(a) A Separate Lease Equlisation Account should be opened with a corresponding debit or credit to Lease Adjustment account, as the case may be.

(b) Lease Equalisation Account should be transferred every year to the Profit and Loss Account and disclosed separately as a deduction from/addition to gross value of lease rentals shown under the head "Gross Income".

(c) Statutory depreciation should be shown separately in the Profit and Loss Account . Accumulated statutory depreciation should be deducted from the original cost of the leased asset in the balance Sheet of the lessor to arrive at the net value. [2]

(d) Balance standing in Lease Adjustment Account should be adjusted in the net book value of the leased assets. The amount of adjustment in respect of each class of fixed assets may be shown either in the main balance sheet or in the Fixed Assets Schedule as a separate column in the section related to leased assets.

(e) The aggregate amount included under Lease Adjustment Account on account of lease equalisation credits should be disclosed separately.

The method of income measurement suggested in this paragraph, is in consonance with the inherent nature of a finance lease.

The above method is illustrated in the Appendix to this Guidance Note.

---

2. 'Net book value' has been defined in the context of 'Gross book value', in Accounting Standard (AS) 10 on 'Accounting for Fixed Assets', issued by the Institute of Chartered accountants of India , as follows:
"Gross book value of a fixed asset is its historical cost or other amount substituted for historical cost in the books of account or financial statement . When this amount is shown net of accumulated depreciation it is termed as net book value".

12. The finance income for the period should be calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment in the lease during the relevant period. This method would ensure recognition of net income in respect of a finance lease at a constant periodic rate of return on the lessor's net investment outstanding in the lease. However, some lessors use a simpler method for calculating the finance income for each of the periods comprising the lease term by apportioning the total finance income from the lease in the ratio of minimum lease payments outstanding during each of the respective periods comprising the lease term.(The total finance income from the lease is the difference between the aggregate minimum lease payments receivable over the lease term and the fair value of the lease assets at the inception of the lease.) This method may be used where the finance income in respect of all individual periods as per this method approximates the finance income for the corresponding periods determined according to the formal method.It is however clarified that where this method is used, over due lease rentals, that is, lease rentals fallen due but not collected should not be taken into account for determining the amount of minimum lease payments outstanding during each of the respective periods comprising the lease term.

13. Net investment in the lease may often be equal to the capital cost/fair value of the asset at the inception of the lease. However, as per the definition, net investment is the difference between the gross investment in the lease (i.e., the aggregate of the minimum lease payments from the standpoint of the lessor and any residual value accruing to the lessor) and the unearned finance income (i.e., the difference between the lessor's gross investment in the lease and its present value).

14. Initial direct costs , such as commissions and legal fees , often incurred by lessors in negotiating and arranging the lease should normally be expensed in the year in which they are incurred .Similarly, income on account of lease, e.g. management fees, should be recognised in the year in which they accrue.

Finance Leasing by Manufacturers or Dealers

15. Manufacturers or dealers may offer to customers the choice of either buying or leasing an asset. A finance lease of an asset by a manufacturer or dealer lessor gives rise to two types of income :

(a) the profit or loss equivalent to the profit or loss resulting from an outright sale of the asset being leased, at normal selling prices, reflecting any applicable volume or trade discounts ; and

(b) the finance income over the leased term.

16. The profit or loss referred to in para 15 (a) above should be recognised at the inception of a finance lease by a manufacturer or dealer lessor. The finance income referred to in para 15(b) should be allocated on the basis of paras 10 to 14 above. Assets given on finance lease during the year by a manufacturer or dealer lessor may be shown

in the profit and loss account on credit side under the title "Assets given on finance lease transferred to Fixed Assets Account" and disclosed in the balance sheet as suggested in para 9 above.

Operating Leases

17. A lease is classified as an operating lease if it does not secure for the lessor the recovery of his capital outlay plus a return on the funds invested during the lease term. Therefore, the asset should be treated by the lessor as a fixed asset and rentals receivable should be included in income over the lease term.

18. Costs, including depreciation, incurred in earnig the rental income should be charged to income. Rental income should normally be recognised on a systematic basis which is representative of the time pattern of the earnings process contained in the lease. In many cases, recognition of rental income on a straight line basis over the lease term would be representative of the time pattern.

19. A leased asset for an operating lease should be depreciated on a basis consistent with the lessor's normal depreciation policy for similar assets.

20. Initial direct costs incurred by lessors in negotiating and arranging the lease should be expensed in the year in which they are incurred.

Sale and Leaseback

21. A sale and leaseback transaction involves the sale of an asset by the vendor and the leasing of the same asset back to the vendor. The rentals and the sale price are usually interdependent as they are negotiated as a package and may not represent fair values.

22. If in the case of a leaseback, the rentals and the sale price are established at fair value, there has in effect been a normal sale transaction and any profit or loss is normally recognised immediately. If the sale price is below fair value any profit or loss is recognised immediately, except that, if the loss is compensated by future rentals at below market price, it is deferred and amortized in proportion to the rental payments over the useful life of the asset. If the sale price is above fair value , the excess over fair value is deferred and amortized over the useful life of the asset.

Disclosures

23. Apart from the disclosures recommended in the above paragraphs, the lessor should disclose the accounting policies followed with regard to accounting for income under finance lease, valuation of assets given on lease and charge for depreciation.

Accounting for Leases in the Books of a Lessee

Finance Leases

24. A lessee should disclose assets taken under a finance lease by way of a note to the accounts, disclosing, inter alia, the future obligations of the lessee as per the agreement.

25. Lease rentals should be accounted for on approval basis over the lease term so as to recognise an appropriate charge in this respect in the profit and loss account, with a separate disclosure thereof. The appropriate charge should be worked out with referance to the terms of the lease agreement, type of asset, proportion of the lease period to the life of the asset as per the technical/ commercial evaluation and such other considerations. The excess of lease rentals paid over the amount accrued in respect thereof should be treated as prepaid lease rental and vice versa

Operating Leases

26. Lease rentals should be accounted for on accrual basis over the lease term so as to recognise an appropriate charge in this respect in the profit and loss account with a separate disclosure thereof. In other words, aggregate of the lease rentals payable over the lease terms should, unless another systematic basis is more representative of time pattern, be spread over the term on the staight line basis, irrespective of payment schedule as per the terms and conditions of the lease. The excess of lease rentals over the amount accrued in respect thereof should be treated as prepaid lease rental and vice versa.

Computation of Taxable Income

27. It is clarified that the specific treatments for determining taxable income would have to be in accordance with the provisions of the taxation laws; such treatments may differ from the recommendations contained in the Guidance Note.

Effective Date

28. The recommendations of this Guidance Note apply to all assets leased during accounting periods beginning on or after April 1, 1995. In respect of assets leased during accounting periods which commenced prior to the aforesaid date, the recommendations of the Guidance Note apply in respect of accounting periods beginning on or after April 1, 1996. Earlier adoption of the recommendations is, however, encouraged.

APPENDIX

Illustration of Accounting for Finance Leases in the Books of the Lessor

This appendix does not form a part of the Guidance Note and is merely illustratrive.

A. Particulars about the Lease

Lessor's cost of the leased computer	Rs. 60000
Fair value of the leased computer at the inception of the lease (1.1.85)	Rs. 60000

The lease term is four years

The rental is Rs. 35000; Rs. 16000; Rs. 8000 and Rs. 4500 respectively in these four years, payable in advance every year. The estimated residual value of the computer at the end of the lease term is 5% of the cost of the asset to the lessor. The lessee has the right to continue the lease at the end of the aforesaid lease term at a nominal rate. The relevant statutory WDV depreciation rate is 40 per cent.

B. Whether the above lease should be classified as a Finance Lease or an Operating Lease ?

Since the Present value of the minimum lease payment, at the inception of the lease, is approximately equal to the fair value of the leased asset (see calculations in section C) the lease should be classified as a` finance lease.

C. Accounting for the Finance Lease where finance income is calculated as per the first method contained in para 12.

(i) Calculation of the implicit rate of interest in the lease

This rate is often known to the lessor. However, in the present case it is not given. It may therfore be calculated as follows:

Fair value of the computer at the inception of the lease.	Rs. 60,000

Minimum lease payments including residual value receivable during the lease term discounted at 14% (by trial and error).

Year	MLP (Rs.)	PV factor		PV of MLP (Rs.)
1985	35,000	X 1	=	35,000
1986	16,000	X .877	=	14,032
1987	8,000	X .769	=	6,152
1988 Beginning	4,500	X .675	=	3,038
End	3,000	X .592	=	1,776
	66,500			59,998

Since minimum lease payments at the end of the lease, discounted at 14 per cent, are equal to the fair value of the leased machine at the inception of lease, the interest rate implicit in the lease is 14 per cent.

(ii) Gross Investment in the lease

This is equal to the aggregate of the minimum lease payments (i.e.lease rentals and residual value) accruing to the lessor.

Rs. 63,500 + Rs.3,000 = Rs. 66,500

(iii) Unearned finance income

= Gross investment in the lease minus its present value.

Rs. 66,500 - Rs. 60,000 = Rs. 6,500

(iv) Net investment in the lease

= Gross investment in the lease minus unearned finance income.

= Rs.66,500 - Rs. 6,500

= Rs. 60,000

In the present case therefore the cost of the leased computer to the lessor, its fair value and the net investment in the lease are the same.

(v) Profit and loss account and the balance sheet of the lessor.

(a) Lease rentals received should be shown under "Gross Income" in the profit and loss account of the respective years.

(b) The corresponding annual lease charge, statutory depreciation etc. over the lease term, are calculated as below:

(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(3)-(5)
Year	Net Investment in the lease	MLP	Net investment outstanding during the period	Finance Income @ 14% of the net investment outstanding during the period	Annual lease charge
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1985	60,000	35,000	25,000	3,500	31,500
1986	28,500	16,000	12,500	1,750	14,250
1987	14,250	8,000	6,250	875	7,125
1988	7,125	4,500	2,625	368	4,132
	2,993	3,000	-	-	2,993
		66,500		6,493	60,000

(7)=(2)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(6)-(9)	(12)
Net investment in the lease at the end of the year end of the	Cost/Net BookValue at the beginning	Net Statutory depreciation @ 40% on WDV Basis	Book Value at the end of the year	Lease equalisation Account	Balance of Lease Adjustment A/c at the end of the year
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
28,500	60,000	24,000	36,000	7,500(Dr.)	7,500(Cr.)
14,250	36,000	14,400	21,600	150(Cr.)	7,350(Cr.)
7,125	21,600	8,640	12,960	1,515(Cr.)	5,835(Cr.)
2,993	12,960	-	-	-	-
-	-	5,184	7,776	1,941(Dr.)	7,776(Cr.)

(c) Profit and Loss Account of the lessor will appear as follows;

Profit and Loss Account of M/s._____
for the year ending 31st December, 1985

	Rs.		Rs.	Rs.
Statutory Depreciation	24,000	Gross Income:		
		Lease rental	35,000	
		Less: Lease		
		Equalisation	7,500	27,500

Profit and Loss Account of M/s. _____
for the year ending 31st December, 1986

	Rs.		Rs.	Rs.
Statutory Depreciation	14,400	Gross Income:		
		Lease rental	16,000	
		Less: Lease		
		Equalisation	150	6,150

Profit and Loss Account of M/s._____
for the year ending 31st December, 1987

	Rs.		Rs.	Rs.
Statutory Depreciation	8,640	Gross Income:		
		Lease rental	8,000	
		Less: Lease		
		Equalisation	1,515	9,515

Profit and Loss Account of M/s._____
for the year ending 31st December, 1988

	Rs.		Rs.	Rs.
Statutory Depreciation	5,184	Gross Income:		
		Lease rental	7,500	
		Less: Lease Equalisation	1,941	5,559

(d) Balance Sheet of the lessor will appear as follows :

Balance Sheet of M/s. _____
as at 31 st December, 1985

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
			Fixed Assets		
			Computer on Lease	60,000	
			Less : Depreciation	24,000	
				36,000	
			Less : Lease Adjustment	7,500	28,500

Balance Sheet of M/s. _____
as at 31 st December, 1986

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
			Fixed Assets		
			Computer given on Lease	60,000	
			Less : Accumulated Depreciation	38,400	
				21,600	
			Less : Accumulated Lease Adjustment	7,350*	14,250

*This amount is after adjustment of Lease Equalisation Credits of Rs.150.

Balance Sheet of M/s.._____
as at 31 st December, 1987

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
			Fixed Assets		
			Computer given on Lease	60,000	
			Less : Accumulated Depreciation	47,040	
				12,960	
			Less : Accumulated Lease Adjustment	5,835*	7,125

*This amount is after adjustment of aggregate Lease Equalisation Credits of Rs. 1665.

Balance Sheet of M/s. _____
as at 31 st December, 1988

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
			Fixed Assets		
			Computer given on Lease	60,000	
			Less : Accumulated Depreciation	52,224	
				7,776	
			Less : Accumulated Lease Adjustment	7,776*	

*This amount is after adjustment of aggregate Lease Equalisation Credits of Rs. 1665.

D. Accounting for the lease where finance income is calculated as per the second method given in para 12

(i) Calculation of total finance income

Aggregate minimum lease payments - Fair value of the asset at the inception of the lease

= Rs.66,500 - Rs.60,000 = Rs.6,500

(ii) Profit and Loss account and the balance sheet of the lessor

(a) Lease rentals received should be shown under "Gross Income" in the profit and loss account of the respective year.

(b) The corresponding annual lease charge, statutory depreciation etc. over the lease term are calculated as below:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
Year	MLP	MLP outstanding during the year	Total Finance income allocated to the year 6,500X(3)=57,500	Annual Lease Charge
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1985	35,000	31,500	3,561	31,439
1986	16,000	15,500	1,752	14,248
1987	8,000	7,500	848	7,152
1988	4,500	3,000	339	4,161
	3,000	-	-	3,000
	66,500	57,500	6,500	60,000

(6)	(7)	(8)	(9)=(5)-(7)	(10)
Cost/net Book Value at the beginning	Statutory depreci-ation @ 40% on WDV Basis	Net Book Value at the end of the year	Lease Equlisation Account	Balance of Lease Adjustment A/c at the end of the year
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
60,000	24,000	36,000	7,439(Dr)	7,439(Cr)
36,000	14,400	21,600	152(Cr)	7,287(Cr)
21,600	8,640	12,960	1,488(Cr)	5,799(Cr)
12,960	-	-	-	-
-	5,184	7,776	1,977(Dr)	7,776(Cr)

(c) Profit and Loss Account of the lessor will appear as follows:

Profit and Loss Account of M/s. _____
for the year ending 31st December, 1985

	Rs.		Rs.	Rs.
Statutory Depreciation	24,000	Gross Income:		
		Lease rental	35,000	
		Less: Lease Equalisation	7,439	27,561

Profit and Loss Account of M/s. _____
for the year ending 31st December, 1986

	Rs.		Rs.	Rs.
Statutory Depreciation	14,400	Gross Income:		
		Lease rental	16,000	
		Less: Lease Equalisation	152	16,152

Profit and Loss Account of M/s. _____
for the year ending 31st December, 1987

	Rs.		Rs.	Rs.
Statutory Depreciation	8,640	Gross Income:		
		Lease rental	8,000	
		Less: Lease Equalisation	1,488	9,488

Profit and Loss Account of M/s. _____
for the year ending 31st December, 1988

	Rs.		Rs.	Rs.
Statutory Depreciation	5,184	Gross Income:		
		Lease rental + Residual value	7,500	
		Less: Lease Equalisation	1,977	5,523

(d) Balance Sheet of the lessor will appear as follows :

Balance Sheet of M/s._____
as at 31 st December, 1985

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
			Fixed Assets:		
			Computer on lease	60,000	
			Less: Depreciation	24,000	
				36,000	
			Less: Lease Adjustment	7,439	28,561

Balance Sheet of M/s. _____
as at 31 st December, 1986

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
			Fixed Assets:		
			Computer given on lease	60,000	
			Less: Accumulated Depreciation	38,400	
				21,600	
			Less: Accumulated LeaseAdjustment A/c.	7,287*	14,313

*This amount is after adjustment of Lease Equalisation Credit of Rs. 152.

Balance Sheet of M/s._____
as at 31 st December, 1987

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
			Fixed Assets:		
			Computer given on lease	60,000	
			Less: Accumulated Depreciation	47,040	
				12,960	
			Less: Accumulated Lease Adjustment A/c.	5,799*	7,161

*This amount is after adjustment of agreegate Lease Equalisation Credit of Rs. 1640.

Balance Sheet of M/s._____
as at 31 st December, 1988

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
			Fixed Assets:		
			Computer given on lease	60,000	
			Less: Accumulated Depreciation	52,224	
				7,776	
			Less: Accumulated LeaseAdjustment A/c	7,776*	---

*This amount is after adjustment of aggregate Lease Equalisation Credit of Rs. 1640.

DBOD.No.BP.BC. 87/21.01.002/99

September 8, 1999
Bhadra 17, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

CAPITAL ADEQUACY RATIO - RISK WEIGHT ON BANKS' INVESTMENTS IN BONDS/SECURITIES ISSUED BY FINANCIAL INSTITUTIONS

Please refer to paragraph 2(c) of our circular DBOD.No. BP.BC.103/ 21.01.002/ 98 dated October 31, 1998 and circular BP.BC.119/ 21.01.002/98 dated December 28, 1998 giving the list of All India Financial Institutions whose bonds/debentures would qualify for 20 per cent risk weight for Capital Adequacy Ratio of banks.

2. It has been decided to include "Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA)" in the above mentioned list of All India Financial Institutions whose bonds and debentures would qualify for risk weight of 20 per cent, for capital adequacy ratio.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager

DBOD.No.BP.BC. 101/21.04.048/99

October 18, 1999
Ashwina 26, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING – VALUATION OF INVESTMENT BY BANKS IN SUBSIDIARIES

1. Valuation of Investments in subsidiaries

As you are aware, in terms of our existing instructions, vide our circular DBOD.No.BP.BC.28/21.04.048/98-99 dated 15th April, 1999 investment in subsidiaries by banks should be valued at carrying cost (i.e. book value) on a consistent basis. The above guidelines have been reviewed and it has been decided that banks should follow Accounting Standard (AS) 13, 'Accounting for Investments', issued by the Institute of Chartered Accounts of India (ICAI) relating to long term investments for valuation of investment in subsidiaries. In terms of AS 13, long term investments should be carried in the financial statements at carrying cost. However, provision for diminution shall be made to recognise a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually. The above methodology for valuation of investment in subsidiaries will be applicable from the year ending 31st March 2000.

2. Issue of subordinated debt for raising Tier II capital – Reporting

Banks, including foreign banks operating in India, have been given autonomy to raise rupee subordinated debt as Tier II capital subject to terms and conditions given in the Annexure to our circular DBOD.No.BP.BC.5/21.01.002/99 dated 8th February 1999. In this connection, banks are advised to submit a report to Reserve Bank of India giving details of the capital raised such as amount raised, maturity of the instrument, rate of interest, together with a copy of the offer document, soon after the issue is completed.

3. Provision on Standard Assets

In terms of para 6 of our circular DBOD.No.BP.BC.103/21.01.002/98 dated 31st October 1998 banks have been advised to make general provision on standard assets of a minimum of 0.25 per cent from the year ending March, 2000. In this connection, it is clarified as under:

- The general provision of 0.25% on standard assets should be made on global loan portfolio basis and not on domestic advances alone.

- The provisions for standard assets may be netted from gross advances and only net advances should be shown in the balance sheet.

- Provisions on standard assets should not be reckoned for arriving at net NPAs.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager.

DBOD.No.BP.BC. 103/21.04.048/99 **October 21, 1999**
Ashwina 29, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING - AGRICULTURAL FINANCE BY COMMERCIAL BANKS THROUGH PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT SOCIETIES (PACS)/FSS

Please refer to paragraph 9 of our Circular DBOD No.BP.BC.59/21.04.043/ 92 dated December 17, 1992 in terms of which banks are required to classify all the credit facilities granted to a borrower as Non-Performing Asset (NPA) if any one of the credit facilities becomes NPA. It has been represented that when some of the members of the Primary Agricultural Credit Societies (PACS)/Farmers Service Societies (FSS) default in their repayments to the Society, the other credit facilities sanctioned by the bank to the PACS/FSS are attracted by this norm and require to be classified as NPA despite regular repayments by other members of the PACS/FSS. The position has been reviewed keeping in view the instructions issued in this regard by Rural Planning & Credit Department to SCBs/CCBs, vide Circular RPCD No.BC.155/07.37. 02/ 95-96 dated 22 June 1996 (Item II-2 of the Annexure). It has been decided that in respect of agricultural advances as well as advances for other purposes granted by banks to ceded PACS/FSS under the on-lending system, only that particular credit facility granted to a PACS/FSS which is in default for a period of two harvest seasons (not exceeding two half years) / two quarters, as the case may be, after it has become past due (i.e. one month after due date) will be classified as NPA and not all the credit facilities sanctioned to a PACS /FSS. However, other direct loans and advances if any, granted by the bank to the member borrower of a PACS/FSS outside the on-lending arrangement will become NPA even if one of the credit facilities granted to the same borrower becomes NPA.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager

Relevant Extract of circular DBOD.No.BP.BC. 121/21.04.124/99 dated November 3,1999 is reproduced below :-

i) Risk weight on non-SLR securities

In terms of Circular DBOD. No. BP.BC. 103/21.01.002/98 dated October 31, 1998, investments in Government and other approved securities have been assigned a risk weight of 2.5 percent for market risk with effect from the year ending March 31, 2000. **It has now been decided that banks' investments in all securities including securities outside SLR, should be assigned a risk weight of 2.5 per cent for *market risk* with effect from the year ending March 31, 2001. This will also be applicable to investments in securities carrying 100% risk weight since in line with best practices, some capital cushion should also be provided for market risk in addition to credit risk.**

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

DBOD.No.BP.BC. 133/21.04.0181/2000 **January 10, 2000**
Pausha 20, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBS)

Dear Sir,

INTER-BRANCH ACCOUNTS -
PROVISIONING FOR NET DEBIT BALANCE

Please refer to our circular DBOD No.BP.BC. 22 /21.04.018/99 dated 24h March 1999, wherein banks were advised that commencing from March 31, 1999 they should make 100 percent provision for the net debit position, in their Inter-branch Accounts, arising out of the unreconciled entries (both debit and credit) outstanding for more than three years as on, 31, March every year. The above measure was aimed towards expediting the process of reconciliation on prudential consideration. Some of the banks have made good progress in this regard, while in some banks the progress of reconciliation is slow. In keeping with the best banking practices, it is, however, desirable that inter-branch entries should be reconciled within a period of six months. On prudential consideration, it has now been decided to reduce the time lag from three years to two years for making provision against net debit balance in inter-branch accounts with effect from the accounting year ending 31st March 2001. Accordingly banks should segregate the debit and credit entries in Inter-branch Accounts pertaining to the period up to 31 March, 1998 and outstanding as on March, 2001 and arrive at the net position. In case of a net debit, a provision equivalent to 100 percent thereof may be made for the year ended March 2001. While doing so, the credit balance in the Blocked Account created in terms of our instructions contained in circular DBOD No BP BC 73/21.04.018/98 dated July 27, l998 may also be taken into account.

2. In terms of the instructions in Para 3 of our circular of March 24, 1999 referred to above, banks are also required to maintain category-wise (head-wise) accounts for various types of transactions put through Inter-branch Accounts, beginning from 1st , April 1999. RBI has advised banks that while arriving at the net position, net debit against one category is not to be set off against net credit in another category. However, taking into consideration the various difficulties expressed by banks, a format to capture data under a few broad categories of Inter-branch transactions is being finalized by Reserve Bank in consultation with banks. It is expected that the banks would be in a position to maintain category-vase (head-wise) accounts for various types of transactions put through Inter-branch Accounts, beginning from 1st April 1999. It would thereafter be possible for banks to arrive at the net

debit position of entries remaining unreconciled for two years and above, category-wise, as at 31st March, 2002 and onwards for the purpose of provisioning requirement prescribed in paragraph I above

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager

DBOD.No.BP.BC. 138/21.04.048/2000 **February 7, 2000**
Magha 18, 1921 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding RRBS)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING - EXPORT PROJECT FINANCE

As banks are aware, Export Project Finance (EPF) is more prone to Political / Country Risk than a normal export / import transaction, particularly because of its long term nature and other implications. Some of the banks had also brought to the notice of RBI, difficulties arising on account of restrictions placed on remittance of dues already paid by the importers. In order, therefore, to examine whether assistance to borrowing companies by way of Export Project Finance needs to be given a different treatment for the limited purpose of prudential regulation, RBI had constituted a Working Group on Classification of Assets in respect of Export Project Finance extended by banks and financial institutions. Based on the recommendations of the Working Group, it has been decided to make the following modifications in the guidelines in regard to Export Project Finance.

(i) There could be instances where the actual importer has paid the dues to the bank abroad but the bank in turn is unable to remit the amount due to political developments such as war, internal strife, UN embargo etc. In the above cases, where the concerned (lending) bank is able to establish through documentary evidence that the importer has already cleared the dues in full by depositing the amount in the bank abroad before it turned into NPA in the books of bank but the importer's country is not allowing the funds to be remitted due to political or other reasons, the extant Prudential Norms relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning may be made applicable **after a period of one year from the date the amount was deposited by the Importer in the bank abroad.**

(ii) Reserve for Exchange Rate Fluctuations Account (RERFA)

When exchange rate movements of Indian rupee turn adverse, the outstanding

amount of Foreign Currency denominated loans (where actual disbursement was made in Indian Rupee) which becomes past due, goes up correspondingly, with its attendant implications of provisioning requirements. It has been decided that such assets should not normally be revalued. In case such assets need to be revalued as per requirement of accounting practices or for any other requirement, the following procedure may be adopted.

(a) The loss on account of revaluation has to be booked in the bank's P & L Account.

(b) Besides the provisioning requirement as per Asset Classification, the banks should treat the full amount of the Revaluation Gain relating to the corresponding assets, if any, on account of Foreign Exchange fluctuation as Provision against the particular assets.

(iii) ECGC Claims received and held pending adjustment

As per ECGC's existing procedure, the amounts received from ECGC towards the settlement of Claims are required to be kept in a separate Current Account by the banks in order to have recourse to borrower by the lending bank. Accordingly, the claims settled by ECGC are not to be treated as recovery as per the extant norms. Banks are advised that the amounts received by them from the ECGC in settlement of Claims and kept in a separate Current Account, due to technical reasons could be allowed to be adjusted against the dues outstanding in the respective Accounts. Recourse to the borrower by the lending banks, till the final settlement of dues should, however, be preserved.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager

DBOD.No.BP.BC. 144/21.04.048/2000 **February 29, 2000**
Phalguna 10, 1921 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING AND OTHER RELATED MATTERS AND CAPITAL ADEQUACY STANDARDS – TAKE OUT FINANCE

In order to meet long term financing requirements of infrastructure projects, financial institutions/banks are taking recourse to new products. Take-out-finance is the product emerging in the context of the funding of long-term infrastructure projects. Under this arrangement, the institution/the bank financing infrastructure projects will have an arrangement with any financial institution for transferring to the latter the outstanding in respect of such financing in their books on a pre-determined basis. The proposals for take-out finance also help the banks in asset-liability management since the financing of infrastructure is long-term in nature against their predominantly short-term resources. There are several variants of the take-out-finance but basically they are either in the nature of unconditional take-out finance or conditional take-out finance though it may involve assuming full credit risk or part of the same. The take-out-finance products will involve three parties viz., the project company, taking over institution and the lending banks/financial institutions. Moreover, the company should also recognise the aforesaid arrangement by way of inter creditor agreement. The issues pertaining to criteria for assigning risk weight for calculation of Capital Adequacy Ratio and applying other prudential norms in respect of take out finance have since been examined and we advise as under : -

The risk weight to be assigned for these finances will be as follows :

A. Unconditional take out finance

The unconditional take out finance involves the assumption of partial/full credit risk by the institution agreeing to take over the finance from the original lender. In such a case the credit facility extended to the borrower will be borne on the

books of the original lender till it is taken over. The institution agreeing to take over would have to reflect in its books this obligation as a contingent liability till it actually takes over with partial or full credit risk as agreed upon.

Consequently,

(a) The lending institution should assign a risk weight of 20 per cent on the asset to the extent to which risk will be assumed by taking over financial institution as the counter party is the financial institution. The portion, which will not be taken over by the taking over institution, will have to be assigned 100 per cent risk weight. (For assigning 20 per cent risk weight, the financial institution taking over the finance from a bank should be one included in the list annexed to our Circular DBOD.No. BP.BC.103/21.01.002/98 dated 31st October 1998 as amended from time to time. Otherwise the risk-weight to be assigned to the entire asset will be 100 per cent).

(b) Contingent liability on the books of the taking over institution would have to be converted at a credit conversion factor of 100 per cent. As the counter party exposure will determine the risk weight it will be 100 per cent in respect of all borrowers or zero per cent if covered by Government guarantee.

B. Conditional take over

In this scenario, the taking over institution would have stipulated certain conditions to be satisfied by the borrower before it is taken over from the lending institution. There is, therefore, an element of uncertainty over the ultimate transfer of the assets to the taking over institution. The risk weight and other prescriptions would therefore have to be different.

(a) The assets on the books of the lending institution would carry 100 per cent risk weight as the take over is not automatic.

(b) The obligation to take over the assets, though conditional, needs to be reflected in the books of the taking over institution by way of a contingent liability. However, since the take over is conditional, the credit conversion factor will be 50 per cent only as against 100 per cent in the case of unconditional take over. As regards the assignment of risk weight, it will be 100 per cent in the

case of all borrowers and zero per cent in respect of those backed by a Government guarantee.

2. Income Recognition and Provisioning

In view of the time-lag involved in taking over, the possibility of a default in the meantime can not be ruled out. The norms of income recognition and provisioning will have to be followed by the concerned bank/financial institution in whose books the account stands as balance sheet item as on the relevant date. If the lending institution observes that the asset has turned NPA on the basis of the record of recovery, it should be classified accordingly. The lending institution should not also recognise income on accrual basis and account for the same only when it is paid by the borrower/taking over institution (if the arrangement so provides). The lending institution should also make provisions against any asset turning into NPA pending its take over by taking over institution. As and when the asset is taken over by the taking over institution, the corresponding provisions could be reversed. However, the taking over institution, on taking over such assets, should make provisions treating the account as NPA from the actual date of it becoming NPA even though the account was not in its books as on that date.

The summary of guidelines in respect of assigning risk weight, asset classification, income recognition and provisioning in respect of take-out finance are listed in the Annexure.

Yours faithfully,

(C.R.Muralidharan)
General Manger

ANNEXURE

Risk Weight

	Unconditional takeover	**Credit conversion factor**	**Risk Weight**
(i)	Lending Institution		
(a)	Where the full credit risk is assumed by the taking over institution	Not applicable since it is not an off balance sheet item	20 per cent
(b)	Where only partial credit risk is assumed by taking over institution	- do -	20 per cent on the amount to be taken over 100 per cent on the amount not to be taken over
(ii)	Taking over Institution	100 per cent	100 per cent on the amount to be taken over
	Conditional take over	**Credit conversion factor**	**Risk Weight**
(i)	Lending Institution	Not applicable since it will not be off balance sheet item	100 per cent
(ii)	Taking over institution	50 per cent	100 per cent

NOTE:

1) For 20 per cent risk weight, the taking over institution should be a bank or an AIFI included in the list annexed to our Circular DBOD.No.BP.BC.103/ 21.01.002-98 dated 31st October 1998 as amended from time to time.

2) In the above cases where the counter party risk is guaranteed by Government, the risk weight will be zero.

Income Recognition and Provisioning under unconditional and conditional take overs

Where the credit facility becomes NPA before take over by the taking over institution:

(1) Lending Institution

(i) Should be classified as NPA
(ii) Income not to be recognised on accrual basis
(iii) Provision to be made appropriate to the asset classification

(2) Taking over Institution

(i) No obligations would arise till the asset is actually taken over
(ii) On taking over such assets should make provisions treating the account as NPA from the actual date of it becoming NPA even though the account was not in its books on that date.

DBOD.No.BP.BC.163/21.04.048/2000 **April 7, 2000**
Chaitra 28, 1922 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING AND OTHER RELATED MATTERS – VALUATION OF INVESTMENTS.

Please refer to our Circular DBOD.No.BP.BC.28/21.04.048/98-99 dated 15th April 1999 prescribing the method to be adopted by banks and auditors for valuation of Government and other securities while finalising the Balance sheet as on 31st March, 1999. It has now been decided that banks should adopt the method indicated in the Annexure, for the Balance Sheet as on 31st March, 2000.

2. In this connection we advise that if there is any appreciation in the value of securities on account of the method of valuation as indicated in the Annexure, it should **not** be booked as income. Further, banks which have adopted a more prudent method of valuation of securities than the one now being suggested, may continue the practice hitherto followed by them.

Yours faithfully,

(C.R.Muralidharan)
General Manager

ANNEXURE

Investment Category		Method to be adopted by banks
1. Permanent Investments	(i)	Any gain on sale of securities in the "Permanent" category should be first taken to the Profit and Loss Account and thereafter it could be appropriated to "Capital Reserve".
	(ii)	"Permanent" Investments should be valued at cost and in case cost price is higher than the face value, the premium should be amortised over the remaining period of maturity of the security. On the other hand, where the cost price is less than the face value, the difference should be ignored and should not be amortised or taken to income account since the amount represents unrealised gain.
2. Current Investments		Valuation of Government Securities in the "Current" category should be done as per market quotations on 31st March, 2000, wherever available. Where market quotations are **not** available, valuation of the Government Securities should be made on the following basis :

In respect of Central Government Securities, other than the 6.00 per cent Capital Indexed Bonds 2002, the following yields as on March 31, 2000 may be applied :

No.of years	YTM (%)
0	8.82
1	9.93
2	10.27
3	10.35
4	10.43
5	10.51
6	10.58
7	10.65
8	10.72
9	10.79
10	10.85

11	10.90
12	10.95
13	10.99
14	11.02
15	11.05
16	11.08
17	11.10
18	11.12
19	11.14
20 and beyond	11.15

State Government Securities and Government Guaranteed Securities may be valued at **25 basis points above** the yields mentioned above.

The 6.00 per cent Capital Indexed Bonds may be valued at "Cost" as defined in Circular DBOD. No.BC.8/12.02.001/97-98 dated January 22, 1998.

It is clarified that the reckoning of number of years for the purpose of deciding upon appropriate YTM Rate be done by rounding off the fractional period of an year to the nearest completed year.

As regards valuation of other unquoted securities including PSU bonds banks should uniformly follow "Yield to Maturity" method for arriving at valuation of unquoted securities.

3. Shares

(i) Wherever Stock Exchange quotations are available, the shares should be valued accordingly.

(ii) In the case of shares for which Current quotations are not available or where the shares are not quoted on the Stock Exchanges, the same should be taken at Book Value (without considering Revaluation Reserves, if any) which is to be ascertained from the latest Balance Sheet. In case latest Balance Sheet is not available, the shares are to be taken at Re.1 per company.

(iii) In the case of public sector companies, shares of PSUs should be valued at the break-up value as per the Balance

Sheet as on 31st March, 1999. In case the 31st March 1999 Balance Sheet is not available, the break-up value as per 31st March 1998 Balance Sheet should be worked out and it should be reduced or discounted by 20 per cent. If 31st March 1998 Balance Sheet is also not available, the shares of the concerned PSUs should be valued at Re.1 per company.

4. Debentures

(i) Wherever Stock Exchange quotations are available, the debentures should be valued accordingly.

(ii) Wherever Current quotations are not available or where the debentures are not quoted on the Stock Exchanges the same should be valued as follows :

(a) At Carrying Cost (i.e. book value), if interest is serviced regularly.

(b) Where interest is not serviced regularly and as such, is in arrears, the Depreciation should be made on the same lines as advances classified as sub-standard, doubtful and loss.

5. Mutual Fund Units

Investment in Mutual Fund Units is to be valued based on latest NAV declared by the Mutual Fund in respect of each particular Scheme. However, if market rates are available as per Stock Exchange Quotations, market rates should be adopted.

6. Investments in subsidiaries

Investments should be valued at Carrying Cost (i.e. book value). However, provision for diminution shall be made to recognise a decline, other than temporary, in the value of investments, such reduction being determined and made for each investment individually.

7. Investments in sponsored institutions

Security is to be valued at Carrying Cost (i.e. book value) on a consistent basis.

8. Treasury bills (All maturities)

Valuation may be based at Carrying Cost (i.e. book value).

9. Commercial Paper

Commercial Paper to be valued at Carrying Cost (i.e. book value).

10. General Issues

(i) Rounding off (e.g. to nearest 000s)

May be done at bank's discretion on a consistent basis.

(ii) Investment Categories

For the purpose of Balance Sheet, investments are to be classified into the following categories :

(a) Government Securities (inclusive of T Bills, Zero Coupon bonds)

(b) Other approved securities

(c) Shares

(d) Debentures and bonds

(e) Subsidiaries and Joint Ventures (sponsored institutions)

(f) Others (CP, Mutual Fund Units, etc.)

(iii) Aggregation

Securities under each category shall be valued scrip-wise as indicated above and Depreciation/Appreciation shall be aggregated category-wise. Net depreciation, if any, shall be provided for. Net Appreciation, if any, should be ignored. Net Depreciation required to be provided for in any one category should not be reduced on account of Net Appreciation in any other category.

11. Re-capitalisation Bonds

Recapitalisation Bonds will not form part of "Permanent" or "Current" investments. It will not be necessary to provide for depreciation on the Recapitalisation Bonds received by the nationalised banks from Government. In case, however, banks acquire recapitalisation bonds of other banks for Investment purposes, the Depreciation, if any, will have to be provided for.

DBOD.No.BP. BC. 164/21.04.048/2000 **April 24, 2000**
Vaishakha 4, 1922 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding RRBs)

Dear Sir,

PRUDENTIAL NORMS ON CAPITAL ADEQUACY, INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING ETC.

1. Risk Weight on Securities Guaranteed by State Governments

In terms of instructions contained in item 4 of paragraph 2 (d) of our Circular DBOD No BP BC 103/21.01.002/98 dated October 31, 1998, banks are required to assign risk weight of 2.5 per cent for market risk for their investment in securities where payment of interest and repayment of principal are guaranteed by State Governments. However, in case of default in interest/principal by the State Government banks are required to assign 100 per cent risk weight on investment in all the securities issued or guaranteed by that State Government. The position has since been reviewed and it has been decided that banks need to assign risk weight of 100 per cent only on those State Government guaranteed securities issued by the defaulting entities and not on all the securities issued or guaranteed by that State Government.

Banks are further advised to pay due regard to the record of particular State Government in honouring their guarantees while processing any further requests for loans to PSUs in that State on the strength of State Government guarantee.

2. Sick SSI Units under rehabilitation

In terms of paragraph 3 of Circular DBOD No. BP BC 36/21.04.048/95 dated April 3, 1995, advances granted to units which are placed under rehabilitation package approved by BIFR/Term Lending Institutions (TLIs) are treated as NPAs and provisions are required to be made. However, for additional credit facilities sanctioned to units under rehabilitation package approved by BIFR/TLI, provision need not be made for a period of one year from the date of disbursement. In

other words, our guidelines on income recognition, asset classification and provisioning will apply to such additional credit facilities only after a period of one year from the date of disbursement.

Banks have been representing that the above relaxation is not available in respect of additional credit facilities granted under the rehabilitation package/nursing programme prepared by banks **themselves or under consortium arrangements.** On a review of the matter, it has been decided that **no provision need be made for a period of one year in respect of additional credit facilities granted to SSI units which are identified as sick (as defined in para 5 (a) of RPCD Circular No. PFNFS. BC. 99/ 06.02.031/92-93 dated April 17, 1993) and where rehabilitation packages/nursing programmes have been drawn by the banks themselves or under consortium arrangements .**

3. Provision on Standard Assets

A reference is invited to para 3 of our Circular DBOD No. BP.BC.101/ 21.04.048/ 99 dated 18 October 1999 regarding provision on Standard Assets. In the light of suggestions received from banks in regard to treatment and accounting of provision on Standard Assets, our instructions are partially modified as under:

- The general provision of 0.25 per cent on Standard Assets should be made on global portfolio basis and not on domestic advances alone.
- Provisions towards Standard Assets need **not** be netted from gross advances as advised earlier but shown separately as "Contingent Provisions against Standard Assets", under "Other Liabilities and Provisions - Others" in Schedule No. 5 of the balance sheet.
- The above contingent provision will not be eligible for inclusion in Tier II Capital.

4. Advances against Book Debt

In terms of instructions contained in para 4 of our Circular DBOD No. BP. BC.24/ 21.04.048/99 dated 30 March 1999, banks are required to show advances against Book Debt under item B (i)- "Secured by tangible assets" of Schedule 9. Although such advances are secured, it is likely that they may not be fully secured by tangible assets. Hence, banks may now indicate separately in Schedule 9 that

item B (i) includes "Advances against Book Debts" as shown below:

Advances – (Schedule 9)
B (i) Secured by tangible assets *
(* includes advances against Book Debt)

5. Investment Fluctuation Reserve Account

In terms of instructions contained in paragraph 1 of our circular DBOD No. BP.BC.24/21.04.048/99 dated 30 March 1999 the amount held in "Investment Fluctuation Reserve Account" could be utilised to meet, in future, the depreciation requirement on investment in securities. In this connection, it is clarified that the extra provision needed in the event of a depreciation in the value of the investments should be debited to the Profit and Loss Account and if required, an equivalent amount may be transferred from the 'Investment Fluctuation Reserve Account' to the Profit and Loss Account as a **'below the line'** item after determining the profit for the year.

6. The above instructions are applicable for finalising the balance sheet for the year ended March 31, 2000 and onwards.

Yours faithfully

(C.R. Muralidharan)
General Manager

Relevant Extract of circular DBOD.No.BP.BC. 169/21.01.002/2000 dated May 3, 2000 is reproduced below :-

3. Capital adequacy for subsidiaries

Presently, the balance sheet of subsidiaries of banks is neither consolidated with that of the parent bank nor has any uniform Capital Adequacy norm been prescribed for subsidiaries.The Basel Committee on Banking Supervision has proposed that the New Capital Adequacy Framework should be extended to include, on a consolidated basis, holding companies that are parents of banking groups. On prudential considerations, it is necessary to adopt best practices in line with international standards, while duly reflecting local conditions.

Banks are advised that they may on their own voluntarily build-in the risk weighted components of their subsidiaries into their own balance sheet on national basis, at par with the risk weights applicable to the bank's own assets. Banks should therefore, earmark addiional capital in their books over a period of time so as to abviate the possibility of impairment to their net worth when switchover to unified balance sheet for the group as a whole is adopted after some time. The additional capital required may be provided in the bank's books in phases, beginning from the year ending March, 2001.

Note : The detailed circular on the subject is contained in Chapter III

SECTION XII

USE OF HINDI IN BANKS

DBOD. No.BC. 60/06.02.01/98-99

June 8, 1999
Jyestha 18, 1921 (Saka)

All Public Sector Banks
And Financial Institutions

Dear Sir,

TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE - USE OF HINDI IN BANKS - MEETINGS OF OFFICE/BRANCH LEVEL OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEES

You are aware that as per Government of India Instructions issued vide their letter No.11014/11/95 dated September 4, 1995 it is essential, to constitute an Official Language Implementation Committee in each Zonal, Divisional and Branch level office including one at Head Office of each Public Sector Bank and Financial Institution and to conduct their meetings in each quarter regularly. It is observed from the reports submitted by branches at different levels that these meetings are not being held regularly.

Non compliance of Government of India instructions relating to Rajbhasha Policy/ provisions is a serious lapse. You are, therefore, requested to ensure that Official Language Implementation Committee is constituted in the Head Office, Zonal, Divisional and Branch level office of your bank and the meetings are conducted regularly in each quarter.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Gangwar)
General Manager

DBOD.No.BC. 68/06.11.04/98-99

July 7, 1999
Aashadha 16, 1921 (Saka)

The Chairman & Managing Director,
All Public Sector Banks

Dear Sir,

COMPUTERISED COMPILATION OF QUARTERLY PROGRESS REPORTS REGARDING PROGRESSIVE USE OF HINDI IN BANKS

In view of reducing the time factor involved in compilation of data and easy retrieval and updating the same in an uniform manner it was suggested in 79th meeting of Official Language Implementation Committee held on 8th April 1999 in Pune that regionwise Quarterly Progress Reports regarding progressive use of Hindi in public sector banks may be compiled on computer. Accordingly, it has been decided that the reports may be sent to Reserve Bank of India (DBOD) on floppy disk alongiwth a signed printed copy in future. Hence, a floppy containing prescribed proforma is sent herewith. However, if any bank is not in a position to send report on floppy at present, arrangements may be made in future and till then those banks may compile the data on printed proforma supplied herewith. The care may be taken to compile the data in respective column heads correctly. The printed copy may **necessarily be signed** as hitherto.

Yours faithfully,

(R. S. Gangwar)
General Manager

DBOD. No.BC. 80/06.11.04/98-99

August 12, 1999
Shravana 21, 1921 (Saka)

Chairmen and Managing Directors
of all Public Sector Banks

Dear Sir,

IMPLEMENTATION OF RAJBHASHA POLICY IN BANKS -
CELEBRATION OF GOLDEN JUBILEE YEAR OF RAJBHASHA (HINDI)

Public sector banks have been playing a prominent role in providing banking services, which have reached the masses in remote rural areas. As you are aware, Hindi was accepted in the Constitution as the Official Language of the Union five decades ago. Since nationalisation, the public sector banks have made sincere efforts to implement the Official Language policy of the Union. They have also made significant progress in this direction. It has now become even more important to increase the use of Hindi in day-to-day working of banks in order to have closer link with a large number of customers.

2. The Committee of Parliament on Official Languages, during the oral evidence of the Finance Secretary, Government of India, has desired that on the occasion of **Golden Jubilee Year of the Official Language, 1999-2000** (i.e. 14 September 1999 to 14 September 2000) the public sector banks may organise various Hindi competitions, functions and other programmes on large scale to celebrate the occasion and give due importance to it.

3. You are, therefore, requested to take appropriate action accordingly.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

DBOD.No.BC. 90/06.11.04/99-2000

September 18, 1999
Bhadra 27, 1921 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

PREPARATION OF BILINGUAL DATA PROCESSING SOFTWARE FOR BRANCHES OF PUBLIC SECTOR BANKS

As you are aware, public sector banks are doing word processing work in Hindi on computers. However, due to lack of bilingual data processing software, the work pertaining to data processing in Hindi on computers is still not being done. The subject has also been discussed in various meetings of Official Language Implementation Committee of public sector banks. Indian Banks Association had also advised the banks in this regard. However, no progress has yet been made. The matter was discussed in the meeting of Chief Executives of public sector banks on 2nd September 1999 and it has been decided that banks should initiate action in this regard and get the suitable *Bilingual Data Processing Software* prepared and installed in their branches, wherever this is necessary from the customers point of view.

You are, therefore, requested to take necessary action at the earliest.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager.

DBOD. No.BC. 94/06.07.03/99-2000 **September 30, 1999**
Ashwina 8, 1921 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

GUIDELINES FOR PERIODICALS

The Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Government of India has observed in its Office Memorandum No. 11011/23/99 Ra. Bha. (P) dated August 10, 1999 that the magazines published by Ministries/departments/ banks/undertakings and institutions contain lot of literary writings. In fact, to fulfill the objective of these magazines there should be more articles on the topics of the work related to these ministries, departments, banks, undertakings and institutions, so that the expenditure incurred on these magazines could be proved more meaningful. The primary aim behind publishing these periodicals is to make available to the the readers the authenticated information on the activities of the institution concerned and also the specific subject oriented knowledge adopting the Official Language Hindi as the medium of writing.

2. In this connection, the attention of all the banks and financial institutions is also invited to the decision taken in the 72nd meeting of the Official Language Implementation Committee of public sector banks held in Indore on July 17, 1997, wherein the banks were asked to include more and more matter on banking topics, increase the number of Hindi pages and improve the flow of the language. It was also impressed upon that the banks should widen the scope of these magazines.

3. You are, therefore, requested to ensure the compliance of the above mentioned guidelines and also ensure to include articles on the prominent topics pertaining to the nation and the humanity.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Gangwar)
General Manager.

DBOD.No.BC. 122/06.11.04/99-2000

November 5, 1999
Kartika 14, 1921 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

TECHNOLOGICAL PROBLEMS BEING FACED IN SENDING TELEGRAMS IN DEVANAGARI (HINDI)

A few banks had drawn our attention towards the technological problems being faced by them in sending telegrams in Hindi. In this connection, the matter was referred to Banking Division, Ministry of Finance. They had taken up the matter with the Department of Telecommunications (DOT) and advised that the facilities for sending telegrams in Devanagari (Hindi) are available in all the Telegraph Offices as well as in Post and Telegraph Offices. However, in case there are any instances of delivering Devanagari telegrams in Roman script the same may be brought to the notice of DOT (Ast. Director (T), TI Section, Dak Bhavan, Sansad Marg, New Delhi-110 001) to enable them to take corrective action.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Gangwar)
General Manager

DBOD.No.BC. 01/06.11.04/99-2000

January 6, 2000
Pausha 16, 1921 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

DISPLAY OF HOARDINGS IN HINDI

The public sector banks put their hoardings for the publicity of their new schemes etc. at various places in north eastern states in English and local languages. But it is observed that very few hoardings are displayed in Hindi in these states. In view of the official language policy of the Government of India and to create awareness in public about Hindi, it is suggested that hoardings should be displayed in Hindi also at prominent places.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Gangwar)
General Manager

DBOD.No.BC. 146/06.11.04/99-2000

March 8, 2000
Phalguna 18, 1921 (Saka)

The Chairman/Managing Director,
(All Public Sector Banks)

Dear Sir,

WORKING IN HINDI ON COMPUTERS

Please refer to our circular DBOD.No.BC. 90/06.11.04/99/2000 dated 18th September 1999, whereby we have advised the banks to prepare and install bilingual data processing softwares in their branches at the earliest. Banks have to adopt all possible measures to ensure that the computerisation does not hamper the use of Hindi in their offices.

In this connection,we invite your attention to the Appendix of item number 4 of the Minutes of 82nd meeting of Official Language Implementation Committee of public sector banks forwarded vide our letter DBOD.No. 722/06.02.01/99/2000 dated 26th February 2000. You are requested to take necessary steps with regard to the following items-

(i) Preparation of Hindi Training Programme for staff

With reference to the DO.No. 12015/8/2000 - राभा(त.क.) dated February 2, 2000 of Secrerary, Department of Official Language, Government of India forwarded with Banking Division's letter No. 11012/1/99- हिन्दी dated February 24, 2000, it is advised that a training programme for your staff-members may be chalked out for the year 2000-2001 to enable them to use bilingual / Hindi softwares. Kindly send details of the said programme in the enclosed proforma.

(ii) Display of Hindi text in bank's website

Please also inform us whether your bank has its own website. If yes, the address of the said website may be advised to us. Please also inform whether the arrangement for displaying Hindi text has been made in the website. If not, by what time it will be done.

Incidentally, you are also requested to intimate us the 'e-mail' address of your Rajbhasha Department, if any. Please also note that you can send 'e-mail' to the General Manager (Rajbhasha) of this office at the following address-

<g_rajeshwar@hotmail.com>

You are requested to advise us of the action taken in this regard latest by 15th April 2000.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Gangwar)
General Manager

DBOD. No.BC. 162/06.11.04/99-2000

April 3, 2000
Chaitra 14, 1922 (Saka)

The Chairmen and Managing Directors
(All Public Sector Banks)

Dear Sir,

IMPLEMENTATION OF RAJBHASHA POLICY IN BANKS - CONSTITUTION OF INTERNAL STANDING WORKING GROUPS

Your attention is invited to the Appendix of the minutes of 82nd meeting of the Official Languages Implementation Committee of public sector banks. As decided in connection with item No. 5 of the proposals of 20th Rajbhasha Conference of public sector banks, you are request to constitute *internal standing working groups* at Head Office as well as at Regional Office level to increase the use of Hindi in computers in branches / offices at all levels. Such working groups should consist of Rajbhasha specialist, I.T. specialist as well as practical banker and the matter may be reviewed in its periodical meetings. The progress may be reported to us at half yearly intervals.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Gangwar)
General Manager

DBOD. No.BC. 185/06.11.04/99-2000 **June 21, 2000**
Jyestha 31, 1922 (Saka)

The Chairmen and Managing Directors
(All Public Sector Banks)

Dear Sir,

REVISED PROFORMA FOR QUARTERLY PROGRESS REPORTS REGARDING USE OF HINDI IN BANKS-COMPUTERISED COMPILATION OF QPR

The Government of India, Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag, has recently revised the proforma of said Quarterly Progress Reports (QPR) which will be effective from 1st April 2000. In view of this the computerised format sent alongwith our Circular DBOD. BC No. 68/06.11.04/98-99 dated 07, July 1999 has also been revised.

2. Your are, therefore, requested to send QPR for the Quarter ended June 2000 onwards in enclosed format on floppy disk alongwith a signed printed copy of the same. Floppy should be prepared in 'MS-Office-Excel' giving running column numbers as earlier.

3. Computerised format of Part II of the QPR, which is to be sent only once in a year alongwith report for the quarter ended 31st March will be sent in due course.

4. The report not signed by the Chairman of the Official Language Implementation Committee in Head/Central Office will not be accepted.

Yours faithfully,

(R. S. Gangwar)
General Manager